20 February, 2014

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

(पंद्रहवीं लोक सभा)

XV-Session



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 37, पंद्रहवां सत्र, 2014/1935 (शक)

अंक 21, गुरुवार, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381	3-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 382 से 400	5-136
अतारांकित प्रश्न संख्या 4229 से 4458	135-797
सभा पटल पर रखे गए पत्र	797-802 839-840
राज्य सभा से संदेश	803-805
राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटा गए विधेयक और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	805-806
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
24वां और 25वां प्रतिवेदन	806
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
21वां प्रतिवेदन	807
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 262वां प्रतिवेदन	807
(दो) साक्ष्य	807
विदेशी एयरलाइन्स के बारे में दिनांक 22 अगस्त, 2013 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री अजित सिंह	807-809
रेल सुरक्षा के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री अधीर चौधरी	812-814

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय			कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य			
(एक)	(क)	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	809-810
	(ख)	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन' विषयक ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
		श्री प्रदीप जैन.....	810-811
	(दो)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
		श्री के. रहमान खान.....	811-812
	(तीन)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
		डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन.....	814
नियम 377 के अधीन मामले			
(एक) देश में काले धन के खतरे को रोके जाने की आवश्यकता			
		श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण.....	815-816
(दो) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में रेलवे लाइन के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता			
		श्री मकनसिंह सोलंकी.....	816
(तीन) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता			
		श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय.....	816-817
(चार) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2010 में खरीफ की फसल का नुकसान सहने वाले किसानों के बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता			
		श्रीमती रमा देवी.....	817-818

विषय **कॉलम**

(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पालनपुर तहसील के अंतर्गत चित्रासिणी रेलवे स्टेशन के निकट अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी..... 818

(छह) तमिलनाडु में पलार नदी में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने और इस प्रयोजनार्थ पलार नदी जल प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रहमान..... 818-819

(सात) केरल के पालक्काड़ में नदक्कावु स्थित लेवल क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश..... 819

(आठ) देवरिया और तरैया के साथ मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह..... 820

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

संशोधनों पर सहमति..... 820-822

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

संशोधनों पर सहमति..... 822-823

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

संशोधनों पर सहमति..... 824-825

सदस्यों द्वारा निवेदन

बिहार को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के मामले के बारे में 825-829
876-877

विषय	कॉलम
अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी.....	834
रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डॉ. चरण दास महन्त.....	834-837
श्री अर्जुन राम मेघवाल.....	834-837
खण्ड 2 से 44 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव.....	838
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुमोदन के बारे में संकल्प	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन.....	840
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री नमोनारायन मीणा.....	841-842
श्री निशिकांत दुबे.....	842-844
श्री पन्ना लाल पुनिया.....	844
श्री अर्जुन राम मेघवाल.....	844
श्री शैलेन्द्र कुमार.....	845
श्री एस. सेम्मलई.....	845-846
श्री ओ.एस. मणियन.....	846
डॉ. अनूप कुमार साहा.....	846-847
डॉ. पी. वेणुगोपाल.....	847
खंड 2 से 15 और 1	
प्रो. सौगत राय.....	869
डॉ. रामचन्द्र डोम.....	869-870

विषय		कॉलम
	श्री अजय कुमार	870-871
	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	871-872
	श्री शत्रुघन सिन्हा	872-874
	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	874-876
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	876
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	907-908
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	908-916
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	917-918
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	917-920

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष
श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका
श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव
श्री एस. बालशेखर

लोक सभा

गुरुवार, 20 फरवरी, 2014/1 फाल्गुन, 1935(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उनके हत्यारों को रिहा नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0:¼ बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, कभी तो बात समझा कीजिए। आप लोग भी अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

पूर्वाह्न 11.0:½ बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11:01 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री छितुभाई गामित और सी.सी. गोहेन के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री छितुभाई गामित छठी से बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने गुजरात के मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गामित एक सुयोग्य सांसद थे, उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति; लोक लेखा समिति; प्राक्कलन समिति; खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति; वित्त संबंधी समिति; लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति; कृषि संबंधी समिति; सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री छितुभाई गामित का निधन 72 वर्ष की आयु में 17 दिसम्बर, 2013 को गुजरात के तापी में हुआ।

श्री सी.सी. गोहेन चौथी और पांचवीं लोक सभा के नामित सदस्य थे तथा उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री गोहेन ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

श्री सी.सी. गोहेन का निधन 83 वर्ष की आयु में 16 फरवरी, 2013 को अरूणाचल प्रदेश के लोहित में हुआ।

हम श्री छितुभाई गामित और श्री सी.सी. गोहेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं संप्रेषित करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11:02 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11:03 बजे

इस समय, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री ए.के.एस. विजयन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11:03½ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल आरंभ होगा।

प्रश्न संख्या 381– श्री पी. विश्वानाथन।

गैर-महानगरीय विमानपत्तन

*381. +**श्री पी. विश्वनाथन:**
श्री जोस के. मणि:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने गैर-महानगरीय विमानपत्तन हैं और उनमें से कितने चालू हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों सहित महानगरीय और गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का विस्तार/आधुनिकीकरण शुरू किया गया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से विमानपत्तनों और हेलिपेडों के आधुनिकीकरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और विमानपत्तर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विमानपत्तनों/हेलिपेडों के उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं में विलंब से बचने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए विमानपत्तन विनियामक को निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-महानगरीय विमानपत्तनों का उन्नयन बिना कोई और लागत वृद्धि के किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के स्वामित्व और प्रबंधन के अधीन 121 गैर-महानगरीय हवाईअड्डे और सिविल एन्कलेव हैं, जिनमें से 90 हवाईअड्डे प्रचालनरत हैं।

(ख) जीं हां। 12वीं योजना अवधि के लिए वित्तीय योजना संबंधी कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने बीस हवाईअड्डों, यथा असम में गुवाहाटी, बिहार में गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा, कर्नाटक में मंगलौर, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, मणिपुर में इंफाल, ओडिशा में भुवनेश्वर, पंजाब में अमृतसर, राजस्थान में जयपुर और उदयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयंबटूर और त्रिची, त्रिपुरा में अगरतला, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ तथा पश्चिम बंगाल में कोलकाता, का प्रचालन, प्रबंधन और विकास चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माध्यम से करने का 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया है।

(ग) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.ए.आई. के इन हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण के अनुरोध प्राप्त हुए : आंध्र प्रदेश में कडप्पा, बिहार में गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर, हरियाणा में हिसार और करनाल, झारखंड में देवघर, कर्नाटक में बेलगांव और हुबली मध्य प्रदेश में शादोल, ओडिशा में झारसुगुडा, पंजाब में भटिंडा, राजस्थान में किशनगढ़, तमिलनाडु में तूतिकोरिन, त्रिपुरा में अगरतला, कैलाशहर और कमलपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर (चकेरी), आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और फैजाबाद, असम में रूपसी, तथा अरूणाचल प्रदेश में तेजू, दापरिजू, पासीघाट, आलग और जिरो।

(घ) ए.ए.आई. का "परियोजना निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन (पी.एम. एंड क्यू.ए.) विभाग" हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण की परियोजनाओं की आवधिक मॉनीटरिंग के लिए मासिक आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के आंकड़े एकत्रित और समेकित करता है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों संबंधी संचालन समिति ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करती है और ओ.एम.डी.ए. (प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार) कार्यान्वयन निगरानी समिति (ओ.आई.ओ.सी.) दिल्ली और मुंबई स्थित संयुक्त उद्यम हवाईअड्डों की प्रगति की मॉनीटरिंग करती है।

(ङ) परियोजनाओं का समय से पूरा होना सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि से बचने के उद्देश्य से, ए.ए.आई. और सरकार द्वारा परियोजनाओं की पूर्णता की प्रगति की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. विश्वनाथन : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार अवार्ड की प्रक्रिया पूरी करेगी *...(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूमि अर्जन

*382. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भूमि के बाजार मूल्य के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए उक्त अधिनियम में विहित किए गए मानदंडों की कतिपय राज्य प्राधिकारियों और उद्योग क्षेत्र के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा अधिनियम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (घ) संसद द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पारित किया गया है और इसे 2013 के अधिनियम संख्या 30 के रूप में 27 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड I में प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त अधिनियम 01.01.2014 से लागू हो गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोयले का आयात

*383. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के आयात के लिए विक्रेताओं के साथ संविदा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उप-विक्रेताओं और उन खानों का ब्यौरा क्या है जहां से कोयले का खनन किया गया था;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आयातित कोयले की घटिया गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को हानि हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तथा इस संबंध में निगरानी के अभाव के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन हैं और घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या इन विक्रेताओं को आगामी सरकारी निविदाओं में भाग लेने के संबंध में काली सूची में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां। पिछले तीन वर्षों में कोयले के आयात के लिए अवार्ड की गई संविदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान कोयले की खरीद के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा अवार्ड की गई संविदाएं खानविशिष्ट नहीं हैं। संविदा में केवल कोयले की तकनीकी विशिष्टियां दी जाती हैं जिन्हें विक्रेताओं को पूरा करना होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के आयात के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा अवार्ड की गई संविदाएं

क्र.सं.	संविदा सं.	अवार्ड की तिथि	संविदा की मात्रा (एम.एम.टी.)	विक्रेता
1	2	3	4	5
	वित्त वर्ष: 2010-11			
1.	(i) 01/एन.टी.पी.सी./एस.टी.सी./आयातित कोयला/2010	25.01.2011	12	एस.टी.सी.[1]
	वित्त वर्ष : 2011-12			
2.	(i) एन.ओ.ए.-5657	10.02.2012	0.5	अदानी इण्टरप्राइजेज लिमिटेड[3]
	(ii) एन.ओ.ए.-5655	03.02.2012	0.8	
	(iii) एन.ओ.ए.-5656	03.02.2012	0.7	
	(iv) एन.ओ.ए.-5653	03.02.2012	1	
	(v) एन.ओ.ए.-5654	03.02.2012	1	
	वित्त वर्ष : 2012-13			
3.	(i) एन.ओ.ए.-5809	09.11.2012	0.9	अदानी इण्टरप्राइजेज लिमिटेड[3]
	(ii) एन.ओ.ए.-5793	24.08.2012	1.1	
	(iii) एन.ओ.ए.-5794	24.08.2012	0.9	
	(iv) एन.ओ.ए.-5803	26.09.2012	0.6	
	(v) एन.ओ.ए.-5799	03.09.2012	0.4	
4.	(i) एन.ओ.ए.-5792	24.08.2012	1.1	एम.एम.टी.सी.[2]
5.	(i) एन.ओ.ए.-5864	24.02.2013	1.25	अदानी इण्टरप्राइजेज लिमिटेड[3]
	(ii) एन.ओ.ए.-5868	27.02.2013	0.8	
	(iii) एन.ओ.ए.-5869	27.02.2013	1.25	
	(iv) एन.ओ.ए.-5865	27.02.2013	0.4	

1	2	3	4	5
	(v) एन.ओ.ए.-5866	27.02.2013	0.8	
6.	(i) एन.ओ.ए.-5863	27.02.2013	0.9	एम.एम.टी.सी.[3]
	(ii) एन.ओ.ए.-5867	27.02.2013	1.25	

1. एस.टी.सी. के लिए उप-विक्रेता

   (i) अदानी इण्टरप्राइजेज लि.

   (ii) टॉप्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.

   (iii) भाटिया इंटरनेशनल लि.

2. एम.एम.टी.सी. के लिए उप-विक्रेता

   (iv) कोस्टल एनर्जी (प्रा.) लि.

3. कोई उप-विक्रेता नहीं

[हिन्दी]

ताप संयंत्रों द्वारा विद्युत का उत्पादन

***384. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ताप विद्युत संयंत्रों को विद्युत के उत्पादन के लिए आयातित कोयले के उपयोग की अनुमति दी है और इस संबंध में कोई कोटा तय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ प्रदान की गई अनुमति से संबंधित ब्यौरा क्या है और देश में राज्य विद्युत बोर्डों के लिए कितना कोटा तय किया गया है;

(ग) क्या आयातित कोयले के मूल्यों में वृद्धि और भारतीय रुपये की विनिमय दर में वृद्धि का विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन पर आयातित कोयले के मूल्य में वृद्धि के प्रभाव का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत संयंत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, उनके आकलन के आधार पर, वर्ष 2013-14 के लिए 82 मिलियन टन (एम.टी.) कोयले के आयात के निर्देशात्मक लक्ष्य की सलाह दी है। विद्युत यूटिलिटीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष 2013-14 (अप्रैल से जनवरी, 2014) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों ने, पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान सम्मिश्रण के लिए 26.2 मिलियन टन और आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्रों के लिए 24.3 मिलियन टन की तुलना में, घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण के लिए लगभग 31 मिलियन टन और आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों के लिए लगभग 35 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। कोयला आधारित उत्पादन अप्रैल-जनवरी, 2013 के दौरान 544.57 बिलियन यूनिट (बी.यू.) की तुलना में अप्रैल-जनवरी, 2014 के दौरान बढ़कर 587.64 बिलियन यूनिट (बी.यू.) हो गया है जोकि लगभग 7. 9% की वृद्धि है।

(ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्चतम लागत को पास थ्रू के लिए विचार किया जाए।

विवरण

वर्ष 2013-14 के लिए कोयले के आयात के लिए निर्धारित लक्ष्य

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्र.सं.	विद्युत यूटिलिटी	आयातित कोयले का वार्षिक लक्ष्य
1	2	3
क.	**घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र**	
1.	एच.पी.जी.सी.एल.	1.50
2.	आर.वी.यू.एन.एल.	2.00
3.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	0.50
4.	एम.पी.जी.सी.एल.	2.00
5.	टोरेंट ए.ई.सी.	0.50
6.	जी.एस.ई.सी.एल.	1.50
7.	एम.एस.पी.जी.सी.एल.	3.50
8.	रिलायंस (दाहनु)	0.60
9.	एपजैंको	2.50
10.	टांगैडको	2.40
11.	के.पी.सी.एल.	1.50
12.	डी.वी.सी.	3.00
13.	सी.ई.एस.सी.	0.40
14.	डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.	1.00
15.	एन.टी.पी.सी.	16.60
16.	एन.टी.पी.सी. (जेवी) (इंदिरा गांधी)	2.00
17.	रिलायंस (रोसा)	1.50
18.	टाटा (मैथॉन आर.बी.)	0.50
19.	जे.पी.एल. (महात्मा गांधी)	1.70
20.	लैंको अनापारा	1.50
21.	सी.एस.पी.जी.सी.एल.	0.30
22.	बीना	0.50
23.	वेदांता (झारसुगुडा)	0.50
24.	एन.टी.पी.सी. (जेवी) (वेल्लूर)	1.00
25.	अदानी (तिरोरा)	1.00
26.	एमको एनर्जी	0.00
27.	एन.टी.पी.सी. सेल	0.00
28.	जी.एम.आर. कमलंगा	0.00
	उप-जोड़ (क)	**50.00**
ख.	**आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्र**	
29.	ट्रॉम्बे	2.30
30.	जे.एस.डब्ल्यू. एनर्जी	6.60
31.	अदानी (मुंद्रा*)	9.00
32.	उडुप्पी	2.40
33.	मुंद्रा यू.एम.पी.पी.	7.20
34.	एस्सार सलाया	2.40
35.	सीमापुरी	0.60
36.	थामिनापट्टनम	0.30

1	2	3
37.	कवाई	1.20
38.	इण्ड बराथ (तूतीकोरिन)	0.00
	उप-जोड़ (ख)	**32.00**
	कुल (क+ख)	**82.00**

*70 घरेलू : 30 आयातित आधार पर डिजाइन की गई मुंदा स्टेज-III (1980 मेगावाट) शामिल है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यक्षेत्र

***385. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पुनर्गठन करने का है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक सौ से कम जनसंख्या वाले गांवों/छोटे गांवों के घरों को शामिल करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान के जालोर सिरोही क्षेत्रों सहित देश में सभी ऐसे गांवों/छोटे गांवों का कब तक विद्युतीकरण किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सभी ग्रामीण घरों के सार्वत्रिक विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत सरकार ने आर.जी.जी.वी.वाई. को 12वीं एवं 13वीं योजना में जारी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है तथा 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन-अनुभव के आधार पर इस स्कीम में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

(i) समय-समय पर परियोजनाओं की सिफारिश करने, प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्यान्वयन से संबंधित गत्यवरोधों का समाधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति।

(ii) परियोजनाएं वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाना।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के घरों के भार को 40 वाट एवं 250 वाट से बढ़ाकर, क्रमश: 250 वाट और 500 वाट तक कर दिया गया है।

(iv) गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

(v) समुचित फेजिंग करने देने के लिए कार्यों के निष्पादन में समूह आधारित दृष्टिकोण।

(vi) आर.जी.जी.वी.वाई. कार्यों की विशेष रूप से देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना स्तर पर समर्पित परियोजना कार्यान्वयन दलों की तैनाती करना।

(vii) बी.पी.एल. कनेक्शन की यूनिट लागत सी.एफ.एल. के स्थान पर एल.ई.डी. लैंप के प्रावधान के साथ 2200 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की जा चुकी है।

(viii) जहां पर विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन 6 घंटे से कम है, वहां पर विद्युत की उपलब्धता को पूरा करने के लिए डी.डी.जी. (विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन) भी ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने दसवीं/ग्यारहवीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों को पूरा करने और 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों और वासस्थलों को शामिल करने के लिए आर.जी.जी.वी.वाई. को 12वीं एवं 13वीं योजना में जारी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है।

वर्तमान नीति के अनुसार, 100 से कम की जनसंख्या वाले गांवों और वासस्थलों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) के द्वारा अपने दूरस्थ गांव विद्युतीकरण (आर.वी.ई.) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

जालौर और सिरोही जिले की परियोजनाओं को भी, क्रमश: 645 एवं 363 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 12वीं योजना की आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया है।

(ङ) आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों और वासस्थलों के सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना बनाई जाती है। इन गांवों और वासस्थलों के गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के घरों को विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) के घरों को संबंधित डिस्कॉम/राज्य विद्युत यूटिलिटी से, लागू कनेक्शन प्रभारों का भुगतान करके प्रक्रिया के अनुसार विद्युत कनेक्शन लेना होता है।

बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं

*386. **श्री अभिजीत मुखर्जी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति हेतु लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब के कारण क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) XIIवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों की कुल 100 बाढ़ प्रबंधन योजनाएं जल संसाधन मंत्रालय के मूल्यांकन अभिकरणों में मूल्यांकनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 122 परियोजनाओं में मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए परियोजना रिपोर्टों के संशोधन हेतु सलाह दी गई है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बाढ़ प्रबंधन संबंधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियोजित एवं तैयार की जाती हैं और राज्य सराकारों द्वारा 12.5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दिए जाने से पहले तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग/जी.एफ.सी.सी. को भेजी जाती हैं। डी.पी.आर. में कोई कमी पाये जाने की स्थिति में इसे डी.पी.आर. की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं डी.आई.एस. तथा अन्य मानक मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अद्यतनीकरण/संशोधन के लिए राज्य सरकारों को वापस भेज दिया जाता है। जिन प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति और राज्य वित्त विभागों की सहमति सहित सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं, उन पर एक अन्तरमंत्रालयी समिति द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ.एम.पी.) के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु विचार किया जाता है। प्राय: राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब के कारण मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा स्वीकृति दिए जाने में विलंब होता है।

इस प्रकार एक परियोजना के अनुमोदन में लगने वाला समय संबंधित राज्य द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

विवरण

XIIवीं योजना के दौरान केन्द्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्राप्त हुई नई बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है और टिप्पणियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं		मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6
क.	**गंगा बेसिन राज्यों की परियोजनाएं (जी.एफ.सी.सी. द्वारा मूल्यांकन)**				
1.	बिहार	2	118.24	14	5997.66
2.	छत्तीगढ़				
3.	हरियाणा				
4.	हिमाचल प्रदेश				
5.	झारखंड	1	31.69	0	0
6.	मध्य प्रदेश				
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				
8.	राजस्थान				
9.	उत्तर प्रदेश	15	477.82	7	420.95
10.	उत्तराखंड	1	75.82	23	620.46
11.	पश्चिम बंगाल	7	28.51	2	1989.72
	उप-जोड़	**26**	**732.08**	**46**	**9028.79**
ख.	**अन्य राज्यों की परियोजनाएं (सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मूल्यांकन)**				
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.55	12	91.86
2.	असम	45	8767.71	15	747.49

1	2	3	4	5	6
3.	गोवा				
4.	गुजरात				
5.	हरियाणा				
6.	हिमाचल प्रदेश (गंगा के अलावा अन्य)	0	0	1	62.46
7.	जम्मू और कश्मीर	25	1496.88	19	2520.78
8.	कर्नाटक	0	0		
9.	केरल	5	3913.86		
10.	मणिपुर	1	627.23	5	1598.77
11.	मेघालय	5	232.34	1	305.09
12.	मिजोरम	4	45.44		
13.	नागालैण्ड	1	416.43	1	7.02
14.	ओडिशा				
15.	पंजाब	2	132.32	0	0
16.	सिक्किम	1	95.38		
17.	तमिलनाडु	2	7028.00		
18.	त्रिपुरा				
19.	उत्तर प्रदेश				
20.	पश्चिम बंगाल (उत्तर बंगाल भाग)	3	114.40		
21.	पुदुचेरी	1	137.63		
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				
23.	राजस्थान				
24.	छत्तीसगढ़				
	उप-जोड़	**96**	**23012.17**	**54**	**5333.46**
	कुल	122	23744.25	100	14362.26

[हिन्दी]

रेलवे में टिकट बुकिंग प्रणाली

***387. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए निर्धारित आकस्मिक कोटे से बर्थें/सीटें जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या दलालों द्वारा आकस्मिक कोटा प्रकोष्ठ में तैनात रेल अधिकारियों के साथ कथित सांठ-गांठ कर आकस्मिक कोटे की टिकटों की कन्फर्मेशन में भ्रष्टाचार के मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई जांच और दोषी पाये गये व्यक्तियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन स्थानों पर आकस्मिक कोटा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक प्रकोष्ठ में कितने अधिकारी तैनात किए गए हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग प्रणाली को सरल बनाने और तत्काल योजना के अंतर्गत टिकटों की बुकिंग सहित टिकट बुकिंग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के जजों, संसद सदस्यों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों आदि की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों की आपात यात्रा संबंधी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गाड़ियों/श्रेणियों में आपात कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा वारंट ऑफ प्रीसिडेंस में पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार और एक सुव्यवस्थित पद्धति के अनुसार प्राथमिकता के अनुरूप जारी किया जाता है। वारंट ऑफ प्रीसिडेंस के अनुसार उच्च पदाधिकारियों और वी.आई.पी. के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद बाकी बेचे हुए कोटे को सरकारी ड्यूटी के कारण तात्कालिक यात्रा, परिवार में किसी की मृत्यु होने, चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यकता आदि के लिए जारी किया जाता है। आरक्षण चार्ट तैयार करते समय आपात कोटे की बची हुई बर्थें स्वत: ही आर.ए.सी./प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों को दे दी जाती हैं।

(ख) और (ग) समय-समय पर आपात कोटे के जरिए बर्थों के आबंटन में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के बारे में कभी-कभार शिकायतें प्राप्त होती हैं और इन शिकायतों की जांच की जाती है और सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूर्व रेलवे पर दो शिकायतें प्राप्त हुईं जो कि सही नहीं पाई गई और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर आपात कोटा सैल में तैनात रेल अधिकारियों के साथ मिलीभगत में दलालों द्वारा आपात कोटे के जरिए टिकटें कन्फर्म कराने में अनियमितता सिद्ध होने के एक मामले का पता लगा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, इसी प्रकार के दो अन्य मामले उत्तर रेलवे में दर्ज किए गए थे। इन मामलों की जांच की गई और दो अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) आपात कोटा सैल जोनल/मंडल मुख्यालयों और कुछ महत्त्वपूर्ण गैर-मुख्यालय स्टेशनों पर स्थित हैं। ये सैल सामान्यत: राजपत्रित अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं और इनकी सहायता क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपेक्षित संख्या में तैनात कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इस प्रकार के प्रत्येक सैल में तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या कार्यभार के अनुसार कम या अधिक होती है।

(ङ) यात्री आरक्षण प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से और सामान्य आरक्षण तथा तत्काल आरक्षण योजना के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए रेलों द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) टिकटों का सुगम आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पी.आर.एस.-सह-यू.टी.एस. स्थानों और 270 डाकघरों सहित 3139 कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली स्थानों पर आरक्षित टिकटें जारी करने की सुविधा मुहैया कराई गई है।

(ii) इंटरनेट के जरिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग की सुविधा प्रतिदिन 0030 बजे से 2330 बजे तक उपलब्ध है।

(iii) सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियों सहित आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा भेजे गए प्राधिकृत एस.एम.एस. को लैपटॉप /पामटॉप/मोबाइल फोन के जरिए वैध फोटो वाले मूल पहचान-पत्र के साथ दिखाया जाता है तो इसे ई-टिकटों की इलैक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची के समान सबूत के तौर पर माना जाता है।

(iv) नए उच्च क्षमता वाले डाटाबेस सर्वरों, नए फायरवाल लगाकर और अतिरिक्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस देकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है।

(v) इंटरनेट बैंडविड्थ 340 एम.बी.पी.एस. से बढ़ाकर 450 एम.बी.पी.एस. कर दी गई है।

(vi) बिना इंटरनेट वाले मोबाइल फोन के जरिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग की सुविधा भी हाल ही में शुरू की गई है।

(vii) टिकट पर बुक किए गए किसी भी एक यात्री द्वारा यात्रा के दौरान पहचान के निर्धारित किए गए सबूत को दिखाना एक अनिवार्य नियम बनाया गया है। तत्काल टिकट के मामले में, टिकट में दिए गए पहचान के मूल सबूत को साथ में रखना आवश्यक है। पहचान के लिए निर्धारित सबूत को न दिखाने की स्थिति में उस टिकट पर बुक किए गए सभी यात्री बिना टिकट यात्री मान जाएंगे और उनसे तदनुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।

(viii) तत्काल योजना के दुरुपयोग के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से तत्काल योजना के विभिन्न प्रावधानों में आशोधन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

- तत्काल योजना और सामान्य योजना के अंतर्गत आरक्षण की बुकिंग खुलने के समय को अलग-अलग करके क्रमश: 1000 बजे और 0800 बजे कर दिया गया है।

- तत्काल योजना की अग्रिम आरक्षण अवधि को घटाकर यात्रा वाले दिन को छोड़कर एक दिन कर दिया गया है।

- कन्फर्म्ड तत्काल टिकटों को रद्द कराने पर रिफंड की सुविधा नहीं है केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जैसे गाड़ी का तीन घंटे से अधिक देरी से चलना, गाड़ी का रद्द होना आदि।

- सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत डुप्लीकेट तत्काल टिकटें जारी नहीं की जाती हैं। आपवादिक मामलों में तत्काल प्रभारों सहित पूरे किराए का भुगतान करने पर डुप्लीकेट तत्काल टिकटें जारी की जा सकती हैं।

- कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षया प्रणाली (पी.आर.एस.) वाले काउंटरों पर, तत्काल टिकटें इस योजना में उल्लिखित पहचान के निर्धारित सबूतों में से किसी एक की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी दिखाने पर ही जारी की जाती हैं। ई-टिकट बुक कराते समय यात्री को सिस्टम में पहचान पत्र की संख्या भी देनी होती है।

- तत्काल टिकट पर प्रति पी.एन.आर. में अधिकतम चार यात्रियों की बुकिंग का प्रतिबंध लगाया गया है।

- वेब सर्विस एजेन्टों को इंटरनेट पर प्रतिदिन प्रति गाड़ी में केवल एक ही तत्काल टिकट, और वह भी 1200 बजे के बाद ही, बुक करने की अनुमति है।

(ix) विभिन्न उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) के ट्रैवल एजेंटों/वेब सेवा एजेंटों/वेब एजेंटों द्वारा ई-टिकटों के जरिए आरक्षण खुलने वाले दिन तत्काल बुकिंग और सामान्य बुकिंग के लिए 0800 बजे से 1200 बजे के बीच एक्सेस रोक दी गई है।

(x) आरक्षण में कदाचार में शामिल असामाजिक और अनैतिक तत्त्वों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए प्रमुख स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरा भी लगाए गए हैं।

(xi) आर.ओ.एस.ए. द्वारा की जा रही बुकिंग का पता लगाने के लिए सभी बुकिंग/रद्दकरण फार्मों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) में व्यवस्था की गई है।

(xii) विशेषरूप से आरक्षण खुलने के शुरुआती घंटों में अत्यधिक संख्या में मांग पर्चियों को सम्हालने के लिए काउंटरों पर नज़र रखने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(xiii) कंप्यूटरीकृत पी.आर.एस. में 'कैप्चा' प्रणाली शुरू की गई है ताकि बुकिंग क्लर्क पहले से ही सूचना भरकर उसका उपयोग न कर सकें।

(xiv) यात्रियों को शिक्षित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषण प्रणाली के जरिए लगातार घोषणाएं की जाती हैं जिसमें यात्रियों को केवल स्टेशनों के बुकिंग काउंटरों अथवा प्राधिकृत टिकट काउंटरों से ही टिकटें खरीदने के लिए कहा जाता है।

(xv) आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफार्मों पर और गाड़ियों में भी सुरक्षा/सतर्कता विभाग के सहयोग से रेलों के वाणिज्यिक विभागों द्वारा नियमित/औचक जांचें की जाती हैं।

(xvi) सभी जोनल रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वरिष्ठ, डी.सी.एम./डी.सी.एम. आरक्षण कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और शुरुआती घंटों के दौरान पी.आर.एस. कार्यालयों का व्यक्तिगत रूप से भी निरीक्षण करें तथा दलालों की गतिविधियों की जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

[अनुवाद]

सेटेलाइट टेलीविजन पर वयस्कों हेतु स्लॉट

***388. श्री के. सुगुमार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सेटेलाइट टेलीविजन पर वयस्कों हेतु स्लॉट शुरू करने के सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं/सुझाव दिये हैं जिनके द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के तरीके में बदलाव आने की संभावना है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विद्यमान चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मौजूदा चलचित्र अधिनियम को वर्ष 1952 में अधिनियमित किया गया था। तब से लेकर अब तक भारतीय सिने-परिदृश्य में बदलाव आया है। मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की और, अन्य मुद्दों के साथ-साथ अधिनियम के प्रमाणन संबंधी विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने तत्संबंधी मामलों और चिंता के मुख्य विषयों पर पुनर्विचार किया तथा सैटेलाइट रिलीज आदि के लिए फिल्मों के प्रमाणन जैसे मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के अध्यक्ष उक्त समिति में सदस्य के रूप में शामिल थे और समिति ने सी.बी.एफ.सी. बोर्ड के सदस्यों, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों, फिल्म निर्माताओं, सभी प्रमुख क्षेत्रीय फिल्म केन्द्रों के फिल्म संघों, अधिवक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों जैसे अनेक स्टेकहोल्डरों तथा अन्यों के साथ बैठकें कीं।

समिति ने कतिपय सुझाव दिए हैं जिनकी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी।

विश्वस्तरीय स्टेशन

***389. श्रीमती मेनका संजय गांधी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण सभी प्रमुख शहरों में विश्वस्तरीय स्टेशनों के निर्माण संबंधी रेलवे की योजना के आकार को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन हेतु सरकारी-निजी भागीदारी करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत विस्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने के लिए किन-किन स्टेशनों को चिन्हित किया गया है?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) विश्वस्तरीय स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से विकसित करने पर विचार किया गया है और रेलों के लिए लागत-निष्प्रभावित रहेगी। अत:, धन की कमी के कारण परियोजना को कम करने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रस्तावित मॉडल में स्टेशन विकास की लागत उपरोक्त स्टेशन के आस-पास की भूमि की रीयल एस्टेट संभाव्यता और एयर स्पेस का दोहन करके वसूली जानी है। सरकारी धन की आवश्यकता केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे व्यवहार्यता रिपोर्टों के लिए परामर्श, सलाहकार सेवाओं एवं प्रशासनिक व्ययों के लिए होती है जिसके लिए समय-समय पर धन आबंटित किया जाता है।

(घ) पी.पी.पी. प्रणाली में विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में विकास के लिए 50 स्टेशनों को चुना गया है। ये स्टेशन हैं: आगरा कैंट, अहमदाबाद, अजमेर जं. इलाहाबाद, अंबाला कैंट, अमृतसर, आनंद विहार, बैयपनहल्ली, बंगलौर सिटी, भोपाल, भुवनेश्वर, बिजवासन, बोलपुर, चंडीगढ़, चेन्नई सेंट्रल, सी.एस.टी. मुंबई, एर्णाकुलम, गया, गोवा, गोरखपुर, गुवाहाटी, हबीबगंज, हावड़ा, जम्मू, झांसी, जयपुर, कानपुर सेंट्रल, खड़गपुर, कोलकाता, कोझिकोडे (कालीकट), कोटा, लखनऊ, लुधियाना, माजेरहाट, मंगलौर, मथुरा, नागपुर, नई दिल्ली, न्यू, जलपाईगुड़ी, पटना, पोरबंदर, पुणे, पुरी, सियालदाह, सिकंदराबाद, सूरत, थाणे, तिरूवनंतपुरम, तिरूपति और वाराणासी।

भू-जल का विकास

***390. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भू-जल के विकास हेतु विभिन्न उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए उपायों के संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या भू-जल संबंधी कतिपय अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने भी भू-जल के सतत विकास हेतु विभिन्न कदमों का भी सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने भारत में भूमि जल प्रबंधन पर एक अध्ययन और तकनीकी सहायता पहल की है, जिसका उद्देश्य भूमि जल पर अत्यधिक निर्भर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थायी भूमि जल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रबंधन कार्यनीतियां अभिज्ञात करना है। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर, विश्व बैंक ने वर्ष 2010 में "डीप वेल एंड फ्रेंड्स : टूवार्ड्स प्रेगमैटिक एक्शन फॉर एड्रेसिंग ग्राऊंड वाटर ओवर-एक्सप्लोयटेशन इन इंडिया" नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में देश में भूमि जल के अतिदोहन का प्रबंधन करने हेतु शहरी व्यवस्थाओं में जल शुल्क (टैरिफ) में बढ़ोतरी; कृषि व्यवस्थाओं में खेतों में फसलों के लिए जल की आवश्यकता तथा गैर-लाभकारी वाष्प-वाष्पोत्सर्जन को कम करने; विशिष्ट क्षेत्रों में सतही और भूमि जल के संयुक्त उपयोग; भूमि पुनर्भरण को बढ़ाने आदि जैसे कई उपाय सुझाए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपात काल बाल निधि (यूनीसेफ), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.), यूनेप (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कई रिपोर्टों में देश में भूमि जल संबंधी मुद्दों और चुनौतियों के विषय में उल्लेख है, जिसमें अन्य बातों के साथ, भूमि जल के स्थायी विकास एवं प्रबंधन हेतु किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

भारत सरकार, देश में अपनी विभिन्न स्कीमों द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के जरिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देकर जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देती है। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) देश में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, जल

निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसी स्कीमों के तहत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा देश में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना को तैयार किया जाना।

(iii) राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, जल संसाधनों का संरक्षण।

(iv) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल के विनियमन, विकास और संरक्षण हेतु भूमि जल विधान अधिनियमित करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक परिचालित किया जाना।

(v) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी. डब्ल्यू.ए.) ने देश में 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जहां पीने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि जल निकासी प्रतिबंधित है।

(vi) सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अति दोहित प्रखंडों वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सलाह जारी करना।

(vii) भूमि जल प्रबंधन और विनियमन की केन्द्रीय स्कीम, XIIवीं योजना के दौरान चल रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पंचायती राज संस्थाओं; स्थानीय समुदायों; गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों को भूमि जल के सहभागी प्रबंधन में शामिल करने की योजना है, ताकि देश में भूमि जल संसाधनों का स्थायी विकास आदि सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण

*391. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसी टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कार्यक्रमों के प्रसारण में शालीनता और स्वतंत्रता के बीच युक्तिसंगत संतुलन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) केबल टी.वी. नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपबंधित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। जब कभी इन संहिताओं का किसी प्रकार का उल्लंघन सरकार की जानकारी में लाया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रसारण किए जाने से रोके जाने वाले प्राइवेट सैटेलाइट टी.वी. चैनलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान में वाक् एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रतिपादित किया गया है जबकि कानून के जरिए अनुप्रयोज्य युक्तिसंगत प्रतिबंध के द्वारा इसमें संतुलन कायम रखने का भी प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण–

(1) सभी नागरिकों को–

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार होगा;...

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या

वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।"

संविधान में अंतर्विष्ट उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, समस्त देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को विनियमित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1994 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश को संसद के एक अधिनियम से प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से, संसद में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक पेश किया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के उपरांत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक पर 25 मार्च, 1995 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम संविधि-पुस्तक में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955 (इसके बाद इसका उल्लेख "अधिनियम" के रूप में किया जाएगा) के रूप में प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम के तहत प्राइवेट सैटेलाइट टी.वी./केबल टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों व विज्ञापनों के प्रसारण को विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम में प्राइवेट सैटेलाइट टी.वी. चैनलों द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि "कोई व्यक्ति केबल सेवा के जरिए किसी कार्यक्रम को तब तक प्रसारित या पुन: प्रसारित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप न हो"। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 22(1) के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के द्वारा नियम बनाने हेतु शक्तिसंपन्न किया गया है। उप-धारा 22(2) में, अन्य के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि ऐसे नियमों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का प्रावधान किया जा सकता है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 22 में अंतर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 प्रख्यापित किए गए जिनमें, अन्य के साथ-साथ, उक्त नियमों के नियम 6 में अंतर्विष्ट कार्यक्रम संहिता का निर्धारण किया गया है। उक्त कार्यक्रम संहिता में प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टी.वी. चैनलों पर कार्यक्रमों के प्रसारण को अभिशासित करने वाले समस्त पैरामीटर अंतर्विष्ट हैं और यह संहिता मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

मंत्रालय ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) का गठन किया है। आई.एम.सी. में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधि तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) में उद्योग के एक प्रतिनिधि शामिल हैं। आई.एम.सी. की समय-समय पर बैठकें होती हैं और वह उल्लंघनों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा करती है।

मंत्रालय ने 24 × 7 आधार पर प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी व रिकॉर्डिंग करने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ई.एम.एम.सी.) की भी स्थापना की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन को भी प्रोत्साहित किया है। समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.), जिसमें प्राइवेट टेलीविजन समाचार एवं समसामयिक विषयक प्रसारकों का प्रतिनिधित्व है, ने अपने स्व-विनियमन तंत्र के भाग के रूप में आचार-संहिता और प्रसारण मानकों को निरुपित किया है जिनमें समाचार प्रसारण के स्व-विनियमन के संबंध में व्यापक सिद्धांत शामिल हैं। एन.बी.ए. ने समाचार प्रसारण मानक विनियम भी निरुपित किए हैं। उन्होंने व्यष्टि प्रसारकों द्वारा स्तर-I पर और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एन.बी.एस.ए.) द्वारा स्तर-II पर विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए द्वि-स्तरीय संरचना का गठन किया है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे और अन्य आठ सदस्य शामिल हैं। प्राधिकरण के सदस्यों में प्रसारक के साथ नियुक्त 4 (चार) प्रख्यात संपादक और विधि, शिक्षा, आयुर्विज्ञान, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता, मामले, पर्यावरण मानव मनोविज्ञान एवं/या संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं/या व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले 4 (चार) व्यक्ति शामिल हैं।

गैर-समाचार एवं मनोरंजन चैनलों के स्व-विनियामक निकाय, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) ने स्व-विनियमन हेतु एक तंत्र की स्थापना की है। इसके भाग के रूप में आई.बी.एफ. ने विषय-वस्तु संहिता एवं प्रमाणन नियम, 2011 निर्धारित किए हैं जिनमें विषय-वस्तु से संबंधित समस्त सिद्धांतों तथा टेलीविजन प्रसारण संबंधी मापदंडों को शामिल किया गया है। इस तंत्र के भाग के रूप में एक द्वि-स्तरीय शिकायत निदान

प्रणाली की स्थापना की गई है। स्तर-I पर, प्रत्येक प्रसारक ने अपने चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के बारे में कार्रवाई करने के लिए एक विषय-वस्तु लेखा-परीक्षक के साथ मानक एवं पद्धति (एसऐंडपी) विभाग की स्थापना की स्थापना की है। स्तर-II पर, प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) की स्थापना की गई है। बी.सी.सी.सी. में कुल 13 सदस्य हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तथा 4 प्रख्यात व्यक्ति, राष्ट्र स्तर के किन्हीं सांविधिक आयोगों से 4 सदस्य एवं 4 प्रसारक-सदस्य, अन्य 12 सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 1985 में स्थापित भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए. एस.सी.आई.) ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद् (सी.सी.सी.) की स्थापना की है। इस परिषद् में इस समय 21 सदस्य हैं जिनमें 9 उद्योग के भीतर से लिए गए हैं और अन्य 12 सदस्यों को सुविख्यात चिकित्सकों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, उपभोक्ता संबंधी मामलों के कार्यकर्ताओं आदि जैसे नागरिक समाज के सदस्यों में से लिया गया है।

विवरण

उन चैनलों की सूची जिन्हें पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए

क्र.सं.	चैनलों के नाम	पाया गया उल्लंघन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	एस.एस. टी.वी.	'सिज़लिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	दिनांक 08.02.2012 के आदेश के तहत सात दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
2.	एंटर 10	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्मों मुसाफिर, प्लान और आशिक बनाया आपने का प्रसारण।	दिनांक 8.1.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
3.	जिंग	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'हवस' का प्रसारण।	दिनांक 8.1.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
4.	मनोरंजन टी.वी.	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'टॉपलैस' का प्रसारण।	दिनांक 8.1.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
5.	एस.एस.टी.वी.	'फ्रैंड्स विद बेनेफिट्स' फिल्म के ट्रेलर का प्रसारण जिसे सी.बी.एफ.सी. द्वारा टी.वी. चैनलों पर प्रसारण हेतु प्रमाणित नहीं किया गया था।	दिनांक 8.1.2013 के आदेश के तहत पंद्रह दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
6.	एफ.टी.वी.	दिनांक 11.09.2011 को 'डिजाइनर्स इन हाइ डेफीनिशन', 12.09.2011 को 'शानतेली लांजरी', 'पैरिस' और 15.09.2011 को 'लांजरी' तथा 18.04.2012 को 'फिफ्टींथ	दिनांक 28.03.2013 के आदेश के तहत दस दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।

1	2	3	4
		एनीवर्सरी-टॉप डिजाइनर्स' नामक कार्यक्रमों का प्रसारण	
7.	महुआ	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्मों 'औलाद' और 'एक और कुरुक्षेत्र' का प्रसारण।	दिनांक 25.04.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
8.	एएक्सएन	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्म 'डार्कनेस फाल्स' का प्रसारण।	दिनांक 25.04.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
9.	मूवीज ओके	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्म 'दिल जले' का प्रसारण।	दिनांक 01.05.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
10.	कामेडी सेंट्रल	'स्टैंड आप क्लब' नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	दिनांक 17.05.2013 के आदेश के तहत दस दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
11.	जूम टी.वी.	तीसरी आंख-द हिडन कैमरा नामक फिल्म का प्रसारण जिसकी विषय वस्तु में शिष्टता का अभाव था।	दिनांक 01.10.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
12.	ए.बी.एन. आंध्र ज्योति	ईदे माली वेलावनी पर आधारित गीत का प्रसारण	दिनांक 01.10.2013 के आदेश के तहत सात दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
13.	मनोरंजन टी.वी.	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्म 'एक चतुर नार' का प्रसारण।	दिनांक 17.05.2013 के आदेश के तहत सात दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
14.	बिग सी.बी.एस. लव	एक्सक्यूज्ड नामक कार्यक्रम का प्रसारण	दिनांक 15.10.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
15.	यू.टी.वी. बिंदास	'इमोशनल अत्याचार सीजन-3' कार्यक्रम अभद्र दृश्यों का प्रसारण।	दिनांक 06.11.2013 के आदेश के तहत तीन दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।
16.	डब्ल्यूबी	दिनांक 07.01.2013 को 'वी/यूए' प्रमाणित फिल्म इट्स ए ब्वाय गर्ल थिंग का प्रसारण।	दिनांक 16.01.2014 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद रखने के आदेश दिए गए।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

***392. श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है तथा उसमें से राज्य-वार कितनी लम्बी लाइनों का किलोमीटर और प्रतिशत के रूप में विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) राज्यों में दोहरीकरण और विद्युतकरण संबंधी निर्माणाधीन/लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थित क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 01.04.2013 को कुल मार्ग किलोमीटर (आर.के.एम.) की तुलना में विद्युतीकरण किए गए मार्ग किलोमीटर की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कुल मार्ग किलोमीटर	विद्युतीकरण मार्ग किलोमीटर	विद्युतीकृत प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5322	2759	51.84%
2.	बिहार	3656	1390	38.02%
3.	छत्तीसगढ़	1196	861	72.00%
4.	दिल्ली	183	139	75.96%
5.	गुजरात	5257	785	14.93%
6.	हरियाणा	1630	416	25.52%
7.	हिमाचल प्रदेश	296	15	5.06%
8.	जम्मू और कश्मीर	256	106	41.41%
9.	झारखंड	2113	1591	75.30%
10.	कर्नाटक	3228	338	10.47%
11.	केरल	1050	694	66.11%
12.	मध्य प्रदेश	4955	2155	42.49%
13.	महाराष्ट्र	5725	2331	41.72%
14.	ओडिशा	2507	1473	58.75%

1	2	3	4	5
15.	पंजाब	2215	615	27.76%
16.	पुदुचेरी	22	11	50.00%
17.	राजस्थान	5872	656	11.17%
18.	तमिलनाडु	4027	1708	42.41%
19.	उत्तर प्रदेश	8832	3205	36.29%
20.	उत्तराखंड	345	52	15.07%
21.	पश्चिम बंगाल	4037	2241	55.51%
22.	अन्य राज्य	2712	0	0.00%
	जोड़	65436	23541	35.98%

(ख) और (ग) **(i) दोहरीकरण:**

रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के लिए राज्य सरकारों तथा जन प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न स्तरों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है। इस प्राकर की प्रत्येक मांग का विवरण केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है। वर्तमान में केंगेरी-रामनगरम-मैसूर के विद्युतीकरण के साथ रामनगरम-मैसूर दोहरीकरण की एक परियोजना को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी द्वारा सहायता दी जा रही है।

(ii) केंगेरी-रामनगरम-मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामननगरम-मैसूर दोहरीकरण की स्थिति:

91.5 किमी. लंबी दोहरीकरण परियोजना 2007-08 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना की अद्यतन प्रत्याशित लागत 800 करोड़ रुपए है। मार्च, 2013 तक वास्तविक आय 441 करोड़ रुपए है और 2013-14 में 70 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

55 किमी. दोहरीकरण का कार्य समाप्त हो गया और शेष भाग में भी कार्य शुरू हो गया है।

केंगेरी-रामनगरम-मैसूर के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और केंगेरी-रामनगरम का कार्य समाप्त होने वाला है।

(II) विद्युतीकरण:

रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित खंड का नाम	राज्य सरकार	स्थिति/की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	दिल्ली-रोहतक	दिल्ली/हरियाणा	कार्य पूरा हो गया है और विद्युत कर्षण की शुरुआत कर दी गई है।
2.	त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी	केरल/तमिलनाडु	कार्य पूरा हो गया है और विद्युत कर्षण की शुरुआत कर दी गई है।
3.	कोरापुट-दमनजोड़ी-रायगडा	ओडिशा	कोरापुट-दमनजोड़ी रेल लाइन पहले ही विद्युतीकृत है। दमनजोड़ी-

1	2	3	4
			रायगडा रेल विद्युतीकरण का स्वीकृत कार्य है।
4.	शोराणुर-मंगलोर	केरल	यह एक स्वीकृत रेल विद्युतीकरण कार्य है।
5.	टिटलागढ़-संबलपुर-झरसुगुडा और तलचेर-संबलपुर	ओडिशा	दोनों खंडों का विद्युतीकरण स्वीकृत हो गया है।
6.	हरिदासपुर-पारादीप	ओडिशा	नई लाइन के साथ रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है।
7.	लक्सर-दोहरादून	उत्तराखंड	यह एक स्वीकृत रेल विद्युतीकरण कार्य है।
8.	कोल्लम-पुनलुर	केरल	फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।
9.	शोराणुर-निलांबूर	केरल	फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।
10.	एरणाकुलम साउथ-कोचीन हार्बर टर्मिनस	केरल	परिचालनिक आधार पर व्यावहारिक नहीं है।
11.	पनवेल-पेन-रोह एवं पेन-अलीबाग	महाराष्ट्र	परिचालनिक आधार पर व्यावहारिक नहीं है।

(घ) और (ङ) I. **योजना शीर्ष दोहरीकरण के अंतर्गत चल रही परियोजनाएं**

दोहरीकरण

01.04.2013 को 51069 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 9287 किमी. की लंबाई वाली 169 चालू दोहरीकरण परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं। संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक परियोजना की प्रगति को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य की समय-सीमा परिचालनिक आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति के आधार पर निश्चित की जाती है। अत्यधिक थ्रोफारवर्ड एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण चालू परियोजनाओं को पूरा करने का समय निश्चित किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

II. देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के चल रहे कार्यों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

रेल विद्युतीकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत चालू रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम (एवं स्वीकृति का वर्ष)	2013-14 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	मार्ग किलोमीटर (आर.के.एम.) कुल	01.02.2014 को विद्युतीकृत किए जाने वाला शेष मार्ग किमी.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक	तोरनगल्लु-रंजीतपुरा शाखा लाइन	23.00	138	138

1	2	3	4	5	6
		सहित गुंतकल-बेल्लारी-होसपेट खंड (2012-13)			
2.	आंध्र प्रदेश	नल्लापाडु-गुंतकल (2012-13)	23.00	426	426
3.	आंध्र प्रदेश	रेणिगुंटा-गुंतकल (1998-99)	6.91	308	0
4.	बिहार, पश्चिम बंगाल/असम	कटिहार-बरसोई सहित बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी (2008-09)	87.35	836	482
5.	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात	कलोल-गांधीनगर खोडियार एवं अलवर-बांदीकुई-जयपुर- फुलेरा सहित दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी-फुलेरा-पालनपुर-अहमदाबाद (2013-14)	0.0001	1087	1087
6.	हरियाणा/पंजाब	रोहतक-भटिंडा-लेहरा मुहबत (2010-11)	23.00	252	252
7.	हरियाणा	मनहेरू-हिसार (2012-13)	18.00	74	74
8.	हरियाणा	जाखल-हिसार (2013-14)	0.0001	79	79
9.	हरियाणा, पंजाब	जाखल-धुरी-लुधियाना (2013-14)	0.0001	123	123
10.	झारखंड/मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	गरवा रोड-चोपन-सिंगरौली (2012-13)	23.00	257	257
11.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	श्री सत्य साई प्रशांति निलयम के रास्ते पेनुकोंडा-धर्मावरम सहित येलहंका-धर्मावरम-गूटी (2010-11)	45.00	306	37
12.	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	लिंगमपल्ली-वाडी (2006-07)	8.46	161	0
13.	केरल/कर्नाटक	शोराणुर-मंगलौर-पेनम्बुर (2010-11)	32.00	328	93
14.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	अमला-छिंदवाड़ा-कलुमना (2012-13)	15.00	257	257
15.	महाराष्ट्र	गांदिया-बल्लारशाह (2010-11)	46.00	250	218
16.	महाराष्ट्र	पुंथम्बा-शिर्डी सहित दौंड-मनमाड़ (2010-11)	16.85	255	0
17.	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	सतना-रेवा सहित इटारसी-कटनी-माणिकपुर-छिवकी (2012-13)	23.00	653	653

1	2	3	4	5	6
18.	ओडिशा/छत्तीसगढ़/ आंध्र प्रदेश	विजयनगरम-रायगडा-टिटलागढ़-रायपुर (2011-12)	23.00	465	410
19.	ओडिशा	संबलपुर-अंगुल (2012-13)	14.00	156	156
20.	ओडिशा	झारसुगुडा-एलबी (बाई पास लाइन) सहित झारसुगुडा-संबलपुर-टिटलागढ़ खंड (2012-13)	18.00	238	238
21.	ओडिशा	दमनजोडी-सिंगापुर रोड (2013-14)	0.0001	152	152
22.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी-उधमपुर सहित जालंधर-जम्मू तवी (2007-08)	15.71	275	27
23.	पंजाब	राजपुरा-धुरी-लेहरा मुहबत (2013-14)	0.0001	151	151
24.	राजस्थान/हरियाणा	अलवर-रेवाड़ी (2011-12)	23.00	82	05
25.	तमिलनाडु	मदुरै-तूतीकोरिन-नागिरकोविल (2008-09)	18.50	262	0
26.	तमिलनाडु	कोयंबतूर नार्थ-मेट्टुपलयम (2012-13)	10.00	33	33
27.	तमिलनाडु	तिरूच्चिरापल्ली-मदुरै (2007-08)	9.60	154	0
28.	उत्तर प्रदेश/बिहार	सीवान-थावे सहित बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-बरौनी (2007-08)	70.00	757	77
29.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद-मुरादाबाद (2010-11)	38.00	140	81
30.	उत्तर प्रदेश	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणसी-जंघई-उंचाहार (2008-09)	58.57	207	0
31.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद-मेरठ सहित खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर (2007-08)	20.11	254	0
32.	उत्तर प्रदेश	रोजा-सीतापुर-बुरहवल (2011-12)	23.00	181	171
33.	उत्तर प्रदेश	ऐट-कोंच एवं कानपुर-अनवरगंज-कल्याणपुर सहित झांसी-कानपुर (2008-09)	15.35	241	01
34.	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	मथुरा-अलवर (2010-11)	38.00	121	02
35.	उत्तराखंड	लक्सर-देहरादून/ (अंबाला-मुरादाबाद पर आवश्यक आशोधन)	30.86	79	53

1	2	3	4	5	6
36.	पश्चिम बंगाल/झारखंड	कुमेदपुर-मालदा-सिंहबाद और पाकुड़-मालदा (2012-13)	18.00	153	153
37.	पश्चिम बंगाल	जमुरिया-इकरा और श्रीपुर के रास्ते अंडाल-सीतारामपुर (2012-13)	18.00	57	57
38.	पश्चिम बंगाल/झारखंड	खाना-सैंथिया सहित पांडबेश्वर-सैंथिया-पाकुड़ (2010-11)	68.00	205	0

क्र.सं. 2, 4, 5, 17, 18 और 20 वाली परियोजनाओं को छोड़कर उपरोक्त सभी परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी की जाएंगी। ये शेष छः परियोजनाएं तेरहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी की जाएंगी।

रेल लाइनें

***393. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः**
श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से आज की तारीख तक बिछाई गई रेललाइनों की जोन और आमान-वार कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नई रेललाइनों हेतु शुरू किए गए सर्वेक्षणों का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु सहित जोन-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में ऐसी रेललाइनों की कुल लम्बाई कितनी है, जिनका अभी आमान परिवर्तन ब्रॉड गेज में किया जाना बाकी है; और

(घ) रेलवे द्वारा चल रहे सर्वेक्षणों और शेष बचे आमान परिवर्तन कार्यों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मार्ग किलोमीटर संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। 31 मार्च, 1948 को मार्ग किलोमीटर के अनुसार 25,170 किलोमीटर बड़े आमान, 24,153 किलोमीटर मीटर आमान और 5,370 किलोमीटर छोटे आमान वाली कुल 54,693 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें थीं। 31 मार्च, 1947 को कुल मार्ग किलोमीटर 65,217 किलोमीटर था (जिसमें पाकिस्तान और बांगलादेश, पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान की लाइनें शामिल थीं।)

31 मार्च, 2013 को (अद्यतन उपलब्ध जानकारी) जोनवार और आमानवार मार्ग किलोमीटर लंबाई निम्नानुसार है :

क्र.सं.	रेलवे	बला	मीला	छोला	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य	3743.11	0.00	298.61	4041.72
2.	पूर्व	2454.32	0.00	91.57	2545.89
3.	पूर्व मध्य	3297.06	408.85	0.00	3705.91

1	2	3	4	5	6
4.	पूर्व तट	2654.85	0.00	0.00	2654.85
5.	उत्तर	6863.75	0.00	260.85	7124.60
6.	उत्तर मध्य	2850.60	11.48	288.59	3150.67
7.	पूर्वोत्तर	2687.40	1118.81	0.00	3806.21
8.	पूर्वोत्तर सीमा	2656.01	1221.36	87.48	3964.85
9.	उत्तर पश्चिम	4471.41	1055.25	0.00	5526.66
10.	दक्षिण	4483.74	74.97	0.00	5078.71
11.	दक्षिण मध्य	5676.39	175.93	0.00	5852.32
12.	दक्षिण पूर्व	2710.90	0.00	0.00	2710.60
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	1777.62	0.00	711.01	2488.93
14.	दक्षिण पश्चिम	3327.48	0.00	0.00	3327.48
15.	पश्चिम	4468.30	1412.39	558.90	6439.59
16.	पश्चिम मध्य	2991.67	0.00	0.00	2991.67
17.	मेट्रो रेलवे	25.55	0.00	0.00	25.55
	कुल	57140.16	5999.04	2297.01	65436.21

(ख) भारतीय रेल राज्यवार आंकड़े नहीं रखती है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों सहित देश में नई रेल लाइनों के सर्वेक्षणों का जोनवार विवरण संलग्न है।

(ग) रेल लाइनों का आमान परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है। चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रोफारवर्ड के कारण संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययधीन लक्ष्यों को वार्षिक आधार पर निश्चित किया जाता है। वर्तमान में मीटर आमान के 5,999 किलोमीटर और छोटी लाइन के 2,297 किलोमीटर को अभी भी बड़ी लाइन में बदला जाना है।

(घ) सर्वप्रथम व्यवहार्यता, लागत, औचित्य और प्रस्ताव की अर्थक्षमता निश्चित करने के लिए मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्टों को जांचा जाता है। लाभप्रद या सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से आवश्यक प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जाती है। सभी नई रेल लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के प्रस्तावों को धन की उपलब्धता के अध्यधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा जाता है। 300 करोड़ रुपयों तक की लागत वाली नई लाइन और आमान परिवर्तन प्रस्तावों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन मिलने के बाद माननीय रेल मंत्री द्वारा भी स्वीकृत किया जाता है। 300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले प्रस्ताव रेलवे के विस्तारित बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। विस्तारित बोर्ड की सिफारिशों पर प्रस्ताव आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं। इन कारकों के कारण प्रस्तावित लाइनों के लिए, जिनके सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं, कार्य पूरा करने की एक

समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2012-13 के दौरान 175 परियोजनाएं योजना आयोग को भेजी गई थीं जिनमें से योजना आयोग द्वारा 47 परियोजनाओं 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया था।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा–जोन-वार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	मध्य रेलवे	
	2010-11	
1.	बल्लारशाह से सूरजगढ़ (इटापल्ली)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
2.	धुले-अमलनेर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
3.	खंडवा-धार बरास्ता खारगोने, बरवानी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	2011-12	
4.	पेन-थाल के बीच यात्री सेवाओं की शुरुआत करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	दिसंबर, 11 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। 10.1.12 समपारों को खत्म के लिए रेलवे द्वारा रिपोर्ट में संशोधन।
5.	जलना-खामगांव बरास्ता बुलधाना	09.02.1011 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। योजना आयोग को भेज दी गई।
6.	मनमाड़-इंदौर बरास्ता मालेगांव और धुले	09.02.2011 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। योजना आयोग को भेज दी गई।
7.	जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोत से केआरसीएल तक रेल संपर्क	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2012-13	
8.	शोलापुर-जलगांव	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	पूर्व तट रेलवे	
1.	रायगढ़-गोपालपुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	जयपोर-मल्कानगिड़ी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
3.	नवरंगपुर-जयपोर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	पूर्व मध्य रेलवे	
1.	पारसनाथ-मधुबन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	पूर्व रेलवे	
	2010-11	
1.	बारबानी-चुरुलिया	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
2.	बारुपारा-फुरफुरा शरीफ-आरामबाग	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
3.	भालुकपोंग हार्बर-बज बज-अकरा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
4.	बोंगांव-कल्याणी	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
5.	फुरफुराशरीफ-तारकेश्वर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
6.	हस्नाबाद-शमशेरनगर नई लाइन सर्वेक्षण	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
7.	हंसदीह-गोड्डा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	हस्नाबाद-हिंगलगंज-प्रतापादित्यनगर (शमशेरनगर)	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
9.	ईकरा-चुरुलिया-गुरुंडी	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
10.	जोयनगर-रायदिघी	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
11.	काकद्वीप-सागर-कपीलमुनी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
12.	कटवा-मेमारी	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
13.	पान्डवेश्वर-ईकरा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
14.	पुजाली-उलुबेरिया	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
15.	रानाघाट-दात्तापुलिया	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
16.	संग्रामपुर-मंदिर बाजार-रामगंगा-पैंथरप्रतिमा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।

1	2	3
	2011-12	
17.	हस्नाबाद-मचलंदपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
18.	पिरपैन्ती-जैसीदीह	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
19.	संतोषपुर-खीदेरपुर बरास्ता मेतियाब्रूज और गार्डनरीच	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2012-13	
20.	बसीरहाट से मचलंदपुर नई लाइन बरास्ता बदुरिया	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
21.	घातकपुकुर से मालांचा से हस्नाबाद नई लाइन	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	उत्तर मध्य रेलवे	
	2010-11	
1.	अकबरपुर-सुल्तानपुर बरास्ता कादीपुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
2.	अलीगढ़-छाता	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
3.	खुरजा-राया नई लाइन बरास्ता मत, सुरीर, बजना	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
	2011-12	
4.	भिंड-ओरई-महोबा	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	हमीरपुर-हमीरपुर रोड	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
6.	ओरई-जालौन-कोंच	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग के भेज दी गई है।
7.	रेवारी-पलवल-खुरजा बरास्ता भिवाड़ी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2012-13	
8.	भरतपुर-डीगम-कामे-कोसी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	पन्की-मंधाना	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	पूर्वोत्तर रेलवे	
	2010-11	
1.	बकुल्हा-बेल्थारा रोड नई लाइन सर्वेक्षण	कार्य स्वीकृत।

1	2	3
2.	कपिलवस्तु-बस्ती बरास्ता बंसी	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
3.	टनकपुर-बागेश्वर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	2011-12	
4.	आनन्दनगर-घुगली बरास्ता महाराजगंज	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	बुर्हवाल-बहराइच	कार्य स्वीकृत।
6.	इटाह-कासगंज	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	मांझी-लार रोड बरास्ता रघुनाथपुर, दरौली और गुठानी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	रामनगर-चौखुटिया	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	सीतापुर-बाहराइच	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
	2010-11	
1.	बरपेटा रोड-टिहू	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
2.	चापरमुख-डिबरुगढ़	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
3.	डांगरी-ढोला	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
4.	दुल्लाबछेरा-चेरागी (नई लाइन-17.6 किमी.) और बरैग्राम-दुल्लाबछेरा (आमान परिवर्तन-29.4 किमी.)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	जोगीघोपा से सिलचर बरास्ता पंचरतना	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
6.	लालबाजार-बैरेन्गाटे	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
7.	लेखापानी-खरसंग	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
8.	मिरिक-गैंगटोक	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
9.	मुर्कोंगसेलेक-पासीघाट	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
10.	नागिनीमोरा-अमगुड़ी	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
11.	रांगपो-गैंगटोक	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
12.	सलोना से खुमताय	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
13.	साम्सी-डलखोला	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
14.	सर्थाबारी से चांगसारी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
15.	सिलिगुड़ी-सुकना	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
16.	टुली लाइन से टुली टाउन (टुली-टुली रोड)	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2011-12	
17.	अगरतला-अखौरा	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
18.	दीमापुर-तिजित	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
19.	हल्दीबारी-मेखलीगंज और मेखलीगंज से चन्द्राबंगा तक विस्तार	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
20.	जोगीगोपा से गुवाहाटी बरास्ता बरपेटा-सार्थेबारी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
21.	नार्थ लखिमपुर-अलोंग-सीलापत्थर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
22.	पास्सीघाट-तेजु-पारसुरामकुंड	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
23.	रुपाय-परषुरामकुंड बरास्ता महादेवपुर, नामसाय, चिंगखम	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
24.	सिलघाट-तेजपुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
25.	तिराप-लेखापानी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	2012-13	
26.	डिबरुगढ़-डांगरी बरास्ता नई तिनसुकिया टाउन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।

1	2	3
27.	लंका-उपक्रिपोंग/पाला-सुतंगा (लंका-साख्यान)	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
28.	मीसामारी-तवंग (378 किमी.)	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
29.	सिवोक-कलिंगपोंग	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
30.	सिवोक-मिरिक	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	उत्तर रेलवे	
	2010-11	
1.	अमेठी-शाहगंज बरास्ता सुल्तानपुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
2.	बचरवान-लालगंज	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
3.	बद्दी-कालका	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
4.	बहादुरगढ़-झज्जर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	बारामुल्ला-कुपवाड़ा	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
6.	ब्यास-कपूरथला	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	दौराला-बिजनौर बरास्ता हस्तिनापुर	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
8.	फैजाबाद-लालगंज बरास्ता अकबरगंज, महाराजगंज और रायबरेली	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	गजरौला-मैनपुरी बरास्ता संभाल, राजघाट, बदायूं, ईटाह	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
10.	गोवर्धन-कोसीकलान बरास्ता बरसाना और नन्दगांव	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
11.	हस्तिनापुर-मेरठ	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	हिसार से सिरसा बरास्ता अगरोहा और फतेहबाद	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
13.	जम्मू से पुंच बरास्ता अखनुर, रजौरी	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
14.	पानीपत-मेरठ (104 किमी.)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।

1	2	3
15.	परवानो-दरलाघाट	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
16.	पटियाला-कुरुक्षेत्र	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
17.	पिरन कलीयार शीफ-हरिद्वार	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
18.	काद्यान से ब्यास	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
19.	ऋषीकेश-दोड़वाला	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
20.	रोहतक-हांसी बरास्ता मेहम	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
21.	शाहगंज-उंचाहार बरास्ता सुल्तानपुर, अमेठी, सलोन	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
22.	ऊना-होशियारपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
23.	ऊना-जयजोन दोयबा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
24.	यमुना नगर-चंडीगढ़ बरास्ता सधौरा, नारायगढ़	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	2011-12	
25.	आनन्दपुर साहिब-घर शंकर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
26.	बिलासपुर-रामपुर बुशहर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
27.	दिल्ली-सोहना-नुह-फिरोजपुर झीरका-अलवर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
28.	घनोली-देहरादून बरास्ता बद्दी, नालागढ़, जगधारी, सूरजपुर, काला अम्ब, पौंटा साहिब।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
29.	हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
30.	कैथल-करनाल	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
31.	पटियाला-जाखल/नरवाना बरास्ता समाना	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।

1	2	3
32.	टाण्डा-होशियारपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
33.	उधमपुर/कटरा-भौरावाह, डोडा से किश्तवार	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
	2012-13	
34.	बिजवासन-झझर-चरखीदादरी	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
35.	देहरादून से विकासनगर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
36.	यमुनानगर-पटियाला	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	उत्तर पश्चिम रेलवे	
	2010-11	
1.	अजमेर-कोटा (नसीराबाद-जालिंद्री)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
2.	अजमेर-सवाई माधोपुर बरास्ता टोंक	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	बिलारा-बार	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
4.	चुरु-नोहर बरास्ता तारानगर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	नई लाइन का सूरतगढ़ तक विस्तार सहित सरदारशहर-रतनगढ़ आमान परिवर्तन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
6.	पुष्कर-मेरता	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
7.	सामदारी-फलोडी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2011-12	
8.	डबवाली-कालनवाली बरास्ता सिरसा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
9.	जैसलमेर से सानु बरास्ता हमिरा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
10.	नेगोर-फलोडी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
11.	सरदारशहर से सादुलपुर बरास्ता तारानगर नई लाइन	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	नोखा-सीकर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

1	2	3
13.	सरदार शहर-हनुमानगढ़	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2012-13	
14.	सरदारशहर से सूरतगढ़	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
15.	भिवानी-लोहारु-पिलानी-चुरु	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
16.	देवली-टोंक-सकतपुरा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
17.	जैसलमेर-बाड़मेर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
18.	जशालमेर-कान्डला (यथा बाड़मेर-भाभर)	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
19.	जोधपुर-अगोलाय-शेरगढ़-फालसुंड	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
20.	अनूपगढ़ से बीकानेर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
21.	थरड-वाव से सुगम बार्डर (धेनेरा-थरड़-वाव-सुगम)	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	दक्षिण मध्य रेलवे	
	2010-11	
1.	डोनाकोंडा-बीत्रागुन्टा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	अरमूर-अदीलाबाद बरास्ता निर्मल	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
3.	भद्राचल्लम-कोव्वुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
4.	गड़वाल-मचरेला	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	गुडुर-दुर्गाराजापुरम	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
6.	किंवट-माहूर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
7.	कोंडापल्ली-कोठगुदेम	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।

1	2	3
8.	मनुगुरु-रामागुंडम स्टेशन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
9.	मर्कापुर-श्रीसैलेम	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
10.	मेडक-अक्कानापेट	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
11.	मेल्लाचेरवू-जनपहाड़	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	पांडुरंगपुरम-भद्राचलम	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
13.	पिडुगुराल्ला से नैरुसारौपेट	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
14.	तडिकालापुड़ी-कोयागुदुम ओपन कास्ट माइन्स	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2011-12	
15.	अलमाटी से यादगीर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
16.	काचेगुड़ा-चितयाल	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
17.	कृष्णा-विकाराबाद	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
18.	नांदेड़-बीदर बरास्ता देगलूर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
19.	विष्णुपुरम-विनुकोंडा	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
20.	जहीराबाद-सिकन्दराबाद	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	2012-13	
21.	मत्रालयम रोड-कुरनूल	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	
	2010-11	
1.	बरवाडीह-चिरमिरि	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।

1	2	3
2.	लोहरदगा-कोरबा	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
3.	पेंड्रा रोड/कोरबा/गेवरा रोड	09.02.2011 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। योजना आयोग को भेज दी गई।
4.	रायगढ़-मंड कोलियरी से भुपदेवपुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
5.	रायपुर-झारसुगुड़ा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2011-12	
6.	डोंगरगढ़ से कोटा (पेन्डु रोड) बरास्ता खैरघर-छुईखदान-गनडाय-साहसपुर लोहारा-कावार्दा बोध-पेन्ड्रा रोड	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
7.	रामटेक-गोटेगांव बरास्ता सियोनी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	दक्षिण पूर्व रेलवे	
	2010-11	
1.	बांसपानी-बिमलागढ़-बरसौन	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	बरजमदा-तटिबा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	दीघा-बालीचक	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
4.	कन्द्रा-नामकोम (रांची)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
5.	कांथी-बेल्डा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
6.	मचलंदपुर-स्वरूपनगर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	सिंगुर-नंदीग्राम	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2011-12	
8.	बांसपानी-बरबील	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
9.	गुआ-मनोहरपुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
10.	कियोंझरगढ़-बदामपहाड़	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
11.	खड़गपुर-दानकुनी	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।

1	2	3
12.	नन्दा कुमार से मोयना (बोलई पान्डा)	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
13.	रानीगंज-बंकुरा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2012-13	
14.	बगनान-श्यामपुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
15.	बेल्डा-नयाग्राम-बारीपाडा	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	दक्षिण रेलवे	
	2010-11	
1.	मयिलादुतुराय-तिरुक्कैदायार-तारामगमबादी-तिरुनाल्लुर-कैरैकल	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
2.	जोलारपेटेट-होस्सुर बरास्ता कृष्णागिरी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	मदुरै (बोदीनयाकनुर)-कोट्टायम	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
4.	रामेश्वरम-धनुषकोटि	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2011-12	
5.	कैरैकल-पेरालम	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
6.	कैरैकल-सरकाजी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	करायकुडी-तुतीकोरिन बरास्ता रामानाथपुरम	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	रामानाथपुरम-कन्याकुमारी बरास्ता तुतीकोरिन (मिल्लाविट्टानम)	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
9.	इरुन, कुट्टुकोटी-अवदी-श्रीपेरम्बुदुर के लिए सहायक लाइन सहित श्रीपेराम्बुदुर-गुडुवंचेरी	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
	2012-13	
10.	कन्नुर-मत्तान्नुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
11.	कोजिकोड़े-बैपोर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	सलेम-करैकल बरास्ता पेरम्बलूर, मयिलादुतुराय	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
13.	थंजावुर-पट्टुक्कोट्टाय	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।

1	2	3
14.	तिरुवाल्ला-रन्नी-पम्बा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	दक्षिण पश्चिम रेलवे	
	2010-11	
1.	अनेकल रोड-बीदादी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	गड़ग-हरिहर बरास्ता हरपनाहाल्ली	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	गड़ग-हवेरी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
4.	गड़ग-वादी	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	मारीकुप्पम-कुप्पम	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
6.	शिमोगा-हरीहर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7.	श्रीनिवासपुरा-मदनपल्ली	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
8.	तालगुप्पा-होनावर	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
	2011-12	
9.	अलमाट्टी-कोप्पल	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
10.	बीजापुर-शाहबाद	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
11.	चिकबालापुर से गौरीबिदनुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
12.	मुलबगल-नंगली-चितौड़	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2012-13	
13.	अलमाट्टी-कुपगल	पूरा कर लिया गया है और परियोजना रोक दी गई है।
14.	बेलगाम-बागलकोट-रायचुर	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
15.	बीजापुर-अठानी-शेडबल	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
16.	मैसूर-कुशलनगर-मदीकेरे	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	पश्चिम मध्य रेलवे	

1	2	3
1.	पिरायगांव और ललितपुर बरास्ता चन्देरी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
	पश्चिम रेलवे	
	2010-11	
1.	रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	2011-12	
2.	बादी सदरी-नीमच	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
3.	भावनगर-महुवा-पिपावाव-ऊना-कोडीनगर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
4.	भावनगर-तारापुर	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	बोटाड-गोंडल बरास्ता जसदान	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
6.	ढोलेरा लूप जो लोलिया से जाकर भीमनाथ पर पुन: जुड़ती है।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।
7.	अबु रोड तक विस्तार सहित हिम्मतनगर-खेदब्रह्मा	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
8.	पोरबंदर-सवादिया-जुनागढ़	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	गुजरात में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के लिए रेल संपर्क (ढोलेरा-भीमनाथ-बोटाड़)	कार्य स्वीकृत कर लिया गया है।
	2012-13	
10.	बारी सदारी-नीमच	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। योजना आयोग को भेज दी गई है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

***394. श्री अब्दुल रहमान:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इसके कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई नियम जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में क्या आशंकाएं व्यक्त की गई हैं/आपत्तियां उठाई गई हैं और सरकार द्वारा इस मामले में उसकी चिंता के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन.एफ.आर.ए.) के गठन का प्रावधान है जिसे लेखांकन व लेखापरीक्षा नीतियों की सिफारिश करने, लेखांकन व लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने तथा व्यवसायिक कदाचार के मामलों से निपटने समेत कुछ प्रवर्तन कार्यों जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। उक्त प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है और इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों की विधायी संवीक्षा और उन्हें अधिसूचित करने से पहले, मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए प्रारूप नियमों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) से प्राप्त टिप्पणियों समेत जनता से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

***395. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन रेन बजटों में घोषित परियोजनाओं सहित राज्यों विशेषकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन रेल बजटों में इन राज्यों हेतु घोषित परन्तु अब तक कार्यान्वयन हेतु नहीं ली गई रेल परियोजनाओं का राज्य और परियोनजा-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं हेतु अप्रयुक्त पड़ी धनराशि सहित आबंटित/खर्च की गई धनराशि का राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा धनराशि अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में और इन परियोजनाओं की लागत में और वृद्धि से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) परियोजनाओं का ब्यौरा रेलवे-वार तैयार किया जाता है न कि राज्यवार। बहरहाल, पूर्णत: या आंशिक रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नई लाइनों, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन वाली सभी चालू/लंबित रेल लाइन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना	नवीनतम प्रत्याशित लागत	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
पूर्णत:/आंशिक रूप से बिहार में आने वाली परियोजनाओं की स्थिति				
नई लाइनें				
1.	आरा-भबुआ रोड (122 कि.मी.)	490.08	2008-09	आंशिक अनुमान की स्वीकृति दी गई है। 11.03 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कागजात

1	2	3	4	5
				प्रस्तुत किए गए हैं।
2.	अरारिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) (100 कि.मी.)	532.87	2006-07	अनुमान की स्वीकृति दी गई है। भूमि अधिग्रहण कागजात प्रस्तुत किए गए हैं। बड़े पुलों के कार्य शुरू हो गए हैं।
3.	अरारिया-सुपौल (92 कि.मी.)	304.41	2008-09	अरारिया-बसेती (20 कि.मी.) के लिए आंशिक विस्तृत अनुमान हेतु स्वीकृति दी गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरा हो गया है।
4.	बरियारपुर-मननपुर बरास्ता खडगपुर, लछीमपुर-बरहात (67.78 कि.मी.)	250.55	2007-08	आंशिक अनुमान हेतु स्वीकृति दी गई है। 18 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण कागजात तैयार कर लिए गए हैं। 18 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरा हो गया है।
5.	बिहटा-औरंगाबाद बरास्ता अनुग्रहनारायण रोड (118.5 कि.मी.)	326.2	2007-08	बिहटा-पालीगंज (29 कि.मी.) के लिए आंशिक अनुमान हेतु स्वीकृति दी गई है। 9.10 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण कागजात प्रस्तुत किए गए हैं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरा हो गया है।
6.	छपरा-मुजफ्फरपुर (84.65 कि.मी.)	378.56	2006-07	कुल 949.96 एकड़ भूमि में से 326.98 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। कुल 13 बड़े पुलों में 10 बड़े पुलों के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
7.	छिटौनी-तुमकुही रोड (58.88 कि.मी.)	243.78	2006-07	पनियाहवा से छिटौनी तक लगभग 3.7 कि.मी. में कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण के अभाव में शेष कार्य पूरा नहीं किया जा सका।
8.	दरभंगा-कुशेश्वरस्थान (70.14 कि.मी.)	205	2005-06	दरभंगा-केप्चीही (16 कि.मी.) का आंशिक अनुमान मंजूर हो गया है। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदा दे दी गई है तथा कार्य शुरू हो गया है।
9.	देहरी ओन सोने-बंजरी (36.4 कि.मी.)	106.2	2008-09	आंशिक अनुमान मंजूर हो गया है। 32 कि.मी. के लिए भूमि कागजात प्रस्तुत किए गए हैं।
10.	देवगढ़-सुलतानगंज बांका-बाराहात तथा बांका-भिटिया रोड सहित (147 कि.मी.)	607.09	2000-01	बांका-बाराहात (15 कि.मी.) और देवगढ़-चंदन (15 कि.मी.) यातायात के लिए चालू हो गया

1	2	3	4	5
				है। शेष खंड और बांका-ककवारा (5.1 कि.मी.) मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य वर्ष 2011-12 में ही पूरा हो चुका है। चंदन-कटुरिया (8.4 कि.मी.) और ककवारा-खरजौसा (9.1 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
11.	दनियावां से बिहारशरीफ, बिहारशरीफ से बरबीघा एवं बरबीघा से शेखपुरा (171.5 कि.मी.) तक नई लाइन के विस्तारण के लिए सामग्री आशोधन सहित फतूहा-इसलामपुर	516.14	2001-02	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े और छोटे पुलों के कार्य शुरू कर दिये गए हैं। धनियावां-चंडी (17 कि.मी.) वर्ष 2011-12 में पूरा हो चुका है। चंडी-बिहारशरीफ (13 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 में पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
12.	गया-बोधगया-छपरा गया-नतेसर (नालंदा) (97 कि.मी.)	549.75	2008-09	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
13.	गया-दलतोंगंज बरास्ता रफीगंज (136.9 कि.मी.)	445.25	2008-09	बचे हुए कार्यों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य प्रगति पर है।
14.	हाजीपुर-संगौली बरास्ता वैशाली (148.3 कि.मी.)	324.66	2003-04	कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। हाजीपुर-वैशाली पुलों के कार्य पूरे हो गए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य तथा ट्रैक लिंकिंग कार्य शुरू किये हुए हैं। वैशाली-संगौली (115 कि.मी.) आंशिक लंबाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के कार्य के लिए निविदा दे दी गई है।
15.	हथुआ-भटनी (79.64 कि.मी.)	230.03	2005-06	हथुआ-बथुआबाझार (22 कि.मी.) यातायात के लिए चालू हो गया है। भटनी-चौरिआ (8 कि.मी.) और बथुआ बाजार पंचदेवड़ी (11 कि.मी.) के कार्य निष्पादन के अंतिम चरण में है।
16.	जलगढ़-किशनगंज (50.08 कि.मी.)	359.86	2008-09	आंशिक अनुमान मंजूर हो गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरा हो गया है। 21 बड़े पुलों और 34 छोटे पुलों के लिए सॉयल एक्सप्लोरेशन के कार्य पूरे हो गए हैं।
17.	जोगबनी-बिराटनगर (नेपाल) (18 कि.मी.)	241.52	2010-11	इरकॉन को कार्य दिया गया है। भारत और नेपाल दोनों ओर के लिए ठेके दे दिए गए है और कार्य शुरू हो गए हैं।

1	2	3	4	5
18.	खागड़िया-कुशेश्वरस्थान (44 कि.मी.)	162.87	1996-97	मिट्टी कार्य और पुलों के कार्य शुरू हो गए हैं। खागड़िया-बिष्णुपुर (6.6 कि.मी.) और बिरौल-हरनगर (आंशिक) (5 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य है।
19.	कोडरमा-तितलिया (68 कि.मी.)	418.17	2001-02	भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी कार्य और पुलों के कार्य शुरू हो गए हैं। तितलिया-क्रोंध (24.5 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य है।
20.	कोसी ब्रिज (21.85 कि.मी.)	241.41	2003-04	मुख्य पुल के अवसंरचना के कार्य पूरे हो गए हैं। अधि संरचना फैब्रीकेशन के कार्य भी पूरे हो गए है। कुल 39 में से 38 स्पान लॉच कर दिए गए हैं।
21.	कुरसेला-बिहारीगंज (35 कि.मी.)	192.56	2008-09	कुरसेला-रूपाली के आंशिक अनुमान मंजूर हो गया है।
22.	महाराजगंज-रेवाघाट (65.49 कि.मी.) के बीच नई लाइन के लिए सामग्री आशोधन सहित महाराजगंज-मसरख (35.49 कि.मी.)	218.19	2003-04	महाराजगंज-बिष्णुपुर महावारी (5 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं। बिष्णुपुर-मसरख (31 कि.मी.) में भूमि अधिग्रहण, मिट्टी कार्य तथा पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। बिष्णुपुर-माहवरी-बरकागांव (11 कि.मी.) के लिए कार्य पूरे कर दिए गए हैं। मसरख-रेवाघाट (30 कि.मी.) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरे हो गए हैं।
23.	मोतीहारी-सीतामढ़ी (76.7 कि.मी.)	211	2006-07	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
24.	गंगा नदी पर मुंगेर रेल एवं सड़क पुल (14 कि.मी.)	2363	2002-03	सब-स्ट्रक्चर के कार्य पूरे हो गए हैं। सुपर-स्ट्रक्चर के 75% फैब्रीकेशन के कार्य भी पूरे हो गए है।
25.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा (66.9 कि.मी.)	281.3	2008-09	कार्य प्रारंभिक चरण में है। फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य पूरे हो गए हैं। आंशिक प्राक्कलन मंजूर हो गया है।
26.	मुजफ्फरपुर-कटरा-ओराड़-जनकपुर रोड (66.55 कि.मी.)	228.05	2008-09	कार्य प्रारंभिक चरण में है। फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य पूरे हो गए हैं। आंशिक प्राक्कलन मंजूर हो गया है।
27.	नवादा-लक्ष्मीपुर (137 कि.मी.)	620.56	2008-09	फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य पूरे हो गए हैं।
28.	पटना और हाजीपुर लिंकिंग लाइनों के साथ पटना-गंगा ब्रिज (रेल एवं सड़क पुल 19 कि.मी.)	2921	1997-98	संशोधित प्राक्कलन मंजूर हो गया है। दक्षिण पहुंच मार्ग की ओर मिट्टी कार्य पूरा हो गया

1	2	3	4	5
				है। उत्तर और दक्षिण ओर के फैब्रीकेशन कार्य शुरू कर दिए गए हैं। फुलवारीशरीफ-पाटलिपुत्र (6 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2011-12 में पूरे कर लिये गए हैं।
29.	राजगीर-हिसुआ-तितैया (46 कि.मी.) और नेतसर-इस्लामपुर (21 कि.मी.)	390	2001-02	राजगीर-तितैया (46 कि.मी.) कमीशन हो गया है। शेष खंड में मिट्टी कार्य और छोटे पुलों के कार्य शुरू किये गए हैं।
30.	रामपुरहत-मुराराई (29.48 कि.मी.) तीसरी लाइन के लिए नए सामग्री आशोधन के साथ रामपुरहत-मन्द्राहिल बरास्ता दुमका (130 कि.मी.)	900.05	1995-96	मन्द्राहिल-कुमारदोल (17 कि.मी.) और कुमारदोल-हंसदिहा (7 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इसे वर्ष 2012 में कमीशन कर दिया गया है। रामपुरहट-पिरागढिया (19 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं। मुख्य खंड में मिट्टी के कार्य और पुलों के कार्य शुरू हो गए हैं। दुमका-बारमसिया (13 कि.मी.), दुमका-बारापलासी (11 कि.मी.) और बारमसिया-शिकारीपारा (8 कि.मी.), बारापलासी-भतूरिया (11.5 कि.मी.) और पिनारगरिया-हरिसिंगा (7.8 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और गाड़ी चलाई गई। हंसदिहा-भतूरिया (166.65 कि.मी.) और शिकारीपारा-हरिसिंगा (13.49 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
31.	सकरी-हसनपुर (79 कि.मी.)	325	1996-97	सकरी-बिरौल (36 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं। शेष खंडों में मिट्टी और पुलों के कार्य शुरू किये गए हैं। बिरौल-कुशेश्वरस्थान-हसनपुर खंड (40 कि.मी.) में मिट्टी कार्य और बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। बिठान-हसनपुर खंड (10.3 कि.मी.) के कार्य वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
32.	सीतामढ़ी-जयानगर-निर्मली बरास्ता सुसांद (188 कि.मी.)	678.62	2008-09	आंशिक विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। कार्य प्रारंभिक चरण में हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गए हैं।

1	2	3	4	5
33.	सुलतानगंज-कथुरिया बरास्ता असरगंज, तारापुर एवं बालहर (74.8 कि.मी.)	288.85	2007-08	आंशिक प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गए हैं।
34.	पिरपैंती-रैसीदि (97 कि.मी.)	915.98	2013-14	रेलवे बजट 2013-14 में शामिल किया गया है, बशर्ते कि योजना आयोग एवं आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडल समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होता है। इस संबंध में आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडल समिति के विचारार्थ नोट रखा गया है।
दोहरीकरण				
1.	छपरा-बलिया आंशिक दोहरीकरण (65 कि.मी.)	295	2012-13	कार्य योजना तैयार की जा रही है।
2.	कटारिया-कुसैला नदी पर पुल सहित बलिया आंशिक दोहरीकरण (7.23 कि.मी.)	81.3	2012-13	वर्ष 2012-13 के बजट में नए कार्य के तौर पर शामिल
3.	पिरपैंती-भागलपुर (59.06 कि.मी.)	332.14	2011-12	कार्य योजना तैयार की जा रही है।
4.	साहिबगंज-पिरपैंती (10.45 कि.मी.)	129.45	2010-11	प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। मिट्टी कार्य एवं छोटे पुलों के लिए ठेके दे दिए गए हैं।
5.	सोनपुर-हाजीपुर, गंडक पुल सहित (5.5 कि.मी.)	138.66	2003-04	पायर कैप स्तर तक इस महत्त्वपूर्ण पुल का कार्य पूरा हो गया है। बड़े पुलों के कार्य पूरे हो गए हैं।
6.	हाजीपुर-रामदयालू (47.72 कि.मी.)	213.01	2013-14	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
आमान परिवर्तन				
1.	जयनगर-बीजलपुरा, बीजलपुरा-बारदीबास (नेपाल) तक विस्तार सहित (69.08 कि.मी.)	470	2010-11	कार्य प्रारंभ करने के लिए इरकॉन को दे दिया गया है। अंतिम स्थन निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गए हैं।
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 कि.मी.)	1043.56	1997-98	जयनगर-दरभंगा-सीतामढ़ी- चौरादनो (194 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। चौरादनो-रक्सौल (24 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इंजीनियरिंग साइडिंग के तौर पर खोल दिया गया है। नरकटियागंज-भिकनतौरी (30 कि.मी.) में

1	2	3	4	5
				मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
3.	कप्तानगंज-थवे-सीवान-छपरा (233.5 कि.मी.)	750.89	1999-2000	थवे-सीवान (28.5 कि.मी.) तथा कप्तानगंज-थवे (99 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। थवे-छपरा में मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
4.	कटिहार-जोगबनी, राधिकापुर तक विस्तार सहित, कटिहार-तैनारायणपुर और रायगंज-दालखोला (43.43 कि.मी.) के लिए नया सामग्री आशोधन	1022.64	2000-01	प्राक्कलन मंजूर हो गया है। कटिहार-बरसोई (39 कि.मी.), बरसोई-राधिकापुर (54 कि.मी.), जोगबनी-कटिहार (108 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। कटिहार-तैनारायणपुर (36 कि.मी.) सामग्री आशोधन के तौर पर मंजूर किया गया है। कटिहार-तैनारायणपुर खंड पूरा हो गया है। रायगंज-दालखोला प्रारंभिक कार्य शुरू किए हैं।
5.	मानसी-सहरसा, सहरसा-दौरान सहित माधेपुरा-पूर्निया (143 कि.मी.)	477.89	1996-97	मानसी-सहारसा, (42 कि.मी.), सहरसा-दौरान माधेपुरा (22 कि.मी.) तथा दौरान माधेपुरा-मुरलीगंज (22 कि.मी.) खंडों के कार्य पूरे हो गए हैं और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। शेष खंडों के मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। मुरलीगंज-बनमंखी (18 कि.मी.), बनमंखी-कृत्यानंद नगर (22 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और इंजीनियरिंग साइडिंग के तौर पर खोल दिया गया है।
6.	सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली और सहरसा-फारबिसगंज (20.06 कि.मी.)	355.81	2003-04	सकरी-निर्मली (51 कि.मी.) के मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। झंझारपुर-लौकहा बाजार (43 कि.मी.) के मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। सहरसा-फारबिसगंज (110.74 कि.मी.) के मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।

1	2	3	4	5
पूर्णतः/आंशिक रूप से झारखंड में आने वाली परियोजनाओं की स्थिति				
नई लाइनें				
1.	देवगढ़-सुलतानगंज (149.5 कि.मी.)	607.09	2000-01	बंका-बरहत (15.53 कि.मी.), खंड, देवगढ़-चंदनपुर खंड (14.40 कि.मी.) और ककवारा-बंका (501 कि.मी.) यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। चंदन-कटुरिया तथा ककवारा-खरजौसा खंडों को चालू वित्तीय वर्ष में खोलने का लक्ष्य रखा गया है शेष खंडों के कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	गया-बोधगया छपरा, गया-नतेसर (97 कि.मी.)	549.75	2008-09	प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
3.	गया-डालटनगंज	445.25	2008-09	आंशिक विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। शेष कार्य के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए हैं।
4.	कोडरमा-गिरीडीह (102 05 कि.मी.)	1211.08	1996-97	कोडरमा-जमुआ (72 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए है और इंजीनियरिंग साइडिंग के तौर पर खोल दिया गया है। 94.5 कि.मी. से 110.8 कि. मी. तक भूमि अधिग्रहण कार्य जारी हैं। शेष खंडों के कार्य शुरू किए गए हैं।
5.	हंसदिया-गोडा (30 कि.मी.)	267.09	2011-12	अंतिम स्थान निर्धारण एवं मिट्टी परीक्षण कार्य आंशिक प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है। अंतिम स्थान निर्धारण का कार्य प्रगति पर है।
6.	कोडरमा-रांची (189 कि.मी.)	2957.21	1998-99	कुल 138 गांवों में से 125 गांवों से भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। मिट्टी कार्य एवं छोटे एवं बड़े पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं। कोडरमा-हजारीबाग (80 कि.मी.) वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में से कोडरमा-कटकमसंदी और हजारीबाग-कंसरनावडा खंडों को इंजीनियरिंग साइडिंग के तौर पर खोल दिया गया है।
7.	कोडरमा-तिलैया (68 कि.मी.)	418.17	2001-02	भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। कोडरमा सिरे तक 8 कि.मी. में फॉर्मेशन कार्य पूरा हो गया है। बिहार के हिस्से की भूमि के लिए वन मंत्रालय की क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
8.	रामपुरहट-मुराराइ (29.48 कि.मी.) तीसरी लाइन के लिए सामग्री आशोधन सहित मंदारहिल-रामपुरहट (130 कि.मी.)	900.05	1995-96	मंदारहिल-हंसदिया-कुमारडोल (17.1 कि.मी.) और कुमारडोल-हंसदिया (9.5 कि.मी.) और रामपुरहट-पिनारगढिया (18.5 कि.मी.) का कार्य पूरा हो गया है। यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। दुमका-बारापलासी (13.8 कि.मी.) बरमसिया-शिकारीपाडा, पिनारगढिया-हरसिंगा तथा बारापलसी-भटूरिया खंडों के कार्य पूरे हो गए हैं तथा शेष खंडों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
9.	पिरपैंती-जैसिदीह (97 कि.मी.)	915.98	2013-14	रेलवे बजट 2013-14 में शामिल किया गया है, बशर्ते कि योजना आयोग एवं आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडल समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होता है।
	आमान परिवर्तन			
1.	टोरी (113 कि.मी.) तक विस्तार के साथ रांची-लौहरदगा आमान परिवर्तन	456.45	1996-97	रांची-लौहरदगा-बारकीचंपी (81.5 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है तथा शेष खंडों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
	दोहरीकरण			
1.	चंद्रपुरा-राजाबेरा-चंद्रपुरा-भंडारी डाह (10.6 कि.मी.)	44.87	2008-09	मिट्टी कार्य एवं छोटे पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	डांगौपोसी राजखरस्वान तीसरी लाइन (65 कि.मी.)	388.67	2010-11	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
3.	गोलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खंड) (40 कि.मी.)	271.69	2007-08	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। फील्ड कार्य पूरा हो गया है और आरंभ कर दिया गया है।
4.	मनोहरपुर-बोंडामुंडा तीसरी लाइन (30 कि.मी.)	258.20	2012-13	वर्ष 2012-13 के रेल बजट में नए कार्य के तौर पर शामिल किया गया।
5.	सुबर्णरेखा के ऊपर दूसरे पुल के प्रावधान सहित मुरी-उत्तर बाहरी केबिन/मुरी खंड का दोहरीकरण	23.15	2008-09	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य शुरू कए गए हैं।

1	2	3	4	5
6.	राजखरस्वान-चक्रधरपुर तीसरी लाइन (20 कि.मी.)	148.77	2012-13	वर्ष 2012-13 के रेल बजट में नए कार्य के तौर पर शामिल किया गया।
7.	राजखरस्वान-सिनी तीसरी लाइन (15 कि.मी.)	91.61	2008-09	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य के ठेके दे दिए गए हैं।
8.	साहिबगंज-पिरपैंती (10.45 कि.मी.)	129.45	2010-11	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
9.	सिनी-आदित्यपुर तीसरी लाइन (22.5 कि.मी.)	143.16	2010-11	विस्तृत प्राक्कलन मंजूर किया गया है। मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
10.	तीनपहर साहिबगंज का तीनपहर-भागलपुर (37.81 कि.मी.) के पीएच-1 के तौर पर दोहरीकरण	167.83	2009-10	मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
11.	गरवा-रोड-रामना (32.32 कि.मी.)	229.79	2013-14	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
12.	दानिया-रांची रोड (25.2 कि.मी.)			प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
13.	जरांगडीह-दानिया आंशिक (29.2 कि.मी.)	267.99	2013-14	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले परियोजनाओं की स्थिति				
नई लाइनें				
1.	अंबारी फलाकटा-न्यू मैनागुरी (36.52 कि.मी.)	312.12	2011-12	मिट्टी कार्य एवं पुलों के कार्य शुरू किए गए हैं।
2.	अंबिकाकलना-नबाडविप धाम (23.29 कि.मी.)	144.5	2010-11	अंबिकाकलना-धत्रीग्राम (8.66 कि.मी.) खंड के कार्य पूरे हो गए हैं। शेष खंडों के कार्य प्रगति पर हैं।
3.	अंडुल-बलटीकुरी (7.25 कि.मी.)	29.26	2012-13	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वे कार्य पूरा हो गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
4.	अजीमगंज-मणिग्राम (20.49 कि.मी.)			पोरडांगा-मणिग्राम (14.98 कि.मी.) खंड: कार्य समाप्त। परियोजना के शेष खंड पर कार्य प्रगति के

1	2	3	4	5
				विभिन्न चरणों में है।
5.	बंडेल-बोइंची-तीसरी लाइन (30.53 कि.मी.)	238.36	2011-12	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
6.	बरहरवा-बोनीडांगा (4.73 कि.मी.)	20.41	2010-11	भूमि संबंधी कार्य समाप्त सभ 4 छोटे पुलों का कार्य समाप्त। गिट्ठी और ट्रैक लिकिंग के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	बाजार सौ-अजीमगंज जं. (42.15 कि.मी.)	255.64	2012-13	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
8.	बेथुआधहरी-प्लासी (22.51 कि.मी.)	132.31	2010-11	मिट्टी कार्य और पुलों के कार्य जोरों पर हैं। सिगनल एवं दू सं एवम बिजली कार्यों के लिए ठेके दे दिए गए हैं।
9.	बोइंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (25.83 कि.मी.)	173.91	2011-12	कार्य प्रारंभिक चरण में है।
10.	चंदनबाजार तक विस्तार सहित चांदपाड़ा-बोनगांव और बोनगांव-पोरमहेस्थला के लिए नया एमएम (20 कि.मी.) एवं चंदनबाजार-बागदाह (13.86 कि.मी.) नई लाइन	186.89	2003-04	चांदपाड़ा-बोनगांव (9.77 कि.मी.) : खंड पर यातायात शुरू हो गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग पर कार्य प्रगति पर है।
11.	चिनपाई-सैंथिया, प्रंतिक-सिउरी (33.98 कि.मी.) एमएस चौरीगचा-सैंथिया (56.50 कि.मी.)	590.91	2005-06	चिनपाइ-सैंथिया (31.61 कि.मी.) कार्य पूरे हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
12.	दक्षिण बारासात-लक्ष्मीकांतपुर (19.68 कि.मी.), जोयनगर-रायदीघी से नई लाइन (20 कि.मी.) एवं जोयनगर-दुर्गापुर के लिए नया एमएम (32 कि.मी.)	259.51	2009-10	दक्षिण बारासात-लक्ष्मीकांतपुर (19.68 कि.मी.) कार्य पूरे हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
13.	सीसी लाइन के रास्ते दानकुनी-भट्टनगर (3.70 कि.मी.)-भट्टनगर पर एक अतिरिक्त लूप सहित दोहरीकरण	60.15	20111-12	प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है।
14.	दानकुनी-चंदनपुर-बरूईपारा-फुरफुरा के लिए नए एमएम सहित दानकुनी-शक्तिगढ़ के प्रथम चरण के रूप में चौथी लाइन (25.41 कि.मी.) (12.3 कि.मी.) नई लाइन	198.88	2010-11	डेडीकेडेट फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के रूप में 4थी लाइन निर्माण करने का निश्चय किया गया है।

1	2	3	4	5
15.	बंगनखली तक विस्तार सहित घुटियारी शरीफ-केनिंग एवं बंगनखली-बसंती (14.3 कि.मी.) एवं बसंती-झरखली (23 कि.मी.) नई लाइन	189.97	2009-10	गुटियारी शरीफ कैनिंग (14.5 कि.मी.) खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
16.	हब्रा-बोनगांव चरण-I (हबरा-चंदनपाड़ा) एवं मछलंदपुर-स्वरूप नगर	145.13	2000-01	हाबरा-मंचलंदपुर-चांदपाड़ा (22 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
17.	कृष्णनगर-शांतिपुर-नवद्वीपघाट सहित कालीनारायणपुर-कृष्णनगर-आमान परिवर्तन एवं कृष्णनगर-चरतला एवं कृष्णनगर-छपरा नई लाइन के लिए एमएम, नैहाटी-राणाघाट-तीसरी लाइन, एवं बीबी तक विस्तार सहित नबद्वीपधाम	945.29	2000-01	(1) कृष्णानगर-बदकुल्ला-बीर नगर (18 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं। (2) कृष्णानगर-शांतिपुर आमान परिवर्तन (15.29 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
18.	राणाघाट (अरंघटा) के नए एमएम सहित कालीनारायणपुर-शांतिपुर-दुत्तापुलिया के लिए (15.85 कि.मी.) (8.17 कि.मी.) नई लाइन	104.8	2010-11	(1) शांतिपुर-फुलिया-कालीनारायणपुर (15 कि.मी.) कार्य पूरा हो गया है महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
19.	अहमदपुर-कटवा (51.92 कि.मी.) के लिए नए एमएम सहित कटवा पतुली (17.7 कि.मी.)	579.03	2010-11	(1) कटवा-दैनहट (7.01 कि.मी.) कार्य पूरा हो गया है और गाड़ी चलाई गई। (2) दैनहट-पटौली (10.69 कि.मी.) फरवरी, 2013 में खंड के कार्य पूरे हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
20.	खड़गपुर-नारायणगढ़ तीसरी लाइन (23 कि.मी.)	138.08	2012-13	अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त।
21.	कृष्णनगर-बेथुदहरी (27.92 कि.मी.)	151.65	2009-10	अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं।
22.	फुरफुरा शरीफत तक विस्तार सहित लिलुआ-दानकुनी तीसरी लाइन (10.13 कि.मी.)	257.42	2009-10	दानकुनी-बेलानगर 3.55 कि.मी. वर्ष 2012-13 में पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5
				महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
23.	संग्रामपुर-कृष्णचांदपुर (25 कि.मी.) एवं डायमंड हार्बर (गुरदासनगर)-बहराहाट (21 कि.मी.) के लिए नए एमएम सहित मागरहाट-डायमंड हार्बर (19.67 कि.मी.)-नई लाइन	172.47	2009-10	माग्राहट-डायमंड हार्बर (19.67 कि.मी.) कार्य पूरे हो गए हैं। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
24.	मोनीग्राम-नीमिता (34.3 कि.मी.)	250.93	2012-13	विस्तृत प्राक्कलन की जांच की जा रही है।
25.	नबद्वीप धाम-पतुली (22 कि.मी.)	117.9	2010-11	पतूली-पूर्बस्थली (13.85 कि.मी.) खंड का कार्य अग्रिम चरण में हैं और इसे वर्ष 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष खंडों को वर्ष 2014-15 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
26.	नलहाटी-सागरदीघी (26.30 कि.मी.)	134.86	2010-11	नलहाटी-तकीपुर (7.09 कि.मी.) खंड का कार्य पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
27.	पुजाली-उलुबेरिया (बीरशिवपुर) (10.25 कि.मी.) एवं पुजाली-बहरहाट (9.75 कि.मी.) के लिए नए एमएम सहित न्यू अलीपुर एवं बज बज नई लाइन	126.17	1996-97	न्यू अलीपुर-अकरा (9.76 कि.मी.) के कार्य पूरे हो गए हैं और खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। सामग्री आशोधन भाग के कार्य प्रगति पर हैं।
28.	न्यू कूच विहार-गुमणिहाट (29.32 कि.मी.)	283.55	2012-13	विस्तार अनुमान विचाराधीन।
29.	न्यू कुच विहार-समुक्तला रोड (29.02 कि.मी.)	209.77	2011-12	भूमि संबंधी एवं छोटे पुलों का कार्य शुरू हो गया है। न्यू कूचबिहार-बनेस्वर (7.71 कि.मी.) को 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य है।
30.	बरबानी-चुरुलिया (9 कि.मी.) नई लाइन के लिए नए एमएम सहित पांडबेश्वर-चिनपई (21.41 कि.मी.) और बरबनी-चुरुलिया	158.89	2004-05	पांडबेश्वर-चिनपई (21.45 कि.मी.) यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग में कार्य प्रगति पर है।
31.	पंसकुरा-घटल (32.8 कि.मी.) के लिए नए एमएम सहित पंसकुड़ा-खड़गपुर नई लाइन (44.7 कि.मी.)	252.56	2008-09	कार्य को रेविनिलि द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। पंसकुड़ा-श्यामचक (27 कि.मी.) को यातायात

1	2	3	4	5
				के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग में कार्य प्रगति पर है।
32.	पीरपैंटी-भागलपुर (59.06 कि.मी.)	332.14	2011-12	अंतिम स्थान सर्वेक्षण प्रगति पर है। 8 कि.मी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे एवं बड़े पुलों के लिए निविदाएं सौंप दी गई है।
33.	प्लासी-जियागंज (54.29 कि.मी.)	234.41	2011-12	प्लासी-सरगाची (27 कि.मी.) के लिए मिट्टी संबंधी, पुलों, ट्रैक लिंकिंग और गिट्टी के लिए निविदा सौंप दी गई है।
34.	सर्कुलर रेलवे के लिए प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक दोहरीकरण (4.98 कि.मी.)	279.61	2011-12	रेलवे की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।
35.	सागरडीगी-अजीमगंज केबिन (16.3 कि.मी.)	81.09	2012-13	धन की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
36.	सैंथिया-तारापीठ तीसरी लाइन (22 कि.मी.)	186.64	2011-12	मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों का कार्य शुरू हो गया है।
37.	सियालदाह मंडल-मील 5 बी और न्यू अलीपुर के बीच दूसरी पैसेंजर लाइन (1.67 कि.मी.)	65.09	2010-11	अतिक्रमण पर विचार करते हुए सरेखण समीक्षाधीन है।
38.	बारास्ता घटकपुर (38 कि.मी.) कलिकापुर-मीनाखान के लिए नए एमएम सहित सोनारपुर केनिंग (14.96 कि.मी.) नई लाइन	274.47	2000-01	चरण-I सोनारपकुर-घुटियारीशरीफ (14.96 कि.मी.) में कार्य समाप्त एवं यातायात के लिए खोल दिया गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग में कार्य प्रगति पर है।
39.	बीरा-चकला (11.5 कि.मी.) के लिए नए एमएम सहित सोनडलिया-चंपापुकुर (23.64 कि.मी.)	136.55	2010-11	मिट्टी संबंधी एवं छोटे पुलों का कार्य शुरू हो गया है। महत्त्वपूर्ण आशोधन भाग में कार्य प्रगति पर है।
40.	तला-प्रिंसेप घाट-सर्कुलर रेलवे का दोहरीकरण (9.7 कि.मी.)	149.95	2010-11	अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त होने वाली है।
41.	तमलुक जं. केबिना-बसुल्या सुतहाटा (24.4 कि.मी.)	171.02	2010-11	कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (रेविनिलि) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया। बर्दा-बसुल्य सुतहाटा (5.9 कि.मी.) पर और महिषादल-बर्दा

1	2	3	4	5
				खंड (8.5 कि.मी.) पर इंजन चला दिया गया है।
42.	तारापीठ-रामपुरहाट-तीसरी लाइन का प्रावधान (6.52 कि.मी.)	62.43	2011-12	विस्तृत अनुमान जांचाधीन।
43.	टिकियापाड़ा-संतरागाछी-चौथी लाइन (5.6 कि.मी.)	49.79	2000-01	कार्य पूरा हो गया है। इंजन चला दिया गया है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) संसाधनों की सीमित उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी क्लीयरेंस, प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था के कारण चालू परियोजनाओं में देरी हुई है। रेलवे के पास सीमित संसाधनों सहित नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए का अत्यधिक थ्रोफारवर्ड है, परिणामस्वरूप प्रत्येक परियोजना को कम आबंटन किया जाता है जिन्हें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं को वार्षिक रूप से आबंटित किया जाता है।

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए वन संबंधी और अन्य क्लीयरेंसों को उच्चतम स्तर पर उठाया जाता है। कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती है। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए फील्ड यूनिटों को भी सशक्त किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल अभियान

***396. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल अभियान के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चिह्नित रणनीतियों सहित किन लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है;

(ख) इस अभियान के अंतर्गत आज की तारीख तक कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल अभियान से उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस अभियान के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) की स्थापना भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अभिज्ञात कार्यनीतियों के साथ संकल्पित लक्ष्य संलगन विवरण-I में दिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) ने XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन के लिए 196 (एक सौ छियानवे) करोड़ रुपये की राशि जारी करने की सिफारिश की थी और दिनांक 25.10.2013 को इसकी सूचना संप्रेषित कर दी थी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान (आर.ई.) के रूप में 2.00 करोड़ रुपये के निर्धारित परिव्यय की तुलना में दिनांक 13.02.2014 तक इस मद पर 60.84 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार XIIवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय जल मिशन

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन में से एक मिशन के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य "एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, अपव्यय को कम से कम करना और राज्यों के बीच तथा राज्यों के अंदर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना" है।

राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए 5 लक्ष्य एवं कार्यनीतियां निम्नानुसार हैं:

लक्ष्य-1 : सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन

कार्यनीतियां:

(क) अतिरिक्त आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण हेतु नेटवर्क की समीक्षा एवं स्थापना;

(ख) जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास;

(ग) विभिन्न आंकड़ों के मापन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास/कार्यान्वयन;

(घ) आर्द्र भूमि की सूची तैयार करना;

(ङ) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत सभी अनुसंधान संगठनों के सक्रिय सहयोग से जल संसाधनों के गुणवत्ता पहलुओं सहित जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन;

(च) बेसिनवार जल की स्थिति का पुन:मूल्यांकन; और

(छ) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान

लक्ष्य-2 : जल संरक्षण और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना

कार्यनीतियां:

(क) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जल संसाधनों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, जल प्रयोक्ता संघों और प्राथमिक पणधारियों को सशक्त करना और शामिल करना;

(ख) सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन का संवर्धन;

(ग) समस्याओं के आयामों के संबंध में अति दोहित क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों को सुग्राही बनाना और जल संरक्षण के प्रति एम.एन.आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत निवेश की अभिमुख करना;

(घ) उद्योग में जल तटस्थ और जल सकारात्मक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना;

(ङ) जल संसाधन प्रबंधन, विशेषतया आयोजना, क्षमता निर्माण और जन जागरुकता से संबंधित विविध कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठन की सहभागिता को प्रोत्साहित करना; और

(च) उद्योग के भीतर तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण को करने, सहायता करने और संवर्धन हेतु निगमित क्षेत्र/उद्योगों को शामिल करना और प्रोत्साहित करना;

लक्ष्य-3 : अति दोहित क्षेत्रों सहित अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना

कार्यनीतियां:

(क) सूखा प्रवण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले भंडारणों को आगे बढ़ाने सहित जल संसाधन परियोजनाओं विशेषकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन;

(ख) जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली को प्रोत्साहन;

(ग) भू-जल स्रोतों की वास्तविक धारणीयता;

(घ) अति-दोहित, गंभीर और अर्धगंभीर क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के लिए गहन कार्यक्रम;

(ङ) नम भूमि का संरक्षण और परिरक्षण;

(च) पेयजल के गुणवत्ता पहलुओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, का समाधान करने के लिए गहन कार्यक्रम;

(छ) जल का शुद्धिकरण और अलवणीकरण को प्रोत्साहन देना; और

(ज) बाढ़ से निपटने हेतु सुव्यवस्थित पद्धति

लक्ष्य–4 : जल उपयोग कुशलता को 20 प्रतिशत बढ़ाना

कार्यनीतियां :

(क) जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के क्षेत्र के अनुसंधान तथा इसकी गुणवत्ता को कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्र में कायम करना;

(ख) अपशिष्ट जल सहित जल के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित करना;

(ग) पर्यावरण हितैषी स्वच्छता प्रणाली का विकास;

(घ) शहरी जल आपूर्ति प्रणाली की दक्षता में सुधार करना;

(ङ) जल साधनों एवं उपस्करी की कुशल लेबलिंग;

(च) जल कुशलता तकनीक एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना;

(छ) राज्यों की सहायता से जल के कुशल उपयोग में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं चलाना;

(ज) जल के समान वितरण तथा सुविधाओं के युक्तिपूर्ण प्रभार को सुनिश्चित करने हेतु जल विनियामक प्राधिकरण को बढ़ावा देना;

(झ) पेयजल उद्देश्यों के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों के लिए अनिवार्य जल लेखा परीक्षा को बढ़ावा देना;

(ण) जल संसाधन परियोजनाओं के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उपयुक्त प्रावधान;

(ट) जल संरक्षण एवं जल के दक्षपूर्ण उपयोग हेतु पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन; और

(ठ) दक्ष सिंचाई पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य-5 : बेसिन स्तरीय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना

कार्यनीतियां :

(क) राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा;

(ख) राज्य जल नीति की समीक्षा;

(ग) बेसिनवार स्थिति के संदर्भ में जल के विभिन्न उपयोग जैसे सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग हेतु दिशानिर्देश;

(घ) एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के सिद्धांत पर आयोजना;

(ङ) अधिशेष बाढ़ के जल को उपयोग योग्य जल में परिवर्तित कर विशेष रूप से जल के संवर्धन हेतु अन्तरबेसिन एकीकरण; और

(च) विभिन्न जल संसाधन कार्यक्रमों के मध्य अभिमुखता सुनिश्चित करना।

विवरण-II

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) का कार्यान्वयन

एनडब्ल्यूएम के लक्ष्य	उपलब्धि/स्थिति
1	2
लक्ष्य-1 सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन	केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने एन.आर.एस.सी. के साथ जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यू.आर.आई.एस.) शुरू की है और वर्जन 3.0 दिसंबर, 2012 में शुरू किया गया है। पणधारियों के बीच

1	2
	जागरूकता फैलाने के लिए 9 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। डब्ल्यू.आर.आई.एस. के वर्जन 4.0 पर कार्य जारी है। जल वैज्ञानिक आंकड़ा प्रसार नीति के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी. के अवर्गीकृत जलवैज्ञानिक आंकड़े, डब्ल्यू.आर.आई.एस. पर डाले गए हैं। इन आंकड़ों में 1965-2012 की अवधि के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सी. डब्ल्यू.सी.) के जल मौसम वैज्ञानिक केन्द्रों द्वारा रिकार्ड किए गए गेज, निस्सरण, गाद एवं जल गुणवत्ता प्राचल शामिल हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने वैब आधारित जी. डब्ल्यू.आई.एस. के संबंध में पिछले पांच वर्ष के भूजल स्तर और जल गुणवत्ता के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र में डाले गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996 से 2005 तक की अवधि के लिए सी.जी. डब्ल्यू.बी. के भूजल स्तर और जल गुणवत्ता आंकड़े डब्ल्यू.आर. आई.एस. पर उपलब्ध कराये गए हैं। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक संशोधित मास्टर योजना तैयार करने और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखने और जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यू.आर.आई.एस.) के साथ जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है।
लक्ष्य-2 : जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना	पांच कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। पुणे, तेजपुर और हैदराबाद में राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय जल मिशन, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने और जल संरक्षण के संबंध में 3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जल क्षेत्र में भारतीय उद्योग के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के प्रयासों की कार्यनीति तैयार करने और इन्हें मुख्य धारा में लाने और राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 01.10.2013 (एफ.आई.सी.सी.आई.) और दिनांक 29.10.2013 (सी.आई.आई.) को उद्योगों के प्रमुखों के साथ 2 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे।
लक्ष्य-3 : अति दोहित क्षेत्रों सहित अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना	5 क्षेत्रों में प्रायोगिक जलभृत्त मानचित्रण (जलविज्ञान परियोजना-II) पूरा कर लिया गया है और इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। इस प्रायोगिक मानचित्रण के परिणामों का उपयोग जलभृत्त प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (एन.ए.क्यू.यू.आई.एम.) को

1	2
	प्रचालनात्मक बनाने में किया जायेगा। जलभृत्तों का समुदाय आधारित प्रबंधन करने के लिए पूरे देश की जलभृत्त मानचित्रण का कार्य शुरू करने हेतु दिनांक 23.9.2013 को एक राष्ट्रीय परियोजना के लिए भी अनुमोदन दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे अति दोहित, गंभीर, तटीय, शहरी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जलभृत्त मानचित्रण किया जायेगा।
लक्ष्य 4 : जल उपयोग कुशलता को 20 प्रतिशत बढ़ाना	भारतीय मानक ब्यूरो, जिसके विधान में एक विनियामक तंत्र है, द्वारा किए जा रहे दक्षता संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में स्थिति का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन सचिवालय द्वारा कदम उठाये गए हैं। एशियाई विकास बैंक से तकनीकी सहायता से एक राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता सुधार सहयोग कार्यक्रम के लिए संभावना का अध्ययन शुरू किया गया है।
लक्ष्य-5 : बेसिन स्तरीय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना	राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी), 2012 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2012 को आयोजित की गई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक में अंगीकार किया गया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8.4.2013 को राष्ट्रीय जल नीति-2012 जारी की गई है। राज्य सरकारों से राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार उनकी जल नीतियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करने हेतु डॉ. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पूर्वानुमान क्षमता

*397. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन और यू.के. द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाएं विभिन्न मौसम और जलवायु संबंधी परिघटनाओं और प्राकृतिक खतरों की हमारी पूर्वानुमान क्षमत में सुधार करने में सहायक होंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जलपाल रेड्डी): (क) यू.के. तथा भारत के पृथ्वी

प्रणाली विज्ञान, जलवायु तथा पर्यावरणीय अनुसंधान समुदायों के बीच एक समुचित अनुसंधान सहयोग छत्र की स्थापना करने के लिए 1 मार्च, 2013 को नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल (एन.ई.आर.सी.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नेटवर्किंग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमताओं के आदान-प्रदान, तथा संयुक्त आमंत्रणों के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के जरिए क्षमताओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर तथा सहयोग के नए अवसरों की पहचान करके मौसम-विज्ञान, समुद्र-विज्ञान, जलवायु परिवर्तनीयता तथा परिवर्तन, जल-विज्ञान, हिमांकमण्डल, प्राकृतिक खतरों तथा जैव-विविधता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह परिकल्पित है कि यह समझौता ज्ञापन एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय पैमाने के मानसून की बेहतर समझ; उत्तरी यूरोप के मौसम तथा जलवायु परिसंरचण के स्वरूपों के संभावित प्रभाव; तथा जलवायु, हिमनदों, भू-जल के बीच अन्त:क्रिया तथा जल संसाधनों की समस्त स्थिरता को समाहित करने वाले महत्त्वपूर्ण (परन्तु सबसे कम समझे गए) बदलते जल चक्र की कुछ महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उचित संयुक्त अनुसंधान तथा विकास की क्रियाविधि उपलब्ध कराएगा। निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं:

(i) पश्चिमी घाटों में जल-वैज्ञानिक तथा कॉर्बन सेवाएं; अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के प्रति वनों तथा कृषि-पारिप्रणालियों की प्रतिक्रिया (डुंडी विश्वविद्यालय के साथ)

(ii) दक्षिण एशियाई वर्षा : सीमलेस आकलन सप्राइज (एक्सटर विश्वविद्यालय के साथ)

(iii) जल-मौसम वैज्ञानिक फीडबैक तथा उत्तरी हिन्द बेसिनों में जल भंडारण और प्रवाह में परिवर्तन (इम्पीरियल कॉलेज, लंदन के साथ)

(iv) भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उन्नत सिंचाई जल प्रबंधन के माध्यम से कम करना (हैरियट-वॉट विश्वविद्यालय के साथ)

(v) उत्तर पश्चिमी भारत में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की जलवायु में भू-जल प्रणालियों की संरचना तथा गतिकी (डरहम विश्वविद्यालय के साथ)

मानसून मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, मानसून, पूर्वानुमान में सुधार हेतु अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण से, यू.के. के साथ निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं:

(vi) मानसून वर्षा के सीमलेस पूर्वानुमान के लिए उन्नत इंडो-यू.के. क्षमता: दिनों से ऋतु तक (रीडिंग विश्वविद्यालय के साथ)

(vii) भारतीय मानसून डेटा सम्मिश्रण तथा विश्लेषण (आई. एम.डी.ए.ए.) (यू.के. मेट ऑफिस के साथ)

(viii) भारत में पवन ऊर्जा का स्टोकेस्टिक प्राचलीकरण तथा पूर्वानुमान (इम्पीरियल कॉलेज के साथ)

(ख) जी हां।

(ग) मानसून मिशन के अंतर्गत ये परियोजनाएं समरूप मॉडलिंग ढांचे का उपयोग करके मानसून वर्षा का दिनों से ऋतु तक का पूर्वानुमान करने की हमारी क्षमता में सुधार करने तथा भारतीय मानसून का 1979 से आगे गतिकीय आगमन, विकास तथा क्षीण होने का निरूपण करने के लिए प्रारंभ की गई हैं।

(घ) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (ई.एस.एस.ओ.-एन.सी.एम. आर.डब्ल्यू.एफ.) तथा यूनाइटेड किंगडम मीट्रीओलॉजिकल ऑफिस (यू.के.एम.ओ.) के बीच संस्थागत सहयोग पहल के अंतर्गत, यू.के.एम.ओ. की वैश्विक डेटा सम्मिश्रण-पूर्वानुमान प्रणाली का वर्तमान में स्थानीय/क्षेत्रीय/वैश्विक पैमाने की मानसून वर्षा के पूर्वानुमान को पकड़ने के संबंध में व्यापक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

***398. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बारम्बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भिड़ंत रोधी यंत्र लगाने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2006 में प्रायोगिक आधार पर लगाए गए उक्त यंत्र की सफलता के बाद सभी रेलवे जोनों में उक्त यंत्र का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए उक्त यंत्र लगाने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने हेतु कोई कार्य-योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी नहीं। संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटना को रोकने और संरक्षा बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, भारतीय रेल पर बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली घटनाओं को छोड़कर परिणामी रेल दुर्घटनाएं 2003-04 में 239 से घटकर 2012-13 में 68 हो गई हैं। विगत वर्षों में भारतीय रेल द्वारा ढोए गए यातायात की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं 2001-02 में 0.55 से घटकर 2012-13 में 0.12 हो गई हैं।

(ख) से (ङ) दुर्घटनाएं घटाने के निरंतर प्रयास के एक भाग के रूप में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित टक्कररोधी उपकरण (ए.सी.डी.) को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 1736 मार्ग किलोमीटर पर ट्रायल के रूप में लगाया गया था। ए.सी.डी. की इस पायलट परियोजना में परिचालनिक और तकनीकी मुद्दे देखे गए हैं। के.आर.सी.एल. द्वारा विकसित एक बेहतर ए.सी.डी. सॉफ्टवेयर वर्जन 1.1.2 एम पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तिनसुकिया मंडल में के.आर.सी.एल. द्वारा लगाया है और अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और के.आर.सी.एल. द्वारा संयुक्त ट्रायल हाल ही में समाप्त हुए हैं। इनके आधार पर टक्कररोधी उपकरण के इस बेहतर सॉफ्टवेयर 1.1.2 एम को पूसी रेलवे के शेष चार मंडलों अर्थात् कटिहार, अलीपुरद्वार, रांगिया और लमडिंग पर लगाया गया है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अनुभव के आधार पर, ए.सी.डी. की विशिष्टयों और डिजाइन विन्यास को संशोधित किया गया था और विकसित प्रणाली को 2010-2011 में दक्षिण रेलवे की विद्युतीकृत मल्टीपल लाइनों, ऑटोमेटिक सिगनल खंड पर लगाया गया था। दक्षिण रेलवे के ट्रायल में भी कई परिचालनिक और तकनीकी समस्याएं देखी गई थीं।

उपरोक्त को देखते हुए भारतीय रेल पर प्रयोग के लिए अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टी.सी.ए.एस.) नामक निम्न लागत वाली स्वदेशी प्रणाली जिसमें ए.सी.डी. और गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू. एस.) दोनों की विशेषताएं होंगी, विकसित की जा रही है। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा प्रणाली की विशिष्टियों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है जो मल्टीपल वेंडरों द्वारा इस उत्पाद के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए ओपन स्टैंडर्ड पर है। दक्षिण मध्य रेलवे पर अक्टूबर/नवंबर, 2012 के दौरान गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली के सफलतापूर्वक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल किए गए थे।

अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिंगमपल्ली-विकाराबाद-वाडी-बिदर खंड के 250 किलोमीटर खंड पर विस्तृत फील्ड ट्रायल किए जाने की योजना तैयार की गई है जिसके लिए निर्माण कार्यक्रम 2013-14 में 29 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्य को स्वीकृत किया गया है। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन ने निविदाओं को अंतिम रूप भी दे दिया है और कार्य आबंटित कर दिया है।

तैयार किए गए प्रोटोटाइप उपकरणों को लगातार अगस्त/सितंबर, 13 और जनवरी, 14 के दौरान विस्तृत फील्ड ट्रायल के प्रारंभिक राउंड शुरू किए गए थे। अभी तक ट्रायल के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं, क्योंकि ट्रायल के दौरान टी. सी.ए.एस. की संरक्षा विशेषताएं और इंटरऑपरेबिलिटी सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो सकी हैं। अआमसं द्वारा इस खंड में सभी स्टेशनों, (23) पर टी.सी.ए.एस. उपकरणों और 40 इंजनों पर ऑन बोर्ड उपकरणों को लगातार विस्तृत फील्ड ट्रायल करने की योजना तैयार की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में परिवर्तन

*399. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमत्य कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत जिन श्रेणी के कार्यों को किए जाने की अनुमति दी गई थी, उनके बारे में मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत ऐसे अनुमेय कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय ने इस अधिनियम की अनुसूची-I और II में पर्याप्त संशोधन करते हुए इन्हें 3 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया है। 3 जनवरी, 2014 को अधि सूचित की गई इन संशोधित अनुसूचियों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करने और इन्हें समुदाय एवं लाभार्थियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने वाले प्रावधानों पर अधिक जोर।

2. अनुमोदित सूची में आगे दर्शाए गए कार्य जोड़कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करके कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले और प्रावधान करना :

(i) कृषि उत्पादों के लिए सामुदायिक भंडारण सुविधाएं।

(ii) ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों से जोड़ने के लिए 'फार्मनेट' सड़कें तैयार करना।

(iii) गांव में ही सस्ते और जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जैविक उर्वरक तैयार करने संबंधी कार्य।

(iv) भूजोत के आकार को ध्यान में न रखते हुए, ऊबड़-खाबड़ जमीनों का व्यापक वाटरशेड आधारित उपचार करके उन्हें उपयोगी बनाना।

(v) सिंचाई तालाबों/नहरों/क्यारियों के रखरखाव पर लगी रोक हटाकर उन्हें सदैव सुचारू बनाए रखना।

3. कार्यों की सूची में विस्तार करके इन्हें आगे दर्शाई गई 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) श्रेणी क : ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियां हैं, जिनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अधिक क्षमता है। मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस श्रेणी का कम से कम एक कार्य हमेशा जारी रखा जाएगा।

(ख) श्रेणी ख : ग्रामीण गरीबों और वंचित वर्गों के परिवारों की अपनी परिसंपत्तियां तैयार करने वाले कार्य।

(ग) श्रेणी ग : स्थायी आजीविकाओं के लिए महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका योजनाओं के अनुरूप कार्य।

(घ) श्रेणी घ : ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) गरीबों के लिए मकानों का निर्माण।

(ii) सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अलग से या तालमेल से ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य। इसके तहत कोई भी जॉब कार्डधारक 10,000 रु. की लागत से वैयक्तिक शौचालय का निर्माण करा सकता है।

(iii) इस अधिनियम के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(iv) आपदा के लिए तैयारी या आपदा के बाद सार्वजनिक अवसंरचना का पुनर्निर्माण करने संबंधी कार्य।

(v) गांवों में स्व-सहायता समूहों के संघों के लिए भवनों तथा भवन निर्माण सामग्री तैयार करने वाले केन्द्रों का निर्माण।

4. रोजगार दिवस का आयोजन करके प्रत्येक वार्ड में हर महीने कम से कम एक बार कार्य की मांग संबंधी आवेदन एकत्र करना।

5. मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध न कराए जाने पर

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता स्वत: मिल जाना चाहिए।

6. मस्टर रोल बंद किए जाने की तारीख से 15 दिनों से अधिक विलंब होने पर संबंधित मजदूरी के 0.05% प्रतिदिन की दर से मुआवजे के स्वत: परिकलन का प्रावधान।

7. निम्नलिखित के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी प्रावधानों पर ज्यादा जोर देना :

क. अनुमानों को जन सामान्य के अधिक अनुकूल बनाना और उन्हें अधिक से अधिक आंकड़े उपलब्ध कराना।

ख. वेबसाईट, वॉलराइटिंग और अन्य साधनों से कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी स्वयंमेव देना।

ग. कार्यों से संबंधित समस्त सामग्री की खरीद पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही की जानी चाहिए, जिसकी जांच की जा सकेगी।

घ. सामाजिक लेखा-परीक्षा और रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रावधानों में सुधार करना।

ङ. प्रत्येक गांव में सक्रिय युवाओं की मदद से समवर्ती सामाजिक लेखा-परीक्षा शुरू करना।

(घ) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे विलंब से किए गए भुगतान के संबंध में मनरेगा, 2005 की अनुसूची-II के पैराग्राफ 29 के अनुसार एक व्यापक प्रणाली लागू करें।
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के परामर्श से मनरेगा योजना के लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की गई है।
- मनरेगा, अधिनियम की अधिसूची-II को संशोधित किया गया था ताकि बैंकों या डाकघरों में खोले गए संस्थागत खातों के माध्यम से मनरेगा कामगारों को मजदूरी का वितरण सुनिश्चित किया जा सके (जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी जाती हो)।
- राज्यों को मस्टर रोलों के दुरुपयोग और इनसे छेड़छोड़ के मामलों पर रोक लगाने के लिए ई-मस्टर रोल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- मजदूरी के भुगतान में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एफ.एम.एस.) शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- राज्य सरकारों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर बायोमैट्रिक अधिप्रमाणीकरण वाले बैंकों वे जरिए मजदूरी का भुगतान करने के लिए बिजनेस कारेस्पांडेंट मॉडल शुरू करें।
- सभी राज्यों को शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
- योजना की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

विवरण

संशोधित अनुसूची-I के पैराग्राफ 4 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि योजना में निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिन्हें निम्नानुसार श्रेणीकृत किया गया है। पैराग्राफ 4 में शामिल किए गए कार्य इस प्रकार हैं:

I. प्रवर्ग (अ) : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण–

(i) पेयजल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य;

(iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन-1, पुनरुज्जीवन और अनुरक्षण; सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुज्जीवन।

(iv) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी तथा;

(v) सामान्य भूमि में भूमि विकासकार्य।

II. प्रवर्ग (आ) : दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा 5 में गृहस्थी के लिए)

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना;

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना;

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि, का विकास;

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक;

(v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना; और

(vi) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना;

III. प्रवर्ग (इ) : एन.आर.एल.एम. शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैसे उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला:

IV प्रवर्ग (ई) : ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, का संनिर्माण;

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णाद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णाद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णाद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन में भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन;

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं

***400. डॉ. भोला सिंह:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबों की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सरकार ने देश में गरीबी की समस्या के निराकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का वर्ष/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में गरीबी उन्मूलन हेतु शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के 'गरीबी' शीर्षक अध्याय में यह कहा गया है कि भारत में वर्ष 2005 की क्रय शक्ति सममूल्यता के अनुसार प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम राशि पर जीवनयापन करने वाली आबादी का प्रतिशत 49 से कम होकर 32.7 रह गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और स्वरोजगार के जरिए गरीबी उपशमन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) नामक प्रमुख कार्यक्रम राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से चला रहा है। मनरेगा का उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर एक वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। एन.आर.एल.एम. का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार/कुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका में स्थायी आधार पर पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करके गरीबी कम करना है। एस.जी.एस.वाई. को एन.आर.एल.एम./आजीविका के रूप में पुनर्गठित करके राज्यों के गहन ब्लॉकों में दिनांक 3.6.2011 से शुरू किया गया है।

मनरेगा और एन.आर.एल.एम. मांग आधारित कार्यक्रम हैं। मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को श्रम बजट प्रस्तुत करने होते हैं जबकि एन.आर.एल.एम. के तहत राज्य सरकारें अपनी-अपनी गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं तैयार करती हैं। एन.आर.एल.एम. में रोजगार से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कुशल मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में गरीब ग्रामीण युवाओं की सहायता करने पर भी जोर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान एन.आर.एल.एम. तथा मनरेगा के तहत प्राप्त राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की ऑनलाइन आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य/जिला-स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों तथा राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से निगरानी और समीक्षा की व्यापक प्रणाली स्थापित की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को पांच सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिसके पांच सूत्र इस प्रकार हैं : (i) योजनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाना, (ii) पारदर्शिता, (iii) लोगों की भागीदारी, (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान मनरेगा नामक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	मनरेगा (2010-2011) (सृजित रोजगार-लाख श्रम दिवसों में)	मनरेगा (2011-2012) (सृजित रोजगार-लाख श्रम दिवसों में)	मनरेगा (2012-2013) (सृजित रोजगार-लाख श्रम दिवसों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3351.61	2939.34	3238.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.12	0.73	33.41
3.	असम	470.52	352.63	314.04
4.	बिहार	1602.62	682.16	940.97
5.	छत्तीसगढ़	1110.35	1206.76	1194.01
6.	गोवा	3.70	3.11	0.68
7.	गुजरात	491.84	313.00	281.90
8.	हरियाणा	84.20	109.36	128.87
9.	हिमाचल प्रदेश	219.46	270.13	262.02
10.	जम्मू और कश्मीर	210.68	209.10	365.56
11.	झारखंड	830.90	609.71	566.40
12.	कर्नाटक	1097.85	701.03	621.81
13.	केरल	480.34	633.10	837.74
14.	मध्य प्रदेश	2198.18	1688.98	1387.58
15.	महाराष्ट्र	200.00	772.02	871.74
16.	मणिपुर	295.61	224.07	285.11
17.	मेघालय	199.81	167.75	167.19
18.	मिजोरम	165.98	130.60	153.56
19.	नागालैंड	334.34	296.61	245.31

1	2	3	4	5
20.	ओडिशा	976.57	453.75	546.01
21.	पंजाब	2175.40	64.52	65.50
22.	राजस्थान	3026.22	2120.55	2203.38
23.	सिक्किम	48.14	32.88	36.31
24.	तमिलनाडु	2685.93	3015.75	4081.44
25.	त्रिपुरा	374.51	489.74	518.57
26.	उत्तर प्रदेश	3348.97	2673.36	1411.85
27.	उत्तराखंड	230.20	198.98	192.00
28.	पश्चिम बंगाल	1553.08	1495.94	2018.39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.03	8.30	6.61
30.	दादरा और नगर हवेली	0.47	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	1.34	1.65	0.49
33.	पुदुचेरी	11.27	10.79	8.67
	कुल	25715.24	21876.36	22985.91

मनरेगा के तहत वास्तविक लक्ष्य तय नहीं किए जाते हैं।

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान एस.जी.एस.वाई. और एन.आर.एल.एम. नामक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	एस.जी.एस.वाई. (2010-2011)		एस.जी.एस.वाई. (2011-2012)		एस.जी.एस.वाई. (2012-2013)		एस.जी.एस.वाई. (2012-2013)
		लक्ष्य (स्वरोजगारियों की संख्या)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (सं.)	लक्ष्य (स्वरोजगारियों की संख्या)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (सं.)	लक्ष्य (स्वरोजगारियों की संख्या)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (सं.)	सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	116974	165205	105746	108814	101653	328064	1044804

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	5375	1075	5211	308	4536	0	0
3.	असम	139636	151392	135418	143883	118024	1329	19711
4.	बिहार	27864	162009	251565	135426	241808	3065	76361
5.	छत्तीसगढ़	61814	55384	55885	44885	53711	44103	1123
6.	गोवा	1881	768	1632	184	1432	0	0
7.	गुजरात	44034	46820	39799	30267	38259	23194	4488
8.	हरियाणा	25902	30199	23427	24435	22510	10715	0
9.	हिमाचल प्रदेश	10903	11615	9863	10828	9483	9486	0
10.	जम्मू और कश्मीर	13497	4271	12204	5236	11740	0	0
11.	झारखंड	104932	113903	94850	57019	91179	24054	1454
12.	कर्नाटक	88327	111765	79861	80754	76760	72291	0
13.	केरल	39633	49190	35832	40311	34440	0	219975
14.	मध्य प्रदेश	132407	97761	119712	88860	115060	57953	40763
15.	महाराष्ट्र	174609	165899	157855	152429	151726	32958	3286
16.	मणिपुर	9365	413	9082	363	7911	0	0
17.	मेघालय	10491	40068	10169	5182	8861	941	0
18.	मिजोरम	2429	3565	2352	3010	2046	0	0
19.	नागालैंड	7194	6597	697	5519	6076	0	0
20.	ओडिशा	133803	138595	120957	129363	116263	30760	85515
21.	पंजाब	12581	15657	11382	10287	10939	3291	261
22.	राजस्थान	67072	74853	60642	76149	58279	66397	7064
23.	सिक्किम	2688	1294	2616	1337	2297	0	0
24.	तमिलनाडु	103430	138916	93510	72095	89882	201323	160082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	त्रिपुरा	16900	63890	16392	13456	14282	4797	0
26.	उत्तर प्रदेश	400612	384604	362184	341935	348314	151584	0
27.	उत्तराखंड	21090	20789	19071	17673	18333	9649	0
28.	पश्चिम बंगाल	148696	66942	134417	74494	129205	68245	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	176	448	169	359	169	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	176	0	169	0	169	0	0
31.	दमन और दीव	176	0	169	0	169	0	0
32.	लक्षद्वीप	176	0	169	0	169	0	0
33.	पुदुचेरी	2100	1913	1899	2256	1804	0	0
	कुल	2177343	2125800	1981182	1677117	#REFI	1144199	1664887

एन.आर.एल.एम. के तहत वास्तविक लक्ष्य तय नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सुरक्षित पेयजल

4229. श्री विष्णु पद राय: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005 में ब्रिचगंज, दक्षिणी अंडमान में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए चेकडैम, पंप हाउस और फिल्टर बेड प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन चेकडैम, पंप हाउस और फिल्टर बेड पर अब तक किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (घ) जिला परिषद्, साउथ अण्डमान जिला द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, "ब्रिचगुंज के अंतर्गत जोडा नल्लाह ब्रुकशब्द से पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराना" के कार्य को दिनांक 09.08.2004 के पत्र सं. 14-32/आर.डब्ल्यू/पी.एल./जैडपी/2004/1612 द्वारा स्वीकृत किया गया था। रिकार्ड के अनुसार, कार्य को पूरा किए जाने की तिथि अर्थात् इस कार्य का इलैक्ट्रिक कनैक्शन कार्य मार्च, 2008 है और प्राक्कलन में निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:-

1. 60.00 मीटर की लम्बाई के लिए चैक वायर का निर्माण।
2. 50,000 लिटर की क्षमता वाले एक आर.सी.सी. सतही जल टैंक का निर्माण।
3. 1,00,000 लिटर प्रति दिन की क्षमता वाले स्लो सैण्ड फिल्टर का निर्माण।
4. ब्रुकशब्द पर 2200 मीटर की लम्बाई वाले जी.आई. पाइप लाइन का प्रावधान करना और उसे डालना।

5. 1,00,000 लिटर की क्षमता वाले ओवर हैड जी.आई. स्टील टैंक का निर्माण।

6. इलैक्ट्रिक इंजन से चालित पंप सेट (01 सं.) का प्रावधान करना और उसे स्थापित करना।

7. पम्प हाउस का निर्माण।

प्रारंभ में गांव को जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अण्डमान लोक निर्माण-कार्य विभाग (एपीडब्ल्यूडी) को ओवर हैड टैंक से जल छोड़ा गया था। जिला परिषद्, साऊथ अण्डमान, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी नहीं रखी जा सकी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा निरीक्षण करने के बाद एपीडब्ल्यूडी को यह परियोजना सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया था।

जिला परिषद्, साऊथ अण्डमान ने दिनांक 17.2.2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि इस परियोजना को पूरा किए जाने के लिए ए.पी.डब्ल्यू.डी. को सुपुर्द किया जाएगा। 17.2.2014 की स्थिति के अनुसार, जिला परिषद्, साऊथ अण्डमान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल किया गया खर्च 90,21,619/ रुपए है।

[हिन्दी]

रेलवे अस्पताल में पैरा-मेडिकल स्टाफ

4230. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे अस्पतालों में काम करते हुए पैरा-मेडिकल स्टाफ विशेषकर नर्सों के लिए कितने कार्य घंटों और दिनों की ड्यूटी करना आवश्यक है;

(ख) इस संबंध में रेलवे द्वारा अपनाए गए नियमों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को देश में केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों में उनके समकक्षों की तुलना में अधिक घंटे/दिन काम करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कर्मचारियों के कार्य घंटों/दिनों को केन्द्र सरकार के अस्पतालों में प्रचलित नियमों/अनुदेशों के अनुरूप तर्कसंगत बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) रेलवे अस्पतालों में नर्सों सहित सभी रेल कर्मचारियों के कार्य करने के घंटे रेल अधिनियम, 1989 और "रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम 2005" में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार विनियमित होते हैं। मौजूदा सांविधिक प्रावधानों/नियमों के तहत नर्सों को "सतत्" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण उन्हें प्रति सप्ताह एक छुट्टी के साथ 48 घंटे कार्य करना अपेक्षित होता है।

उक्त नियमों द्वारा शासित किए जाने के नाते नर्सों के ड्यूटी घंटे केन्द्र सरकार के अस्पतालों के ड्यूटी घंटों के बराबर नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्

4231. श्री अशोक तंवर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2007 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिषद् में अब तक चर्चा की गई विषयों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने "राज्य कृषि संबंध एवं भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों और भूमि सुधारों के बारे में नीतिगत सिफारिशों के व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए 09 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् का गठन किया है। इस परिषद् की पहली बैठक अभी आयोजित की जानी है।

रेलवे का कार्य-निष्पादन

4232. श्री पी. करुणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पृथक बजट को ध्यान में रखते हुए उसके कार्य-निष्पादन और वित्तीय अनुशासन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को बजटीय समर्थन और उनके द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) (करोड़ रु. में)

	2010-11	2011-12	2012-13
बजटीय समर्थन	18385	20013	24132
प्रदत्त लाभांश	4941	5656	5349

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कब्जे में अप्रयुक्त भूमि

4233. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के पास अप्रयुक्त भूमि का एक बड़ा रकबा पड़ा हुआ है और उन्हें चिह्नित करने में परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के कब्जे में पड़ी अप्रयुक्त भूमि का एक डाटा बैंक सृजित करने के लिए एक समिति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो समिति के संघटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2010 में गठित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सुधार संबंधी विशेषज्ञ पैनल ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के पास उपलब्ध उनकी मौजूदा एवं भावी जरूरतों से अधिक भूमि के मूल्यांकन के लिए "लोक भूमि विकास प्राधिकरण (पी.एस.एल.डी.ए.)" की स्थापना की सिफारिश की है। विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान फीडर नहर के लिए निधियां

4234. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** 29 अगस्त, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3156 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान फीडर नहर पर कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। पंजाब सरकार के अनुरोध पर परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत शामिल किया गया था तथा वर्ष 2010-11 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 105.84 करोड़ रुपए की सीमा तक केन्द्रीय सहायता इस योजना के लिए जारी की गई थी। राजस्थान फोडर नहर के पुनर्सरेखण का कार्य शुरू न किए जाने का कारण पंजाब सरकार के द्वारा यह दिया गया कि इस परियोजना के कार्य को सरहिन्द फीडर नहर के पुनर्सरेखण के साथ-साथ किया जाना है, चूंकि दोनों नहरों का किनारा समान है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि सरहिन्द फीडर नहर के लिए कार्य करने के लिए निधियों की कमी के कारण राजस्थान फीडर नहर पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

पंजाब सरकार द्वारा सरहिन्द फीडर नहर के लिए निधि जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में 12वीं योजना के दौरान ए. आई.बी.पी. के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ कमियां थीं जिन के बारे में पंजाब सरकार को अवगत करा दिया गया है।

पंजाब सरकार ने योजना आयोग, भारत सरकार से सरहिन्द फीडर नहर परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए अलग से आग्रह किया है। इस मुद्दे पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

4235. श्री ओ.एस. मणियन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत परियोजनाएं देश के सभी 28 राज्यों में 1995-96 से 2006-07 तक स्वीकृत की गई हैं। आई.डब्ल्यू.डी.पी. को दो अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् मरू भूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के साथ 26.02.2009 से 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)' नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। वर्ष 2007-08 से आई.डब्ल्यू.डी.पी. के तहत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, 2006-07 तक स्वीकृत आई.डब्ल्यू.डी.पी. की चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी की जा रही हैं। यह कार्यक्रम संघ राज्यक्षेत्रों में नहीं चलाया जा रहा है। आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं की राज्य वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के तहत उपलब्धियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

31.01.2014 की स्थिति के अनुसार समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत क्रियान्वित परियोजना की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूरी कई परियोजनाओं की संख्या	बंद की गई परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	102	96	6	0
2.	बिहार	65	2	62	0
3.	छत्तीसगढ़	70	45	25	0
4.	गोवा	4	0	4	0
5.	गुजरात	84	54	30	0

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	26	13	13	0
7.	हिमाचल प्रदेश	63	60	3	0
8.	जम्मू और कश्मीर	37	11	26	0
9.	झारखंड	25	4	21	0
10.	कर्नाटक	86	84	2	0
11.	केरल	29	2	27	0
12.	महाराष्ट्र	84	54	28	2
13.	मध्य प्रदेश	124	109	14	1
14.	ओडिशा	89	82	4	3
15.	पंजाब	17	6	10	1
16.	राजस्थान	90	84	6	0
17.	तमिलनाडु	82	63	18	1
18.	उत्तर प्रदेश	130	115	15	0
19.	उत्तराखंड	51	33	18	0
20.	पश्चिम बंगाल	29	2	27	0
पूर्वोत्तर राज्य					
21.	अरुणाचल प्रदेश	145	81	61	3
22.	असम	149	20	129	0
23.	मणिपुर	43	20	23	0
24.	मेघालय	112	97	15	0
25.	मिज़ोरम	52	35	16	1
26.	नागालैण्ड	42	42	0	0
27.	सिक्किम	25	11	14	0
28.	त्रिपुरा	22	0	22	0
	कुल योग	1877	1225	639	13

विवरण-II

31.01.2014 की स्थिति के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के तहत उपलब्धियों का राज्य वार ब्यौरा
(क्षेत्र लाख है. में और रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		वर्ष के दौरान जारी निधियां	पूरी की गई परि. की सं.	पूरी की गई परि. का क्षेत्र	वर्ष के दौरान जारी निधियां	पूरी की गई परि. की सं.	पूरी की गई परि. का क्षेत्र	वर्ष के दौरान जारी निधियां	पूरी की गई परि. की सं.	पूरी की गई परि. का क्षेत्र	वर्ष के दौरान जारी निधियां	पूरी की गई परि. की सं.	पूरी की गई परि. का क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12.20	15	0.945	3.35	7	0.415	1.33	30	1.710	0.00	0	0.000
2.	बिहार	0.00	0	0.000	2.46	0	0.000	3.98	0	0.000	1.37	2	0.100
3.	छत्तीसगढ	8.42	7	0.395	12.02	16	0.778	4.56	6	0.260	1.64	3	0.145
4.	गोवा	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000
5.	गुजरात	15.74	16	1.120	6.47	12	0.600	6.70	9	0.450	0.00	0	0.000
6.	हरियाणा	5.58	4	0.228	0.53	3	0.130	0.56	2	0.070	0.00	0	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	16.95	13	0.953	13.23	18	0.897	3.85	8	0.387	1.45	4	0.173
8.	जम्मू और कश्मीर	2.28	1	0.050	4.31	4	0.325	2.57	1	0.040	0.00	0	0.000
9.	झारखंड	1.30	2	0.100	0.86	0	0.000	0.75	1	0.057	0.00	0	0.000
10.	कर्नाटक	17.42	18	1.122	7.26	21	1.127	1.48	4	0.216	0.00	0	0.000
11.	केरल	6.98	1	0.074	0.00	0	0.000	2.03	0	0.000	0.00	0	0.000
12.	महाराष्ट्र	38.27	21	1.465	10.66	12	0.645	6.00	7	0.329	2.01	5	0.244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	मध्य प्रदेश	12.40	32	1.623	5.09	10	0.510	1.24	1	0.050	0.48	1	0.087
14.	ओडिशा	25.29	15	0.902	26.03	26	1.338	5.92	6	0.300	9.46	12	0.704
15.	पंजाब	2.09	0	0.000	2.77	3	0.162	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000
16.	राजस्थान	7.92	29	1.603	1.38	4	0.190	0.23	1	0.046	0.00	0	0.000
17.	तमिलनाडु	13.61	16	0.896	6.15	12	0.605	5.23	6	0.299	2.02	3	0.150
18.	उत्तर प्रदेश	8.45	17	1.031	2.63	8	0.402	0.27	1	0.050	0.00	0	0.000
19.	उत्तराखंड	15.64	9	0.555	11.05	10	0.613	4.39	3	0.167	5.31	8	0.398
20.	पश्चिम बंगाल	3.52	1	0.055	0.38	0	0.000	0.25	1	0.052	0.00	0	0.00
पूर्वोत्तर राज्य													
21.	अरुणाचल प्रदेश	26.80	17	0.723	15.71	46	1.250	3.98	9	0.220	1.38	4	0.105
22.	असम	13.36	9	0.531	8.30	2	0.120	8.60	1	0.050	0.00	0	0.000
23.	मणिपुर	15.43	4	0.265	9.70	11	0.710	0.71	2	0.130	0.00	0	0.000
24.	मेघालय	25.80	9	0.303	13.16	56	0.985	4.95	24	0.325	2.73	8	0.200
25.	मिज़ोरम	28.01	20	1.680	6.35	5	0.400	8.39	5	0.400	4.32	5	0.400
26.	नागालैण्ड	0.44	1	0.080	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000
27.	सिक्किम	1.84	3	0.203	1.54	0	0.000	1.62	2	0.100	1.10	3	0.082
28.	त्रिपुरा	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000	0.00	0	0.000
	कुल योग	325.75	280	16.90	173.39	286	12.20	79.59	130	6.71	33.27	59	2.79

नवप्रवर्तनकारी पारिस्थितिकी तंत्र

4236. श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नवप्रवर्तनकारी पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित करने और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए सभी मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं में नवोन्मेषी अनुसंधान पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सरकार ने नवोन्मेष पारितंत्र, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। समावेशी नवोन्मेष पारितंत्र को विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों ने अनेक पहलें शुरू की हैं। भारतीय संदर्भ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में सामंजस्य स्थापित करने और नवोन्मेष का उपयोग करने के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करने और सुदृढ़ राष्ट्रीय नवोन्मेष तंत्र का सृजन करने पर बल देते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 (एस.टी.आई.पी.) की शुरुआत की है।

नवोन्मेष और समावेशी विकास के भारतीय मॉडल को विकसित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराने हेतु भारतीय नवोन्मेष परिषद् (एन.आई.एन.सी.) की स्थापना की गई है। एन.आई.एन.सी. की पहलों में राज्य एवं क्षेत्रीय नवोन्मेष परिषदों का गठन; एम.एस.एम.ई. विकास के लिए पहलें; सुरक्षा, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ भारतीय समावेशी नवोन्मेष निधि की स्थापना; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) और जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के साथ साझेदारी में समूहों की स्थापना शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आधारभूत प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायता प्राप्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउन्डेशन – भारत (एन.आई.एफ.) की स्थापना की गई है। एन.आई.एफ. ने 100 से अधिक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा डिजाइन फर्मों के साथ आधारभूत नवोन्मेषों एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को बढ़ाया है। एन.आई.एफ. ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्ष बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) एवं विभिन्न राज्य परिषदों के सहयोग से बच्चों में मौलिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 'आई.जी.एन.आई.टी. आई.' का गठन किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) स्कीम प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं अनुसंधान के क्षेत्र में जीविका अपनाने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। इसने पूरे देश के 10 से 32 वर्ष आयु वर्ग के अनेक प्रतिभाशाली युवाओं को पुरस्कार योजना अध्येतावृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना तथा संकाय योजना के माध्यम से जनता में विज्ञान के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने एवं अनुसंधान में जीविका के अवसर प्रदान करने के लिए आकर्षित किया है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने व्यैक्तिक, संस्थागत और औद्योगिक स्तर पर जीव विज्ञान में उत्कृष्टता और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सार्वजनिक – निजी भागीदारी के माध्यम से नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट रिसर्च के लिए लघु व्यापार नवोन्मेष अनुसंधान पहल (एस.बी.आई.आर. आई.) उच्च जोखिम भविष्यानुरूप प्रौद्योगिकियों में नवोन्मेष के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बी.आई.पी.पी.); स्टार्ट– अप कंपनियों के लिए इग्निशन ग्रांट स्कीम जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई है।

(ग) सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में नवोन्मेष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में संसद के अधिनियम के माध्यम से देश में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) की स्थापना करते हुए आधारभूत विज्ञान के एक नई संरचना का सृजन किया है।

एस.ई.आर.बी. ने नवोन्मेषी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायक जेसी बोस और रामानुजन अध्येतावृत्ति आदि जैसे अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से देश के उत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत अनुसंधान वित्त पोषण, अभिनव अनुसंधान पहल के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) की शुरुआत अनुसंधान के साथ करिअर के प्रति प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने की अभिनव पद्धति परिलक्षित करती है। नवोन्मेषी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के अन्य उपायों में वैज्ञानिक विभागों के लिए योजनागत आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए नई संस्थाओं की स्थापना, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते हुए एवं अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों एवं सुविधाओं का निर्माण, अभिनव एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरुआत, अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

प्रणाली जीव विज्ञान, संश्लेषणात्मक जीव विज्ञान, जीनोमिक्स, प्रोटीओमिक्स, उपापचय विज्ञान, नैदानिक तंत्रिका विज्ञान आदि के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय नवोन्मेषी अनुसंधान को समावेशित करते हुए 15 केन्द्रों, 49 उप विशिष्ट विषयगत केन्द्रों और 13 वैयक्तिक प्रोजेक्टों की स्थापना के साथ डी.बी.टी. उत्कृष्टता केन्द्र और नवोन्मेष स्कीम प्रचालनात्मक रही हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) विज्ञान के क्षेत्र में खोज की दृष्टि से अपनी विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से अत्याधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रही हैं जिसमें वैश्विक प्रभाव, नवोन्मेष आधारित उद्योग के लिए समर्थकारी प्रौद्योगिकी एवं देश में समावेशी आर्थिक विकास के लिए अंतर – विषयक अग्रता के पोषण के लिए प्रयास किया गया है। सी.एस.आई.आर. 'नव सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी अग्रता पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.)' नामक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल के माध्यम से नवोन्मेषी अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है। यह लोक वित्त पोषित आर. एंड डी. संस्थाओं, शैक्षणिक समुदायों एवं उद्योग की उत्कृष्ट क्षमताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर भारत की अग्रणी स्थिति बनाने, प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए कार्यरत है।

स्टिंग ऑपरेशन

4237. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कुछ गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया (सभी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण करते हुए) अपने धन, स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर स्टिंग ऑपरेशन और स्टिंग ऑपरेशनों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे स्टिंग ऑपरेशनों पर प्रतिबंध लगाने और इन गैर-सरकारी संगठनों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) सभी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विनिर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करना होता है जिसमें निजी सैटेलाइट/केबल टी.वी. चैनलों में समाचार और समसामयिकी कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों के प्रसारण के समय अनुपालन किए जाने वाले सभी मानदंडों को रखा गया है। भारतीय प्रैस परिषद् जो एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसका गठन प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने एवं साथ ही प्रैस में स्व-विनियमन के सिद्धांतों का संचार करने के लिए किया गया है, ने अपने 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' में 'स्टिंग ऑपरेशनों पर मार्गनिर्देश' विनिर्धारित किए हैं। इनका सार संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.), जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ समाचार प्रसारकों का एक संघ है, ने अपने 'नैतिक मूल्यों की संहिता और प्रसारण मानदंड' में अपने सदस्यों के लिए स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में कतिपय मार्गनिर्देशी विनिर्धारित किए हैं। उसके पैरा 9 के अंतर्गत संगत सार को संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर 'कवरेज रिपोर्टेज हेतु विशेष मार्गनिर्देश' भी जारी किए हैं। इसके संगत अंश संलग्न विवरण-III में दिया गया है। पुन:श्च, एन.बी.ए. के

'स्टिंग ऑपरेशन आयोजित करने हेतु मार्गनिर्देश' की एक प्रति विवरण-IV के रूप में संलग्न है। वर्तमान में, स्टिंग ऑपरेशन पर रोक लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

पत्रकारिता संहिता के पी.सी.आई. के मानक

41(ख) स्टिंग ऑपरेशन के दिशा-निर्देश

(i) एक समाचार पत्र को स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट देने के लिए उस व्यक्ति से जिसने स्टिंग ऑपरेशन को रिकार्ड किया है उससे यह प्रमाण-पत्र लेना होगा उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन प्रामाणिक और वास्तविक है।

(ii) स्टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का लिखित रूप में रिकार्ड होना चाहिए।

(iii) संपादक द्वारा यह संतुष्ट हो जाने के उपरांत कि मामला जनहित में है तथा साथ ही यह सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरांत के स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप है, उस स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट करने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

(iv) प्रिंट मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन का प्रकाशन पाठकों की अपेक्ष को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसमें संवेदनशीलता तक पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिससे पाठकों को कोई आघात अथवा अपराधबोध न हो।

विवरण-II

समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.)

आचार संहिता और प्रसारण मानक (01.04.2008)

9. स्टिंग ऑपरेशन

निर्देशक सिद्धांत के तौर पर स्टिंग और छिपे हुए अभियान अथवा ऑपरेशन किसी समाचार कथा के बारे में दर्शकों को समग्र जानकारी देने के लिए किसी समाचार चैनल की ओर से अंतिम तरीका होने चाहिए। समाचार चैनल स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी भी सूरत में सेक्स और गंदे तरीकों का सहारा नहीं लेंगे और किसी भी स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग के लिए उचित तरीके के रूप में नशीले पदार्थों और निश्चेतक पदार्थों अथवा हिंसा, भयभीत करने और भेदभाव के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन पहले बताए गए आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों से भी बंधे रहेंगे और समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक ही स्टिंग ऑपरेशन स्पष्ट और व्यापक जनहित में किए जाएंगे। समाचार चैनल एक बुनियादी नियम के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किसी प्रकार के अनुचित कार्य अथवा आपराधिक कृत्य के स्पष्ट प्रमाण पाने के लिए माध्यम के तौर पर ही किया जाएगा और मौलिक फुटेज में दिए गए दृश्यों में इस प्रकार से जानबूझकर कोई भी फेरबदल अथवा संपादन आदि नहीं किया जाएगा, जिससे इनमें बदलाव आ जाए अथवा सत्य गलत तरीके से सामने आए और सत्य का केवल एक हिस्सा ही प्रदर्शित हो सके।

विवरण-III

समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.)

रिपोर्ताज की कवरेज हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश (10.02.2009)

10. स्टिंग ऑपरेशन

10.1 स्टिंग ऑपरेशन केवल "लोक हित" में और अपेक्षित सूचना को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने पर बिना किसी अवैधता या प्रलोभन के और निजता के वैध अधिकार का उल्लंघन किए बिना किए जाने चाहिए।

10.2 प्रसारकों को स्टिंग ऑपरेशन गलत कार्यों, विशेषत: जन-जीवन में व्यक्तियों के सार्वजनिक पहलुओं को उजागर करने हेतु केवल तभी करना चाहिए जब वह संपादकीय रूप से न्यायसंगत हो।

10.3 संपादकीय कार्य के समग्र प्रभारी की सहमति के बिना कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए; और प्रसारक के प्रबंध निदेशक और/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी किसी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए।

10.4 स्टिंग ऑपरेशन किसी अपराध के "साक्ष्य" प्राप्त करने न कि कोई अपराध करने के लिए "प्रेरित" करने के लिए किया जाना चाहिए।

10 फरवरी, 2009

विवरण-IV

समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.)

स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए दिशा-निर्देश

एन.बी.ए. की आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा रिपोर्ट कवरिंग संबंधी विशिष्ट दिशा-निर्देशों में निहित स्व. विनियमन के सिद्धांतों के अतिरिक्त न्यूज चैनल सदस्य निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के दायरे में ही 'स्टिंग ऑपरेशन' कर सकता है–

1. स्टिंग ऑपरेशन केवल तभी किया जा सकता है जब वह जनहित में हो।

2. केवल गलत कार्य को उजागर करने के लिए ही स्टिंग ऑपरेशन किया जाना चाहिए।

3. स्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग लोगों की निजी जिंदगी में झांकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

4. स्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब किसी सूचना एवं समाचार को इकट्ठा करने अथवा रिकार्ड करने के लिए कोई अन्य प्रभावी साध न उपलब्ध नहीं हो।

5. स्टिंग ऑपरेशन करते समय एक समाचार चैनल को, किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने जो उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित न हो, के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए।

6. स्टिंग ऑपरेशन करने का माध्यम फूहड़पन या सेक्स अथवा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए।

7. सम्पादित और गैर सम्पादित श्रव्य और दृश्य फूटेज सहित स्टिंग ऑपरेशन की सम्पूर्ण रिकार्डिंग को 90 दिन की अवधि या किसी निश्चित अवधि के लिए जो उस मामले हेतु आवश्यक हो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

8. स्टिंग ऑपरेशन की सम्पादित, गैर सम्पादित श्रव्य और दृश्य फूटेज सहित रिकार्डिंग के साथ छेड़खानी, बदलाव, दृश्यमिश्रण, परिवर्तन, विकृति, रूपांतरण या किसी भी ढंग से फेरबदल नहीं करनी चाहिए जिससे विषय-वस्तु और उसका उद्देश्य एवं अर्थ ही बदल जाए।

9. स्टिंग ऑपरेशन के प्रभारी द्वारा ऑपरेशन की प्रगति के विभिन्न स्तरों की लिखित रूप में समवर्ती तथा समकालीन रिकार्डिंग होनी चाहिए और इस तरह के रिकार्ड को 90 दिन की अवधि या किसी निश्चित अवधि के लिए जो उस मामले के लिए आवश्यक हो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

10. स्टिंग ऑपरेशन को 'कार्यक्रम संहिता' का एवं उस समयावधि में लागू किसी अन्य कानून जिसमें, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 24 सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के प्रावधानों तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क, नियम 1994 का नियम 6 शामिल है, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए;

11. स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण केवल तभी किया जाए जब दुराचारी का दोष सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण मौजूद हों।

12. यदि स्टिंग ऑपरेशन गलत या गढ़ा हुआ पाया जाता है, तो स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सभी व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा हो सकती है।

13. कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा बशर्ते कि यह पूर्वानुमोदित हो तथा न्यूज चैनल की संपादकीय टीम के अध्यक्ष की देखरेख में किया जा रहा हो, जो संबंधित अन्य व्यक्ति के साथ, सभी परिणामों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। प्रसारण कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यूज चैनल द्वारा किए जाने वाले स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

विद्युत परियोजनाएं

4238. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं और अनेक विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता के अनुरूप विद्युत का उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं को पुन: संचालन की स्थिति में लाने और विद्युत के उत्पादन में लगे

संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इनका क्या परिणाम रहा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार 1414 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 10 विद्युत संयंत्र प्रचालन में नहीं हैं। अप्रचालनरत विद्युत संयंत्रों का कारणों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2014 के दौरान अपनी क्षमता से कम चल रही ताप (कोयला और लिग्नाइट) और जल विद्युत संयंत्रों के नाम और उनके ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

वर्ष 2013-14 (अप्रैल 2013-जनवरी, 2014) के दौरान गैस और तरल ईंधन आधारित संयंत्रों से उत्पादन के जी डी-6 बेसिन से गैस की अनुपलब्धता और आर.एल.एन.जी./तरल ईंधन/डीजल आधारित संयंत्रों की उच्च उत्पादन लागत के कारण कम रहा था। अप्रैल 2013-जनवरी 2014 के दौरान गैस आधारित स्टेशनों का संचयी संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) 24.58% था।

(ग) सरकार ने बंद विद्युत परियोजनाओं को पुनः प्रचालन की स्थिति में लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं/प्रस्तावित किए हैं:

1. मंत्रालय स्तर पर विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. आर एंड एम अधीन विद्युत परियोजनाओं में बाधा क्षेत्रों की पहचान करने और उनके शीघ्र समाधान को सुविधा प्रदान करने के लिए इनकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है ताकि परियोजना समय पर पुनः चालू की जा सके। बरौनी टी.पी.एस. के पुनः चालू होने की संभावित तारीख जून, 2014 है।

3. नेवेली टी.पी.एस.-II (विस्तार) के फरवरी, 2014 में पुनः चालू होने की संभावना है।

4. अन्य पांच संयंत्र अप्रचलित प्रौद्योगिकी अथवा उच्च ईंधन लागत के कारण बंद किए गए हैं और इन्हें गैर-किफायती प्रचालन के कारण पुनः आरंभ नहीं किया जा सकता।

विवरण-I

दीर्घकालीन आउटेज (एक वर्ष से अधिक) के अधीन विद्युत परियोजना

स्टेशन का नाम	31.01.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	कब से प्रचालन में नहीं हैं	टिप्पणियां/कारण
1	2	3	4
एस.वी.पी.एल. टी.पी.पी.	63	अक्टू.-12	उपस्कर समस्या/कोयला लिंकेज नहीं
काठघोरा टी.पी.पी.	35	अक्टू.-12	वाशरी से अस्वीकृत कोयले पर आधारित, कोयला लिंकेज नहीं
बरौनी टी.पी.एस.	310	मार्च-12	दोनों यूनिटें आर एंड एम/नवीनीकरण कार्य के अधीन
नेवैली टी.पी.एस.-II एक्सपें.	250	नवं-12	बॉयलर सुधार
हजीरा सी.सी.पी.पी. एक्सटें.	315	अप्रैल-12	गैस की अनुपलब्धता
पामपोर जी.पी.एस. (लिक्वि.)	175	अप्रैल-12	गैर-किफायती प्रचालन

1	2	3	4
हल्दिया जी.टी. (लिक्वि.)	40	जून-02	गैर-किफायती प्रचालन
कस्बा जी.टी. (लिक्वि.)	40	जून-02	गैर-किफायती प्रचालन
मैथन जी.टी. (लिक्वि.)	90	मई-12	गैर-किफायती प्रचालन
चंद्रपुर (असम) टी.पी.एस.	60	जून-99	गैर-किफायती प्रचालन
	1414		

टिप्पणी:

1. सी.ई.ए. पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल, नाभिकीय) के उत्पादन की निगरानी करता है।
2. दिनांक 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के स्टेशनों के उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है

विवरण-II

अप्रैल से जनवरी 2014 के दौरान राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. 65.18% से नीचे के कोयला और लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए कम पी.एल.एफ. के कारण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.01.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-जनवरी, 2014)*	पी.एल.एफ. (अप्रैल-जनवरी, 2014)	अप्रैल से जनवरी 2014 के दौरान राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. 65.18 से नीचे के कोयला और लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए कम पी.एल.एफ.
1	2	3	4	5	6
1.	राजघाट टी.पी.एस.	135	353.69	35.67	विविध फोर्स आउटेज
2.	इंदिरा गांधी एस.टी.पी.पी.	1500	4602.8	42.4	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
3.	पानीपत टी.पी.एस.	1360	4870.23	48.76	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिवर्ज शटडाउन
4.	राजीव गांधी टी.पी.एस.	1200	4138.09	46.96	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिवर्ज शटडाउन
5.	यमुना नगर टी.पी.एस.	600	2824.71	64.1	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिवर्ज शटडाउन
6.	महात्मा गांधी टी.पी.एस.	1320	5362.05	55.31	आर.एस.डी./विविध फोर्स आउटेज
7.	जी.एन.डी. टी.पी.एस. (भटिंडा)	440	1509.36	46.71	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
8.	राजपुरा टी.पी.पी.	700	0	0	नई यूनिट

1	2	3	4	5	6
9.	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	1161.47	63.26	टर्बो वाइजरी प्रणाली समस्या और विविध लीकेज
10.	छाबरा टी.पी.पी.	750	2430.7	63.99	मिलिंग सिस्टम/आर.एस. फीडर समस्या
11.	गिराल टी.पी.एस.	250	315.25	17.17	टरबाइन विविध समस्याएं
12.	कवाई टी.पी.एस.	1320	2624.09	58.27	नई यूनिट
13.	जलीपा कपूर्डी टी.पी.पी.	1080	4076.17	51.39	बॉयलर की विविध समस्याएं/रिजर्व शटडाउन
14.	हरदुआगंज टी.पी.एस.	665	2646.74	57.28	विविध आउटेज/यूनिट 7 का आर एण्ड एम
15.	ओबरा टी.पी.एस.	1278	3352.32	35.72	टरबाइन विविध समस्या/विविध आउटेज/यूनिट 10, 11 का आर एण्ड एम
16.	पनकी टी.पी.एस.	210	630.94	40.91	टरबाइन बियरिंग समस्या/पुरानी यूनिटें
17.	अनपारा सी टी.पी.एस.	1200	5717.12	64.87	विविध समस्याएं
18.	कुंडारकी टी.पी.एस.	90	407.62	61.67	अनुरक्षण
19.	डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	500	1965.95	53.54	विविध अनुरक्षण
20.	कोरबा-II	200	883.03	60.12	यूनिट 1 में विविध ट्यूब लीकेज
21.	कोरबा-III	240	924.77	52.47	विस्तारित अनुरक्षण/विभिन्न ट्यूब लीकेज
22.	अकलतारा टी.पी.एस.	600	1323.09	54.05	नई यूनिट
23.	एस.वी.पी.एल. टी.पी.पी.	63	0	0	अस्थायी नई यूनिट
24.	काटघोरा टी.पी.पी.	35	0	0	अस्थायी नई यूनिट
25.	पथाडी टी.पी.पी.	600	1874.47	42.54	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
26.	रतीजा टी.पी.पी.	50	204.43	5567	विविध अनुरक्षण
27.	गांधी नगर टी.पी.एस.	870	1642.07	25.7	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
28.	सिक्का रिप टी.पी.एस.	240	528.96	30.01	अनुरक्षण पूंजी का विस्तार/आर.एस.डी.
29.	उकई टी.पी.एस.	1350	4044.32	44.79	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
30.	वानकबोरी टी.पी.एस.	1470	4178.07	38.7	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
31.	एक्रीमोटा लिग टी.पीएस.	250	750.31	40.87	बॉयलर ट्यूब लीकेज/फ्लेम की असफलता

1	2	3	4	5	6
32.	सलाया टी.पी.पी.	1200	4625.21	52.48	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
33.	सतपुरा टी.पी.एस.	1580	4237.21	46.19	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
34.	श्री सिंगाजी टी.पी.पी.	600	23.1	0	नई यूनिट
35.	बीना टी.पी.एस.	500	1333.78	36.77	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
36.	महान टी.पी.पी.	600	594.48	14.96	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
37.	ससन यू.एम.टी.पी.पी.	1320	1595	0	अस्थिर यूनिट
38.	निवारी टी.पी.पी.	45	36.82	0	नई यूनिट
39.	मौदा टी.पी.एस.	1000	473.43	12.89	अस्थिर यूनिट
40.	भुसावल टी.पी.एस.	1420	4306.33	50.79	विविध अनुरक्षण
41.	पार्ली टी.पी.एस.	1130	2512.28	30.27	कच्चा जल समस्या
42.	चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2340	8858.3	51.55	विविध फोर्स आउटेज/अनुरक्षण विस्तारित/आर.एस.डी.
43.	खापरखेड़ा टी.पी.एस.	1340	5686.47	57.78	विविध फोर्स आउटेज
44.	कोराडी टी.पी.एस.	1040	2027.91	26.55	पूंजी अनुरक्षण/पुरानी यूनिटें
45.	एमको वरौरा टी.पी.एस.	600	1690.9	51.16	बॉयलर अनुसंगी विविध समस्याएं
46.	जी.ई.पी.एल. टी.पी.पी. फेज-I	120	113.84	12.92	कोयला आपूर्ति समस्या
47.	तिरोरा टी.पी.एस.	1980	8240.42	61.13	आई.डी. पंखे की समस्या/बॉयलर अनुसंगी विविध समस्याएं
48.	वर्धा वरौरा टी.पी.पी.	540	2343.05	59.06	बॉयलर अनुसंगी विविध समस्याएं/भीगा कोयला
49.	बेला टी.पी.एस.	270	25.15	0	नई यूनिट
50.	मिहान टी.पी.एस.	246	276.22	15.29	एच.टी./एल.टी. आपूर्ति समस्या
51.	बुटीबोरी टी.पी.पी.	300	385.45	0	कोयला समस्या
52.	अमरावती टी.पी.एस.	270	795.37	54.42	अस्थिर
53.	धारीवाला टी.पी.पी.	300	0	0	नई यूनिट
54.	ट्रॉम्बे टी.पी.एस.	1400	5195.67	50.53	गैर किफायती उत्पादन

1	2	3	4	5	6
55.	थामिनापट्टनम टी.पी.एस.	300	1182.45	55.83	कोयला आपूर्ति समस्या
56.	रायचूर टी.पी.एस.	1720	7747.66	61.34	जी.टी/ई.एस.पी. समस्या/आर.एस.डी.
57.	उडुपी टी.पी.पी.	1200	5405.49	61.34	ग्रिड विविध/आर.एस.डी./कूलिंग टावर समस्या
58.	वल्लूर टी.पी.पी.	1000	2995.63	52.38	विविध फोर्स आउटेज
59.	नेवैली टी.पी.एस.-II एक्सपें.	250	0	0	बॉयलर में सुधार
60.	एन्नोर टी.पी.एस.	450	1032.77	31.25	विविध फोर्स आउटेज
61.	तूतीकोरिन (पी) टी.पी.पी.	300	493.03	63.7	नई यूनिट
62.	मुजफ्फरपुर टी.पी.एस.	220	213.75	13.23	आर एण्ड एम
63.	बाढ़-II	660	0	0	नई यूनिट
64.	बरौनी टी.पी.एस.	210	0	0	आर एण्ड एम
65.	चंद्रपुर (डीवीसी) टी.पी.एस.	890	4087.3	62.53	कोयला आपूर्ति/फीडिंग समस्या
66.	बोकारो 'बी' टी.पी.एस.	630	1532.44	33.12	पुरानी यूनिटें
67.	दुर्गापुर टी.पी.एस.	340	1597.84	63.99	विभिन्न ट्यूब लीकेज/एस.टी./एल.टी. आपूर्ति समस्या
68.	मेजिया टी.पी.एस.	2340	11099.18	64.59	टर्बो उत्पादन में आग/आर.एस.डी./गैर किफायती समस्या
69.	कोडरमा टी.पी.पी.	1000	1636.14	52.93	एच.टी./एल.टी. आपूर्ति समस्या/ई.एस.पी. समस्या
70.	दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	1000	3572.97	48.65	स्टैंड बॉय यूनिट/विविध आउटेज
71.	पतरातु टी.पी.एस.	770	645.01	11.41	विविध फोर्स आउटेज/पुरानी यूनिटें
72.	टेनुघाट टी.पी.एस.	420	1758.62	57.02	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
73.	महादेव प्रसाद एस.टी.पी.पी.	540	2175.71	60.87	पी.ए. पंखे की समस्या
74.	कमलंगा टी.पी.एस.	350	743.62	15.94	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन/नई यूनिट
75.	स्टेरलाईट टी.पी.पी.	2400	7072.31	40.13	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन

1	2	3	4	5	6
76.	डी.पी.एल. टी.पी.एस.	630	1386.88	29.98	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन/कोयला फीडिंग समस्या
77.	बांडेल टी.पी.एस.	450	1252.18	37.89	आर.एस.डी./विविध अनुरक्षण
78.	कोलाघाट टी.पी.एस.	1260	5183.96	56.02	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
79.	सागरडिघी टी.पी.एस.	600	2793.21	63.39	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
80.	संतालहीट टी.पी.एस.	980	2447.19	34	आर.एस.डी./टरबाइन का उच्च कंपन
81.	चिनाकुरी टी.पी.एस.	30	0	0	गैर-किफायती प्रचालन
82.	नई कोसीपुर टी.पी.एस.	160	116.31	9.9	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन

विवरण-III

बंद हुए विद्युत संयंत्र

स्टेशनों के नाम	बंदी के कारण
1	2
एन.एच.पी.सी.	
धौलीगंगा* (280 मेगावाट)	• 70 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I से IV 16.06.2013 से अभूतपूर्व भारी बाढ़ के कारण बैराज को अत्यधिक क्षति पहुंचने की वजह से बंद रही।
तीस्ता लो डैम III (132 मेगावाट)	• 33 मेगावाट की यूनिट II 05.05.2013 से शॉफ्ट सील से अत्यधिक रिसाव के कारण बंद रही। • 33 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट, I, III एवं IV 04.07.2013 से 01.08.2013 तक टरबाइन शॉफ्ट सील में रिसाव/के टूटने के कारण बंद रहीं और पुन: 02.08.2013 से 31.08.2013 तक दुर्घटना/हड़ताल/अन्य कारणों से बंद रहीं।
चूटक (44 मेगावाट)	• 11 मेगावाट की यूनिट III 01.05.2013 से 09.09.1213 तक टी.जी.बी. हाउसिंग में कंपन के कारण बंद रही।
पंजाब	
शानन (110 मेगावाट)	• 50 मेगावाट की यूनिट संख्या V 18.07.2012 से 24.10.2013 तक रनर की मरम्मत/बदलने के कारण बंद रही।

1	2
जे.पी.वी.एल.	
विष्णु प्रयाग* (400 मेगावाट)	• 100 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I, II, III एवं IV 16.06.2013 से अलकनंदा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण बैराजू के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद रहीं।
यू.जे.वी.एन.एल	
मनेरी भाली I (90 मेगावाट)	• 30 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I, II एवं III 16.06.2013 से 03.08.2013 तक इंटेक में अत्यधिक गाद एवं बाढ़ के कारण बंद रहीं।
मनेरी भाली II (304 मेगावाट)	• 30 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट, I, II एवं III 16.06.2013 से 12.07.2013 तक इंटेक में अत्यधिक गाद एवं बाढ़ के कारण बंद रहीं।
खटीमा (41.40 मेगावाट)	• 13.80 मेगावाट की यूनिट I 31.07.2012 से मेन एक्साइटेशन समस्या के कारण बंद रही।
कर्नाटक	
भद्रा (39.20 मेगावाट)	• 12 मेगावाट की यूनिट III 01.06.2011 से नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यों के कारण बंद रही। • 12 मेगावाट की यूनिट IV 01.05.2011 से नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यों के कारण बंद रही।
महात्मा गांधी जोग (139.20 मेगावाट)	• 13.20 मेगावाट की यूनिट II 26.01.2012 से जेनरेटर ट्रांसफार्मर की समस्या के कारण बंद रही। • 21.60 मेगावाट की यूनिट VI 11.07.2013 से जेनरेटर बियरिंग की समस्या के कारण बंद रही। • 21.60 मेगावाट की यूनिट VII 11.07.2013 से जेनरेटर ट्रांसफार्मर की समस्या के कारण बंद रही।
काली नदी (855 मेगावाट)	• 150 मेगावाट की यूनिट IV 03.06.2013 से कूलिंग वाटर सिस्टम की समस्या के कारण बंद रही।
केरल	
साबरीगिरी (300 मेगावाट)	• 16.05.2008 को यूनिट IV में शीर्ष पर विस्फोट हुआ, जिसके कारण लगी तेज आग से पूरी यूनिट को नुकसान हुआ। यूनिट IV के पुनः निर्माण का कार्य 16.11.2009 को अवार्ड किया गया।

1	2
तमिलनाडु	
शोलायर I एवं II (95 मेगावाट)	• 35 मेगावाट की यूनिट II 30.11.2013 से ट्रांसफार्मर कूलिंग वाटर पम्प की विफलता के कारण बंद रही।
पश्चिम बंगाल	
जलढाका स्टे.-I (27 मेगावाट)	• 9 मेगावाट की यूनिट I 30.07.2013 से 01.09.2013 तक जेनरेटर की कम वोल्टता/कम फ्रीक्वेंसी के कारण बंद रही। • 9 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट II एवं III क्रमशः 30.07.2013 और 31.07.2013 से 01.09.2013 तक भारी वर्षा/नदी में बाढ़ के कारण बंद रही।
डी.वी.सी.	
पंचेट (80 मेगावाट)	• 40 मेगावाट की यूनिट संख्या I जुलाई, 2013 से सितंबर, 2013 तक जेनरेटर स्टेटर अर्थ में खराबी के कारण बंद रही।
नीपको	
खांडोंग (50 मेगावाट)	• 25 मेगावाट की यूनिट II 27.04.2013 से 25.05.2013 तक ड्रॉफ्ट ट्यूब के मरम्मत अनुरक्षण के कारण बंद रही।

*बंद संयंत्र
उपर्युक्त सूचनाएं वर्ष 2013-14 की डी.जी.आर. के अनुसार
टिप्पणी : वार्षिक अनुरक्षण, पूंजी अनुरक्षण, कमजोर/कम अंतर्वाह, निम्न सिस्टम डिमांड और रिजर्व शटडाउन/स्टैंड बॉय परियोजनाओं के अधीन परियोजनाएं को उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है।

लक्षद्वीप को वित्तीय सहायता

4239. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पंचायतों को वित्तीय सहायता विशेषकर लक्षद्वीप में समय पर नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय किसी भी ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सीधे निधियां रिलीज नहीं करता है। इंदिरा आवास योजना और डी.आर.डी.ए. प्रशासन के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद् को निधियों का केन्द्रीय अंश रिलीज किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) को निधियां रिलीज की जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निधियां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) को सीधे भेजी जाती हैं।

स्वच्छता सुविधाएं

4240. श्री सी. शिवासामी:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में केवल 10 प्रतिशत परिवारों में ही पाइप युक्त जल प्रणाली से जुड़े फ्लश वाले शौचालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंचायत की स्वच्छता स्थिति का एक मूल्यांकन अध्ययन कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गांवों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के सृजन के लिए निजी वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़े फ्लश के साथ शौचालय की सुविधा प्राप्त परिवारों के प्रतिशत के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, एन.एस.एस.ओ. की 69वीं रिपोर्ट 2012 के अनुसार, जो कि वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई है, यह अनुमान किया जाता है कि देश में 40.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भारत सरकार, पूरे देश में खुले में शौच करने की प्रथा को दूर करने के मुख्य उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा स्वच्छ वातावरण की सुनिश्चितता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, निर्मल भारत अभियान, एक व्यापक कार्यक्रम का संचालन करती है। एन.बी.ए. का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में एक चरणबद्ध, संतृप्तिबोध रीति से स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान कर सतत् व्यवहारगत परिवर्तन लाकर निर्मल ग्राम की स्थिति प्राप्त करना है। एन.बी.ए. का लक्ष्य, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100% स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निर्मल अभियान के अंतर्गत, स्वच्छता कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों (बी.पी.एल.) और साथ ही पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों (ए.पी.एल.) (सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवासों वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आश्रित परिवार) को 3200/-रुपए के केन्द्रीय अंश (पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3700/-रुपए) और 1400/-रुपए के राज्य अंश को शामिल करते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए 4600/-रुपए के प्रोत्साहन राशियों का प्रावधान।

- मनरेगा (एम.एन.आई.जी.एस.) के साथ तालमेल द्वारा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए 5400/-रु. की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान।

- मनरेगा के साथ तालमेल करके एक परियोजना रीति के रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) के घटक को नया रूप देना।

- स्वास्थ्य, विद्यालय, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित सम्बद्ध मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) के साथ तालमेल बैठाने पर ध्यान केन्द्रित करना।

- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 2012 में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आधारभूत सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था जिससे कि पंचायतों का स्वच्छता स्तर उपलब्ध होगा। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन मानिटरिंग प्रणाली के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 15.2.2014 की स्थिति के अनुसार, आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 23,9789 ग्राम पंचायतों में पूरा कर लिया गया है। आधारभूत सर्वेक्षण से यह संकेत मिला है कि लगभग 40.39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी

सुविधाएं प्राप्त हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने फरवरी, 2014 में एन.बी.ए. का एक विशेष अनुवीक्षण कार्य शुरू किया था, जिसके तहत 19 राज्यों के 57 जिलों में 342 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

(ङ) और (च) शौचालयों के निर्माण के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र स्वच्छता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामुदायिक स्वच्छता समूहों, सूचना शिक्षण संप्रेषण (आई.ई.सी.), मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) अथवा सीधे तौर पर लक्षित पहलों के माध्यम से स्वच्छता के मुद्दों को उठाकर कॉरपोरेट घरानों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) के कार्यान्वयन में भागीदारी करने को प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रालय ने स्वच्छता के क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) से जुड़ी निधियों के निवेश को सुगम बनाने हेतु भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विवरण

आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार शौचालय की सुविधा प्राप्त परिवारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	54.77
2.	आंध्र प्रदेश	30.86
3.	अरुणाचल प्रदेश	41.53
4.	असम*	42.80
5.	बिहार	21.41
6.	छत्तीसगढ़	39.57
7.	गोवा	60.72
8.	गुजरात	52.79
9.	हरियाणा	75.10
10.	हिमाचल प्रदेश	86.04
11.	जम्मू और कश्मीर	25.76
12.	झारखण्ड	27.71
13.	कर्नाटक	35.41
14.	केरल	94.68
15.	मध्य प्रदेश	26.27
16.	महाराष्ट्र	48.01
17.	मणिपुर	51.28
18.	मेघालय	52.23
19.	मिज़ोरम	77.95
20.	नागालैण्ड	49.78
21.	ओडिशा*	1.70
22.	पंजाब	75.17
23.	राजस्थान	27.29
24.	सिक्किम	81.55
25.	तमिलनाडु	44.79
26.	त्रिपुरा	62.60
27.	उत्तर प्रदेश	35.22
28.	उत्तराखण्ड	67.14
29.	पश्चिम बंगाल	55.32
	योग	40.39

*असम, जम्मू और कश्मीर और ओडिशा राज्यों में आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

विशेष रेलगाड़ियां

4241. श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे त्यौहारों और अन्य भीड़-भाड़ वाले मौसमों में यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष और मार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली-मुंबई मार्ग पर क्रिसमस और नये वर्ष के अवसरों पर शुरू की गई नान-स्टॉप रेलगाड़ियों की भारी सफलता को देखते हुए रेलवे ऐसे भीड़-भाड़ वाले मौसमों में कतिपय अन्य मार्गों पर भी इस प्रकार की रेलगाड़ियां शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु पहचान किये गये मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप अर्जित राजस्व का दिल्ली-मुम्बई मार्ग सहित मार्ग-वार ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल यातायात के स्वरूप, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए व्यस्त सीजन, त्यौहार, विशेष अवसरों के दौरान स्पेशल गाड़ियां चलाती हैं। भारतीय रेल पर यह एक सतत् प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों के दौरान विशेष गाड़ियों का मार्ग-वार ब्यौरा जिसमें आरंभिक स्टेशन गंतव्य स्टेशन और मार्ग में आने वाले स्टेशन शामिल हैं, एक विस्तृत सूचना है और इसे उत्तर में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। गत तीन वर्षों के दौरान विशेष गाड़ियों की लगभग कुल संख्या का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्त वर्ष 2010-11

रेलवे	विशेष गाड़ियां (फेरें)
मध्य	2654
पूर्व	329
उत्तर	5555
पूर्वोत्तर	3827
पूर्वोत्तर सीमा	1998
उत्तर पश्चिम	9206
पूर्व तट	719
दक्षिण	1652
दक्षिण पूर्व	4803
दक्षिण पूर्व मध्य	66
दक्षिण पश्चिम	6175
पश्चिम	3992
दक्षिण मध्य	4335
उत्तर मध्य	833
पूर्व मध्य	649
पश्चिम मध्य	620
कुल	47411

वित्त वर्ष 2011-12

रेलवे	विशेष गाड़ियां (फेरें)
1	2
मध्य	1953
पूर्व	432

1	2
उत्तर	5057
पूर्वोत्तर	3665
पूर्वोत्तर सीमा	1400
उत्तर पश्चिम	9969
पूर्व तट	496
दक्षिण	1281
दक्षिण पूर्व	4958
दक्षिण पूर्व मध्य	34
दक्षिण पश्चिम	5763
पश्चिम	4723
दक्षिण मध्य	5112
उत्तर मध्य	708
पूर्व मध्य	958
पश्चिम मध्य	532
कुल	47041

वित्त वर्ष 2012-13

रेलवे	विशेष गाड़ियां (फेरें)
1	2
मध्य	1701
पूर्व	775
उत्तर	4694
पूर्वोत्तर	5229
पूर्वोत्तर सीमा	1362
उत्तर पश्चिम	8023
पूर्व तट	423
दक्षिण	1550
दक्षिण पूर्व	2869
दक्षिण पूर्व मध्य	152
दक्षिण पश्चिम	5264
पश्चिम	3263
दक्षिण मध्य	1358
उत्तर मध्य	1402
पूर्व मध्य	1008
पश्चिम मध्य	648
कुल	39721

(ग) और (घ) प्रीमियम कीमत पर खान-पान सुविधा वाली पूर्णतया वातानुकूलित विशेष गाड़ी 22913/22914 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली प्रीमियम एंड टू एंड आधार पर चलाई गई थी जिसका मार्ग में कोई वाणिज्यिक ठहराव नहीं था। रेल बजट 2014-15 में 17 मई प्रीमियम गाड़ियां (मार्ग में ठहराव सहित) घोषित की गई है, जो निम्नानुसार है :

1. नागपुर, मनमाड के रास्ते हावड़ा-पुणे एसी एसक्प्रेम (सप्ताह में दो दिन)
2. छपरा, वाराणसी के रास्ते कामाख्या-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. मालदा, हावड़ा के रास्ते कामाख्या-चेन्नई एसी एक्सप्रेम (साप्ताहिक)
4. नागपुर, रायपुर के रास्ते मुंबई-हावड़ा एसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

5. खंडवा, इटारसी, मानिकपुर के रास्ते मुंबई-पटना एसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

6. कोटा, वसई रोड के रास्ते निजामुद्दीन-मडगांव एसी एक्सप्रेम (सप्ताह में दो दिन)

7. मुगलसराय के रास्ते सियालदाह-जोधपुर एसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

8. गुलबर्गा, पुणे, बसईरोड के रास्ते यशवंतपुर-जयपुर एसी एक्सप्रेम (साप्ताहिक)

9. पालनपुर, अजमेर, रेवाड़ी के रास्ते अहमदाबाद-दिल्ली सराय-रोहिल्ला एक्सप्रेम (सप्ताह में तीन दिन)

10. कोटा नई दिल्ली, अम्बाला के रास्ते बांद्रा-अमृतसर एक्सप्रेम (साप्ताहिक)

11. कोटा, नई दिल्ली, अम्बाला के रास्ते बांद्रा (टी)-कटरा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

12. लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते गोरखपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेम (सप्ताह में दो दिन)

13. मुगलसराय, वाराणसी, सहारनपुर के रास्ते कटरा-हावड़ा एक्सप्रेम (साप्ताहिक)

14. खंडवा, झांसी, कानपुर के रास्ते मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

15. मुगलसराय, चेओकी, माणिकपुर, नागपुर के रास्ते पटना बैंगलोर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

16. गुलबर्गा, काचेगुडा, नागपुर, नई दिल्ली के रास्ते यशवंतपुर-कटरा एक्सप्रेम (साप्ताहिक)

17. ईरोड, तिरुपत्तुर के रास्ते तिरुवन्नतपुरम-बैंगलोर (यशवंतपुर) एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(ङ) क्षेत्रीय रेलें व्यस्त सीजन और त्यौहार के दौरान चलाई गई विशेष गाड़ियों से आमदनी के आंकड़े अलग से नहीं रखते हैं। इन गाड़ियों से होने वाली आमदनी संबंधित क्षेत्रीय रेलों की यात्री यातायात से होने वाली कुल आमदनी का हिस्सा बन जाती है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाओं के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग

4242. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निधियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने गत तीन वर्षों के दौरान पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या निधियों के कम प्रयोग के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान भी है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है।

12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2,72,377 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

(ग) जी हां।

(घ) एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत तथा निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रारंभिक शेष, आबंटित निधि, रिलीज तथा व्यय की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ङ) से (छ) मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) पर राज्यों द्वारा दी गई वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों के माध्यम से मंत्रालय एन.आर.डी.डब्लू.पी. तथा एन.बी.ए. के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करता है। मंत्रालय ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता के राज्य सचिवों/प्रभारी मुख्य अभियंताओं के साथ वार्तालाप, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, विडियो कांफरेन्सों आदि का समय-समय पर आयोजन करके कार्यक्रम की समीक्षा करके निधियों के उपयुक्त उपयोग का अनुवीक्षण करता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/तकनीकी अधिकारी राज्यों का दौरा करते हैं। पेयजलापूर्ति के लिए, राज्यों को वार्षिक उपलब्ध निधि की मात्रा से दो से तीन गुना अधिक अनुमानित लागत के साथ परियोजनाओं को बनाने तथा अनुमोदित करने को कहा गया है ताकि निधियों के उपयोग में कमी न आए। दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार, प्रारंभिक शेष के रूप में पिछले वर्ष के रिलीज का 10% रखने की अनुमति दी गई है। उच्च प्रारंभिक खर्च न किए गए शेष वाले राज्यों को पहली किश्त विलम्ब से जारी करके, जब तक अत्यधिक बकाया प्रारंभिक शेष खर्च न हो, दण्डित किया जाता है। वर्ष 2013-14 में एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत, अधिक प्रारंभिक शेष होने के कारण 27 राज्यों को पहली किश्त की पूरी राशि प्रारंभ में जारी नहीं की गई थी, जबकि एन.बी.ए. के अंतर्गत अधिक खर्च न किए गए शेष के कारण 10 राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, आबंटन, रिलीज तथा व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.3	563.39	485.14	672.82
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	484.24	224.3	293.09
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	168.89	148.64	162.85
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	578.29	717.47	797.93
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	250.24	313.41	275.54
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	153.59	129.9	124.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	474.5	488.09
9.	झारखंड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	191.86	243.43	204.87
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	922.67	869.24	874.78
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	193.59	249.04	193.62
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	447.33	539.56	426.56
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.1	897.96	846.48	614.32
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	243.91	210.58	249.39
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3	101.9	144.27	121.22
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1352.54	1411.36	1314.18
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	394.82	570.17	625
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.9	1060.87	980.06	600.77
19.	उत्तराखंड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	159.74	74.28	139.62
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	523.53	502.36	574.54
21.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	9.21	145.32	223.22	220.98
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	525.71	659.21	594.02
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	69.99	66.21	59.11
24.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.96	97.61	101.44
25.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	48.35	47.92	32.87
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.1	110.25	110.2	108.56
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	36.69	32.36	38.89
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.03	70.66	100.59	99.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.15	0.78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.75	0.88	0
	कुल	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.बी.ए. के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रारंभिक शेष तथा जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा तथा उपयोग किया गया हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13			
		प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	%व्यय	प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	%व्यय	प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	%व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	98.85	138.80	71.78	30.20	165.87	96.57	91.52	34.87	170.92	150.23	90.57	28.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.81	1.19	6.10	46.93	6.90	2.05	5.11	57.10	3.84	9.87	2.11	15.42
3.	असम	67.24	94.37	67.12	41.53	94.50	122.51	122.28	56.35	94.73	119.43	94.59	44.17
4.	बिहार	93.74	112.60	124.21	60.20	82.12	172.19	167.61	65.91	86.70	478.15	220.13	38.97
5.	छत्तीसगढ़	11.36	54.80	25.31	38.25	40.85	27.02	32.86	48.42	35.01	57.32	16.78	18.18
6.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	14.07	46.92	33.33	54.64	27.67	43.08	35.25	49.83	35.50	39.49	34.98	46.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	हरियाणा	13.88	23.61	14.10	37.61	23.39	3.35	15.42	57.67	11.32	0.00	7.67	67.74
10.	हिमाचल प्रदेश	9.26	29.40	21.30	55.10	17.36	4.70	12.75	57.79	9.31	16.67	16.59	63.86
11.	जम्मू और कश्मीर	9.45	27.93	11.02	29.48	26.36	9.68	24.63	68.36	11.40	35.11	36.41	78.29
12.	झारखंड	35.03	54.67	36.54	40.73	53.16	72.65	23.35	18.56	102.46	41.93	18.87	13.07
13.	कर्नाटक	41.91	44.59	62.41	72.15	24.08	87.09	41.15	37.01	70.03	159.51	69.64	30.34
14.	केरल	5.83	22.86	8.09	28.18	20.61	1.59	9.88	44.51	12.32	0.00	9.52	77.24
15.	मध्य प्रदेश	58.65	144.03	128.27	63.29	74.41	150.76	167.00	74.17	58.16	257.80	182.49	57.76
16.	महाराष्ट्र	15.26	129.12	72.63	50.31	71.74	58.00	83.91	64.68	45.82	124.09	62.81	36.97
17.	मणिपुर	12.18	0.80	8.61	66.30	4.38	10.88	7.01	45.96	8.24	35.09	17.14	39.56
18.	मेघालय	10.61	31.05	14.37	34.50	27.28	11.16	32.91	85.61	5.53	25.40	12.89	41.66
19.	मिजोरम	4.86	6.53	2.73	23.93	8.67	0.31	6.92	76.98	2.07	4.97	2.03	28.84
20.	नागालैंड	1.32	12.29	2.65	19.46	10.97	1.74	13.71	107.90	-1.00	23.03	3.89	17.64
21.	ओडिशा	108.38	68.37	49.28	27.88	127.47	111.72	46.52	19.45	192.66	0.00	33.09	17.17
22.	पुदुचेरी	0.19	0.00	0.03	15.58	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	7.94	11.16	4.21	22.02	14.89	2.83	1.08	6.11	16.64	0.00	3.88	23.30
24.	राजस्थान	47.51	56.71	37.58	36.05	66.64	54.24	31.37	25.95	89.52	137.71	83.03	36.54
25.	सिक्किम	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	1.59	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	27.23	77.94	52.13	49.57	53.04	76.62	107.10	82.60	22.56	128.12	86.95	57.71
27.	त्रिपुरा	7.54	9.25	5.74	34.20	11.05	1.34	7.53	60.78	4.86	4.30	3.41	37.25
28.	उत्तर प्रदेश	47.08	225.94	226.90	83.11	46.12	169.21	120.56	55.99	94.76	256.85	201.44	57.29
29.	उत्तराखंड	6.14	17.08	11.60	49.96	11.62	8.05	13.13	66.76	6.54	25.42	13.54	42.36
30.	पश्चिम बंगाल	54.57	83.28	76.55	55.53	61.29	141.24	115.14	56.85	87.40	306.38	199.75	50.73
	कुल	822.12	1526.42	1174.57	50.01	1173.96	1440.59	1335.73	51.09	1278.83	2438.47	1524.20	41.00

उथले नदी तल

4243. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिकांश नदियों के नदी तल दिन-प्रतिदिन उथले होते जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें आसानी से बाढ़ आ जाती है और वे वर्षा के मौसम के दौरान जान-माल की हानि का कारण बनते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न नदियों के तल को गहरा करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जलोढ़ नदियों में नदी तलों का घटाव और बढ़ाव एक प्राकृतिक घटना है। नदियों में गाद जमा होने से उनकी पानी ले जाने की क्षमता घट जाती है, तो नदियों के तटों से पानी बाहर निकलने का एक कारण है। डॉ. बी.के. मित्तल, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने भारत में कुछ नदियों में गाद के प्रकार के पहलू का अध्ययन किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गाद जमा होना खतरनाक और चिंताजनक नहीं है।

(ख) और (ग) ड्रेजिंग द्वारा सामान्यत: नदी तलों को गहरा करना अनुरक्षण की उच्च लागत, खुदी हुई मिट्टी का निपटान एवं गाद जमा न होने के उपाय स्थाई न होने के कारण आर्थिक रूप से व्यावहारिक समाधान नहीं है। गाद जमा न होने देने की स्कीमें राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाती हैं तथा भारत सरकार सहायता प्रदान करती है जो परामर्श के रूप में होती है। तथापि, मॉडल अध्ययनों के आधार पर, केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिण सरस्वती, कालियाघई-कपालेश्वरी-बाघाई, घाटल क्षेत्र, इच्छामती नदी पर गाद निकालने के उपाय और बानी कांठा खाल के विस्तार के सुधार शुरू किए हैं।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल संबंधी सर्वेक्षण

4244. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों ने देश में पेयजल की स्थिति के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने सूचना दी कि उन्होंने जल (प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के सहयोग से जलीय संसाधनों में जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए मॉनीटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में मॉनीटरिंग नेटवर्क में 2500 स्टेशन हैं जो कि पूरे देश भर में 28 राज्यों और 6 संघराज्यों में फैले हुए हैं। सी.पी.सी.बी. परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग नहीं कर रहा है।

पेयजल संबंधी स्थितियों के संबंध में राज्यों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दिए गए आंकड़े के अनुसार दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार देश में 16,92,251 ग्रामीण बसावटों में से 11,61,018 बसावटें पूर्ण रूप से कवर की गई हैं (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम 40 लिटर की आपूर्ति वाले), 4,48,439 आंशिक रूप से कवर किए गए और 82,794 गुणवत्ता प्रभावित हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मंत्रालय अब ग्रामीण बसावटों में 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानदण्ड के अनुसार पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने में ध्यान केन्द्रित कर रहा है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड के अनुसार कवरेज की स्थिति यह है कि 6,57,693 बसावटें पूर्ण रूप से कवर की गई हैं, 9,51,764 आंशिक रूप से कवर की गई हैं जबकि 82,794 गुणवत्ता प्रभावित हैं।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के माध्यम से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किए जाते हैं। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की स्थापना करने के अतिरिक्त जल शोधन संयंत्रों और जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, पेयजल स्रोतों की निरंतरता को भी बढ़ावा दिया जाता है। आंशिक रूप से कवर किए गए और गुणवत्ता प्रभावित बसावट में पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने को भी प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) नदी से संबंधित विभिन्न कार्य-योजनाओं के अंतर्गत बाधाओं, मोड़ और शोधन के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि शोधित न किया गया मल-जल नदियों तक बहकर न पहुंचे।

(iii) फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक, लौह और लवणता के संदर्भ में जल गुणवत्ता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में यथा स्थान जल शोधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

संरक्षा रैंकिंग

4245. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की एयरलाइन कंपनियों को विमानन यातायात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस पूर्वानुमान के बावजूद कि फ्लीट क्षमता में एक हजार से अधिक नागरिक विमान जोड़े जाएंगे देश में अभी विमानन संरक्षा ढांचे की कमी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) सभी एयरलाइन कंपनियों को घाटा नहीं हो रहा। जेट एयरवेज, इंडीगो और गो एयर को वित्त-वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ हुआ है। वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय सारांश विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं। तथापि, डी.जी.सी.ए. ने विमान प्रचालनों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय सारांश

(मिलियन रुपए)

वाहक/एयरलाइन	प्रचालनिक राजस्व	प्रचालनिक व्यय	प्रचालनिक परिणाम
1	2	3	4
राष्ट्रीय वाहक			
नैसिल (ए.आई + आई.सी. सम्मिलित)	106,779.8	190,646.3	-29865.5
ए.आई. एक्सप्रेस**			
एलाइंस एयर*	2193.9	3936.4	-1729.5
कुल	162,973.7	194,569.7	-31,596.0

1	2	3	4
निजी अनुसूचित घरेलू वाहक			
जेट एयरवेज	170,916.3	169,690.5	1225.8
जेट लाईट (प्रा.) लि.	19,806.7	22,274.7	-2468.0
गो एयर	22,259.3	21,408.4	850.9
स्पाईजेट**	56,006.8	58,805.0	-2798.2
इंडिगो	92,030.8	84,072.0	7957.9
कुल	361,019.9	356,251.5	4,768.4
कुल योग	523,993.6	550,821.2	-26,827.60

स्रोत : इकाओ ए.टी.आर. फॉर्म-अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा जमा ई.एफ.

*अनंतिम आकंड़े, **प्रस्तुत नहीं है।

विवरण-II

विमान प्रचालनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- **विमान दुर्घटनाओं तथा जोखिमपूर्ण घटनाओं की जांच से उत्पन्न सिफारिशों का क्रियान्वयन :** विभिन्न विमान दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांचों से उत्पन्न सुरक्षा सिफारिशों का क्रियान्वयन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है ताकि इस प्रकार की दुर्घटना/घटना से बचा जा सके। महानिदेशक, नागर विमानन की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति विभिन्न न्यायालयों/जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति को आवधिक रूप से मॉनीटर करती है।

- **सुरक्षा सूचना का प्रसारण :** प्रचालकों में सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर पायलटों, इंजीनियरों, ए.टी.सी.ओ. तथा प्रचालकों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

- **विमान संरक्षा परिपत्र/नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी किया जाना :** दुर्घटनाओं का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इन विश्लेषणों के आधार पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण अवलोकनों/निष्कर्षों को प्रचालकों के ध्यान में लाने के लिए विमान संरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं। विमान संरक्षा परिपत्रों के माध्यम से संरक्षा संबंधी एहतियात भी परिचालित किए जाते हैं। जब कभी आवश्यकता महसूस होती है, नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी करके विनियामक परिवर्तन किए जाते हैं। वी.आई.पी. कैरेज की आवश्यकता, उड़ान ड्यूटी समय सीमितताओं आदि की समीक्षा की जा रही है। विभिन्न प्रचालकों के लिए हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण तथा प्रचालन संबंधी विस्तृत नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं।

- **उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी :** नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षक पायलटों द्वारा विभिन्न प्रचालकों के पायलटों की आवधिक कुशलता तथा मानकीकरण की जांच की जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रचालनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है।

- **प्रचालकों का संरक्षा ऑडिट :** नागर विमानन महानिदेशालय के सुरक्षा ऑडिट दल द्वारा प्रचालकों तथा अनुरक्षण संगठनों का आवधिक सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों में बताई गई कमियों को तत्काल आवश्यक उपचारी इनहाउस उपायों के लिए प्रचालकों के ध्यान में लाया जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुणवत्ता नियंत्रण तथा संरक्षा के लिए प्रचालकों को अधिक उत्तरदायी बनाने के अपने प्रयासों में इस बात पर बल दिया है कि प्रचालक नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा ऑडिट के अतिरिक्त अपना आंतरिक ऑडिट भी करें।

- **आवधिक स्थल जांचें :** निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रचालनों तथा प्रचालकों की अनुरक्षण गतिवधियों की आवधिक स्थल जांचों में तीव्रता लाई गई है।

- **खराब मौसम स्थितियों में प्रचालन संबंधी विशेष सावधानियां :** प्रचालकों तथा हवाईअड्डा प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे मानसून तथा धुंध की अवधि के दौरान विशिष्टि कार्रवाईयां करें। मानसून परिस्थितियों में पायलटों की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों पायलटों की विशेष जांचें की जाती हैं।

- **पुराने विमानों पर उड़नयोग्यता नियंत्रण :** अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्धारित करके जैसे 20 वर्ष से अधिक पुराने विमान के लिए उड़नयोग्यता वैधता प्रमाण पत्र 06 महीनों तक के लिए जारी किया जाना और निरीक्षण अनुसूची की आवधिकता को 80% तक कम करना, और प्रचालकों द्वारा विमान के आयात के लिए विमान की अधिकतम आयु को 15 वर्ष/4500 साइकिलों तक प्रतिबंधित करना, जो भी कम हो, द्वारा पुराने विमानों पर प्रभावी उड़नयोग्यता नियंत्रण के लिए उपाय किए गए हैं।

- **पक्षी टकराने की घटनाओं से बचाव :** पक्षी टकराने की समस्या को कम करने के लिए प्रभावपूर्ण उपायों को अपनाए जाने हेतु हवाईअड्डा प्राधिकारियों तथा स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों के सहयोग से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, पक्षी टकराने की घटनाओं की संख्या में व्यापक कमी हुई है।

- **दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई :** जब भी यह पता चलता है कि संरक्षा के लिए समझौता किया गया है या कि निर्धारित मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

दुर्घटना रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उठाए गए विशेष कदम

- **फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की 100% मॉनीटरिंग :** नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाओं के माध्यम से डी.एफ.डी.आर. से सुसज्जित विमानों वाले प्रमुख गैर अनुसूचित प्रचालकों तथा सभी अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी उड़ानों के फ्लाइट डाटा की मॉनीटरिंग की जाए ताकि निर्धारित सीमा से उड़ान मापदंडों में आपात स्थितियों का निर्धारण किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उड़ान कर्मीदल मानक प्रचालन कार्यविधियों का कड़ाई से पालन करते हैं।

- **न्यूनतम सुरक्षा ऊंचाई चेतावनी प्रणाली :** जब भी विमान न्यूनतम सुरक्षा मार्गस्थ ऊंचाई से नीचे उड़ान भरता है तो न्यूनतम सुरक्षा ऊंचाई चेतावनी (एम.एस.ए.डब्ल्यू.) प्रणाली विमान यातायात नियंत्रकों को राडार चेतावनी उपलब्ध कराती है। विमान यातायात नियंत्रक पायलट को चेतावनी देता है कि वह सुरक्षित ऊंचाई से नीचे उड़ रहा है। न्यूनतम सुरक्षा ऊंचाई चेतावनी प्रणाली मुम्बई तथा दिल्ली के विमान यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) राडारों में पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। भारतीय विमानपत्तर प्राधिकरण अन्य विमानपत्तनों पर एम. एस.ए.डब्ल्यू. प्रणालियां स्थापित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

- **मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस राडारों (एम.एस.एस. आर.) का संस्थापन :** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में अब तक 8 हवाईअड्डों पर एम.एस.एस.आर. संस्थापित किए हैं। अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त एम.एस.एस.आर. विमान यातायात नियंत्रकों को विमान की ऊंचाई संबंधी सूचना भी उपलब्ध कराता है जो उसके लिए उन्नत विमान यातायात प्रबंधन और निगरानी को संभव बनाता है। चूंकि एम.एस.एस.आर. द्वारा एक बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है, इसलिए देश के सार्वधिक व्यस्त हवाईक्षेत्र एम.एस.एस.आर. के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। इससे भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ानों की बेहतर निगरानी संभव हो पाती है।

- **विमान टकराव बचाव प्रणाली का संस्थापन (ए.सी.ए.एस.) :** नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं जिनके अनुसार 30 से अधिक यात्रियों की प्रमाणित अधिकतम सीटिंग क्षमता वाले विमानों या अधिकतम 3 टन से अधिक पेलोड क्षमता वाले विमानों पर विमान टकराव बचाव प्रणाली की संस्थापना अनिवार्य है। भारत में लागू सभी नागरिक विमानों में ए.सी.ए.एस. संस्थापित है और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा बल दिए जाने पर विदेशी प्रचालक भी भारतीय वायुक्षेत्र पर प्रचालन के लिए ए.सी.ए.एस. सुसज्जित विमानों का प्रयोग कर रहे हैं।

- **ट्रांसपॉन्डर की संस्थापना :** ट्रांसपॉन्डर ए.सी.ए.एस.-I लैस विमानों में ट्रांसपॉन्डर (ए. एवं सी. प्रकार के) यातायात एडवाईजरी उपलब्ध कराते हैं तथा ए.सी.ए.एस.-II लैस विमानों में यातायात एडवाईजरी तथा रिजॉल्यूशन एडवाईजरी दोनों उपलब्ध कराते हैं। वायु क्षेत्र निगरानी के लिए मोड एस ट्रांसपॉन्डर एक विश्वसनीय माध्यम है। इससे मोड ए/सी ट्रांसपॉन्डर प्रचालन-जिनसे केवल विमान की ऊंचाई निर्धारित होते हैं– से अधिक डाटालिंग फीचर और इंट्रोगेशन क्षमता को जोड़ते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल राडार वेकन सिस्टम (ए.टी.सी.आर.बी.एस.) के प्रचालन में वृद्धि होती है। मोड एस ट्रांसपॉन्डर ए.सी.ए.एस.-I सुविधा लैस विमानों में यातायात एडवाईजरी उपलब्ध कराता है तथा ए.सी.ए.एस.-II सुविधा लैस विमानों में यातायात तथा रिजॉल्युशनरी एडवाईजरी दोनों उपलब्ध कराता है।

- **ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम :** डी.जी.सी.ए. ने 5700 कि.ग्रा. के वजन उठाने के लिए प्रमाणीकृत या 9 से अधिक यात्रियों को ढोने के लिए अधिकृत तथा इकाओ द्वारा भी अनुशंसित सभी टरबाइन इंजन वाले विमानों में जी.पी.डब्ल्यू.एस. प्रणाली अनिवार्य कर दी है। यह उपकरण विमान को धरती से संभावित खतरा पहुंचाने वाली दूरी के संबंध में स्वचालित तथा समय पर उड़ान कर्मीदल को चेतावनी दे देगा।

- **एफ.डी.टी.एल. की कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण, मेडिकल तथा लाइसेंस वैधता :** सभी एयरलाइनों के लिए उड़ान कर्मीदल के ड्यूटी समय-सीमा, उनके प्रशिक्षण तथा योग्यताएं, मेडिकल तथा लाइसेंस वैधता के रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी वजह से उड़ानों के प्रचालन के पूर्व कर्मीदलों की वैधता के रिकॉर्ड की तत्काल मॉनीटरिंग संभव हो गई है।

- **इकाओ मानकों के अनुपालन के लिए विस्तृत अपेक्षाएं :** अनुबंध-1 (निजी लाइसेंसिंग), अनुबंध -6 (विमान प्रचालन) तथा अनुबंध-8 (विमान उड़नयोग्यता) में उल्लिखित इकाओ के मानकों तथा अनुशंसित कार्यों की समीक्षा की गई है तथा इकाओ मानकों के अनुपालन में प्रचालकों द्वारा अनुपालन किए गए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं।

- **सी.ओ.एस.सी.ए.पी. के अंतर्गत विमानन कार्मिकों का प्रशिक्षण :** कॉपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी एंड कंटिन्यूइंग एयरवरदीनेस (साउथ एशिया)-सी.ओ.एस.सी.ए.पी. (एस.ए.) के अंतर्गत विश्वसनियता मॉनीटरिंग, केबिन संरक्षा, विमानों को किराए पर देना, ई.टी.ओ.पी. खतरनाक सामान, ऑडिट मानकीकरण तथा कार्य, संरक्षा बढ़ावा देने वाले कोर्स, विमानन सुरक्षा, उड़ान प्रचालन, आई.एल.एस. कैट-I तथा III प्रचालन, सिमुलेटर अप्रोवल कोर्स/बोईंग परफार्मेंस प्रशिक्षण, बोईंग संरक्षा प्रशिक्षण, जी.पी.

एस., एविएशन इनफोर्समेंट कोर्स आदि क्षेत्रों में विमानन कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

सुरक्षा चूकें

4246. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) को सूचित की गई सुरक्षा चूकों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक मामले में डी.जी.सी.ए. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या डी.जी.सी.ए. द्वारा इन मामलों में कोई जुर्माना लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) नागर विमानन सुरक्षा की विषय वस्तु नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) के दायरे में नहीं आती। तथापि, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.), जो नागर विमानन प्राधिकरण है, के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी चूकों की उन्तीस (29) घटनाओं की रिपोर्ट की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) 2011 17

(2) 2012 11

(3) 2013 01

(4) ..... 2014 (दिनांक 17.02.2014 तक) शून्य

सुरक्षा संबंधी चूकों के मामले, इनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए, संबंधित एजेंसियों के ध्यान में लाए गए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कपार्ट के अंतर्गत वित्तीय सहायता

4247. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) ने पहली बार आने वाले स्वैच्छिक संगठन पर 5 लाख रु. की ऊपरी सीमा लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सीमाओं को अब बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 3 नवंबर, 1995 के आदेश के अनुसार पहली बार किसी स्वैच्छिक संगठन को स्वीकृत की जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। यह उपाय सावधानीवश किया गया था, क्योंकि पहली बार सहायता पाने वाले स्वैच्छिक संगठन की परियोजना चलाने की क्षमता की जानकारी नहीं होती।

(ग) और (घ) कपार्ट के दिनांक 3 सितंबर, 2002 के परिपत्र के अनुसार क्षेत्रीय समितियों को निर्देश दिया गया था कि वे पहली बार सहायता पाने वाले संगठनों की 5 लाख रुपए से अधिक राशि वाली परियोजनाओं पर समुचित छानबीन करके और ध्यान पूर्वक प्रस्ताव के गुण-दोष आधार पर विचार करें, लेकिन ये प्रस्ताव क्षेत्रीय समितियों की स्वीकृत सीमा के अधीन होने चाहिएं। क्षेत्रीय समितियों की स्वीकृति की सीमा दिनांक 16 दिसंबर, 1997 के परिपत्र द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तथा दिनांक 4 सितंबर, 2000 के परिपत्र द्वारा 10 लाख रुपस से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई थी।

वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

4248. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा लगे हुए वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के परिणामों पर मंत्रालय द्वारा कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु उनके पारिश्रमिक और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय के पास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान में लगे हुए वैज्ञानिकों द्वारा की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन करने के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाविधि है। इसे अनुसंधान/वैज्ञानिक सलाहकार परिषदों और संबंधित संस्थाओं की शासी परिषदों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूरा किया जाता है। प्रकाशित रेफरीड शोध पत्रों, संरक्षित बौद्धिक संपदा, प्राप्त जानकारी/प्रक्रिया/उत्पाद/प्रौद्योगिकी, विकसित मानव संसाधन, सृजित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, आदि जैसी मानदंडों के रूप में इन उपलब्धियां की निगरानी की गई।

(ग) और (घ) मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान संस्थाएं समय-समय पर यथा कार्यान्वित केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान और भत्तों का अनुपालन करती हैं।

राष्ट्रीय ताप संस्थान

4249. श्री के.पी. धनपालन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ताप संस्थान शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान के उद्देश्य और प्रस्तावित कार्य क्या है; और

(ग) यह किस स्थान पर स्थापित किया जाना है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी.आर.पी.एस.ई. की भूमिका

4250. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) द्वारा मामलों की जांच करने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बी.आर.पी.एस.ई. को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) अधिदेश के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) से अपनी सिफारिशें देने की अपेक्षा की जाती है। तदनुसार, बी.आर.पी.एस.ई. ने अपने गठन से लेकर 21.1.2014 तक विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उसे प्रेषित रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के सभी प्रस्तावों पर समय से विचार किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं।

(ग) और (घ) बी.आर.पी.एस.ई. को विघटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे अस्पताल, जबलपुर

4251. श्री राकेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे अस्पताल, जबलपुर में उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अस्पताल में गंभीर रोगों के इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अस्पताल के आधुनिकीकरण एवं इसे आधुनिक सुविधाओं से सज्जित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) जी हां। जबलपुर के सेंट्रल अस्पताल में, सुसज्जित आई.सी.यू. और कैजुएल्टी संबंधी आपातकालीन सुविधाओं सहित ओ.पी.डी. और इनडोर सुविधाएं मौजूद हैं। रेलवे अस्पताल, जबलपुर में दंत चिकित्सा भी की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस अस्पताल में चिकित्सा, सर्जरी, तेगविज्ञान, एनेस्थीसिया, अस्थिविज्ञान, कान, नाक, गला (इ.एन.टी.), प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग और बाल रोग के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। यहां पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसी नैदानिक सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट (एच.वी.एस.) अथवा मामला पर मामला आधार पर परामर्शदाता को बुलाकर सुपर स्पेशियल्टी और विशिष्ट सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जो विशेष सेवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उन्हें मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के जरिए लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। रेलवे अस्पतालों/पेराम्बूर, जगजीवन राम अस्पताल/मुम्बई, टाटा मेमोरियल अस्पताल/मुम्बई, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल अस्पताल/बायखला आदि के माध्यम से रोगियों को तीन स्तरीय उपचार मुहैया कराया जाता है। मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के माध्यम से भी तीन स्तरीय उपचार मुहैया कराया जाता है। लैब जांच और सी.टी./एम.आर.आई. जैसी उन्नत नैदानिक सुविधाएं आउट-सोर्सिंग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) सेंट्रल अस्पताल, जबलपुर को उन्नत सुविधाओं से युक्त और आधुनिक बनाने के लिए अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक चालू किया गया है। कर्मचारियों की उपलब्धता और आधुनिक उपस्करों की खरीद संबंधी कार्रवाई जारी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

4252. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से वर्ष 2013-14 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क चौड़ा करने के प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क चौड़ा करने के कथित प्रस्ताव सरकार द्वारा भी मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन के लिए पी.एम.जी.एस.वाई-II नामक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र कार्य कुशलता को बेहतर बनाया जा सके। पी.एम.जी.एस.वाई-II, पी.एम.जी.एस.वाई-I के तहत निर्मित/उन्नयन की गई सड़कों, पी.एम.जी.एस.वाई-I के तहत अभी तक स्वीकृत न किए गए पात्र थ्रू रूट/लिंक रूट तथा संशोधित जिला ग्रामीण सड़क प्लान (डी.आर.आर.पी.) में मौजूदा चौड़ाई की वाहन-मार्ग की 5.5 मीटर की चौड़ाई तक उन्नयन किए जाने वाले थ्रू रूट/लिंक रूट जिनकी चौड़ाई यातायात वॉल्यूम और ग्रोथ सेंटर पोटेंशियल पर निर्भर है, पर केन्द्रित है। पी.एम.जी.एस.वाई-II कार्यक्रम के तहत 33,030 करोड़ रु. (2012-13 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से कुल 50,000 कि.मी. लंबाई की सड़कों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बीच लागत की हिस्सेदारी मैदानी क्षेत्रों में 75:25 के हिसाब से और विशिष्ट क्षेत्रों में 90:10 के हिसाब से होगी।

पी.एम.जी.एस.वाई-II के तहत वर्ष 2013-14 के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त उन्नयन संबंधी प्रस्ताव तथा दी गई मंजूरी इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य	सड़कों की संख्या	पुल की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	292	19	285.94	1,262.95

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	109	–	1,180.31	677.01
3.	हरियाणा	85	18	1,010.56	939.49
4.	कर्नाटक	315	12	2,246.23	1,044.59
5.	महाराष्ट्र	309	55	2,088.15	1,213.48
6.	उत्तर प्रदेश	252	–	1,913.33	1,134.54

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निगरानी प्रणाली

4253. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों के आबंटन की निगरानी हेतु प्रयुक्त निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ गठित की गई जिला स्तरीय समिति और इसकी भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त समिति ने जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त समितियों में उन्हें दी गई भूमिका क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में उनकी योजनाओं की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली है। निगरानी उपकरणों में ऑन लाइन मासिक प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्राप्ति, राज्य प्रतिनिधियों के साथ तिमाही और मासिक समीक्षा, क्षेत्र अधिकारी योजना और कार्यस्थल पर निरीक्षण के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एन.एल.एम.) तथा राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों (वी.एम.सी.) द्वारा समीक्षा शामिल हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.एस.आई.) आवास साफ्ट शुरू की गई है, जो पब्लिक डोमेन में होने के वजह से न केवल लाभार्थियों सहित शेयरधारकों के लिए बल्कि कुल मिलाकर नागरिकों के लिए भी सुलभ है। मंत्रालय ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार, आई.ए.वाई. सहित मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया है जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय संसद (लोकसभा सदस्य) के सदस्यों को राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों में सदस्य के रूप में नामित करता है, ताकि राज्य स्तर पर खासकर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की जा रही विशाल सार्वजनिक निधियों के संदर्भ में गुणवत्ता व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (लोकसभा) में से किसी एक को जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का अध्यक्ष नामित करता है। इस जिले के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संसद सदस्यों (लोकसभा) को, यदि कोई है, उस समिति का सह-अध्यक्ष बनाया जाता है। एक संसद सदस्य (राज्यसभा) को उस समिति का सह-अध्यक्ष भी नामित किया जाता है।

योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए इन समितियों की आवधिक रूप से बैठकें बुलाई जाती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना

4254. श्री यशवंत लागुरी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा के क्योंझर जिले में दस किलोवाट के एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ओडिशा के क्योंझर जिले में मौजूदा 1 किवा मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 किवा एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाने के लिए 3.13 करोड़ रुपए की लागत पर एक स्कीम को 11वीं योजना की 'नई स्कीम' के अंतर्गत दिनांक 29.04.2010 को अनुमोदित किया गया था जोकि कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) इस एफ.एम. ट्रांसमीटर को मार्च, 2015 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4255. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारण क्षेत्र के किन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश स्वीकृत है और उनमें स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश का प्रतिशत कितना है; और

(ग) प्रसारण क्षेत्र में कुल निवेश में से वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की मौजूदा सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के दिसंबर, 2013 के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस.आई.ए.) न्यूज लेटर के अनुसार, प्रिंट मीडिया सहित सूचना और प्रसारण में जनवरी, 2000 से नवंबर, 2013 के दौरान कुल एफ.डी.आई. आगम 1,75,990.37 मिलियन रुपए है।

विवरण

प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न खंडों में वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमाएं

प्रसारण खंड	मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
1	2
टेलीपोर्ट्स	74% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से 49% से अधिक)
डाइरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.)	74% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से 49% से अधिक)
हेडेंड-इन-द-स्काई (हिट्स)	74% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से 49% से अधिक)
बहु-प्रणाली ऑपरेटर (एम.एस.ओ.)	74% डास लागू करने वाले एम.एस. ओज के लिए (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से 49% से अधिक) 49% अन्य एम.एस.ओज के लिए (स्वचालित मार्ग)
स्थानीय केबल ऑपरेटर (एल.सी.ओ.)	49% (स्वचालित मार्ग)
मोबाइल टीवी	74% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से 49% से अधिक)
एफ.एम. रेडियो	26% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से)
टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग	100% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से)
समाचार और समसामयिकी चैनलों की अपलिंकिंग	26% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से)
गैर-समाचार और समसामयिकी चैनलों की अपलिंकिंग	100% (एफ.आई.पी.बी. मार्ग के माध्यम से)

[हिन्दी]

मध्य रेलवे द्वारा भर्ती

4256. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2007 के दौरान समूह-घ वर्ग के अधीन पदों के लिए आयोजित की गयी सभी विहित परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण है;

(घ) रेलवे द्वारा सभी पात्र/उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

4257. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है एवं इससे लाभान्वित लोगों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत राशि के प्रयोग हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर पिछड़े एवं अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में निधियों का खर्च किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. द्वारा किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर नजर रखने हेतु कोई सामाजिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं इसके क्या परिणाम रहे?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक कंपनी, जिसका नेतृत्व मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक का होगा, अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक हजार करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का कारोबार होगा अथवा पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक का निवल लाभ होगा, वह बोर्ड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगी जो अधिनियम की अनुसूची-7 में यथा विनिर्दिष्ट, कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों के बारे में बताएगी। प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वह ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत व्यय करे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देगी जहां यह प्रचालन में है जिसमें पिछड़े तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) से (ङ) आंतरिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त, प्रचालन केन्द्रों द्वारा समय-समय पर, मूल्यांकन अवधि के दौरान किए गए कार्यकलापों को शामिल करते हुए व्यापक ढंग से, प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ई.) अध्ययन कराए जाते हैं।

इन एस.आई.ई. अध्ययनों से पता चला है कि कार्यकलापों का सामुदायिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अनुवर्ती अवधि में सी.एस.आर. कार्यकलापों की योजना बनाते समय और अधिक सुधार करने के लिए इन अध्ययनों की सिफारिशों पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है।

विवरण

एन.टी.पी.सी. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत किए गए कार्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए)	स्थान	शुरू किए गए कार्यकलाप एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	2010-11	72.21	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि	कार्यकलाप शिक्षा, सामुदायिक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, सफाई, जल, सड़कों, अन्य अवसंरचना सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, कौशल विकास/ व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, विकलांग व्यक्तियों को सहायता, ग्रामीण खेल एवं संस्कृति, प्रकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता इत्यादि के क्षेत्रों में किए गए हैं। इन कार्यकलापों से काफी लोगों को दीर्घकालीन आधार पर लाभ पहुंचता है।
2.	2011-12	49.44		
3.	2012-13	69.24		
4.	2013-14	59.25 (31.01.2014 तक गैर लेखा-परीक्षित आंकड़े)		

जल विद्युत उत्पादन

4258. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की बड़ी नदियों से जल विद्युत उत्पादित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों के कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है या चिन्हित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एन.एच.पी. सी.) को इन स्थानों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी नई जल विद्युत परियोजनाओं से कितनी मात्रा में विद्युत उत्पन्न किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराय सिंधिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और इसके आस-पास कोई भी जल विद्युत परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की अधिशेष नकदी

4259. श्री एम. आनंदन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् ने राज्यों द्वारा चलाई जा रही फर्मों के नकद अधिशेष को अवसंरचना विकास हेतु प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् (एन.एम.सी.सी.) ने पर्याप्त नकद उपलब्धता वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.यूज.) के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधि का निवेश करके अवसंरचना विकास हेतु सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) सरकार ने शेष नकद, रिजर्व निधि, लाभांश भुगतान और कैपेक्स प्रगति के संदर्भ में चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है।

चेन्नई विमानपत्तन

4260. श्री एस. सेम्मलई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विस्तारित चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तन को पूरी तरह से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं और इसकी समय-सीमा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का है और यह पूरी तरह से चालू नहीं है। नए घरेलू टर्मिनल से प्रचालन, अप्रैल, 2013 में शुरू हो गए और नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान सितंबर, 2013 से शुरू हो गए। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय आगमनों की हैंडलिंग अभी भी पुराने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन से की जा रही है क्योंकि एक्सरे बैगेज स्क्रीनिंग मशीनों जैसे आवश्यक उपस्कर और कुछ सरकारी विभागों के कार्मिकों को नए टर्मिनल में लगाया जाना है।

(ग) मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण

4261. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के ठीक से कार्य न करने के कारण देश में विद्युत की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को सौंपे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी सभी विद्युत परियोजनाओं को अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराय सिंधिया): (क) और (ख) उन संयंत्रों, के नाम और ब्यौरे, जो पिछले एक वर्ष के दौरान अपनी क्षमता (ताप) से कम उत्पादन कर रहे हैं, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और वे जल विद्युत परियोजनाएं जो अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही है, की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

के.जी.डी. 6 बेसिन से गैस उपलब्ध न होने के कारण तरल ईंधन और आर.एल.एन.जी./तरल ईंधन/डीजल पर आधारित संयंत्रों की उच्च उत्पादन लागत के कारण गैस और तरल ईंधन आधारित संयंत्रों का उत्पादन भी वर्ष 2013-14 (अप्रैल 2013-जनवरी 2014) के दौरान अनुपलब्धता के कारण कम था। अप्रैल 2013-जनवरी 2014 के दौरान गैस आधारित स्टेशनों का प्रतिशत संचयी संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) 24.58% था।

तथापि, चालू वर्ष (अप्रैल 2013-जनवरी 2014) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र से सकल उत्पादन में 1.11% की वृद्धि दशाई गई है। व्यस्ततम और ऊर्जा के संबंध में चालू वर्ष के दौरान 9% और 8.8% से क्रमश: 4.2% और 4.3% विद्युत की कमी आई है।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार उत्पादन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है इसलिए गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार का ऐसा अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

विवरण-I

अप्रैल से जनवरी 2014 के दौरान राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. 65.18 प्रतिशत से नीचे के कोयला और लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए कम पी.एल.एफ. के कारण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	31.01.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-जनवरी, 2014)*	पी.एल.एफ. (अप्रैल-जनवरी, 2014)	अप्रैल से जनवरी 2014 के दौरान राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. 65.18 से निम्न कोयला और लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए कम पी.एल.एफ. के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	राजघाट टी.पी.एस.	135	353.69	35.67	विविध फोर्स आउटेज
2.	इंदिरा गांधी एस.टी.पी.पी.	1500	4602.8	42.4	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
3.	पानीपत टी.पी.एस.	1360	4870.23	48.76	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
4.	राजीव गांधी टी.पी.एस.	1200	4138.09	46.96	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
5.	यमुना नगर टी.पी.एस.	600	2824.71	64.1	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
6.	जी.एन.डी. टी.पी.एस. (भटिंडा)	440	1509.25	46.71	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
7.	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	1161.47	63.26	टबों वाइजरी प्रणाली समस्या और विविध लीकेज
8.	छाबरा टी.पी.पी.	750	2430.7	63.99	मिलिंग सिस्टम/आर.एस. फीडर समस्या

1	2	3	4	5	6
9.	गिराल टी.पी.एस.	250	315.25	17.17	टरबाइन विविध समस्याएं
10.	हरदुआगंज टी.पी.एस.	665	2646.74	57.28	विविध आउटेज/यूनिट 7 का आर एण्ड एम
11.	ओबरा टी.पी.एस.	1278	3352.32	35.75	टरबाइन विविध समस्या/विविध आउटेज/यूनिट 10, 11 का आर एण्ड एम
12.	पनकी टी.पी.एस.	210	630.94	40.91	टरबाइन बियरिंग समस्या/पुरानी यूनिटें
13.	डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	500	1965.95	53.54	विविध अनुरक्षण
14.	कोरबा-II	200	883.03	60.12	यूनिट 1 में विविध ट्यूब लीकेज
15.	कोरबा-III	240	924.77	52.47	विस्तारित अनुरक्षण/विभिन्न ट्यूब लीकेज
16.	गांधी नगर टी.पी.एस.	870	1642.07	25.7	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
17.	सिक्का रिप टी.पी.एस.	240	528.96	30.01	अनुरक्षण पूंजी का विस्तार/आर.एस.डी.
18.	उकई टी.पी.एस.	1350	4044.32	44.79	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
19.	वानकबोरी टी.पी.एस.	1470	4178.07	38.7	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
20.	एक्रीमोटा लिग टी.पी.एस.	250	750.31	40.87	बॉयर ट्यूब लीकेज/फ्लेम की असफलता
21.	सतपुरा टी.पी.एस.	1580	4237.21	46.19	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
22.	श्री सिंगाजी टी.पी.पी.	600	23.1	0	नई यूनिट
23.	मौदा टी.पी.एस.	1000	473.43	12.89	अस्थायी यूनिट
24.	भुसावल टी.पी.एस.	1420	4306.33	50.79	विविध अनुरक्षण
25.	पार्ली टी.पी.एस.	1130	2512.28	30.27	कच्चा जल समस्या
26.	चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2340	8858.3	51.55	विविध फोर्स आउटेज/अनुरक्षण विस्तारित/आर.एस.डी.
27.	खापरखेड़ा टी.पी.एस.	1340	5686.47	57.78	विविध फोर्स आउटेज
28.	कोराडी टी.पी.एस.	1040	2027.91	26.55	पूंजी अनुरक्षण/पुरानी यूनिटें

1	2	3	4	5	6
29.	रायचूर टी.पी.एस.	1720	7747.66	61.34	जी.टी/ई.एस.पी. समसस्या/आर.एस.डी.
30.	वल्लूर टी.पी.पी.	1000	2995.63	52.38	विविध फोर्स आउटेज
31.	नवैली टी.पी.एस.-II एक्सपें.	250	0	0	बॉयलर का संशोधन
32.	एन्नोर टी.पी.एस.	450	1032.77	31.25	विविध फोर्स आउटेज
33.	मुजफ्फरपुर टी.पी.एस.	220	213.75	13.23	आर एण्ड एम
34.	बाढ़-II	660	0	0	नई यूनिट
35.	बरौनी टी.पी.एस.	210	0	0	आर एण्ड एम
36.	चंद्रपुर (डी.वी.सी.) टी.पी.एस.	890	4087.3	62.53	कोयला आपूर्ति/फीडिंग समस्या
37.	बोकारो 'बी' टी.पी.एस.	630	1532.44	33.12	पुरानी यूनिटें
38.	दुर्गापुर टी.पी.एस.	340	1597.84	63.99	विभिन्न ट्यूब लीकेज/एस.टी./एल.टी. आपूर्ति समस्या
39.	मेजिया टी.पी.एस.	2340	11099.18	64.59	टर्बो उत्पादन में आग/आर.एस.डी./गैर किफायती समस्या
40.	कोडरमा टी.पी.पी.	1000	1636.14	52.93	एच.टी./एल.टी. आपूर्ति समस्या/ई.एस.पी. समस्या
41.	दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	1000	3572.97	48.45	स्टैंड वाई यूनिट/विभिन्न आउटेज
42.	पतरातु टी.पी.एस.	770	645.01	11.41	विविध फोर्स आउटेज/पुरानी यूनिटें
43.	टेनुघाट टी.पी.एस.	420	1758.62	57.02	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
44.	डी.पी.एल. टी.पी.एस.	630	1386.88	29.98	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन/कोयला फीडिंग समस्या
45.	बांडेल टी.पी.एस.	450	1252.18	37.89	आर.एस.डी./विविध अनुरक्षण
46.	कोलाघाट टी.पी.एस.	1260	5183.96	56.02	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
47.	सागरडिघी टी.पी.एस.	600	2792.21	63.39	मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के कारण रिजर्व शटडाउन
48.	संतालडीह टी.पी.एस.	980	2447.19	34	आर.एस.डी./टरबाइन का उच्च कंपन

विवरण-II

जल विद्युत परियोजनाएं जो अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही हैं

स्टेशनों के नाम	बंदी के कारण
1	2
एन.एच.पी.सी.	
धौलीगंगा* (280 मेगावाट)	• 70 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I से IV 16.06.2013 से अभूतपूर्व भारी बाढ़ के कारण बैराज को अत्यधिक क्षति पहुंचने की वजह से बंद रहीं।
तीस्ता लो डैम III (132 मेगावाट)	• 33 मेगावाट की यूनिट II 05.05.2013 से शॉफ्ट सील से अत्यधिक रिसाव के कारण बंद रही। • 33 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट, I, III एवं IV 04.07.2013 से 01.08.2013 तक टरबाइन शॉफ्ट सील में रिसाव/के टूटने के कारण बंद रहीं और पुन: 02.08.2013 से 31.08.2013 तक दुर्घटना/हड़ताल/अन्य कारणों से बंद रहीं।
चूटक (44 मेगावाट)	• 11 मेगावाट की यूनिट III 01.05.2013 से 09.09.2013 तक टी.जी.बी. हाउसिंग में वाइब्रेशन के कारण बंद रही।
पंजाब	
शानन (110 मेगावाट)	• 50 मेगावाट की यूनिट संख्या V 18.07.2013 से 24.10.2013 तक रनर की मरम्मत/बदलने के कारण बंद रही।
जे.पी.वी.एल.	
विष्णु प्रयाग* (400 मेगावाट)	• 100 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I, II, III एवं IV 16.06.2013 से अलकनंदा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण बैराज के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद रहीं।
यू.जे.वी.एन.एल.	
मनेरी भाली I (90 मेगावाट)	• 30 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट I, II एवं III 16.06.2013 से 03.08.2013 तक इंटेक में अत्यधिक गाद एवं बाढ़ के कारण बंद रहीं।
मनेरी भाली II (304 मेगावाट)	• 30 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट, I, II एवं III 16.06.2013 से 12.07.2013 तक इंटेक में अत्यधिक गाद एवं बाढ़ के कारण बंद रहीं।
खटीमा (41.40 मेगावाट)	• 13.80 मेगावाट की यूनिट I 31.07.2012 से मेन एक्साइटेशन समस्या के कारण बंद रही।
कर्नाटक	
भद्रा (39.20 मेगावाट)	• 12 मेगावाट की यूनिट III 01.06.2011 से नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यों के कारण बंद रही।

1	2
	• 12 मेगावाट की यूनिट IV 01.05.2011 से नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यों के कारण बंद रही।
महात्मा गांधी जोग (139.20 मेगावाट)	• 13.20 मेगावाट की यूनिट II 26.01.2012 से जेनरेटर ट्रांसफार्मर की समस्या के कारण बंद रही।
	• 21.60 मेगावाट की यूनिट VI 11.07.2013 से जेनरेटर बियरिंग की समस्या के कारण बंद रही।
	• 21.60 मेगावाट की यूनिट VII 11.07.2013 से जेनरेटर ट्रांसफार्मर की समस्या के कारण बंद रही।
काली नदी (855 मेगावाट)	• 150 मेगावाट की यूनिट IV 03.06.2013 से कूलिंग वाटर सिस्टम की समस्या के कारण बंद रही।
केरल	
साबरीगिरी (300 मेगावाट)	• 16.05.2008 को यूनिट IV में शीर्ष पर विस्फोट हुआ, जिसके कारण लगी तेज आग से पूरी यूनिट को नुकसान हुआ। यूनिट IV के पुन: निर्माण का कार्य 16.11.2009 को अवार्ड किया गया।
तमिलनाडु	
शोलायर I एवं II (95 मेगावाट)	• 35 मेगावाट की यूनिट II 30.11.2013 से ट्रांसफार्मर कूलिंग वाटर पम्प की विफलता के कारण बंद रही।
पश्चिम बंगाल	
जलढाका रटे.-I (27 मेगावाट)	• 9 मेगावाट की यूनिट I 30.07.2013 से 01.09.2013 तक जेनरेटर की कम वोल्टता/कम फ्रीक्वेंसी के कारण बंद रही।
	• 9 मेगावाट प्रत्येक की यूनिट II एवं III क्रमश: 30.07.2013 और 31.07.2013 से 01.09.2013 तक भारी वर्षा/नदी में बाढ़ के कारण बंद रही।
डीवीसी	
पंचेट (80 मेगावाट)	• 40 मेगावाट की यूनिट संख्या I जुलाई, 2013 से सितंबर, 2013 तक जेनरेटर स्टेटर अर्थ की खराबी के कारण बंद रही।
नीपको	
खांडोंग (50 मेगावाट)	• 25 मेगावाट की यूनिट II 27.04.2013 से 28.05.2013 तक ड्रॉफ्ट ट्यूब के मरम्मत अनुरक्षण के कारण बंद रही।

[अनुवाद]

महिला वैज्ञानिक योजना

4262. श्री ए.वे.एस. विजयन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों में कार्यरत महिला वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या परिणाम रहे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) उपलब्ध नवीनतम सरकारी आंकड़ों (01.04.2010) के अनुसार, देश में कुल कार्यरत 27532 महिला अनुसंधान और विकास मानवशक्ति में से 13660 महिला वैज्ञानिक सरकार के विविध अनुसंधान संस्थानों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/अभिक्रमों में कार्य कर रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु 2002 में "महिला वैज्ञानिक योजना" (डब्ल्यू.ओ.एस.) की शुरुआत की थी जिसे अब नया रूप दिया गया है तथा "दिशा" के नाम से जाना जाता है। यह नौकरी के प्रति आकर्षण, सुनिश्चित अवसर, नौकरी छोड़ने के बाद पुन: वापसी, कैरिअर के मध्य में संभावित परिवर्तनों तथा नेतृत्व निर्माण में भूमिका को बनाए रखने तथा उसे गतिशीलता प्रदान करने की चुनौती और उसका सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। इसकी शुरुआत से अभी तक विभिन्न शोध संस्थानों में प्रोजेक्ट मोड में 2680 महिला वैज्ञानिकों को सहायता दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु संस्थागत क्षमताओं की वृद्धि के लिए एक कार्यक्रम सी.यू.आर.आई.ई. (महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन) को भी कार्यान्वित कर रहा है और उद्यमिता को शिक्षा और अनुसंधान से भी जोड़ रहा है। सी.यू.आर.आई.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत 2009 से अभी तक 3 वर्षों के लिए 6 महिला विश्वविद्यालयों नामत:, (i) बनस्थली महिला विश्वविद्यालय, बनस्थली, (ii) अविनाशिलिंगम महिला विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, (iii) एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई, (iv) श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति, (v) कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर और (vi) मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल को सहायता प्रदान की गई। इन विश्वविद्यालयों के शोध निष्कर्ष की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए सी.यू. आर.आई.ई. के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने 2010 में बायो-केयर (महिला वैज्ञानिकों के लिए जैव प्रौद्योगिकी कैरिअर उन्नति और पुनर्अभिमुखीकरण कार्यक्रम) को भी प्रारंभ किया। अभी तक 122 महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई है।

केरल में परियोजनाएं

4263. श्री एम.बी. राजेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ग्रामीण परियोजनाओं सहित चल रही रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) इनके लिए आवंटित/इन पर खर्च की गई राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) केरल राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाले चालू परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2013 तक व्यय	2013-14 में परिव्यय	स्थिति और पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां-कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	तिरुनावाया-गुरुवायुर (35 कि.मी.)	1995-96	137.71	17.21	2	इस नई लाइन के लिए निर्धारित किए जा रहे संरेखण का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। जनता के विरोध के कारण अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रोक दिया गया है।
2.	अंगमाली-सबरीमाला (116 कि.मी.)	1997-98	1565.99	93.83	10	अंगमाली-कलाडी (7 कि.मी.) पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। शेष खंड के लिए अपेक्षित भूमि सौंपी नहीं गई है।
आमान परिवर्तन						
1.	क्यूलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेन्दुर और तेनकासी-विरुदु नगर (357 कि.मी.)	1997-98	1029.92	794.31	20	इस परियोजना के 308 कि.मी. को यातायात के लिए पहले ही खोल दिया है। शेष खंड (49 कि.मी.) मार्च, 2015 तक पूरा करने की योजना है, जहां सेनगोटाई-भगवतीपुरम् (7 कि.मी.) पूरा कर लिय गया है, पुलानुर-एदामान (9 कि.मी.) के 31.03.2014 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	दिंडीगुल-पोल्लाची-पालघाट और पोल्लाची-कोयम्बतूर (224.88 कि.मी.)	2006-07	914.98	604.25	100	181 कि.मी. खंड पर कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष खंड आगामी वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
दोहरीकरण						
1.	मुलांतुरुती-कुरुप्पांतारा (24 कि.मी.)	2005-06	185.77	109.55	25	31.03.2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य।
2.	कुरुप्पांतारा-चिंगावनम (26.54 कि.मी.)	2007-08	346.15	13.29	5	राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि नहीं सौंपी है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	चिंगानूर-चिंगावनम (26.5 कि.मी.)	2006-07	222.95	89.01	30	जिन खंडों पर भूमि उपलब्ध है वहां मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय जनता के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।
4.	अंबालापुझा-हरिपद (18.13 कि.मी.)	2007-08	125.25	22.35	5	जिन खंडों पर भूमि उपलब्ध है वहां मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय जनता के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।
5.	एर्णाकुलम-कुंबलम (7.71 कि.मी.)	2011-12	71.32	1.68	1	भूमि आवश्यकता संबंधी मांग राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।
6.	कुंबलम-तुरावुर (15.59 कि.मी.)	2011-12	135.69	1.48	5	भूमि आवश्यकता संबंधी मांग राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य साधारणतया परियोजनाओं की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

भूमि अधिग्रहण, मृदा खनन के लिए अनुमति और परियोजना के निष्पादन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी मुद्दों के निराकरण के लिए संबंधित मंत्रालयों और केरल राज्य के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

केरल राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाले नई लाइन और दोहरीकरण प्रस्तावों के लिए जारी सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	सर्वेक्षण	स्थिति
नई लाइन		
1.	इदापल्ली-गुरुवायुर (77 कि.मी.)	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
2.	अंगदिपुरम-ओट्टापलम (121 कि.मी.)	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
3.	पनातुर-कन्नियुरु (31 कि.मी.)	वन-विभाग, कर्नाटक सरकार से वन क्षेत्र में सर्वेक्षण करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।
दोहरीकरण		
1.	एर्नाकुलम-शोरावण्णूर चौथी लाइन (84 कि.मी.)	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
2.	पोद्दानुर-पालघाट तीसरी लाइन (44 कि.मी.)	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
3.	शोरावण्णूर-मंगलौर तीसरी लाइन (327 कि.मी.)	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

इन सर्वेक्षणों के 2014-15 के दौरान पूरे कर लिए जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

समुद्र कटाव रोधी कार्य

4264. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य सरकार से समुद्र कटाव रोधी कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) केरल सरकार द्वारा अब तक शुरू किये गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार द्वारा 750.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "केरल तटीय क्षेत्र में समुद्री कटाव से निपटने के लिए ग्रोईन की शृंखला के निर्माण" नामक योजना का प्रस्ताव अप्रैल, 2012 में केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में प्राप्त हुआ था। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा परियोजना की रिपोर्ट की जांच की गई तथा तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के संबंध में सलाह आवश्यक आशोधनों के लिए केरल राज्य सरकार को मई, 2012 में भेज दी गई थी।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) भाग (क) एवं (ख) के अंतर्गत दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई लाइन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण

4265. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घनौली-देहरादून बरास्ता जगाधरी, सूरजपुर, बद्दी, नालागाह, काला अम्ब और पौन्टा साहिब नई लाइन परियोजनाओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) घनौली और देहरादून (जगाधरी, सूरजपुर, बद्दी, नालागढ़, काला अम्ब और पौंटा साहिब के रास्ते) के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 216 कि.मी. लम्बी इस नई लाइन के निर्माण की लागत (-) 0.40% प्रतिफल की दर सहित 3745.62 करोड़ रु. आंकी गई है। योजना आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण इस परियोजना के प्रस्ताव के संबंध में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें

4266. श्री मानिक टैगोरः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) को गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु के किसी अल्पसंख्यक संगठन और एसोसिएशन से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास लंबित शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों का कब तक निवारण किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.

एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा संगठन/एसोसिएशन के आधार पर शिकायतों का रिकॉर्ड अलग से नहीं रखा जाता। तथापि, उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (14 फरवरी, 2014 तक) तमिलनाडु से 222 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और एन.सी.एम. अधिनियम, 1992 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनकी जांच की गई है। इनमें से, 100 शिकायतें बंद कर दी गई, 75 शिकायतें संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित तथा बंद कर दी गई है। 24 मामलों में रिपोर्ट मांगी गई है तथा शेष 23 शिकायतें प्रक्रियाधीन है। शिकायतों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है–

वर्ष	बंद की गई	अग्रेषित तथा बंद	रिपोर्ट मांगी गई	प्रक्रिया-धीन	कुल
2010-11	37	36	15	0	88
2011-12	32	15	3	6	56
2012-13	24	12	4	5	45
2013-14 (1 फरवरी)	7	12	2	12	33
	100	75	24	23	222

प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। आयोग स्वयं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक शिकायत का गुणावगुण पर जांच करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग समस्याओं का समाधान नहीं करता है अपितु प्रक्रिया अनुसार केवल शिकायतों का निपटान करता है और समुचित प्राधिकारियों से सिफारिश करता है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों द्वारा या तो स्वीकार या अस्वीकार की जाती है। स्वीकार या अस्वीकार के कारण सदन अथवा विधानसभा में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में रखा जाता है।

कर्नाटक में सिंचाई

4267. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से छोटी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावों की जांच के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल निकायों के पुनर्जीवन (2000 हे. तक सी.सी.ए.) सहित सभी (एम.आई.) स्कीमों को सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार, जांच वित्तपोषित और कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार, लघु सिंचाई परियोजनाओं/जल निकायों के पुनर्जीवन का अनुमोदन नहीं करती है। तथापि, भारत सरकार स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। भारत सरकार अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार कर्नाटक जैसे गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)/आर.आर.आर. के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन/जल निकायों के पुनर्जीवन हेतु वित्तीय सहायता भी मुहैया कराती है। जल संसाधन मंत्रालय भी आर.आर.आर. के तहत जल निकायों के पुनर्जीवन हेतु राज्यों को निधि उपलब्ध कराता है। अब तक ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल किए गए, पूर्ण की गई सतही एम.आई. स्कीमों और कर्नाटक को जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा अब तक आर.आर.आर. के तहत शामिल किए गए, पूर्ण किए गए जल निकायों और कर्नाटक को जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

ए.आई.बी.पी. के तहत कर्नाटक की एम.आई. स्कीमों की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	शामिल की गई एम.आई. स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	नियोजित क्षमता ('000 हे. में)	पूर्ण की गई एम.आई. स्कीमों की संख्या	सृजित क्षमता ('000 हे. में)	जारी अनुदान
1.	621	818.6112	62.769	361	32.020	397.0116

विवरण-II

आर.आर.आर. के तहत कर्नाटक के जल निकायों की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	शामिल की गई एम.आई. स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	नियोजित क्षमता (000 हे. में)	पूर्ण की गई एम.आई. स्कीमों की संख्या	जारी अनुदान
1.	427	232.77	81.8219	423	199.02

पावर ट्रेडिंग

4268. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या देश को राष्ट्रीय ग्रिड प्राप्त होने से देश में पावर ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) 31 दिसम्बर, 2013 को, दक्षिणी क्षेत्र को 765 के.वी. रायचुर-सोलापुर पारेषण लाइन को चालू करने के साथ उत्तरी, पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी (नई) ग्रिड को सिंक्रोनस मोड में जोड़ा गया था उसके कारण "एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी" प्राप्त की गई। सभी क्षेत्रीय ग्रिडों के सिंक्रोनाइजेशन से संसाधन केन्द्रिक क्षेत्रों से भार केन्द्रिक क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण द्वारा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के इटष्तम उपयोग में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इससे देश के सभी क्षेत्रों में अधिक पावर ट्रेडिंग को विद्युत बाजार में अधिक सशक्त बनाने में भी सुविधा होगी।

[हिन्दी]

आगरा में रेलवे स्टेशन

4269. प्रो. रामशंकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि आगरा-सिटी स्टेशन जीर्ण-शीर्ण दशा में है और यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार आगरा फोर्ट से आगरा केंट स्टेशनों के बीच में वहां से कूड़ा हटाने के बाद रेलवे ट्रैक के साथ-साथ पौध रोपण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा उक्त खंड से कूड़ा हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार आगरा-सिटी स्टेशन पर और अधिक ट्रेनों को ठहराव प्रदान करने का हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) आगरा सिटी रेलवे स्टेशन की हालत अच्छी है। बहरहाल, अवसंरचना की मरम्मत और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक होता है इस संबंध में निर्माण कार्य किए जाते हैं।

(ख) पौधे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पौधों के बड़े होने के बाद रेलपथ के साथ-साथ स्थान की अपर्याप्तता से रेलों के आवागमन में बाधा पहुंचेगी। रेलपथ पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कूड़ा-करकट फेंका जाता है जिसके लिए रेलपथ पर कूड़ा-करकट फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है।

(ग) कूड़ा-करकट हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रेलवे लाइनों के आसपास रेलवे भूमि को साफ-सुथरा रखा जा सके।

(घ) और (ङ) आगरा सिटी स्टेशन पर इस समय दो जोड़ी यात्री गाड़ियां ठहरती है जो यात्रियों की आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा करती हैं। आगरा सिटी स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है। आगरा सिटी स्टेशन के यात्री आगरा कैंट (6 कि.मी. दूर) से अन्य गाड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डायल)

4270. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डायल) द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अब तक की गई कुल कमाई और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड द्वारा विमानपत्तन के अधिग्रहण के बाद सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड को भूमि का हस्तांतरण बिना किसी वास्तविक सर्वेक्षण के किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सी.ए.जी. लेखा परीक्षा सहित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड की भूमि के संबंध में कोई जांच शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) नई दिल्ली के आई.जी.आई. हवाईअड्डे को अधिकार में लेने के बाद से मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) की वित्त वर्ष 2012-13 तक कमाई 9716.84 करोड़ रुपए बनती है, जिसमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का हिस्सा 4468.77 करोड़ रुपए है।

(ख) मैसर्स डायल को भूमि, पट्टा विलेख (लीज डीड) के मुताबिक मुहैया कराई गई थी। डायल को भूमि के हस्तांतरण से पहले भूमि का अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग), वर्ष 2012-13 की अपनी रिपोर्ट संख्या 5 द्वारा, पहले ही आई.जी.आई.ए., दिल्ली में सार्वजनिक निजी भागीदारी के कार्यान्वयन पर निष्पादन ऑडिट कर चुका है, जिसमें भूमि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

किराए के भवन में दूरदर्शन का कार्यकरण

4271. श्री एंटो एंटोनी: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में किराये के भवनों में चलाए जा रहे दूरदर्शन के कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को किसी व्यक्ति/फर्मों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उनके परिसरों को खाली करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जाएं जिन्हें केरल में दूरदर्शन द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) प्रसार भारती (दूरदर्शन महानिदेशालय) ने सूचित किया है कि केरल में दूरदर्शन के 20 कार्यालय किराए-पर लिए गए भवनों में कार्यशाली हैं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती के अनुसार, किराए-पर भवनों को निम्नलिखित नियमों व प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है। दूरदर्शन को केरल में किराए-पर लिए गए परिसरों में स्थित उसके कार्यालयों को खाली करने के लिए 4 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. अदूर - अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.) अदूर नगरपालिका के स्वामित्व वाले भवन में कार्यशील है। नगरपालिका-प्राधिकरण ने दूरदर्शन को मार्च, 2015 तक भवन खाली करने के लिए कहा है। एल.पी.टी., अदूर को किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने संबंधी मामला जांचाधीन है।

2. कोट्टारक्करा - एल.पी.टी. किराए-पर लिए गए एक निजी भवन में कार्यशील है। इस भवन के मालिक ने भवन को खाली करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। दूरदर्शन ने उपयुक्त सरकारी स्थल मुहैया कराने के लिए जिलाशीश से अनुरोध किया है। जिला प्राधि कारियों से उत्तर प्रतीक्षित है।

3. पाला - एल.पी.टी. पाला नगरपालिका के स्वामित्व वाले एक भवन में कार्यशील है। नगरपालिका-प्राधिकरण ने दूरदर्शन को यह भवन खाली करने के लिए कहा है। एल.पी.टी. को स्थानांतरित करने के लिए, पाला नगरपालिका से पाला में एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थल मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। पाला नगरपालिका से उत्तर प्रतीक्षित है।

4. एराट्टुपेट्टा - अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (वी.एल.पी. टी.) एक निजी भवन में कार्यशील है। इस भवन के मालिक ने बहुत अधिक किराए की मांग की थी जिसे दूरदर्शन ने स्वीकार नहीं किया था। इस भवन के मालिक ने भवन को खाली कराने के लिए न्यायालय में एक मुकदमा दायर कराया है। यह मामला न्यायाधीन है।

हेलीकॉप्टर हेतु वायु मार्ग कॉरिडोर

4272. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शहरों में वायु मार्ग कॉरिडोर में हेलीकॉप्टरों को उड़ने की अनुमति देने की नीति पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में एक पृथक हेलीपोर्ट प्राधिकरण स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल से हेलीकॉप्टर पर्यटन से कौन-कौन से इच्छित लाभ प्राप्त होंगे।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) दिल्ली, मुंबई, बंगलौर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर कॉरीडोर पहले से ही मौजूद हैं। ये नामित हेलीकॉप्टर मार्ग/कॉरीडोर भारत के इलेक्ट्रॉनिक वैमानिक सूचना प्रकाशन (ई-ए.आई.पी.) में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.जी.आर.आई. द्वारा अध्ययन

4273. श्री नरेनभाई काछादिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अग्रणी राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.) के उस अध्ययन से अवगत है जिसमें यह बताया गया है कि हैदराबाद, दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई सहित देश के कई अन्य उत्तरवर्ती शहरों में भूमिगत जल के स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में हेलीबार्न विद्युत चुम्बकीय तकनीक का उपयोग करके नये जलस्रोतों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.), हैदराबाद ने सूचित किया है कि उनके एक वैज्ञानिक ने टाईम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता को एक साक्षात्कार में बताया था कि "हैदराबाद में भूमि जल स्तर तेजी से गिर रहा है तथा लगभग यही स्थिति नई दिल्ली, मुम्बई जैसे बहुत से बड़े शहरों में भी है।" जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, देश भर में स्थित प्रेक्षण कुंओं के नेटवर्क के जरिए वर्ष में चार बार क्षेत्रीय आधार पर भूमि जल स्तर की निगरानी करता है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, मुम्बई और चेन्नई में भूमि जल स्तर में गिरावट देखी गई है। गिरावट की प्रवृत्ति, हैदराबाद में प्रति वर्ष 0.14 से 0.77 मीटर, दिल्ली में प्रति वर्ष 0.01 से 2.0 मीटर से अधिक और अहमदाबाद में प्रति वर्ष 0.015 से 3.9 मीटर देखी गई थी।

(ख) केन्द्र सरकार, जल संसाधनों के स्थायी विकास, संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन के लिए देश में विभिन्न जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देती है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) देश में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन; जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार जैसी स्कीमों के तहत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना।

(ii) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना तैयार की है।

(iii) राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधनों का संरक्षण है।

(iv) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल के विनियमन, विकास और संरक्षण हेतु भूमि जल विधान अधिनियमित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक परिचालित किया जाना।

(v) पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने देश में 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जहां पीने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि जल निकासी प्रतिबंधित है।

(vi) सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा 'अति दोहित प्रखंडों' वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सलाह जारी करना।

(vii) भूमि जल प्रबंधन और विनियमन की केन्द्रीय स्कीम, XIIवीं योजना के दौरान कार्यान्वित हो रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पंचायती राज संस्थाओं; स्थानीय समुदायों; गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों को भूमि जल के सहभागी प्रबंधन में शामिल करने की योजना है, ताकि देश में भूमि जल संसाधनों का स्थायी विकास आदि सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के दौरान, सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने महाराष्ट्र (नागपुर जिले का हिस्सा), राजस्थान (दौसा और जैसलमेर जिलों के हिस्से), बिहार (पटना जिले के हिस्से), कर्नाटक (टुमकुर जिले का हिस्सा) और तमिलनाडु (कुड्डालौर जिले का हिस्सा) राज्यों में छह स्थानों पर जलभृत्त मानचित्रण के संबंध में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है जिसमें विभिन्न जल-भूविज्ञानीय क्षेत्र में जलभृत्तों के मानचित्रण में प्रौद्योगिकियों की दक्षता के परीक्षण हेतु हेलीबोर्न ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोंमैग्नेटिक

तकनीक सहित उन्न भू-भौतिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

निधियों की कमी

4274. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी (ए.आई.आर.) में स्थानीय कलाकारों को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु धन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में रेडियो स्टेशनों की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) इन कार्यकलापों का वित्तपोषण प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) से किया जाता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी ने राजस्व बढ़ाने के सारे प्रयास किए हैं ताकि कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए आई.ई.बी.आर. में अधिक निधि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

अग्नि शामक

4275. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे और उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत सुरक्षा हेतु कुल कितने अग्नि शामक प्रतिस्थापित किए गए हैं और किन-किन तारीखों को इनका परीक्षण किया गया है तथा परीक्षण के दौरान कितने अग्नि शामक कार्यरत और कितने अग्नि शामक खराब पाये गये; और

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व रेलवे में इन अग्नि शामकों को चलाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये हैं और इस अवधि के दौरान कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों पर प्राथमिक अनुरक्षण आधारित कोचिंग गाड़ियों में कुल 4598 अदद अग्निशामक लगाए गए हैं और नवंबर 2013 से फरवरी 2014 तक इन अग्निशामकों की जांच की गई थी। इन जांचों के दौरान 212 अग्निशामक खराब/दोषपूर्ण पाए गए थे। जहां तक पूर्वोत्तर रेलवे का संबंध है, यहां कुल 4547 अग्निशामक उपलब्ध हैं। इन अग्निशामकों की नियमित समय अंतराल पर जांच की जा रही है और पिछली बार इनकी जांच 10.01.2014 को की गई थी। पिछली जांच के दौरान 94 अग्निशामक खराब पाए गए थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर रेलवे में 837 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 10778 कर्मचारियों को आग बुझाने के यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था।

[अनुवाद]

कछार कागज मिल में उत्पादन

4276. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हैलकांडी जिले में पंचग्राम स्थित कछार कागज मिल में उत्पादन बंद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे माल की कमी के कारण यह कागज मिल पिछले कुछ वर्षों से बार-बार बंद होती रही है जिससे इसे भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कागज मिल को बंद होने से बचाने के लिए नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। कछाड़ कागज मिल में उत्पादन बंद नहीं हुआ है। सी.पी.एम. में नियमित निर्धारित उत्पादन प्रमुख कच्चा माल, बांस की अनुपलब्धता की वजह से प्रभावित हो

रहा था जिसके फलस्वरूप क्षमता का उपयोग इष्टतम से कम रहा, लेकिन बांस की आवक में सुधार आने से हालात अब बदल चुके हैं जिसके फलस्वरूप अब क्षमता का इष्टतम उपयोग हो रहा है।

(ग) जी, हां। चूंकि कच्चा माल निरंतर उपलब्ध नहीं था, इसलिए सी.पी.एम. को रुक-रुक कर प्रचालित करना पड़ा।

(घ) और (ङ) इस इकाई को बंद होने से बचाने के लिए इसे कच्चे माल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के कई प्रयास किए गए हैं। सी.पी.एम. को बांस की आपूर्ति पर मिजोरम राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए मिजोरम सरकार से लगातार संपर्क किया गया। इस संबंध में निरंतर कार्यवाही करते रहने के बाद, आखिरकार मिजोरम सरकार सी.पी.एम. को बांस की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई है। दिसंबर के आखिर से बांस की आपूर्ति मिजोरम से दोबारा शुरू होने के साथ कछाड़ कागज मिल ने सतत आधार पर प्रचालन आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग ने कछाड़ कागज मिल को कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान की है।

प्रशुल्क नीति में संशोधन

4277. श्री पी. कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रशुल्क नीति और विद्युत अधिनियम, 2003 में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई प्रशुल्क नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् विद्युत कंपनियों को अर्जित होने वाले अनुमानित आय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2013 के दौरान परामर्श समूह की बैठक में विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग द्वारा सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रशुल्क नीति में संशोधनों के प्रारूप 12 सितंबर, 2013 को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे और सभी पणधारियों को भी टिप्पणी के लिए परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों और तत्पश्चात् किए गए विचार-विमर्श के आधार पर उपयुक्त संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशुल्क नीति में प्रस्तावित संशोधन से गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, इन संशोधनों से कार्बन फुटप्रिन्ट में कमी आएगी और सतत् वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

इसी प्रकार, उपर्युक्त कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत अधिनियम, 2003 में कुछ परिवर्तनों की भी सिफारिश की है। बाद में इन सिफारिशों पर मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया था और विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित जांच एवं संस्तुतियों के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन 17 अक्टूबर, 2013 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे और सभी पणधारियों को भी टिप्पणी के लिए परिचालित किए गए थे। इस संबंध में पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों और तदनुसार किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, उपयुक्त संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों से प्रचालनों में प्रतिस्पर्द्धा, कुशलता को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा, परिणामस्वरूप क्षमता में वृद्धि होगी और अन्ततः उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

(ग) और (घ) प्रशुल्क नीति और विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधन के मामले पर विद्युत मंत्रालय में विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अधीन सलाहकार समूह की विभिन्न बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया है। सलाहकार समूह ने दिनांक 24.12.2013 को आयोजित बैठक में विद्युत क्षेत्र में पारेषण और बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा की थी। उक्त बैठक के दौरान, सलाहकार समूह को अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित स्थिति के बारे में भी सूचित किया गया था।

जम्मू और कश्मीर में रेल परियोजनाएं

4278. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर (जे. एंड के.) में चालू/लंबित रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब होने और लागत में भारी वृद्धि होने के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणी की गई है और यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) परियोजना को पूरा करने में हुए अत्यधिक और इसके परिणामस्वरूप लागत में हुई वृद्धि के क्या कारण है;

(घ) आवंटित/खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागत में और अधिक वृद्धि होने से रोकने के लिए रेलवे द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

परियोजना	प्रत्याशित लागत	मार्च, 13 तक व्यय	2013-14 में परिव्यय	वास्तविक प्रगति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन (273 कि.मी.)	19565.00	8862.85	1100.00		उधमपुर कटरा (25 कि.मी.)-2013-14, कटरा-बनिहाल (110 कि.मी.)-दिसंबर, 2017, बनिहाल-बारामूला (138 कि.मी) पूरा कर लिया गया है।
जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी दोहरीकरण	847.75	827.09	20.00	90%	185.5 कि.मी. यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष 18.5 कि. (204 कि.मी.) मी. पर निर्माण कार्य निष्पादन के अंतिम चरण में है।
कठुआ-माधोपुर-पंजाब-रावी पुल पर दोहरीकरण	96.05	9.93	10.00		10% निर्धारित नहीं।
कठुआ-माधोपुर पंजाब-पुल संख्या 16, 18 और 19 पर दोहरीकरण	19.70	0.00	5.00		5% निर्धारित नहीं।
सांभा-विजयपुर जम्मू-बसंतेर पुल पर दोहरीकरण	40.21	5.04	15.00		50% निर्धारित नहीं।

उधमपुर श्रीनगर-बारामूला नई लाइन परियोजना के उधमपुर कटरा खंड पर कार्य सुरंग टी-1 में संकरेपन और फैलाव की समस्या का सामना किए जाने तथा सुरंग टी-3 में अत्यधिक सीलन की समस्या के कारण कार्य में विलंब हुआ। कटरा-बनिहाल खंड पर निर्माण कार्य के दौरान भूगर्भीय संबंधी समस्याओं के कारण विलंब हुआ। उधमपुर-कटरा खंड की सुरंग टी-1 और टी-3 में अनुभव की जाने वाली समस्याओं के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई और निवारक समाधान खोज लिया गया है। कटरा-बनिहाल खंड पर भूगर्भीय संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वैकल्पिक संरेखण सहित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय पुन:संरेखण को अपनाते हुए कतिपय खंडों का परित्याग करते हुए पुराने संरेखण के साथ कार्य पुन: शुरू किया गया है। इस खंड पर फिलहाल कार्य जोर पकड़ रहा है। विलंब तथा लागत में वृद्धि के संबंध में लेखा परीक्षा की आपत्तियों पर रेलवे की टिप्पणियां लेखा परीक्षा को भेज दी गई है।

प्रसार भारती की जवाबदेही

4279. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाले पैनल ने प्रसार भारती (पी.बी.) के जवाबदेही के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस पैनल की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) जी, हां। सैम पित्रोदा समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी है। सैम पित्रोदा समिति ने प्रसार भारती की जवाबदेही के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों पर कई सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर व्यापक परामर्श के लिए डाला गया है। वर्तमान में सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

पी.आई.बी. के कार्यकरण की समीक्षा

4280. श्री पूर्णमासी राम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो क्रमश: पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी बार ऐसी समीक्षा/लेखा-परीक्षा की गयी और इसके क्या परिणाम हुए;

(ग) क्या सरकार ने पी.आई.बी. के कार्यकरण की समीक्षा के बाद कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पी.आई.बी. के कार्यकरण में सुधार लाने में किस हद तक सफलता मिली है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) के कार्यकरण की निगरानी कार्यनिष्पादन की आवधिक मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय समिति, योजना आयोग आदि द्वारा की जाती है। ऐसे मंचों पर

की गई सिफारिशों को पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण को और प्रभावशाली बनाने और इसके कार्यों की प्रभाविकता को उन्नत करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ङ) पत्र सूचना कार्यालय यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां, फीचर लेख, पृष्ठभूमि लेख, फोटोग्राफ आदि ऐसी प्रचार सामग्री के निर्माण के लिए निर्धारित सर्वोत्तम मानकों को पूरा करते हों। पत्र सूचना कार्यालय केन्द्र सरकार की विभिन्न महत्त्वपूर्ण नीति पहलों, घोषणाओं पर मंत्रियों/सचिवों के लिए प्रेस ब्रीफिंगों/साक्षात्कारों का प्रबंध करता है जिनमें प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया सम्यक रूप से भाग लेते हैं।

सेवाओं की प्रदानगी में सुधार किया जाना और फार्मेट एवं साथ ही विषय-वस्तु के संदर्भ में मीडिया की आवश्यकताओं के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन किया जाना कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना का त्वरित प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का बहुतायत में प्रयोग करता रहा है जिन्हें पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर ई-मेल, प्रेस विज्ञप्तियों को पोस्ट करने, फोटोग्राफ आदि के माध्यम से उपयोग किया जाता है। पत्र सूचना कार्यालय अपनी वेबसाइट पर स्ट्रीमिंग वीडियो के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के वीडियो भी रखता है और साथ ही श्रव्य-दृश्य मीडिया द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु विशिष्ट महत्त्व के कार्यक्रमों की वेब-कास्टिंग भी करता है।

इसके अतिरिक्त, पत्र सूचना कार्यालय के कामकाज को निर्बाध ढंग से चलाए जाने के लिए प्रेस सम्मेलन हॉल, पुस्तकालय और मीडिया व्यक्तियों के लिए वर्कस्टेशनों की व्यवस्था जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन में राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र की स्थापना की गई है।

कपार्ट के तहत योजनाएं

4281. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों हेतु लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के राज्य/वर्ष-वार नाम क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के कार्य तथा क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाएं चालू की जा चुकी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के कार्यों की निगरानी कर रही है, जिनके माध्यम से उक्त योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा मंजूर की गई योजनाओं (परियोजनाओं) का राज्य-वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कपार्ट के प्रस्तावित पुनर्गठन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निधियों को रोकने संबंधी निर्णय के कारण अधिकांश योजनाओं (परियोजनाओं) को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि निधियां रिलीज नहीं की गईं।

(घ) जिन योजनाओं (परियोजनाओं) को चालू किया गया था, उनकी निगरानी निर्धारित प्रक्रियाविधि के अनुसार कपार्ट द्वारा की गई।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए कपार्ट द्वारा मंजूर की गई योजनाएं राज्य/वर्ष-वार (परियोजनाएं)

वित्तीय वर्ष 2010-11

राज्य : आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	संस्था का नाम	पता	योजना	स्वीकृत राशि	स्वीकृत दिनांक	निर्गत राशि	परियोजना का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चैतन्य एजुकेशन सोसायटी	1/169-2, थर्ड रोड एक्सटेंशन, अनन्तपुर, ए.पी.	जन सहयोग	1032350	24 मई 10	0	ग्रामीण युवकों का आर्थिक सशक्तिकरण
2.	चैतन्य युवाजना संगम	एच. नं. 2-3-175/1, उप्परपल्ली विलेज, गांधी नगर, बहादुरपुरा, राजेन्द्रनगर मंडल, आर.आर. जिला, ए.पी.	जन सहयोग	1343100	24 मई 10	0	ग्रामीण युवकों का सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास
3.	फॉरम फॉर इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट	एच. नं. 3-4-1009, (एडज, बस डिपो) बरकतपुरा, हैदराबाद	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	2067000	9 अप्रैल 10	1860300	रेशों के निकास और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि के माध्यम से रोजगार सृजन और आय वृद्धि
4.	इंदिरा प्रियदर्शिनी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन	8-7-1, प्लॉट नं. 51, सैकंड फ्लोर, सामंथानगर, ओल्ड बोवनपल्ली, कुकाटापल्ली म्युनिसिपलिटी	ग्रामश्री मेला	450000	10 सित. 10	0	ग्राम श्री मेला
5.	इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	डी. नं. 7-1-34, कोठाकोटावारी स्ट. अमाडालावालसा, श्रीकाकुलम जिला, ए.पी.	ग्रामश्री मेला	450000	10 सित. 10	450000	ग्राम श्री मेला श्रीकाकुलम
6.	प्रकृति एनवायरनमेंट सोसायटी	एच. नं. 7-4-167, फिरोजगुडा, बालानगर, हैदराबाद, ए.पी.	ग्राम श्री मेला	962000	10 सितं. 10	0	ग्राम श्री मेला (बायर सेलर मीट)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सेवा भारती	जेड.पी.पी. हाई स्कूल के पीछे, तिरुचनूर, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	ग्रामश्री मेला	450000	10 सिंत. 10	225000	जिला स्तरीय ग्रामश्री मेला तिरुपति
8.	यूथ क्लब ऑफ बेज्जीपुरम	डी. नं. 4/29-ए, बेज्जीपुरम विलेज, मुराका एस.ओ. रानासतलम तालूक, श्रीकाकुलम जिला, ए.पी. 532403	ग्रामश्री मेला	396000	10 सित. 10	0	ग्रामश्री मेला विशाखापटनम

राज्य : बिहार

क्र.सं.	संस्था का नाम	पता	योजना	स्वीकृत राशि	स्वीकृत दिनांक	निर्गत राशि	परियोजना का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बीबीपुर एरिया स्माल फार्मर्स एण्ड रिसोर्सलेस कम्युनिटी एसोसिएशन	पी.ओ. अनिरुद्ध, बेलुहोर, जिला वैशाली, बिहार	जन सहयोग	1495175	24 मई, 10	0	सतत आय सृजन कार्यक्रम

राज्य : दिल्ली

1.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सी 11	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	जन सहयोग	543500	15 मार्च 11	368171	सी.एस.ओ.-सी.एस.आर. वर्कशाप, दिल्ली
2.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सी 11	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	जन सहयोग	732300	17 फरवरी 11	325121	सी.एस.ओ.-सी.एस.आर. रीजनल कॉन्फ्रेंस-2010, कोलकाता
3.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सी 11	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	जन सहयोग	732300	13 अक्टू 10	272271	सी.एस.ओ.-सी.एस.आर. रीजनल कॉन्फ्रेंस-2010, हैदराबाद
4.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सी 11	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	जन सहयोग	732300	7 फरवरी 11	290646	सी.एस.ओ.-सी.एस.आर. रीजनल कॉन्फेंस-2010, चंडीगढ़
5.	कन्फेडरेशन ऑफ	23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,	जन सहयोग	732300	17 फरवरी 11	459538	जन सहयोग के अंतर्गत परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8
	इंडियन इंडस्ट्री	नई दिल्ली-110003					प्रस्ताव
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	सी.आर.डी.टी.-आई.आई.टी., हौज खास, नई दिल्ली-110016	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	4535000	17 अगस्त 10	0	नूनत लघु मशीनरी की मार्फत स्थायी उपक्रम हेतु टेक्नोलोजी सर्विस सेंटर की स्थापना
राज्य : गुजरात							
1.	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	अहमदाबाद, गुजरात	Arts	1045000	18 मई 10	940500	कार्यशाला परियोजना
2.	डॉक्टर अंबेडकर एड्केशन	जिला भावनगर, गुजरात	ग्रामश्री मेला	450000	13 दिसंबर 10	0	ग्रामश्री मेला
3.	मालधारी सेवा संघ	अहमदाबाद, गुजरात	ग्रामश्री मेला	450000	13 दिसंबर 10	0	ग्रामश्री मेला
4.	यूनिमेक ग्राम्य विकास चेरिटेबल ट्रस्ट	जिला राजकोट, गुजरात	ग्रामश्री मेला	450000	13 दिसंबर 10	0	ग्रामश्री मेला
राज्य : हरियाणा							
1.	मॉर्डन एजुकेशन सोसायटी	मन्डौरी रोड, मन्डौरा, जिला-तहसील-सोनीपत, हरियाणा	जन सहयोग	1378300	21 मई 10	0	जन सहयोग के तहत गांव देहात में रोजगार शिक्षण परियोजना प्रस्तुति
राज्य : झारखण्ड							
1.	लाइफटैक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन	एट-जी.टी. रोड, मुगमा, जिला धनबाद, झारखण्ड	ग्रामश्री मेला	449000	5 अगस्त 10	449000	ग्रामश्री मेला, देवधर
राज्य केरल							
1.	कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी-डी.ई.एफ.-21.07.2005	सिविल स्टेशन, मालापुरम	ग्रामश्री मेला	450000	30 सितं. 10	0	ग्रामश्री मेला, कोजिकोड

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	राजगीरी एजुकेशन अल्टरनेटिव्स एण्ड कम्युनिटी हैल्थ सर्विस सोसायटी	राजगीरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, राजगीरी, कलामेसरी एर्नाकुलम, केरल	ग्रामश्री मेला	450000	30 सितं. 10	449510	ग्रामश्री मेला
राज्य : राजस्थान							
1.	राजस्थान नवचेतना समिति, कोटपुतली	बजाजों का मोहल्ला, मारवाड़ मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान-341026	ग्रामश्री मेला	439000	7 सितं. 10	0	ग्रामश्री मेला
2.	शिल्पी संस्थान (पर्यावरण शिक्षा संस्कृति ललितकला विकास संस्थान)	खागल मोहल्ला, बाड़मेर-344001, राजस्थान	ग्रामश्री मेला	439000	31 अगस्त, 10	329250	ग्रामश्री मेला
राज्य : तमिलनाडु							
1.	ए.एम.एम. मुरूगप्पा चेट्टियार रिसर्च सेंटर	तियम हाउस, नं.-28, राजाजी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	300000	7 सितंबर 10	0	अनुकूलन प्रचार-प्रसार और आय सृजन के लिए उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियां
2.	सेंटर फॉर सोशअल डेव्लपमेंट	कुलाला स्ट्रीट, थिरुनारंकुरिची, अम्मांडिवीलाई पो.ओ. कुरुन्थेंकोड़े कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	4904000	15 अप्रैल 10	0	स्थायी रोजगार के लिए इनोवेटिव पोटरी तकनीक के प्रसार द्वारा गरीबी उन्मूलन
राज्य : उत्तराखंड							
1.	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास समिति	सारदा फैक्टरी के सामने, निकट शीशमहल, काठगोदाम, नैनीताल	ग्रामश्री मेला	450000	9 सितंबर 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
राज्य : उत्तर प्रदेश							

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आधार	117/507, क्यू ब्लॉक शारदा नगर कन्दपुर जिला कानपुर यू.पी.	ग्रामश्री मेला	450000	13 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
2.	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति	58/300/1B/1 अयोध्या कुंज अर्जुन नगर मेन रोड आगरा	ग्रामश्री मेला	450000	11 अगस्त 10	0	ग्रामश्री मेला
3.	दरियागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	109, टेगोर टाउन जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	ग्रामश्री मेला	450000	23 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला, चित्रकूट
4.	डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति-एफ.ए.एस. 07.02.2012	पीतमभारखेरा सी ब्लॉक के पास रेल्वे क्रोससिंग राजाजीपुर लखनऊ 17	ए.आर.टी.एस.	2321880	24 जून 10	0	व्यक्तियों को छोटे उधम बावत प्रशिक्षण
5.	गोपाल शिक्षण संस्थान एंड ग्रामीण विकास संस्थान	गांव पी.ओ. जोनिहन जिला फतेहपुर	ग्रामश्री मेला	450000	26 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
6.	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद्	धर्मशाला बाजार गोरखपुर	ग्रामश्री मेला	450000	26 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
7.	जन जागृति सेवा संस्थान	डी.एम. कॉलोनी सूत्रखाना बानदा जिला बानदा	ग्रामश्री मेला	450000	26 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
8.	कृष्ण सोश्ल वेलफैर ओरगनीसेश्न	486/160, लाहौर गूंज डाली गंज लखनऊ	ग्रामश्री मेला	450000	26 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
9.	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी	93 अदल सराय कल्पी जालौन	ग्रामश्री मेला	450000	16 अगस्त 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव
10.	पूर्वाञ्चल विकास संस्थान	मोहखुदाईपुरा पी.ओ. सदर गाजीपुर	ग्रामश्री मेला	450000	2 अगस्त 10	0	ग्रामश्री मेला संबंधी परियोजना प्रस्ताव

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सेनिक महुईला प्रशिक्षण संस्थान	जुबली रोड मोह पुरदिलपुर जुबली रोड सहर गोरखपुर	ग्रामश्री मेला	450000	16 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला, फैजाबाद
12.	शारदा समाजोथान एवं शिक्षा समिति	2/180, रुचिखण्ड शारदा नगर ब्लॉक सरोजिनी नगर जिला लखनऊ यू.पी.	जन सहयोग	709087	21 मई 10	0	ग्राम समुदाय के कमजोर वर्गों की तरक्की
13.	श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति	26, चर्च लेन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	ग्रामश्री मेला	450000	26 जुलाई 10	0	ग्रामश्री मेला, इलाहाबाद
राज्य : पश्चिम बंगाल							
1.	सारबिक पल्ली कल्याण केन्द्र	एट/पीओ-कियागेरिया, वाया चन्द्रकोना, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	जन सहयोग	915838	31 मई 10	0	व्यवसायिक योग्यता तथा आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष-2011-12-शून्य

वित्तीय वर्ष-2012-13-शून्य

वित्तीय वर्ष-2013-14-(चालू)

[अनुवाद]

द्विपक्षीय नागर विमानन समझौता

4282. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **नागन विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एयर इंडिया के प्रमुख राष्ट्रीय विमान वाहक की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए कई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय नागर विमानन समझौतों की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्घटनाओं के कारण हानियां

4283. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य सही है कि रेलवे को रेल दुर्घटनाओं से ही प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक की हानि होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं और पीड़ितों और घायलों को प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है;

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत रेलवे, गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/घायल होने पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटना (मुआवजा) आशोधन नियम 1997 में मृत्यु और स्थायी रूप से अक्षम होने के मामले में 4 लाख रु. और घायल होने की स्थिति में चोट की गंभीरता के आधार पर 32,000 रु. से 3,60,000 रु. मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। गाड़ी दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों द्वारा रेल दावा अधिकरण में दावा दायर किए जाने के आधार पर उन्हें रेलवे द्वारा मुआवजे द्वारा भुगतान किया जाता है।

गत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत्यु/घायल होने पर भुगतान किए गए मुआवजे की राशि (भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत) क्रमश: 3.77 करोड़ रु. 5.10 करोड़ रु. और 3.19 करोड़ रु. आंकी गई है।

(घ) भारतीय रेलों में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने तथा संरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार हरसंभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के उपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा अभियान, सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों की निगरानी तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अन्य उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बी.पी.ए.सी.), सहायक चेतावनी प्रणाली (ए.डब्ल्यू.एस.), सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वी.सी.डी.) गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.), टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.), गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टी.सी.ए.एस.) आदि शामिल हैं।

समुद्री जल से पेयजल का उत्पादन

4284. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री जल से पेयजल का उत्पादन करने के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संयंत्र लगाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों से उत्पादित ऐसे पेयजल की प्रति लीटर लागत कितनी होगी; और

(ग) उक्त योजना के कब से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) ने समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिए निम्न तापमान वाली तापीय (एल. टी.टी.डी.) प्रौद्योगिकी पर आधारित विलवणीकरण प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप में डिज़ाइन, विकसित एवं प्रदर्शित किया है। एल. टी.टी.डी. एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सतह के ऊष्ण समुद्री जल को निम्न दाब पर तेजी से वाष्पित किया जाता है तथा वाष्प को ठण्डे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी और उपयुक्त पाई गई है। अब तक, देश में 3 एल.टी.टी.डी. संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किए जा चुके हैं, जिनमें कावारती, मिनिकॉय, अगाती, लक्षद्वीप में लगाए गए एक-एक संयंत्र शामिल है। इनमें से प्रत्येक एल.टी.टी.डी. संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल तैयार करने की है। ई.एस.एस.ओ. -एन.ओ.ई.ओ.टी. ने तूतीकोरिन तापीय विद्युत स्टेशन, तमिलनाडु में प्रतिदिन 2 मिलीयन लीटर पेयजल (2 एम.एल.डी.) का उत्पादन करने की क्षमता वाले एक प्रोटोटाइम एल.टी.टी.डी. संयंत्र को शुरू किया है।

प्रति लीटर विलवणीकरण की लागत इसमें उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और विद्युत लागत पर निर्भर करेगी जो हर स्थान पर अलग-अलग होती है। हाल ही में एल.टी.टी.डी. प्रौद्योगिकी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए लागत आकलन के अनुसार, द्वीपीय आधारित संयंत्रों के लिए प्रति लीटर विलवणीकृत पेयजल की प्रचालनात्मक लागत लगभग 61 पैसे है।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तूतीकोरिन, तमिलनाडु स्थित एल.टी.टी.डी. संयंत्र को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रसार भारती के महिला कर्मचारियों का यौन-शोषण

4285. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रसार भारती की अनेक महिला कर्मचारियों ने दूरदर्शन/आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन-शोषण का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किये गए यौन-शोषण के मामलों का मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) की रिपोर्ट में प्रसार भारती में यौन-शोषण की शिकायतों हेतु निवारण तंत्र नहीं होने पर सख्त आपत्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यौन-शोषण हेतु प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क), (ख) और (घ) जी, हां। सूचना एकत्र की जा रही है और "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटन के लिए निषिद्ध न की गई सूचना को सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने की इच्छुक शिकायतकर्ता को संसाधन एवं सहायता मुहैया कराए जाने की अनुशंसा की है। साथ ही, उक्त रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न के निवारण पर सुग्राह्यता कार्यशालाओं का आयोजन करने, मौजूदा महिला प्रकोष्ठ को आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) के अनुरूप ढालने, आई.सी.सी. का प्रचार करने, स्टाफ को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई किए जाने के बारे में आश्वस्त करने, शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निदान करने हेतु प्रशासन को सुग्राह्य बनाने आदि की भी अनुशंसा की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

4286. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रक्षा मंत्रालय से 2004-05 के दौरान और इसके उपरांत बिहार में कुछ रेल परियोजनाओं यथा आमान परिवर्तन और भारत-नेपाल सीमा तक नई रेल लाइन हेतु धनराशि प्राप्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पटना-दीघा रेल महासेतु और मुंगेर में गंगा रेल महासेतु तथा निर्मली में कोसी रेल महासेतु तथा बिहार में चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इसके कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ सकरी-निर्मली (51 कि.मी.) आमान-परिवर्तन परियोजना रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय से 356 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई है। इस समय, मिट्टी संबंधी, बड़े-छोटे पुलों संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

(ग) बिहार में आमान-परिवर्तन संबंधी चालू परियोजनाओं के साथ-साथ पटना-दीघा रेल मेगा पुल, मुंगेर में गंगा रेल मेगा पुल और निर्मली में कोसी रेल मेगा पुल परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) 01.04.2013 को देश भर में 156 नई लाइन, 43 आमान परिवर्तन और 169 दोहरीकरण परियाजनाएं लागू हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए लगभग 178216 करोड़ रु. की आवश्यकता है। भारी बकाया कार्य और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण इन चालू परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। किसी परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा परिचालनिक आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित परियोजना की प्रगति के आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है।

विवरण

कोसी रेल मेगा पुल परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	पटना और हाजीपुर के बीच लिंकिंग लाइनों सहित पटना-गंगा पुल (रेल-सह-सड़क पुल) (19 कि.मी.)	2921	संशोधित अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। दक्षिणी पहुंच मार्ग पर मिट्टी संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी साइड में फेब्रिकेशन कार्य शुरू कर दिए गए हैं। फुलवारीशरीफ-पाटलीपुत्र (6 कि.मी.) 2011-12 में पूरा हो गया है।
2.	गंगा नदी पर मुंगेर-रेल-सह-सड़क पुल (14 कि.मी.)	2363	सबस्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो गया है। सबस्ट्रक्चर का 75% फेब्रिकेशन कार्य पूरा हो गया है।
3.	कोसी पुल (21.85 कि.मी.)	341.41	मुख्य पुल का सबस्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो गया है। सुपर स्ट्रक्चर का फेब्रिकेशन का कार्य पूरा हो गया है और 39 में से 38 स्पैन लांच कर दिए गए हैं।
1.	बीजलपुर-बर्दीबास (नेपाल) के बीच विस्तार सहित जयनगर-बीजलपुरा का आमान परिवर्तन (69.08 कि.मी.)	470	इस कार्य को निष्पादन के लिए इरकॉन को सौंप दिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

1	2	3	4
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज का आमान परिवर्तन (268 कि.मी.)	1043.56	जयनगर-दरभंगा-सीतामढ़ी-चौरादानो (194 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। चौरादानो-रक्सौल (24 कि.मी.) पूरा हो गया है और इसे इंजीनियरिंग साइडिंग के रूप में खोल दिया गया है। नरकटियागंज-भिकनतोरी (30 कि.मी.) में मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
3.	कप्तानगंज-थावे-सीवान-छापर का आमान परिवर्तन (235.5 कि.मी.)	750.89	थावे-सिवान (28.5 कि.मी.) और कप्तानगंज-थावे (99 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। थावे-छपरा में मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
4.	राधिकापुर तक विस्तार सहित कटिहार-जोगबनी, कटिहार-तेज़नारायणपुर का आमान परिवर्तन और रायगंज-डालखोला के लिए न्यू एम.एम. (43.43 कि.मी.)	1022.64	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कटिहार-बारसोई (39 कि.मी.), बरसोई-राधिकापुर (54 कि.मी.), जोगबनी-कटिहार (108 कि.मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। कटिहार-तेजनारयाणपुर (36 कि.मी.) को मेटीरियल मोडीफिकेशन के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है। कटिहार-तेजनारायणपुर खंड पूरा हो गया है। रायगंज-तेजनारायणपुर खंड पूरा हो गया है। रायगंज-डालखोला में प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।
5.	सहरसा-दौराम मधेपुरा-पूर्णिया सहित मानसी-सहरसा का आमान परिवर्तन (143 कि.मी.)	477.89	मानसी-सहरसा (42 कि.मी.), सहरसा-दौराम-मधेपुरा (22 कि.मी.) और दौराम-मधेपुरा-मुरलीगंज (22 कि.मी.) खंड पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। शेष खंड में मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मुरलीगंज-बानमनखी (18 कि.मी.) और बानमनखी-कृत्यानंद नगर (22 कि.मी.) खंड पूरे हो गए हैं और इन्हें इंजीनियरिंग साइडिंग के रूप में खोल दिया गया है।
6.	सकरी-लौकहा बाज़ार-निर्मली और सहरसा-फारबिसबंज का आमान परिवर्तन (206.06 कि.मी.)	355.81	सकरी-निर्मली (51 कि.मी.) में मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सहरसा-फारबिसगंज (110.74 कि.मी.) में पुल एवं मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

रुग्ण मिलें

4287. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रुग्ण मिलों की अप्रत्याशित रूप से बढ़ती संख्या की समीक्षा करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति के गठन हेतु कोई कदम उठाया गया है या उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जहां तक भारी उद्योग विभाग (डी.एच.आई.) का संबंध है, इस तरह की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों, नेपा लिमिटेड और नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड, जहां पेपर मिलें चल रही हैं, के लिए सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों का पुनर्वास

4288. श्री सुल्तान अहमद:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में धार्मिक हिंसा के कारण कितने अल्पसंख्यक परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) अल्पसंख्यकों के पुनर्वास हेतु संचालित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों हेतु सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के अनुसार चलाई गई पुनर्वास परियोजनाओं और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) भारतीय संविधान के अंतर्गत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के राज्य विषय होने के नाते, सांप्रदायिक हिंसा से निपटने और इस संबंध में संगत आंकड़े रखने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। संबंधित राज्य सरकारें दंगा पीड़ितों को स्वयं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार योजनाओं/पुर्नवास परियोजनाएं/वित्तीय सहायता का कार्यान्वयन कर रही हैं। संपत्ति के नुकसान, पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे, विस्थापित/पुर्नवासित व्यक्तियों, गिरफ्तार अथवा सिद्दोष व्यक्तियों आदि जैसों के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों (14.02.2014 तक) का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

वर्ष	बंद किए गए	अग्रेषित और बंद किए गए	रिपोर्ट मांगी गई	प्रक्रियाधीन	कुल
1	2	3	4	5	6
2010-11	1486	609	283	0	2378

1	2	3	4	5	6
2011-12	1172	758	256	0	2439
2012-13	999	680	139	309	2127
2013-14 (14.02.2014 तक)	618	475	345	879	2317

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

4289. श्रीमती रमा देवी:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के रवैये के कारण एस.जी.एस.वाई. का आशानुरूप कार्यान्वयन नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस योजना का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) समवर्ती मूल्यांकन के माध्यम से एस.जी.एस.वाई. के निष्पादन मूल्यांकन, 11वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित संचालन समिति सहित विभिन्न समितियों तथा ऋण संबंधी मुद्दों पर बनी प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति के अध्ययनों और रिपोर्टों के आधार पर एस.जी.एस.वाई. का पुनर्गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के रूप में किया गया और इसे 3 जून, 2011 को शुरू किया गया। दो वर्षों की संक्रमण अवधि के पश्चात् 1 अप्रैल, 2013 से एस.जी.एस.वाई. को समाप्त कर दिया गया।

एन.आर.एल.एम. का उद्देश्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से एस.एच.जी. में संगठित करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें विकट गरीबी से बाहर लाने के लिए दीर्घावधि सहायता उपलब्ध कराना है ताकि कुछ समय पश्चात् उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। एन.आर.एल.एम. का उद्देश्य सभी एस.एच.जी. के बचत खातों को खुलवाने में मदद करके व्यापक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ उनके थ्रिफ्ट और क्रेडिट कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना तथा बैंकों से ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। इसमें एस.जी.एस.वाई. के तहत कैपिटल सब्सिडी को सी.आई.एफ. (समुदाय निवेश सहायता निधि) में बदलने का भी प्रस्ताव है। एन.आर.एल.एम. के तहत एक नए हस्तक्षेप के रूप में ब्याज सहायता की शुरुआत की गई है। एन.आर.एल.एम. के तहत वास्तविक/वित्तीय निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन.आर.एल.एम. गहन ब्लॉकों का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन

दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार
लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य	ब्लॉक		गांव		प्रोन्नत एस.एच.जी.		एस.एच.जी. का पंजीकरण				बैंक ऋण तक पहुंच
		मार्च, 2013 तक की प्रगति	दिसम्बर, 2013 तक की प्रगति	मार्च, 2013 तक की प्रगति	दिसम्बर, 2013 तक की प्रगति	मार्च, 2013 तक की प्रगति	दिसम्बर, 2013 तक की प्रगति	एस.एच.जी. की संख्या जिन्हें आर.एफ. प्रदान किया गया	एस.एच.जी. को वितरित की गई आर.एफ. की राशि	एस.एच.जी. की संख्या जिन्हें आर.एफ. प्रदान किया गया	एस.एच.जी. को वितरित की गई आर.एफ. की राशि	प्राप्त किए गए बैंक ऋण की राशि (केवल गहन ब्लॉकों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	44	44	1917	6409	19711	38468	4622	719	0	0	675
2.	बिहार	139	179	2130	9044	76361	109746	0	0	68068	13768	5711
3.	छत्तीसगढ़	4	17	128	393	1123	6128	006	201	67	36	324
4.	गुजरात	13	20	282	1112	4488	19141	271	32	0	0	1642
5.	झारखंड	7	9	110	381	1454	3249	1526	229	557	278	2
6.	कर्नाटक	0	15	0	0	0	192	0	0	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	97	98	7852	10154	40763	52351	37444	5178	23853	24571	15561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	महाराष्ट्र	11	36	529	1377	3286	7076	2173	235	102	59	185
9.	ओडिशा	38	51	7435	7749	85515	99950	7873	920	24202	9494	4459
10.	राजस्थान	23	27	1832	2662	7064	13282	7397	1016	2071	2121	1112
11.	तमिलनाडु	180	180	6903	6903	160082	304127	0	0	1165	583	154912
12.	उत्तर प्रदेश	0	5	0	0	0	1156	190	12	0	0	0
13.	पश्चिम बंगाल	0	32	0	3243	0	9070	354	46	0	0	0
14.	आंध्र प्रदेश	326	326	43320	43595	1044804	1050165	516699	45775	219156	97350	515650
15.	केरल	152	152	1453	1453	219975	223671	0	0	0	0	26561
16.	हरियाणा	0	4	0	99	0	627	149	22	0	0	136
17.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	जम्मू और कश्मीर	0	4	0	170	0	1757	1325	199	0	0	0
19.	पंजाब	8	8	95	144	261	370	152	20	0	0	17
20.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	नागालैण्ड	0	9	0	143	0	446	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	5	0	30	0	250	0	0	0	0	0
	कुल	1,042	1,221	73,986	95,061	1,664,887	1,941,222	582,181	54,603	339,241	148,259	726,947

[अनुवाद]

कर्मचारियों को प्रोत्साहन

4290. श्री कीर्ति आजाद: क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) अपने कर्मचारियों को प्रतिवर्ष करोड़ रुपये के मूल्य के सोने के सिक्के और निष्पादन से संबंधित वेतन, अनुग्रह राशि और निष्पादन प्रोत्साहन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रोत्साहनों का अनुमोदन करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है;

(ग) क्या इसके लिए आर.ई.सी. और पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा सरकार से भी अनुमोदन लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर.ई.सी. और पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा की जाने वाली ऐसी फिजूल खर्ची पर सरकार किस प्रकार से नियंत्रण रखती है; और

(ङ) लोक राजस्व को घाटा पहुंचाने वाले ऐसे निर्णय लेने के लिए आर.ई.सी. और पी.जी.सी.आई.एल. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन (आर.ई.सी.) में कार्यपालकों और गैर-यूनियन कर्मचारियों को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार अनुग्रह राशि, निष्पादन संबध्य वेतन, निष्पादन प्रोत्साहन इत्यादि का भुगतान किया जाता है। यूनियन से जुड़े कर्मचारियों को भुगतान बातचीत में तय किए गए समझौते पर आधारित है जिसके लिए आर.ई.सी. का निदेशक मंडल सक्षम है। यहां कर्मचारियों को प्रतिवर्ष सोने के सिक्के देने की परिपाटी नहीं है।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार अपने पात्र कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों को निष्पादन संबद्ध वेतन (पी.आर.पी.) का भुगतान करती है जिसे कार्यान्वित वेतन संशोधन के अनुसार वेतन पैकेज के भाग के रूप में शुरू किया गया था। कामगारों के लिए, यह एक परक्राम्य समझौता है और 2010-11 से कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों को उपरोक्त पी.आर.पी. के अनुसार प्रोत्साहन के बदले उन्हें पी.आर.पी. का भुगतान किया जा रहा है। पी.जी.सी.आई.एल. ने वेतन संशोधन के बाद अपने कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों को पी.आर.पी. के अलावा कोई भी प्रोत्साहन, अनुग्रह राशि, सोने के सिक्के इत्यादि का भुगतान नहीं किया है।

(ख) आर.ई.सी. का निदेशक मंडल निष्पादन संबध्य भुगतानों की मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

जहां तक पी.जी.सी.आई.एल. का संबंध है, कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को निष्पादन संबंधी भुगतान का मंजूर पारिश्रमिक समिति, (निदेशक मंडल की एक उप-समिति) जिसमें स्वतंत्र निदेशक और सरकारी निदेशक शामिल है, करती है। कामगारों के लिए, पी.जी.सी.आई.एल. का निदेशक मंडल प्रोत्साहन/पी.आर.पी. भुगतान के लिए नीति तैयार करने के लिए प्राधिकृत है।

(ग) और (घ) आर.ई.सी. एवं पी.जी.सी.आई.एल. दोनों में, डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है। कामगारों के लिए निदेशक मंडल प्रोत्साहन/पी.आर.पी. भुगतान के लिए पालिसी तैयार करने के लिए प्राधिकृत है।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय अनुसंधान केन्द्र पर इसरो के कार्यकलाप

4291. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अनुसंधान संस्थान 'भारती' पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कार्यकलाप हाल में बंद कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसरो के अनुसंधान कार्यकलापों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां। 7 से 12 अक्तूबर, 2013 के बीच भारती स्थित उपग्रह भू स्टेशन में विद्युत ऊर्जा बंद किए जाने के कारण भारती में इसरो की गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।

(ख) भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र के विशिष्ट आदेशों के विपरीत, उपग्रह भू स्टेशन में बिजली बंद करने का आदेश भारती, अंटार्कटिक अभियान में भेजे गए भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल के तत्कालीन नेता द्वारा जारी किया गया था। इसका प्रत्यक्ष कारण अभियान के नेता और इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) के दल के बीच हुआ मतभेद था जो कि उपग्रह स्टेशन का प्रबंधन कर रहा था।

(ग) विद्युत ऊर्जा के बंद होने के कारण, किसी भी उपकरण को हुई क्षति और डेटा की अधिक हानि के संबंध में एन.आर.एस.सी./इसरो ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(घ) शुक्रवार, 11 अक्तूबर, 2013 को तत्काल प्रभाव से अभियान दल के नेता को निलंबित कर दिया गया और एक नए अंतरिम नेता की नियुक्ति की गई। इस पूरी घटना की जांच के लिए एक तथ्य पता लगाने वाली समिति का भी गठन किया गया है। 32वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान के शीतकालीन दल के सभी सदस्यों के फरवरी, 2014 तक भारती से भारत लौटने के पश्चात् समिति द्वारा शीघ्र ही जांच शुरू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन में ए.आई.बी.पी.

4292. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत कोई भी परियोजना कावेरी नदी के बहाव के क्षेत्र में नहीं शुरू की गई है जबकि इस क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) कर्नाटक राज्य में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत शुरू की गई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सरकार के अनुरोध के आधार पर, 16 वृहद/मध्यम सिंचाई (एम.एम. आई.) परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई. बी.पी.) के अंतर्गत शामिल किया गया था। उपरोक्त में, 5 एम.एम.आई. परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 11 एम.एम. आई. परियोजनाएं चल रही है। ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल कावेरी बेसिन में कर्नाटक की वोटेहोल सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है। फिलहाल कर्नाटक राज्य में कावेरी बेसिन ए.आई. बी.पी. के तहत कोई एम.एम.आई. परियोजना नहीं चल रही है।

उपरोक्त के अलावा, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत कर्नाटक की 621 सतही लघु सिंचाई (एम.आई.) स्कीम शुरू की गई हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 621 एम.आई. स्कीमों में से 361 एम.आई. स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। मैसूर जिले, जिसमें से कावेरी नदी बहती है, में ए.आई.बी.पी. के तहत चार एम.आई. परियोजनाएं शुरू की गई है जिसमें से 3 एम.आई. स्कीमें पूरी हो चुकी हैं तथा 1 स्कीम का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

ए.आई.बी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जो जनजातीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए लाभकारी है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में ए.आई.बी.पी. के तहत सम्मिलित वृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	यू.के.पी. चरण-I	चल रही है
2.	मालप्रभा	चल रही है
3.	करंजा	चल रही है
4.	यू.के.पी. चरण-II	चल रही है
5.	वराही परियोजना	चल रही है
6.	दुधगंगा अंतरराज्यीय परियोजना	चल रही है
7.	भद्रा का आधुनिकीकरण	चल रही है
8.	हिप्पारगी परियोजना	चल रही है
9.	भीमासमुद्रा टैंक का पुनरुद्धार एवं नवीकरण	चल रही है
10.	भीम लिफ्ट सिंचाई स्कीम	चल रही है
11.	गुड्डाडा मालापुरा एल.आई.एस. डी.पी.ए.पी.	चल रही है
12.	हिरेहल्ला	पूर्ण
13.	मास्कीनाला	पूर्ण
14.	वोटेहोले मध्यम परियोजना	पूर्ण
15.	गट्टा प्रभा चरण-III	पूर्ण
16.	गंडोरी नल्ला	पूर्ण

सरकारी उपक्रमों में नि:शक्तों के लिए रिक्त पद

4293. श्री अनंत कुमार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में नि:शक्तों के लिए कितनी संख्या में पद आरक्षित हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर चालू सरकारी नीति के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर से नीचे के सभी पदों पर नियुक्ति, संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और इसके रिक्त पदों के आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से लोक उद्यम विभाग द्वारा नहीं रखे जाते। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नि:शक्त व्यक्तियों के आरक्षित पदों को भरने की कार्रवाई संबंधित प्रबंधन द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु चालू आरक्षण नीति को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नि:शक्त व्यक्तियों हेतु चालू आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

तीस्ता नदी

4294. श्री अजय कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के संबंध में बांग्लादेश के साथ समझौता करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाब नबी आज़ाद): (क) और (ख) भारत सरकार तीस्ता नदी सहित साझा नदियों के जल की समान एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में एक समझौता करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ चर्चा कर रही है। सितंबर, 2011 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री के ढाका, बांग्लोदेश दौरे के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस संबंध में हुई प्रगति का स्वागत किया और शीघ्रातिशीघ्र समझौता करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। तत्पश्चात्, इस संबंध में

समय-समय पर विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर भी बांग्लादेश के साथ चर्चा की गई है।

केन्द्र सरकार ने उचित मंचों पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस समझौते के सभी बिन्दुओं पर और तीस्ता के संबंध में सभी संबंधित पक्षकारों को स्वीकार्य और सभी पणधारियों के हितों की रक्षा करने वाले एक उचित एवं समान आधार पर समझौता करने के सरकार के प्रयासों पर भी चर्चा की है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु नई पहलें

4295. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की शिक्षा हेतु क्या-क्या नई पहलें की गई हैं;

(ख) अल्पसंख्यकों का समुचित शैक्षिक विकास करने एवं इस प्रयोजनार्थ योजनाओं के कार्यान्वयन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ग) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन (एम.सी.एम.) आधारित छात्रवृत्तियां और मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एम.ए.एन.एफ.) प्रदान करता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.) द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी बालिकाओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उपर्युक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं है।

सरकारी उपक्रमों की क्रय-अधिमानता नीति

4296. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसर्स केटरपिलर इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य के स्थानांतरण मामले (सिविल) (2004 का 4) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.5.2007 के आदेश के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.ई.) तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों आदि, को दी गई क्रयगत अधिमानता का उद्योगवार आकलन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नि:शक्त जन को आजीविकोपार्जन में समर्थ और आत्म-निर्भर बनाने हेतु, उनके स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों/कंपनियों को ऐसी ही समान क्रय-अधिमानता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) नवंबर, 2007 में सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में क्रय अधिमान नीति को 31 मार्च, 2008 से समाप्त करने का निर्णय लिया था। तथापि, संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों के लिए अपेक्षानुसार स्वतंत्र रूप से अधिमान नीतियां तैयार कर सकते हैं/उनकी समीक्षा कर सकते हैं।

कारगिल के लिए विमानसेवा

4297. श्री हसन खान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा 7 जनवरी, 2013 को कारगिल और जम्मू के बीच विमानसेवा का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तदुपरांत यह विमानसेवा प्रचालित नहीं की गई यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कारगिल तक सतत विमान-संपर्क उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) एयर मंत्रा द्वारा 07 जनवरी, 2013 को कारगिल के लिए उद्घाटन उड़ान प्रचालित की गई थी। तथापि, एयर मंत्रा द्वारा कारगिल के लिए अनुसूचित प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है। एयर मंत्रा ने सूचित किया है कि उनकी क्षेत्रीय एयरलाइन परियोजना का नवीकरण तथा पुनर्मूल्यांकन

किया जा रहा है। प्रचालक ने अपने आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने अनुसूची बनाने, अधिग्रहण तथा विलयनों, के लिए अपनी नीतियों के निर्धारण, जिनकी प्रक्रिया अभी जारी है, के लिए और अधिक समय मांगा है। आज की तारीख के अनुसार, कोई अनुसूचित घरेलू वाहक कारगिल हवाईअड्डे के लिए/से अनुसूचित उड़ान प्रचालित नहीं कर रहा है।

(घ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन करने के लिए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इन मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुसार, श्रेणी-I (मेट्रो) मार्गों पर प्रचालन करने वाली सभी अनुसूचित एयरलाइनों के लिए यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा श्रेणी-I मार्गों पर लगाई गई क्षमता का 10% श्रेणी-II मार्गों पर लगाए। श्रेणी-II मार्गों में पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर (जिसमें कारगिल शामिल है), अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग शामिल हैं। कारगिल के लिए निरंतर विमान संपर्कता शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है, तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

'मनरेगा' के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

4298. श्री तूफानी सरोजः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जो योजना का प्रभावी कार्यान्वयन कर रहे हैं तथा कौन-कौन से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस सिलसिले में पिछड़ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का 'मनरेगा' के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पुरस्कृत करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रावधानों और इस हेतु निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि 'मनरेगा' के अंतर्गत गरीबों/बी.पी.एल. स्तर के लोगों की जगह सरपंच सहित अन्य प्रभावशाली लोगों को लाभ मिल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग निर्धारित और अधिकार पर आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एम.आई.एस. कार्यक्रम में, राष्ट्रीय स्तर पर सृजित औसत श्रमदिवसों की संख्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 46 दिन थी। इसी दौरान, 18 राज्यों ने जानकारी दी कि उनके राज्य में प्रत्येक परिवार के लिए औसत श्रमदिवसों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम थी। मनरेगा के अंतर्गत, प्रत्येक परिवार के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सृजित औसत श्रमदिवसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत, कार्यकलापों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए पांच राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, सिक्किम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को पुरस्कृत किया है।

(ङ) इस योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मंत्रालय ने कोई प्रावधान और समय सीमा निर्धारित नहीं की है, क्योंकि मनरेगा के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

(च) और (छ) मनरेगा एक मांग निर्धारित और स्वयं लक्षित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।

विवरण

सृजित औसत श्रम दिवसों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रत्येक परिवार के लिए औसत श्रमदिवस (वित्तीय वर्ष 2012-13)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	29
3.	असम	25
4.	बिहार	45
5.	छत्तीसगढ़	45
6.	गुजरात	41
7.	हरियाणा	44
8.	हिमाचल प्रदेश	51
9.	जम्मू और कश्मीर	57
10.	झारखंड	40
11.	कर्नाटक	46
12.	केरल	55
13.	मध्य प्रदेश	40
14.	महाराष्ट्र	54
15.	मणिपुर	62
16.	मेघालय	51
17.	मिज़ोरम	88
18.	नागालैंड	63
19.	ओडिशा	34
20.	पंजाब	27
21.	राजस्थान	52
22.	सिक्किम	64
23.	तमिलनाडु	58
24.	त्रिपुरा	87
25.	उत्तर प्रदेश	29
26.	उत्तराखंड	44
27.	पश्चिम बंगाल	35
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52
29.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.
30.	दमन और दीव	एन.आर.
31.	गोवा	14
32.	लक्षद्वीप	26
33.	पुदुचेरी	21
	औसत	46

एन.आर. : असूचित

[अनुवाद]

ट्रेनों के फेरे बढ़ाना

4299. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को गुजरात से आने-जाने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाकोर, पालिटाना, सोमनाथ, अम्बाजी और जूनागढ़ जैसे विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए यात्रियों हेतु उपलब्ध ट्रेनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन स्थलों के महत्त्व को देखते हुए इतनी ट्रेनें लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां, रेलवे प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात से/तक चलने वाली गाड़ियों के फेरों में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) 19.07.2013 से 59201/59202 भावनगर-पालीताना पैंसेजर (दैनिक), 18.08.2013 से 59507/59508 सोमनाथ-राजकोट पैंसेजर (दैनिक) को शुरू करने सहित और 5.10.2013 से 59297/59298 पोरबंदर-वेरावल पैंसेजर के सोमनाथ तक विस्तार के साथ, सोमनाथ और पालीताना के लिए अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। इस समय दाकोर, पालीताना, सोमनाथ और जूनागढ़ स्टेशन निम्नलिखित गाड़ी सेवाओं द्वारा पर्याप्त रूप से सेवित हो रहे हैं :

स्टेशनों के नाम	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या	मेमू/पैंसेजर गाड़ियों की संख्या
दाकोर	कुछ नहीं	5 जोड़ी (दैनिक)
पालीताना	कुछ नहीं	4 जोड़ी (दैनिक)
सोमनाथ	4 जोड़ी सेवाएं जिनमें 2 जोड़ी गाड़ियां प्रतिदिन सेवित कर रही है, 1 जोड़ी गाड़ी सप्ताह में 5 दिन परिचालित की जा रही हैं और 1 जोड़ी गाड़ी सप्ताह में दो दिन।	3 जोड़ी (दैनिक)
जूनागढ़	7 जोड़ी सेवाएं जिनमें 3 जोड़ी गाड़ियां प्रतिदिन, 1 जोड़ी गाड़ी सप्ताह में 5 दिन परिचालित की जा रही है, 1 जोड़ी गाड़ी सप्ताह में दो दिन और 2 जोड़ी गाड़ी साप्ताहिक रूप से सेवित कर रही है।	बड़ी आमान लाइन पर 5 जोड़ी (दैनिक) और मीटर आमान लाइन पर 2 जोड़ी (दैनिक)

इसके अलावा, आनंद-दाकोर के बीच 2 जोड़ी मेमू सेवाएं शुरू करने की रेलवे बजट 2014-15 में घोषणा की गई। वर्तमान में, अंबाजी के लिए कोई भी सीधी रेलगाड़ी सेवा नहीं है, क्योंकि यह रेलशीर्ष पर नहीं है। बहरहाल, अंबाजी जाने वाले इच्छुक तीर्थयात्री उस ओर जाने वाली गाड़ियों, जिनका ठहराव आबू रोड पर दिया गया है और जो अंबाजी से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर है, का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पूनम के दिनों में, अहमदाबाद, आनंद और वदोदरा से दाकोर के लिए तीन जोड़ी पूनम विशेष गाड़ियां भी चलती हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण

4300. श्री सज्जन वर्मा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों में किए गए स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य का केन्द्र-वार/स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में ऐसे स्थानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां अभी तक दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के द्वारा प्रसारित

कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में 25 स्थानों पर आकाशवाणी स्टेशन कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी स्टेशनों के अवस्थान-वार ब्यौरे और पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन आकाशवाणी केन्द्रों में किए गए स्तरोन्नय और आधुनिकीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश स्थित दूरदर्शन केन्द्रों (स्टूडियो सेंटर)/स्टेशनों में किए गए प्रमुख स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में में दिए गए हैं।

स्थलीय मोड में दूरदर्शन कवरेज आंध्र प्रदेश के लगभग 82.7% क्षेत्रफल पर बसी लगभग 89.7% आबादी को उपलब्ध होने का अनुमान है। ऐसे क्षेत्रों जो स्थलीय प्रसारण के दायरे में शामिल नहीं हैं (और साथ ही समूचे देश) में दूरदर्शन की फ्री-टु-एअर डी.टी.एच. सेवा के माध्यम से बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध कराया गया है।

आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों को आकाशवाणी स्थलीय कवरेज के दायरे में नहीं लाया जा रहा है :

(i) विशाखपत्तनम के पश्चिमोत्तर हिस्से का छोटा सा भूक्षेत्र।

(ii) श्रीकाकुलम जिले के पूर्वोत्तर खंड में सोमतोर के निकट छोटा सा भूक्षेत्र।

तथापि, दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफोर्म के केयू-बैंड (डी. डी. फ्री डिश) पर उपलब्ध आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) दायरे में न शामिल क्षेत्रों सहित पूरे आंध्र प्रदेश में एक सेट-टॉप-बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के ब्यौरे के साथ आंध्र प्रदेश में मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र	प्रेषित्र क्षमता/प्रकार		आकाशवाणी के नेटवर्क के उन्नयन एवं मोडरनाइजेशन स्कीम का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति	
		मी.वेव/शार्ट वेव	एफ.एम.	योजना	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	अदिलाबाद	1 किवा मी. वेव		1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन प्रक्रियाधीन।	प्रक्रियाधीन
2.	अडोनी		100 वाट	–	
3.	अनंतपुर		6 किवा	एस.टी.एल. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
				यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
4.	बांसवाड़ा		100 वाट	–	–
5.	कुडप्पा	100 किवा मी.वेव		100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डी.आर.एम. मोड में परिवर्तित करना	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6
				नया 1 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना	संस्थापित एवं चालू के अधीन
				स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण	प्रक्रियाधीन
6.	हैदराबाद	200 किवा मी.वेव 20 किवा मी.वेव	10 किवा 10 किवा	6 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन।	पूरा
		50 किवा शार्ट वेव		20 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डी.आर.एम. मोड में परिवर्तित करना।	प्रक्रियाधीन
				स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण।	प्रक्रियाधीन
				आर.एन.यू. का डिजिटलीकरण।	पूरा
				न्यूज ऑन फोन सेवा में वृद्धि।	–
				नया डिजिटल अभिलेखीय केन्द्र।	पूरा
				एस.टी.एल. (सं. 2) का डिजिटलीकरण।	प्रक्रियाधीन
				डी.टी.एच. चैनल के लिए अपलिंक में वृद्धि।	पूरा
7.	काकीनाडा		100 वाट	–	–
8.	करीमनगर		5 किवा	आर.एन.टी. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
9.	कामारेडी		100 वाट	–	–
10.	खम्मम		100 वाट	–	–
11.	कोठागुडम्		6 किवा	6 कि. वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर को बदलना।	प्रक्रियाधीन
12.	कुरनूल		6 किवा	यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
13.	मचरेला		3 किवा	आर.एन.टी. का डिजिटलीकरण।	प्रक्रियाधीन
14.	महबूब नगर		10 किवा	–	–
15.	मरकापुरम्		6 किवा	यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
16.	नांडयाल		100 वाट	–	–
17.	नेल्लैर		100 वाट	–	
18.	निजामाबाद		6 किवा	यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6
				आर.एन.टी. का डिजिटलीकरण।	प्रक्रियाधीन
19.	ओनगोले		100 वाट	–	–
20.	श्रीकाकुलम		1 किवा	आर.एन.टी. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
21.	सूर्यापेट		1 किवा	रेगुलर 10 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।	प्रक्रियाधीन
22.	तिरूपती		10 किवा	एस.टी.एल. (सं. 2) का प्रावधान।	संस्थापना के अधीन
			3 किवा	यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
23.	विजयवाड़ा	100 किवा मी. वेव 1 किवा मी. वेव	10 किवा 1 किवा	1 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 10 कि.वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर में उन्नयन।	पूरा
				100 कि.वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को डी.आर.एम. ट्रांसमीटर में बदलना।	संस्थापना के अधीन
				स्टूडियो एवं नटवर्किंग का डिजिटलीकरण।	संस्थापना के अधीन
				आर.एन.यू. और एस.टी.एल. का डिजिटलीकरण।	संस्थापना के अधीन
				यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
				टेलीमेटरी सिस्टम का प्रावधान।	–
24.	विशाखापटनम्	100 किवा मी. वेव	10 किवा	स्टूडियो एवं नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण।	प्रक्रियाधीन
				नए आर.एन.यू. का सृजन।	तकनीकी रूप से तैयार
				एस.टी.एल का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन
				यू.पी.एस. का प्रावधाान।	प्रक्रियाधीन
25.	वारंगल		10 किवा	यू.पी.एस. का प्रावधान।	प्रक्रियाधीन

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र में किया गया उन्नयन/ आधुनिकीकरण कार्य

किया गया उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य

निजामाबाद में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को 500 वाट (1+1) के आटो मोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से बदला गया

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में डिजीटल प्रोडक्शन स्विचर, टेलीप्रोम्पटर, पोर्टेबल टेलीप्रोम्प्टर, उपलब्ध कराया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, विजयवाड़ा में डिजीटल प्रोडक्शन स्विचर, टेलीप्रोक्पटर, आडियो कंसोल, एनर्जी एफिसिएंट लाइट उपलब्ध कराई गई।

महबूबनगर के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (अंतरिम सेटअप) में बदला गया।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में नॉन लाइनियर एडिटिंग सिस्टम, मोबाइल न्यूज गैदरिंग यूनिट, स्लो मोशन सर्वर उपलब्ध कराया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, विजयवाड़ा में नॉन लाइनियर एडिटिंग स्यूट्स, डिजीटल पेरीफेरल उपकरण उपलब्ध कराए गए।

कोठगुडेम, नलगोंडा, ओंगोल, अदीलाबाद, खम्मम, श्रीकाकुलम तथा कडप्पा में 100 वाट के पुराने अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 500 वाट (1+1) आटोमोड ट्रांसमीटर से बदला गया।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में डिजीटल वी.सी.आर. कम्पैक्ट कैमकार्डर उपलब्ध कराए गए।

दूरदर्शन केन्द्र, विजयवाड़ा में अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर/लिफ्ट

4301. श्री समीर भुजबल: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु चिन्हित स्टेशनों का ब्यौरा क्या है एवं इस प्रयोजनार्थ जोन-वार कितनी निधि आवंटित/निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त एस्केलेटरों और लिफ्टों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) एस्केलेटरों/लिफ्टों के संचालन/प्रचालन तथा अनुरक्षण के संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) ए1, ए एवं सी कोटि के स्टेशनों और पर्यटन महत्त्व के स्टेशनों पर वांछनीय सुविधाओं के रूप में एस्केलेटरों की व्यवस्था के लिए नीति विषयक दिशा-निर्देश मौजूद हैं और धनराशि की उपलब्धता के मद्देनजर इनकी व्यवस्था करने की योजना है। अभी तक, 71 रेलवे स्टेशनों पर 186 एस्केलटरों और मेट्रो रेलवे कोलकाता और चैन्ने के उपनगरीय खंडों सहित 44 स्टेशनों पर 101 लिफ्टों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों के लिए 471 अधिक एस्केलेटरों और 400 लिफ्टों के लिए स्वीकृति मौजूद है। रेलवे स्टेशन जहां एस्केलेटर और लिफ्टों को मुहैया करया गया है ओर मुहैया कराए जाने की योजना है का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

2013-14 के दौरान योजना शीर्ष-यात्री सुविधाओं के तहत 895 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और एस्केलेटर मुहैया कराए जाने के लिए निधियां आवश्यकता के अनुसार आबंटित की जाती हैं।

(ग) महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर एस्केलेटर मुहैया कराना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता, निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाता है।

(घ) एस्केलेटरों का रख-रखाव सामान्यत: वार्षिक अनुरक्षण ठेके (ए.एम.सी.) के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

संस्थापित किए गए एस्केलेटर और लिफ्टें/इनकी व्यवस्था की योजना

रेलवे	क्र.सं.	स्टेशन का नाम	एस्कालेटर		लिफ्ट	
			एस्केलेटर संस्थापित	एस्केलेटर लगाने की योजना	लिफ्ट संस्थापित	लिफ्ट की योजना
1	2	3	4	5	6	7
	1	अंधेरी		..		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	2	बदनेरा		जी हां		जी हां
	3	भुसावल		जी हां		जी हां
	4	दादर	जी हां	जी हां		जी हां
	5	दौंड		..		जी हां
	6	डोमबीवाली	जी हां	जी हां		जी हां
	7	गुलबर्गा		जी हां		जी हां
	8	घाटकोपर		जी हां		जी हां
मध्य रेलवे	9	जलगांव		जी हां		जी हां
	10	कल्याण	जी हां	जी हां		जी हां
	11	खंडवा		जी हां		जी हां
	12	कोल्हापुर		जी हां		जी हां
	13	कुर्ला (लोकमान्य तिलक ट)		जी हां		जी हां
	14	लोनावाला		जी हां		जी हां
	15	मनमांड		जी हां		जी हां
	16	मुंबई सी.एस.टी.		..	जी हां	जी हां
	17	नागपुर	जी हां	जी हां		जी हां
	18	नासिक रोड		जी हां		जी हां
	19	पुणे	जी हां	जी हां		जी हां
	20	शोलापुर		जी हां		जी हां
	21	थाणे	जी हां	जी हां		जी हां
	22	भुवनेश्वर	जी हां	जी हां		जी हां
	23	ब्रह्मपुर		जी हां		जी हां
पूर्व तट रेलवे	24	कटक		जी हां		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	25	राइराखोल		..	जी हां	
	26	विशाखापट्नम		जी हां		जी हां
	27	आरा जं.		जी हां		जी हां
	28	बरौनी जं.		जी हां		जी हां
	29	बक्सर		जी हां		जी हां
	30	दरभंगा जं.		जी हां		जी हां
	31	धनबाद		जी हां		जी हां
	32	गया जं.		जी हां		जी हां
	33	हाजीपुर जं.		जी हां		जी हां
पूर्व मध्य रेलवे	34	कोडरमा				जी हां
	35	मुगलसराय जं.		जी हां		जी हां
	36	मुजफ्फरपुर		जी हां		जी हां
	37	पटना जं.		जी हां		जी हां
	38	राजेन्द्र नगर		जी हां		जी हां
	39	सहरसा जं.		जी हां		जी हां
	40	समस्तीपुर जं.		जी हां		जी हां
पूर्व रेलवे	41	आसनसोल		जी हां		जी हां
	42	बर्धमान		जी हां		जी हां
	43	बेलूर		जी हां		जी हां
	44	भागलपुर		जी हां		जी हां
	45	दुर्गापुर		जी हां		जी हां
	46	हावड़ा	जी हां	जी हां		
	47	जसडीह		जी हां		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	48	कोलकाता टर्मिनल		जी हां		जी हां
	49	मालदा टाउन (एम)		जी हां		जी हां
	50	सियालदाह		जी हां		
	51	तारकेश्वर		जी हां		जी हां
	52	आगरा कैंट	जी हां	जी हां		जी हां
	53	आगरा फोर्ट		जी हां		जी हां
	54	अलीगढ़		जी हां		जी हां
	55	इलाहाबाद	जी हां	जी हां		जी हां
	56	इटावा		जी हां		जी हां
उत्तर प्रदेश रेलवे	57	ग्वालियर		जी हां		जी हां
	58	झांसी		जी हां		जी हां
	59	कानपुर	जी हां	जी हां		जी हां
	60	मथुरा जं.		जी हां		जी हां
	61	राजा की मंडी		जी हां		जी हां
	62	टुंडला		जी हां		जी हां
	63	आजमगढ़		जी हां		जी हां
पूर्वोत्तर रेलवे	64	बलिया		जी हां		जी हां
	65	बस्ती		जी हां		जी हां
	66	छपरा जं.		जी हां		जी हां
	67	देवरिया सदर		जी हां		जी हां
	68	गोंडा जं.		जी हां		जी हां
	69	गोरखपुर (सी.डी.जी. के लिए परिवर्तित)		जी हां		जी हां
	70	लखनऊ जं.				जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	71	मउ जं.		जी हां		जी हां
	72	सिवान जं.		जी हां		जी हां
	73	कामख्या जं.		जी हां		जी हां
	74	डिब्रूगढ़ टाउन		जी हां		जी हां
	75	दिमापुर		जी हां		जी हां
	76	गुवाहाटी		जी हां		जी हां
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	77	कटिहार		जी हां		जी हां
	78	किशनगंज		जी हां		जी हां
	79	न्यू कूच बिहार		जी हां		जी हां
	80	न्यू जलपाईगुड़ी		जी हां		जी हां
	81	तिनसुकिया जं.		जी हां		जी हां
	82	अंबाला कैंट		जी हां		जी हां
	83	अमृतसर		जी हां		जी हां
	84	आनंद विहार	जी हां		जी हां	जी हां
उत्तर रेलवे	85	बरेली		जी हां		जी हां
	86	भटिंडा जं.		जी हां		जी हां
	87	ब्यास				जी हां
	88	चंडीगढ़		जी हां		जी हां
	89	देहरादून		जी हां		जी हां
	90	दिल्ली मेन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	91	दिल्ली सराय रोहिल्ला		जी हां		जी हां
	92	दिल्ली शाहदरा		जी हां		जी हां
	93	फरीदाबाद		जी हां		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	94	फैजाबाद		जी हां		
	95	फिरोजपुर		जी हां		जी हां
	96	गाजियाबाद		जी हां		जी हां
	97	ह निजामुद्दिन		जी हां		जी हां
	98	हरिद्वार		जी हां		जी हां
	99	जालंधर सिटी		जी हां		जी हां
	100	जम्मू तवी		जी हां		जी हां
	101	लखनऊ		जी हां		जी हां
	102	लुधियाना (सी.डी.जी. के लिए परिवर्तित)		जी हां		जी हां
	103	मेरठ सिटी		जी हां		जी हां
उत्तर रेलवे	104	मुरादाबाद		जी हां		जी हां
	105	नई दिल्ली (लखनऊ से डाईवट किया गया)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	106	पानीपत				जी हां
	107	पठानकोट		जी हां		जी हां
	108	राय. बरेली जं.		जी हां		जी हां
	109	रुड़की		जी हां		जी हां
	110	सहारनपुर जं.		जी हां		जी हां
	111	सुल्तानपुर		जी हां		जी हां
	112	वाराणसी		जी हां		जी हां
	113	आबू रोड		जी हां		
	114	अजमेर	जी हां	जी हां		जी हां
उत्तर पश्चिम रेलवे	115	भिलवाड़ा (झांसी से स्थानांतरित)		जी हां		

1	2	3	4	5	6	7
	116	बीकानेर		जी हां		जी हां
	117	जयपुर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	118	जोधपुर		जी हां		जी हां
	119	उदयपुर सिटी		जी हां		जी हां
दक्षिण मध्य रेलवे	120	औरंगाबाद		जी हां		जी हां
	121	भीमावरम टाऊन			जी हां	
	122	चिराला			जी हां	जी हां
	123	गुंटूर		जी हां	जी हां	जी हां
	124	गुंतकल			जी हां	
	125	गुद्दूर			जी हां	
	126	हैदराबाद		जी हां		जी हां
	127	काकीनांडा टाउन			जी हां	
	128	काचेगुडा	जी हां	जी हां		जी हां
	129	काजीपेट		जी हां		
	130	करनूल टाउन		जी हां		
	131	नांदेड		जी हां		जी हां
	132	नेल्लौर		जी हां	जी हां	जी हां
	133	राजामुंद्री		जी हां		जी हां
	134	रेणुगुंटा		जी हां		जी हां
	135	समलकोट			जी हां	
	136	सिकंदराबाद	जी हां	जी हां		जी हां
	137	तेनाली		जी हां	जी हां	जी हां
	138	तिरूपति	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	139	विजयवाड़ा	जी हां	जी हां		जी हां
	140	वारंगल		जी हां		जी हां
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	141	बिलासपुर	जी हां	जी हां		जी हां
	142	दुर्ग		जी हां		जी हां
	143	गोंदिया		जी हां		जी हां
	144	राज नंद गांव				जी हां
	145	रायपुर	जी हां	जी हां		जी हां
दक्षिण पूर्व रेलवे	146	बोकारो स्टील प्लांट		जी हां		जी हां
	147	हटिया		जी हां		जी हां
	148	खंडगपुर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	149	रांची	जी हां	जी हां		जी हां
	150	राउकेला		जी हां		जी हां
	151	टाटानगर		जी हां		जी हां
	152	अलुवा		जी हां		जी हां
	153	चेंगानूर		जी हां		जी हां
	154	चैन्नै एग्मोर		जी हां		जी हां
	155	कोयम्बटूर		जी हां		जी हां
दक्षिण रेलवे	156	एर्णाकुलम टाउन		जी हां		
	157	एर्णाकुलम जं.	जी हां	जी हां		जी हां
	158	एरोड जं.		जी हां		जी हां
	159	कन्नूर		जी हां		
	160	काटपाडी		जी हां		जी हां
	161	कोट्टायम		जी हां		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	162	कोजीकोडे (कालीकट)		जी हां	जी हां	जी हां
	163	मदुरै		जी हां		जी हां
	164	मैंगलोर		जी हां		जी हां
	165	नगरकोईल जं.		जी हां		जी हां
	166	पल्लकाड जं.		जी हां		जी हां
	167	क्यूलोन जं.		जी हां		जी हां
	168	रामेश्वरम				जी हां
	169	सलेम ज.ं		जी हां	जी हां	जी हां
	170	तामबरम		जी हां		
	171	तीरापुर		जी हां		जी हां
	172	तिरुनेलवेल्ली जं.		जी हां		जी हां
	173	तिरुवंतपुरम सेंट्रल		जी हां	जी हां	जी हां
	174	त्रिचूर		जी हां		
	175	तूतिकोरीन				जी हां
	176	बैंगलोर		जी हां	जी हां	जी हां
	177	बेलगम				जी हां
दक्षिण पश्चिम रेलवे	178	होसपेट जं.				जी हां
	179	हुबली		जी हां		जी हां
	180	मैसूर जं.		जी हां		जी हां
	181	यशवंतपुरम		जी हां		जी हां
पश्चिम मध्य रेलवे	182	भोपाल		जी हां		जी हां
	183	बीना				जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	184	हबीबगंज		जी हां		जी हां
	185	इटारसी		जी हां		जी हां
	186	जबलपुर	जी हां	जी हां		जी हां
	187	कटनी		जी हां		जी हां
	188	कोटा		जी हां		जी हां
	189	सतना		जी हां		जी हां
	190	अहमदाबाद	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	191	आनंद		जी हां		जी हां
	192	अंधेरी		जी हां		जी हां
	193	अंकलेश्वर				जी हां
	194	बांद्रा टर्मिनल		जी हां		
पश्चिम रेलवे	195	भरूच		जी हां		
पश्चिम रेलवे	196	भायादंर		जी हां		
	197	बिलीमोरा				जी हां
	198	बोरीवली	जी हां	जी हां		जी हां
	199	दादर	जी हां	जी हां		जी हां
	200	गांधीधाम		जी हां		
	201	इंदौर		जी हां		जी हां
पश्चिम रेलवे	202	जामनगर		जी हां		
	203	मीरा रोड		जी हां		
	204	मुंबई सेंट्रल (मेन)		जी हां		
	205	मुंबई सेंट्रल (लोकल)		जी हां		
	206	न्यू भुज		जी हां		जी हां

1	2	3	4	5	6	7
	207	राजकोट		जी हां	जी हां	जी हां
	208	रतलाम		जी हां		जी हां
	209	सूरत	जी हां	जी हां		जी हां
	210	उधना				जी हां
	211	उज्जैन		जी हां		जी हां
	212	वदोदरा	जी हां	जी हां		जी हां
	213	वलसाड		जी हां		जी हां
	214	वापी		जी हां		जी हां
	215	विले पारले	जी हां	जी हां		जी हां
	216	विरार	जी हां			जी हां
मेट्रो रेलवे कोलकाता	217	दमदम-	जी हां			
	218	बेल गछिया	जी हां			
	219	श्याम बाजार	जी हां			
	220	शोबाजार सुतारनुती	जी हां			
	221	गिरीश पार्क	जी हां			
	222	महात्मा गांधी रोड	जी हां			
	223	सेंट्रल	जी हां			
	224	चांदनी चौक	जी हां			
	225	स्पलेनेड	जी हां			
	226	पार्क स्ट्रीट	जी हां			
	227	रबिंद्र सदन	जी हां			
	228	नेताजी भवन	जी हां		जी हां	
	229	जतिन दास पार्क	जी हां			

1	2	3	4	5	6	7
	230	कालीघाट	जी हां			
	231	रबिंद्र सरोवर	जी हां			
	232	महानायक उत्तम कुमार	जी हां			
	233	नेताजी	जी हां			
	234	मसतेरडा सुर्बा सेन	जी हां		जी हां	
	235	गीतांजली	जी हां		जी हां	
	236	कवि नजरूल	जी हां		जी हां	
	237	शहीद खुदीराम	जी हां		जी हां	
	238	कवि सुभाष	जी हां			
	239	चिंदादरीपेट	जी हां		जी हां	
	240	चेपुक	जी हां		जी हां	
	241	ट्रिकलीपेन	जी हां		जी हां	
	242	लाइट हाऊस	जी हां		जी हां	
	243	थिरूमलै	जी हां		जी हां	
	244	मंडावेली	जी हां		जी हां	
दक्षिण रेलवे (उपनगरीय-खंड)	245	ग्रीनवेस	जी हां		जी हां	
	246	कोट्टूपुरम	जी हां		जी हां	
	247	कस्तूरबा नगर	जी हां		जी हां	
	248	इंदिरा नगर	जी हां		जी हां	
	249	थिरूवनमयूर	जी हां		जी हां	
	250	थारमनी	जी हां		जी हां	
	251	वालाचेरी			जी हां	
	252	तांबरम			जी हां	
	253	पेरूगुंडी			जी हां	

[हिन्दी]

भारी यात्री-यातायात के कारण दुर्घटना

4302. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को महाराष्ट्र में मुंबई की लोकल ट्रेनों में प्राय: होने वाली दुर्घटनाओं और भारी यात्री-यातायात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुई दुर्घटनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा मुंबई में लोकल ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने और यात्री-यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2012-13 और चालू वर्ष (जनवरी, 2014 तक) के दौरान केवल 08 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें ई.एम.यू. लोकल गाड़ियां शामिल हैं। अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 की अवधि के दौरान मध्य और पश्चिम रेलों पर उपनगरीय क्षेत्र में बुक किए गए यात्रियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान बुक किए गए 2297.49 मिलियन यात्रियों की तुलना में 2301.35 मिलियन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुंबई उपनगर की ई.एम.यू. लोकल गाड़ियों सहित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मुंबई उपनगर की ई.एम.यू. गाड़ियों सहित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटना की किस्म	हताहत
1	2	3	4
2010-11	1	पटरी से उतरना-1	कोई नहीं
2011-12	1	पटरी से उतरना-1	घायल-1
2012-13	5	टक्कर-1 पटरी से उतरना-3 आग लगना-1	मृतक-1 घायल-44
2013-14 (31 जनवरी तक)	1	पटरी से उतरना-1	कोई नहीं

(घ) भारतीय रेलों में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने तथा संरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार हरसंभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा अभियान, सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों की निगरानी तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अन्य उपकरणों/प्रणालियां शुरू की जा रही हैं जिनमें ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर, (बी.पी.ए.सी.), आनुषंगिक चेतावनी प्रणाली, (ए. डब्ल्यू.एस.), सतर्कता नियंत्रण उपकरण, (वी.सी.डी.), गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली, (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली/टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) आदि शामिल हैं।

मुंबई की लोकल गाड़ियों में यात्री यातायात को नियंत्रित करने के उपायों में शामिल हैं। ई.एम.यू. सेवाओं के फेरे बढ़ाना, लोकल गाडियों के डिब्बे 9 से बढ़ाकर 12 डिब्बे और 12 डिब्बों वाली लोकल गाड़ियों को 15 डिब्बों तक करना तथा खंड क्षमता का इष्टतम उपयोग। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इसके अलावा, स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों पर कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा कक्षों में अधिक जगह मुहैया कराई जाती है। अत्यधिक भीड़ हो जाने पर लोकल गाड़ियों में यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक तथा सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। अतिरिक्त ऊपरी पैदल, पुलों, एस्केलेटरों,

ट्रैक बैरियरों तथा चारदीवारी क्रमिक रूप से मुहैया कराई जा रही हैं। यात्रियों और अनधिकृत रूप से रेलपटरियों को लापरवाही से पार करने वालों को जागरूक करने के लिए जन उद्घोषणाएं, नुक्कड़, नाटक, जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। अप्राधिकृत अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के खतरों के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए प्रिन्ट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी विज्ञापन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक विमान सेवाएं

4303. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश में वाणिज्यिक विमान सेवाओं हेतु आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रचालकों/कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश में वाणिज्यिक विमान प्रचालन शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है तथा उन प्रचालकों/कंपनियों के नाम क्या हैं जो इस हेतु सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) इन निजी विमान सेवा प्रचालकों/कंपनियों/प्रचालकों के स्वामित्वाधीन विमानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। घरेलू अनुसूचित विमान परिवहन (यात्री/क्षेत्रीय) सेवाओं को आरंभ करने के लिए आर्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के लिए वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) एयर एशिया (इंडिया) प्रा.लि.

(ii) एयरवन एविएशन, सर्विसेज प्रा.लि.

(iii) जेक्सस एयर सर्विसेज प्रा.लि.

(iv) फ्रीडम एविएशन प्रा.लि.

(v) एयर कार्निवल प्रा.लि. और

(vi) टर्बो मेघा एयरवेज प्रा.लि.

(vii) टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित कंपनियों में से मैसर्स एयर एशिया (इंडिया प्रा.लि.) को घरेलू अनुसूचित विमान परिवहन (यात्री) सेवाएं आरंभ करने के लिए आर्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(ग) दिनांक 10.12.2013 को मैसर्स एयर एशिया इंडिया प्रा.लि. को 10 एयर बस ए-320-200 विमानों के आयात का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

'एलाइंस एअर' का विलय

4304. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एलाइंस एअर' का 'एअर इंडिया' के साथ विलय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एलाइंस एअर' के कर्मचारियों को 'एअर इंडिया' में आमेलित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों की सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश

4305. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) को

दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न चरमपंथी समूहों और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा रेलवे जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले की घटनाएं बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) रेलवे द्वारा आर.पी.एफ. को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर.पी.एफ. के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई और व्यय राशि का जोन एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आर.पी.एफ. में कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, रेल सुरक्षा बल को रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों एवं उनसे संबंधित मामलों की सुरक्षा एवं संरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तदनुसार, यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा के लिए संबंधित राज्यों के राजकीय रेल पुलिस के प्रसायसों में मदद करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। रेल सुरक्षा बल अधि नियम के उद्देश्यों के अनुपालन के लिए समय-समय पर जोनल रेलों को दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। रेलों पर अपराध का पता लगाने और उसका निवारण करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्यों का संवैधानिक उत्तरदायित्व होने के कारण रेल अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन, मंडल एवं फील्ड स्तर पर संबंधित राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

(ग) सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन रेलवे द्वारा एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। मानक समिति की रिपोर्ट के आधार पर, रेल सुरक्षा बल के सुरक्षा से संबंधित 30 आधुनिक उपकरणों के मानकों एवं मापों को अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, जोनल रेलों ने रेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए इन मदों की खरीद की है। उपर्युक्त के अलावा, 202 संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को संस्थापित करने, जिसमें सी.सी.टी.वी. कैमरे, सामानों के लिए स्कैनर्स, डी.एफ. एम.डी. बम निरोधक उपकरण आदि का भी अनुमोदन किया गया है।

सुरक्षा को सुदृढ़ करने और रेल सुरक्षा बल को आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष रेलवे के निर्माण कार्यक्रम और मशीनरी एवं संयंत्र कार्यक्रम में परिसंपत्तियों के सृजन एवं उपकरणों की खरीद से संबंधित कार्य भी स्वीकृत किए जाते हैं। निविदा देने, खरीद कार्यक्रम आदि जैसे निहित प्रक्रियाओं के कारण इन कार्यों की विशिष्ट परिपक्वता अवधि होती है। बहरहाल, कार्यों को समय पर पूरा करने और उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग करने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) रेल सुरक्षा बल में जनशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों में 6913 अतिरिक्त पदों का सृजन करना, 511 उप-निरीक्षकों की भर्ती करना, 17087 अन्य अराजपत्रित पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाना शामिल है।

केरल हेतु ट्रेनें

4306. श्री एम.के. राघवन:
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल को देश के अन्य स्थानों से जोड़ने वाली साप्ताहिक और सप्ताह में दो-बार चलने वाली ट्रेनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन ट्रेनों के प्रचालन और इनमें यात्रियों के आरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ट्रेनों को दैनिक आधार पर चलाने और इनके फेरे बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त ट्रेनों को पुराने और खस्ताहाल डिब्बों के साथ चलाया जाता है जिससे यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इनमें अच्छे रेल डिब्बे लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) भारतीय रेल द्वारा गाड़ियां राज्य-वार आधार पर नहीं चलाई जातीं क्योंकि रेल नेटवर्क राज्यों की सीमाओं से परे है।

(ग) मौजूदा गाड़ियों की बारंबारता में वृद्धि करना एक

सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) गाड़ियों में सवारी डिब्बे चालन के लिए उपयुक्त पाए जाने पर ही जोड़े जाते हैं। बहरहाल नए सवारी डिब्बे चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो पुराने सवारी डिब्बों की आयु और नवनिर्मित सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

ट्रेकों पर मौत

4307. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष भारत में ट्रेकों पर 15000 से अधिक लोग मारे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर वर्ष 2013 के दौरान रेलपथों पर मारे गए व्यक्तियों और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर जिन पर मुकदमा चलाया गया, की संख्या तथा वसूल किया गया जुर्माना निम्नानुसार है :

रेलपथों पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या	अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना (करोड़ रु. में)
19997	163645	3.64 करोड़ रुपए

(ग) रेलों पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

1. रेलों ने शून्य/नगण्य यातायात घनत्व वाले बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद करके अथवा डायवर्ज़न रोड का निर्माण करके उनका निकटवर्ती समपार में विलय करके अथवा सबवे/निचले सड़क पुल की व्यवस्था करके बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को उत्तरोत्तर रूप से बंद करने का विनिश्चय किया है।

2. महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणालियों के जरिए नियमित रूप से घोषणाएं करके यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऊपरी पैदल पुल का उपयोग करें और रेल पटरियों को पार करने से बचें।

3. रेलपथ क्रॉसिंगों पर हताहतों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

4. रेलपथों सहित रेल परिसरों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, फुटबोर्ड पर यात्रा करना, गाड़ी के इंजन और छत पर चढ़ना रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं।

5. रेल पटरियों के साथ-साथ रेल परिसरों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, फुटबोर्ड पर यात्रा करने, गाड़ी के इंजन और छत पर चढ़ने के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

ललित पुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना

4308. श्री गणेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललित पुर-सिंगरौली खण्ड पर नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का सतना-पन्ना-रीवा-सीधी और सिंगरौली-सीधी खण्डों पर अलग-अलग कार्य शुरू करने का विचार है;

(ग) इन पर आवंटित और व्यय की गई निधि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त खंडों पर कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) ललितपुर-खजुराहो-सतना, खजुराहो-महोबा और रीवा-सिंगरौली (541 कि.मी.) नई लाइन के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के ललितपुर-मवायखास (65 कि.मी.) और महोबा-खजुराहो (65 कि.मी.) खण्ड चालू कर दिए गए हैं। परियोजना के 411 कि.मी. शेष भाग यथा मवाय-खजुराहो, खजुराहो-सतना और रीवा-सिंगरौली का कार्य नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार निष्पादित किया जा रहा है :

(i) मवायखास-खड़गपुर (22 कि.मी.): कार्य पूरा हो गया है और इंजन चलाया गया है।

(ii) खड़गपुर-छतरपुर (47 कि.मी.): खड़गपुर-ईशानगर (25 कि.मी.) खण्ड में 142 कि.मी. तक कार्य पूरा हो गया है और इंजन चलाया गया है।

(iii) खाजुराहो-पन्ना (43.53 कि.मी.): अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(iv) पन्ना-सतना (74.20 कि.मी.): अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

(v) सतना-रीवा (74.68 कि.मी.): बड़ी आमान लाइन पहले से ही मौजूद है।

(vi) रीवा-सीधी (88.75 कि.मी.): बड़े पुलों, छोटे पुलों, निचले सड़क पुल और मिट्टी संबंधी संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।

(vii) सीधी-सिंगरौली (30.32 कि.मी.): विस्तृत अनुमान तैयार हो गया है।

मार्च, 2013 तक 1062.55 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2013-14 के लिए इस परियोजना हेतु 45 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। निधियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेयजल की उपलब्धता

4309. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पेयजल और स्वच्छता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने प्रतिशत घरों के निवासियों को पेयजल लाने के लिए आधे किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि बीस प्रतिशत से अधिक भारतीय ज्यादा नलों और अनाच्छादित कुंओं जैसे असुरक्षित स्रोतों से अशोधित पेयजल लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि पांच प्रतिशत से कम भारतीय नल से पेयजल ग्रहण करते हैं; और

(ङ) ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 22.10% ग्रामीण परिवारों को पेयजल लाने के लिए आधा किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है।

(ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 15.8% ग्रामीण परिवारों के पास पेयजल के शोधित स्रोत नहीं है तथा ऐसे परिवार जिनके पास स्वच्छ स्रोतों की सुविधा नहीं है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 30. 8% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन. आर.डी.डब्लू.पी.) के अंतर्गत सभी ग्रामीण बसावटों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति स्कीमों को शामिल करते हुए, पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत, राज्य सरकारों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में चयन करने, उनका अनुमोदन तथा कार्यान्वयन करने हेतु शक्तियां दी गई हैं। मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अधिक मात्रा में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति करें।

इस मंत्रालय ने 2011-2022 की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संबंधी एक कार्यनीति योजना भी तैयार की है, जिसमें आगामी दो पंचवर्षीय योजना अवधियों को शामिल किया

गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति सहित 50% ग्रामीण परिवारों को कवर किए जाने तथा 35% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक कनैक्शन दिए जाने का अंतरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति तथा 80% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक कनैक्शन दिए जाने का लक्ष्य है।

ट्रेन का ठहराव

4310. **श्री चार्ल्स डिएस:**
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री हरिभाऊ जावले:
प्रो. रामशंकर:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अपर्याप्त संख्या में डिब्बों के कारण भीड़/समस्या होती है और यदि हां, तो इनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाने सहित रेलवे स्टेशनों व आस-पास यात्री सुविधाएं सुधारने पर विचार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या रेलवे केरल में एर्णाकुलम जिले के त्रिपुनितुरा स्टेशन, कर्नाटक के कुडाच्ची एवं उगर रेलवे स्टेशनों तथा कोयंबटूर रेलवे जंक्शन सहित महाराष्ट्र के नंदुरा और रावेर रेलवे स्टेशनों पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों/महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त ट्रेनों को यह ठहराव कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं। यात्री वहन गाड़ियां सामान्यत: एक अनुसूचित गाड़ी संरचना के साथ चलाई जाती हैं जिनके लिए समुचित सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं। खंडीय क्षमता में विस्तार करने के यात्रियों की भीड़-भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए समय-समय पर कुछ गाड़ियों का संवर्द्धन किया जाता है, जो प्रतीक्षा सूची की स्थिति और अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने के लिए इन गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मेले जैसे विशेष अवसरों के साथ-साथ सीज़नल भीड़-भाड़ को क्लियर करने के लिए स्पेशल गाड़ियां भी चलाने की योजना बनाई जाती है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष मांगों को पूरा करने के लिए रेलवे नई सेवाएं भी शुरू करती है।

बहरहाल, सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, नई कोच विर्निर्माण इकाइयों की स्थापना के अलावा, मौजूदा रेलवे उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की फर्मों को कोच विर्निर्माण के लिए क्रयादेश भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यात्री यातायात की संख्या कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता आदि के आधार पर किया जाता है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

इसके अलावा, भारतीय रेलों का गाड़ियों में यात्रियों को मुहैया कराई गई सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में महत्त्वपूर्ण पहलकदमियां निम्नानुसार हैं :

1. मेन लाइन की लंबी दूरी वाली गाड़ियों के सवारी डिब्बों में गद्देदार सीटें/बर्थें, शौचालय एवं वाश बेसिन सुविधाएं आदि।

2. सभी प्रकार के आरक्षित सवारी डिब्बों (स्लीपर श्रेणी सहित) में दर्पण, स्नैक टेबल, मैगज़ीन बैग, वाटर बॉटल होल्डर, कोट हुक, सामान के छोटे रैक, सामान की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं आदि।

3. सुविधाओं में सुधार लाने के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बों में मोबाइल/लैपटॉप चार्ज करने की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

4. सडिका डिज़ाइन के सभी नवनिर्मित सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट फिट किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों में गाड़ियों का ठहराव देना एक सतत् प्रक्रिया है और यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे मांग, स्टेशन पर सम्हाले जाने वाला यातायात, परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, स्टेशन पर गाड़ी के गुजरने का समय, कस्बों और शहरों की जनसंख्या और विशेषता तथा विकास। बहरहाल, रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और

व्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है जो यातायात की औचित्यता आदि पर निर्भर करता है। फिलहाल, ऐसे स्टेशनों पर अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव देने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी

4311. श्री बलीराम जाधव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और अधिक विद्युत उत्पादन करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या देश की कुछ विद्युत इकाइयों का चयन प्रायोगिक आधार पर हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए किया गया है और इस सिलसिले में अमरीका सरकार को अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका ने इस संबंध में देश के विद्युत-गृहों को तकनीकी सहायता देने पर भी सहमति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराय सिंधिया): (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर, फिलहाल हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक विद्युत का उत्पादन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में 'शून्य'।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पी.एम.जी.एस.वाई.

4312. चौधरी लाल सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत 5237 करोड़ रु. की लागत से 10,155 कि.मी. लंबाई के 1984 सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं, जिनमें उधमपुर जिले के कार्य भी शामिल हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के दौरान मंजूरियों का ब्यौरा संलग्न विवरा में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में उधमपुर जिला सहित दिसंबर, 2013 तक 5057 कि.मी. लंबाई के 925 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ख) से (घ) पी.एम.जी.एस.वाई. की क्रियान्वयन संबंधित सरकार करती है और कार्यों का समापन राज्य की कार्यान्वयन क्षमता पर निर्भर करता है। जम्मू और कश्मीर में कार्य-निष्पादन में विलंब कामकाज का सीमित मौसम, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों तथा राज्य के कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था की समस्याओं की वजह से है। विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों और अधिकारप्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जा रहा है कि वे पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। मंत्रालय ने निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए हैं :

(i) राज्यों से उनकी कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(ii) बोली दस्तावेज प्रावधानों को मानक बनाया गया है।

(iii) क्षमता निर्माण हेतु फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iv) वास्तविक एवं वित्तीय पैरामीटरों की नियमित एवं व्यवस्थित समीक्षा की जाती है।

(v) कॉन्ट्रैक्टर आउटरिच प्रोग्राम चलाए जाते हैं।

विवरण

जम्मू और कश्मीर में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	वर्ष	दिनांक	मूल्य करोड़ में	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	लंबाई कि.मी. में
1.	2008-09	08 मई, 08	1200.26	440		2259.43
2.	2009-10			शून्य		
3.	2010-11	01 अप्रैल, 10	1463.21	470	24	2239.01
4.	2011-12			शून्य		
5.	2012-13	20 जुलाई, 12	1248.15	484	50	2651.23
6.	2012-13	13 दिसंबर, 12	526.37	119	5	843.52
	कुल		4437.99	1513	79	7993.19

वुल्लर बैराज परियोजना

4313. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वुल्लर बैराज परियोजना पर कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने पाकिस्तान के साथ वुल्लर बैराज पर हुई संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं कार्य पुन: आरंभ होने की अनुमानित तिथि क्या है और परियोजना की संरक्षा और सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सिंधु जल संधि में भारत को अपनी नदियों पर बाढ़ सुरक्षा और संरक्षण कार्य को रोकने के प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में वुलर बैराज परियोजना (तुलबुल नौचालन लौक परियोजना) पर आपत्ति जताई थी। भारत ने सुझाव दिया था कि मुद्दे का भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि, 1960 के प्रावधानों के तहत द्विपक्षीय तौर पर समाधान किया जाना चाहिए। भारत का विचार है कि परियोजना सिंधु जल संधि, 1960 के तहत अनुमत्य है। तथापि, सौहार्द्रपूर्ण संबंधी बनाए रखने की दृष्टि से परियोजना को 2 अक्तूबर 1987 से बंद कर दिया गया था।

संयुक्त बातचीत के एक हिस्से के रूप में परियोजना पर पाकिस्तान के साथ चर्चा की जा रही है। इसके मुद्देनजर, कार्य फिर से शुरू होने की कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। परियोजना की रक्षा और सुरक्षा जम्मू-कश्मीर सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है।

(ङ) सिंधु जल संधि, 1960 के अनुच्छेद III और अनुच्छेद IV के प्रावधानों के अनुसार सिंधु बेसिन नदियों पर बाढ़ सुरक्षा तथा अन्य गैर-उपभोगी उपयोगों की अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डिजिटल ग्रीन के बीच समझौता ज्ञापन

4314. श्री प्रदीप माझी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) और डिजिटल ग्रीन, जो कि एक माइक्रोसाफ्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है, के बीच कोई समझौता ज्ञापन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यान्वयन से एन.आर.एल.एम. के किस प्रकार से लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (एन.आर.एल.पी.) स्थापित कर दी है। एन.आर.एल.एम. मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से देश से घोर गरीबी का उन्मूलन करने हेतु 100 मिलियन से अधिक ग्रामीण गरीब परिवारों की संस्थाएं विकसित करके और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ जुड़कर सामाजिक एकजुटता तथा स्थायी आजीविका संवर्धन का अभियान चलाना है।

भारत में पंजीकृत डिजिटल ग्रीन ट्रस्ट (डिजिटल ग्रीन) नामक धर्मार्थ न्यास विश्वभर में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए विकास प्रयासों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का विकास और स्थापना करता है। इस न्यास का दृष्टिकोण स्थानीय रूप से प्रासंगिक आजीविका पद्धतियों की किफायती ढंग से जानकारी देने के लिए प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन के विकास का संयुक्त रूप है।

एन.आर.एल.पी.एस. और डिजिटल ग्रीन के बीच समझौता ज्ञापन पर 28 जनवरी, 2014 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एन.आर.एल.पी.एस. तथा डिजिटल ग्रीन के बीच बिना लागत वाली भागीदारी है, जिसमें डिजिटल ग्रीन "आजीविकाओं के लिए आई.सी.टी. सहायता" के लिए राष्ट्रीय सहायता संगठन (एन.एस.ओ.) की भूमिका निभाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख 28 जनवरी, 2017 से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 27 जनवरी, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

भागीदार के रूप में डिजिटल ग्रीन मुख्य रूप से आगे दर्शाए गए चार क्षेत्रों में एन.आर.एल.एम. को सहायता प्रदान करेगा:

1. **ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म का विकास :** स्थानीय रूप से प्रासंगिक सर्वोत्तम कार्यों और प्रौद्योगिक संरचना विकसित करना।

2. **प्रशिक्षण और क्षमता विकास सहायता :** भागीदार संगठनों के मास्टर रिसोर्स पर्सन का संवर्ग विकसित करने में एन.आर.एल.पी.एस., राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एन.आर.एल.एम.) तथा उन भागीदार संगठनों की सहायता करना, ये मास्टर रिसोर्स पर्सन ही डिजिटल ग्रीन के दृष्टिकोण से संबंधित कार्यकलाप का प्रबंधन करने व इन्हें स्थायी बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

3. **गुणवत्ता नियंत्रण सहायता :** प्रभाव आकलनों और प्रौद्योगिकी के विकास जैसे पहलुओं के संबंध में सहायता के लिए बाहरी परामर्शदाताओं और शैक्षणिक शोध कर्ताओं की नियुक्ति करना।

4. **तकनीकी सहायता :** एन.आर.एल.एम. और इसके भागीदारों की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को समेकित करना तथा पूरक सहायता सेवाएं प्रदान करना।

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहायता संगठन का संचालन और प्रबंधन करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना डिजिटल ग्रीन की जिम्मेदारी होगी। कोई भी पक्ष पर्याप्त कारण दर्शाते हुए 90 दिनों का नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

कंटेनर ट्रेन

4315. श्री धमेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कंटेनर ट्रेन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने वाले आपरेटरों का खंडवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इन आपरेटरों को विदेशी साझेदारी करने की अनुमति दी है या अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यार क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) भारतीय रेल पर कंटेनर गाड़ियां चलाने संबंधी नीति के अनुसार आवेदक द्वारा मांगी गई परिचालन की कोटि के आधार पर कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

गत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान देश में कंटेनर गाड़ियां चलाने के लिए कोटिवार दिए गए लाइसेंस का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लाइसेंस की कोटि	लाइसेंस प्राप्तकर्ता परिचालक का ब्यौरा
I	कोई नहीं
II	कोई नहीं
III	मै. फोरसी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 431, लक्ष्मी मॉल, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई-400053।
IV	कोई नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेल द्वारा एस.एम.एस. अभियान

4316. श्री वरुण गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का संपूर्ण देश में रेलवे की संपत्ति का अतिचार को रोकने के लिए एस.एम.एस. अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) रेल परसंपत्तियों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश रोकने हेतु रेलें जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समय-समय पर एस.एम.एस. अभियान चलाती हैं।

विज्ञान कांग्रेस

4317. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उच्च प्रतिशत में प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा निन्यानवेवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वायदा किया गया था;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार सकल घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है; और

(ग) मंत्रालय की अनुसंधान और विकास में उद्योग और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकृष्ट करने की क्या योजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के उच्चतर लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने बारहवीं योजना में अनेक उपायों का प्रस्ताव किया है। इन उपायों में वैज्ञानिक विभागों के लिए योजनागत आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में उभरते हुए एवं अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों एवं सुविधाओं का सृजन, अभिनव एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियों को प्रारंभ करना, आर एंड डी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना, सार्वजनिक – निजी आर एंड डी साझेदारी को प्रोत्साहित करने, आदि शामिल हैं। ज्यादा विभागों एवं महाविद्यालयों को अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में एस एंड टी अवसंरचना सुधार निधि (फिस्ट) के वित्त पोषण मानदंड को संशोधित किया गया है। उच्चतर लक्ष्य हासिल करने के लिए "विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन" (पर्स) जैसे प्रोत्साहन अनुदान में वित्त पोषण स्तर को बढ़ाया गया है। आधारभूत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव स्वायत्त वित्त पोषण निकाय, विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एस.ई.आर.बी.) बनाया गया है। 42 देशों के सक्रिय सहयोग से 80 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय

एस एंड टी सहयोग करार पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे को बढ़ाया गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, XIवीं योजना के दौरान आर एंड डी पर किया गया व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.88 प्रतिशत है। छः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों के लिए वर्ष 2012-13 में व्यय और 12वीं योजना के वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान (ब.अ.) क्रमशः 11424.30 करोड़ रु. और 16909.86 करोड़ रुपए हैं।

(ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमों के बदलते परिदृश्य में नवोन्मेष के महत्त्व को स्वीकार करते हुए और आर एंड डी में उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति (एस.टी.आई.पी.), 2013 बनाई है। उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों से निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं में लाभ में हिस्सेदारी के प्रावधान के साथ सार्वजनिक – भागीदारी मोड में वृहत आर एंड डी सुविधाओं की स्थापना करना, लोक निधियां प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र में आर एंड डी को सार्वजनिक संस्थाओं के समतुल्य मानना, प्रौद्योगिकी कार्य उद्भवकों (टी.बी.आई.) तथा विज्ञान आधारित उद्यमिता को पोषित करने के लिए अभिनव तंत्र बनाना, भारतीय आर एंड डी तंत्रों में बहु - स्टेकहोल्डरों की भागीदारी को अनुमति देना आदि शामिल हैं। रूपांतरण अनुसंधान कार्य करने के लिए नवोन्मेष परिसर का निर्माण और प्रौद्योगिकीविद प्रोत्साहन कार्यक्रम (टी.ई.पी.पी.), टी.बी.आई., औषध एवं भेषज अनुसंधान, लघु कार्य अभिनव अनुसंधान पहल (एस.बी.आई. आर.आई.), जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक साझेदारी कार्यक्रम (बी.आई.पी.पी.) जैव प्रौद्योगिकी प्रेरक अनुदान योजना (बी.आई.जी.), नव सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी अग्रता पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.), मुक्त स्रोत औषध अन्वेषण (ओ.एस.डी.डी.) जैसे मंत्रालय द्वारा अभिनव उत्पाद निर्माण, प्रौद्योगिकी एवं नूतन अनुप्रयोगों और योजनाओं तथा कार्यक्रमों को उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण हेतु बनाया गया है ताकि देश में आर एंड डी को वृहत रूप में अपनाया जा सके।

रोड अंडर ब्रिज

4318. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की हरियाणा राज्य सरकार से हरियाणा के भिवानी जिले के शिवानी क्षेत्र के विभिन्न खंडों पर गैंडवास, शिवानी, झुम्पकलां, बर्वा, मोतीपुरा और बरालू गांवों के समीप छह रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हरियाणा सरकार ने उक्त आर.यू.बी. के निर्माण हेतु उत्तर पश्चिम रेल बीकानेर को 6,50,15,902/- रु. (छह करोड़ पचास लाख पंद्रह हजार नौ सौ दो) की राशि का विप्रेक्षण कर दिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर.यू.बी. -वार तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन छह आर.यू.बी. को पूरा होने में कितना वास्तविक समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। इस प्रस्ताव में बीकानेर मंडल के 6 स्थलों अर्थात् हिसार-सादुलपुर खण्ड पर कि.मी. 43.660, 46.110, 24.660, 36.090 और 31.100 तथा रेवाड़ी-सादुलपुर खण्ड पर कि.मी. 184.200 पर निक्षेप शर्तों पर निचले सड़क पुलों (आर.यू.बी.) का निर्माण शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां। लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.)/हरियाणा सरकार ने इन 06 आर.यू.बी. कार्यों के लिए 6,50,15,902/- रु. की राशि जमा करा दी है।

रेलवे ने 10.01.2014 को इन निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं खोली हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के 08 माह में ये निर्माण कार्य पूरे किए जाने की संभावना है।

एफ.एफ. रेडियो/स्टेशनों का कार्यकरण

4319. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री डी.के. सुरेशः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एफ.एम. रेडियो/स्टेशनों के कार्यकरण के संबंध में कुछ नए दिशानिर्देश बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आकाशवाणी (ए.आई.आर.) का विचार बेलगाम सहित विभिन्न स्थानों पर विद्यमान रेडियो स्टेशनों के अलावा नए रेडियो स्टेशन और एफ.एम. सेवाएं शुरू/स्थापित करने का है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एफ.एम. चैनल सेवाएं/प्रसारण स्टेशनों को शुरू करने के लिए लाइसेंस पाने हेतु अभ्यावेदन/आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सराकर द्वारा इन पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) लंबित पड़े अभ्यावेदन/आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार द्वारा प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-III) संबंधी नीति का अनुमोदन 07 जुलाई, 2011 को किया गया था।

(ख) प्रसार भारती (आकाशवाणी महानिदेशालय) ने सूचित किया है कि आकाशवाणी एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के उद्देश्य से 112 और शहरों में एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो सेवाओं के विस्तार (चरण-III) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार केवल भारत में पंजीकृत कंपनियां ही भारत में प्राइवेट एफ.एम. रेडियो स्थापित करने के लिए पात्र हैं। मंत्रालय द्वारा चरण-III की नीति के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने संबंधी आवेदनों को अभी आमंत्रित किया जाना है।

विवरण

स्थापित किए जा रहे एफ.एम. ट्रांसमीटर की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्थान	एफ.एम. ट्रांसमीटर की शक्ति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद	10 किवा
2.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	1 किवा
3.	अरुणाचल प्रदेश	अनिनि	1 किवा
4.	अरुणाचल प्रदेश	बारीरीजो	100 वाट
5.	अरुणाचल प्रदेश	भालूकापोंग	100 वाट
6.	अरुणाचल प्रदेश	बोलेंग	100 वाट
7.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	1 किवा
8.	अरुणाचल प्रदेश	दापोरजियो	100 वाट

1	2	3	4
9.	अरुणाचल प्रदेश	डापोरीजो	1 किवा
10.	अरुणाचल प्रदेश	गेनसी	100 वाट
11.	अरुणाचल प्रदेश	हयूलियांग	100 वाट
12.	अरुणाचल प्रदेश	खोन्सा	1 किवा
13.	अरुणाचल प्रदेश	कोयू	100 वाट
14.	अरुणाचल प्रदेश	मारीयांग	100 वाट
15.	अरुणाचल प्रदेश	मेचूका	100 वाट
16.	अरुणाचल प्रदेश	नमपोंग	100 वाट
17.	अरुणाचल प्रदेश	पालिन	100 वाट
18.	अरुणाचल प्रदेश	रागा	100 वाट
19.	अरुणाचल प्रदेश	रुमगोंग	100 वाट
20.	अरुणाचल प्रदेश	संग्राम	100 वाट
21.	अरुणाचल प्रदेश	सागाली	100 वाट
22.	अरुणाचल प्रदेश	तुटींग	100 वाट
23.	अरुणाचल प्रदेश	याचूली	100 वाट
24.	अरुणाचल प्रदेश	यिंगकियांग	100 वाट
25.	असम	बकुलियाघाट	100 वाट
26.	असम	बारपेटा	100 वाट
27.	असम	डुडनोई	100 वाट
28.	असम	गोलपारा	1 किवा
29.	असम	करीमगंज	1 किवा
30.	असम	लंका	100 वाट
31.	असम	लुमडिंग	1 किवा

1	2	3	4
32.	असम	सरीहजन	100 वाट
33.	असम	सिलचर	5 किवा
34.	असम	उदलगुडी	100 वाट
35.	छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर	5 किवा
36.	गुजरात	भुज	5 किवा
37.	जम्मू और कश्मीर	ग्रीन रीज	10 किवा
38.	जम्मू और कश्मीर	हिमबोटिंगला	10 किवा
39.	जम्मू और कश्मीर	नाथाटोप	10 किवा
40.	जम्मू और कश्मीर	नौशेरा	10 किवा
41.	झारखंड	दुमका	100 वाट
42.	कर्नाटक	भद्रावती	1 किवा
43.	केरल	त्रिचूर	1 किवा
44.	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	5 किवा
45.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	5 किवा
46.	महाराष्ट्र	जलगांव	5 किवा
47.	महाराष्ट्र	परभणी	1 किवा
48.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	1 किवा
49.	महाराष्ट्र	संमागली	1 किवा
50.	मणिपुर	तमेंगलांग	1 किवा
51.	मणिपुर	उखरूल	1 किवा
52.	मेघालय	बाघमारा	100 वाट
53.	मेघालय	तुरा	5 किवा व 100 वाट
54.	मेघालय	चम्फई	1 किवा

1	2	3	4
55.	मेघालय	चीहफुरी	100 वाट
56.	मिज़ोरम	खवबुंग	100 वाट
57.	मिज़ोरम	कोलासिब	1 किवा
58.	मिज़ोरम	पुकजिंग	100 वाट
59.	मिज़ोरम	तुइपांग	1 किवा
60.	मिज़ोरम	वानलाइफाई	100 वाट
61.	मिज़ोरम	जवनर्जिन	100 वाट
62.	नागालैण्ड	हेनिमा, तेनिंग	100 वाट
63.	नागालैण्ड	मेलूरी	100 वाट
64.	नागालैण्ड	फेक	1 किवा
65.	नागालैण्ड	वोखा	1 किवा
66.	नागालैण्ड	जूनहेबोटो	1 किवा
67.	ओडिशा	भवानीपटना	5 किवा
68.	ओडिशा	जैपोर	1 किवा
69.	ओडिशा	क्योंझर	10 किवा
70.	ओडिशा	रायरंगपुर	1 किवा
71.	ओडिशा	सम्बलपुर	5 किवा
72.	पंजाब	अमृतसर	20 किवा
73.	पंजाब	फाजिल्का	20 किवा
74.	राजस्थान	अजमेर	5 किवा
75.	राजस्थान	चौटन हिल	30 किवा
76.	राजस्थान	कोटा	1 वाट
77.	सिक्किम	चूंगथांग	100 वाट

1	2	3	4
78.	सिक्किम	डेनतम	100 वाट
79.	सिक्किम	ग्यालशिंग	100 वाट
80.	सिक्किम	लचेन	100 वाट
81.	सिक्किम	लाचुंग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस	100 वाट
82.	सिक्किम	मंगन	100 वाट
83.	सिक्किम	नामथैंग, पुलिस थाना	100 वाट
84.	सिक्किम	सोरंग	100 वाट
85.	सिक्किम	मुकसुम	100 वाट
86.	तमिलनाडु	तुतरकोरिन	1 किवा
87.	त्रिपुरा	चोवमनु	100 वाट
88.	त्रिपुरा	दमछारा	100 वाट
89.	त्रिपुरा	गंदछारा	100 वाट
90.	त्रिपुरा	जोलाईबरी	100 वाट
91.	त्रिपुरा	अमबासा	100 वाट
92.	त्रिपुरा	लौंगथराई	5 किवा
93.	त्रिपुरा	नूतन बाजार	1 किवा
94.	त्रिपुरा	साखन	100 वाट
95.	त्रिपुरा	सिलाचारी	100 वाट
96.	त्रिपुरा	उदयपुर	1 किवा
97.	त्रिपुरा	वंगमुन (भंगमुन)	100 वाट
98.	संघ-राज्यक्षेत्र (दमन और दीव)	दीव	100 वाट
99.	उत्तर प्रदेश	आगरा	5 किवा
100.	उत्तर प्रदेश	बांदा	10 किवा

1	2	3	4
101.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	5 किवा
102.	उत्तराखंड	बागेश्वर	5 किवा
103.	उत्तराखंड	चंपावत	1 किवा
104.	उत्तराखंड	देहरादून	10 किवा
105.	उत्तराखंड	गैरसेन	1 किवा
106.	उत्तराखंड	हल्द्वानी	10 किवा
107.	उत्तराखंड	हरिद्वान	100 वाट
108.	उत्तराखंड	न्यू टीहरी	1 किवा
109.	पश्चिम बंगाल	बलरामपुर	100 वाट
110.	पश्चिम बंगाल	वद्र्धमान	10 किवा
111.	पश्चिम बंगाल	बसंती	100 वाट
112.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	10 किवा

[हिन्दी]

सड़क उपरि पुल

4320. श्री जगदानंद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान रेल समपारों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़क उपरि पुलों का निर्माण लक्षित तिथि तक पूरा नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना की अलग-अलग स्थिति क्या है तथा लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ऐसे कई बिन्दुओं पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव है, जहां राज्य राजमार्ग बिहार में मुगलसराय दानापुर खंड की मुख्य लाइन पर रेलवे लाइन से गुजरते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके पूरा होने की संभावित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) बिहार राज्य में, पिछले तीन वर्षों (यथा 2010-11, 2011-12, 2012-13 और चालू वर्ष जनवरी, 2014 तक) के दौरान, 14 ऊपरी सड़क पुलों (आर.ओ.बी.) का निर्माण पूरा हो गया है। इसके अलावा, 04 आर.ओ.बी. में रेलवे के भाग का कार्य भी पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) आर.ओ.बी. के निर्माण की निर्बाध प्रगति मुख्यत: राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करता है। उन मामलों में जहां प्रगति बाधित हुई है, का मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

- राज्य बजट में तदनुरूपी कार्य की विलंब से स्वीकृति।
- राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त धन का आबंटन।

- राज्य सरकार द्वारा सामान्य आरेखण प्रबंधन (जी.ए. डी.) और अनुमान का प्रस्तुत न करना।
- पहुंच मार्गों के संरेखण में निरंतर परिवर्तन।
- पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए नि:शुल्क बाधा रहित भूमि की अनुपलब्धता।
- समपारों के बंद करने की सहमति देने में विलंब।

बहरहाल, रेलवे ने आर.ओ.बी./आर.यू.बी. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

- रेलवे पुलों के साथ-साथ पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए एक ही एजेंसी को नियुक्त करना।
- अंतरिम जी.ए.डी. को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण।
- रेलवे के किसी पूर्व संदर्भ से बचने के लिए राज्य सरकार को जी.ए.डी. तैयार करने के लिए चैक लिस्ट और दिशा-निर्देशों को परिपत्रित करना।
- डिजाइन में विलंब से बचने के लिए विभिन्न स्पैनों के लिए ड्राइंग का मानकीकरण।
- रेलवे की ओर से जी.ए.डी. की एकल खिड़की मंजूरी के लिए नोडल अधिकारी का नामन।
- पुल के लिए प्री-कास्ट/प्री-फैब्रिकेटेड घटकों का उपयोग।

(घ) और (ङ) रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2013-14 के अनुसार, बिहार में मुगलसराय-दानापुर की मुख्य रेलवे लाइन के उन स्थानों पर जहां राज्य राजमार्ग क्रास करता है, पर आर.ओ.बी. के निर्माण के 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इन 12 आर.ओ.बी. में से 3 आर.ओ.बी. का निर्माण पूरा हो गया है और शेष 9 के निर्माण का कार्य योजना, प्राक्कलन और निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन आर.ओ.बी. का निर्माण समय से पूरा होना राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सिंधु बेसिन में जल स्तर

4321. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दस वर्षों से सिंधु बेसिन में जल स्तर लगातार घट रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, नहीं, उपलब्ध सूचना इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है कि पिछले दस वर्षों से सिंधु बेसिन की नदियों में वार्षिक प्रवाह लगातार घट रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शिकायतें

4322. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **पेयजल और स्वच्छतता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.सी. एस.)/निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) के अंतर्गत किए गए/किए जा रहे कार्यों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की प्रकृति क्या है; और

(ग) उक्त शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो कि मूलत: राज्य स्तर पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.)/निर्मल भारत अभियान (टी.एस.सी.) के कार्यान्वयन के संबंध में हैं क्योंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, अत: निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)

कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जरिए किया जाता है और शिकायतें उचित सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को तत्काल अग्रेषित की जाती हैं।

रेल परियाजनाएं

4323. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रतलाम-महू खंड पर आमान परिवर्तन और इंदौर-दाहौद खंड पर नई रेललाइन परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक आवंटित/खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) रतलाम-मऊ आमान परिवर्तन और इन्दौर-दाहौद नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:

रतलाम-मऊ : रतलाम-मऊ का आमान परिवर्तन रतलाम-फतेहाबाद-इन्दौर-मऊ-खंडवा-आमला खुर्द-अकोट-अकोला (472.60 कि.मी.) स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन दोनों सिरों से शुरू कर दिया गया था। रतलाम छोर पर रतलाम-फतेहाबाद खंड (80 कि.मी.) का आमान परिवर्तन 2012-13 में पूरा किया गया है और फतेहाबाद-इन्दौर (40 कि.मी.) 2013-14 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। अकोला छोर पर अकोट-अकोला खंड के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन आमला-खुर्द-अकोट खंड जो आगे आता है और मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, के लिए वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका। मार्च, 2013 तक लगभग 195.04 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2013-14 के बजट में इस परियोजना के लिए 119.83 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। समूची परियोजना के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

इन्दौर-दाहौद : धार, सरदारपुर के रास्ते इन्दौर-दाहौद : धार, सरदारपुर के रास्ते इन्दौर-दाहौद (200.97 कि.मी.) नई लाइन का निर्माण शुरू किया गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। इस समूची परियोजना के लिए कुल भूमि अधिग्रहण 992.76 हेक्टेयर है, जिसमें से दाहौद-कटवारा और सागौर-इन्दौर खंडों (50 कि.मी.) के लिए 123 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। सागौर-कटवारा (155 कि.मी.) अर्थात् 869.76 हेक्टेयर के शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया प्रगति पर है। दाहौद-कटवारा और सागौर-इन्दौर खंडों के लिए निष्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, बिजली क्रॉसिग आदि कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। मार्च, 2013 तक 145.94 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। वर्ष 2013-14 में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इन्दौर-राउ-तिही खंड (20 कि.मी.) मार्च, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इस समय, रेलों के पास बड़ी संख्या में चालू परियोजनाएं हैं जिनका भारी कार्य बकाया है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। परिणामस्वरूप धनराशि का आबंटन अल्प मात्रा में किया गया है। अत: इन परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। दोनों ही परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्ध ता के अनुसार प्रगति पर है।

(घ) राज्यों की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, रक्षा से वित्तपोषण और रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से लाभप्रद परियोजनाओं का कार्यान्वयन करके अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के उपाय किए गए हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी लंबित मामलों का तेजी से निपटान करने और कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान

4324. श्री एस. अलागिरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से विकसित और अब तक स्थापित किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकरा द्वारा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) तटीय क्षेत्रों के नजदीक रह रहे लोगों के हित में तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग (ई.एस.एस.ओ.-आई.एम.डी.) ने चक्रवात के 500 कि.मी. रेडियल कवरेज रेंज में आते ही चक्रवात से संबंधित तेज पवन और भारी वर्षा के क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में डॉप्लर मौसम रेडारों के नेटवर्क की स्थापना की है।

ई.एस.एस.ओ.-आई.एम.डी. ने चक्रवात भूदर्श के साथ जुड़े हुए भू स्तर प्रभाव को अधिक प्रमाणीकृत करने के लिए समुद्र-तटीय जिलों में स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए.डब्ल्यू.एस.) और स्वचालित वर्षा मापियों (ए.आर.जी.) का नेटवर्क स्थापित किया है।

भारत के आस-पास के समुद्रों से सूचना प्राप्त करने के लिए, नौबंध ब्वॉयज, ड्रिफ्टर्स, आरगो प्रोफाइलिंग फ्लोट्स, धारा मीटर, वेब राइडर ब्वॉयज, सुनामी ब्वॉयज संस्थापित किए गए हैं। उपसतह पर तैनात किए गए उपकरणों की अपेक्षा, इन उपकरणों में अत्याधुनिक सेंसर लगे हुए हैं, जो उपग्रहों के माध्यम से निकट वास्तविक समय में भारत के आसपास के समुद्रों से सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। हर उपकरण को विशेष पैरामीटरों के सेटों अर्थात् तापमान, लवणता, धाराओं, पवन, तरंग, गहराई, वायुमंडलीय दबाव और आद्रता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आई.टी.ई.डब्ल्यू.सी.) के लिए सहायतार्थ प्रेक्षण प्रणालियों में हिंद महासागर में अंडमान-सुमात्रा और मकरान के दो ज्ञात सबडक्शन जोनों में समुद्र के अंदर सुनामी जनित भूकंप जो संभावित रूप से संपूर्ण भारतीय तटीय क्षेत्रों और द्विपीय प्रदेशों को प्रभावित कर सकते हैं, का पता लगाने वाले अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय स्टेशनों के अलावा, 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों का वास्तविक समय भूकंपीय मॉनीटरिंग नेटवर्क, खुले समुद्र में तल दाब रिकॉडरों (बी.पी.आर.) के साथ वास्तविक समय समुद्र स्तर सेंसरों का नेटवर्क, 24×7 के आधार पर सुनामी तरंग गति और आयाम का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार मापी स्टेशन और तटीय धाराओं के लिए एच.एफ. रेडार शामिल है।

(ख) देश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात की तीव्रता, ट्रैक और भूदर्श के आकलन के लिए 24×7 प्रचालनात्मक चक्रवात संसूचना और गति तंत्र विद्यमान है। इस मॉनीटरिंग क्रियाविधि के विवरण में समुद्र सतह तापमान मॉनीटरिंग और नमी अभिसरण के साथ-साथ खुले समुद्रों के ऊपर संभावित चक्रवातीय परिसंचरण की उत्पत्ति शामिल है जिसका सृजन मध्य-पैमाने लघु अवधि (72 घंटे पहले) पूर्वानुमान मॉडलों और वैश्विक पैमाने मध्यम अवधि (120 घंटे पहले) पूर्वानुमान मॉडलों द्वारा किया जाता है और चक्रवात उत्पत्ति के संसूचन और चक्रवातों की तीव्रता, गति और भूदर्श की अधिक मॉनीटरिंग करने के लिए और उपग्रह मॉनीटरिंग की जाती है। सभी उपलब्ध मॉडलिंग और प्रेक्षण प्रणालियों का लाभ उठाते हुए, आई.एम.डी. के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-I के कार्यान्वयन के कारण, विगत 3-4 वर्षों के दौरान आई.एम.डी. चक्रवातों के ट्रैक और भूदर्श त्रुटियों को लगभग 7 प्रतिशत कम करने में समर्थ हुआ है जिसे 08-14 अक्तूबर, 2014 के दौरान आए फैलिन चक्रवात के भूदर्श पूर्वानुमान के साथ परिमात्रात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (ई.एस.एस.ओ.-इंकॉइस) ने हिंद महासागर के उच्च समुद्री तरंग और सतह और उपसतह पैरामीटरों के विद्यमान पूर्वानुमानों को एकीकृत करते हुए हिन्द महासागर पूर्वानुमान प्रणाली (इंडोफोस) की स्थापना की है। वर्तमान में, यह प्रणाली 5-7 दिन पहले तरंग ऊंचाई, तरंग दिशा, समुद्र सतह तापमान (एस.एस.टी.), सतह धाराओं, मिश्रित परत गहराई (एम.एल.डी.) और 20° से. समतापी रेखा पर पूर्वानुमान उपलब्ध करवाती है। यह प्रणाली जनवरी 2010 से प्रचालन में है।

भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आई.टी.ई.डब्ल्यू.सी.) को 2007 में स्थापित किया गया तथा तब से इसे पूर्णत: कार्यरत बना दिया गया है और अब यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हैदराबाद स्थित पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (ई.एस.एस.ओ-इंकॉइस) द्वारा प्रादेशिक

सुनामी निगरानी प्रदाता (आर.टी.डब्ल्यू.पी.) के रूप में संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र के लिए प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रहा है। आई.टी.ई.डब्ल्यू.सी. से प्राप्त सभी प्रकार के डेटा को पूर्णत: अभिलेखित किया जाता है तथा यह निर्णय सहायता प्रणाली (डी.एस.एस.) के लिए पूर्णत: सुलभ है।

(ग) "सुनामी और तूफान महोर्मियों के लिए राष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना" के भाग के रूप में, मंत्रालय ने "तटीय संवेदनशीलता मॉडलिंग और उत्प्लावन मानचित्र" का विकास प्रारंभ किया है। इस प्रयास के तहत, मुख्यत: विभिन्न समुद्री आपदाओं अर्थात् सुनामी चक्रवातों और तूफान महोंमियों की पूर्व चेतावनी देने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के संपूर्ण तट के लिए विभिन्न स्थानित पैमानों पर तटीय संवेदनशीलता मानचित्रों की व्यापक रेंज सृजित की जा रही है।

विभिन्न तटीय स्थानों पर सुनामी तरंग के आने का समय अंत: समुद्रीय भूकंप की स्थिति और तीव्रता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर से अगर भूकंप दो ज्ञात सबडक्शन क्षेत्रों के समीप आया है तो भारतीय मुख्य भूमि के लिए सुनामी प्रतिक्रिया समय लगभग 2 घंटे होगा। जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का संबंध है, प्रतिक्रिया समय लगभग 30 मिनट है। अत: मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं गृह मंत्रालय तथा तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की आपदा प्रबंधन एजेंसियों से परामर्श कर बनाई जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत तारों का टूटना

4325. श्री राजू शेट्टी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) की विद्युत तारे अक्सर टूटकर किसानों के खेतों में गिर जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ और कितने किसानों की मौत हुई;

(घ) क्या उनके खेत में बिजली के तार गिरने के कारण मृत्यु या फसल को हुए नुकसान के मामले में किसानों या उनके परिवारों को बिजली कंपनियों द्वारा कोई मुआवजा दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो 2013 और चालू वर्ष के दौरान जितने किसानों या उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया उनकी संख्या सहित वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) पावर ग्रिड अपनी अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.) के माध्यम से थोक विद्युत अंतरण के कार्य में लगा है जिसमें मुख्य रूप से 400 केवी और इससे अधिक का अतिउच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) नेटवर्क शामिल होता है। पावर ग्रिड रक्षित पारेषण लाइनों के डिजाइन और निर्माण में स्टेट-ऑफ-आर्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ऐसी घटनाओं से बचने/इन्हें कम करने के लिए लाइन निकालने का कार्य सामान्यत: बसे हुए/शहरी क्षेत्रों से दूर ही किया जाता है और इन्हें अधिकतर बंजर भूमि/खेतों से होकर निकाला जाता है। तथापि बिजली की तारों के टूटने/गिरने की बहुत कम घटनाएं होती हैं जिनसे नुकसान थोड़ा होता है। फिर भी पावर ग्रिड की बिजली के तारों के टूटने के कारण पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न कोई घातक दुर्घटना घटी है।

(घ) और (ङ) चूंकि वर्ष 2013 और चालू वर्ष के दौरान बिजली की तारों के टूटने और गिरने के कारण फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसानों की मौत नहीं हुई है, अत: इस कारण कोई मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

तथापि, टूटी हुई लाइनों की पुन: बहाली/पुन:खींचने के दौरान, जब कभी किसी फसल को नुकसान पहुंचता है तो स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई दरों के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जात है। वर्ष 2013 और चालू वर्ष में भी ऐसी कोई मुआवजा संवितरित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उपयोग प्रमाण-पत्र

4326. श्री एम.आई. शानवास: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि के संबंध में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) पूर्व में जारी की गई धनराशि के संबंध में उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले राज्यों को एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत धनराशि जारी करने के क्या मानदंड है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को एम.जी.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां मनरेगा अधि नियम, 2005 की धारा 22 के अनुसार रिलीज की जाती है। 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को छोड़कर मनरेगा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) लंबित नहीं है। जबकि 0.99 करोड़ रु. की राशि के दो उपयोगिता प्रमाण-पत्र दमन और दीव के पास लंबित थे, 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार मनरेगा के क्रमश: 0.81 करोड़ रु. और 0.40 करोड़ रु. की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तराखंड तथा दादरा एवं नगर हवेली के पास लंबित हैं।

मनरेगा के तहत अग्रिम किश्त प्राप्त करने के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना एक अनिवार्य शर्त है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे मनरेगा के तहत अनुदान संबंधी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

भूमि का समान वितरण

4327. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भूमि के समान वितरण के लिए कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) भूमि सुधार संबंधी एक करार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और 'जन सत्याग्रह' के बीच आगरा में 11 अक्टूबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। उक्त करार के अनुसार, इस विभाग ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता भूमि सुधार संबंधी एक कार्यबल गठित किया है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में भूमि संबंधी कार्यबल के सदस्यों के साथ 26 नवंबर, 2012 और 26 फरवरी, 2013 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं। उक्त बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भूमि सुधारों पर दो एडवाइजरी जारी की हैं। पहली एडवाइजरी में समुदाय आधारित अर्ध-कानूनी कार्यक्रम बनाकर गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के उपायों की सूची दी गई है। दूसरी एडवाइजरी गरीबों को भूमि की सुलभता से संबंधित उन विशिष्ट मुद्दों के बारे में है जिनका समाधान संबंधित राज्य के भीतर किए जाने की जरूरत है।

अधिक किराए की वसूली

4328. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे भोपाल और इंदौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 22185/22186 के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त रेलगाड़ी के किराए में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसको कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं। बहरहाल, भोपाल और इंदौर के बीच दो ए.सी. डबल डैकर गाड़ियां यथा मकसी के रास्ते 22183/22184 हबीबगंज-इंदौर एक्सप्रेस और उज्जैन के रास्ते 22185/22186 भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस उपलब्ध हैं। किराया गाड़ी द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के अनुसार प्रभारित किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ठेकेदारों के कार्य-निष्पादन की जांच

4329. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और रेलगाड़ियों तथा प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे ठेकेदारों के कार्य और कार्य-निष्पादन की सख्ती से निगरानी और उसकी नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। निर्माण ठेका में, रेलवे अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसके बाद केवल पैमाइश रिकार्ड की जाती है तथा भारतीय रेलवे पर निर्धारित कोडल व्यवस्था के अनुसार विभिन्न स्तरों पर टेस्ट चेक के बाद ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कवरेज हेतु आकलन

4330. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए किए गए आकलन में छूट गई बस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को बिहार में उक्त क्षेत्रों से संबंधित स्वीकृति के लिए कोई संशोधित आकलन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में उन बस्तियों तथा घरों की संख्या कितनी है, जो अब तक बिजली कनेक्शन से वंचित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संशोधित आकलन से संबंधित उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) परियोजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया था और दिनांक 31.01.2014 के अनुसार, आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत विद्युतीकरण गांवों/बस्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जिला	गैर-विद्युतीकरण गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकरण गांव		बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना	
	कवरेज	उलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
मुजफ्फरपुर	886	886	1055	983	258300	249633
वैशाली	879	879	1021	864	117608	111521

इसके अतिरिक्त, आर.जी.जी.वी.वाई. की 12वीं योजना के अंतर्गत, बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, 100 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शेष गांवों और वासस्थलों को विद्युत मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार, बिहार राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित 100 और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी वासस्थलों को, आज की तारीख में, संस्वीकृत किया जा चुका है।

[अनुवाद]

सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4331. श्री ए. सम्पत: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत सच्चर समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय और राज्य दोनों के मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ग) सच्चर समिति की रिपोर्ट से 76 सिफारिशें सूचीबद्ध की गई थी, जिसमें से सरकार द्वारा 72 सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई थीं। तीन सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थीं और एक सिफारिश आस्थगित रखी गई थी। सरकार ने 72 सिफारिशों के संबंध में 43 निर्णय लिए हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। कुछ सिफारिशें अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक साथ मिला दी गई थीं। सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्यन का दायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की निगरानी करता है। निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रमुख क्षेत्रों नामत: (i) शिक्षा (ii) कौशल विकास (iii) ऋण सुलभता (iv) विकास से जुड़ी विशेष पहलें (v) सकारात्मक कार्रवाई हेतु उपाय (vi) वक्फ (vii) विविध के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। सरकार के इन अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन सतत स्वरूप का है और इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित किया गया है।

विवरण

सच्चर समिति की सिफाशिों पर सरकार के निर्णयों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति:

सरकार द्वारा स्वीकार किए गए 72 सिफारिशों पर 43 निर्णय लिए गए थे। कुछ सिफारिशें एक साथ मिला दी गई थीं। सरकार के प्रत्येक निर्णय के लिए मंत्रालय/विभागों द्वारा सूचित स्थिति निम्नानुसार है :

1. शिक्षा

क्र.सं.	मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय	स्थिति
1	2	3
1.	सच्चर समिति द्वारा बताए गए मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाधान बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यनीति में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा– **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	सर्व शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि राज्य सरकार की नीति के तहत उन क्षेत्रों में सर्व-शिक्षा अभियान के तहत 'केवल बालिका' उच्चतर प्राइमरी स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जाए, जिन क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसकी मांग हो। आठ राज्यों नामत: अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने उच्चतर प्राइमरी स्तर के "केवल बालिका" विद्यालय खोल लिये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 2006-07 से निम्नलिखित कार्य शुरू किये गये हैं: प्राथमिक विद्यालय निर्मित – 15765 उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्मित – 8131 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित – 230581 खोले गये नये प्राथमिक विद्यालय – 21355 खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालय – 11857

1	2	3
		अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या – 125375 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तीन छात्रवृत्ति योजनाओं नामत: मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 31.01.2014 तक प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: मैट्रिक – पूर्व छात्रवृत्ति : 260 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति : 32.26 लाख मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति : 3.14 लाख **प्रदान की गई कुल छात्रवृत्तियां : 295.40 लाख**
2.	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक स्कूलों का विस्तार यथापेक्षित "केवल बालिका" स्कूल के माध्यम से किया जाना चाहिए और आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्राथमिकता आधार पर खोले जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।	30 छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित है। (1) सर्व शिक्षा अभियान में यह वचनबद्धता है कि एक किलो मीटर और तीन कि.मी. के भीतर क्रमश: प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करनी सुनिश्चित किया जाए। (2) वर्ष 2006-07 से 555 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं। (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने यह भी अनुदेश जारी किया है कि चूंकि कस्तूरबा गांधी
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बालिका विद्यालय को स्कूल राज्य की नियमित उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रणाली के भाग हैं, इसलिए राज्य सरकार/संघ राज्य की विशिष्ट नीति उर्दू माध्यम में अनुदेशन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्कूलों के लिए अपनायी जाए। इस प्रयोजनार्थ प्रणाली

1	2	3
		में उपलब्ध उर्दू अध्यापकों को तैनात किया जाना चाहिए। इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मुस्लिम बालिकाओं के दाखिले में बढ़ोत्तरी करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सतत प्रयास किये गये हैं। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों से जुलाई, 2013 में अनुरोध किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सर्वाधिक अरक्षित/बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं का तत्काल के.जी.बी.वी. में दाखिला कराया जाए ताकि उनके अवसरों को बढ़ाया जा सके।
3.	माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य के अनुसरण में यथाआवश्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जाएगी।	(1) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता परक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए एक योजना नामत: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अनुमोदित हुई है। योजना के तहत यह परिकल्पित है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नये/उन्नयनकृत स्कूलों की स्थापना को प्राथमिकता दें।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(2) 2009-10 से 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान 10230 नये माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 1162 (11.36%) विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 825 ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
4.	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए मुस्लिम बहुल सभी जिलों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। समग्र साक्षरता दर विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 11वीं योजना के दौरान 70 मिलीयन गैर-साक्षर वयस्कों को योजना के अंत तक साक्षर बनाने के उद्देश्य से 08.09.2009 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन

1	2	3
	साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए इन जिलों में विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।	के लिए एक नई किस्म की "साक्षर भारत" योजना शुरू की है। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	साक्षर भारत 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 50% अथवा उससे कम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 66 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को कवर किया गया है।
5.	मुस्लिम बहुल आबादी वाले सभी जिलों में नए जन शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जो ऐसे संस्थानों से कवर नहीं किए गए हैं।	जन शिक्षण संस्थान देश में 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	वर्ष 2012-13 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज 12.2% था। वर्ष 2013-14 (अक्तूबर, 2013-14 तक) में 248757 लाभार्थियों में से 30629 (12.21%) अल्पसंख्यकों से संबंधित थे।
6.	मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बी.आई.टी.ई.) खोले जाएंगे ताकि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सकैन्ड्री स्तर पर सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जा सके।	12वीं योजना में केन्द्र प्रायोजित स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 196 अ.जा./अ.ज.जा/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बी.आई.टी.ई. स्थापित किए जाने की संकल्पना है। इसमें 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया गया है। अगस्त, 2013 तक 96 बी.आई.टी.ई. मंजूर किए गए हैं।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
7.	11वीं योजना के दौरान कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावास खोले जाने के लिए किए गए आवंटन में वृद्धि की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रावास खोले जाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में 11वीं योजना के दौरान 285 महिला छात्रावासों की स्वीकृति दी है। वर्ष 2012-13 के दौरान 148 महिला छात्रावासों में से अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मंजूर किए गए हैं।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	वर्ष 2013-14 (30.09.2013 तक), अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 68 महिला छात्रावास अनुमोदित/मंजूर किए गए हैं।

1	2	3
8.	क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु पात्र घटकों को बढ़ावा देने के लिए योजना में संशोधन किया जाएगा।	क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम दो योजनाओं के रूप में नामत: मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना और निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों (एलीमेंट्री सेकेन्ड्री/सीनियर सेकेन्ड्री स्कूलों) हेतु अवसंरचना विकास की योजना के रूप में शुरू की गई है। यह योजना मांग प्रेरित है।
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 283.53 करोड़ रु. की राशि के साथ एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत 12739 मदरसों और 30507 अध्यापकों को सहायता दी गई है। 12वीं योजना में, वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल 182.49 करोड़ रु. की स्वीकृत राशि के साथ एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत, 9905 मदरसों ओर 23,146 अध्यापकों को सहायता दी गई है। वर्ष 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान, कुल 58.01 करोड़ रु. की स्वीकृत राशि के साथ 4553 मदरसों और 12229 अध्यापकों को सहायता दी गई है। आई.डी.एम.आई. के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कुल 450 अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता दी गई और 75.89 करोड़ रु. जारी किए गए। 12वीं योजना में, वर्ष 2012-13 के दौरान 184 अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता दी गई और 128.38 करोड़ रु. जारी किए गए। वर्ष 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान 81 अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता दी गई और 11.26 करोड़ रु. जारी किए गए।
9.	मध्याह्न भोजन योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए विस्तार दिया जा रहा है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े मुस्लिम बहुल ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	मध्याह्न भोजन योजना को वर्ष 2007-08 से देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाता है। मदरसों के बच्चों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
	– मानव संसाधन विकास मंत्रालय	

1	2	3
10.	विद्यमान स्कूलों और समुदाय भवनों का इस्तेमाल संध्याकलीन अध्ययन केन्द्र के रूप में किया जा सकता है तथा शिक्षकों को उन छात्रों तथा छात्राओं को मानदेय आधार पर पढ़ाने के लिए रखा जा सकता है जो अपने संरक्षक के साथ आ सकें। **–मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सलाह दी गई है कि विद्यमान स्कूलों और समुदाय भवनों का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में करें। इस संबंध में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजे गए हैं।
11.	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भारतीय संविधान के तहत वर्णित सामाजिक न्याय, समता और धर्म निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर समाज में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसरण में पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जा रहा है। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आलोक में 16 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात , मध्य प्रदेश और तमिलनाडु) ने अपने पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का कार्य पूरा कर लिया है, जबकि 5 राज्य (असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और त्रिपुरा) इसे पूरा करने की प्रक्रिया में हैं और 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यचर्या का अनुपालन कर रहे हैं। तीन संघ राज्य क्षेत्र (दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली तथा पुडूचेरी) पड़ोसी राज्यों के पाठ्यचर्या का अनुसरण किया है।
12.	उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति मुस्लिमों की अपेक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी आगे जांच की जाएगी।	इस मुद्दे का समाधान करने के लिए नेशनल यूनीवर्सिटी फोर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एन.यू.ई.पी.ए.) द्वारा अध्ययन कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तु कर दी गयी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी जांच की गई है। एन.यू.ई.पी.ए. रिपोर्ट में, सिफारिश किए गए अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक स्थायी समिति गठित की गई है, जिसे अल्पसंख्यकों से

1	2	3
		संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा अल्पसंख्यकों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संशोधनों का सुझाव देने का अधिदेश प्राप्त है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के दाखिले के संबंध में डाटा विकसित करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।
13.	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जे की मंजूरी को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए एक तंत्र पहले से कर्रत है। मदरसों की शिक्षा का उच्चतर शिक्षा के लिए समकक्ष माने जाने के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने मदरसा शिक्षा को पहले ही मान्यता प्रदान कर रखी है।	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के दर्जे की मंजूरी हेतु तंत्र को अत्यधिक प्रभावी प्रभावी बनाने के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एन.सी.एम.ई.आई.) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) मे अधिष्ठापित शैक्षिक अधिकारों का वास्तविक आयाम मुस्लिमों सहित अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सके। मदरसा बोर्डों के प्रमाण-पत्रों/योग्यताओं जिन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने माध्यमिक तथा सीनियर सेकेण्डरी योग्यता के समतुल्य मंजूरी दी गई है, को रोजगार और उच्च स्तर की शिक्षा में प्रवेश के प्रयोग हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) तथा अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के प्रमाण-पत्र के बराबर कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
	– मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि 2005 से जून, 2013 तक 8261 प्रमाण-पत्र अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं।
14.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं, कोचिंग और संबद्ध योजना तथा शिक्षा के विकास हेतु अन्य योजनाएं लागू की जाएंगी।	मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है–

1	2	3
	– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	

(क) मैट्रिक – पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(ग) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

उपर्युक्त तीन छात्रवृत्ति योजनाएं क्रमश: कक्षा 1 से 10वीं, 11वीं से पी.एच.डी. तक तथा अंडर-ग्रेजूएट तथा पोस्टग्रेजूएट स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कार्यान्वित कीजा रही है। इसके प्रारंभ से लेकर जनवरी, 2014 तक 2.95 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत 5412.44 करोड़ रु. की निधियां जारी की जा चुकी हैं।

मौलान आजाद अध्येतावृत्ति योजना : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, जो कार्यक्रम शुय किए जाने से अल्पसंख्यक समुदायों के अध्येतावृत्ति के लिए एक नोडल एजेंसी है। वर्ष 2012-13 तक मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 3020 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं। वर्ष 2011-12 के दौरान, 1511 अध्येतावृत्तियां का नवीकरण किया गया था।

कोचिंग एवं संबद्ध योजना : संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना 2006-07 में शुरू की गई थी। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 27326 विद्यार्थी/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत 54.61 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, वर्ष 2012-13 के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 6716 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 13.99 करोड़ रु. जारी किए गए। वर्ष 2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 5935 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 16.11 करोड़ रु. जारी किए गए।

1	2	3
		2012-13 के दौरान, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 6716 विद्यार्थी/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 13. 99 करोड़ रु. जारी किए गए।
15.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाएगी तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार कर उसे कारगर बनाया जाएगा। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ रु. से बढ़ाकर 750 करोड़ रु. कर दी गई थी। मौजूदा संचित निधि 910 करोड़ रु. है और इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 1250 करोड़ रु. कर दिया जाएगा
2. कौशल विकास		
1.	मुस्लिमों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसकी योजना बनाने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आधारित उद्योग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (बैंकिग) और औद्योगिक नीति था संवर्द्धन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक अंतरमंत्रालयीन दल गठित किया जाएगी ताकि योजना का लाभ लाभार्थियों को त्वरित एवं समुचित ढंग से प्राप्त हो सके। कौशल और उद्यमिता विकास की जरूरत की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न किया जाएगा जिससे स्वरोजगार में लगी अधिकांश मुस्लिम आबादी को लाभान्वित किया जा सकेगा।	कौशल विकास के लिए एक त्रि-स्तरीय सांस्थानिक संरचना मई, 2013 तक केन्द्रीय स्तर पर कार्यरत थी, जिसमें कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल था। तथापि, सरकार के निर्णय के अनुसार पी.ए.एन.सी.एस.डी., एन.एस.डी.सी.बी. और कौशल विकास पर ऑफिस ऑफ एडवाइजर ऑफ पी.एम. को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी में मिला दिया गया है। एन.एस.डी.ए. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत निकाय है और इसकी स्थापना अन्य बातों के साथ -साथ, 12वीं योजना और उसके बाद के कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों का समन्वय करने और संगत बनाने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, जेंडर और आर्थिक विभाजन को पाटने के प्रयास हेतु किया गया है।

1	2	3
	– योजना आयोग	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि एन.सी.वी.टी. से संबद्ध 9404 में से 1453 आई.टी.आई/आई.टी.सी. (15.45%) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अवस्थित हैं, इनकी क्षमता 2,28,840 सीटों की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु "सीखो और कमाओ" नामक एक विशिष्ट योजना शुरू की है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना सृजित करने हेतु, बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 116 आई.टी.आई. और 44 पोलीटेक्नीक अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, एम.एस.डी.पी. ने खनन युवकों के प्रशिक्षण के लिए कुल आबंटन का 10% निर्धारित किया है।
2.	नाबार्ड और सिडबी परम्परागत व्यवसायों में दस्तकारों के कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें आधुनिक कौशलों से पुन: सज्जित करने विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, ई.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निधियां निर्धारित करने की सलाह दी जाएगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी के लिए गठित एक अंतर-मंत्रालयीय समूह उनकी योजना में इसे एकीकृत करने की जांच करेगा। **– वित्तीय सेवाएं विभाग**	भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंकों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के अनुदेश दिये हैं ताकि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ मिल सकें। वर्ष 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान, 2189 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए है और लाभार्थियों की संख्या 27543 है, जबकि मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता 17365 लाभार्थियों के लिए 64.40 करोड़ रु. थी।
3. ऋण सुलभता		
1.	मुस्लिमों के लिए ऋण सुलभता की पहुंच महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस समुदाय की बड़ी आबादी स्व-रोजगार क्रिया-कलापों में लगी है। जिला योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिमों को	वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्राथमिक क्षेत्र ऋण योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यकों समुदायों को ऋण प्राथमिक क्षेत्र ऋण की कमजोर तबकों की श्रेणी के अंतर्गत कवर होता

1	2	3
	आसानी और सुलभता के साथ पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो।	है। आर.बी.आई. ने अल्पसंख्यक समुदायों की ऋण सुविधाओं में सुधार लाने हेतु 1 जुलाई, 2013 को अपना मास्टर सर्कुलर जारी किया है। अल्पसंख्यकों को मिल रहे अग्रता क्षेत्र ऋण के प्रतिशत में सतत वृद्धि हुई है और 2007-08 में 10.6%, 2008-09 में 12.24% 2009-10 में 13.01%, 2010-11 में 14.16%, 2011-12 में 14.55% तथा 2012-13 में 14.59% और सितम्बर, 2013 में 14.93% रहा है। वर्ष 2013-14 सितम्बर, 2013 तक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के पृथक-पृथक समुदाय-वार आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं : मुस्लिम – 47.01% ईसाई – 21.58% सिक्ख – 27.49% बौद्ध – 2.15% पारसी – 1.77%
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने की सलाह दी जाएगी।	सितम्बर, 2013 तक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कुल 18043 शाखाएं खोली गई हैं।
	– वित्तीय सेवाएं विभाग	
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निपटान की निगरानी करेंगे और आवेदनों के अस्वीकृति के कारण भी बताएंगे ताकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी हेतु पूरे अधिकारों का प्रयोग कर सकें। जिला-वार और बैंक-वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।	अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले ऋणों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी हेतु प्रपत्र तैयार किया गया है। विभाग द्वारा मुहैया करायी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2010-11 से 2013-14 (30.09.2013 तक) के दौरान प्राप्त, स्वीकृत आदि आवेदनों की संख्या के संबंधीत ब्यौर निम्नानुसार है :

1	2	3

– वित्तीय सेवाएं विभाग

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.09.2013 तक)
प्राप्त आवेदन	854339	1319375	1446507	469403
स्वीकृत आवेदन	845102	1298731	1428660	464213
अस्वीकृत आवेदन	5817	13784	15083	2597
लंबित आवेदन	3420	6527	2694	2593

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए हैं कि वे मुस्लिमों को विशिष्ठ रूप से प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करें, प्रचार के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जागरुकता सृजित करें और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करें। **– वित्तीय सेवाएं विभाग**

वित्तीय विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान 2189 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लाभार्थियों की संख्या 27543 है, जबकि प्रदान की गई वित्तीय सहायता 17365 लाभार्थियों के लिए 64.40 करोड़ रु. है।

5. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से क्लस्टरों में महिलाओं के बीच लघु वित्त को प्रोत्साहित किया जायेगा।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 23402.83 करोड़ रुपये के लघु ऋण के साथ 2848478 खाते खोले गये हैं।

– वित्तीय सेवाएं विभाग तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की परिष्कृत स्कीम के संघटकों में से शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.एस.पी.) है। इस कार्यक्रम में शहरी गरीब महिलाओं के समूहों पर इस स्कीम के अंतर्गत बैंक ऋण और आर्थिक सहायता के अनुसार सामूहिक उद्यमों की स्थापना में मदद करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यू.डब्ल्यू.एस.पी. थ्रिप्ट और क्रेडिट क्रिया-कलापों के लिए चक्रीय निधियों के साथ भी महिला समूह की सहायता करता है। अल्पसंख्यक

1	2	3

बहुल क्लस्टरों/नगरों/शहरों में एस.जे.एस.आर.वाई की यू.डब्ल्यू.एस.पी. संगठक अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच लघु-वित्त के संवर्धन हेतु कार्रवाई करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, उपलब्धि 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) के दौरान निम्नानुसार है :

- यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत समूह लघु उद्यमों के माध्यम से कवर किए गए अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या 603 है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समुदाय-वार अलग-अलग आंकड़ा (अल्पसंख्यकों के लिए कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पंसख्यक समुदाय का उपलब्धि प्रतिशत) निम्नानुसार है :

(क) मुस्लिम : 93.04

(ख) सिक्ख : 0.17

(ग) ईसाई : 4.63

(घ) बौद्ध : 2.16

(ङ) पारसी : 0

- यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत टी एंड सी.एस. के लिए परिक्रामी निधि के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या 22715 है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समुदाय-वार अलग-अलग आंकड़ा (अल्पसंख्यकों के लिए कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय का उपलब्धि प्रतिशत) निम्नानुसार है :

(क) मुस्लिम : 85.81

(ख) सिक्ख : 0.02

1	2	3
		(ग) ईसाई : 14.10 (घ) बौद्ध : 0.07
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की पुनर्संरचना की जाएगी ताकि इसे मध्यस्थता का और अधिक कारगर साधन बनाये जा सकें। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	एन.एम.डी.एफ.सी. की पुनर्संरचना के लिए प्रस्ताव पर परामर्शदाता नामत: एस.बी.आई.-सी.ए.पी.एस. और संबंधित विभिन्न मंत्रालय/विभाग के परामर्शन से कार्य किया जा रहा है।
4. विशेष विकास पहलें		
1.	मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तथा रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए चिन्हित पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) वर्ष 2008-09 में 90 चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शुरू किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 710 ब्लॉकों और 66 नगरों में कार्यान्वयन हेतु 04.06.2013 को बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना का अनुमोदन कर दिया। इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने से लेकर 31.01.2014 तक 6020. 15 करोड़ रु. की परियोजना अनुमोदित की गई है और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 4321.45 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
2.	योजना आयोग के सदस्य के अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयीय कार्य बल द्वारा 25% से कम किन्तु अधिकतम 50,000 की अल्पसंख्यक आबादी वाले 338 अभिनिर्धारित नगरों एवं शहरों में नागरिक सुविधाएं, अवसंरचना और आर्थिक अवसर के क्षेत्र में खामियों को दूर करने संबंधी कार्यनीति की अनुशंसा की जायेगी।	डॉ. वी.आर. मुंगेकर के अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयीय कार्य बल रिपोर्ट की समीक्षा की गई थी। अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 338 नगरों/शहरों जिनमें से 251 पिछड़े है, की पहचान की गई है। मुख्य अनुसंशाएं इस प्रकार थीं : 1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला और बल विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा में चिन्हित खामियों को प्राथमिकता के आधार

1	2	3
		पर दूर किया जाना है। 2. शहरी विकास मंत्रालय (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (बी.एस.यू.पी.) और (आई.एच. एस.डी.पी.) द्वारा आधारभूत नागरिक सुविधाओं में चिन्हित खामियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है। 3. वर्ष 2010 तक वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की प्रतिशतता 15% तक बढ़ानी है।
	– योजना आयोग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त सलाह दी गई है।
5.	**सकारात्मक कार्यवाई हेतु उपाय:**	
1.	समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	इस निर्णय के अनुपालन में 31 अगस्त, 2007 को एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल ने 13 मार्च, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशें और विभिन्न पणधारियों से प्राप्त अभिमतों/टिप्पणियों के आधार पर, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से समान अवसर आयोग गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
2.	जीवनयापन, शिक्षा और कार्य स्थल में विविधता को बढ़ावा देने के लिए समुचित "विविधता सूचकांक" की अनुशंसा करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	सरकार के निर्णयों के अनुसार, विविधता सूचकांक पर एक विशेष समूह गठित किया गया था। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ विविधता सूचकांक और इसकी संरचना के बारे में सिफारिश की है। चूंकि समान अवसर आयोग की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीन था, अत: विविधता सूचकांक की अवधारणा को ई.ओ. सी. की स्थापना के लिए प्रस्ताव में समाहित कर लिया गया है।

1	2	3
3.	एक राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए संबद्ध आंकड़ों का रख-रखाव किया जाएगा **– सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**	सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पृष्ठ सृजित किया है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम एवं रोजगार (जनगणना 2011 और 2001) संबंधी 97 तालिकाएं "नेशनल डाटा बैंक" लिंक के अंतर्गत अपलोड की गई हैं। वेब पृष्ठ में कुछ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्टें भी समाविष्ट हैं, जिसमें सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बारे में आंकड़े हैं।
4.	योजना आयोग में राष्ट्रीय डाटा बैंक द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए एक स्वायत्त मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। **– योजना आयोग**	सरकार के निर्णय के अनुसरण में, योजना आयोग में एक मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण (ए.एम.ए.) स्थापित किया गया है। चूंकि ए.एम.ए. का कार्यकाल 15 जनवरी, 2011 को समाप्त हो गया था, अत: योजना आयोग ने ए.एम.ए. का पुनर्गठन किया और पुनर्गठित ए.एम.ए. का कार्यकाल 30.06.2014 तक बढद्या दिया गया है। ए.एम.ए. के तीन कार्यकारी दल निम्नानुसार हैं : **कार्यकारी दल - 1 :** यह दल डाटा अभिज्ञान, सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों का चयन तथा डाटा विश्लेषण, डाटा चयन तथा विश्लेषण के लिए अभिनव प्रणालियां तैयार करने इत्यादि की देख-रेख करेगा। **कार्यकारी दल - 2 :** यह दल सहभागिता की निगरानी तथा प्रभाव के मूल्यांकन की देख-रेख करेगा। **कार्यकारी दल - 3 :** यह दल नीतिगत अनुशंसाएं करने के संबंध में कार्यकारी दल-1 और कार्यकारी दल-2 द्वारा एकत्र की गई सूचना के संश्लेषण करेगा। कार्यकारी दल 1 और 2 ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं। कार्यकारी दल 3 कार्यकारी दल 1 और कार्यकारी दल 2 की रिपोर्टों पर

1	2	3
		अपनी सिफारिशें देने के लिए उनका संश्लेषण करेगा।
	6. वक्फ	
1.	भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के अधीन वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद् के साथ एक वार्षिक बैठक की जाएगी। – **संस्कृति मंत्रालय**	केन्द्रीय वक्फ परिषद् के साथ ए.एस.आई. की वार्षिक बैठक 04.01.2013 को आयोजित की गई थी। 218 वक्फ संपत्तियां सूचित की गई हैं, जिनकी सुरक्षा ए.एस.आई. द्वारा की जानी है। संस्कृति मंत्रालय ने ए.एस.आई. को क्षेत्रीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों की पहचान की कार्रवाई तेज करने और उन्हें रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए निदेश दिया है।
2.	वक्फों को गरीबों के कल्याण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु समर्थ बनाने के लिए वक्फ परिसंपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त एजेंसी गठित की जाएगी। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामत: राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) पूरे देश में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास को वित्त पोषित करने हेतु 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत अंशपूंजी और 100 करोड़ रु. की प्रदत्त पूंजी के साथ जनवरी, 2014 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामत: राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) निगमित किया गया है।
3.	(क) वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने के बाद वक्फ अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक संसद में लाया जाएगा।	(क) वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ वक्फ (संशोधन) विधेयक 2010 लोक सभा द्वारा 07 मई, 2010 को पारित कर दिया गया था। इसके पश्चात् इसे राज्य सभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया था। प्रवर समिति और विभिन्न अन्य पणधारियों के सुझावों के आधार पर, राज्य सभा द्वारा 19 अगस्त, 2013 को वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और वक्फ संशोधन अधिनियम अधिनियमित हो गया है।

1	2	3
	(ख) मॉडल वक्फ नियमावली तैयार की जाएगी तथा जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी नियमावली नहीं बनायी है उन्हें अग्रसारित किया जाएगा। **– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**	(ख) मॉडल वक्फ नियमावली बनाने के संबंध में कार्रवाई उचित समय पर शुरू की जाएगी।
4.	राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करें ताकि वक्फ परिसंपत्तियों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। **– शहरी विकास मंत्रालय**	निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने किराया नियंत्रण अधिनियम की परिधि के वक्फ संपत्तियों को छूट दी है– आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और दमन एवं दीव द्वारा सूचित किया गया है, उनके यहां कोई वक्फ संपत्तियां नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं है– मणिपुर, ओडिशा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप। निम्नलिखित राज्यों में किराया नियंत्रण अधिनियम विचाराधीन है– असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार, 10 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों ने वक्फ संपत्तियों के छूट के लिए अपने संबंधित किराया नियंत्रण अधिनियमों में संशोध न किए हैं। इसके अलावा, 7 राज्यों ने सूचित किया है कि मामले की जांच की जा रही है, जबकि 3 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों ने स्पष्ट किया है कि उनके यहां कोई किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं है। 2 राज्यों ने पुष्टि की है कि उनके यहां कोई वक्फ संपत्तियां मौजूद नहीं है।
7. विविध मुद्दे		
1.	गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें अन्य के साथ-साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाएगा। **– श्रम और रोजगार मंत्रालय**	असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जा चुका है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ गृह-आधारित कामगार भी शामिल हैं।

1	2	3
2.	परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है तथा सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा। **– विधि और न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय**	उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार, परिसीमन अधिनियम पर मंत्री समूह द्वारा विचार किया गया और उसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित हुआ जो बाद में परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3.	सरकारी कार्मिकों, विशेषकर फील्ड स्टॉफ को जागरूक बनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण माड्यूल्स, फील्ड और सामग्री तैयार की जाएगी और उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका प्रयोग सेवा से पहले और सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सके। **– कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की है और राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को प्रशिक्षण हेतु माड्यूल दे दिये गये हैं।
4.	संसद साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पारित करने का विचार कर रही है। इसमें निवारण स्वरूप दंगा पीड़ितों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र और विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। **– गृह मंत्रालय**	राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद् (एन.ए.सी.) में एक कार्यकारी समूह ने "साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण (न्याय और क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011" प्रारूपित किया था। एन.ए.सी. ने 25.07.2011 को विधेयक गृह मंत्रालय को भेज दिया था। मसौदा विधेयक हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
5.	सामाजिक समावेशन की जरूरत पर बल देने के लिए एक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। **– सूचना और प्रसारण मंत्रालय**	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अन्य भाषाओं के साथ ही उर्दू भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से प्रचार-प्रसार के लिए एक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया गया है।
6.	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुकित की अनुशंसा हेतु विचार करें। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समुचित	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुक्ति संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

1	2	3
	दिशा-निर्देश जारी करेंगे। इसकी निगरानी के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग होगा। **– कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**	मंत्रालय को अनुदेश जारी किए हैं। इसके प्रत्युत्तर में, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित परिपत्र जारी किए गए हैं।
7.	प्रारम्भत: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक आमेलन की महत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। **– मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक बहिष्करण और समावेशन का अध्ययन करने के लिए 35 विश्वविद्यालयों ने केन्द्र शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, 23 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में 2328 समान अवसर केन्द्र स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं योजना के दौरान 46.07 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की है।
8.	अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एच.डी.पी.) के तहत धनराशि प्रवाह को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे नगरों और शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में यथापरिकल्पित अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किया जा सके। **– शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई गयी है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनाओं के तहत, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं : • एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत, वर्ष 2012-13 के अंत तक, 919 के अंत तक, 919 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए 11877.30 करोड़ रु. के कुल परियोजना लागत में से, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 234 शहरों/नगरों (11.21%) के लिए 2241.41 करोड़ रु. (18.87%) मंजूर किए गए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कुल 1082

1	2	3
		परियोजनाओं में से, 144 परियोजनाएं (13.3%) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों में है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कुल 558974 निवास इकाईयों में से 94159 निवास इकाईयां (16. 84%) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए है। • शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत, वर्ष 2012-13 के अंत तक, 65 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए 29770.39 करोड़ रु. के कुल परियोजना लागत में से, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 17 शहरों/नगरों (26.15%) के लिए 7254.84 करोड़ रु. (24.36%) मंजूर किए गए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कुल 525 परियोजनाओं में से, 110 परियोजनाएं (21%) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों में है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कुल 1003754 निवास इकाईयों में से 200527 निवास इकाईयां (20%) अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों के लिए है। • लघु एवं मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत 30.06.2013 तक, 718 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए 14995.58 करोड़ रु. के कुल परियोजना लागत में से, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 88 शहरों/नगरों (12.25%) के लिए 2725.24 करोड़ रु. (18.17%) मंजूर किए गए थे। 30.06.2013 तक, अनुमोदित कुल 856 परियोजनाओं में से, 110 परियोजनाएं (12.85%) अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के लिए है। • शहरी अवसंरचना और शासन (यू.आई.जी.) के अंतर्गत, 30.06.2013 तक, 65 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए 62116.67 करोड़ रु. के कुल परियोजना लागत में से, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 17 शहरों/नगरों के लिए 9476.71 करोड़ रु. मंजूर

1	2	3
		किए गए थे। 30.06.2013 तक, अनुमोदित कुल 563 परियोजनाओं में से, 77 परियोजनाएं (13.67%) अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के लिए है।
9.	राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाएगी कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं **– पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय**	**शहरी स्थानीय निकायों के लिए की गई कार्रवाई :** शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने हेतु कार्रवाई की है– आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश ने अभी तक शहरी स्थानीय निकायों का गठन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ सरकार मामले पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपिल अधिनियमों में प्रावधान नहीं है। **ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए की गई कार्रवाई :** पंचायती राज मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को अपेक्षित परामर्शी पत्र जारी किया है।
10.	अल्पसंख्यक बहुल जिलों, ब्लॉकों और नगरों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना से संबंधी सूचनाओं का प्रसार उर्दू और क्षेत्रीय भाषा में किया जाएगा। ऐसी सेवाएं सुलभ कराना सुनिश्चित करने के साथ-साथ गर्भनिरोध के संबंध में अनेक विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे। **– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह दिया है कि अल्पसंख्यक बहुल जिलामें/ब्लॉकों/नगरों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रभावी उपाय उर्दू तथा स्थानीय भाषा में परामर्श और आई.ई.सी. अभियान के माध्यम से करें

छोटी कारों के लिए सुरक्षा मानदंड

4332. श्री एस. आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ग्लोबल न्यू कार असैसमेंट प्रोग्राम' के अनुसार मारूति आल्टों 800, टाटा नैनो, फोर्ड फिगो, हुन्दे आई-10 और फाक्सवैगन पोलो सहित भारत में बेची जाने वाली अत्यधिक लोकप्रिय छोटी कारें टक्कर संबंधी परीक्षण में असफल रही हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में प्राणघाती चोटों का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में कार निर्माताओं के लिए निर्धारित टक्कर संबंधी परीक्षण अंर्तराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में काफी न्यून हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्लोबल प्लान फार युनाइटेड नेशन ऑफ एक्शन फार रोड सेफ्टी ने छोटी कारों के लिए सुरक्षा की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त सुरक्षा मानदंड भारत में लागू नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सुरक्षा मानदंडों को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) ग्लोबल न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (एन.सी.ए.पी.) टक्कर संबंधी परीक्षण रिपोर्ट कुछ नए गतिमानकों का उपयोग करते हुए तैयार की गई थी जो भारतीय विनियमनों में उपलब्ध मानकों से भिन्न है। परीक्षण के पश्चात् अधिकांश कारों ने ढांचागत विफलता दर्शाई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्तमान में देश में सुरक्षा मानदंड सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र विनियमों (ई.सी.ई. और ग्लोबल टेक्निकल रेग्यूलेशन्स-जी.टी.आर.) के अनुरूप हैं। इस समय, भारत में अनिवार्य पूर्ण वाहन टक्कर नियामक मानदंड नहीं हैं। इस समय छोटी कारों के लिए एक टक्कर परीक्षण अनिवार्य है जो ई.सी.ई.-परीक्षण के बराबर है।

(ङ) और (च) जी, हां। युनाइटेड नेशन्स डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड ने अपने 'पिलर-3', शीर्षक "सुरक्षित वाहन" में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

क्रियाकलाप 1: सदस्य राज्य को हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेग्यूलेशन्स (डब्ल्यू.पी. 29) के लिए यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड फोरम द्वारा तैयार किए गए मोटर वाहन सुरक्षा व्हीकल विनियमों को लागू और घोषित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

क्रियाकलाप 2: मोटर वाहनों के सुरक्षा निष्पादन के बारे में उपभोक्ता जानकारी की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से विश्व के सभी क्षेत्रों में न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

क्रियाकलाप 3: यह सुनिश्चित करने के लिए एग्रीमेंट को प्रोत्साहन देना कि सभी नए मोटरवाहन सीटबेल्ट्स तथा नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऐंगकरिजों से सज्जित हैं तथा लागू टक्कर परीक्षण मानकों (न्यूनतम सुरक्षा विशेषताओं के अनुसार) को पूरा करते हैं।

क्रियाकलाप 4: मोटर वाहनों में इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तथा एंटी लाक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी प्रामाणिक प्रभावशीलता वाली टक्कररोधी प्रौद्योगिकियों के व्यापक परिनियोजन को प्रोत्साहित करना।

क्रियाकलाप 5: उच्च स्तरीय सड़क उपभोक्ता सुरक्षा प्रदान करने वाले तथा नई या पुरानी कारों जिनमें सुरक्षा मानक कम हो गए हैं, के आयात और निर्यात को हतोत्साहित करने वाले मोटर वाहनों के लिए मौद्रिक एवं अन्य प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना।

क्रियाकलाप 6: पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षा विनियमों की प्रयोज्यता तथा अतिसंवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं

के जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन की गई सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में वृद्धित अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

क्रियाकलाप 7: सरकारी तथा निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उच्च स्तर वाले वाहनों की खरीद प्रचालन और रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित करना।

(छ) और (ज) इनमें से कुछ सुरक्षा मानदंड केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, के अधीन भारत में पहले से ही लागू हैं। इसके अलावा, भारत यू.एन.-ई.सी.ई. विनियमों के अनुरूप राष्ट्रीय विनियमों की ओर कदम उठा रहा है। उन्नत टक्कर/सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए गहन परीक्षण सुविधा तथा विशेषज्ञता आवश्यक है। टक्कर परीक्षण के लिए इन सुविधाओं की स्थापना राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा आर. एण्ड डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) के अधीन की जा रही है।

वी.आई.पी. कोटे की टिकट

4333. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में वी.आई.पी. कोटे की टिकटों संबंधी अनियमितताएं रेलवे के ध्यान में आई हैं या इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस मामले में कोई जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) आपातकालीन कोटे के माध्यम से बर्थों के आवंटन में अनियमितता के संबंध में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी विधिवत जांच की जाती है और अनियमितता सिद्ध हो जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्ष के दौरान, आपातकालीन कोटा के माध्यम से टिकटों के कन्फर्मेशन में अनियमितता का एक मामला, जिसमें रेलवे पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दलाल अपना काम कर रहे थे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर साबित हुआ, जिसमें संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार, उत्तर रेलवे पर दो अन्य मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच की गई और दो पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ड़) दिनांक 09.02.2011 के 2011 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 10 द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों को आपातकालीन कोटा से बर्थ रिलीज करने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, आपातकालीन कोटा के अंतर्गत आरक्षित स्थान के आबंटन में अनियमितताओं को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए वाणिज्यिक शाखा और सतर्कता विभाग द्वारा औचक जांचें की जाती हैं।

रेलगाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध

4334. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि रेलगाड़ियों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ और यौन-उत्पीड़न के संबंध में रेलवे टी.टी.ई. पुलिस और सशस्त्र बल कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) महिलाओं द्वारा अपनी मर्यादा को बचाने के लिए चलती रेलगाड़ियों से कूदने और मारे जाने के मामलों की संख्या कितनी है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रेलों पर वर्ष 2013 के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी और यौन-उत्पीड़न के संबंध में रेलवे के टी.टी.ई., पुलिस और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	निम्नलिखित के विरुद्ध गाड़ियों में महिलाओं के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या			
	टी.टी.ई.	रा.रे.पु./पुलिस कार्मियों	रे.सु.बल. कार्मिकों	सशस्त्र बल कार्मिकों
2013	13	3	0	19

(ग) भारतीय रेलों पर वर्ष 2013 के दौरान महिलाओं को मारने और महिलाओं द्वारा अपनी रक्षा के लिए चलती गाड़ियों से कूदने के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	गाड़ियों में महिला यात्रियों की हत्या	महिलाओं द्वारा चलती गाड़ियों से कूदना
2013	0	2

रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और इसलिए चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) के माध्यम से करती हैं। इस प्रकार, अपराध के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हें दर्ज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा उनकी जांच की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है और महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण ड्यूटियां करता है।

महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा आर.पी.एफ. द्वारा औसतन 1275 गाड़ियां का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. यात्रियों पर होने वाले अपराध के प्रति टिकट चैकिंग कर्मचारियों जैसे फ्रन्ट लाइन रेल कर्मचारियों, आर.पी. एफ. और ऑन बोर्ड कर्मचारी, जो यात्रियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, को जागरूकता अभियान और ऑन बोर्ड संवेदनशील बनाया जा रहा है।

3. यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों को किसी अप्रिय घटनाओं के बारे में सूचना देने की सुविधा के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलों में सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। इन सुरक्षा हेल्पलाइनों के नंबर महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों के सवारी डिब्बों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगहों पर प्रदर्शित किए गए हैं।

4. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराध के उचित रूप से पंजीकरण और जांच किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

नागर विमानन क्षेत्र से राजस्व

4335. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र से अर्जित राजस्व कितना है;

(ख) क्या उक्त राजस्व-राशि नागर विमानन क्षेत्र द्वारा दर्ज की गई वृद्धि-दर के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग का आकलन

4336. डॉ. रत्ना डे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले 20 वर्षों के दौरान देश में विद्युत की अनुमानित मांग का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक 18वें वैद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ई.पी.एस.) के अनुसार विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (ई.ई.आर.) और वार्षिक व्यस्ततम विद्युत भार (ए.पी.ई.एल.) के पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं:

पूर्वानुमान	2016-17	2021-22	2026-27	2031-32
ई.ई.आर. (मिलियन यूनिट)	1354874	1904861	2710058	3710083
ए.पी.ई.एल. (मेगावाट)	199540	283470	400705	541823

जल विद्युत परियोजना हेतु स्वीकृति

4337. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिपाईमुख जल-विद्युत परियोजना हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश ने पर्यावरण और भूकम्पीय मुद्दों को लेकर इस परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति उठाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.10.2008 को प्रदान की गई है। तथापि, मणिपुर और मिजोरम राज्य में आने वाली वन भूमि के डाइवर्जन के लिए वन स्वीकृति प्रस्ताव पर्यावरण एवं उन मंत्रालय द्वारा क्रमश: 29.08.2013 और 26.09.2013 को अस्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) से (ङ) बांग्लादेश ने मणिपुर में तिपाईमुख जल विद्युत (बहुउद्देश्यीय) परियोजना के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। तिपाईमुख परियोजना के लिए सहमत विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) के अनुसार संयुक्त अध्ययन हेतु, भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जे.आर.सी.) के अंतर्गत गठित उप-समूह द्वारा बैठकें आयोजित की गई हैं। आयुक्त (गंगा), जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.) जे.आर.सी. के अंतर्गत संयुक्त उपसमूह के समन्वयक हैं। संयुक्त उप समूह की प्रथम बैठक 27-28 अगस्त, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी जिसमें बांग्लादेश को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके बाद, जल संसाधन मंत्रालय ने भी परियोजना की ई.आई.ए. और ई.एम.पी. रिपोर्ट सौंपी थी। संयुक्त उपसमूह की द्वितीय बैठक 1-2 फरवरी, 2013 को ढाका में हुई थी। जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 09.05.2013 के पत्र के माध्यम से, इन्स्टीच्यूट ऑफ वाटर मॉडल (आई.डब्ल्यू.एम.) एण्ड सेन्टर फार एन्वायरनमेंटल एण्ड जिओग्राफिक इन्फार्मेशन सर्विसेज (सी.ई.जी.आई.एस.) बांग्लादेश द्वारा तैयार की गई आरम्भिक रिपोर्ट की दो प्रतियां एन.एच.पी.सी. को उपलब्ध करवाई है। एन.एच.पी.सी. के विचार/टिप्पणियां दिनांक 21.08.2013 के पत्र के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थीं। जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2013 के पत्र के माध्यम से कहा है कि सदस्य जे.आर.सी., बांग्लादेश ने बताया है कि भारतीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े अध्ययन करवाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और उन्होंने अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। एन.एच.पी.सी. ने दिनांक 29.10.2013 के पत्र के माध्यम से कुछ अतिरिक्त उपलब्ध आंकड़ों के साथ अपना उत्तर जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

उत्तराखंड में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

4338. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और स्वीकृति राशि कितनी है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण समय पर पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उत्तराखंड में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़कों का किलोमीटर लंबाई में ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में लंबित सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितना समय लगा है तथा विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन्हें समय पर पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जा रही है और अब तक सड़क से रहित गांवों की संख्या कितनी है; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क क्षेत्र में एकबारगी विशेष पहल है जिसमें गरीबी उपशमन कार्यनीति के हिस्से के रूप में सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को नई सड़कों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पी.एम.जी. एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को शामिल करते हुए संबंधित राज्यों द्वारा कोर नेटवर्क तैयार किए गए थे। नई सड़क संपर्कता के लिए प्राथमिकता और ग्रामीण सड़कों का उन्नयन क्रमशः व्यापक नवीन संपर्कता प्राथमिकता सूची (सी.एन.सी.पी.एल.) और व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सी.यू.पी.एल.) पर आधारित होता है। पी.एम. जी.एस.वाई. के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों सहित देश भर में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों के लिए नई सड़कों और ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के समग्र लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्धि तथा शेष बसावटों में लक्ष्य की स्थिति संलग्न विवरण में दशाई गई है।

(ख) जी, नहीं। राज्य स्तर पर स्वीकृत सड़क कार्यों के निष्पादन में विलंब पाया गया है। ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, इसलिए पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़क कार्यों के निष्पादन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को दी गई है। मंत्रालय स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों तथा अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के जरिए नियमित निगरानी में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) उत्तराखंड में 7465 किलोमीटर लंबाई के 1008 सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं और दिसंबर, 2013 तक 4698 किलोमीटर लंबाई के 520 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

(घ) से (च) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां करती हैं तथा इन्हें कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 9 माह के भीतर पूरा किया जाता है। यदि कार्य-निष्पादन की अवधि पर मानसून या अन्य मौसमी कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो कार्य का कार्यक्रम अनुमोदित करते समय निष्पादन की समयावधि उचित रूप से निर्धारित की जा सकती है किन्तु यह अवधि किसी भी तरह से 12 कैलेंडर माह से अधिक नहीं होगी। पर्वतीय सड़कों (पर्वतीय राज्यों में) के चरण-I के कार्यों के समापन के लिए 18 कैलेंडर माह तक की समय-सीमा मंजूर की जा रही है, जहां कार्य दो चरणों में निष्पादित किया जा सकता है। चरण-II के कार्यों के समापन की समयसीमा ऊपर उल्लिखित अनुसार रहेगी। कुछ सड़क कार्यों के समापन में विलंब हो रहा है तथा राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के समय पर समापन को प्रभावित करने वाले कारण निम्नानुसार हैं :

(i) अपर्याप्त संस्थागत एवं संविदात्मक क्षमता।

(ii) काम-काज का सीमित मौसम और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां।

(iii) भूमि की अनुपलब्धता और वन क्षेत्रों में पड़ने वाली भूमि के लिए वन विभाग से मंजूरी न मिलना।

(iv) भौगोलिक रूप से दुर्गम भू-भाग।

उत्तराखंड में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,088 बसावटों को मंजूरी दी गई है तथा दिसंबर, 2013 तक 681 बसावटें सड़कों से जोड़ दी गई हैं।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत दिसंबर, 2013 तक स्वीकृत तथा सड़कों से जोड़ी गई बसावटें

क्र.सं.	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई. के कोर नेटवर्क के अनुसार पात्र बसावटों की कुल संख्या	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14	
			मार्च, 2013 तक स्वीकृत बसावटें	मार्च, 2013 तक सड़कों से जोड़ी गई बसावटें	दिसंबर, 2013 तक स्वीकृत बसावटें	दिसंबर, 2013 तक सड़कों से जोड़ी गई बसावटें
1.	अरुणाचल प्रदेश	931	365	319	393	325
2.	असम	12205	8806	6969	9038	7168
3.	हिमाचल प्रदेश	3725	2408	1872	2427	1872
4.	जम्मू और कश्मीर	3892	1927	1162	1927	1276
5.	मणिपुर	1023	448	249	502	317
6.	मेघालय	793	215	156	290	159
7.	मिज़ोरम	246	162	136	162	154
8.	नागालैण्ड	191	91	90	91	90
9.	सिक्किम	366	296	191	296	207
10.	त्रिपुरा	1731	1773	1535	2013	1573
11.	उत्तराखंड	2684	1049	673	1088	681
	कुल योग	27787	17540	13392	18227	13822

[अनुवाद]

पावर ग्रिड का व्यय

4339. श्री निखिल कुमार चौधरी:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान पावर ग्रिड के पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन, पारेषण और इसके वितरण के खंडों में नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु 6500 करोड़ रु. का पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का अभाव ग्रिड के ठप्प होने और विद्युत पारेषणगत हानि का एक मुख्य कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पावर ग्रिड का पूंजीगत व्यय 2007-08 के दौरान 6,656 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 के दौरान 20,360 करोड़ रुपए हो गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय ने उत्पादन क्षेत्र तथा पारेषण एवं वितरण खंडों में नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में कोई पूंजीगत व्यय निर्धारित नहीं किया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं का संरक्षण

4340. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में संकटापन्न अल्पसंख्यक– भाषाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अल्पसंख्यक– भाषाओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) भाषाजात अल्पसंख्यकों की व्याख्या संविधान में अथवा किसी अन्य कानून में नहीं की गई है। उनकी परिभाषा तब होती है जब उनकी मातृभाषा उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा से अलग होती है। उनकी पहचान राज्य सरकार/संघ राज्य द्वारा जनगणना आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, संविधान के अनुच्छेद, 350-ख के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त अल्पसंख्यक भाषाजात, संविधान और भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सम्मत राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध कराए गए सभी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है। भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं :

1. महत्त्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का अनुवाद और प्रकाशन सभी भाषाओं में करना जिन्हें जिला और उप-जिला स्तर पर कुल जनसंख्या के कम से कम 15% लोगों द्वारा बोला जाता है।
2. अल्पसंख्यक भाषा को उन जिलों में जहां ऐसी भाषा बोलने वाले लोग जनसंख्या का 60% या उससे अधिक है में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषणा करना।
3. रक्षा उपायों की योजना, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और उत्तर देना।
4. शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषाओं/अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से निर्देश देना।
5. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से निर्देश देना।
6. भाषाजात अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की भाषाजात प्राथमिकता का पहले से पंजीकरण, और अंतर-विद्यालयी व्यवस्था।
7. रक्षा उपायों की योजना, अल्पसंख्यक भाषाओं में पुस्तकों और अध्यापकों का प्रावधान।
8. त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन।
9. चयन के समय पर राज्य की आधिकारिक भाषा की जानकारी का आग्रह न करना। परिवीक्षा अवधि के पूरा होने से पूर्व राज्य की आधिकारिक भाषा में निपुणता का परीक्षण करना।
10. अल्पसंख्यक भाषाओं में भाषाजात अल्पसंख्यकों के रक्षा उपायों का ब्यौरा देते हुए विवरणिकाएं जारी करना।
11. राज्य और जिला स्तरों पर उचित तंत्र की स्थापना।

मानव संसाधन विकास मंत्रलय का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.), मैसूर मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान 10000 व्यक्तियों से कम द्वारा बोली जानी वाली भाषाओं के संरक्षण और बचाव के लिए एक योजना कार्यान्वित

कर रहा है। योजना के अंतर्गत विशेषकर 10000 व्यक्तियों से कम द्वारा बोली जाने वाली सभी लुप्त प्राय भाषाओं/मातृ भाषाओं आदि के व्याकरणिक विवरण, एक भाषी और द्विभाषी शब्दकोशों, भाषा की वर्णमाला पुस्तक, लोककथाओं का संकलन, विश्वकोषों, आदि तैयार की जाती है।

टी.ए.एम. संबंधी सांख्यिकीय डाटा

4341. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तिथि में, सरकार के पास टेलीविजन दर्शक मापन (टी.ए.एम.) संबंधी कोई सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में इसकी रेटिंग की जानकारी क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने "टेलीविजन रेटिंग्स अभिकरणों संबंधी दिशानिर्देश" पर अपनी दिनांक 11.09.2013 की सिफारिश में उल्लेख किया कि इस समय केवल एक एजेंसी अर्थात् टी.ए.एम. मीडिया रिसर्च (टैम) भारत में वाणिज्यिक आधार पर टेलीविजन रेटिंग सेवा प्रदान कर रही है। टी.ए.एम. ने देश में लगभग 10,000 जन मीटर संस्थापित किए हैं जिनमें एल.सी. 1 शहरों (1000-99000 के दायरे की जनसंख्या वाले छोटै शहरी नगर) के 1805 जन मीटर शामिल हैं। मंत्रालय ने देश में एक विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेही रेटिंग प्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी, 2014 को भारत में टेलीविजन रेटिंग अभिकरणों के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी रेटिंग अभिकरणों को मंत्रालय में अपना पंजीकरण करवाना होगा। विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर कैमरे

4342. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे संवेदनशील स्टेशनों पर गुप्त कैमरे लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अब तक कितने स्टेशनों को संवेदनशील घोषित किया गया है और कितने रेलवे स्टेशनों पर गुप्त कैमरे लगाए गए हैं;

(ग) कितने स्टेशनों पर अभी गुप्त कैमरे लगाए जाने बाकी हैं और उक्त उपकरणों को वहां कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) जी नहीं। संवेदनशील स्टेशनों पर स्पाई कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर और जोनल रेलों के परामर्श से 202 स्टेशनों को एकीकृत सुरक्षा प्रणाली संस्थापित करने के प्रयोजन से संवेदनशील घोषित किया गया है ताकि इन स्टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ किया जा सके। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में चार प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

(i) इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.)

(ii) एक्सेस कंट्रोल

(iii) पर्सनल एवं बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम

(iv) बम डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम

एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के कार्य को 353 करोड़ रुपए की लागत पर रेलों के निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। 93 स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के कार्य के निष्पादन के लिए 12 जोनल रेलों द्वारा ठेके पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं।

स्व-रोजगार कार्यक्रम

4343. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ऋण संबंधी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूरों, वंचित वर्ग, सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजित कार्यक्रम जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) परिवर्तित नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के लाभार्थी, मैला ढोने वालों के पुर्नवास के लिए प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) शामिल हैं। इस संबंध में, राज्य सरकारों से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के उर्दू चैनल को बढ़ावा देना

4344. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के डी.डी.-उर्दू चैनल को उसके वास्तविक संदर्भ में बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वार उर्दू चैनल को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनेक धारावाहिक डी.डी. उर्दू पर प्रसारणार्थ लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे धारावाहिकों के इनके निर्माताओं/निदेशकों सहित नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में डी.डी.-उर्दू चैनल पर और अधिक धारावाहिकों के प्रसारण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी.डी. उर्दू चैनल ने धारावाहिकों को प्रसारण के लिए अधिकृत किया है और वह बहिरंग कार्यक्रमों के कवरेज़ सहित "इनहाउस कार्यक्रमों" का भी निर्माण कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसारण के लिए अधिकृत किए गए नए धारावाहिक पहले ही 15.01.2014 से प्रसारित किए जाने के लिए निर्धारित किए जा चुके हैं। ये कदम दूरदर्शन द्वारा डी.डी. उर्दू पर प्रसारण के लिए धारावाहिकों को अधिकृत किए जाने और साथ ही उस पर और अधिक "इनहाउस कार्यक्रम" शुरू किए जाने के कारण डी.डी. उर्दू चैनल की भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं।

पहचान-पत्र न दिखाने पर जुर्माना

4345. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि अपने टिकट के साथ मूल फोटो पहचान-पत्र न दिखाने पर काफी सारे यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में वैध पहचान-पत्र की प्रतिलिपि स्वीकार न करने, जैसाकि अन्य मामलों में होता है के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल पहचान-पत्र दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर यात्रियों पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और जोन-वार अर्थ-दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूली गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, पहचान के निर्धारित प्रमाणपत्र के बिना यात्रा करने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग की संभावना कम से कम करने के उद्देश्य से, यह निर्धारित किया गया है कि आरक्षित श्रेणियों में यात्रा करने के मामले में, यात्री को पहचान के प्रमाण के रूप में निर्धारित कोई एक दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर उस टिकट पर यात्रा कर रहे सभी यात्री बिना टिकट माने जाएंगे और उनसे तदनुसार किराया वसूल किया जाएगा। तत्काल टिकट के मामले में, टिकट में यथा उल्लिखित पहचान का मूल रूप में प्रमाण यात्री को अपने पास रखना होगा। चूंकि फोटो कापी के आधार पर यात्री की प्रामाणिकता और सच्चाई का पता लगाना कठिन है, इसलिए यह अनुमेय नहीं है। बहरहाल, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) के जरिए स्लीपर (एस. एल.) और सेकेंड रिजर्व (2एस) श्रेणियों के लिए बुक की गई गैर-तत्काल टिकटों के मामले में, फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोग्राफ सहित पासबुक की सत्यापित फोटोकॉपी भी अनुमेय है।

(ग) मूल रूप में आई-डी प्रूफ प्रस्तुत न किए जाने पर यात्रियों से जुर्माने के रूप में एकत्रित राशि का अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता। यह अनियमित रूप से अथवा समुचित टिकट के बिना यात्रा कर रहे यात्रियों से वसूल राशि का ही हिस्सा होता है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

4346. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का नजीबाबाद से गजरौला वाया कोतवाली-नहटौर-नूरपूर नई रेललाइन प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संभल-गजरौला वाया हसनपुर खण्ड पर नई रेललाइन परियोजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) योजना आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, गजरौला-मैनपुरी (संभल और हासनपुर के रास्ते) नई लाइन परियोजना संबंधी प्रस्ताव के संबंध में आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

समवर्ती सूची के अंतर्गत जल

4347. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'जल' विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच नदी जल को पारदर्शी तरीके से बांटने हेतु विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, नहीं। 'जल' को समवर्ती सूची में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंतर्राज्यीय नदियों के मामले में, जल को अंतर्राज्यीय समझौतों के अनुसार अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 (2002 में संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार सीमावर्ती राज्यों के बीच आवंटित किया जाता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

4348. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इस विषय की विशेषज्ञता वाले

व्यावसायिकों की सेवाएं लेने हेतु 400 करोड़ रु. की राशि और मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ पेशेवरों की सेवाएं लेने के लिए 400 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया पर लगाया गया अर्थ-दण्ड

4349. श्री नीरज शेखर:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री के. सुगुमार:
श्री यशवीर सिंह:
श्री सुल्तान अहमद:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की नागर विमानन सुरक्षा संबंधी रैंकिंग को घटा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विमानों को अब संयुक्त राज्य अमेरिका में और अधिक अभियांत्रिकीगत व अन्य प्रकार की सुरक्षा जांचों से गुजरना होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका के परिवहन विभाग (डी.ओ.टी.) ने एअर इंडिया पर मोटा अर्थ-दण्ड लगाया है और यदि हां, तो लगाए गए उक्त अर्थ-दण्ड का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस सिलसिले में त्रुटि के जिम्मेदार कार्मिकों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में नागर विमानन सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को स्तरोन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां। सितम्बर, 2013 में फेडरल विमानन प्रशासन द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय विमानन संरक्षा मूल्यांकन (आई.ए.एस.ए.) पर आधारित परीक्षण तथा तत्पश्चात् दिसम्बर, 2013 में किए गए पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप फेडरल विमानन प्रशासन द्वारा भारत की रेटिंग श्रेणी 2 में की गई है।

श्रेणी 2 में निर्धारण का कारण प्रमुखत: नागर विमानन महानिदेशालय में नियमित उड़ान प्रचालन निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने से सम्बद्ध है जिसके कारण नागर विमानन महानिदेशालय अपने प्रचालनों के संबंध में प्रभावी संरक्षा करने में असमर्थ रहा है।

(ख) श्रेणी 2 के अंतर्गत अमेरिका किसी भी भारतीय विमान वाहक को अपनी सेवाओं में विस्तार/परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं करेगा तथा अमेरिका के लिए भारतीय विमान वाहक के प्रचालन 'कड़ी एफ.ए.ए. निगरानी' के अध्यधीन होंगे। कड़ी निगरानी के अंतर्गत अमेरिका के लिए प्रचालन करने वाले भारतीय विमान वाहक के विमानों की अमेरिका में उतरने पर बारम्बार रैम्प जांच की जाएगी।

(ग) फेडरल विमान प्रशासन द्वारा अपने दिनांक 6 सितम्बर, 2013 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि एअर इंडिया (ए.आई.) सेवा यूनिट (पी.एस.यू.) की कंपनी सामग्री की घोषणा न करके ए.आई-101 पर खतरनाक सामग्री का परिवहन करते हुए खतरनाक सामग्री के परिवहन की विशिष्ट अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है। जिसके कारण एअर इंडिया को 50,000 अमरीकी डालर के दण्ड को उत्तरदायी ठहराया गया है। एअर इंडिया को अपना औचित्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था तथा संगठन से संबंधित अनेक जानकारियां मांगी गई थी। एअर इंडिया ने इस बात का विरोध किया है कि उक्त यात्री सेवा यूनिट में एफ.ए.ए. लगाए गए आरोप के अनुसार कोई रसायन जेनरेटर नहीं था। फेडरल विमानन प्रशासन ने अपने दिनांक 25 सितम्बर के पत्र में एअर इंडिया के दावों को स्वीकार किया गया है।

तथापि, फेडरल विमान प्रशासन ने पुनरीक्षा के दौरान यह पाया कि एअर इंडिया अभी भी चार्ज किए हुए आक्सीजन सिलेंडर एसेम्बली से युक्त पी.एस.यू. का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके निर्माता मैसर्स बोर्ड एयरोस्पेस ने अपने अनुरक्षण दस्तावेजों में यह वर्गीकृत नहीं किया है कि यह परिवहन के लिए खतरनाक वस्तु है। यह मामला बोर्ड एयरोस्पेस के सम्मुख उठाया गया है। वे अपने कम्पोनेट अनुरक्षण मैनुअल

को अद्यतन करते हुए इसके लीडिंग विवरण भाग में इसके वर्गीकरण तथा भण्डारण/परिवहन का समावेश कर रहे हैं। एफ. ए.ए. को इसकी जानकारी भी एअर इंडिया द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को ईमेल के माध्यम से दे दी गई थी।

(घ) नागर विमानन संरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत आई.सी.ए.ओ. का एक सदस्य राष्ट्र है तथा आई.सी. ए.ओ. द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। आई.सी.ए.ओ. द्वारा परीक्षणों के माध्यम से अनुपालनों के संबंध में आवधिक जांच की जाती है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा अनुबंध 17 के रूप में निर्धारित मानकों पर समय-समय पर चर्चा के लिए मांट्रियल, कनाडा में संविदाकारी राष्ट्रों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों हवाई अड्डों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा के मानकों का अनुसरण करता है।

नई गाड़ियां

4350. श्री एन. धरम सिंह:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री एस. अलागिरी:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पुणे से अजमेर व पुणे से अमृतसर सीधी ट्रेन चलाने; सर्वोदय एक्सप्रैस को औरंगाबाद से वाया नागपुर-हिंगोली-वाशिम-अंकोला तक चलाने; हरिहर-बंगलौर के बीच नई इंटरसिटी ट्रेन संचालित करने; तथा त्रिची-बंगलौर वाया विरुदाचलम और लखनऊ-हरदोई रेलगाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है और उक्त सेवाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) तीर्थ नगरी अमृतसर और अजमेर को देश के अन्य भागों के साथ जोड़ने के लिए विशेष तौर पर आकल्पित रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा उपर्युक्त रेलगाड़ी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) रेल बजट 2013-14 में घोषित 64221/64222 लखनऊ-हरदोई मेमू गाड़ी (सप्ताह में छः दिन) 10.02.2014 से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, इस समय, पुणे अजमेर से दो जोड़ी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, तिरुच्चिरापल्ली बेंगलोर से दो जोड़ी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है और हरिहर बेंगलोर से 13 जोड़ी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, इस समय, परिचालनिक एवं संसाधनों की कमी के कारण पुणे से अजमेर, पुणे से अमृतसर, औरंगाबाद से नागपुर बरास्ता हिंगोली, वसीम, अकोला और तिरुच्चिरापल्ली-बेंगलोर (बरास्ता विरधाचलम) के लिए सीधी गाड़ी सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय, अजमेर, दिल्ली, बेंगलोर, मैसूर, वाराणसी, कोलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, न्यू जलपाईगुड़ी आदि से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार, अमृतसर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, नांदेड, बिलासपुर, पटना, जयपुर, तिरुवनंतपुरम आदि से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, भारतीय रेल में गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता आदि हो।

[हिन्दी]

भुवनेश्वर विमानपत्तन

4351. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) देश में अब तक कितने विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में स्तरोन्नयन किए गए हैं;

(ग) उक्त स्तरोन्नयन कार्य पर कितना व्यय हुआ है और विगत तीन वर्षों के दौरान इससे विमानपत्तर-वार अर्जित वार्षिक राजस्व कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावित विमानपत्तनों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) किसी हवाईअड्डे को "अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा" घोषित किए जाने के लिए नीचे उल्लिखित सुविधाओं का होना चाहिए :

(i) मध्यम क्षमता लम्बी दूरी के विमान अथवा समान प्रकार के विमानों के लिए 9000 फुट की रनवे लम्बाई होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए प्रमुखत: यही विमान प्रयोग में लाए जाते हैं।

(ii) रात्रि में विमान प्रचालन के लिए भू प्रकाश सुविधाओं, उपकरण अवतरण प्रणाली, की उपलब्धता।

(iii) अनुसूचित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन प्रचालकों की अपेक्षाएं/मांग।

(iv) सीमा शुल्क, आप्रवास, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य एवं पशु तथा पौध संगरोध सेवाओं की उपलब्धता।

(ख) अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में घोषित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों से सम्बद्ध हवाईअड्डों तथा सिविल एन्कलेवों की सूची संलग्न विवरण-I दी गई है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन वाले हवाईअड्डों एवं सिविल एन्कलेवों की हवाईअड्डा अवसंरचना के स्तरोन्नयन पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन हवाईअड्डों द्वारा अर्जित वार्षिक राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) भोपाल, इंदौर तथा रायपुर हवाईअड्डों को अंतरर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित किए जाने के प्रस्तावों पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां/विचार प्राप्त किए जा रहे हैं। संबंधित मंत्रालयों के विचारों के आधार पर इन हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित करने संबंधी अधिसूचना से पूर्व केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा जाएगा।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में घोषित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले हवाईअड्डों एवं सिविल एन्कलेवों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों से सम्बद्ध हवाईअड्डों की सूची

1. अहमदाबाद
2. अमृतसर
3. चेन्नै
4. गुवाहाटी
5. कोलकाता
6. जयपुर
7. कोझिकोड (कालीकट)
8. तिरुवनंतपुरम
9. गोवा (सिविल एन्कलेव)
10. पोर्ट ब्लेयर (सिविल एन्कलेव)
11. श्रीनगर (सिविल एन्कलेव)
12. लखनऊ
13. वाराणसी
14. तिरुचिरापल्ली
15. मंगलौर
16. कोयम्बतूर
17. भुवनेश्वर
18. इम्फाल

संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व/प्रबंधन वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई

3. केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलुरू
4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
5. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नागपुर
6. कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि

विवरण-II

स्तरोन्नयन पर किया गया व्यय

पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	व्यय	व्यय	व्यय
1.	अहमदाबाद	47.15	10.41	1.65
2.	अमृतसर	12.86	4.59	14.04
3.	चेन्नै	663.04	417.18	284.60
4.	गुवाहाटी	8.89	1.37	4.09
5.	कोलकाता	600.70	638.19	609.55
6.	जयपुर	2.48	0.13	3.92
7.	कालीकट	2.17	1.98	3.49
8.	तिरुवनंतपुरम	6.63	7.92	1.33
9.	गोवा	20.69	72.59	104.12
10.	श्रीनगर	13.84	1.97	0.00
11.	वाराणसी	17.01	12.53	0.00
12.	त्रिची	1.05	0.08	0.04
13.	मंगलूर	17.45	0.00	7.20
14.	कोयंबत्तूर	38.91	21.54	0.68
15.	भुवनेश्वर	10.73	36.93	39.89
16.	इम्फाल	0.70	0.50	14.17
17.	पोर्ट ब्लैयर	2.98	1.49	0
18.	लखनऊ	19.6	12.91	9.71

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष के दौरान अर्जित वार्षिक राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
1.	अहमदाबाद	155.12	195.84	196.24
2.	अमृतसर	57.00	66.50	59.96
3.	चेन्नई	779.29	861.62	690.05
4.	गुवाहाटी	48.23	67.28	52.31
5.	कोलकाता	419.76	425.21	357.05
6.	जयपुर	68.54	77.98	78.60
7.	कालीकट	103.14	112.66	116.94
8.	तिरुवनंतपुरम	112.55	173.24	186.38
9.	गोवा	79.80	92.27	100.46
10.	पोर्ट ब्लैयर	11.02	12.52	12.28
11.	श्रीनगर	21.33	29.33	33.89
12.	लखनऊ	49.47	67.02	69.01
13.	वाराणसी	19.84	29.59	31.71
14.	तिरुचिरापल्ली	36.55	44.40	46.30
15.	मंगलूर	32.74	42.43	50.02
16.	कोयंबत्तूर	34.46	39.95	42.58
17.	भुवनेश्वर	28.32	40.71	37.57
18.	इम्फाल	11.25	17.08	14.37

[अनुवाद]

सुरक्षा-रैंकिंग

4352. श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.ए.ए.) द्वारा भारत के विमानन क्षेत्रक की रैंकिंग घटाने का एअर इंडिया और स्टार एलाइंस की साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) एअर इंडिया द्वारा स्टार एलाइंस के साथ साझेदारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) फेडरल विमानन प्रशासन (एफ.ए.ए.) द्वारा भारतीय विमानन सेक्टर के संबंध में की गई क्रमावनति से एअर इंडिया का स्टार एलायंस में शामिल होना प्रभावित नहीं हुआ है। स्टार एलायंस द्वारा यह पुष्टि की गई है कि एफ.ए.ए. का संरक्षा मूल्यांकन मामला संबंधित सरकारों तथा विमानन प्राधिकरणों से सम्बद्ध है तथा इस क्रमावनति से एअर इंडिया का स्टार एलायंस में योजनागत समामेलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

(ख) स्टार एलायंस द्वारा 13 दिसम्बर, 2013 को की गई इस घोषणा के परिणामस्वरूप, कि उनके चीफ एक्जीक्यूटिव बोर्ड (सी.ई.बी.) द्वारा एकमत से पुन: समामेलन को आरंभ करना स्वीकार कर लिया है, एअर इंडिया द्वारा स्टार एलायंस में समामेलन कार्य पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। समामेलन कार्यों के अंतर्गत स्टार एलायंस में प्रवेश की अपेक्षाओं तथा मानकों के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रक्रियाबद्ध करना होता है।

[हिन्दी]

रेल-भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग

4353. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के पास जोन-वार कुल कितनी भूमि अप्रयुक्त/रिक्त पड़ी है और उक्त रिक्त भूमि का किस प्रकार से उपयोग किए जाने का विचार है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे/रेल भूमि विकास निगम (आर.एल.डी.ए.) द्वारा रेल-भूमि के वाणिज्यिक उपयोग और पट्टे पर दी गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे/आर.एल.डी.ए. द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ/पट्टे पर दी गई/रियल एस्टेट क्षेत्र में रखी गई भूमि से सृजित राजस्व का वर्ष-वार व जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का बिहार में, विशेषकर पटना के आसपास की काफी सारी भूमि का ऐसा उपयोग करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेल-भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) रेल नेटवर्क के अंतर्गत भूमि का कुल क्षेत्र 11.25 लाख एकड़ है, जिनमें से लगभग 1.08 लाख एकड़ भूमि खाली है। यह खाली भूमि अधिकांशत: रेलपथ के साथ-साथ सकरी पट्टी के रूप में है और रेलपथ तथा अन्य अवसंरचना की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए अनिवार्य है। खाली रेलवे भूमि का उपयोग रेलों की विकास संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है जिनमें दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं, रेल कोच और कलपुर्जा कारखानें आदि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। खाली भूमि, जिसकी रेलवे को तत्काल परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए जरूरत नहीं है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से उसका उपयोग जहां-कहीं व्यावहारिक हो, वाणिज्यिक विकास के लिए किया जाता है। खाली भूमि का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	खोली भूमि (एकड़ में)
1	2
मध्य	6719
पूर्व	3731
पूर्व मध्य	10585
पूर्व तट	5525
उत्तर	14156
उत्तर मध्य	1601
पूर्वोत्तर	14277
पूर्वोत्तर सीमा	2752
उत्तर पश्चिम	4215
दक्षिण	5685
दक्षिण मध्य	3314
दक्षिण पूर्व	1152
दक्षिण पूर्व मध्य	6975
दक्षिण पश्चिम	9972
पश्चिम	15351
पश्चिम मध्य	1184
उत्पादन इकाइयां	1008
कुल	108202

(ख) और (ग) रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दी गई भूमि और उपार्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रेलवे/जोन	स्थल का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (31.10.2013 तक)	कुल आमदनी
1.	उत्तर मध्य रेलवे	गोला का मंदिर ग्वालियर	3.21	26.24	0	0	0	26.24
2.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	प्लेटफार्म रोड, बेंगलोर	2.49	8.37	6.97	0.03	0.03	15.40
3.	पूर्व मध्य रेलवे	गौतमबुद्ध इंस्टीट्यूट, गया	1.41	1.79	0	0.01	0	1.80
4.	उत्तर रेलवे	सराय रोहिल्ला, दिल्ली	38.29	315.80	19.69	330.3	500.86	116.65
		कुल जोड़	45.40	352.20	26.66	330.34	500.89	1210.09

(घ) पटना में और उसके आस-पास कोई खाली और फालतू भूमि नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम को निधि की कमी

4354. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों को व्यावसायिक स्व-रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गठित मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम को निधि की कमी के कारण अपने कार्यकलापों को सीमित करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उक्त निगम को वित्तीय सहायता प्रदान न करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरीग): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित मौलाना अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (एम.ए.ए.ए.वी.एन.) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) के रूप में कार्य करता है। निधियों का वितरण क्षेत्र आधारित जरूरतों पर आकलन के आधार पर उनकी मांग के अनुसार किया जाता है। मौजूदा वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.ए.ए.ए.वी.एन. को वितरित और उपयोग की गई निधियों की स्थिति निम्नानुसार है :

(लाख रु. में)

वर्ष	सावधि ऋण				सूक्ष्म वित्त			
	आवंटन	वितरण	लाभार्थी	अप्रयुक्त शेष	आवंटन	वितरण	लाभार्थी	अप्रयुक्त शेष
2010-11	2492.00	1040.00	2311	-	498.00	-	-	-
2011-12	1425.00	419.00	645	192.82	1425.00	-	-	-
2012-13	1953.50	300.00	316	156.42	1953.50	300.000	1333	300.00
2013-14	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-

(ग) केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) के माध्यम से श्री महीप रेवनवड़, जिला परभनी (महाराष्ट्र) की एक शिकायत, महाराष्ट्र की एस.सी.ए. द्वारा ऋण योजनाओं के अकार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त की गई थी। मंत्रालय ने शिकायत को निपटान के लिए एन.एम.डी.एफ.सी. को संदर्भित कर दिया है।

(घ) और (ङ) चूंकि एम.ए.ए.ए.वी.एन. ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए 2013-14 के दौरान उसको कोई निधि जारी नहीं की गई है। एन.एम.डी.एफ.सी. ने एम.ए.ए.ए.वी.एन. को अप्रयुक्त शेष के उपयोग में तेजी लाने और 2013-14 की निधियां प्राप्त करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।

[अनुवाद]

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद

4355. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुल्लापेरियार तथा पलार बांध मुद्दों सहित अंतरराज्यीय नदी जल विवाद की विवाद/मुद्दा-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सभी विवादों/मुद्दों के समयबद्ध तरीके से सौहार्द्रपूर्ण निपटान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विवाद/मुद्दावार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में अभिकरणों के समयबद्ध स्पष्टीकरण/अनुपूरक आदेशों तथा अंतरराज्यीय बेसिनों के अंतर्गत पनधारा एजेंसियों के समग्र समन्वय हेतु अंतरराज्यीय नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम एवं नदी बोर्ड अधिनियम में संशोधन किए जाने की जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) नदी बेसिन विकास के आधार पर समेकित सिंचाई प्रबंध समाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विभिन्न अन्तरराज्यीय जल विवादों, जिन्हें विवाद समाधान हेतु अधिकरणों को भेजा गया है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	संबंधित राज्य	गठन की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	रावी एवं व्यास जल अधिकरण	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	अप्रैल, 1986	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट और निर्णय अप्रैल, 1987 में दिया गया। एक राष्ट्रपतीय संदर्भ उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और इस तरह मामला न्यायाधीन है।
2.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी	जून, 1990	रिपोर्ट और निर्णय 5.2.2007 को दिया गया जिसे दिनांक 19.2.2013 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था। पक्षकार राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) लम्बित है और इस तरह मामला न्यायाधीन है।
3.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण-II	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	अप्रैल, 2004	रिपोर्ट और निर्णय 30.12.2010 को दिया गया। अधिकरण ने आगे की रिपोर्ट 29.11.2013 को दी। तथापि, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.9.2011 के आदेश के अनुसार, आगामी आदेश तक, राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत संदर्भों के विषय में अधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इस तरह मामला न्यायाधीन है।
4.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा	फरवरी, 2010	अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय नहीं दी है। ओडिशा राज्य ने अधिकरण के सदस्य न्यायमूर्ति श्री गुलाम मोहम्मद की नियुक्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष

1	2	3	4	5
				अनुमति याचिका दायर की है। अत: मामला न्यायाधीन है। दिनांक 17.12.2013 के अपने आदेश में माननीय वंशधारा जल विवाद अधिकरण ने आदेश के कार्यान्वयन हेतु वंशधारा नदी के संबंध में 3 सदस्यीय प्रोटेम पर्यवेक्षक बहाव प्रबंधन और विनियमन समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। जल संसाधन मंत्रालय ने आदेश के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है।
5.	महादायी जल विवाद अधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	नवम्बर, 2010	अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया है।

मुल्ला पेरियार बांध और पलार बांध का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.2.2013 के आदेश के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार ने दिनांक 24.10.2013 को बभाली बैराज के संबंध में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है।

सोन नदी के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राप्त बिहार सरकार के अनुरोध पर आई.एस.आर.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) से (घ) अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके वर्ष 2002 में संशोधन किया जा चुका है, जिसमें अधिकरणों द्वारा जल विवादों के अधिनिर्णयन को समयबद्ध बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसी गतिविधियों के अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति की भी स्थापना की गई थी जो कि नदी बेसिन के इष्टतम विकास हेतु आवश्यक हैं और ऐसे परिवर्तन जो कि मौजूदा बोर्ड अधिनियम, 1956 में अपेक्षित हो सकते हैं। समिति की रिपोर्ट राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई मंत्रियों की राष्ट्रीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों, सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को भी भेजी गई है।

(ङ) सिंचाई विकास हेतु उपायों सहित जल संसाधनों की सततता सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन हेतु कई उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के क्रम में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 'जल का संरक्षण करना, जल की बर्बादी को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और भीतर दोनों ओर इसके समान वितरण को सुनिश्चित करना' के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है।

वैद्युत स्टेशन का उन्नयन

4356. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालपेनी एवं चेटलाट द्वीपों में नियमित विद्युत

आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यहां स्थित वैद्युत स्टेशनों का वैद्युत उप प्रभाग में उन्नयन करने संबंधी लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से कोई प्रस्ताव सरकार को मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से लक्षद्वीप के विद्युत विभाग में कालपेनी और चेटलाट द्वीपों में वैद्युत अनुभाग का वैद्युत उप-प्रभाग में उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से जांच की गई है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षद्वीप के कालपेनी और चेटलाट द्वीपों में सहायक अभियंता के नये पद का सृजन शामिल है जिसके लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अनुमति आवश्यक है। चूंकि वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार योजना और गैर योजना पदों के सृजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से नए पदों के सृजन के लिए निर्धारित जांच सूची में पूर्ण ब्यौरों सहित पदों के सृजन, समतुल्य बचतों और वित्तीय प्रभाव का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

कम हवाई यात्री किराए के प्रति प्रतिक्रिया

4357. श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री ओ.एस. मणियन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया एवं निजी एयरलाइन्सों को हाल में अपने सस्ते यात्री किराए पर जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एयर इंडिया एवं निजी एयरलाइन्सों ने इस प्रस्ताव को समय-विस्तार देने का निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन्स-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि एयर इंडिया का यात्री किराया निजी एयरलाइन्सों के छूट वाले यात्री किराए की तुलना में बहुत अधिक है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि विगत समय में ऐसे सस्ते यात्री किराए के प्रस्तावों को मिश्रित प्रतिक्रियाएं ही प्राप्त हुई हैं, तथा यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी एयरलाइन्स-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यात्री किराए को नियमित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं ताकि इसे एकसमान एवं लोगों के लिए वहनीय रखा जा सके?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विभिन्न एयरलाइनों द्वारा घरेलू नेटवर्क पर 21 जनवरी, 14 को लघु अवधि तथा यात्रा के लिए मूल किराए तथा एयरलाइन ईंधन प्रभार पर 50 प्रतिशत रियायत की पेशकश के साथ प्रोत्साहन किराए की शुरुआत की गई है। एअर इंडिया द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए एडवांस परचेज मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जा करने हेतु प्रतिक्रिया भी की गई है और 22 जनवरी, 14 से 24 जनवरी, 14 तक मूल किराए तथा एयरलाइन प्रभार पर 50 प्रतिशत रियायत वाली बिक्री स्कीम शुरू की गई है। जनवरी में मध्य अप्रैल, 2014 तक की कम व्यस्ततम अवधि के दौरान एडवांस लोड बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। एअर इंडिया इस ऑफर पर 60-70 प्रतिशत अपनी क्षमता को पूरा करने में समर्थ हुई जो कि उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप भी थी। उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को देखते हुए एअर इंडिया द्वारा इस योजना को 27 जनवरी, 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 31 जनवरी, 14 को घरेलू सेक्टरों पर 15 अप्रैल, 14 तक यात्रा के लिए एयरलाइनें मूल किराए तथा एयरलाइन ईंधन प्रभार पर 30 प्रतिशत रियायत का ऑफर लेकर आई। मार्केट हिस्सेदारी के संरक्षण के लिए, 01 फरवरी, 14 से एअर इंडिया ने बिक्री के ऑफर के अनुरूप अपने ऑफर उपलब्ध कराए, लेकिन ये केवल 20 अप्रैल, 14 तक

की यात्रा के लिए है। अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के मद्देनजर इस योजना को 6 फरवरी, 14 तक बढ़ा दिया गया था।

विमान किराए का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित विमान सेवाओं में शामिल प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम, प्रचालन लागत, सेवाओं की गुणवत्ता, उचित लाभ तथा सामान्यत: प्रचलित टैरिफ समेत सभी संबद्ध कारकों के आधार पर टैरिफ का निर्धारण करेंगे। इसलिए एयरलाइनें उचित प्रभार/शुल्क के निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं। एयरलाइनों के किराए का निर्धारण बहुस्तरीय (बकेट अथवा आर.बी.डी.) होता है जो कि वैश्विक रूप से अपनाई जा रही प्रक्रिया की तर्ज पर होता है। एयरलाइनों द्वारा कीमतों का निर्धारण बाजार मांग, सीजन तथा अन्य बाजारी शक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ङ) डी.जी.सी.ए. में एक टैरिफ मॉनीटरिंग इकाई का गठन किया गया है जो कि यादृच्छिक रूप से चयनित घरेलू मार्ग पर विमान किरायों को मॉनीटर करता है। टैरिफ पद्धति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि किराया एयरलाइनों द्वारा उनकी संबंधित वेबसाइटों पर दर्शाए अनुसार किराया बैण्ड के दायरे में ही होता है।

[हिन्दी]

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अन्तर्गत राशि जारी करना

4358. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री बदरूद्दीन अजमल:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) एवं स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्रारंभ की गयी परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किए गए आवंटन तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू. पी. के अंतर्गत शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु एन.आर.डी.डब्ल्यू. पी. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उक्त योजनावधियों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

भारत सरकार इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) का संचालन कर रही है, जिसे पहले सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के रूप में जाना जाता था। एन.बी.ए./टी.एस.सी. के अन्तर्गत जिले को एक इकाई के रूप में लेकर स्वीकृति दी जाती है। अब तक 607 जिला परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और उन पर कार्यान्वयन हो रहा है। स्वीकृत जिला

परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत अनुमोदित लक्ष्यों की तुलना में हुई कुल वास्तविक प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अन्तर्गत आबंटन, स्कीम वार नहीं किया जाता है ये आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा व्यक्तिगत स्कीमों के लिए इन निधियों का आबंटन किया जाता है। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटन, रिलीज एवं व्यय क्रमशः संलग्न विवरण-V और संलग्न विवरण-VI में दिया गया है। टी.एस.सी./एन.बी.ए. के अन्तर्गत 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रिलीज एवं उपयोग में लाए गए केन्द्रीय अंश का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के तहत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इस संबंध में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करता है।

ज्यादा से ज्यादा बसावटों को जल आपूर्ति की सुविधा से बवर करने हेतु एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत पेयजल आपूर्ति स्कीमों का चयन करने, उनके संबंध में योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास निहित हैं। राज्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करनी है, जिसमें वित्तीय प्रावधानों के साथ ही गतिविधियों का वास्तविक लक्ष्य रखा जाता है। राज्यों को कार्यान्वित किए जा रहे स्कीमों के संबंध में मंत्रालय के ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) पर सूचना डालनी होती है और कवरेज के लिए लक्षित बसावटों को चिन्हित करना है।

(च) से (ज) 11वीं पंचवर्षीय योजना में एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत 7,98,967 ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में कुल 6,65,052 (83.23%) बसावटें शामिल की गईं।

मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इस हेतु मंत्रालय ग्रामीण बसावटों की कवरेज हेतु लक्ष्यों के संदर्भ में राज्यों द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने में की जा रही प्रगति का अनुवीक्षण करता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत गुणवत्ता प्रभावित और आंशिक रूप से कवर किए गए बसावटों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित बसावटों की कवरेज को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को गतिविधियों के संबंध में योजना बनाने पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों द्वारा कार्यक्रम के तहत निधियों के उपयोग में प्रगति और उपलब्धियों के संबंध में आई.एम.आई.एस. पर मासिक आधार पर आंकड़े डाले जाते हैं, जिसका मंत्रालय द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है। राज्य जो कि संतोषप्रद प्रगति पर रिपोर्ट नहीं देते उन्हें अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने की सलाह दी गई हैं। मंत्रालय ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों/मुख्य अभियन्ताओं का समेलन संचालित करके, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें बुलाकर, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा करके निधियों के समुचित उपयोग का भी अनुवीक्षण करता है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/तकनीकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति को देखने हेतु राज्यों का दौरा करते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-2012 (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं/परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-2009			2009-2010			2010-2011			2011-2012		
		पी.डब्ल्यू. एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं	पी.डब्ल्यू. एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं	पी.डब्ल्यू. एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं	पी.डब्ल्यू. एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं	पी.डब्ल्यू. एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2986	9570	1666	5706	9013	503	4165	8541	209	6798	466	1214	5576	2183	3434
2.	बिहार	72	8063	5239	198	12090	1458	200	23801	1144	507	15332	558	159	10012	278
3.	छत्तीसगढ़	264	29210	181	798	9102	617	889	25615	5869	1578	31400	6511	3977	33967	6669
4.	गोवा	4	0	2	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5.	गुजरात	3510	672	1212	4604	786	1399	3821	21	640	4016	44	248	3906	7	106
6.	हरियाणा	1148	1	34	1282	4	48	751	2	31	1307	4	75	2436	32	28
7.	हिमाचल प्रदेश	1786	1038	88	1085	1059	78	933	1441	58	725	1302	185	587	1610	365
8.	जम्मू और कश्मीर	391	0	4	181	0	0	252	0	11	615	85	497	1070	122	367
9.	झारखण्ड	303	21268	3395	108	15449	2398	13	30326	7159	1604	28417	10746	5325	38492	4232
10.	कर्नाटक	9764	6226	5145	13927	6152	6530	10657	3996	3901	10991	3110	14354	35158	1823	5967
11.	केरल	654	2	58	116	0	3	110	2	13	62	0	0	104	0	5
12.	मध्य प्रदेश	481	28965	1151	745	20039	815	1076	18899	744	2269	47610	672	2044	44172	2336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	महाराष्ट्र	5067	1308	1212	6863	1343	1753	2181	757	926	4079	2244	2552	11241	4314	8311
14.	ओडिशा	2104	17085	1993	2156	13630	1003	1493	13960	625	1212	15206	658	1780	15239	2071
15.	पंजाब	710	118	51	822	546	242	741	410	134	1402	269	335	997	238	660
16.	राजस्थान	1078	6225	891	1490	4203	1134	1922	5660	1552	4384	10292	10116	4588	7431	12893
17.	तमिलनाडु	12240	614	1883	12493	247	844	12254	81	83	10746	33	2439	8784	175	805
18.	उत्तर प्रदेश	410	160195	34	558	213414	89	266	153172	359	611	95534	32	362	103239	556
19.	उत्तराखण्ड	645	105	0	853	26	2	1082	53	18	1255	23	38	2931	198	182
20.	पश्चिम बंगाल	312	12624	3	169	7095	1	255	6908	0	654	4326	5	371	2498	11
21.	अरूणाचल प्रदेश	834	60	27	1011	33	41	510	5	46	1276	18	378	837	28	128
22.	असम	547	2200	9461	1322	1721	13352	1479	2490	11924	1321	1381	9192	1607	468	9718
23.	मणिपुर	165	2	2	148	10	2	458	12	0	576	18	35	222	46	166
24.	मेघालय	785	67	797	660	13	789	733	16	184	867	66	562	1305	75	1666
25.	मिजोरम	120	8	30	116	0	23	31	0	8	109	0	35	116	0	21
26.	नागालैंड	34	1	0	46	0	4	159	0	0	157	1	1	253	1	140
27.	सिक्किम	86	0	9	523	0	70	672	0	104	57	0	295	167	0	107
28.	त्रिपुरा	89	85	115	193	55	173	602	187	310	619	578	1099	725	2866	2479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	0	5	8	0	3	10	0	1	19	0	9	3	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	18	0	13	7	0	9	30	0	0	13	0	0	3	0	6
	कुल	46615	305712	34701	58191	316031	33385	47745	296355	36053	59829	257759	62843	96634	269236	63701

विवरण-II

वर्ष 2012-13 से 2013-14 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	2012-13			2013-14*		
		पी.डब्ल्यू.एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं	पी.डब्ल्यू.एस.	हैंडपम्प	अन्य योजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15094	204	8467	9241	0	313
2.	बिहार	836	7945	197	148	6445	93
3.	छत्तीसगढ़	1192	22426	13283	1371	21650	11484
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	6378	421	382	4415	263	1070
6.	हरियाणा	1941	37	28	673	0	1
7.	हिमाचल प्रदेश	608	865	240	424	155	192
8.	जम्मू और कश्मीर	732	849	473	363	409	274
9.	झारखण्ड	2301	30757	6330	565	19230	1761
10.	कर्नाटक	62009	4615	10963	66928	2028	5338
11.	केरल	159	3	11	251	2	6
12.	मध्य प्रदेश	2544	37245	4969	3155	36643	4637
13.	महाराष्ट्र	6936	2099	20411	4972	615	10023
14.	ओडिशा	2594	50649	3219	2743	38676	3125
15.	पंजाब	946	105	155	1214	110	88
16.	राजस्थान	3762	8096	8949	2183	2187	2929
17.	तमिलनाडु	17162	388	2098	12067	124	1537

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तर प्रदेश	351	37426	59	19	22834	9
19.	उत्तराखण्ड	1332	13	79	586	27	78
20.	पश्चिम बंगाल	371	4083	362	311	1347	710
21.	अरूणाचल प्रदेश	1471	17	198	807	28	213
22.	असम	1381	1157	9996	1080	543	8487
23.	मणिपुर	156	4	25	216	40	39
24.	मेघालय	950	58	1758	405	7	394
25.	मिजोरम	46	0	7	70	0	0
26.	नागालैंड	1661	0	90	38	0	12
27.	सिक्किम	830	0	138	422	0	192
28.	त्रिपुरा	1141	2981	1415	735	2005	458
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	1	3	0	5
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	21	0	0	0	0	0
	कुल	134907	212443	94303	115576	155368	53468

*12.02.2014 की स्थिति के अनुसार

विवरण-III

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.)/निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत हिस्सा (रु. करोड़ में)				संस्वीकृत घटक (इकाईयां)					
			केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल	आई.एच.एच.एल. बी.पी.एल.	आई.एच.एच.एल. ए.पी.एल.	कुल आई.एच.एच.एल.	स्वच्छता समूह	स्कूली शौचालय	आंगन-वाड़ी शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	22	1147.67	438.41	195.80	1781.88	6636229	3629688	10265917	575	115908	14990
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	46.62	15.63	4.76	67.01	115560	18301	133861	318	3944	1866
3.	असम	26	652.48	205.83	69.84	928.15	2220017	1161020	3381037	211	34772	16819
4.	बिहार	38	1978.41	711.51	243.89	2933.81	6195779	4975535	11171314	2362	102268	16444
5.	छत्तीसगढ़	16	455.97	164.76	58.06	678.78	1568600	1823853	3392453	618	52338	10211
6.	दादरा और नगर हवेली	1	0.81	0.00	0.10	0.91	2480	0	2480	12	0	0
7.	गोवा	2	6.35	2.92	1.32	10.59	17935	27388	45323	150	731	547
8.	गुजरात	25	439.25	173.53	89.54	702.32	2046857	3331630	5378487	1671	40439	30516
9.	हरियाणा	20	139.23	56.87	34.78	230.88	636940	1458494	2095434	1335	9160	7599
10.	हिमाचल प्रदेश	12	131.18	49.97	15.17	196.33	218167	632583	850750	1229	20738	10308
11.	जम्मू और कश्मीर	21	283.74	96.28	25.96	405.99	703071	767732	1470803	1080	27277	1070
12.	झारखण्ड	24	604.85	221.86	80.57	907.28	2327306	1402189	3729495	1203	42687	11472
13.	कर्नाटक	29	700.77	268.98	114.99	1084.75	2889224	2981691	5870915	1305	39267	26353
14.	केरल	14	118.74	55.44	47.72	221.90	961831	111911	1073742	1090	3600	4957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	मध्य प्रदेश	50	1130.87	419.88	152.14	1702.89	3614346	4852847	8467193	1602	137730	27595
16.	महाराष्ट्र	33	977.72	364.15	147.83	1489.69	3623439	6104904	9728343	8210	87452	60076
17.	मणिपुर	9	79.09	25.80	7.86	112.74	194887	68367	263254	386	3919	1201
18.	मेघालय	7	95.63	34.11	10.35	140.09	216333	85500	301833	290	10331	1851
19.	मिजोरम	8	43.32	15.22	4.49	63.02	89903	18975	108878	560	5905	1630
20.	नागालैंड	11	56.07	17.60	5.91	79.58	180092	31254	211346	275	2972	1302
21.	ओडिशा	30	1045.09	378.42	138.54	1562.05	4485050	2571598	7056648	818	70663	25160
22.	पुदुचेरी	1	4.82	0.00	0.91	5.73	18000	0	18000	0	26	16
23.	पंजाब	20	151.40	65.32	24.62	241.34	623198	544370	1167568	411	7464	3274
24.	राजस्थान	32	690.97	257.60	73.87	1022.43	1960903	5023430	6984333	1544	85662	32269
25.	सिक्किम	4	13.39	4.41	2.75	20.54	51302	35712	87014	789	1604	340
26.	तमिलनाडु	29	693.66	286.84	163.17	1143.67	4422133	4244955	8667088	1438	53678	27970
27.	त्रिपुरा	4	61.20	24.01	13.18	98.39	454757	169017	623774	226	6833	6024
28.	उत्तर प्रदेश	71	1921.72	719.25	306.29	2947.26	8303794	12372693	20676487	2366	269860	107302
29.	उत्तराखण्ड	13	99.93	36.41	14.57	150.91	441631	444670	886301	470	3925	1601
30	पश्चिम बंगाल	19	1118.00	438.20	185.28	1741.48	6619158	4997498	11616656	1140	134081	84168
	कुल	607	14888.92	5549.20	2234.25	22672.37	61838922	63887805	125726727	33684	1375234	534931

आई.एच.एच.एल.-व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, बी.पी.एल.-गरीबी रेखा से नीचे, ए.पी.एल. - गरीबी रेखा से ऊपर

विवरण-IV

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के अंतर्गत दिनांक 31.01.2014 तक की संचित वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.एच.एच.एल. बी.पी.एल.			आई.एच.एच.एल. ए.पी.एल.			समूह स्वच्छता			स्कूली शौचालय			आंगनवाड़ी शौचालय		
		अनुमानित	प्राप्त	%	अनुमानित	प्राप्त	%	अनुमानित	प्राप्त	%	अनुमानित	प्राप्त	%	अनुमानित	प्राप्त	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	6636229	5889433	88.75	3629688	2693895	74.22	575	987	100	115908	118095	100	14990	11061	73.79
2.	अरूणाचल प्रदेश	115560	83766	72.49	18301	16607	90.74	318	181	56.92	3944	3918	99.34	1866	1906	100
3.	असम	2220017	1762740	79.4	1161020	526456	45.34	211	63	29.86	34772	34302	98.65	16819	11133	66.19
4.	बिहार	6195779	3537086	57.09	4975535	1179855	23.71	2362	1018	43.1	102268	95142	93.03	16444	8930	54.31
5.	छत्तीसगढ़	1568600	1121318	71.49	1823853	878493	48.17	618	303	49.03	52338	51969	99.29	10211	10595	100
6.	दादरा और नगर हवेली	2480	37	1.49	0	0	0	12	1	8.33	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	17935	17031	94.96	27388	17522	63.98	150	0	0	731	446	61.01	547	58	10.6
8.	गुजरात	2046857	2037116	99.52	3331630	2676734	80.34	1671	1775	100	40439	37436	92.57	30516	25757	84.4
9.	हरियाणा	636940	662687	100	1458494	1509969	100	1335	1286	96.33	9160	9674	100	7599	7952	100
10.	हिमाचल प्रदेश	218167	252202	100	632583	786753	100	1229	896	72.9	20738	18442	88.93	10308	9534	92.49
11.	जम्मू और कश्मीर	703071	350304	49.82	767732	190868	24.86	1080	1068	98.89	27277	20433	74.91	1070	305	28.5
12.	झारखण्ड	2327306	1470257	63.17	1402189	219030	15.62	1203	282	23.44	42687	39636	92.85	11472	7600	66.25
13.	कर्नाटक	2889224	2423687	83.89	2981691	2320163	77.81	1305	1015	77.78	39267	44170	100	26353	29305	100
14.	केरल	961831	1000033	100	111911	143317	100	1090	1070	98.17	3600	3883	100	4957	5076	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	मध्य प्रदेश	3614346	3671380	100	4852847	3759536	77.47	1602	1156	72.16	137730	142423	100	27595	25094	90.94
16.	महाराष्ट्र	3623439	2874981	79.34	6104904	4746159	77.74	8210	6958	84.75	87452	88369	100	60076	64666	100
17.	मणिपुर	194887	145303	74.56	68367	54437	79.62	386	320	82.9	3919	3919	100	1201	1201	100
18.	मेघालय	216333	171914	79.47	85500	68957	80.65	290	205	70.69	10331	10235	99.07	1851	1843	99.57
19.	मिजोरम	89903	84115	93.56	18975	18778	98.96	560	566	100	5905	3822	64.72	1630	1395	85.58
20.	नागालैंड	180092	142717	79.25	31254	27255	87.2	275	232	84.36	2972	2693	90.61	1302	1263	97
21.	ओडिशा	4485050	2793630	62.29	2571598	1181460	45.94	818	139	16.99	70663	70653	99.99	25160	24961	99.21
22.	पुदुचेरी	18000	2268	12.6	0	0	0	0	30	0	26	0	0	16	16	100
23.	पंजाब	623198	253798	40.73	544370	575002	100	411	100	24.33	7464	8131	100	3274	4756	100
24.	राजस्थान	1960903	1171488	59.74	5023430	3488362	69.44	1544	639	41.39	85662	87549	100	32269	21759	67.43
25.	सिक्किम	51302	61493	100	35712	36550	100	789	1105	100	1604	1772	100	340	516	100
26.	तमिलनाडु	4422133	4259798	96.33	4244955	3075052	72.44	1438	1800	100	53678	49312	91.87	27970	27912	99.79
27.	त्रिपुरा	454757	455057	100	169017	159734	94.51	226	293	100	6833	6650	97.32	6024	7527	100
28.	उत्तर प्रदेश	8303794	8079766	97.3	12372693	9853768	79.64	2366	2420	100	269860	243573	90.26	107302	101614	94.7
29.	उत्तराखण्ड	441631	397390	89.98	444670	478941	100	470	109	23.19	3925	3302	84.13	1601	363	22.67
30.	पश्चिम बंगाल	6619158	6058071	91.52	4997498	3096875	61.97	1140	1230	100	134081	128097	95.54	84168	50452	59.94
	कुल	61838922	51230866	82.85	63887805	43780528	68.53	33684	27247	80.89	1375234	1328046	96.57	534931	464550	86.84

विवरण-V

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी./ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित तथा रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	86.17	295.30	305.24	388.41	3.00	394.53	395.05	398.05	4.05	437.09	537.37	394.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	34.87	112.41	112.41	121.31	25.97	146.12	162.46	160.97	27.47	180.00	178.20	193.80
3.	असम	5.50	189.59	189.59	117.26	77.83	246.44	242.78	265.40	4.85	301.60	323.50	269.34
4.	बिहार	122.68	279.37	169.69	0.00	292.37	425.38	452.38	73.30	668.94	372.21	186.11	279.36
5.	छत्तीसगढ़	22.97	95.95	95.95	104.16	14.76	130.42	125.26	112.42	27.59	116.01	128.22	104.06
6.	गोवा	0.65	3.31	1.66	2.31	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50
7.	गुजरात	19.85	205.89	205.89	219.12	6.62	314.44	369.44	289.33	92.11	482.75	482.75	511.83
8.	हरियाणा	16.13	93.41	93.41	109.54	0.00	117.29	117.29	117.29	0.00	207.89	206.89	132.35
9.	हिमाचल प्रदेश	2.03	117.46	130.42	132.45	0.00	141.51	141.51	141.49	8.31	138.52	182.85	160.03
10.	जम्मू और कश्मीर	49.58	329.92	329.92	361.41	18.09	397.86	396.49	176.67	239.56	447.74	402.51	383.49
11.	झारखण्ड	33.06	113.88	84.46	117.51	0.00	160.67	80.33	18.85	64.94	149.29	111.34	86.04
12.	कर्नाटक	6.76	278.51	283.16	286.57	3.35	477.19	477.85	449.15	32.05	573.67	627.86	473.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	0.00	82.93	84.25	83.46	0.79	103.33	123.33	106.56	1.36	152.77	151.89	150.56
14.	मध्य प्रदेश	37.58	251.62	251.62	267.56	21.65	370.47	380.47	368.61	107.42	367.66	379.66	354.30
15.	महाराष्ट्र	29.06	404.40	404.40	378.38	55.08	572.57	648.24	511.06	204.24	652.43	647.81	625.59
16.	मणिपुर	6.90	38.59	45.59	34.71	17.79	50.16	45.23	36.33	16.70	61.60	38.57	30.17
17.	मेघालय	12.62	44.46	55.29	56.61	11.30	57.79	107.79	74.50	0.62	70.40	79.40	68.57
18.	मिजोरम	0.00	31.88	38.88	30.16	8.72	41.44	54.19	45.48	17.43	50.40	55.26	51.11
19.	नागालैंड	14.32	32.72	39.75	27.39	26.68	42.53	42.53	39.60	29.61	52.00	47.06	71.58
20.	ओडिशा	61.66	168.85	171.95	233.60	0.00	298.68	298.68	273.12	25.85	187.13	226.66	198.87
21.	पंजाब	5.14	52.91	51.80	40.28	16.66	86.56	86.56	96.68	19.18	81.17	88.81	110.15
22.	राजस्थान	12.95	606.72	606.72	619.67	0.00	970.13	971.83	967.95	3.88	1036.46	1012.16	671.29
23.	सिक्किम	1.96	13.42	20.13	15.36	6.73	17.45	32.45	28.85	9.92	21.60	20.60	28.94
24.	तमिलनाडु	0.00	190.90	190.90	190.90	0.00	241.82	287.82	230.58	57.24	320.43	317.95	370.44
25.	त्रिपुरा	13.71	39.43	54.43	54.30	13.84	51.25	41.01	36.99	18.92	62.40	77.40	77.35
26.	उत्तर प्रदेश	92.10	401.51	401.51	421.14	72.48	539.74	615.78	514.54	173.71	959.12	956.36	967.38
27.	उत्तराखण्ड	37.12	89.30	89.30	114.14	12.28	107.58	85.87	61.09	42.77	126.16	124.90	67.24
28.	पश्चिम बंगाल	42.35	191.37	191.37	230.55	3.18	389.39	389.39	371.62	69.20	372.29	394.30	87.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.50	0.00	0.00	4.72	30.78	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	1.00	0.31	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	कुल योग	804.24	4757.01	4699.67	4762.96	740.94	6896.72	7172.01	5998.28	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी./ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित तथा रिलीज की गई निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11				2011-12				कुल		
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	2164.26	2258.87	2050.66
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	682.44	837.89	866.85
3.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	1622.85	1765.79	1601.16
4.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	1793.40	1308.93	1145.87
5.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	616.22	610.50	559.53
6.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	23.47	9.99	5.13
7.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	2024.64	2238.23	2015.27
8.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	862.79	932.23	905.46
9.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	662.67	795.18	745.53
10.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	2060.95	2018.25	1935.16
11.	झारखण्ड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	752.29	554.25	520.43
12.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	2661.40	2760.45	2566.21
13.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	627.74	632.69	605.53
14.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	1760.76	1692.86	1694.71
15.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	3091.02	3137.22	2871.02
16.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	258.35	229.76	217.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	297.80	423.25	355.59
18.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	209.39	248.74	238.80
19.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	288.44	287.77	301.02
20.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	1066.09	1163.10	1156.30
21.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	390.87	457.20	478.36
22.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	4862.32	4843.95	4540.91
23.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	106.81	165.57	116.91
24.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	1400.10	1619.75	1382.93
25.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	266.45	331.36	344.23
26.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	3642.79	3624.65	3590.54
27.	उत्तराखण्ड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	598.97	512.05	416.56
28.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	1714.68	1816.76	1574.65
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		1.01	0.00	35.50
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.61	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		4.62	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		1.85	0.00	1.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
	कुल योग	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	36520.16	37277.23	34839.33

विवरण-VI

चालू 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, आबंटन, रिलीज तथा व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13				2013-14*			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	301.3	563.39	485.39	672.82	113.62	635.43	558.82	431.46
2.	बिहार	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	432.38	168.65	204.53
3.	छत्तीसगढ़	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	133.13	119.81	97.84
4.	गोवा	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.50	0	0
5.	गुजरात	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	533.72	390.77	242.17
6.	हरियाणा	43.98	250.24	313.41	275.54	85.59	229.45	215.83	243.11
7.	हिमाचल प्रदेश	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	138.51	51.92	33.76
8.	जम्मू और कश्मीर	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	462.43	365.17	258.32
9.	झारखण्ड	74.31	191.86	243.45	204.87	122.36	172.85	160.34	159.38
10.	कर्नाटक	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	868.76	800.39	337.51
11.	केरल	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	55.58	137.01	146.66
12.	मध्य प्रदेश	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	404.80	370.13	278.26
13.	महाराष्ट्र	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	788.47	326.14	239.83
14.	ओडिशा	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	227.35	200.78	129.44
15.	पंजाब	3	101.9	144.27	121.22	26.04	96.89	100.29	79.04
16.	राजस्थान	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1231.05	1248.13	1002.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	तमिलनाडु	240.27	394.82	570.17	625	185.44	273.62	279.63	343.28
18.	उत्तर प्रदेश	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	923.19	794.93	582.21
19.	उत्तराखण्ड	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	145.58	87.61	71.64
20.	पश्चिम बंगाल	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	490.63	419.63	478.1
21.	अरूणाचल प्रदेश	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	201.23	213.16	103.47
22.	असम	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	470.00	438.71	400.64
23.	मणिपुर	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	58.76	27.93	23.54
24.	मेघालय	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	92.18	88.76	59.28
25.	मिजोरम	9.74	48.35	47.92	32.87	25.8	38.42	35.01	8.53
26.	नागालैंड	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	56.66	48.74	31.86
27.	सिक्किम	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	16.88	18.86	44.56
28.	त्रिपुरा	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	59.29	63.51	48.39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.15	0.78	0	0.78	1.04	0.03	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
35.	पुदुचेरी	0	1.75	0.88	0	0.88	1.59	0.06	0
	कुल	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9345.37	7730.69	6079.78

*12.02.2014 की स्थिति के अनुसार

विवरण-VII

11वीं तथा 12वीं योजना के दौरान एन.बी.ए. के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा तथा उपयोग किया गया हिस्सा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (जनवरी 2014, तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	8.79	40.91	13.92	42.28	110.78	39.15	138.80	71.78	96.57	91.52	150.23	90.57	11.76	89.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	2.67	15.30	2.74	4.05	6.59	1.19	6.10	2.05	5.11	9.87	2.11	0.00	11.27
3.	असम	42.56	8.76	83.11	41.03	67.30	94.37	94.37	67.12	122.51	122.28	119.43	94.59	25.71	53.12
4.	बिहार	95.55	57.20	71.51	71.15	90.47	90.15	112.60	124.21	172.19	167.61	478.15	220.13	0.00	87.89
5.	छत्तीसगढ़	51.58	59.39	11.44	30.05	50.18	64.38	54.80	25.31	27.02	32.86	57.32	16.78	0.00	17.85
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.38	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	85.28	41.93	9.79	43.43	30.37	51.54	46.92	33.33	43.08	35.25	39.49	34.98	37.94	33.78
9.	हरियाणा	27.55	20.39	10.69	11.53	7.18	12.20	23.61	14.10	3.35	15.42	0.00	7.67	131.18	24.32
10.	हिमाचल प्रदेश	10.25	3.55	7.79	4.67	10.18	13.12	29.40	21.30	4.70	12.75	16.67	16.59	30.50	18.43
11.	जम्मू और कश्मीर	17.91	4.29	11.16	9.90	3.33	13.83	27.93	11.02	9.68	24.63	35.11	36.41	39.57	24.02
12.	झारखण्ड	19.10	26.75	31.88	30.02	39.42	38.72	54.67	36.54	72.65	23.35	41.93	18.87	0.00	21.63
13.	कर्नाटक	13.84	26.60	31.76	18.44	55.71	48.17	44.59	62.41	87.09	41.15	159.51	69.64	0.00	85.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	केरल	22.29	14.09	3.89	7.20	9.75	13.46	22.86	8.09	1.59	9.88	0.00	9.52	21.51	14.69
15.	मध्य प्रदेश	67.94	62.48	97.68	73.76	99.87	127.32	144.03	128.27	150.76	167.00	257.80	182.49	330.19	176.09
16.	महाराष्ट्र	67.86	69.52	35.26	50.63	98.94	117.42	129.12	72.63	58.00	83.91	124.09	62.81	11.49	67.80
17.	मणिपुर	7.48	1.26	1.00	4.94	11.78	4.10	0.80	8.61	10.88	7.01	35.09	17.14	0.00	10.54
18.	मेघालय	0.00	2.85	5.78	3.46	13.79	9.85	31.05	14.37	11.16	32.91	25.40	12.89	51.52	17.24
19.	मिजोरम	1.83	2.43	6.94	3.37	4.13	4.19	6.53	2.73	0.31	6.92	4.97	2.03	4.03	3.16
20.	नागालैंड	1.70	2.30	1.00	1.67	10.59	9.72	12.29	2.65	1.74	13.71	23.03	3.89	0.00	17.01
21.	ओडिशा	58.58	54.64	72.04	39.64	50.32	52.59	68.37	49.28	111.72	46.52	0.00	33.09	0.00	13.08
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	1.46	2.23	0.67	1.16	3.26	11.16	4.21	2.83	1.08	0.00	3.88	0.00	2.50
24.	राजस्थान	29.15	24.93	25.17	22.32	43.53	32.18	56.71	37.58	54.24	31.37	137.71	83.03	0.00	55.85
25.	सिक्किम	0.00	0.58	2.55	0.00	0.00	2.59	1.13	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	8.25	4.83
26.	तमिलनाडु	22.43	54.05	4.73	24.27	61.66	54.07	77.94	52.13	76.62	107.10	128.12	86.95	233.94	135.33
27.	त्रिपुरा	8.82	0.59	1.59	6.85	8.37	5.36	9.25	5.74	1.34	7.53	4.30	3.41	14.01	4.68
28.	उत्तर प्रदेश	150.85	164.66	382.84	256.69	115.80	336.57	225.94	227.39	169.21	120.56	256.85	201.44	376.32	202.02
29.	उत्तराखण्ड	6.64	4.27	8.62	4.78	7.74	11.02	17.08	11.60	8.05	13.13	25.42	13.54	1.48	13.15
30.	पश्चिम बंगाल	90.57	37.25	30.47	28.80	32.46	78.09	83.28	76.55	141.24	115.14	306.38	199.75	73.98	132.93
	कुल	908.93	789.79	980.14	834.59	1038.8	1334.07	1526.4	1175.07	1440.5	1335.7	2438.4	1524.2	1403.3	1338.5

ई-टिकट

4359. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग के संबंध में शामिल की गयी नयी सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कंफर्म नहीं होने की स्थिति में ई-वालेट के माध्यम से बुक किए गए ई-टिकट के स्वत: रद्द हो जाने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने और बैंक के जरिए भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण लेन-देन की विफलता में कमी करने के उद्देश्य से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा ई-वालेट योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, उपयोगकर्ता आई.आर.सी.टी.सी. के पास अग्रिम धनराशि जमा करवा सकता है, टिकटों की बुकिंग करवाते समय आई.आर.सी.टी.सी. वेबसाइट पर धनराशि के भुगतान के लिए उपलब्ध भुगतान संबंधी अन्य विकल्पों के साथ भुगतान विकल्प के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह योजना केवल पैन सत्यापित उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है।

(ख) और (ग) आरक्षण चार्ट तैयार करते समय पूर्णतया प्रतीक्षा सूचीबद्ध ई-टिकट पर बुक किए गए सभी यात्रियों के नाम हटा दिए जाते हैं और किराए का स्वत: ही वापस भुगतान कर दिया जाता है। इस संबंध में, ई-वालेट योजना के जरिए बुक किए गए ई-टिकटों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध भुगतान संबंधी अन्य विकल्पों द्वारा बुक किए गए ई-टिकटों में कोई अंतर नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग

4360. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-नवीकरणीय एवं नवीकरणीय स्रोतों सहित देश में सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा उनसे कोयला जैसे गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन से कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या वर्ष 2022 तक 4,00,000 मेगावाट की विद्युत मांग पूरी करने के तरीकों को रणनीतिक रूप देना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के क्रम में सरकार जलविद्युत, पवन, सौर एवं परमाणु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर अधिक ध्यान देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में गैर-नवीकरणीय तथा नवीकरणीय स्रोतों सहित सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता के ब्यौरे (31.01.2014 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार हैं:

स्रोत-वार विवरण

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	थर्मल						
कोयला	गैस	डीजल	कुल	न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आर.ई.एस*	(एम.एन.आर.ई.) सकल योग
138903.39	20380.85	1199.75	160483.99	4780.00	39875.40	29462.55	234601.94

*आर.ई.एस. (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) में छोटे हाइड्रो संयंत्र, बायोमास संयंत्र, शहरी एवं औद्योगिक कचरा विद्युत, सौर तथा पवन ऊर्जा शामिल हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान (अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2014 तक) गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन (कोयला, गैस तथा डीजल) से उत्पादित विद्युत की मात्रा 653.2 बिलियन यूनिट है।

(ख) और (ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ई.पी.एस.) में वर्ष 2021-22 तक 2,83,470 मेगावाट विद्युत की मांग का आकलन किया गया है। इस मांग को पूरा करने के लिए 12वीं योजना के लिए पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट का कुल क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हाइड्रो: 10,897 मेगावाट, थर्मल: 72,340 मेगावाट और न्यूक्लियर: 5,300 मेगावाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आर.ई.एस.) से 30,000 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य है। 13वीं योजना में भी क्षमता अभिवृद्धि का यही लक्ष्य होगा। विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) उत्पादन क्षमता में तेजी लाना, जिसमें 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (31 जनवरी, 2014 तक) में 30,462 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) का विकास। यू.एम.पी.पी. की 5,320 मेगावाट क्षमता 31 जनवरी, 2014 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(iii) पूर्वोत्तर में, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग सहित हाइड्रो क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।

(iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन।

(v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।

(vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।

(viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्जीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

(ix) 765 के.वी. रायचूर-शोलापुर अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइन के चालू होने से, भारतीय विद्युत प्रणाली ने **एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी** के नए युग में प्रवेश कर लिया है तथा अब यह विश्व के विशालतम प्रचालनरत सिंक्रोनस ग्रिड में एक हो गई है।

(x) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना।

(घ) और (ङ) ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने और विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी, सरकार संभव सीमा तक विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत, पवन, सौर तथा परमाणु ऊर्जा के विकास पर जोर दे रही है। 31.01.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 30,000 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित अवमूल्यन, रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क जैसे विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलें प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना, संसाधन मूल्यांकन, विद्युत निकासी का विकास, परीक्षण सुविधाएं, जन शक्ति प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम हैं।

[हिन्दी]

नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाएं

4361. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नक्सल हमलों या इनसे खतरे के कारण विभिन्न रेल परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी परिणामस्वरूप रेलवे को हुई जान-माल की हानि, यदि कोई हो, तो कितनी है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा कौन-से अन्य कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) जी हां। नक्सली हमले के कारण झारखंड में तीन परियोजनाएं यथा कोडरमा-रांची (189 कि.मी.), रांची-लोहरदगा-टोरी (105 कि.मी.) और गोएलकारा-मनोहरपुर तथा छत्तीसगढ़ में एक परियोजना तथा दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 कि.मी.) प्रभावित हुई हैं। भारतीय रेलों की रेल परियोजनाओं में नक्सली हमले के कारण किसी की भी मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। बहरहाल, रेलों के साथ नियमित रूप से समन्वय बनाए रखा जाता है।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आपराधिक गतिविधियां

4362. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में चोरी, डकैती एवं पॉकेटमारी तथा अन्य आपराधिक हरकतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक ऐसी कुल कितनी घटनाएं ध्यान में आयी हैं एवं उन पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान उक्त अपराध के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों पर वर्ष 2012 और 2013 के दौरान लंबी दूरी वाली गाड़ियों में चोरी, डकैती, जेब काटने और नशाखोरी की घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	चोरी	डकैती	जेब काटना	नशाखोरी
2012	5174	21	213	496
2013	6258	27	256	352

रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और इसलिए चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) के माध्यम से करती हैं। इस प्रकार अपराध के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हें दर्ज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा उनकी जांच की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है और महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा आर.पी.एफ. द्वारा औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. 202 संवेदनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली

अनुमोदित की गई है जिसमें सी.सी.टी.वी. कैमरा नेटवर्क के जरिए भेद्य स्टेशनों की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़-फोड़ रोधी जांचें शामिल हैं।

3. टिकट चैकिंग कर्मचारियों जैसे फ्रन्ट लाइन रेल कर्मचारियों, आर.पी.एफ. और ऑन बोर्ड कर्मचारी, जो यात्रियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, को यात्रियों पर होने वाले अपराध के प्रति जागरूकता अभियान के जरिए संवेदनशील बनाया जा रहा है।

4. यात्रियों को अप्रिय घटनाओं के बारे में सूचना देने की सुविधा के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलों में सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। इन सुरक्षा हेल्पलाइनों के नंबर महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों के सवारी डिब्बों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगहों पर प्रदर्शित किए गए हैं।

5. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराध के उचित रूप से पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, लंबी दूरी वाली गाड़ियों में चोरी, डकैती, जेब काटने और नशाखोरी के मामलों में अधिक-से-अधिक 5818 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

[अनुवाद]

केरल में एच.एम.टी. की इकाई

4363. श्री के.पी. धनपालन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कालामासेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) इकाई को एक पृथक् कंपनी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

समेकित सुरक्षा प्रणाली

4364. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोई समेकित सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त प्रणाली के अंतर्गत विशेष परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) जी हां। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर और जोनल रेलों के परामर्श से जोनल रेलों के संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आई.एस.एस.) अनुमोदित की गई है। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में चार प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.)
- एक्सेस कंट्रोल
- पर्सनल एवं बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम
- बम डिटेकशन और डिस्पोजल सिस्टम

एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के कार्य को 353 करोड़ रुपए की लागत पर रेलों के निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। 93 स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के कार्य के निष्पादन के लिए 12 जोनल रेलों द्वारा ठेके पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के कार्य

के निष्पादन के लिए जोनल रेलों द्वारा अभी तक 90.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुर्दा-बोलनगीर रेल लाइन परियोजना

4365. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुर्दा-बोलनगीर खंड पर नयी रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर अब तक आबंटित/खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में हुई देरी के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा कौन-से कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) खुर्दा रोड - बोलंगीर नई लाइन परियोजना (289 कि.मी.) वर्ष 1994-95 में स्वीकृत की गई थी और वर्ष 2013-14 में इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 1995.25 करोड़ रु. है। चरण-I अर्थात् 0 कि.मी. से 32.5 कि.मी. (खुर्दा रोड से बेगुनिया) तक कार्य जोरों पर है और 31.3.2014 तक पूरा होने की संभावना है। मार्च, 2013 तक कुल 238.99 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2013-14 में 60 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से जनवरी, 2014 तक 43.5 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ग) से (ङ) निजी सरकारी और वन भूमि के अधिग्रहण में समस्याओं और धनराशि की कमी के कारण विलम्ब हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गंगा पर बांध

4366. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बगहादा, धरहरिया, शिनकुटी, तेलियारगंज, पीताम्बरनगर आदि जैसे क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए गंगा नदी पर नये बांध बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गंगा नदी पर बांधों के निर्माण की योजना, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता, क्षेत्र की विशेषताओं पर विचार करते हुए वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित भारत-बांग्लादेश समझौते के अनुपालन पर विचार करते हुए बनाई जाती है।

भूमि अधिग्रहण का विरोध

4367. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ समेत देश में भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों द्वारा विरोध के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विशेषकर उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (घ) भूमि और इसका प्रबंधन, राज्यों के एकमात्र विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसाकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम यथा "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" बनाया है जो 01.01.2014 से लागू हो गया है। नये अधिनियम के उपबंधों में अन्य के साथ-साथ भूमि से बेदखल किए जाने वाले लोगों को उचित प्रतिपूर्ति और प्रभावित परिवारों का पर्याप्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई है।

डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. अध्ययन

4368. श्री मनसुखभाई डी. बसावा: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज लि. (डब्ल्यू. ए.पी.सी.ओ.एस.) ने गुजरात के नर्मदा जिले में जैक वेल्स/रेडियम वेल्स हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए कार्यों के परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त परिणाम की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

4369. श्री जोस के. मणि: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राधिकरण के कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सेवाप्रदाताओं के बीच विवादों के निपटान के लिए कोई अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया/जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर टैरिफ तथा वैमानिक सेवाओं के अन्य प्रभारों को विनियमित करने और कार्यनिष्पादन मानकों की मॉनीटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा संसद अधिनियम, ऐरा अधिनियम 2008 के अधीन 2009 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) नामक एक विनियामक निकाय की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) दो तथा दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच तथा उपभोक्ता समूहों के बीच किसी विवाद का न्याय निर्णयन करने और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के किसी भी निदेश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने और इसका निपटान करने के लिए भारती विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अधीन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण (ए.ई.आर.ए.ए.टी.) नामक एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है।

भारतीय रेल वित्त प्रबंध संस्थान

4370. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में भारतीय रेल वित्त प्रबंध संस्थान (आई.आर.आई.एफ.एम.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके संभावित उद्देश्य एवं कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आई.आर.आई.एफ.एम. को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार कार्बन फुटप्रिंट में कमी हेतु अध्ययन के लिए टाटा इनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.ई.आर.आई.) में पीठ की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) सिकंदराबाद में इस संस्थान की स्थापना का एक प्रस्ताव 19.26 करोड़ रु. की लागत पर रेलवे बजट 2013-14 में शामिल किया गया था।

(ग) इस केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का उद्देश्य भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों और लेखा विभाग के अन्य अधिकारी को आवश्यक संरचना सहित पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये अधिकारी वित्त और लेखा के पेशेवर प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं और यह संस्थान उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और उभरती चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में कुशल और भारतीय रेलवे के वित्त को सुदृढ़ करने के सुअवसरों को टैप करने में सक्षम बनाएगा।

(घ) इस संस्थान को 2016 के अंत तक कार्यात्मक बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

(ङ) जी हां।

(च) रेलवे ने टेरी में 'इंडियन रेलवे चेयर ऑन ससटेंएबल डेवलपमेंट' स्थापित करने का निर्णय किया है। संदर्भ की शर्तें निर्धारित करने के लिए और दायरे की व्याख्या करने और संभावित आउटपुट के लिए खंड की स्थापना के सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

छोटे नगरों को हवाई संपर्क प्रदान करना

4371. श्री रामसिंह राठवा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की किन राज्य राजधानियों तथा अन्य प्रमुख नगरों का अहमदाबाद से हवाई संपर्क है;

(ख) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद-भावनगर-राजकोट-सूरत एवं वड़ोदरा की राजधानियों एवं शेष राज्यों के प्रमुख शहरों से जोड़ने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र एवं उत्तर गुजरात के अन्य भागों के बीच खराब हवाई संपर्क राज्य में पर्यटन के विकास में बाधक बन रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से उपाय प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) इस समय अनुसूचित घरेलू विमान प्रचालन द्वारा चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, चण्डीगढ़ तथा जयपुर को अहमदाबाद से जोड़ा गया है।

(ख) अहमदाबाद-भावनगर-राजकोट-सूरत तथा बडोदरा को राजधानियों तथा शेष राज्यों के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए अनुसूचित घरेलू वाहकों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र तथा उत्तरी गुजरात के अन्य हिस्सों के बीच खराब विमान संपर्कता के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए, देश में किसी भी स्थान से उड़ान प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

ठेकेदारों द्वारा एन.टी.पी.सी. में लगाए गए कर्मचारी

4372. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदारों ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगारों को नियोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. इसके द्वारा लगाए गए ठेकेदार उक्त श्रेणियों के कामगारों का कोई रिकार्ड बनाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.टी.पी.सी. किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग लगाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. के ठेकेदार कामगारों को उनकी कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त करते हैं। एन.टी.पी.सी. अपने ठेकेदारों द्वारा लगाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कामगारों का विशेष रिकॉर्ड नहीं रखता है।

(ग) एन.टी.पी.सी. उक्त श्रेणियों के लिए अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए कामगारों का रिकार्ड रखता है। ठेकेदारों को अपने कामगारों के संबंध में प्रत्यक्ष नियोक्ता होने के कारण विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत जहां कहीं यह आवश्यक हो, कामगारों का उपयुक्त रिकार्ड, रखना आवश्यक होता है।

(घ) एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(31 दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
क	1715	599
ख	935	408
ग	762	299
घ	214	129
घ (एस)	0	0
कुल	3626	1435

(ङ) एन.टी.पी.सी. द्वारा कार्य के ठेके उन ठेका करने वाली एजेंसियों को दिए जाते हैं जो कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए कामगारों को लगाते हैं। एन.टी.पी.सी. की भूमिका उनके द्वारा लगाए गए कामगारों के संबंध में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करनी होती है, एन.टी.पी.सी. द्वारा कराई जाती है जहां कहीं विधिक रूप से ऐसी अनुपालनाएं की जानी अपेक्षित होती है।

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

4373. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है; और

(ख) देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ताकि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढ़ सके?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 883.63 किलोवाट घंटा है तथा विश्व के विकसित देशों की वर्ष 2011 की तदनुरूपी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत नीचे दी गई है:

क्रम सं.	देश	प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (किलोवाट घंटा)
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	13227
2.	ऑस्ट्रेलिया	10514
3.	जापान	7847
4.	रूस	6533
5.	यूनाइटेड किंगडम	5518

स्रोत: इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी वेबसाइट

(ख) प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने के सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:

(i) 12वीं योजना के दौरान 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में (31 जनवरी, 2014 तक) 30,462 मेगावाट क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है।

(ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) का विकास। यू.एम.पी.पी. की 5,320 मेगावाट क्षमता 31 जनवरी, 2014 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(iii) पूर्वोत्तर में, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग सहित हाइड्रो क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।

(iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन।

(v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।

(vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।

(viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण। 765 के.वी. रायचूर-शोलापुर अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइन के चालू होने से, भारतीय विद्युत प्रणाली ने **एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी** के नए युग में प्रवेश कर लिया है तथा अब यह विश्व के विशालतम प्रचालनरत सिंक्रोनस ग्रिड में एक हो गई है।

(ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना।

(xi) राज्यों को उनके प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार, मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की खरीद की व्यवस्था करने की सलाह देना।

[अनुवाद]

शौचालय सुविधाएं

4374. श्री अशोक तंवर: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि का हरियाणा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा को कोई आवंटन जारी नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में स्वच्छता कवरेज के लिए राशि आवंटित/जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) चूंकि निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) मांग-आधारित योजना है, अत: राज्य-वार कोई वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है। एन.बी.ए. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रारंभिक शेष, जारी किए गए केन्द्र के हिस्से तथा उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी हां। दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा राज्य का प्रारम्भिक शेष 11.32 करोड़ रुपए था तथा चूंकि वर्ष 2012-13 में राज्य द्वारा पिछले वर्ष के रिलीज को नियमित करने का कार्य अब तक लम्बित था, इसलिए वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। तथापि, हरियाणा को एन.बी.ए. के अंतर्गत अब तक 131.71 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एन.बी.ए. के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार प्रारंभिक शेष तथा जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा तथा उपयोग किया गया हिस्सा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (जनवरी, 2014 तक)		
		प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	98.85	138.80	71.78	165.87	96.57	91.52	170.92	150.23	90.57	246.01	11.76	89.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.81	1.19	6.10	6.90	2.05	5.11	3.84	9.87	2.11	12.22	0.00	11.23
3.	असम	67.24	94.37	67.12	94.50	122.51	122.28	94.73	119.43	94.59	128.17	25.71	53.12
4.	बिहार	93.74	112.60	124.21	82.12	172.19	167.61	86.70	478.15	220.13	359.17	0.00	83.75
5.	छत्तीसगढ़	11.36	54.80	25.31	40.85	27.02	32.86	35.01	57.32	16.78	79.63	0.00	17.85
6.	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7.	गोवा	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
8.	गुजरात	14.07	46.92	33.33	27.67	43.08	35.25	35.50	39.49	34.98	47.38	37.94	31.36
9.	हरियाणा	13.88	23.61	14.10	23.39	3.35	15.42	11.32	0.00	7.67	6.28	131.18	23.39
10.	हिमाचल प्रदेश	9.26	29.40	21.30	17.36	4.70	12.75	9.31	16.67	16.59	10.64	30.50	17.67
11.	जम्मू और कश्मीर	9.45	27.93	11.02	26.36	9.68	24.63	11.40	35.11	36.41	11.63	39.57	24.02
12.	झारखण्ड	35.03	54.67	36.54	53.16	72.65	23.35	102.46	41.93	18.87	132.16	0.00	21.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कर्नाटक	41.91	44.59	62.41	24.08	87.09	41.15	70.03	159.51	69.64	163.37	0.00	85.95
14.	केरल	5.83	22.86	8.09	20.61	1.59	9.88	12.32	0.00	9.52	5.80	21.51	14.69
15.	मध्य प्रदेश	58.65	144.03	128.27	74.41	150.76	167.00	58.16	257.80	182.49	141.15	330.19	179.07
16.	महाराष्ट्र	15.26	129.12	72.63	71.74	58.00	83.91	45.82	124.09	62.81	119.98	11.49	67.80
17.	मणिपुर	12.18	0.80	8.61	4.38	10.88	7.01	8.24	35.09	17.14	26.50	0.00	10.54
18.	मेघालय	10.61	31.05	14.37	27.28	11.16	32.91	5.53	25.40	12.89	19.10	51.52	17.24
19.	मिजोरम	4.86	6.53	2.73	8.67	0.31	6.92	2.07	4.97	2.03	5.42	4.03	3.15
20.	नागालैंड	1.32	12.29	2.65	10.97	1.74	13.71	1.00	23.03	3.89	18.25	0.00	17.01
21.	ओडिशा	108.38	68.37	49.28	127.47	111.72	46.52	192.66	0.00	33.09	176.11	0.00	12.26
22.	पुदुचेरी	0.19	0.00	0.03	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
23.	पंजाब	7.94	11.16	4.21	14.89	2.83	1.08	16.64	0.00	3.88	13.92	0.00	2.50
24.	राजस्थान	47.51	56.71	37.58	66.64	54.24	31.37	89.52	137.71	83.03	151.38	0.00	55.85
25.	सिक्किम	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13	1.59	0.00	2.80	8.25	4.83
26.	तमिलनाडु	27.23	77.94	52.13	53.04	76.62	107.10	22.56	128.12	86.95	70.80	233.94	135.33
27.	त्रिपुरा	7.54	9.25	5.74	11.05	1.34	7.53	4.86	4.30	3.41	6.65	14.01	4.68
28.	उत्तर प्रदेश	47.08	225.94	226.90	46.12	169.21	120.56	94.76	256.85	201.44	167.71	376.32	202.02
29.	उत्तराखंड	6.14	17.08	11.60	11.62	8.05	13.13	6.54	25.42	13.54	19.77	1.48	11.91
30.	पश्चिम बंगाल	54.57	83.28	76.55	61.29	141.24	115.14	87.40	306.38	199.75	196.12	73.98	132.93
	कुल योग :	822.12	1526.42	1174.57	1173.96	1440.59	1335.73	1278.83	2438.47	1524.20	2338.80	1403.37	1331.12

मेमू रेलगाड़ियां

4375. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विशेषकर राउरकेला-राजगंगपुर-झारसुगुजा के बीच दैनिक यात्रियों की जरूरत पूरी करने के लिए मुख्यलाइन की तेज चलने वाली मेमू रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तितिलागढ़-संबलपुर-झारसुगुडा खंड के बीच डी. एम.यू. सेवाएं प्रारंभ की गयी हैं तथा वहां आधुनिक यात्री सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) जी नहीं। इस समय, राउरकेला-राजगंगपुर-झारसुगुडा खंड पर 11 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और 5 जोड़ी पैंसेजर गाड़ियां रुकती हैं। इसी प्रकार, टिटलागढ़-संबलपुर-झारसुगुडा खंड पर 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाडियां और 1 जोड़ी पैंसेजर सेवाएं रुकती हैं। भारतीय रेलों पर मेमू/डी.एम.यू. गाड़ी सहित नई गाड़ी चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात का औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

टिटलागढ़-संबलपुर-झारसुगुडा खंड के सभी रेलवे स्टेशनों पर, सामान्यत: न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस खंड पर टिटलागढ़, बोलंगीर, बारगढ़ रोड और झारसुगुडा स्टेशन पहले ही 'आदर्श' स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। इस खंड पर रेलगाड़ी और लापांग स्टेशन भी 'आदर्श' स्टेशन योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा, स्टेशनों का अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता आदि के आधार पर किया जाता है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

4376. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ और विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित करने की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त विशेषज्ञता वाले संस्थानों को सहायता प्रदान कर रही है अथवा विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने यह माना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ और विकसित करना, तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का एक बेहतर तरीका है जिससे देश के सर्वतोमुखी विकास को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी अनेक उपाय किए गए हैं। विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुधार हेतु निधि (एफ.आई.एस.टी.), विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का संवर्धन (पी.यू.आर.एस.ई.), महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष और उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (सी.यू.आर.आई.ई.), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.), जम्मू-कश्मीर और बिहार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) का क्षेत्र विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी पैकेज; शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय अंतर-विषयक जीव विज्ञान विभाग को प्रोत्साहन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) का जैव प्रौद्योगिकी सुविधा अवसंरचना विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों का लक्ष्य देश में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। उच्च विज्ञान और अग्रणी प्रौद्योगिकी विकास के लक्ष्य के मद्देनजर कार्यकलापों के अनुकरण को सुकर बनाने

के क्रम में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस. आई.आर.) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना का स्तरोन्नयन किया है।

(ग) सरकार ने देश में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक तंत्र स्थापित किए हैं। सरकार की जे. सी. बोस, रामानुजन और रामालिंगास्वामी अध्येतावृत्तियों ने देश में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशिष्ट भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित किया है। हाल ही में शुरू की गई जवाहरलाल नेहरू अध्येतावृत्ति का लक्ष्य किसी भी देश के विशिष्ट वैज्ञानिकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में प्रयोगशालाओं में सहयोगात्मक और अंशकालिक अनुसंधान करने के लिए आकर्षित करना है। अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) संकाय पुरस्कार संपूर्ण विश्व से युवा भारतीय वैज्ञानिकों को गुणवत्ता अनुसंधान करने के लिए प्रदान किया जाता है। महिला वैज्ञानिक योजना, राष्ट्रीय महिला जैव-वैज्ञानिक पुरस्कार आदि कुछ उपाय हैं जो महिला वैज्ञानिकों को गुणवत्तात्मक अनुसंधान करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। सी.एस.आई. आर. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करता है। कुछ अन्य प्रोत्साहन तंत्र इस प्रकार हैं : संविदात्मक आर. एंड डी. से वैज्ञानिकों के साथ कार्यक्रमों की साझेदारी, प्रौद्योगिकी के अंतरण से प्राप्त परामर्श और प्रीमियम तथा रायल्टी; सेवा में रहते हुए ज्ञान उद्यमों को स्थापित करना। डी.एस.टी., डी.बी.टी. और सी.एस. आई.आर. के अंतर्गत विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों को विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक आर. एंड. डी. को प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में भारत के 42 देशों के साथ सक्रिय सहयोग सहित 80 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय एस. एंड टी. सहयोग करार प्रभावी है। इस तरह के सहयोग सूचना विनिमय, नए ज्ञान का सृजन, विशेषज्ञता सहभागिता, उन्नत सुविधाओं तथा परिष्कृत उपकरणों तक पहुंच में लाभकारी हैं और अंतरराष्ट्रीय वृहत् विज्ञान प्रोजेक्टों में प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप यह देश में विज्ञान की गुणवत्ता और उपलब्धि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं।

बी.बी.एम.बी. में पदों का बंटवारा

4377. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के वर्तमान सचिवालय का प्रतिनिधित्व पंजाब पुनर्गठन अधिनिमय, 1966 के अनुसार बने राज्यों के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1986 में बी.बी.एम.बी. की हुई बैठक में सभी भागीदारी वाले राज्यों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने के संबंध में निर्णय लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उक्त बैठक के पश्चात् राजस्थान को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है और बी.बी.एम.बी. में की गई पूर्णकालिक सदस्यों, सचिव और अपर सचिव की नियुक्ति पर उनकी अवधि और उन अधिकारियों के गृह राज्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) पदों के बंटवारे हेतु बी.बी.एम.बी. नियम, 1974 के नियम 7 के अंतर्गत बी.बी.एम.बी. द्वारा भेजे गए संदर्भों का ब्यौरा क्या है और इस विषय में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) बी.बी.एम.बी. द्वारा राजस्थान से सचिव पद को भरे जाने संबंधी आश्वासन के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य केवल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। तथापि, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) सचिवालय में बी.बी. एम.बी. के साझेदार राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

(ख) बोर्ड में सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) तथा बोर्ड सचिवालय में सचिव एवं अपर सचिव (अब विशेष सचिव के रूप में पदनामित) की नियुक्तियों के युक्तिकरण से संबंधित मामले पर दिनांक 26.7.1986 को आयोजित बोर्ड की 122वीं बैठक में चर्चा की गई थी लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी।

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1986 की धारा 79(2) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी. में दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। पारंपरिक रूप से इन सदस्यों की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा से की जाती है। वर्ष 1986 से सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई) की नियुक्ति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। वर्ष 1986 से सचिव और विशेष सचिव की नियुक्ति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण III और IV में दिया गया है।

(घ) ब्यास परियोजनाओं और भाखड़ा कॉम्पलेक्स पर पदों की साझेदारी के संबंध में बी.बी.एम.बी. नियमावली 1974 के नियम-7 के अंतर्गत बी.बी.एम.बी. द्वारा दिए गए संदर्भ प्राप्त हो चुके हैं और साझेदार राज्यों के सहमत होने पर, उनके परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सचिव (बी.बी.एम.बी.) का पद किसी राज्य विशेष को आवंटित नहीं किया गया है।

विवरण-I

बी.बी.एम.बी. में सदस्य (विद्युत) पदधारिता चार्ट

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (अभियंता)	मूल राज्य	अवधि
1	2	3	4
1.	एन.एस. फ्रेवाल	पंजाब	4.12.85 से 13.5.88
2.	रिक्त	पंजाब	14.5.88 से 2.8.88
3.	इंद्रजीत सिंह कालरा	पंजाब	3.8.88 से 30.6.90
4.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	1.7.90 से 22.8.90 (अतिरिक्त प्रभार)
5.	ओ.पी. जैन	पंजाब	23.8.90 से 12.8.91
6.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	12.8.91 से 18.8.92 (अतिरिक्त प्रभार)
7.	नीरवैर सिंह	पंजाब	18.8.92 से 31.5.93
8.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	31.5.93 से 17.11.93
9.	बी.के. सैनी	पंजाब	17.11.93 से 31.3.94
10.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	31.3.94 से 26.4.94 (अतिरिक्त प्रभार)
11.	आर.के. अग्रवाल	पंजाब	26.4.94 से 30.11.96
12.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष	भारत सरकार	30.11.96 से 31.8.97 (अतिरिक्त प्रभार)
13.	सतीश मित्तल	पंजाब	17.3.98 से 1.11.98
14.	एस.पी. शर्मा	पंजाब	2.11.98 से 3.11.2000
15.	आर.आर. ओबेराय, अध्यक्ष	भारत सरकार	4.11.2000 से 24.4.2001 (अतिरिक्त प्रभार)

1	2	3	4
16.	अमरीक सिंह	पंजाब	25.4.2001 से 28.2.2003
17.	राकेश नाथ, अध्यक्ष	भारत सरकार	1.3.2003 से 1.1.2004 (अतिरिक्त प्रभार)
18.	एस.सी. महाजन	पंजाब	2.1.2004 से 29.8.2006
19.	अमरीक सिंह, सी.ई.	पंजाब	13.10.2006 से 14.11.2006
20.	एन.के. अरोरा	पंजाब	28.11.2006 से 3.12.2008
21.	यू.सी. मिश्रा, अध्यक्ष	भारत सरकार	5.12.2008 से 29.4.2009 (अतिरिक्त प्रभार)
22.	वी.बी. बस्सी	पंजाब	30.4.2009 से 5.02.2011
23.	अशोक थापर	पंजाब	21.02.2011 से आज तक

विवरण-II

बी.बी.एम.बी. में सदस्य (सिंचाई) पदधारिता चार्ट

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (अभियंता)	मूल राज्य	अवधि
1	2	3	4
1.	ओ.पी. दत्ता	हरियाणा	9/93 से 8/86
2.	बी.सी. मल्होत्रा	हरियाणा	4.9.86 से 30.4.88
3.	रिक्त	–	1.5.88 से 22.7.88
4.	पी.ए. कपूर	हरियाणा	23.7.88 से 1.1.92
5.	डी.आर. लूथरा	हरियाणा	1.1.92 से 31.12.94
6.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता	–	31.12.94 से 18.7.93 पूर्वाह्न (अतिरिक्त प्रभार)
7.	विट्ठल राम	हरियाणा	18.7.95 से 31.8.96
8.	मेज. जेन. पी.के. गुप्ता	–	31.8.96 से 15.4.97 (अतिरिक्त प्रभार)
9.	आर.एन. अग्रवाल	हरियाणा	15.4.97 से 28.2.98
10.	एच.एस. ग्रेवाल	हरियाणा	17.3.98 से 18.6.98 (देखभाल)
11.	जे.एल. गंभीर	हरियाणा	18.6.98 से 4.9.98

1	2	3	4
12.	आर.एन. अग्रवाल	हरियाणा	4.9.98 से 27.4.2000
13.	आर.आर. ओबेराय	–	27.4.2000 से 23.6.2000 (अतिरिक्त प्रभार)
14.	एस.के. दुग्गल	हरियाणा	23.6.2000 से 24.11.2002
15.	बलबीर सिंह	हरियाणा	5.3.2003 से 29.12.2005
16.	अनिल अरोरा	हरियाणा	4.1.2006 से 5.7.2006/5.7.2006 से 17.9.2008, 31.12.2008 तक बढ़ाया गया है।
17.	एम.के. गुप्ता	हरियाणा	31.12.2008 से 08.07.2011
18.	ए.बी. अग्रवाल	–	09.07.2011 से 16.8.2011 (अतिरिक्त प्रभार)
19.	एस.एल. अग्रवाल	हरियाणा	26.8.11 पूर्वाह्न से आज तक

विवरण-III

बी.बी.एम.बी. में सचिव पदधारिता चार्ट

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	मूल राज्य	अवधि
1	2	3	4
1.	ओ.आर. मेहता	पंजाब	मई-82 से जुलाई-86
2.	पी.सी. गांधी	राजस्थान	सितंबर-86 से मार्च-87
3.	के.टी. सुखानी	राजस्थान	मई-87 से सितंबर-87
4.	ए.सी. मेहता	राजस्थान	मार्च-88 से दिसंबर-88
5.	के.जी. अग्रवाल (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	दिसंबर-88 से मार्च-90
6.	जे.सी. मक्कर	राजस्थान	मार्च-90 से अगस्त-91
7.	एस.पी. शर्मा	राजस्थान	सितंबर-91 से अप्रैल-95
8.	के.वी.एस. ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	अप्रैल-95 से जनवरी-1997
9.	के.जी. अग्रवाल	पंजाब	फरवरी-97 से अगस्त-98
10.	के.वी.एस. ठाकुर (अतिरिक्त प्रभार)	पंजाब	सितंबर-98 से मई-99
11.	के.वी.एस. ठाकुर	पंजाब	मई-99 से अक्टूबर-2000

1	2	3	4
12.	एस.बी. सारावगी	राजस्थान	अक्टूबर-2000 से अक्टूबर-2001
13.	के.वी.एस. ठाकुर	पंजाब	अक्टूबर-2001 से मई-2002
14.	अनिल अरोरा	हरियाणा	जून-2002 से जुलाई-06
15.	पी.एस. तुलसी	राजस्थान	अगस्त-06 से फरवरी-07
16.	एम.एल. गुप्ता	पंजाब	फरवरी-07 से मार्च-07
17.	आर.सी. महाजन	हरियाणा	मार्च-07 से 10.07.2009
18.	एच.के. गुप्ता	हरियाणा	10.07.2009 से 31.10.2012
19.	आर.एस. जल्टा (अतिरिक्त प्रभार)	हिमाचल प्रदेश	1.11.2012 से 21.3.2013
20.	अशोक गुप्ता	हरियाणा	21.03.2013 से आज तक

विवरण-IV

बी.बी.एम.बी. में सचिव पदधारिता चार्ट

क्र. सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	मूल राज्य	अवधि
1.	वाई.पी. कुमार	हरियाणा	02-08-1982 से 14-05-1987
2.	डॉ. आर. सूद	हरियाणा	15-05-1987 से 25-05-1990
3.	एस.एस. गुप्ता	हरियाणा	28-08-1990 से 26-01-1992
4.	एन.सी. सिंघल	हरियाणा	27-01-1992 से 27-01-1996
5.	आई.सी. शर्मा	हरियाणा	27-01-1996 से 31-01-2003
6.	मनमोहन सिंह	हरियाणा	31-01-3003 से 07-12-2005
7.	आर.के. सहगल	हरियाणा	07-12-2005 से 12-07-2006
8.	आर.सी. महाजन	हरियाणा	12-07-2006 से 30-03-2007
9.	आर.के. सहगल	हिमाचल प्रदेश	30-03-2007 से 31-05-2008
10.	एस.के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश	02-06-2008 से 3.3.2012
11.	एच.के. गुप्ता, सचिव	हरियाणा	अतिरिक्त प्रभार 13.3.12 से 2.4.2012 पूर्वाह्न से प्रभावी
12.	आर.एस. जल्टा	हिमाचल प्रदेश	3.4.2012 से आज तक

[अनुवाद]

अपराध/संरक्षा चिंताएं

4378. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने दक्षिण-मध्य रेल (एस.सी. आर.) प्रशासन को दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों में बढ़ते अपराध और संरक्षा के संबंध में चेताया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियां विशेषकर एस.सी.आर. के अंतर्गत और एस.सी.आर. से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) दिल्ली-चेन्नै मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों में बढ़ते अपराध और सुरक्षा पर चिंताओं के बारे में विशेष रूप से दक्षिण मध्य रेलवे प्राधिकारियों को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों को संबंधित राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय से यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर देने के लिए समय-समय पर सामान्य अनुदेश जारी किए जाते हैं।

रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) के माध्यम से करती हैं। इस प्रकार, अपराध के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा दर्ज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा जाचं की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण गाड़ियों के मार्गरक्षण के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है और महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

यमुना का विकास

4379. श्री पी. करूणाकरन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल के कुशल उपयोग के लिए यमुना नदी के विकास हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक प्रयोजन हेतु कुल कितनी निधियों का आवंटन, जारी और उपयोग किया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) यमुना बेसिन, जहां जल की मांग उपलब्धता से अधिक है, में जल के कुशल उपयोग के लिए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, मानसून जल के भंडारण इत्यादि के लिए स्कीम सह-बेसिन राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की जा रही है। जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका प्रोत्साहक एवं उत्प्रेरक की है।

यमुना नदी के विकास एवं इसके जल के कुशल उपयोग हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्कीमें निम्नानुसार हैं:

1. भंडारण परियोजनाएं:

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार की एजेंसियों द्वारा ऊपरी यमुना नदी बेसिन में, कार्यान्वयन हेतु तीन भंडारण परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी
1	2	3	4	5
I.	रेणुका बांध परियोजना	सिरमौर जिला	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
II.	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	देहरादून जिला	उत्तराखंड	दोनों राज्यों द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम

1	2	3	4	5
				लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम की परिकल्पना की गई है।
III.	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना	देहरादून जिला	उत्तराखंड	उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड

ये परियोजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के तहत शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू की गई तथा 12वीं योजना में जारी हैं। ये परियोजनाएं सिंचाई/जल विद्युत/बाढ़ नियंत्रण हेतु लाभ की परिकल्पना करती हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये परियोजनाएं परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल घटकों हेतु केन्द्रीय सहायता/बकाया परियोजना लागत (कार्य की लागत) के अनुदान की पात्र हैं। जल-विद्युत घटक, राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं होता।

2. जल संसाधन मंत्रालय की मौजूदा "मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार" स्कीम के तहत, यमुना के सह-बेसिन राज्यों को परियोजना हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो गैर-मानसून अवधि के दौरान उपयोग हेतु वर्षा/मानसून जल के भंडारण को बढ़ाएगा।

3. राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत यमुना बेसिन में राज्यों सहित पूरे देश में जल उपयोग कुशलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यमुना कमान्ड में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान एवं विशिष्ट स्थिति बनाने के लिए अगस्त, 2013 में कार्यशाला आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने अपने जन मीडिया कार्यक्रम के माध्यम से जल उपयोग कुशलता को बढ़ाने के संबंध में भी कार्रवाई शुरू की। यमुना जल का उपयोग करने वाले शहरी आपूर्ति विभागों के साथ दूषित जल को घटाने/पुनर्चक्रण के लिए ऐसी ही कार्रवाई आरंभ की गई है।

4. यमुना बेसिन में राज्यों के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण हेतु उपाय सुझाने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तहत एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने जुलाई, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सह-बेसिन राज्यों को कार्रवाई करने योग्य बिन्दु अग्रेषित किए गए हैं। राज्यों को जल संसाधन मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों विशेषकर आर.आर.आर. स्कीम के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु भी प्रोत्साहित किया गया है।

5. जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में ओखला के अनुप्रवाह में जल छोड़ने को बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि यमुना नदी के अनुप्रवाह में प्रवाह का पुनर्सृजन किया जा सके। इस मुद्दे के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच विचारों की समाभिरूपता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्थापित यमुना नदी पर बनी उच्च अधिकार समिति के संदर्भ की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) अभी तक जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई निधि आबंटित, जारी या उपयोग नहीं की गई है।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं

4380. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बिना चौकीदार वाले फाटकों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के बारे में अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार रखने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे इस बात से अवगत है कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने के दौरान फाटक को अन्यत्र स्थान पर ले जाने के कारण फाटक पार करने वाले लोगों को असुविधा होती है; और

(घ) स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) वर्ष 2011-12 से सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं के लापरवाही की वजह से बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या 2011-12 में 54 से घटकर 2012-13 में 53 और मौजूदा वर्ष (31 जनवरी, 2014 तक) में और अधिक घटकर 40 हो गई है।

(ख) दुर्घटनाओं के स्वरूप का अध्ययन करने से यह बात सामने आई है कि दुर्घटना होने से बचने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करना कोई आदर्श समाधान नहीं है। अतः, इस नीति की समीक्षा की गई है। तदनुसार, रेलवे ने निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को उत्तरोत्तर समाप्त करने का निर्णय किया है:

- बन्द करना : बिना चौकीदार वाले ऐसे समपारों को बन्द करना जहां गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) शून्य/नगण्य है।
- विलय : डायवर्जन मार्ग बनाकर बिना चौकीदार वाले समपार फाटक के आस-पास के चौकीदार वाले अथवा बिना चौकीदार वाले फाटकों या सबवे या निचले सड़क पुल (आर.यू.बी.) या ऊपरी सड़क पुल के साथ विलय करना।
- सबवे/आर.यू.बी. का प्रावधान।
- **चौकीदार की व्यवस्था** : जिन बिना चौकीदार वाले समपारों को उपर्युक्त विधि से समाप्त नहीं किया जा सकता है वहां रेल-सड़क यातायात की मात्रा, दृश्यता की स्थिति के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी।

इन सभी समपारों को समाप्त करना एक भारी कार्य है और इस कार्य में बहुत अधिक जनशक्ति, संसाधन और बजटीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता, धनराशि की उपलब्धता और राज्य सरकार के सहयोग, विशेषकर समपार को बन्द करने के मामले में सहमति लेने में और भविष्य में सबवे के लिए सड़क और नालों के अनुरक्षण कार्य के संबंध में वचनबद्धता प्राप्त करने के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) रेलवे फाटक राज्य सरकारों की सहमति से शिफ्ट किए जाते हैं, जो निश्चित रूप से आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखती हैं।

वायु गुणवत्ता निगरानी और पूर्वानुमान

4381. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वायु गुणवत्ता की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए कोई तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) समूचे देश के स्तर पर वायु की गुणवत्ता का मॉनीटरन करने तथा पूर्वानुमान देने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है परन्तु स्थान विशिष्ट की मॉनीटरिंग करने और महानगरीय पैमाने स्तर पर वायु गुणवत्ता का 24 घंटे का पूर्वानुमान देने के लिए वर्ष 2010 से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में और वर्ष 2013 से पुणे में कार्यरत है।

मंत्रालय के वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (एस.ए.एफ.ए.आर.) कार्यक्रम के अंतर्गत-

(i) दिल्ली-एन.सी.आर. क्षेत्र में वायु-गुणवत्ता मापन 10 स्थानों जैसे-आई.आई.टी.एम. पुणे (पूसा रोड); दिल्ली विश्वविद्यालय; इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा; एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.-नोएडा (सेक्टर-62); सी.आर. आर.आई.-मथुरा रोड; आई.एम.डी.-आयानगर; आई. एम.डी.-लोदी रोड, डी.टी.टी.ई.-पीतमपुरा; सी.वी.आर. -धीरपुर; आई.आई.टी. दिल्ली (हौज खास) पर किए जा रहे हैं।

(ii) दिल्ली-एन.सी.आर. क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के मापन 10 स्थानों पर किए जा रहे हैं जैसे-आई.आई.टी. एम.-पाषाण; आई.एम.डी.-शिवाजी नगर; पुणे एअरपोर्ट; एम.ए.ई.ई.आर-अलन्दी; भारती विद्यापीठ-कतराज; लोहिया उद्यान-हडपसर; पी.सी.एम.सी.-भोसारी; पी.सी. एम.सी.-नीगड़ी, वसंतदादा सुगर इंस्टीट्यूट-मंजरी; के. आर.एम. हॉस्पिटल-वडू बुद्रक।

खान-पान सेवाएं

4382. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्रियों को खान-पान सेवाएं प्रदान करने वाली रेलगाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1000 कि.मी. से अधिक दूरी की ऐसी रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है जिनमें रसोई यान की व्यवस्था नहीं है;

(ग) लम्बी दूरी की यात्री रेलगाड़ियों में रसोई यान उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा खाद्य संपरीक्षा कराने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा आई.आर.सी.टी.सी. से खान-पान सेवा लेने के पश्चात् हुए सुधार का आकलन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) उन गाड़ियों जिनमें रसोईयानों/छोटी रसोईयानों के माध्यम से खानपान सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं, का जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जोनल रेलें	राजधानी	दुरांतो	शताब्दी	मेल/ एक्सप्रेस	कुल
1	2	3	4	5	6
मध्य	0	2	1	29	32
पूर्व मध्य	1	0	0	16	17
पूर्व तट	2	1	1	22	26
पूर्व	2	3	1	17	23
उत्तर मध्य	0	0	1	0	1
पूर्वोत्तर	0	0	0	9	9
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	1	22	23
उत्तर	10	2	11	14	37
उत्तर पश्चिम	0	1	1	8	10
दक्षिण मध्य	0	2	0	14	16
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0	5	5
दक्षिण पूर्व	0	4	0	22	26
दक्षिण	0	1	1	43	46
दक्षिण पश्चिम	2	1	1	17	21
पश्चिम मध्य	0	0	0	1	1
पश्चिम	3	3	1	17	24
कुल	20	20	21	256	317

(ख) भारतीय रेलों पर 294 ऐसी जोड़ी गाड़ियां हैं जो 1000 किलोमीटर से अधिक मात्रा की दूरी तय करती हैं और उनमें कोई रसोईयान नहीं है।

(ग) खानपान नीति, 2010 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, गाड़ियों में रसोईयान जोड़ने की व्यवस्था प्राथमिकता के क्रम के आधार पर किया जाता है जिनमें प्रथम प्राथमिकता दुरांतो और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को दी जाती है और उसके बाद दोनों दिशाओं में 24 घंटे से अधिक यात्रा समय वाली लम्बी दूरी की प्रमुख, सुपरफास्ट गाड़ियों, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों को दी जाती है और अंत में उन शेष गाड़ियों, जिनमें वे गाड़ियां होती हैं जिनमें वेस्टिब्यूल की व्यवस्था होती है, को प्राथमिकता दी जाती है। जिन गाड़ियों में रसोईयान की व्यवस्था नहीं होती है, उनमें खानपान सेवाएं गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग और/या मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थैतिक खानपान इकाइयों के माध्यम से भोजन की आपूर्ति की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) यात्रियों से राय लेने की योजना के साथ-साथ तीसरी पार्टी से लेखा परीक्षण कराने की प्रक्रिया गाड़ियों में खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मानक बोली

दस्तावेज का एक हिस्सा है। तीसरी पार्टी द्वारा लेखा परीक्षण क्षेत्रीय रेलों द्वारा अधिकृत/निर्धारित प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा कराई जानी है जिसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जुलाई, 2010 से प्रभावी एक नई खानपान नीति आरंभ की गई है जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी का कार्य भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम से क्षेत्रीय रेलों को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि खानपान सेवाओं का संपूर्ण पर्यवेक्षण करने के लिए जोनल रेलों के विशाल और विस्तृत अखिल भारतीय नेटवर्क का लाभ उठाया जा सके, (ii) यात्री संतुष्टि सर्वेक्षणों और तीसरी पार्टी से लेखा परीक्षण के माध्यम से एक परिभाषित गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है, (iii) नियमित एवं औचक निरीक्षणों और सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है। शिकायतों का सही समय पर निपटान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री नं. 1800 111 321 के साथ खानपान सेवा निगरानी सैल की स्थापना की गई है। जोनल रेलों पर भी इसी प्रकार की निगरानी सैल कार्य कर रहे हैं, (iv) जनता भोजन और किफायती क्षेत्रीय व्यंजनों की बिक्री के लिए जन-आहार आउटलेट स्थापित किए गए हैं, (v) गाड़ियों और स्टेशनों पर खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जोनल रेलों द्वारा औचक, नियमित और आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष अर्थात् 01.12.2012 से 30.11.2013 तक लगभग 23960 निरीक्षण किए गए हैं। यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो अपराध /अनियमितता की गंभीरता के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई जैसे जुर्माना लगाना, चेतावनी देना और ठेका समाप्त करना आदि, की कार्रवाई की जाती है, (vi) खानपान ठेका देने के लिए मानक बोली दस्तावेजों में एक पारदर्शी ठेका, प्रबंधन और निगरानी प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसे कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले और विशेषज्ञता वाली पेशेवर एजेंसियों को नियुक्त करके तैयार किया गया है जिसमें विस्तृत जुर्माना धाराओं के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कठोर योग्यता मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, (vii) सभी खानपान इकाइयों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए कचरे के प्रबंधन के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं, (viii) इसके अलावा, नियमित रूप से यात्री संतुष्टिकरण सर्वेक्षण भी किए जाते हैं, (ix) किफायती दरों पर गुणवत्तायुक्त भोजन की व्यवस्था करने के लिए मानक भोजनों, जलपानों, चाय/कॉफी और अलग-अलग व्यंजनों के लिए एकसमान दर एवं मेन्यू अधिसूचित की गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4383. श्री नरेनभाई काछादिया: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर गुजरात राज्य में एन.एस.ए.पी. के कार्यान्वयन में मंत्रालय को किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन. एफ.बी.एस.) और अन्नपूर्णा है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए लागू है।

एन.एस.ए.पी की योजनाओं के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है और एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के तौर पर निधियां रिलीज करता है और सभी योजनाओं के लिए गृह मंत्रालय संघ राज्यक्षेत्रों को संयुक्त रूप से निधियां रिलीज करता है। लाभार्थियों का निर्धारण, पेंशन की मंजूरी और वितरण संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित छूट दी गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष (जनवरी, 2014 तक) के दौरान गुजरात राज्य द्वारा कवर किए गए आवंटन, रिलीज, व्यय और लाभार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष: 2013-14 (लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आबंटन	कुल रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय					रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों की संख्या				
					आई.जी.एन. ओ.ए. पी.एस.	आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी. एस.	आई.जी.एन. डी.पी.एस.	एन.एफ. बी.एस.	अन्नपूर्णा	कुल	आई.जी. एन.ओ. ए.पी.एस. सूचित	आई.जी. एन.डब्ल्यू. पी.एस. सूचित	आई.जी. एन.डी. पी.एस. सूचित	एन.एफ. बी.एस. सूचित	अन्नपूर्णा सूचित
1.	गुजरात	18143.76	13608.00	19577.29	5425.92	82.17	99.27	214.50	NR	5821.86	452525	6557	4812	2145	NR
	कुल	18143.76	13608.00	19577.29	5425.92	82.17	99.27	214.50	NR	5821.86	452525	6557	4812	2145	NR

[हिन्दी]

अपशिष्ट निपटान मशीनें

4384. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मकैनिकल फैक्टरी, गोरखपुर सहित विभिन्न रेल ईकाइयों में अपशिष्ट निपटान हेतु इन्सिनरेटर मशीनें स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ईकाइयों में अपशिष्ट निपटान हेतु मशीनें स्थापित की गई हैं और उनकी लागत क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मशीनें खराब हो गई हैं और फिलहाल अनेक ईकाइयों में अपशिष्ट निपटान का कार्य पुरानी तकनीक से किया जा रहा है; और

(घ) कितनी अपशिष्ट निपटान मशीनें खराब हैं और उनके प्रयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) संस्थापित की गई मशीनों के साथ-साथ उनकी लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे/उत्पादन इकाइयां	यूनिटों की संख्या	यूनिट का स्थान एवं लागत
1	2	3
मध्य	5	1. डीजल शेड - पुणे - रु. 26.87 लाख
		2. डीजल शेड - कल्याण - रु. 10.45 लाख
		3. डीजल शेड - कुर्ला - रु. 14.61 लाख
		4. पार्सल कार्यशाला - मुंबई - रु. 20.25
		5. मटुंगा कार्यशाला - मुंबई - रु. 14.27 लाख
पूर्व	1	1. जमालपुर कार्यशाला - जमालपुर - रु. 5 लाख
पूर्व मध्य	3	1. डीजल शेड - मुगलसराय - रु. 40.40 लाख
		2. डीजल शेड - समस्तीपुर - रु. 37.16 लाख
		3. कैरिज मरम्मत कार्यशाला-हरनौत - रु. 49.47 लाख
पूर्व तट	2	1. कैरिज मरम्मत कार्यशाला-मंचेश्वर- रु. 12.82 लाख
		2. डीजल शेड - विशाखापट्टनम - रु. 9.99 लाख
उत्तर	1	1. डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण, कारखाना-पटियाला - रु. 25.78 लाख
उत्तर मध्य	1	1. डीजल शेड - झांसी - रु. 27.44 लाख
पूर्वोत्तर	2	1. यांत्रिक कार्यशाला - गोरखपुर - रु. 32.62 लाख
		2. डीजल रेल इंजन कारखाना - वाराणसी - रु. 7.06 लाख
पूर्वोत्तर सीमा	5	1. डिब्रूगढ़ वर्कशाप - डिब्रूगढ़ - रु. 18.56 लाख
		2. डीजल शेड - न्यू गुवाहाटी - रु. 32.96 लाख

1	2	3
		3. डीजल शेड - मालदा - रु. 15.51 लाख
		4. डीजल शेड - सिलीगुडी - रु. 31.81 लाख
		5. डीजल शेड - लमडिंग - रु. 32.96 लाख
उत्तर पश्चिम	2	1. डीजल शेड - भगत की कोठी - रु. 20.46 लाख
		2. डीजल शेड - आबू रोड - रु. 16.80 लाख
दक्षिण	5	1. डीजल शेड - एर्णाकुलम - रु. 16.79 लाख
		2. सी. एवं डब्ल्यू. डिपो - त्रिवेंद्रम - रु. 20 लाख
		3. सी. एवं डब्ल्यू डिपो - रामेश्वरम - रु. 15 लाख
		4. सी. एवं डब्ल्यू. डिपो - विल्लूपुरम - रु. 18.15 लाख
		5. गोल्डन रॉक कार्यशाला - त्रिची - रु. 16.50 लाख
दक्षिण मध्य	6	1. लालागुडा कार्यशाला - लालागुडा - रु. 23.68 लाख
		2. काचेगुडा कोचिंग डिपो - काचेगुडा - रु. 15 लाख
		3. डीजल शेड - काजीपेट - रु. 19.3 लाख
		4. डीजल शेड - गुती - रु. 10 लाख
		5. डीजल शेड - गुंतकल - रु. 10 लाख
		6. डीजल शेड - मौला-अली - रु. 18 लाख
दक्षिण पूर्व	2	1. डीजल शेड - खंडगपुर - रु. 9.88 लाख
		2. डीजल शेड - बोकारो - रु. 8.1 लाख
दक्षिण पश्चिम	2	1. डीजल शेड - कृष्णराजापुरम - रु. 9.88 लाख
		2. मैसूर कार्यशाला - मैसूर - रु. 7.08 लाख
पश्चिम	2	1. डीजल शेड - रतलाम - रु. 21 लाख
		2. डीजल शेड - बांद्रा - रु. 16 लाख
पश्चिम मध्य	3	1. कोटा कार्यशाला - कोटा - रु. 16.20 लाख
		2. लोको शेड - कोटा - रु. 27.62 लाख
		3. डीजल शेड - इटारसी - रु. 21.20 लाख

(ग) लगभग सभी इंसिनेटर मशीनें कार्य करने की स्थिति में हैं।

(घ) इस समय मंचेश्वर कैरेज मरम्मत कारखाने की एक मात्र मशीन चिमनी के ब्रेक डाऊन होने के कारण कार्य नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

महिलाओं का बढ़ता चित्रण

4385. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फिल्मों, टेलीविजन विज्ञापनों और प्रिंट मीडिया में महिलाओं के बढ़ते चित्रण के बारे में अवगत है जिनमें उन्हें मनुष्य के बजाय वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है और जिससे युवाओं, विद्यार्थियों आदि का मस्तिष्क प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का महिलाओं के चित्रण के संबंध में मीडिया के लिए नए दिशानिर्देश लागू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से(घ) फिल्मों, टेलीविजन, विज्ञापन और प्रिंट मीडिया में स्त्रियों के रूप में चित्रण के मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अलग से दिशानिर्देश बनाए हैं। ये दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

फिल्म : चलचित्र अधिनियम, 1952 जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा फिल्मों के प्रमाणन हेतु दिशानिर्देश विनिर्धारित करता है, के अंतर्गत जारी विनिर्देशों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5(ख) के अनुसार निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्धारित करता है :

- स्त्रियों को किसी तरीके से निम्नीकृत और उनकी निंदा करने वाले दृश्यों को न प्रस्तुत किया जाए।
- ऐसे दृश्यों जिनमें स्त्रियों के विरुद्ध यौन-हिंसा जैसे बलात्कार का प्रयास, बलात्कार या किसी तरह से की गई छेड़खानी या सदृश प्रकृति के दृश्यों से परहेज किया जाए, और यदि ऐसी घटना विषय के लिए आवश्यक है तो इन्हें घटा कर न्यूनतम किया जाए और उनके बारे में पूरी जानकारी न दिखाई जाए।

टेलीविजन और विज्ञापन : टी.वी. चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है।

मंत्रियों की समिति द्वारा स्त्रियों के सार्थक रूप से चित्रण पर निर्णय लिए जाने के बाद मंत्रालय ने तीन स्व-विनियमन संगठनों अर्थात् समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.), भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) को अपनी संहिताओं की समीक्षा करने एवं स्त्रियों को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किए जाने हेतु सतत मीडिया अभियान चलाने के लिए पत्र लिखा था।

- इसके उत्तर में एन.बी.ए. ने कहा है कि समाचार प्रसारक अपने-अपने समाचार चैनलों पर स्त्रियों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जिनमें स्त्रियों को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और देश में स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण में सुधार किया जाता है।
- आई.बी.एफ. ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रसारण विषयवस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) ने अपने सदस्य चैनलों को "टेलीविजन कार्यक्रमों में स्त्रियों के रूप में चित्रण संबंधी सलाह-पत्र" का कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश दिया है।

प्रिंट : भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' तैयार किए थे। मानदंड 17 में 'अश्लीलता एवं अभद्रता से परहेज किया जाए' के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।

डीजल वाहनों की मांग

4386. श्री अब्दुल रहमान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीजल वाहनों की मांग में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में डीजल के वाहनों की मांग भारी सब्सिडीयुक्त डीजल की उपलब्धता के कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में डीजल के वाहनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण डीजल के वाहनों के विनिर्माण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। डीजल पर सब्सिडी उन कारकों में से केवल एक है जो डीजल कारों को अधिक मितव्ययी बनाता है। अन्य कारक डीजल कारों की उच्च ईंधन क्षमता तथा टार्क तथा सड़क पर उन्नत वाहन नियंत्रण के रूप में बेहतर कार्य निष्पादन हैं।

डीजल वाहन अर्थव्यवस्था में, ईंधन की खपत में कमी लाने, देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करने, रोजगार एवं विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ङ) डीजल वाहनों के विनिर्माण को विशेष रूप से हतोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, अनेक कारणों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई एकीकृत व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने देश में विद्युत वाहनों के विनिर्माण और अंगीकरण में तेजी लाने के लिए एक सामान्य रूपरेखा उपलब्ध कराने हेतु नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 शुरू की है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 का मूलभूत उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना और डीजल सहित सभी गैसोलिन आधारित परिवहनों को हटाकर विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के माध्यम से पर्यावरण पर परिवहन के प्रभाव को कम करना है। पणधारकों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श तथा गहन अध्ययन के आधार पर सरकार ने इस पहल को एक मिशन मोड के रूप में शुरू करने का अनुमोदन किया है।

भूमिहीन लोग

4387. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश भर में भूमिहीन गरीबों को भूमि के वितरण की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप राज्य/संघ राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आदिवासी दलितों और जनजातीय लोगों से जबरन भूमि अधिग्रहण के मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भूमि वितरण की निगरानी की अनुमति दी गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) भूमि सुधार संबंधी एक करार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और 'जन सत्याग्रह' के बीच आगरा में 11 अक्तूबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। उक्त करार के अनुसार, इस विभाग ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी एक कार्यबल गठित किया है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में भूमि सुधार संबंधी कार्यबल के सदस्यों के साथ 26 नवम्बर, 2012 और 26 फरवरी, 2013 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं। उक्त बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भूमि सुधारों पर दो एडवाइजरी जारी की हैं। पहली एडवाइजरी में समुदाय आधारित अर्ध-कानूनी कार्यक्रम बनाकर गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के उपायों की सूची दी गई है। दूसरी एडवाइजरी गरीबों को भूमि की सुलभता से संबंधित उन विशिष्ट मुद्दों के बारे में है जिनका समाधान संबंधित राज्य के भीतर किए जाने की जरूरत है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बनाया है जो 01.01.2014 से लागू हो गया है। इस अधिनियम की धारा 41(3) में यह उपबंध है कि "अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन अथवा

हस्तांतरण के मामले में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अति तात्कालिकता के आधार पर अर्जन सहित भूमि अर्जन के किसी भी मामले में इन क्षेत्रों में इस अधिनियम अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम अथवा फिलहाल लागू किसी राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले उपयुक्त स्तर पर संबंधित ग्राम सभा अथवा पंचायत अथवा स्वायत्त जिला परिषद की पूर्व सहमति ली जाएगी:

''परन्तु पंचायत अथवा स्वायत्त जिला परिषद की सहमति उन मामलों में ली जाएगी जहां ग्राम सभा विद्यमान नहीं है अथवा गठित नहीं की गई है।"

(ङ) और (च) भूमि और इसका प्रबंधन राज्यों के एकमात्र विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसाकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। अत: भूमि वितरण की मानिटरिंग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

जल सुरक्षा प्रायोगिक परियोजनाएं

4388. श्रीमती अन्नू टंडन: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल सुरक्षा प्रायोगिक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहलों के भाग के रूप में प्राकृतिक जल स्रोतों और जल भर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2012 में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के 15 अति दोहित एवं गंभीर ब्लॉकों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा प्रायोगिक परियोजना में चार चरण शामिल हैं। प्रथम चरण तैयारी चरण, दूसरे चरण में क्षमता निर्माण, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण; जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी शामिल है, तीसरे चरण में धारणीयता योजनाओं के कार्यान्वयन को लागू करना और अंत में चौथे चरण में सुधार की मॉनीटरिंग शामिल है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि चरण-1 एवं चरण-2 के अंतर्गत लगभग सभी कार्यकलाप पूरे हो चुके हैं तथा चरण-3 में कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक इत्यादि के उपयोग हेतु जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशय, परंपरागत जल निकायों, वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल के कृत्रिम रूप से पुनर्भरण के माध्यम से जल संसाधन का संरक्षण शामिल है। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) और जल निकायों के मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

विद्युत कंपनियों को वित्तीय सहायता

4389. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संकटग्रस्त विद्युत कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्य डिस्कामों के घटते हुए प्रचालन निष्पादन और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कामों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक स्कीम तैयार एवं अनुमोदित की गई थी। परिवर्तनीय वित्तीय तंत्र के अंतर्गत, राज्य सरकार दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार डिस्काम की बकाया लघु अवधि देयताओं (एस.टी.एल.) के 50% भाग को अपने अधिकार में लेगी। राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियां जारी करके अधिकार में लिए जाने की तारीख तक ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में सहायता करेगी। शेष 50% लघु अवधि देयताओं का पुनर्निधारण मूलधन के पुनर्भुगतान पर स्थगन अवधि के साथ बेहतर संभव शर्तों पर देनदारों द्वारा किया जाएगा।

स्कीम में व्यावसायिक योजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु केन्द्रीय और राज्य स्तर पर समितियों द्वारा द्विस्तरीय निगरानी तंत्र शामिल है। केन्द्र सरकार आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत निर्दिष्ट हानि ट्राजेक्टरी से अधिक त्वरित ए.टी. एण्ड सी. हानि कमी के माध्यम से बचत की गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के बराबर और स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ली गई देयता पर राज्य सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान के 25% पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता के बराबर अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पी.एफ.सी.) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आर.ई.सी.), सी.पी.एस.ई. वित्तपोषित विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं ने एक साथ मिलकर 33.694 करोड़ रुपये की राशि के राज्य डिस्काम को ट्रांजिसनल ऋण वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आर.ई.सी. और पी.एफ.सी. ने एक साथ मिलकर 2612 करोड़ रुपये मूल्य के यू.पी.पी.सी.एल. ऋण पत्र भी सबस्क्राइब किए हैं।

इसके अतिरिक्त, पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. को विद्युत डिस्काम के सतत् आधार पर ए.टी. एंड सी. हानि के संबंध में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल देते हुए 51,577 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित दिनांक 31.7.2008 को अनुमोदन प्रदान किया था। भारत सरकार ने स्कीम के तहत अब तक राज्य विद्युत डिस्कामों को 7142.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

रेल परियोजनाओं का निष्पादन

4390. श्री अभिजीत मुखर्जी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लंबित परियोजनाओं अथवा प्रयोजन हेतु आधारशिला रखे जाने के बावजूद निष्पादन नहीं की गई परियोजनाओं का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरम्भ और पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सहित देश में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया है उन सभी परियोजनाओं का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू कर दिया गया है। ये परियोजनाएं नियोजन, अनुमान और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की इकाइयों की स्थिति

4391. श्री एम.बी. राजेश: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पालक्कड इकाई को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में संशोधित वेतन लागू करने का प्रस्ताव है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा से पलक्कड़ यूनिट को अलग करना भी एक विकल्प है जिस पर विचार किया गया है। कंपनी ने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पलक्कड़ यूनिट का सृजन करने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए एक टेंडर दिनांक 15.01.2014 को प्रकाशित किया।

(ग) और (घ) वेतन संशोधन, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों पर आधारित हैं और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की इकाइयों से अलग करने अथवा अन्यथा से संबद्ध नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

आई.ए.वाई. के अंतर्गत सहायता

4392. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन परिवारों जिनको आग दुर्घटनाओं के कारण क्षति होती है को उन्हें इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आग दुर्घटनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों को हुई क्षति की पूर्ति करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ङ) इंदिरा आवास योजना के दिनांक 01.04.2013 से लागू दिशानिर्देशों में आई.ए.वाई. के वार्षिक आबंटन का पांच प्रतिशत केंद्रीय स्तर पर आरक्षी निधियों के रूप में रखा जाता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस आरक्षी निधि का उपयोग करने के लिए आगे दर्शाए गए प्रयोजनों हेतु विशेष परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं :

(i) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों का पुनर्वास।

(ii) हिंसा और विधि-व्यवस्था संबंधी समस्याओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास।

(iii) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों का व्यवस्थापन।

(iv) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का व्यवस्थापन।

(v) किफायती और हरित प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर देते हुए नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन।

(vi) व्यवसाय संबंधी बीमारियों जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोज से प्रभावित लोगों, कीटनाशकों इत्यादि के अत्यधिक प्रयोग से प्रभावित लोगों या काला-आजार जैसी स्थानीय महामारी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।

(vii) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 से लाभान्वित परिवारों, आमतौर पर एफ.आर.ए. लाभार्थी कहे जाने वाले परिवारों का व्यवस्थापन।

(viii) अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों से विस्थापित होने को मजबूर लोगों का व्यवस्थापन।

अग्निकांड जैसी दुर्घटनाओं का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, तथापि ये दुर्घटनाएं भी आपदाओं की श्रेणी में आ सकती हैं।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों का व्यय

4393. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों द्वारा दिल्ली में अपने कार्यालयों के अनुरक्षण के लिए अत्यधिक किराए का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अपने कार्यालयों को चलाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे अत्यधिक व्यय को कम करने के लिए उनके कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से समीप के अन्य राज्यों में ले जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) द्वारा दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालयों के लिए दिए गए किराए के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) द्वारा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर (दिल्ली सहित) कार्यालय स्थल किराए पर लेने के संबंध में निर्णय उनके अपने बोर्डों द्वारा लिया जाता है।

आर.ओ.सी. द्वारा जांच

4394. श्री कीर्ति आजाद: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धारा 397 और 398 के अंतर्गत कोई आवेदन तभी मान्य है जब कुल सदस्य संख्या के 20 प्रतिशत सदस्य उस आवेदन को दायर करने के लिए लिखित में अपनी सहमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो धारा 25 के अंतर्गत लाभ के लिए नहीं कंपनियों सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास कंपनी लॉ बोर्ड को किसी आदेश के लिए आवेदन करने या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में ऐसे किसी आदेश के लिए कंपनी लॉ बोर्ड के पास आवेदन करने की शक्तियां हैं और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इसका कितनी बार उपयोग किया गया है तथा यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जांच के आदेश दिए गए हैं एवं क्या दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन को इसमें शामिल किया गया है;

(घ) क्या मंत्रालय ने डी.डी.सी.ए. के विरुद्ध कुप्रशासन, कुशासन तथा धनराशि के दुर्विनियोजन के विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए धारा 209क के अंतर्गत कोई जांच शुरू की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले एवं उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) व्यय डी.डी.सी.ए. सहित दोषी कंपनियों के मामले में आर.ओ.सी./सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करके इनका प्रशासन ले लिया है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 399 के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के निम्नलिखित सदस्य अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत कंपनी विधि बोर्ड में याचिका दायर कर सकते हैं :

(1) शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में कंपनी के न्यूनतम एक सौ सदस्य अथवा इसके सदस्यों की कुल संख्या का न्यूनतम दसवां भाग, जो भी कम हो अथवा कोई सदस्य जिसके पास कंपनी की जारी शेयर पूंजी का न्यूनतम दसवां हिस्सा हो, बशर्ते आवेदक अथवा आवेदकों ने अपने शेयरों पर देय सभी बकाया और अन्य राशियां अदा कर दी हों।

(2) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में, इसके सदस्यों की कुल संख्या का न्यूनतम पांचवां भाग।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी कंपनी का एक अथवा एकाधिक सदस्य।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष प्रति पक्षों द्वारा अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत 1196 याचिकाएं सीधे दायर की गईं जिसमें से 5 याचिकाएं धारा 25 कंपनियों से संबंधित थीं।

(ग) जी, हां। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 401 केन्द्र सरकार को ऐसी याचिकाएं दायर करने की शक्ति प्रदान करती है जबकि अधिनियम की धारा 399(4) केन्द्र सरकार को किसी कंपनी के सदस्य या सदस्यों को कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, और वर्तमान वर्ष में केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 401 के तहत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की है और 1 मामले में इस मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 399(4) के तहत प्राधिकार प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार किसी कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है

क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 और 237 के तहत ये शक्तियां केन्द्र सरकार में निहित हैं।

(घ) मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के निदेश कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशक (उत्तर क्षेत्र) ने कंपनी को लेखा परीक्षा समिति गठित करने की सलाह देते हुए उसकी कार्यकारी समिति के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और शासन संबंधी मुद्दों को मजबूत करने का मामला उठाया है। कतिपय प्रशासनिक मामले खेल मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का उल्लेख अपनी रिपोर्टों में नहीं करने के बारे में लेखा परीक्षकों से भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/केन्द्रीय सरकार को प्रशासक नियुक्त करके किसी कंपनी का प्रशासन अपने हाथ में लेने की शक्तियां नहीं हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

4395. श्री हरिभाऊ जावले:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार/वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र तथा राज्य का अंशदान कितना-कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में योजना-वार तथा राज्य-वार/वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सामाजिक सहायता के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) में शामिल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) और अन्नपूर्णा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होती हैं। एन.एस.ए.पी. की योजनाओं के लिए निधियों का आवंटन योजना आयोग करता है तथा इन निधियों को एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए संयुक्त रूप से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को वित्त मंत्रालय तथा संघ राज्य क्षेत्रों को गृह मंत्रालय रिलीज करते हैं। लाभार्थियों का निर्धारण, पेंशन राशि की स्वीकृति तथा वितरण जैसे कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें करती हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित छूट दी गई है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान (जनवरी, 2014 तक) महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आवंटित, रिलीज और खर्च की गई राशि का ब्यौरा (योजना-वार) दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एन.एस.ए.पी. योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निगरानी और उपयोग के लिए तंत्र स्थापित कर दिया है। इनमें से कुछ निगरानी तंत्र इस प्रकार हैं :

- निर्धारित प्रपत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से ग्रामीण विकास

मंत्रालय इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी करता है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें न दिए जाने पर यह माना जाता है कि प्रगति नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता रिलीज नहीं होती है। तिमाही में आयोजित की जाने वाली निष्पादन समीक्षा समिति (पी.आर.सी.) की बैठकों में सचिवों के साथ मंत्रालय इस कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा करता है।

- निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा और वार्षिक सत्यापन शुरू किए गए हैं। सभी राज्यों को हर वर्ष 30 जून तक वार्षिक सत्यापन तथा 30 सितंबर तक सामाजिक लेखा परीक्षा संपन्न करने होते हैं।

- राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एन.एल.एम.) को उनके क्षेत्रीय दौरों के समय एन.एस.ए.पी. की योजनाओं संबंधी जांच सूची उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक एन.एल.एम. को जिला, ब्लॉक और ग्राम-स्तरीय कार्यालयों का दौरा करके सरकारी कर्मियों, जन-प्रतिनिधियों तथा लाभार्थियों से मिलकर एन.एस.ए.पी. की योजनाओं के कार्यान्वयन के विषय में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने को कहा जाता है।

- जिला स्तर पर गठित सतर्कता और निगरानी समितियां जिन योजनाओं की समीक्षा करती हैं उनमें अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं सहित एन.एस.ए.पी. भी शामिल है। संसद सदस्य जिलों में गठित जिला स्तर की सतर्कता और निगरानी समितियों में भाग लेते हैं।

(ङ) व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डॉ. मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था। इस कार्यबल ने सामाजिक सहायता/सुरक्षा के विषय में विभिन्न वर्गों के मुद्दों, मांगों और सुझावों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन की कवरेज का विस्तार करने और पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिशें की गईं। इस कार्यबल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष: 2010-11 (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	कुल रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च					
					आई.जी. एन.ओ.ए. पी.एस.	आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी.एस.	आई.जी.एन. डी.पी.एस.	एन.एफ. बी.एस.	3 प्रतिशत प्रशासनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	39667	39667.00	39667	24995.7	7513.53	1596.79	772.5	806.37	35684.89
2.	बिहार	56002	56002.00	78374.32	58885.52	5407.61	166.2	2674.83	958.6	68092.76
3.	छत्तीसगढ़	17952	17952.00	20780.51	13863.16	2326.2	620.93	1194.3	485.18	18489.77
4.	गोवा	84	84.00	192.74	65.64	34.34	44.45	33.18	9	186.61
5.	गुजरात	5871	5871.00	9970.71	6900.44	1.33	49.42	777.45	0	7728.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	हरियाणा	5324	5324.00	5324	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	4850
7.	हिमाचल प्रदेश	2828	2828.00	2900.42	2225.48	174.77	4.49	249	19.31	2673.05
8.	जम्मू और कश्मीर	2564	2564.00	4248.3	2877.62	90.83	69.34	295.2		3332.99
9.	झारखण्ड	18166	18166.00	27230.01	21818.93	21818.93				
10.	कर्नाटक	32296	32296.00	34886.05	18910.25	7800	2160	2200		31070.25
11.	केरल	6615	6615.00	7370.27	4505	4505				
12.	मध्य प्रदेश	34686	34686.00	44040.94	26812.08	4100.31	3109.38	5062.76		39084.53
13.	महाराष्ट्र	28573	28573.00	73195.23	35183.87	35183.87				
14.	ओडिशा	37288	37288.00	49830.45	28518.86	7359.32	3015.21	1999.8	485.3	41378.49
15.	पंजाब	4845	4845.00	5278.71	3247.45	635.82	156.24	197.3		4236.81
16.	राजस्थान	14507	14507.00	18943.02	12446.96	1600.47	283.37	1931.88	577.26	16839.94
17.	तमिलनाडु	22876	22876.00	40673.4	31151.6	31151.6				
18.	उत्तर प्रदेश	110319	110319.00	121941.86	78646.76	6278.63	1302.12	10000		96227.51
19.	उत्तराखण्ड	4562	4562.00	6383.11	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	5234.05
20.	पश्चिम बंगाल	39407	39407.00	49796.87	26539.3	7726.08	389.57	2099.17	431.48	37185.6
	पूर्वोत्तर राज्य									
21.	अरूणाचल प्रदेश	285	285.00	562.37	461.95	461.95				
22.	असम	16787	16787.00	18227	8685.51	एन.आर.	एन.आर.	2563.9	468.59	11718
23.	मणिपुर	1126	1126.00	2213	1826.02	112.2	32.18	167	75	2212.4
24.	मेघालय	1664	1664.00	1664	1447.73	1447.73				
25.	मिजोरम	750	750.00	750	705.03	705.03				
26.	नागालैंड	1164	1164.00	1479.33	1164	1164				
27.	सिक्किम	422	422.00	472.85	224.12	3.91	2189	0	0	230.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	त्रिपुरा	4370	4370.00	4096.94	3129.15	245.64	17.66	171.65	150	3714.1
	उप योग	**511000**	**511000.00**	**670493.41**	**415238.13**	**51410.99**	**13020.24**	**32389.92**	**4466.09**	**526609.42**
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	75	75.00	75	75	75				
30.	चंडीगढ़	145	145.00	145	145	145				
31.	दादरा और नगर हवेली	215	215.00	215	215	215				
32.	दमन और दीव	17	17.00	17	17	17				
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3998	3998.00	3998	6027	1000	398			7425
34.	लक्षद्वीप	11	11.00	11	11	11				
35.	पुदुचेरी	739	739.00	739	739	739				
	उप योग	**5200**	**5200.00**	**5200**	**7229**	**1000**	**398**	**0**	**0**	**8627.00**
	कुल	516200	516200.00	675693.41	422467.13	52410.99	13418.24	32389.92	4466.09	535236.42

*अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान रिलीज
एन.आर.: असूचित

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष: 2011-12

(लाख रुपये में)

					खर्च					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आवंटन	कुल रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	आई.जी. एन.ओ.ए. पी.एस.	आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी.एस.	आई.जी.एन. डी.पी.एस.	एन.एफ. बी.एस.	3 प्रतिशत प्रशासनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	40949.02	40949.02	44931.13	51471.47					51471.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बिहार	97147.75	97147.75	107429.31	62623.79	7454.02	324.28	3943.22	840.48	75185.79
3.	छत्तीसगढ़	23506.54	23506.54	25797.28	15947.54	2625.39	740.89	1047.10	157.28	20518.20
4.	गोवा	129.0	129.0	342.10	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00
5.	गुजरात	8998.00	8998.00	11240.07	7842.11	20.82	133.26	348.47		8344.66
6.	हरियाणा	6929.82	6929.82	7403.82	7404.00					7404.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2934.39	2934.39	3161.76	2396.14	259.41	4.88	128.70	6.56	2795.69
8.	जम्मू और कश्मीर	2372.00	2372.00	3287.31	3280.21	3280.21				
9.	झारखण्ड	27728.08	27728.08	33139.16	18093.59	3076.30	407.18	936.90	320.00	22833.97
10.	कर्नाटक	39782.87	39782.87	42666.57	37448.64	37448.64				
11.	केरल	8594.37	8594.37	11459.64	6727.90			1991.10		8719.00
12.	मध्य प्रदेश	53973.36	53973.36	58929.77	42857.02	42857.02				
13.	महाराष्ट्र	20505.99	20505.99	58658.97	29567.18	29567.18				
14.	ओडिशा	51086.43	51086.43	53630.75	36453.06	36453.06				
15.	पंजाब	4414.00	4414.00	5455.90	3914.76	315.72	83.45	51.90		4365.83
16.	राजस्थान	25538.44	25538.44	27641.52	23035.38	23035.38				
17.	तमिलनाडु	31909.00	31909.00	41430.80	39267.64	39267.64				
18.	उत्तर प्रदेश	131679.43	131679.43	157393.78	18741.96	108741.96				
19.	उत्तराखण्ड	7578.09	7578.09	8727.15	6296.04	264.23	51.95	190.80		6803.02
20.	पश्चिम बंगाल	47504.93	47504.93	60116.21	43034.23	12234.53	631.66	2510.65		58411.07
	पूर्वोत्तर राज्य									
21.	अरूणाचल प्रदेश	504.12	504.12	604.54	604.54	604.54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	असम	11207.50	11207.50	16876.26	14715.97	873.04	180.82	900.28	205.60	16875.71
23.	मणिपुर	1893.93	1893.93	1893.93	1374.00	1374.00				
24.	मेघालय	1486.49	1486.49	1702.76	1278.47	111.58	23.97	78.40		1492.42
25.	मिजोरम	792.78	792.78	837.75	837.30	837.30				
26.	नागालैंड	1027.72	1027.72	1343.05	1122.72	47.06	30.62	72.00	43.27	1315.67
27.	सिक्किम	455.53	455.53	456.15	370.85	370.85				
28.	त्रिपुरा	3978.37	3978.37	4556.19	3202.08	252.42	47.38	190.00	125.00	3816.88
	उपयोग	**654607.95**	**654607.95**	**791113.63**	**569908.59**	**27534.52**	**2660.34**	**12389.52**	**1698.19**	**614191.16**
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00				
30.	चंडीगढ़	158.00	158.00	158.00	167.79	167.79				
31.	दादरा और नगर हवेली	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00				
32.	दमन और दीव	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00				
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3709.00	3709.00	3709.00	3709.00	3709.00				
34.	लक्षद्वीप	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00				
35.	पुदुचेरी	682.00	682.00	682.00	682.00	682.00				
	उप योग	**5039.00**	**5039.00**	**5039.00**	**5048.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5048.79**
	कुल	659646.95	659646.95	796152.63	574957.38	27534.52	2660.34	12389.52	1698.19	619239.95

*अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान रिलीज

एन.आर.: असूचित

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष: 2012-13 (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आवंटन	कुल रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च					
					आई.जी. एन.ओ.ए. पी.एस.	आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी.एस.	आई.जी.एन. डी.पी.एस.	एन.एफ. बी.एस.	3 प्रतिशत प्रशासनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	67563.36	67563.36	67563.36	41333.91	13410.66	7168.28	2900.00	782.88	65595.73
2.	बिहार	101216.67	101216.67	133460.19	51809.43	8530.80	417.78	4042.00		64799.29
3.	छत्तीसगढ़	23072.95	23072.95	28352.03	17570.35	2752.54	804.46	1191.10	117.14	22435.59
4.	गोवा	292.00	292.00	634.10	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	35.20	एन.आर.	42.02
5.	गुजरात	13246.21	13246.21	16141.62	9512.48	50.76	115.49	493.60	एन.आर.	10172.33
6.	हरियाणा	7505.39	7505.39	7505.39	3518.00	1353.00	504.00	205.00	0.00	5580.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3098.36	3098.36	3464.43	2943.56	304.72	12.06	209.90	130.00	3600.24
8.	जम्मू और कश्मीर	4308.89	2821.15	2828.25	2828.24	2828.24				
9.	झारखण्ड	18215.64	18215.64	28148.34	23354.87	23354.87				
10.	कर्नाटक	45649.44	45649.44	50867.37	31426.41	10802.76	1460.89	3700.00		47390.06
11.	केरल	9164.00	9164.00	20623.64	13684.02			622.00	1117.31	15423.33
12.	मध्य प्रदेश	54351.43	54351.43	70424.18	51028.79		51028.79			
13.	महाराष्ट्र	43866.00	43866.00	75367.54	29353.42	29353.42				
14.	ओडिशा	74305.32	74305.32	75275.80	60742.32	6414.52	2992.22	3016.00	476.00	73641.06
15.	पंजाब	5783.11	5783.11	6873.18	3286.71	152.79	46.34	21.30	0.00	3507.14
16.	राजस्थान	25513.08	25513.08	30119.22	18999.28	3157.47	573.78	1605.26	440.74	24776.49
17.	तमिलनाडु	57350.39	57350.39	59513.55	23637.25	11037.85	1286.14	2483.00	106.30	38550.54
18.	उत्तर प्रदेश	163952.23	111027.03	159678.85	98244.13		103.73	11365.30		109609.43
19.	उत्तराखण्ड	7904.87	7904.87	9829.00	7161.30	402.49	1384.82	260.30	0.00	7927.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	पश्चिम बंगाल	78165.1	78165.1	79870.00	44510.20	22185.64		3378.74	0.00	71459.40
	पूर्वोत्तर राज्य									
21.	अरूणाचल प्रदेश	1138.98	1138.98	1138.98	594.62	594.62				
22.	असम	22504.42	22504.42	22504.97	6746.88	819.24	168.54	1047.10		8781.76
23.	मणिपुर	1697.50	1044.22	1564.15	1517.85	1517.85				
24.	मेघालय	1062.00	1062.00	2764.76	813.98	127.34	25.14	102.60	0.00	1069.06
25.	मिजोरम	867.57	867.57	868.02	551.52	16.04	9.79			577.35
26.	नागालैंड	1677.27	1048.52	1048.52	921.37	31.38	20.42	31.20	44.14	1048.51
27.	सिक्किम	236.00	236.00	321.30	520.10	14.06	15.50	12.60		562.26
28.	त्रिपुरा	4491.91	4491.91	5443.87	4808.14	224.51	67.22	177.80	125.00	5402.67
	उपयोग	838200.00	782505.03	962194.61	551419.09	81787.85	17176.60	36900.00	3339.51	690629.87
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	230.69	174.00	174.00	10.29	10.29				
30.	चंडीगढ़	189.61	190.00	190.00	93.50	69.84	2041	5		170.75
31.	दादरा और नगर हवेली	272.14	204.0	204.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00
32.	दमन और दीव	43.44	33.00	33.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00
33.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	4860.31	4455.00	4455.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00
34.	लक्षद्वीप	27.44	21.00	21.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.00
35.	पुदुचेरी	873.00	873.00	1321.00	436.00	436.00				
	उपयोग	6496.62	5950.00	3698.00	539.79	69.84	2.41	5.00	0.00	617.04
	कुल	844696.61	788455.03	968592.61	551958.88	81857.69	17179.01	36905.00	3339.51	691246.91

* अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान रिलीज

एन.आर.: असूचित

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

वर्ष: 2013-14 (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आवंटन	कुल रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च						
					आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.	आई.जी.एन.डी.पी.एस.	एन.एफ.बी.एस.	अन्नपूर्णा	3 प्रतिशत प्रशासनिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	62495.43	46872.00	46872.34	33420.24	14644.96	10171.06	526.50	587.16		59349.92
2.	बिहार	132391.73	99294.00	200046.88	68279.08	11799.51	767.53	4357.22	एन.आर.		85203.34
3.	छत्तीसगढ़	28551.35	21414.00	27330.44	12483.27	2804.33	900.61	715.10	52.08		16955.39
4.	गोवा	274.21	0.00	140.38	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	2.85	एन.आर.		2.85
5.	गुजरात	18143.76	13608.00	19577.29	5425.92	82.17	99.27	214.50	एन.आर.		5821.86
6.	हरियाणा	7796.01	5847.00	7772.39	31.66	12.18	4.53	3.28	एन.आर.		9549.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3323.01	2493.00	2493.00	2454.35	565.57	13.25	230.50	7.62		3271.29
8.	जम्मू और कश्मीर	3888.20	2916.0	2916.01	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
9.	झारखण्ड	29198.87	21900.00	26693.47	11077.9	6280.08	424.75	629.60			18411.52
10.	कर्नाटक	53350.01	40014.00	42069.61	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
11.	केरल	13986.50	10491.00	11246.27	9095.85	एन.आर.	एन.आर.	128.59	एन.आर.		9224.44
12.	मध्य प्रदेश	74453.83	55839.00	66418.51	22191.11	7168.88	2276.72	1541.31	0		33178.0
13.	महाराष्ट्र	72258.14	0.00	46013.88	15853.23	430.04	115.80	1222.78	0.00	907.59	18529.44
14.	ओडिशा	71294.94	53472.00	69661.96	31971.18	14271.39	1633.57	3846.57	390.0		52112.71
15.	पंजाब	6739.34	5055.00	6452.66	44.47	14.58	2.56	एन.आर.	एन.आर.		61.61
16.	राजस्थान	31275.40	23457.00	28799.73	19140.12	3383.15	658.36	1681.91	213.11		25076.65
17.	तमिलनाडु	58519.36	43890.00	49871.21	19804.94	13178.02	1611.39	1967.00	58.25		36619.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उत्तर प्रदेश	157951.23	118464.00	155719.16	48691.70	117.62	1170.00	7462.00	एन.आर.		57441.32
19.	उत्तराखण्ड	9957.35	7467.00	9368.16	4765.63	269.90	87.10	279.30	एन.आर.		5401.93
20.	पश्चिम बंगाल	83156.12	62367.00	70777.60	38901.73	17843.60	1123.27	999.07	547.00		59414.67
	पूर्वोत्तर राज्य										
21.	अरूणाचल प्रदेश	1057.28	792.00	792.59	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
22.	असम	21584.02	16188.00	26089.46	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	450.30	450.30
23.	मणिपुर	2371.73	1779.00	1825.30	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
24.	मेघालय	1889.26	1416.00	1416.00	1047.14	58.15	एन.आर.	65.70	68.30		1239.29
25.	मिजोरम	803.72	603.00	603.00	443.12	28.87	11.12	एन.आर.	17.00		500.11
26.	नागालैंड	1534.80	1152.00	1152.00	614.24	66.96	22.97	30.00	25.04	5.00	764.21
27.	सिक्किम	573.51	429.00	429.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
28.	त्रिपुरा	5352.17	4013.00	4013.00	3404.18	276.00	71.90	120.00	95.25	38.00	4013.00
	उपयोग	954171.28	661232.20	926561.50	349140.25	93295.96	21165.76	26023.78	2060.81	1400.89	497592.47
	संघ राज्य क्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	246.99		195.18	14.03	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		3
30.	चंडीगढ़	201.96	150.49	169.74	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	292.29		204.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
32.	दमन और दीव	50.34		33.0			1075.79				1075.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5458.53	4094.63	8549.63	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
34.	लक्षद्वीप	30.68		21.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.		0.00
35.	पुदुचेरी	998.71	499.68	1384.68			750.00				750.00
	उपयोग	7279.50	4744.80	10557.23	1839.82	0.00	0.0	0.00	0.00		1839.82
	कुल	961450.78	665977.00	937118.73	350980.07	93295.96	21165.76	26023.78	2060.81	1406.63	499432.29

*अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि के दौरान रिलीज

एन.आर.: असूचित

छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता

4396. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विद्यमान छात्रवृत्ति योजनाओं की कमियों तथा खामियों की पहचान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मुद्दों पर गौर करने के लिए कोई विशेषज्ञ पैनल गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं है। केवल वास्तविक लक्ष्य आबंटित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई वास्तविक निधि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में क्रियान्वित की जाएंगी। मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे डाल दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/प्रयुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना								मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना								मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.01.2014 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.01.2014 तक)		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (31.01.2014 तक)	
		आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त	आवंटित निधि	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश		42.85		26.88		47.91		62.39		35.24		17.28		16.65		11.68		3.39		3.09		4.58		2.97
2.	अरूणाचल प्रदेश		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम		8.37		21.25		37.64		28.64		5.6		4.46		12.06		19.17		5.39		4.94		6.52		6.49
4.	बिहार		34.12		29.01		0.00		0.00		15.96		25.49		7.90		0.00		9.46		4.98		12.01		17.86
5.	छत्तीसगढ़	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	1.31	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	2.93	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	4.33	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	4.87	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	1.03	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	1.57	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	2.30	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.91	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.39	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.43	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.57	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.91
6.	गोवा		0.04		0.00		0.00		0.05		0.21		0.07		0.61		0.00		0.20		0.23		0.07		0.26
7.	गुजरात		0.00		0.00		0.00		37.87		4.47		7.78		11.19		9.68		2.02		2.26		4.90		3.90
8.	हरियाणा		2.41		2.03		3.15		0.00		1.48		1.48		0.00		0.29		0.83		1.03		2.06		2.01
9.	हिमाचल प्रदेश		0.19		0.52		0.58		0.70		0.21		0.20		0.31		0.06		0.09		0.12		0.25		0.30
10.	जम्मू और कश्मीर		12.93		31.44		28.25		0.00		5.24		14.15		6.10		8.13		3.62		4.75		7.94		5.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11.	झारखंड		9.13		10.53		8.76		9.53		6.15		10.05		5.86		6.51		2.54		2.70		3.41		3.08
12.	कर्नाटक		33.16		49.05		42.89		43.40		12.35		24.85		18.07		24.86		5.30		5.99		9.43		8.80
13.	केरल		42.69		52.77		71.58		67.01		9.98		21.69		.27.13		21.68		11.85		13.12		24.20		40.11
14.	मध्य प्रदेश		6.89		17.93		16.84		10.85		3.31		6.17		6.95		6.94		2.10		2.27		4.60		3.59
15.	महाराष्ट्र		40.98		54.72		58.73		56.49		20.09		31.06		26.20		24.48		5.49		9.27		12.20		18.43
16.	मणिपुर		0.00		1.19		11.09		2.25				0.00		2.82		4.94		0.68		0.77		0.98		1.16
17.	मेघालय		1.63		2.44		2.76		0.00		0.19		0.19		0.19		0.00		0.66		0.95		1.25		1.57
18.	मिजोरम	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	2.25	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	2.49	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	9.76	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	23.00	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	2.81	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	3.43	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	4.32	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	1.52	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.49	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.39	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.23	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.35
19.	नागालैंड		0.51		2.07		4.00		0.00		0.05		0.04		0.07		0.19		1.57		1.22		2.11		1.77
20.	ओडिशा		1.39		2.00		3.97		3.04		1.03		0.00		1.23		2.42		0.53		0.68		1.24		1.75
21.	पंजाब		25.66		29.23		51.92		70.44		14.83		39.42		43.55		24.76		7.12		8.65		13.34		19.12
22.	राजस्थान		10.85		10.14		22.56		31.66		4.66		12.77		15.35		13.28		2023		3.26		6.73		4.61
23.	सिक्किम		0.40		0.61		0.73		0.71		0.31		0.40		0.40		0.21		0.49		0.24		0.31		0.00
24.	तमिलनाडु		28.17		32.28		36.30		40.68		10.67		17.68		21.14		30.19		5.57		6.33		8.05		11.95
25.	त्रिपुरा		0.12		0.10		0.42		0.74		0.17		0.12		0.44		0.42		0.21		0.18		0.35		0.45
26.	उत्तर प्रदेश		65.27		48.11		204.25		259.35		46.42		74.81		36.72		122.57		17.97		16.17		29.14		43.83
27.	उत्तराखंड		0.23		0.43		20.95		0.00		0.08		0.19		1.64		0.00		0.35		0.67		1.00		0.92
28.	पश्चिम बंगाल		76.53		82.98		111.87		169.36		25.77		46.87		56.95		68.38		17.14		14.84		22.28		17.22
29.	अंडमान और		0.01		0.03		0.05		0.05		0.01		0.00		0.01		0.00		0.04		0.04		0.01		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	निकोबार द्वीप समूह																								
30.	चंडीगढ़	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.00	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.51	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.50	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.75	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.09	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.06	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.18	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.07	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.16	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.12	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.11	राज्य-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं।	0.13
31.	दादरा और नगर हवेली		0.04		0.06		0.05		0.04		0.02		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
32.	दमन और दीव		0.03		0.07		0.15		0.14		0.02		0.03		0.05		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00
33.	दिल्ली		3.03		1.35		2.21		0.08		0.38		0.56		0.17		0.41		0.80		0.99		1.26		0.84
34.	लक्षद्वीप		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35.	पुदुचेरी		0.03		0.30		0.00		0.14		0.13		0.10		0.00		0.12		0.05		0.05		0.07		0.09
	योग	450.00	446.25	600.00	615.47	900.00	786.19	950.00	919.23	265.00	228.96	450.00	362.99	500.00	326.55	548.00	403.85	135.00	108.76	140.00	115.72	220.00	181.21	270.00	220.02

हिमालय की नदियां

4397. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत को आश्वस्त किया था कि वह चीन की ओर हिमालय के ऊपरी भाग से होकर भारत की ओर बहने वाली हिमालय पार नदियों के जल संसाधन की रक्षा और उसके युक्तियुक्त उपयोग को सुनिश्चित करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अक्टूबर, 2013 में माननीय प्रधान मंत्री के चीन के दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच सीमा पार नदियों के संबंध में सहयोग को सुदृढ़ करना, मौजूदा विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के माध्यम से सहयोग, बाढ़ मौसम जल विज्ञानीय आंकड़ा और आपात प्रबंधन का प्रावधान करना तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के संबंध में सहमति हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत और चीन ने 2008 में बाढ़ मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 केन्द्रों नामत: नुगेशा, यांगकुन और नुक्सिया के संबंध में जल विज्ञानीय सूचना प्रदान करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे 2013 में नवीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त 2005 में सतलुज नदी पर एक केन्द्र नामत: त्सादा के संबंध में बाढ़ मौसम के दौरान चीन द्वारा भारत को उसी तरह के आंकड़े देने हेतु एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था और इसे 2002 में नवीकृत किया गया था। अक्टूबर, 2013 में माननीय प्रधान मंत्री के चीन दौरे के दौरान दोनों सरकारों ने सीमा-पार नदियों पर सहयोग को सुदृढ़ करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया था। चीनी पक्ष से प्राप्त जल विज्ञानीय सूचना का उपयोग भारतीय क्षेत्र के अनुप्रवाह वाले क्षेत्रों में सलाहकारी पूर्वानुमान जारी करने हेतु किया जाता है।

भारत सरकार, ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रही सभी विकास क्रियाकलाप की निगरानी करती है। निचला तटवर्ती राज्य होने के नाते भारत ने उच्चतम स्तर सहित, चीनी प्राधिकारियों को अपने विचार और चिंताएं सूचित कर दी हैं। भारत ने चीन को यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है कि प्रति प्रवाह वाले क्षेत्रों में किए गए किसी क्रियाकलाप के द्वारा अनुप्रवाह वाले राज्यों के हितों पर विपरीत असर न पड़े।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण सुविधा

4398. श्री दत्ता मेघे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जहां वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) क्या सरकार का अन्य विश्वविद्यालयों में भी वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी विश्वविद्यालय को अनुमोदित नहीं किया है।

वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नही है।

नागर विमानन अपेक्षा, अनुभाग-7, शृंखला 'घ', भाग-I के अनुसार डी.जी.सी.ए. द्वारा उड़ान प्रशिक्षण संगठन को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

देश में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण देने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 48 उड़ान प्रशिक्षण संगठन हैं। उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफ.टी.ओ.) की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 12.02.2014 के अनुसार उड़ान प्रशिक्षण संगठन का ब्यौरा

1	2	3
1.	सरस्वती एविएशन अकादमी	संचालित है।
2.	बनस्थली विद्यापीठ	संचालित है।
3.	एच.ए.एल. रोटिरी विंग अकादमी (हेलीकॉप्टर)	संचालित है।
4.	आंध्र प्रदेश एविएशन अकादमी	संचालित है।
5.	राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड	संचालित है।
6.	अमृतसर एविएशन क्लब	संचालित है।
7.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हिसार	संचालित है।
8.	मद्रास फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	संचालित है।
9.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, पिंजौर	संचालित है।
10.	पटियाला फ्लाइंग क्लब	संचालित है।
11.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	संचालित है।
12.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड	संचालित है।
13.	पायनियर एविएशन अकादमी	संचालित है।
14.	चाइम्स एविएशन अकादमी	संचालित है।
15.	कार्बर एविएशन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	संचालित है।
16.	राजकीय विमानन प्रशिक्षण विद्यालय, जाकुर	संचालित है।
17.	एशिया पैसिफिक फ्लाइंग अकादमी	संचालित है।
18.	सदर्न फ्लाइट प्रशिक्षण अकादमी	संचालित है।
19.	शा-शिब फ्लाइंग अकादमी	संचालित है।
20.	अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	संचालित है।
21.	ब्लू-रे एविएशन अकादमी	संचालित है।
22.	एस.वी.के.एम.एस. एन.एम.आई.एम.एस. विमानन अकादमी विश्वविद्यालय	संचालित है।
23.	अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	संचालित है।
24.	बिहार फ्लाइंग क्लब	संचालित है।
25.	विंग्स एविएशन अकादमी	संचालित है।
26.	ट्रांस भारत एविएशन	संचालित है।
27.	नागपुर फ्लाइंग क्लब	संचालित है।
28.	इंटरनेशनल एविएशन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	संचालित है।
29.	बॉम्बे फ्लाइंग क्लब	संचालित है।
30.	गर्ग एविएशन अकादमी	संचालित है।
31.	ओरियंट फ्लाइट अकादमी	संचालित है।
32.	फ्लाइटेक एविएशन अकादमी	संचालित है।
33.	अंबर एविएशन अकादमी	संचालित है।
34.	एम्बीशन्स फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड	संचालित है।
35.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल	संचालित है।
36.	गुजरात फ्लाइंग क्लब	संचालित है।
37.	सेंटोर एविएशन अकादमी	संचालित है।

1	2	3
38.	फाल्कन एविएशन	संचालित है।
39.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	संचालित है।
40.	राजकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर	संचालित है।
41.	राजीव गांधी विमानन अकादमी	संचालित है।
1.	असम फ्लाइंग क्लब	संचालित नहीं है।
2.	बिर्मी फ्लाइंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	संचालित नहीं है।
3.	चेतक एविएशन अकादमी	संचालित नहीं है।
4.	लुधियाना एविएशन क्लब	संचालित नहीं है।
5.	पायलट प्रशिक्षण विद्यालय	संचालित नहीं है।
6.	रेनबो एविएशन अकादमी	संचालित नहीं है।
7.	राजस्थान फ्लाइंग स्कूल	संचालित नहीं है।

कियोस्क का आवंटन

4399. श्री यशवंत लागुरी:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर कियोस्कों के आवंटन के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों सहित वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कियोस्को के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए कियोस्क मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) नई खानपान नीति, 2010 के अनुसार, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर सामान्य लघु स्थैतिक खानपान इकाइयों का 75% आबंटन मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.), जिसके अंतर्गत पात्रता मानदंड आदि निर्धारित किए गए हैं, के दिशानिर्देशों पर आधारित खुली, प्रतिस्पर्धात्मक, दो पैकेट निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जबकि ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर शेष 25% का आबंटन विशेष लघु इकाइयों (आरक्षित कोटियां) और डी, ई और एफ श्रेणी पर सभी स्थैतिक लघु इकाइयों का आबंटन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रेस अधिसूचना के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आबंटन के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाना, चेतावनी देना आदि जैसी दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

डी.जी.सी.ए. और ए.ए.आई. में रिक्तियां

4400. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री पी. कुमार:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी एयरलाइनों के आगमन के पूर्व जब देश में सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का प्रभुत्व था, तब नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.बी.ए.एस.) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के अधिकारियों और कर्मचारियों की संगठन-वार संख्या कितनी थी;

(ख) इन संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्तमान संस्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या का संगठन और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है तथा इन संगठनों में रिक्तियों को भरने में देरी के क्या कारण हैं जो मुख्य रूप से नागर विमानन क्षेत्र के प्रबंध तथा विमानों और यात्रियों की सुरक्षा

सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास के मद्देनजर इन संगठनों के कर्मचारियों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नागर विमानन प्राधिकरण (सी.ए.ए.) और नागर विमानन सुरक्षा बल (सी.एस.एफ.) द्वारा कब तक क्रमश: डी.जी.सी.ए. और बी.सी.ए.एस. का स्थान लिए जाने का प्रस्ताव है और इन नए संगठनों के लिए मुख्यालय के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई-श्रेणी वाले रेलवे स्टेशनों के लिए बुकिंग क्लर्क

4401. श्रीमती मेनका संजय गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ई' श्रेणी के तहत रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है और ऐसे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री के संबंध में विद्यमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या रेलवे का 'ई' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग क्लर्कों की नियुक्ति का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) ऐसे रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग क्लर्कों की कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) वर्ष 2011-12 के लिए यात्री आय पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 'ई' श्रेणी के स्टेशनों की संख्या 4158 है। फिलहाल, 'ई' श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/बुकिंग क्लर्कों के माध्यम से टिकटें बेची जा रही हैं।

(ख) से (घ) स्टेशन प्रबंधकों/सहायक स्टेशन प्रबंधकों को गाड़ी संचालन पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और टिकट पाने के लिए यात्रियों को सुविधा भी देने की दृष्टि से, पायलट परियोजना के रूप में केवल एक वर्ष के लिए 'ई' श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग सेवकों (एस.टी.बी.एस.) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन टिकट बुकिंग सेवकों (एस.टी.बी.एस.) को 'ई' श्रेणी के पहचाने गए उन स्टेशनों पर नियुक्त किया जाएगा जहां पर कोई भी उम्मीदवार स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक (एस.टी.बी.एस.) के रूप में उपयुक्त नहीं पाया जाता हो और यदि संबंधित रेलवे इस प्रकार के स्टेशनों पर टिकट एजेंटों की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस करती हो।

निधियों का उपयोग

4402. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे वार्षिक बजट में आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग में सक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि के उपयोग नहीं होने से अत्यधिक देरी हुई है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा घोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रतिशत में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निधियों के ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। सकल बजटीय सहायता के भाग के रूप में आबंटित निधि को सामान्यत: आवंटन राशि से बिना किसी बड़े अधिक्य के खर्च किया गया है। बहरहाल, आंतरिक सृजन से आवंटित की गई धनराशि में से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक

वर्ष कम खर्च हुआ है क्योंकि आय में गिरावट आने के कारण आंतरिक सृजन की मात्रा प्रभावित हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं में योजना निवेश के लिए निधि के उपयोग की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वर्ष	सकल बजटीय सहायता			आंतरिक संसाधन		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2010-11	15875	17298	18385	13700	11448	11527
2011-12	20000	20000	20013	13260	8494	8934
2012-13	24000	24265	24132	18050	9950	9531
2013-14	26000	27000	21615 (जन. 14 तक)	14260	9417	9069 (जन. 14 तक)

चूंकि वर्ष के दौरान योजना के लिए आंतरिक संसाधन कम हुए हैं, योजना व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर रखने के लिए इसे विनियमित किया जा सकता था।

(ग) जी नहीं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यत: अपर्याप्त सकल बजटीय सहायता के कारण प्रभावित हुआ है। कुछ परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण मामलों, वन और पर्यावरण संबंधी क्लीयेरेंस, ठेकेदारों की विफलता आदि के कारण प्रभावित हुई है।

(घ) वे सभी परियोजनाएं, जो पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित की गई हैं और जिनकी अपेक्षित क्लीयेरेंस प्राप्त हो गई है, शुरू हो गए हैं।

(ङ) वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना निवेश के लिए उपलब्ध निधि का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है और चल स्टॉफ के अधिग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्यों, नई लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण आदि की निरंतर निगरानी की जाती है। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके और महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजनाओं को वरीयताबद्ध भी किया गया है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की विद्युत परियोजना

4403. श्री शिवकुमार उदासी:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्माण की गई/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी स्थापित क्षमताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक जल विद्युत परियोजना द्वारा कितनी विद्युत सृजित की जा रही है और स्थापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के उनकी स्थापित क्षमता के अनुरूप विद्युत सृजन की कुशलता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कर्नाटक सहित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की प्रत्येक विद्युत परियोजना की स्थापना पर कुल कितना व्यय हुआ और आज की तिथि पर इन विद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक का परियोजना-वार ह्रासित अंकित मूल्य क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किन शर्तों के अंतर्गत किया गया और इस संबंध में भूमि देने वालों को भुगतान किए गए मुआवजे का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए सुधार/आधुनिकीकरण और इस प्रयोजन के लिए आवंटित और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र को आवंटित 40,000 मेगावाट की सम्मिलित क्षमता वाली विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इस देरी के क्या कारण हो?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं (एच.ई.पी.) और उनकी संस्थापित क्षमता के उनकी उत्पादन क्षमता सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी संस्थापित क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) एन.एच.पी.सी. की प्रत्येक विद्युत परियोजना (विद्युत स्टेशन/निर्माणाधीन परियोजनाएं) की स्थापना पर किए गए मुख्य कार्य और 31-12-2013 की स्थिति के अनुसार इन विद्युत स्टेशनों की अवमल्यित बुक वैल्यू के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) एन.एच.पी.सी. में, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न श्रेणी की भूमि अर्थात् वन, सरकारी तथा निजी अधिग्रहीत की गई है। निजी भूमि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एल.ए.ए.) के उपबंधों के अनुरूप अधिगृहीत की जाती है। वन भूमि के लिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति प्राप्त की जाती है। शर्त के अनुसार, वन भूमि की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। कुछ मामलों जो कि जम्मू एवं कश्मीर में, भूमि राज्य के नियमों के अनुरूप पट्टे पर भी ली जाती है। इस निजी भूमि के लिए मुआवजे की दर का निर्णय/अनुमोदन भूमि के वर्गीकरण के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मुआवजे का मूल्य भूमि की किस्म (सिंचित/असिंचित/कृषि फार्म संबंधी/बागवानी संबंधी) पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, कुल मूल्य की 30% राज्य द्वारा यथानिर्णीत राशि के मुआवजे का भुगतान भी किया जाता है। परियोजना प्रभावित लोगों को निजी भूमि के लिए मुआवजे के अंतर्गत आर्थिक लाभ राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संवितरित किया जाता है।

(ङ) देश में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से आउटपुट में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन यूटिलिटियां विद्यमान पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं कार्यकाल विस्तार (आर.एम.यू. एंड एल.ई.) कार्य शुरू करती है, जो कुशलता में सुधार करने और बेहतर उपलब्धता कार्यकाल विस्तार कार्यों के मामले में प्रचालन काल बढ़ाने और उन्नयन कार्यों के मामले में क्षमता अभिवृद्धि के लिए एक किफायती आधार है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्ण/कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत और किए गए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(च) वर्ष 2002-03 से सी.ई.ए. द्वारा निजी क्षेत्र में 14680 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 20 एच.ई.पी. की डी.पी.आर. के लिए सहमति दी गई है और इनकी सांविधिक स्वीकृति/सहमति विभिन्न चरणों में है जिसके कारण निर्णय में विलंब हो रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2013-14 के दौरान देश में जल विद्युत स्टेशन (संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक) की संस्थापित क्षमता और कुल उत्पादन में योगदान

	स्टेशनों के नाम	31.01.2014 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2013-14* में कुल उत्पादन में योगदान (30 जनवरी, 2014 तक) (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
केंद्रीय			
बी.बी.एम.बी.			
1.	भाखड़ा एल. एण्ड आर. (हिमाचल प्रदेश)	1325.00	5425.34
2.	गंगुवाल (पंजाब)	77.65	440.00
3.	कोटला (पंजाब)	77.65	415.24
4.	देहर (हिमाचल प्रदेश)	990.00	2887.24
5.	पौंग (हिमाचल प्रदेश)	396.00	1494.23
	कुल बी.बी.एम.बी.	2866.30	10662.05
एन.एच.पी.सी.			
1.	बैरा स्यूल (हिमाचल प्रदेश)	198.00	526.66

1	2	3	4
2.	सलाल-I एण्ड II (जम्मू व कश्मीर)	690.00	2886.42
3.	टनकपुर (उत्तराखण्ड)	94.20	382.70
4.	चमेरा-I (हिमाचल प्रदेश)	540.00	2078.81
5.	चमेरा-II (हिमाचल प्रदेश)	300.00	1289.57
6.	चमेरा-III (हिमाचल प्रदेश)	231.00	889.07
7.	उरी (जम्मू व कश्मीर)	480.00	2102.26
8.	उरी-II (जम्मू व कश्मीर)	180.00	211.12
9.	धौलीगंगा (उत्तराखण्ड)	280.00	282.31
10.	दुलहस्ती (जम्मू व कश्मीर)	390.00	1987.80
11.	सेवा-II (जम्मू व कश्मीर)	120.00	382.76
12.	चुटक (जम्मू व कश्मीर)	44.00	28.09
13.	निम्मो बाजगो (जम्मू व कश्मीर)	45.00	32.13
	कुल एन.एच.पी.सी.	**3592.20**	**13079.70**
एस.जे.वी.एन.एल.			
1.	नाथपा झाकरी (हिमाचल प्रदेश)	1500.00	6779.41
टी.एच.डी.सी.			
1.	टेहरी (उत्तराखण्ड)	1000.00	3625.52
2.	कोटेश्वर (उत्तराखण्ड)	400.00	1344.56
	कुल टी.एच.डी.सी.	**1400.00**	**4970.08**
कुल केंद्रीय		**9358.50**	**35491.24**
हिमाचल प्रदेश			
एच.पी.एस.ई.बी.एल.			
1.	गिरी बाटा	60.00	192.71
2.	बस्सी	60.00	202.44
3.	संजय	120.00	504.49
4.	लारजी	126.00	548.31
	कुल एच.पी.एस.ई.बी.एल.	**366.00**	**1447.95**
मलाना पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.पी.सी.एल.)			
1.	मलाना	86.00	311.21
जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जे.पी.वी.एल.)			
1.	बसपा-II	300-00	1288-65
2.	करचम वांगटू	1000.00	4438.98
	कुल जे.पी.वी.एल. (एच.पी.)	**1300.00**	**5727.63**
अलैन दुहांगन हाइड्रो पावर लि. (प्रा.)			
1.	अलैन दुहांगन (प्रा.)	192.00	678.83
लैंको ग्रीन पावर लि.			
1.	बुधील (प्रा.)	70.00	236.87
एवरेस्ट पावर प्रा. लि.			
1.	मलाना-II (प्रा.)	100.00	337.07
	एच.पी. कुल	**2114.00**	**8739.56**
जम्मू और कश्मीर			
जे.के.एस.पी.डी.सी.			
1.	लोअर झेलम	105.00	429.81
2.	अपर सिंध-II	105.00	263.73
3.	बगलिहार	450.00	2513.69
	कुल जे.के.एस.पी.डी.सी.	**660.00**	**3207.23**

1	2	3	4
राजस्थान			
आर.आर.वी.यू.एन.एल.			
1.	आर.पी. सागर	172.00	407.13
2.	जवाहर सागर	99.00	252.25
3.	माही बजाज-I एण्ड II	140.00	181.15
	कुल आर.आर.वी.यू.एन.एल.	**411.00**	**840.53**
पंजाब			
पी.एस.पी.सी.एल.			
1.	शानन	110.00	314.29
2.	मुकेरियां-I-IV	207.00	996.37
3.	ए.पी. साहिब I एण्ड II	134.00	629.38
4.	रंजीत सागर (थीन डैम)	600.00	1447.50
	कुल पी.एस.पी.सी.एल.	**1051.00**	**3387.54**
उत्तर प्रदेश			
यू.पी.जे.वी.एन.एल.			
1.	रिहंद	300.00	431.44
2.	ओबरा	99.00	176.47
3.	माताटीला	30.60	98.50
4.	खारा	72.00	362.33
	कुल यू.पी.जे.वी.एन.एल.	**501.60**	**1068.74**
उत्तराखंड			
यू.जे.वी.एन.एल.			
1.	खटीमा	41.40	101.67
2.	रामगंगा	198.00	205.25
3.	धकरानी (वाई. स्टे. I)	33.75	1749.34
4.	धालीपुर (वाई. स्टे. I)	51.00	222.52
5.	कुलहाल (वाई. स्टे. IV)	30.00	154.51
6.	चीब्रो (वाई. स्टे. II)	240.00	840.75
7.	चिल्ला	144.00	696.35
8.	खोदरी (वाई. स्टे. II)	120.00	383.82
9.	मनेरी भाली-I	90.00	345.22
10.	मरेरी भाली-II	304.00	784.79
	कुल यू.जे.वी.एन.एल.	**1252.15**	**3884.22**
जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जे.पी.वी.एल.)			
1.	विष्णुप्रयाग	400.00	437.90
	कुल उत्तराखण्ड	**1652.15**	**4322.12**
	कुल उत्तरी क्षेत्र	**15748.25**	**57056.96**
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात			
एस.एस.एन.एन.एल.			
1.	सरदार सरोवर सी.एच.पी.एच.	250.00	567.09
2.	सरदार सरोवर आर.बी.पी.एच.	1200.00	4543.00
	कुल एस.एस.एन.एन.एल.	**1450.00**	**5150.09**
जी.एस.ई.सी.एल.			
1.	उकाई	300.00	704.65
2.	कडाना पी.एस.एस.	240.0	391.91

1	2	3	4
	कुल जी.एस.ई.सी.एल.	**540.00**	**1096.56**
	कुल गुजरात	**1990.00**	**6246.65**
मध्य प्रदेश			
केंद्रीय/कॉमन			
एन.एच.डी.सी.			
1.	इंदिरा सागर	1000.00	3600.65
2.	ओंकारेश्वर	520.00	1413.23
	कुल एन.एच.डी.सी.	**1520.00**	**5013.88**
एम.पी.पी.जी.सी.एल.			
1.	गांधी सागर	115.00	336.72
2.	पेंच	160.00	376.46
3.	बारगी	90.00	447.27
4.	माधीखेड़ा	60.00	119.71
5.	बाणसागर टोंस-I	315.00	1374.40
6.	बाणसागर टोंस-II	30.00	144.09
7.	बाणसागर टोंस-III	60.00	100.59
8.	राजघाट	45.00	53.33
	कुल एम.पी.पी.जी.सी.एल.	**875.00**	**2952.57**
	कुल मध्य प्रदेश	**2395.00**	**7966.45**
छत्तीसगढ़			
सी.एस.पी.जी.सी			
1.	हसदेव बांगो	120.00	236.50
	कुल सी.एस.पी.जी.सी.	**120.00**	**236.50**
महाराष्ट्र			
महाजेनको			
1.	कोयना स्टे. I एण्ड II	600.00	1072.22
2.	कोयना स्टे. III	320.00	598.28
3.	कोयना IV	1000.00	1389.20
4.	कोयना डी.पी.एच.	36.00	131.67
5.	वैतरना	60.00	115.72
6.	तिल्लारी	60.00	93.31
7.	भीरा टेल रेस	80.00	85.32
8.	घाटघर पी.एस.एस.	250.00	299.71
	कुल महाजेनको	**2406.00**	**3785.43**
डोडसों-लिंडब्लम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डी.एल.एच.पी.)			
1.	भंडारधारा-II	34.00	68.70
	कुल डी.एल.एच.पी.	**34.00**	**68.70**
टाटा हाइड्रो			
1.	भीरा	150.00	340.49
2.	भीरा पी.एस.एस.	150.00	517.35
3.	भीवपुरी	75.00	239.78
4.	खोपोली	72.00	281.31
	कुल टाटा	**447.00**	**1378.93**
	कुल महाराष्ट्र	**2887.00**	**5233.06**

1	2	3	4
	कुल पश्चिमी	**7392.00**	**19682.66**
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश			
ए.पी.जेनको			
1.	मचकुंड	114.75	484.15
2.	टी.बी. डैम एण्ड हंपी	72.00	149.38
3.	अपर सिलेरू I एण्ड II	240.00	360.86
4.	लोअर सिलेरू	460.00	1057.98
5.	एन.जे. सागर पी.एस.एस.	815.00	1155.87
6.	एन.जे. सागर आर.बी.सी.	90.00	246.25
7.	एन.जे. सागर एल.बी.सी.	60.00	98.32
8.	श्रीसैलम आर.बी.	770.00	1056.86
9.	पोचमपाड	27.00	62.05
10.	श्रीसैलम एल.बी.	900.00	1307.13
11.	प्रियदर्शनी	234.00	271.23
	कुल ए.पी.जेनको	**3783.35**	**6250.08**
	कुल आंध्र प्रदेश	**3783.35**	**6250.08**
कर्नाटक			
के.पी.सी.एल.			
1.	शरावती	1035.00	4432.15
2.	कालीनदी	855.00	1939.68
3.	सुपा डी.पी.एच.	100.00	342.63
4.	भद्रा	39.20	47.29
5.	लिंगनामक्की	55.00	217.97
6.	वराही	460.00	1044.11
7.	घाटप्रभा	32.00	78.09
8.	कद्रा	150.00	304.22
9.	कोडासली	120.00	259.45
10.	जेरूसोप्पा	240.00	510.36
11.	अलमाटी डैम	290.00	489.91
12.	जोग	139.20	201.52
13.	शिवसमुद्रम	42.00	199.49
14.	मुनीराबाद	28.00	95.34
	कुल के.पी.सी.एल.	**3585.40**	**10162.21**
	कुल कर्नाटक	**3585.40**	**10162.21**
केरल			
के.एस.ई.बी.			
1.	इडुक्की	780.00	2254.35
2.	सबरीगिरी	300.00	1373.82
3.	कुटीयादी	125.00	767.69
4.	कुटीयादी एडिश, एक्स्टें.	100.00	
5.	शोलायर	54.00	175.57
6.	सेंगुलाम	48.00	122.47
7.	नारीमंगलम	70.00	334.63

1	2	3	4
8.	पल्लीवसल	37.50	181.01
9.	पोरिगलकुटू	32.00	114.64
10.	पन्नियार	30.00	149.66
11.	इदमलयार	75.00	319.70
12.	लोअर पेरियार	180.00	569.69
13.	कक्कड	50.00	210.43
	कुल के.एस.ई.बी.	**1881.50**	**6573.66**
	कुल केरल	**1881.50**	**6573.66**
तमिलनाडु			
टैनजेडको			
1.	पइकारा	59.20	53.74
2.	मोयर	36.00	126.40
3.	कुंडा I-V	555.00	1267.16
4.	पारसंस वैली	30.00	37.89
5.	सुरूलियार	35.00	91.94
6.	अलियार	60.00	136.60
7.	मेटूर डैम एण्ड टनल	250.00	456.05
8.	लोअर मेटूर I-IV	120.00	238.27
9.	पेरियार	140.00	463.20
10.	पापनसम	32.00	125.65
11.	सरकारपथी	30.00	102.81
12.	शोलायर I एण्ड II	95.00	245.12
13.	कोडयार I एण्ड II	100.00	103.14
14.	कादमपराई पी.एस.एस.	400.00	394.10
15.	पाइकारा अल्टीमेट	150.00	343.61
16.	भवानी कट्टलई बैराज-I	30.00	56.67
17.	भवानी कट्टलई बैराज-II	30.00	74.55
18.	भवानी कट्टलई बैराज-III	30.00	25.04
	कुल टैनजेडको	**2182.20**	**4341.94**
	कुल दक्षिणी	**11432.45**	**27327.89**
पूर्वी क्षेत्र			
झारखण्ड			
जे.एस.ई.बी.			
1.	सुबर्नरेखा I एण्ड II	130.00	108.89
	कुल झारखण्ड	**130.00**	**108.89**
डी.वी.सी.			
1.	मैथन (पश्चिम बंगाल)	63.20	78.69
2.	पंचेट (झारखंड)	80.00	115.66
	कुल डी.वी.सी.	**143.20**	**194.35**
ओडिशा			
ओ.एच.पी.सी.			
1.	बालीमेला	510.00	1553.34
2.	हिराकुड I एण्ड II	347.50	937.47
3.	रेंगाली	250.0	861.41
4.	अपर कोलाब	320.00	750.63
5.	अपर इंद्रावती	600.00	2050.28

1	2	3	4
	कुल ओ.एच.पी.सी.	**2027.50**	**6153.13**
पश्चिम बंगाल			
डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.			
1.	जलढाका-I	27.00	143.07
2.	रमाम II	50.00	247.94
3.	पुरूलिया पी.एस.एस.	900.00	568.35
	कुल डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.	**977.00**	**959.36**
एन.एच.पी.सी.			
1.	तीस्ता लो डैम-III	132.00	186.95
	कुल एन.एच.पी.सी.डब्ल्यू.बी.	**132.00**	**186.95**
	कुल पश्चिम बंगाल	**1109.00**	**1146.31**
सिक्किम			
एन.एच.पी.सी.			
1.	रंगित	60.00	329.67
2.	तीस्ता-V	510.00	2219.23
	कुल एन.एच.पी.सी. (सिक्किम)	**570.00**	**2548.90**
निजी क्षेत्र			
गति इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.			
1.	चुजाचेन	99.00	275.24
	कुल पूर्वी	**4078.70**	**10426.81**
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
असम			
ए.पी.जी.सी.एल.			
1.	करबी लांगपी	100.00	394.05
मेघालय			
एम.ई.ई.सी.एल			
1.	किरदेमकुलाई	60.00	125.99
2.	उमीयम स्टे. I	36.0	66.79
3.	उमीयम स्टे. IV	60.00	167.44
4.	मिंटडू	126.00	405.87
	कुल एम.ई.ई.सी.एल.	**282.00**	**768.09**
नीपको			
1.	खनडोंग (असम)	50.00	175.42
2.	कोपिली (असम)	225.00	789.34
3.	दोयांग (नागालैंड)	75.00	235.50
4.	रंगानदी (अरूणाचल प्रदेश)	405.00	908.36
	कुल नीपको	**755.00**	**2108.62**
एन.एच.पी.सी.			
1.	लोकटक (मणिपुर)	105.00	580.50
कुल केंद्रीय		**860.00**	**2689.12**
कुल पूर्वोत्तर		**1242.00**	**3851.26**
कुल अखिल भारतीय		**39893.40**	**118345.58**
भूटान से आयात			**5528.56**
कुल अखिल भारत		**39893.40**	**123874.14**

*अनंतिम

विवरण-II

31.01.2014 की स्थिति के अनुसार देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

क्र.सं.	योजना का नाम	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता/ (सं. × मेगावाट)	निर्माणाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	लोअर जुराला	राज्य	6×40	240.00	2013-16
2.	नागार्जुन सागर टी.आर.	राज्य	2×25	50.00	2014-15
3.	पुलीचिंताला	राज्य	4×30	120.00	2015-17
		उप-जोड़ आंध्र प्रदेश		**410.00**	
	अरूणाचल प्रदेश				
4.	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4×150	600.00	2016-17
5.	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2×55	110.00	2015-16
6.	सुबंसिरी लोअर (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	8×250	2000.00	2016-18
		उप-जोड़: अरूणाचल प्रदेश		**2710.00**	
	हिमाचल प्रदेश				
7.	कोल डैम (एन.टी.पीस)	केंद्रीय	4×200	800.00	2015-16
8.	पार्वती चरण II (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	4×200	800.00	2016-17
9.	पार्वती-III (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	4×130	520.00	2013-15
10.	रामपुर (एस.जे.वी.एन.एल.)	केंद्रीय	6×68.67	412.00	2013-15
11.	उहल-III	राज्य	3×33.33	100.00	2015-16
12.	स्वारा कुड्डु	राज्य	3×37	111.00	2015-16
13.	सैंज	राज्य	2×50	100.00	2015-16
14.	शोंगटोंग करछम	राज्य	3×150	450.00	2017-18
15.	कशांग-I	राज्य	1×65	65.00	2015-16

1	2	3	4	5	6
16.	कशांग-II, III	राज्य	2×65	130.00	2015-16
17.	बजोली होली	निजी	3×60	180.00	2017-18
18.	सोरांग	निजी	2×50	100.00	2013-14
19.	टांगू रोमई	निजी	2×22	44.00	2015-16
20.	टीडोंग-I	निजी	100.00	100.00	2016-17
21.	चंजू-I	निजी	3×12	36.00	2017-18
		उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश		**3948.00**	
	जम्मू और कश्मीर				
22.	बगलीहार II	राज्य	3×150	450.00	2016-17
23.	किशनगंगा (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	3×110	330.00	2016-17
24.	रत्ले	निजी	4×205+1×30	850.00	2017-18
25.	उरी-II (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	4×60	60.00	2013-14
		उप-जोड़: जम्मू और कश्मीर		**1690.00**	
	केरल				
26.	पल्लीवसल	राज्य	2×30	60.00	2015-16
27.	थोट्टीयार	राज्य	1×30+1×10	40.00	2015-16
		उप-जोड़: केरल		**100.00**	
	मध्य प्रदेश				
28.	महेश्वर	निजी	10×40	400.00	2015-16
		उप-जोड़: मध्य प्रदेश		**400.00**	
	महाराष्ट्र				
29.	कोयना लेफ्ट बैंक	राज्य	2×40	80.00	2017-18
		उप-जोड़: महाराष्ट्र		**80.00**	

1	2	3	4	5	6
	मेघालय				
30.	नई उमतरू	राज्य	2×20	40.00	2014-15
		उप-जोड़: मेघालय		**40.00**	
	मिजोरम				
31.	तुरियल	केंद्रीय	2×30	60.00	2016-17
		उप-जोड़: मिजोरम		**60.00**	
	पंजाब				
32.	शाहपुरकंडी	राज्य	3×33+3×33+1×8	206.00	2017-18
		उप-जोड़: पंजाब		**206.00**	
	सिक्किम				
33.	भस्मे	निजी	3×17	51.00	2015-16
34.	डिक्चू	निजी	3×32	96.00	2017-18
35.	जोरथांग लूप	निजी	2×48	96.00	2014-15
36.	रंगित-IV	निजी	3×40	120.00	2016-17
37.	रंगित-II	निजी	2×33	66.00	2017-18
38.	रोंगनीचू	निजी	2×48	96.00	2017-18
39.	ताशिडिंग	निजी	2×48.5	97.00	2017-18
40.	तीस्ता III	निजी	6×200	1200.00	2014-16
41.	तीस्ता VI	निजी	4×125	500.00	2015-16
		उप-जोड़: सिक्किम		**2322.00**	
	उत्तराखण्ड				
42.	लता तपोवन (एन.टी.पी.सी.)	केंद्रीय	3×57	171.00	2017-18
43.	फाटा ब्योंग	निजी	2×38	76.00	2015-16

1	2	3	4	5	6
44.	श्रीनगर	निजी	4×82.5	330.00	2015-16
45.	सिंगोली भटवारी	निजी	3×33	99.00	2015-16
46.	तपोवन विष्णुगाड (एन.टी.पी.सी.)	केंद्रीय	4×130	520.00	2016-17
47.	टेहरी पी.एस.एस. (टी.एच.डी.सी.)	केंद्रीय	4×250	1000.00	2017-18
		उप-जोड़: उत्तराखण्ड		**2196.00**	
	पश्चिम बंगाल				
48.	तीस्ता लो डैम-IV (एन.एच.पी.सी.)	केंद्रीय	4×40	160.00	2015-16
		उप-जोड़: पश्चिम बंगाल		**160.00**	
	कुल :			14322.00	

विवरण-III

(रुपए करोड़ में)

विद्युत स्टेशनों पर किया गया कुल व्यय एवं ह्रास खाता मूल्य

	राज्य	सकल ब्लॉक 31.12.2013 के अनुसार	ह्रास मूल्य 31.12.2013 के अनुसार
1	2	3	4
सलाल	जम्मू और कश्मीर	981.21	413.1
उरी-I	जम्मू और कश्मीर	3501.1	1936.42
दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर	5234.04	3659.9
सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	1089.1	894.77
उरी-II	जम्मू और कश्मीर	2034.78	2012.24
निम्मो बाजगो	जम्मू और कश्मीर	943.69	933.05
चूटक	जम्मू और कश्मीर	833.27	788.88

1	2	3	4
बैरा स्यूल	हिमाचल प्रदेश	209.51	63.9
चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	2178.83	1050.62
चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	2093.49	1285.11
चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	1955.12	1801.5
लोकटक	मणिपुर	172.33	52.46
टनकपुर	उत्तराखण्ड	420.5	214.85
धौलीगंगा-I	उत्तराखण्ड	1770.37	1185.41
रंगित	सिक्किम	510.14	299.6
तीस्ता-V	सिक्किम	2885.78	2103.84
टी.एल.डी.पी.-III	पश्चिम बंगाल	1853.66	1784.43
	उप-जोड़	28666.92	20480.08
निर्माणाधीन परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय			
किशनगंगा	जम्मू और कश्मीर		3055.34
पारबती-II	हिमाचल प्रदेश		4332.28
पारबती-III	हिमाचल प्रदेश		2347.05
सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल व असम		6577.53
टी.एल.डी.पी.-IV	पश्चिम बंगाल		1437.68
	उप-जोड़		17749.88
सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय			
बुरसुर	जम्मू और कश्मीर		148.11
सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश		44.78
दिबांग	अरुणाचल प्रदेश		145.46
तवांग	अरुणाचल प्रदेश		125.24

1	2	3	4
कोटलीभेल 1ए	उत्तराखण्ड		141.34
कोटलीभेल 1बी व II	उत्तराखण्ड		90.35
डी.एच.एल. इंटरमीडिएट	उत्तराखण्ड		12.98
तीस्ता-IV	सिक्किम		76.59
	उप-जोड़		784.85

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई/कार्यान्वयनाधीन हाइड्रो आर.एम. एण्ड यू. स्कीमों की राज्य-वार सूची

31.12.2013 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना, एजेंसी	सी.एस./एस. एस.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (अनंतिम)	वास्तविक खर्च	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी	पूरा होने का वर्ष
				(रुपए करोड़ में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्ण स्कीमें								
हिमाचल प्रदेश								
1.	देहार फेज ए बी.बी.एम.बी.	CS	6×165	11.00	6.936		आर. एण्ड एम.	2010-11
कर्नाटक								
2.	लिंग्नामक्की, के.पी.सी.एल.	एस.एस.	2×27.5	3.81	2.62		आर. एण्ड. एम.	2010-11
महाराष्ट्र								
3.	कोयना स्टे.III, एम.एस.पी.जी.सी.एल.	एस.एस.	4×80	16.65	5.79	320 (एल.ई.)	आर.एम. एण्ड एल.ई.	2011-12
मणिपुर								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	लोकटक, एन.एच.पी.सी.	सी.एस.	3×30 क्षमता घटाई गई	18.55	17.88	15.00 (रेस.)	आर. एण्ड एम + रेस.	2011-12
मेघालय								
5.	उमियम स्टे. II, एम.ई.एस.ई.बी.	एस.एस.	2×9	90.46	55.67	2(यू)+18.00 (एल.ई.)	आर.एम. एण्ड एल.ई.	2011-12
ओडिशा								
6.	रेंगाली यूनिट-1, ओ.एच.पी.सी.	एस.एस.	1×50	47.50	36.76	50 (एल.ई.)	आर.एम. एण्ड एल.ई.	2012-13
7.	रेंगाली यूनिट-2, ओ.एच.पी.सी.	एस.एस.	1×50	25.2	20.73	50 (एल.ई.)	आर. एण्ड एम.	2013-14
आंध्र प्रदेश								
8.	नागार्जुन सागर, एपजैंको	एस.एस.	1×110+ 7×100.8	33.35	13.90	-	आर. एण्ड एम.	2012-13
9.	अदमलायर, के.एस.ई.बी.	एस.एस.	2×37.5	14.50	13.22	-	आर. एण्ड एम.	2012-13
10.	लोअर सिलेरू, एपजैंको	एस.एस.	4×115	8.75	6.77	-	आर. एण्ड एम.	2013-14
	उप-जोड़ (क)		**2923.60**	**269.77**	**180.28**	**455 [2(यू)+438 (एल.ई.)+15(रेस.)]**		
चालू स्कीमें- निष्पादनाधीन								
हिमाचल प्रदेश								
11.	बस्सी, एच.पी. एस.ई.बी.	एस.एस.	4×16.5	119.83	155.33 (31.07.13 के अनुसार)	6.0(यू)+60(एल.ई.)	आर.एम.यू. एण्ड एल.ई.	2013-14
जम्मू और कश्मीर								
12.	सुबल सिंध, जे. एण्ड के.एस.पी.डी.सी.	एस.एस.	1×11.3	45.92	25.14 (30.09.13 के अनुसार)	-	आर. एण्ड एम.	2013-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	लोअर झेलम, जे. एण्ड के.एस.पी.डी.सी.	एस.एस.	3×35	126.41	83.65 (30.09.13 के अनुसार)	15.00 (रेस.)	आर. एण्ड एम. + रेस.	2013-14
आंध्र प्रदेश								
14.	श्रीसेलम आर.बी., एपीजैंको	एस.एस.	7×110	16.70	6.74 (30.09.13 के अनुसार)	–	आर. एण्ड एम.	2013-14
कर्नाटक								
15.	सूपा, के.पी.सी.एल.	एस.एस.	2×50	3.45	3.88 (31.03.13 के अनुसार)	–	आर. एण्ड एम.	2013-14
केरल								
16.	सबिरीगिरी, के. एस.ई.बी. यूनिट-4	एस.एस.	1×60	52.2	49.79 (30.06.13 के अनुसार)	5(यू.आर.)	आर.एम.यू. एण्ड एल.ई.	2013-14
असम								
17.	कोपिली, नीपको	सी.एस.	2×50	50.22	29.19 (31.03.13 के अनुसार)	–	आर. एण्ड एम. और यूनिट 1 व 2 का नवीकरण	2013-14
	उप-जोड़ (ख)		**1223.60**	**414.73**	**353.72**	**86 [11 (यू) + 60 (एल.ई.) + 15 (रेस.)]**		
	कुल (क+ख)		4147.20	684.50	534	541 [13 (यू) + 498 (एल.ई.) + 15 (रेस.)]		

बुकिंग क्लर्कों द्वारा अधिक किराया लिया जाना

4404. श्री अब्दुल रहमान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को टिकट/पार्सल बुकिंग कर्मचारियों द्वारा उनके द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया लिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के

दौरान प्रकाश में आई ऐसी घटनाओं का जोन/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) बुकिंग/पार्सल क्लर्कों द्वारा अधिक वसूली की शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जोन/रेलवे	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जनवरी 2014 तक)
1.	मध्य	31	10	07	12
2.	पूर्व	कुछ नहीं	11	11	15
3.	पूर्व मध्य	08	07	08	02
4.	पूर्व तट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	02	कुछ नहीं
5.	उत्तर	16	05	07	07
6.	उत्तर मध्य	कुछ नहीं	10	05	01
7.	पूर्वोत्तर	कुछ नहीं	06	05	04
8.	पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	उत्तर पश्चिम	05	06	05	कुछ नहीं
10.	दक्षिण	कुछ नहीं	11	03	04
11.	दक्षिण मध्य	कुछ नहीं	06	10	14
12.	दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	07	04	01	कुछ नहीं
14.	दक्षिण पश्चिम	01	02	02	02
15.	पश्चिम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16.	पश्चिम मध्य	03	कुछ नहीं	03	01
17.	मेट्रो	05	09	कुछ नहीं	03
	कुल	76	87	69	65

(ग) जहां आरोपों की पुष्टि हो जाती है संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अधिक प्रभारों को वसूल करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवधिक निरीक्षण और औचक जांचें की जाती हैं। भारतीय रेल ने बहुत से स्थानों पर स्मार्ट-कार्ड आधारित अनारक्षित टिकट प्रणाली की भी शुरुआत की है। पार्सल प्रबंधन प्रणाली (चरण 1) के माध्यम से पार्सल कारोबार के कम्प्यूटरीकरण को गाड़ियों पर लोड किए गए प्रत्येक पार्सल के वजन और बुकिंग करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है ताकि ग्राहक पार्सल मूल्यांकन बिल के माध्यम से रेलवे को सही पार्सल दर से भुगतान कर सके।

निर्माणाधीन बांध

4405. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
डॉ. रत्ना डेः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में राज्य-वार बांधों की संख्या कितनी है और उन बांधों का ब्यौरा क्या है जिनका न्यून उपयोग हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) निर्माणाधीन बांधों, प्रस्तावित निर्माण समय-सीमा और इन बांधों की भंडारण क्षमता का बांध-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इस बजट में अनुमानित निधि तथा अब तक खर्च हुई राशि का बांध-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि में आवंटित राशि को नहीं खर्च करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर दिनांक 31-12-2013 की स्थिति के अनुसार देश भर में प्रत्येक राज्य में पूरे हो चुके बांधों की कुल संख्या 4842 है, इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनमें से अधिकतर बांधों का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है। उपयोगिता सहित बांधों का कार्यान्वयन, अनुरक्षण एवं प्रचालन बांध स्वामियों के पास है। राज्य सरकारें जलाशय संचयन के इष्टतम उपयोग के लिए अपने बांधों की प्रचालन तालिका तैयार करती हैं।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, सभी जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों में से किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों को बांध/जलाशयों के घटक वाली परियोजनाओं के निर्माण सहित चल रही परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान किए गए व्यय, संचयन क्षमता और बांध/बैराज के घटक वाली सिंचाई परियोजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ए.आई.बी.पी. के तहत सहायता प्रदान की जाती है, के समझौता ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा यथाप्रस्तावित संभावित पूरे होने का वर्ष संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) खर्च न होने वाले आवंटनों के कारण मामले के अनुसार विभिन्न कारक हो सकते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, न्यायालय मामले, प्रशासनिक कारण, अप्रत्याशित घटना इत्यादि।

विवरण-I

उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में उपलब्ध राज्य-वार बड़े बांध

(दिनांक 31.12.2013 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पूर्ण किए गए कुल बांध
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	291
4.	असम	1

1	2	3
5.	बिहार	24
6.	छत्तीसगढ़	243
7.	गोवा	5
8.	गुजरात	621
9.	हिमाचल प्रदेश	13
10.	हरियाणा	1
11.	जम्मू और कश्मीर	12
12.	झारखण्ड	49
13.	कर्नाटक	230
14.	केरल	58
15.	मध्य प्रदेश	899
16.	महाराष्ट्र	1693
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	5
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैण्ड	1
21.	ओडिशा	198
22.	पंजाब	14
23.	राजस्थान	201
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	116
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	115
28.	उत्तराखण्ड	13
29.	पश्चिम बंगाल	28
	सकल योग	4842

*संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.)

टिप्पणी : एन.आर.एल.डी. के लिए राज्य/बांध स्वामी से प्राप्त सूचना के अनुसार

विवरण-II

सिंचाई परियोजनाएं जिनके घटक बांध/बैराज हैं

(वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि तक हुआ कुल व्यय)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	एम.सी.एम. में सक्रिय भंडारण	वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक हुआ कुल व्यय	समझौता ज्ञापन के अनुसार पूर्ण होने में लगने वाला संभावित वर्ष
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	नीलवाई	18.101	35.370	2013-14

1	2	3	4	5
2.	पलेमवागू	32	94.785	2013-14
3.	मुसुरुमिल्ली	40.414	140.440	2012-13
4.	इन्दिरा सागर (पोलावरम)	2129	2375.100	2014-15
	बिहार			
1.	दुर्गावती	257.7	222.720	2013-14
2.	बताने	59.18	31.706	2013-14
	छत्तीसगढ़			
1.	केलो परियोजना	47	243.490	2013-14
	झारखण्ड			
1.	सोनुआ	31.32	12.215	2012-13
2.	सुरांगी	5.23	8.971	2012-13
3.	ऊपरी संख	239.87	37.916	2012-13
4.	पंचखेड़ो	5.99	28.443	2012-13
5.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय	2524	200.190	2014-15
	कर्नाटक			
1.	ऊपरी कृष्णा चरण I (चरण-III)	868	557.590	2017-18
	मध्य प्रदेश			
1.	बाणसागर (इकाई II)	3180	769.550	2013-14
2.	सिंध चरण II	828	547.170	2014-15
3.	माही	135	223.040	2012-13
4.	बावनथाड़ी	192	156.624	2013-14
5.	ऊपरी बेदा	76.24	116.693	2013-14

1	2	3	4	5
6.	निचली गोई	112.24	197.881	2014-15
7.	सागर (सागड़)	78.9	80.180	2013-14
8.	सिंहपुर	22	0.000	2014-15
9.	संजय सागर (बाह)	76.52	57.430	2013-14
महाराष्ट्र				
1.	गोसीखुर्द (एन.पी.)	376.59	3631.930	2013-14
2.	ऊपरी मनार (डब्ल्यू)	68.09	169.831	2013-14
3.	ऊपरी पेनगंगा	965	421.720	2014-15
	बावनथाड़ी (आई.एस.)	192	308.850	2013-14
4.	निचली दुधना (डब्ल्यू)	142	497.850	2014-15
5.	निचली वर्धा (डब्ल्यू)	216.87	719.610	2014-15
6.	उत्तरमांड	23.5	22.890	2013-14
7.	तराली	165.64	282.320	2014-15
8.	धोम बालकवाड़ी	112.13	233.440	2014-15
9.	अर्जुन	52.08	264.313	2013-14
10.	निचली पेधी	51.1	229.840	2012-13
11.	निचला पंजारा	36.99	95.130	2013-14
12.	अरुणा	92.02	135.448	2013-14
13.	नरादावे (महम्मदवाड़ी)	119.16	121.050	2013-14
14.	गदनाड़ी	65.02	225.540	2014-15
15.	कुडाली	38.16	50.680	2012-13
16.	नन्दूर मधमेश्वर चरण- II	289	91.000	2014-15
मणिपुर				
1.	खुगा	59.2	103.760	2012-13

1	2	3	4	5
2.	थौबल	124.5	448.720	2014-15
ओडिशा				
1.	सुबर्णरेखा	520	1373.510	2016-17
2.	निचली इन्द्रा (के.बी.के.)	314.25	726.682	2013-14
3.	निचली सुकटेल (के.बी.के.)	263.43	235.200	2016-17
4.	तेलेनगिरि (के.बी.के.)	68.23	115.926	2014-15
5.	रेत सिंचाई (के.बी.के.)	59.64	78.394	2014-15
6.	कानपुर	268.97	681.391	2014-15
7.	छेलीगाड़ा बांध	43.26	74.360	2016-17
उत्तर प्रदेश				
1.	कचनौड़ा बांध	54.64	258.700	2012-13
2.	अर्जुन शायक	130.25	336.900	2014-15
पश्चिम बंगाल				
1.	टाटको	7	3.690	2012-13
2.	पतलोई	4	4.200	2012-13

विमानपत्तन परियोजनाएं

4406. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जारी अनुसूचित वायु परिचालन के लिए मार्ग परिक्षेपण दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न विमानपत्तन परियोजनाओं के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिचालन के लिए विभिन्न एयरलाइनों को जोड़ने में समस्याएं आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में घरेलू एयरलाइनों के साथ मार्गों को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा सहित कोई ठोस कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने हाल ही में भटिण्डा, गोन्दिया, जैसलमेर, जलगांव तथा पुदुचेरी जैसे विमानपत्तनों को विकसित/स्तरोन्नत किया है किन्तु इन विमानपत्तनों

से कोई अनुसूचित उड़ानें प्रचालित नहीं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, एयरलाइनें अपनी नीति तथा बाजार मांग के अनुसार अपनी अनुसूची की योजना बनाती हैं।

(घ) और (ङ) घरेलू क्षेत्र में प्रचालनों के विनियमन रद्द कर दिए गए हैं तथा संबंधित एअरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं।

विवरण

नागर विमानन अपेक्षाएं	अनुभाग-3 विमान परिवहन
शृंखला 'ग' भाग III	1 मार्च, 1994

मार्गों की श्रेणियों की सेवाओं का प्रावधान किया जाना

श्रेणी-I

सीधे जोड़ने वाले मार्ग	
बम्बई-बंगलौर	कलकत्ता-दिल्ली
बम्बई-कलकत्ता	कलकत्ता-बंगलौर
बम्बई-दिल्ली	कलकत्ता-मद्रास
बम्बई-हैदराबाद	दिल्ली-बंगलौर
बम्बई-मद्रास	दिल्ली-हैदराबाद
बम्बई-त्रिवेन्द्रम	दिल्ली-मद्रास

श्रेणी-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग

श्रेणी-III

श्रेणी-I तथा श्रेणी II से भिन्न मार्ग

कोई प्रचालक जो श्रेणी I के अधीन एक या एक से अधिक मार्गों पर अनुसूचित विमान परिवहन सेवा प्रचालित करता है, श्रेणी-II तथा III में ऐसी सेवा प्रदान करना आवश्यक होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

प्रचालक श्रेणी-I के मार्गों पर तैनात क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी II के मार्गों पर तैनात करेगा और इसी प्रकार श्रेणी II मार्गों पर कम से कम 10 प्रतिशत विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप के भीतर सेवाओं तथा उसके प्रचालित सेगमेंट पर तैनात की जानी अपेक्षित होगी।

प्रचालक श्रेणी-I के मार्गों पर तैनात की गई क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत श्रेणी III के मार्गों पर तैनात करेगा।

टिप्पणी 1 : अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के भाग के रूप में श्रेणी-I मार्ग पर प्रचालित सेवा की गणना उक्त प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 2 : तैनात क्षमता की गणना उपलब्ध सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) में की जाएगी।

टिप्पणी 3 : बहुल क्षेत्र मार्ग जैसे दिल्ली- कलकत्ता-गुवाहाटी-इंफाल पर दिल्ली-कलकत्ता सेक्टर पर प्रदान की गई क्षमता की गणना श्रेणी-I में की जाएगी। कलकत्ता-गुवाहाटी सेक्टर पर प्रदान की गई क्षमता की गणना श्रेणी-II में की जाएगी और गुवाहाटी-इंफाल सेक्टर पर प्रदान की गई सेवा की गणना विशिष्ट रूप से श्रेणी-II में की जाएगी।

विश्व बैंक से ऋण

4407. श्री समीर भुजबल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के क्या मानदंड हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा खर्च की गई राशि का राज्य/परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मानदंडों में गरीबी उन्मूलन और सिंचाई क्षमता के पुनरुद्धार, सिंचाई सेवा आपूर्ति में सुधार, सामुदायिक सहभागिता और जल संसाधन परियोजनाओं के प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधन

के तीव्र एवं सतत प्रबंधन के भारत के विकास लक्ष्य पर जोर दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का राज्य/परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल संसाधन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त हुई परियोजना-वार वित्तीय सहायता और इसका संवितरण

(मिलियन)

परियोजना का नाम	वित्त-पोषण अभिकरण	ऋण की मुद्रा	ऋण की राशि	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए संवितरण	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए संवितरण	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संवितरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संवितरण (जनवरी, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना संबंधी परियोजना (3603-आई.एन.)	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	83.18	3.77	1.67	2.90	3.90
राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना संबंधी परियोजना-अतिरिक्त वित्त पोषण (4709-आई.एन.)	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	4.30	0.00	1.39	2.55	0.36
मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना संबंधी परियोजना (4750-आई.एन.)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	387.40	31.00	34.30	32.46	32.88
महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार संबंधी परियोजना (4796-आई.एन.)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	325.00	64.21	23.15	51.55	22.47
जलविज्ञान परियोजना चरण-II (4749-आई.एन.)*	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	104.98	11.00	12.27	16.84	13.94
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जलनिकाय पुनरुद्धार और प्रबंधन परियोजना (4846-आई.एन. और 4255-आई.एन.)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	335.00	9.00	5.23	73.03	33.34

1	2	3	4	5	6	7	8
	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	99.80	32.71	23.52	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (4857-आई.एन. और 4291-आई.एन.)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	94.50	13.68	10.89	16.84	8.51
	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	63.0	8.98	6.98	11.02	5.62
ओडिशा सामुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना (4499-आई.एन. और 7576-आई.एन.)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	38.47	0.66	0.86	0.99	2.70
	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	23.46	0.28	0.66	0.64	1.78
आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	450.60	41.13	14.65	40.95	35.70
बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना @	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	175.00	0.00	0.00	0.44	0.00
	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	115.90	0.00	0.00	3.34	0.85
पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई त्वरित विकास परियोजना (ए.डी.एम.आई.) (सी.आर., संख्या 5014 और एल.एन. संख्या)	आई.बी.आर.डी.	यू.एस.डी.	125.00	0.00	0.31	0.91	0.00
	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	78.20	0.00	0.01	3.39	5.55
उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना चरण (5298-आई.एन.)	आई.डी.ए.	एक्स.डी.आर.	239.40	0.00	0.00	0.00	3.88

* सहभागी राज्य : आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और पंजाब

@ सहभागी राज्य : केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु

[हिन्दी]

भेल की भूमि पर अतिक्रमण

4408. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की लगभग 250 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उस भूमि पर 12000 झुग्गियां बना दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वहां झुग्गियां कब से बनना शुरू हुई हैं और इनको इनके आरंभ से ही नहीं रोके जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त भूमि को खाली कराने के लिए और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि पर अतिक्रमण के ऐसे

मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में, भोपाल स्थित बी.एच.ई.एल. इकाई की लगभग 150 एकड़ भूमि पर झुग्गीवासियों/गंदी बस्ती में रहने वालों का अतिक्रमण है। बी.एच.ई.एल. ने अपनी भूमि, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, को बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी और बेदखली की कार्रवाई के उपाय किए हैं।

(ग) भोपाल में भूमि पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण 1960 के दशक से शुरू हो गया था। वैसे, बी.एच.ई.एल. ने अपनी भूमि, जिस पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, को बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी और बेदखली की कार्रवाई के उपाय किए हैं। चूंकि झुग्गीवासियों द्वारा भूमि के अतिक्रमण में अन्य बातों के साथ-साथ, कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है, इसलिए झुग्गीवासियों/गंदी बस्ती में रहने वालों को हटाने/नए स्थान पर बसाने के लिए बी.एच.ई.एल. ने स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की है।

(घ) भोपाल में अपनी भूमि पर से झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण को हटवाने के लिए कानून लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु बी.एच.ई.एल. मामले को नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ उठा रहा है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में उपबंध

4409. श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत देश में परिचालन कर रहीं निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम में क्या उपबंध हैं, जो इनका अनुपालन नहीं करती है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत जिन निजी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्रवाई का परिणाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता से संबंधित मानकों को विनिर्दिष्ट एवं लागू करने के लिए धारा 86(1)(i) राज्य आयोगों को सशक्त बनाती है। राज्य आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के अंतर्गत निजी वितरण लाइसेंसियों सहित सभी वितरण लाइसेंसियों के लिए निष्पादन के मानकों को विनिर्दिष्ट करते हैं।

यदि कोई लाइसेंसी विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं कर पाता है तो वह प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने का जिम्मेवार होता है जो उपर्युक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 142 में निर्देशों का अनुपालन न करने पर समुचित आयोग द्वारा दण्ड की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 57 से 59, धारा 86 और धारा 142 के संबंधित उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) विनियामक मंच ने वितरण लाइसेंसधारकों के लिए निष्पादन मानकों के मॉडल विनियम तैयार किए हैं। मॉडल विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन के गारन्टी मानकों को विनिर्दिष्ट करते हैं जोकि सेवा के वे न्यूनतम मानक हैं जोकि वितरण लाइसेंसी हासिल करेंगे। सेवा की गारन्टीशुदा मानकों को प्राप्त करने में लाइसेंसी के असफल रहने पर उपभोक्ता को मुआवजे का भुगतान लेने का अधिकार होगा जैसा कि मॉडल विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है। उपयुक्त आयोगों को डिस्कॉम के निष्पादन के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 का संबंधित खण्ड

खण्ड 57. (उपभोक्ता संरक्षण: अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन के मानक) : (1) समुचित आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों

और ऐसे व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना है, परामर्श करने के पश्चात् किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में असफल रहता है तो ऐसी शास्ति, जो अधिरोपित की जाए या ऐसा अभियोजन जो आरंभ किया जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह प्रभावित व्यक्ति को ऐसा प्रतिकार देने के लिए दायी होगा जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाए :

परंतु प्रतिकार का अवधारण करने से पूर्व संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर ऐसे अवधारण से नब्बे दिन के भीतर संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

खण्ड 58. (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादन के भिन्न-भिन्न मानक) :

समुचित आयोग, अनुज्ञप्तिधारी के किसी वर्ग या वर्गों के लिए धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

खण्ड 59. (निष्पादन के स्तर की बाबत जानकारी) : (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारा समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग को निम्नलिखित जानकारी भेजेगा, अर्थात–

(क) धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त निष्पादन का स्तर;

(ख) धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन उन मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकर दिया गया था और प्रतिकर की कुल रकम।

(2) समुचित आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई ऐसी जानकारी के, ऐसे प्रारूप और रीति में जो वह समुचित समझे, प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।

खण्ड 86. (राज्य आयोग के कृत्य) : (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्–

(क) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, प्रपुंज या फुटकर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण, के लिए टैरिफ अवधारित करना:

परंतु जहां उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की गई है, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त प्रवर्ग के लिए केवल चक्रण प्रभारों और उस पर अधि भार, यदि कोई हो, का ही अवधारण करेगा;

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय और उपापन प्रक्रिया को विनियमित करना जिसके अंतर्गत वह कीमत भी है जिस पर विद्युत, राज्य में वितरण और प्रदाय के लिए विद्युत क्रय करारों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से या अन्य स्रोतों से उपाप्त की जाएगी;

(ग) अंतर-राज्य पारेषण और विद्युत व्हीलिंग को सुविधाजनक बनाना;

(घ) पारेषण लाइसेंसी, वितरण लाइसेंसी तथा विद्युत व्यापारियों के कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के रूप में राज्य के अंदर उनके कार्यों के संबंध में लाइसेंस जारी करना।

(ङ) किसी व्यक्ति को, विद्युत की ग्रिड के साथ संयोजकता और उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साध न उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सहउत्पादन और उत्पादन और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना;

(च) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर न्यायनिर्णयन करना और किसी विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करना;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना;

(ज) धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड से संगत राज्य ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानदंड विनिर्दिष्ट या प्रवर्तित करना;

(ञ) विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो व्यापार लाभ मार्जन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं।

(2) राज्य आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगा, अर्थात्–

(i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन;

(ii) विद्युत आयोग में विनिधान का संवर्धन;

(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुन:संरचना;

(iv) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित विषयों या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्देशित कोई अन्य विषय।

(3) राज्य आयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(4) राज्य आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में धारा 3 के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति में मार्गदर्शित होगा।

खण्ड 142. (समुचित आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए दंड):

यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी।

[अनुवाद]

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

4410. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा प्रारंभिक सुरक्षामानकों की अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें मारे गए/घायल हुए लोगों के परिवारों को कुल कितना क्षतिपूर्ति भत्ता भुगतान किया गया है;

(घ) रेलवे परि-संपत्तियों की संरक्षा हेतु राजकीय रेलवे पुलिस को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी कदम उठाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पूरे देश में रेलवे का सुरक्षा और विकास हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर अपनाई गई संरक्षा मानकों का कड़ाईपूर्वक एवं सतर्कतापूर्वक पालन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकृत प्रवेश की घटनाओं को छोड़कर भारतीय रेलों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या क्रमश: 93, 77 और 68 थी। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत्यु होने/घायल होने के लिए पीड़ितों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि क्रमश: 377.39 लाख रुपए (लगभग), 510.78 लाख रुपए (लगभग) और 319.63 लाख रुपए (लगभग) आकलित की गई हैं।

(घ) रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराध का पता लगाना और उसका निवारण करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच-पड़ताल करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्यों में "राजकीय रेल पुलिस" नाम से राज्य पुलिस की एक अलग विंग कार्य करती है। अत:, राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए किसी विशेष अधिकार का प्रयोग करना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में पड़ता है।

(ङ) गाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित आधार पर जोनल रेलों द्वारा किए गए संरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों के अलावा, किसी विशेष अवधि के दौरान या किसी विशेष जोनल रेलों पर घटित गाड़ी दुर्घटनाओं के किस्म को ध्यान में रखते हुए जोनल रेलों को समय-समय पर उपयुक्त दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं। 2013-14 के दौरान (15.02.2014 तक) रेल मंत्रालय द्वारा (i) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए (ii) सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट पर कोड बेल सिगनल और गाड़ियों को सिगनल देने की विधि का सही प्रयोग करने, (iii) बाधित लाइनों पर गाड़ियों को प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करने, (iv) मॉनसून के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने, (v) रसोईयानों में आग लगने से रोकने, (vi) पुश ट्रॉलियों को ले जाने से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों को लागू करने, और (vii) गाड़ियों में आग लगने से रोकने हेतु संरक्षा अभियान चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(च) भारतीय रेलों में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार हर संभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल एवं इंटरलॉकिंग प्रणालियों के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, संरक्षा अभियान, सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों पर निगरानी तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अन्य उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बी.पी.ए.सी.), सहायक चेतावनी प्रणाली (ए.डब्ल्यू.एस.), सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वी.सी.डी.), गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.), गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली/टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) आदि शामिल हैं। भारतीय रेलें भारत की स्थितियों और रेलों की वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न विभागों का विकास करने और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है।

निजी कंपनियों को लाइसेंस

4411. श्री एम.के. राघवन: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेडियो स्टेशनों को परिचालित करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो जिन स्टेशनों के लिए अनुमति प्रदान की गई है, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रसारण हेतु जिन कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है, की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और निजी प्रिंट मीडिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने और निजी रेडियो आपरेटरों को समाचार प्रसारण की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्र की सुरक्षा तथा सुसंगत सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण का विस्तार संबंधी नीति दिशानिर्देशों के चरण-I और II के अंतर्गत देशभर में 266 निजी एफ.एम. रेडियो चैनल स्थापित करने/उनका संचालन करने के लिए 41 निजी कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। तथापि, कुल अनुमतिधारक कंपनियों में से 6 कंपनियों को दी गई अपने 23 चैनलों के संचालन के लिए अनुमतियां अनुमति मंजूरी करार की निबंधन और शर्तों को उल्लंघन को देखते हुए रद्द कर दी गई है। वर्तमान में 37 कंपनियों द्वारा 243 चैनल आपरेट किए जा रहे हैं। जिन अनुमतिधारकों के चैनल आपरेट किए जा रहे हैं उनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जिन स्टेशनों की अनुमतियां रद्द की गई हैं उनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

चरण-II नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अनुमतिधारक समय-समय पर यथा संशोधित आकाशवाणी

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेगा। संहिता द्वारा धर्म या समुदाय पर आक्रमण करने, कोई अश्लील बात करने, हिंसा भड़काने या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कोई बात कहने आदि की अनुमति नहीं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारक का उद्देश्य प्राय: स्थानीय और विविध या पंचमेली विषय-वस्तु सृजित करना और विषय-वस्तु एवं उपयोगिता के अर्थ में स्थानीय महत्त्व के अच्छे कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना होगा।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा का विस्तार संबंधी नीति दिशानिर्देश (चरण-III) के अनुसार, अनुमतिधारक को प्रसार भारती के साथ परस्पर करार किए गए रूप में निबंधन और शर्तों पर बिल्कुल उसी (अविचलित) फारमेट में न्यूज बुलेटिन का प्रसारण करने की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई कतिपय श्रेणी की सूचनाओं, जैसे–खेलकूद, यातायात और मौसम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों का कवरेज, परीक्षा, परिणामों, प्रवेश, कैरियर सलाह, रोजगार के अवसरों का उपलब्ध होना, बिजली, पानी की आपूर्ति जैसी नागरिक जरूरतों से संबंधित सार्वजनिक घोषणाओं का कवरेज, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी आदि से संबंधित सूचनाओं के प्रसारण को गैर-समाचार और समसामयिक मामलों का प्रसारण माना जाएगा और इसलिए इनकी अनुमति दी जाएगी।

विवरण-I

अनुमतिधारकों की राज्यवार सूची, जिनके चैनल संचालन में हैं

क्रम सं.	राज्य	कंपनी का नाम	चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	3
		काल रेडियो लिमि.	5
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	2
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	3
		उदय एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
3.	असम	पूर्वी ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
4.	बिहार	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
5.	चंडीगढ़	डी.बी. कोर्प लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1

1	2	3	4
6.	छत्तीसगढ़	डी.बी. कोर्प लिमि.	2
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमि.	1
		रनेका फिनकॉम प्राइवेट लिमि.	1
7.	दिल्ली	क्लियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमि.	1
		डिजिटल रेडियो ब्रॉडकॉस्टिंग लिमि.	1
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		एच.टी. मीडिया लिमि.	1
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	1
8.	गोवा	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		इंडिया रेडियो वेंचर्स प्राइवेट लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
9.	गुजरात	डी.बी. कोर्प लिमि.	2
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	4
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	3
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	3
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	3
10.	हरियाणा	बी.ए.जी. इनफोर्टेमेंट प्राइवेट लिमि.	2
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1

1	2	3	4
		श्री पूरण मल्टीमीडिया लिमि.	2
11.	हिमाचल प्रदेश	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	1
12.	जम्मू और कश्मीर	रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	2
13.	झारखंड	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लिमि.	2
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	2
		श्री पूरण मल्टीमीडिया लिमि.	1
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
14.	कर्नाटक	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	2
		एच.टी. मीडिया लिमि.	1
		इंडिया रेडियो वेंचर्स प्राइवेट लिमि.	1
		काल रेडियो लिमि.	4
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	3
15.	केरल	एशियानेट रेडियो प्राइवेट लिमि.	2
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		काल रेडियो लिमि.	5
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
		द हिमालय मनोरमा कं लिमि.	4
		द मथरूभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कं प्राइवेट लिमि.	4

1	2	3	4
16.	मध्य प्रदेश	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		डी.बी. कोर्प लिमि.	4
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	3
		ग्वालियर फॉर्म्स प्राइवेट लिमि.	1
		आई.टी.एम. सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	3
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	3
17.	महाराष्ट्र	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	3
		डी.बी. कोर्प लिमि.	1
		डिजिटल रेडियो ब्रॉडकॉस्टिंग लिमि.	1
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	6
		एच.टी. मीडिया लिमि.	1
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	9
		पुधरी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमि.	2
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	2
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	2
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	4
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	1
18.	मेघालय	साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
19.	मिजोरम	साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
20.	ओडिशा	ईस्टर्न मीडिया लिमि.	2
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	2
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1

1	2	3	4
21.	पुदुचेरी	काल रेडियो लिमि.	1
		मलार पब्लिकेशंस लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
22.	पंजाब	बी.ए.जी. इनफोटेंमेंट प्राइवेट लिमि.	1
		डी.बी. कोर्प लिमि.	2
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	3
		श्री पूरण मल्टीमीडिया लिमि.	1
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	2
23.	राजस्थान	डी.बी. कोर्प लिमि.	5
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	1
		राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमि.	3
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	5
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	1
24.	सिक्किम	चीनार सर्किट लिमि.	1
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	1
		पी.सी.एम. सीमेंट कंक्रीट प्राइवेट लिमि.	1
25.	तमिलनाडु	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	3
		काल रेडियो लिमि.	3
		मलार पब्लिकेशंस लिमि.	6
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्टिंग प्राइवेट लिमि.	2

1	2	3	4
		मुथुट ब्रॉडकॉस्टिंग प्राइवेट लिमि.	1
		नोबल ब्रॉडकॉस्टिंग कोरपोरेशन प्राइवेट लिमि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	1
		सन टी.वी. लिमि.	3
26.	त्रिपुरा	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
27.	उत्तर प्रदेश	एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	3
		म्युजिक ब्रॉडकॉस्ट प्राइवेट लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	6
		श्री पूरण मल्टीमीडिया लिमि.	4
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	4
28.	पश्चिम बंगाल	अंडमान ऑफसेट प्राइवेट लिमि.	1
		डिजिटल रेडियो ब्रॉडकॉस्टिंग लिमि.	1
		एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमि.	1
		हिट्ज एफ.एफ. रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
		एच.टी. मीडिया लिमि.	1
		इंडिया एफ.एम. रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
		पी.सी.एम. सीमेंट कंक्रीट प्राइवेट लिमि.	1
		रेडियो मिड डे वेस्ट इंडिया लिमि.	1
		रिलायंस ब्रॉडकॉस्ट नेटवर्क लिमि.	2
		साउथ एशिया एफ.एम. प्राइवेट लिमि.	2
		सिनटेक्स इनफोरमेटिक्स प्राइवेट लिमि.	1
		टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमि.	1
		कुल	243

विवरण-II

स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा, जिनकी अनुमति रद्द कर दी गई है

क्रम सं.	राज्य	कंपनी का नाम	चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	2
2.	असम	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
3.	छत्तीसगढ़	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	1
4.	दमन और दीव	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	1
5.	हरियाणा	सिंगला प्रापर्टी डीलर प्राइवेट लिमि.	1
6.	कर्नाटक	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	2
7.	महाराष्ट्र	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	1
		पेन इंडिया नेटवर्क इनफ्रावेस्ट प्राइवेट लिमि.	3
8.	मेघालय	पॉजिटिव रेडियो प्राइवेट लिमि.	1
9.	पंजाब	पेन इंडिया नेटवर्क इनफ्रावेस्ट प्राइवेट लिमि.	2
10.	राजस्थान	कुशल ग्लोबल लिमि.	2
11.	तमिलनाडु	सेंचुरी कॉम्यूनिकेशंस लिमि.	2
12.	उत्तर प्रदेश	पेन इंडिया नेटवर्क इनफ्रावेस्ट प्राइवेट लिमि.	3
13.	पश्चिम बंगाल	चीनार सर्किट लिमि.	1
		कुल	23

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4412. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके कार्य-निष्पादन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक राज्य में और अधिक पी. एस.ई. को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) संसद में फरवरी, 2013 को प्रस्तुत लोक

उद्यम सर्वेक्षण (2011-12) में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.2012 तक विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के तहत कर्नाटक राज्य में 16 केंद्रीय सरकारी उद्यम पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2011-12, 2010-11 और 2009-10 के दौरान इन 16 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लाभ/हानि के संदर्भ में कार्यनिष्पादन का ब्यौरा उन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के नाम सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थलों पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों की स्थापना का निर्णय तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करके उस क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों द्वारा लिया जाता है।

विवरण

पिछले 03 वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी उद्यम का लाभ/हानि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय का नाम	विभाग का नाम	2011-12	2010-11	2009-10
1.	अंतरिक्ष कारपो. लि.	अंतरिक्ष विभाग		17098	13887	10840
2.	बी.ई.एम.एल. लि.	रक्षा मंत्रालय	रक्षा उत्पादन विभाग	5725	14976	22285
3.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	रक्षा मंत्रालय	रक्षा उत्पादन विभाग	82990	86147	72087
4.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	रक्षा मंत्रालय	रक्षा उत्पादन विभाग	253943	211426	196741
5.	एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लि.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	135	21	266
6.	एच.एम.टी. लि.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	-8220	-7914	-5291
7.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	-4614	-9306	-4580
8.	एच.एम.टी. वाचेज लि.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	-22404	-25373	-16834
9.	आई.टी.आई. लि.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	दूरसंचार विभाग	-36980	-35775	-45876
10.	कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	फार्मास्युटिकल्स विभाग	1602	1056	1150
11.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वाणिज्य विभाग	284	149	-54
12.	के.आई.ओ.सी.एल. लि.	इस्पात मंत्रालय		9430	7627	-17727
13.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		90858	117663	111238
14.	एम.टी.सी.एल. लि.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	वाणिज्य विभाग	-28466	-17802	-44398
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	भारी उद्योग विभाग	-2875	-2612	-2577
16.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	रक्षा मंत्रालय	रक्षा उत्पादन विभाग	82	-173	171

आर्सेनिक और फ्लोराइड न्यूनीकरण केन्द्र

4413. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आर्सेनिक और फ्लोराइड न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों में आर्सेनिक और फ्लोराइड न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु विचारार्थ विषयों को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित/संस्तुत विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (च) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को क्षेत्रीय फ्लोराइड न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव, गांधी नगर स्थित (गुजरात जल प्रशिक्षण संस्थान) गुजरात सरकार से और दूसरा प्रस्ताव, हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूट्रीशन से प्राप्त हुआ है। कार्य की रूपरेखा, जन-शक्ति आदि के संबंध में विस्तृत संदर्भ शर्तों (टी.ओ.आर.) के साथ तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और इस समिति ने दोनों ही एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रारूप डी.पी.आर. पर दिनांक 8-1-2014 की अपनी बैठक में अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया और कुछ सिफारिशों/सुझावों के आधार पर संशोधित डी. पी.आर. प्रस्तुत करने की उन्हें सलाह दी गई है। यह आशा की जाती है कि ये संस्थान पेयजल स्रोतों से अतिरिक्त फ्लोराइड को दूर करने/कम करने के लिए शोधन तकनीकों के विकास/मूल्यांकन के साथ फ्लोराइड एवं फ्लोरोसिस के न्यूनीकरण के संबंध में विस्तृत अनुसंधान एवं विकास करेंगे।

इसके अतिरिक्त, पेयजल गुणवत्ता से संबंधित सभी समस्याओं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त आर्सेनिक और फ्लोराइड से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं, पर विस्तृत अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य-कलापों का संचालन करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने पहले से ही इस पर कार्रवाई की है और पेयजल गुणवत्ता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की है और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधि नियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया है और इसे भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से निधि यां प्रदान की गई हैं। कोलकाता में इस संस्थान की स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

अल्ट्रा मेगा और विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4414. श्री प्रदीप माझी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने हाल ही में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उक्त परियोजना के लिए भेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एस.ई. सी.आई.), सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एस.एस.एल.), पॉवर ग्रिड

कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवर ग्रिड), सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस.जे.वी.एन.एल.) और राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर.ई.आई.एल.) ने 'बनाओ, अपनाओ और चलाओ' के आधार पर सांभर, राजस्थान में चरणबद्ध रूप से 4000 मेगावाट संचयी क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट (यू.एम.एस.पी.पी.) की स्थापना करने हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए दिनांक 29 जनवरी, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सांभर में यू.एम.एस.पी.पी. में प्रथम चरण में 1000 मेगावाट, और शेष 3000 मेगावाट पश्चातवर्ती चरणों में कार्यान्वित किए जाने की योजना है। यह भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय की एक पहल है।

(ग) समझौता ज्ञापन के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:

- संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रस्तावित इक्विटी भागीदारी बी.एच.ई.एल. 26%, एस.ई.सी.आई. 23%, एस.एस.एल. 16%, पॉवरग्रिड 16%, एस.जे.वी.एन.एल. 16% और आर.ई.आई.एल. 3% है।
- संयुक्त उद्यम कंपनी, निश्चयात्मक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के पश्चात् दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में निगमित की जाएगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनी, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन होगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र ऋण आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनी विद्युत के निर्वातन तथा अंतरण के लिए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक/मध्यकालिक/अल्पकालिक सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए आवेदन करेगी।
- संयुक्त उद्यम कंपनी, प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अवसंरचना का सृजन एवं निर्माण करेगी।
- बी.एच.ई.एल. प्रथम चरण (अर्थात् 1000 मेगावाट) के लिए फोटो-वोल्टिक (पी.वी.) मॉड्यूल्स का आपूर्ति करेगी और सांभर स्थित प्रोजेक्ट के पश्चातवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा अन्य प्रोजेक्ट्स हेतु सैल्स और मॉड्यूल्स के लिए उसे प्रथम अस्वीकृति का भी अधिकार होगा, एस.ई.सी.आई. विद्युत खरीद करार (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर करेगी, एस.एस.एल. सभी मंजूरियों के साथ भूमि उपलब्ध कराएगी, पॉवरग्रिड विद्युत का निर्वातन करेगी, एस.जी.वी.एन.एल. प्रोजेक्ट प्रबंध में सहायता करेगी और आर.ई.आई.एल. परिचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) कार्य करेगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) सांभर में प्रोजेक्ट के चरण-I के कार्यान्वयन (अर्थात् 1000 मेगावाट) के दौरान आवश्यक सभी मॉड्यूल्स की आपूर्ति नामांकन आधार पर तथा उस समय बी.एच.ई.एल. की निर्माण क्षमता की शर्त के अध्यधीन बी.एच.ई.एल. द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बी.एच.ई.एल. को प्रोजेक्ट के पश्चातवर्ती चरणों (अर्थात् 3000 मेगावाट) तथा संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा विकसित किए गए अन्य प्रोजेक्ट्स हेतु सोलर पी.वी. सैल्स और मॉड्यूल्स की आपूर्ति के लिए प्रथम अस्वीकृति का भी अधिकार होगा।

विद्युत संबंधी सुधार

4415. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने देश में विद्युत सुधार के कार्यान्वयन में देरी, वृहत पारेषण परियोजनाएं देने और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) शुरू करने एवं विद्युत उत्पादन में लगातार कमी पर चिंता जतायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में खराब प्रगति से अधिक प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत सुधार के कार्यान्वयन में तेजी लाने, वृहत पारेषण परियोजनाओं के सृजन तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने इत्यादि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) देश में विद्युत क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता में लगातार सुधार किए गए हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में खुली पहुंच और उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, केन्द्र व राज्य स्तर पर स्वतन्त्र विनियामक ढांचा, उप-पारेषण और वितरण भागों में निवेश में राज्यों की सहायता के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर.-ए.पी.डी.आर.पी.), और राज्य पावर यूटिलिटियों द्वारा बेहतर वित्तीय निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी, टैरिफ नीति जिसमें पारदर्शी तरीके से विद्युत के प्रतिस्पर्धी प्रापण की व्यवस्था है, आदि जैसी विशेषताओं वाला उदार एवं प्रगतिशील विधिक ढांचा तैयार करना शामिल है।

इसके फलस्वरूप, 11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की संभावना की गई, जोकि किसी भी पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान पारम्परिक स्रोतों से क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 88,537 मेगावाट है और इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष तक देश में विद्युत की प्रक्षेपित मांग के पूरा होने की सम्भावना है।

बेरोजगारी भत्ता

4416. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनरेगा के तहत कतिपय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता अधिसूचित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत कामगारों को मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा राज्यों को यह कहने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं कि वे इन नियमों को अधिसूचित करें और उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दें जिन्हें उनकी मांग के अनुसार कार्य नहीं दिया गया है;

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए कोई नई योजना बनायी है/बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित निधि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी हां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की धारा (7) के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां बेरोजगारी भत्ते का

भुगतान करना है, जहां मांग के अनुसार कार्य नहीं दिया जा सकता है। धारा 22(2)(क) के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र अपने निजी संसाधनों में से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित नियम तैयार कर सकती है।

(ग) से (ङ) अब तक, 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित किया है और 8 राज्यों ने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(च) और (छ) कोई भी नई योजना नहीं बनाई गई है। मंत्रालय ने राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 03.01.2014 में मनरेगा 2005 की अनुसूची-I और II में दिए गए प्रावधानों का पर्याप्त रूप से संशोधन किया है, ताकि (i) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का विस्तार, (ii) मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार तथा (iii) उपयोगी और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन सुनिश्चित किया जा सके। कार्य की मांग के अनुसार निधियां आवंटित की जाएंगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित किया है

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम
1	2
1.	असम
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
4.	छत्तीसगढ़
5.	दादरा और नगर हवेली
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	कर्नाटक
9.	महाराष्ट्र
10.	मेघालय
11.	मिजोरम
12.	सिक्किम
13.	पश्चिम बंगाल
14.	उत्तर प्रदेश
15.	त्रिपुरा

राज्य, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नियमों को अधिसूचित करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्र.सं.	राज्य के नाम
1	2
1.	हरियाणा
2.	हिमाचल प्रदेश
3.	मणिपुर
4.	ओडिशा
5.	पंजाब

1	2
6.	केरल
7.	राजस्थान
8.	मध्य प्रदेश

पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

4417. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता और इसकी आपूर्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए महाराष्ट्र और ओडिशा सरकारों को कोई निधि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आसवन परियोजनाओं के लिए इन राज्यों को आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदण्ड, व्यक्तियों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था, जिसकी आवश्यकता पेयजल खाना-पकाने, नहाने, बर्तन धोने और नहाने-धोने के लिए मूलभूत-न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर रखी गई थी। संशोधित एन.आर.डी.डब्लू.पी. के दिशा-निर्देशों में, न्यूनतम अपेक्षा को बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया है जिसका वर्ष 2013 से अब अनुपालन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) ने "पेयजल गुणवत्ता के लिए दिशा-निर्देश" प्रकाशित किए हैं जिनमें मुख्यत: जल और स्वास्थ्य विनियामकों, नीति-निर्माताओं और उनके सलाहकारों को सहयोग देने और राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहायता देने पर ध्यान दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने, पेयजल गुणवत्ता पर अन्य एजेंसियों से एवं डब्लू.एच.ओ. के दिशा-निर्देशों से सहायता लेकर अपने मानक आई.एस.-10500 में पेयजल प्रयोजनों के लिए जल की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए जांच हेतु अपेक्षित अनिवार्य एवं वांछनीय गुणों के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के दिशा-निर्देशों में ये संकेत मिलते हैं कि जल को स्वच्छ जल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यदि रासायनिक और जीवाणु संबंधी मापदण्ड बी.आई.एस. मानक आई.एस.- 10500 में निर्धारित मानकों के अनुसार हों।

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अन्तर्गत महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य सहित राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों के संबंध में योजना बनाने, उनका निष्पादन और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना सम्मिलित है।

एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अन्तर्गत विलवणीकरण परियोजनाओं के लिए राज्यों को पृथक रूप में कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में एन. आर.डी.डब्लू.पी. के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दी गई निधि यां संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, आबंटन, रिलीज तथा व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14*			
		प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	प्रारंभिक शेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	149.79	401.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.3	563.39	485.14	672.82	113.62	635.43	558.82	519.00
2.	बिहार	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	484.24	224.3	293.09	217.82	432.38	168.65	247.56
3.	छत्तीसगढ़	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	168.89	148.64	162.85	67.61	133.13	119.81	108.16
4.	गोवा	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0	5.95	5.50	0	0
5.	गुजरात	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	578.29	717.47	797.93	247.13	533.72	390.77	280.42
6.	हरियाणा	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.93	250.24	313.41	275.54	85.59	229.45	215.83	243.62
7.	हिमाचल प्रदेश	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	153.59	129.9	124.06	67.78	138.51	77.20	74.27
8.	जम्मू और कश्मीर	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	474.5	488.09	141.95	462.43	412.66	287.46
9.	झारखण्ड	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	191.86	243.43	204.87	122.36	172.85	160.34	181.79
10.	कर्नाटक	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	607.11	667.78	782.85	213.14	922.67	869.24	874.78	256.64	868.76	800.39	459.01
11.	केरल	4.15	144.28	159.83	137.97	27.64	144.43	113.39	126.98	16.08	193.59	249.04	193.62	93.31	155.58	137.01	177.85
12.	मध्य प्रदेश	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	447.33	539.56	426.56	148.82	404.80	370.13	279.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	महाराष्ट्र	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.1	897.96	846.48	614.32	552.26	788.47	326.14	256.43
14.	ओडिशा	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	243.91	210.58	249.39	67.61	227.35	200.78	148.38
15.	पंजाब	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3	101.9	144.27	121.22	26.04	96.89	100.23	84.57
16.	राजस्थान	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1352.54	1411.36	1314.18	416.86	1231.05	1248.13	1002.58
17.	तमिलनाडु	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	394.82	570.17	625	185.44	273.62	275.63	370.71
18.	उत्तर प्रदेश	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.9	1060.87	980.06	600.77	539.18	923.19	794.93	584.61
19.	उत्तराखण्ड	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	159.74	74.28	139.62	76.41	145.58	87.61	71.64
20.	पश्चिम बंगाल	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	523.53	502.36	574.54	298.68	490.63	419.63	479.07
21.	अरूणाचल प्रदेश	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	9.21	145.32	223.22	220.98	11.46	201.23	213.16	109.77
22.	असम	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.56	522.44	468.61	127.51	525.71	659.21	594.02	199.82	470.00	438.71	441.58
23.	मणिपुर	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	69.99	66.21	59.11	16.38	58.76	27.93	23.76
24.	मेघालय	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.96	97.61	101.44	34.12	92.18	88.76	59.71
25.	मिजोरम	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	48.35	47.92	32.87	2.58	38.42	35.01	15.53
26.	नागालैंड	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.1	110.25	110.2	108.56	3.69	56.66	48.74	31.86
27.	सिक्किम	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	36.69	32.36	38.89	44.95	16.88	18.86	47.97
28.	त्रिपुरा	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.03	70.66	100.59	99.36	6.27	59.29	63.51	54.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.15	0.78	0	0.78	1.04	0.03	0.62
30.	चंडीगढ़	0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
32.	दमन और दीव	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
35.	पुदुचेरी	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0	1.75	0.88	0	0.86	1.59	0.06	0
	कुल	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3375.99	10290.02	10473.2	10008.48	4075.21	9345.37	7803.46	6642.07

विमानन नीति

4418. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
डॉ. रत्ना डे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर निजी एयरलाइनों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय विमान सेवाओं के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए और निजी विमान कंपनियों की तुलना में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभ योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अपने प्रचालनीय तथा वित्तीय निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए, एअर इंडिया ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं (i) पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का पूर्ण मार्ग यौक्तिकरण तथा समानान्तर प्रचालन वाले मार्ग नेटवर्क को समाप्त करना, (ii) घाटे में जाने वाली विशेष मार्गों का यौक्तिकरण, (iii) यात्रियों को लुभाने के लिए विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर नए विमानों का समावेशन, (iv) पुराने बेड़े को हटाना तथा इस प्रकार अनुरक्षण एवं इंजीनियरी लागत में कमी लाना, (v) लीज पर दिये गए विमानों को उनकी अवधि समाप्त होने अथवा उससे पूर्व ही वापस कर देना, (vi) गैर-प्रचालनीय क्षेत्रों में नियुक्तियों पर रोक लगाना, (vii) फिजूल व्ययों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की पुन: तैनाती, (viii) बी 747-400 सहित पुराने बेड़ों जिन्हें केवल विशेष प्रचालनों तथा वी.वी.आई.पी. उड़ानों के प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाएगा, को ग्राउंड करना।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

4419. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आमान परिवर्तन हेतु निर्धारित और हासिल लक्ष्यों का वर्ष और जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में दक्षिण, पूर्वी, केन्द्रीय और दक्षिण-केन्द्रीय जोनों सहित विभिन्न चालू/लंबित आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त लंबित परियोजनाओं को पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) गत तीन वर्षों यथा 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में देश में आमान परिवर्तन परियोजनाओं में वर्ष-वार निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त किया	आवंटित की गई निधि	व्यय की गई निधि
	(आंकड़े किमी. में)		(आंकड़े करोड़ में)	
2010-11	834	837	1625.00	3232.04
2011-12	825	856	2723.00	2808.5
2012-13	575	605	2025.00	2679.6

गत तीन वर्षों यथा 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में देश में आमान परिवर्तन की जोन-वार उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(आंकड़े किमी. में)

रेलवे जोन	2010-11	2011-12	2012-13
मध्य	–	–	–
पूर्व तट	45	–	–
पूर्व मध्य	28	60.4	55.6
पूर्व	40	–	8.3
उत्तर मध्य	35	–	–
पूर्वोत्तर	170	115	41
पूर्वोत्तर सीमा	100	195.26	196
उत्तर	–	11	–
उत्तर पश्चिम	157	166	140.13
दक्षिण मध्य	–	–	–
दक्षिण पूर्व मध्य	–	–	–
दक्षिण पूर्व	–	–	–
दक्षिण	130	184	57
दक्षिण पश्चिम	40	61	27
पश्चिम मध्य	–	–	–
पश्चिम	92	62.89	80

(ग) से (ङ) मध्य, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे सहित चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	रेलवे जोन	आमान परिवर्तन
1.	मध्य	–
2.	पूर्व तट	–
3.	पूर्व मध्य	4
4.	पूर्व	1
5.	उत्तर	–
6.	उत्तर मध्य	2
7.	पूर्वोत्तर	6
8.	पूर्वोत्तर सीमा	5
9.	उत्तर पश्चिम	3
10.	दक्षिण	5
11.	दक्षिण मध्य	–
12.	दक्षिण पूर्व	3
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	4
14.	दक्षिण पश्चिम	2
15.	पश्चिम मध्य	–
16.	पश्चिम	8

आमान परिवर्तन परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है। संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए गैर-बजटीय उपायों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। फील्ड इकाइयों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और ठेका प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए ठेका शर्तों को संशोधित किया गया है।

नागर विमानन क्षेत्र में भ्रष्टाचार

4420. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नागर विमानन क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की जानकारी में आई भ्रष्टाचार की घटनाएं और इनमें लिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां।

इस मंत्रालय द्वारा नागर विमानन सेक्टर में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार इत्यादि को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सतर्कता निरीक्षण (आवधिक, अकस्मात तथा प्रमुख कार्य)

(ii) निगरानी, वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों की जांच।

(iii) सत्यनिष्ठा के प्रति संदेहास्पद अधिकारियों की सूची तैयार करना।

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श से सहमत सूचियां तैयार करना।

(v) संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की आवर्ती तैनाती।

(vi) सतर्कता जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(vii) निविदाएं कार्यालयीन वेबसाइट पर जारी करना।

(viii) सरकार के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा ई-टेंडरिंग पोर्टल की लॉचिंग।

(ix) अनियमितताओं/अनाचार से संबंधित शिकायतों के लिए त्वरित सतर्कता जांच।

(x) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत मामलों के संबंध में सहायता एवं सहयोग तथा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मामलों पर कार्रवाई करना।

(xi) सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(xii) सतर्कता जांच किए जाने के पश्चात् दोषी अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई करना।

(xiii) अंतिम आदेश पारित होने तक/उचित शास्तियां अधिरोपित करने तक सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनिक मामलों की अनवरत मॉनीटरिंग।

(xiv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह तथा सतर्कता जागरूकता बढ़ाने से संबंधित अन्य गतिविधियों के समारोह आयोजन सहित सतर्कता जागरूकता उपाय।

(ग) अनियमितताओं के 22 मामलों के संबंध में सतर्कता कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। इनमें से 19 मामलों में बड़ी शास्तियां देने तथा शेष तीन मामलों के लिए छोटी शास्तियां दिए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण

4421. श्री पी. कुमार:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) देश में अधिग्रहण हेतु सात कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्रों की मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) एन.टी.पी.सी. की मौजूदा क्षमता के अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक विद्युत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. वर्तमान में देश में अधिग्रहण के लिए किसी कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है।

(ग) अब की स्थिति के अनुसार, एन.टी.पी.सी. की विद्युत उत्पादन क्षमता (इसके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनी सहित) 42464 मेगावाट है।

(घ) एन.टी.पी.सी. ने मौजूदा क्षमता के अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक 8,708 मेगावाट क्षमता को जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

12वीं योजना की शेष अवधि में क्षमता वृद्धि हेतु परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1.	बोंगाईगांव	असम	750
2.	बाढ़ II	बिहार	660
3.	नबीनगर-जेवी	बिहार	1000
4.	कांती मुजफ्फरपुर एक्सपें.-जेवी	बिहार	390
5.	बाढ़-I	बिहार	1980
6.	कोल डैम एच.ई.पी.	हिमाचल प्रदेश	800
7.	कुडगी	कर्नाटक	1600
8.	विंध्यांचल-V	मध्य प्रदेश	500
9.	वल्लूर जेवी	तमिलनाडु	500
10.	तपोवन विष्णागाड	उत्तराखण्ड	520
11.	सिंगरौली स्मॉल एच.ई.पी.	उत्तर प्रदेश	8
	कुल निर्माणाधीन क्षमता		8708

तमिलनाडु में सिंचाई

4422. श्री मानिक टैगोर:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मांगी गयी तथा केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव/मांग केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित प्रस्तावों/मांगों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम के तहत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) एवं जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार स्कीमों के अंतर्गत तथा स्कीम को पूर्ण करने के लिए इनके दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता देती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, वृहद/मध्यम/सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के सन्दर्भ में तमिलनाडु सरकार से ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सहायता (सी.ए.) के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही, पिछले तीन वर्षों के दौरान, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आर.आर.आर.) स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु तमिलनाडु सरकार से जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) एवं (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

4423. श्री एम.आई. शानवास: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम हेतु स्वीकृत की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा कराई है और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे; और

(ङ) अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु योजना के लागू होने से अब तक लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ग) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं। तदनुसार, राज्य सरकार से योजना प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और पर्याप्त सूचना और स्पष्टीकरण के साथ राज्यों से प्राप्त सभी योजना प्रस्ताव मंत्रालय में अधिकतर प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 12.02.2014 तक आयोजित विभिन्न बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं। कुछ राज्यों के शेष योजना प्रस्ताव दिनांक 20.02.2014 को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार हेतु निर्धारित है। चालू वर्ष के दौरान, एम.एस.डी.पी. के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समितियां और राज्य स्तरीय समितियां, एम.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला स्तर और राज्य स्तरों पर करने के लिए निरीक्षण समितियां हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से इस मंत्रालय को एम.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की तिमाही प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। केंद्रीय स्तर पर एम.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक त्रि-स्तरीय निगरानी तंत्र है। सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति एम.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने हेतु निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम सहित एम.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा छमाही आधार पर भी सचिवों की समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों और सम्मेलनों के साथ-साथ अधिकारियों के दौरों के द्वारा की जाती है। जिन राज्यों में कार्यान्वयन की प्रगति धीमी पायी गई है, उनसे इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु योजना के लाभार्थियों की संख्या के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2013-14 के दौरान एम.एस.डी.पी. के अंतर्गत संस्वीकृत निधि

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2013-14 के दौरान (17.02.2014 तक)	
		अनुमोदित परियोजनाएं	जारी निधि
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	40167.99	23940.43
2.	पश्चिम बंगाल	57651.7215	32910.31
3.	असम	–	2944.61
4.	बिहार	10398.69	5649.28

1	2	3	4
5.	मणिपुर	268.41	2198.59
6.	हरियाणा	7.04	651.92
7.	झारखंड	1654.74	2283.19
8.	उत्तराखंड	–	1069.28
9.	महाराष्ट्र	–	322.24
10.	कर्नाटक	–	–
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	515.98
12.	ओडिशा	3062.56	1524.44
13.	मेघालय	599.50	293.86
14.	केरल	2006.52	1005.27
15.	मिजोरम	764.84	657.98
16.	जम्मू और कश्मीर	646.724	323.36
17.	दिल्ली	–	0.00
18.	मध्य प्रदेश	503.09	346.54
19.	सिक्किम	574.49	2.00
20.	अरूणाचल प्रदेश	4198.87	3041.05
21.	आंध्र प्रदेश	6211.37	3176.50
22.	त्रिपुरा	3478.70	1722.78
23.	पंजाब	2121.78	1064.42
24.	राजस्थान	–	–
25.	गुजरात	–	–
26.	छत्तीसगढ़	209.46	–
	योग	136326.50	85644.02

विवरण-II

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	26025
2.	उत्तराखंड	1425
3.	राजस्थान	1775
4.	कर्नाटक	675
5.	ओडिशा	675
6.	गुजरात	1325
7.	मध्य प्रदेश	2500
8.	केरल	350
9.	महाराष्ट्र	450
10.	मणिपुर	1300
11.	छत्तीसगढ़	225
12.	तमिलनाडु	225
	योग	36950

विवरण-III

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 (31.01.2014 तक) के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3150

1	2	3
2.	असम	4800
3.	अरूणाचल प्रदेश	250
4.	छत्तीसगढ़	250
5.	बिहार	750
6.	दिल्ली	1125
7.	हिमाचल प्रदेश	125
8.	जम्मू और कश्मीर	250
9.	झारखंड	1075
10.	कर्नाटक	1200
11.	केरल	275
12.	महाराष्ट्र	500
13.	मणिपुर	2150
14.	मध्य प्रदेश	2500
15.	नागालैंड	250
16.	ओडिशा	750
17.	पंजाब	1250
18.	राजस्थान	1200
19.	तमिलनाडु	950
20.	उत्तराखंड	500
21.	उत्तर प्रदेश	11000
22.	पश्चिम बंगाल	2200
	योग	36500

[हिन्दी]

सड़क उपरि पुल

4424. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटना में सड़क उपरि पुल के निर्माण पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और विलंब के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यातायात की समस्या का समाधान होने की संभावना है और यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने बिहार के नालंदा जिले में कुछ आर. ओ.बी. और आर.यू.बी. का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण हेतु चिन्हित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2013-14 के अनुसार, पटना साहिब और दानापुर स्टेशनों के बीच समपार सं. 72, 73, 74, 79ए, 31, 33 और 35बी के स्थान पर 7 ऊपरी सड़क पुलों (आर.ओ. बी.) के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

- इन आर.ओ.बी. पर दिसंबर 2013 तक कुल 285 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
- समपार सं. 73, 74 और 31 के स्थान पर 3 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इन्हें चालू कर दिया गया है।
- समपार सं. 72, 79ए और 35बी के स्थान पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पटना एयरपोर्ट की निकटता के कारण समपार सं. 33 पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।

(ख) जी हां, उक्त पुलों के पूरा होने पर यातायात की समस्या दूर हो जाएगी।

- राज्य सरकार के सहयोग से अतिक्रमण हटाने, भूमि अधिग्रहण और अन्य मामलों को सुलझाया जा रहा है।

(ग) पिंक बुक 2013-14 में बिहार के नालंदा जिले में समपार सं. 41बी के स्थान पर एक आर.ओ.बी. और 33 आर.यू.बी. स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिहार के नालंदा जिले में समपार सं. 41बी के स्थान पर एक आर.ओ.बी. और 33 आर.यू.बी. स्वीकृत किए गए हैं।

- स्थल के सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, जी.ए.डी. तैयार करने, मिट्टी की जांच आदि जैसी प्राथमिक गतिविधियां प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

सेंसर बोर्ड की शक्तियों की समीक्षा

4425. श्री एम. आनंदन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) की शक्तियों की समीक्षा करने तथा फिल्मों के प्रमाणन एवं टी.वी. चैनलों का प्रमाणन किए जाने की आवश्यकता तथा पाइरेसी से संबंधित कानून में संशोधनों का सुझाव देने के लिए किसी पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक रूप से दिखाए जाने हेतु केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने के बावजूद कई राज्यों में एक सिनेमा के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पन्न विवाद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) का गठन चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान चलचित्र अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था और तब से सिनेमा क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत महसूस की और अन्य मुद्दों के साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समित गठित की गई। समिति ने एक प्रारूप चलचित्र विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनकी आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी।

विक्रेता लाइसेंस जारी करने हेतु नीति

4426. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री जोस के. मणि:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे स्टेशनों पर किताबों/स्टेशनरी/अन्य स्टॉलों के आबंटन नीति का ब्यौरा क्या है और क्या रेलवे स्टेशनों पर उक्त स्टॉलों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों को आरक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित स्टॉलों का वर्ष/जोन/वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के संज्ञान में उक्त स्टॉलों को आबंटी के अतिरिक्त किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाए जाने का मामला सामने आया है और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या रेलवे को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पी.सी.ओ./एस.टी.डी. बूथ सहित उक्त स्टॉलों के कैटरिंग/परिचालन संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) चूंकि बुक स्टॉल नीति अक्तूबर 2004 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया आबंटन नहीं किया गया है। बहरहाल, 12.10.2004 की बुक स्टॉल नीति के अनुसार, निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर बुक स्टॉलों का आबंटन खुली, प्रतिस्पर्धी, दो पैकेट निविदा प्रणाली तथा डी, ई, एवं एफ कोटि के स्टेशनों पर आबंटन प्रेस अधिसूचना के जरिए आवेदन मंगाकर की जानी होती थी। इसके अलावा, खान-पान/वेन्डिंग मदों की बिक्री के लिए स्टॉलों/ट्रालियों का आबंटन दिनांक 21.07.2010 की नई खान-पान नीति और विविध मदों की बिक्री के लिए स्टॉलों/ट्रालियों के आबंटन हेतु दिनांक 02.11.2012 की विविध मद नीति जारी की गई है। नीति संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर सभी स्थैतिक सामान्य छोटी इकाइयों (जी.एम.यू.) का आबंटन खुली, प्रतिस्पर्धी, दो पैकेट निविदा प्रणाली के जरिए किया जाता है जबकि ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर सभी स्थैतिक स्पैशल छोटी इकाइयों (एस.एम.यू.) तथा डी, ई एवं एफ कोटि के स्टेशनों पर सभी जी.एम.यू. एवं सी.एम.यू. का आबंटन निर्धारित अर्हता मानदंडों, वित्तीय क्षमताओं, वार्षिक बिक्री टर्नओवर, पिछले अनुभवों आदि के अनुसार, विधिवत् प्रेस अधिसूचना के जरिए आवेदन मंगाकर किया जाता है। ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर खानपान स्टॉलों एवं विविध वस्तु स्टॉलों में छोटी स्थैतिक इकाइयों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25% आरक्षण तथा डी, ई एवं एफ कोटि के स्टेशनों में आबंटन के लिए 49.5% आरक्षण है। इसके अलावा, अक्तूबर 2004 की बुकस्टॉल नीति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए बी तथा उससे नीचे की कोटि के स्टेशनों पर बुक स्टॉलों के आबंटन में 25% आरक्षण का प्रावधान है।

(ख) इस संबंध में सूचना बहुत बड़ी है और इसे इकट्ठा करने में समय लगेगा।

(ग) उत्तर रेलवे को एक शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसी शिकायतों पर विद्यमान नीति के अनुसार रेलवे द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) जी हां। उक्त स्टॉलों जैसे पैकबंद पीने के पानी की बोतलों सहित पैकबंद अतिरिक्त मदों की बिक्री हेतु अनुमति, स्टॉलों का नवीकरण, पिछड़े वर्गों के लिए अल्पाहार गृहों/स्टॉलों के आबंटन के लिए आरक्षण लागू करना, बुक स्टॉलों पर निविदा प्रणाली, लाइसेन्स फीस/रॉयल्टी का निर्धारण, बुक स्टॉलों के आबंटन की पद्धति आदि के खान-पान/परिचालन के संबंध में चुने हुए विभिन्न प्रतिनिधियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पी.सी.ओ./एस.टी.डी. बूथों यथा मौजूदा पी.सी.ओ. बूथ को एक स्थान से अन्यत्र शिफ्ट करना, रिचार्ज कूपनों, मोबाइल फोन एक्सेसरीज जैसी अतिरिक्त मदों की बिक्री की अनुमति आदि के लिए भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों की प्रचलित नीतियों के आधार पर जांच की जाती है।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

4427. श्री जगदीश ठाकोर:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) रेलवे के पास आज की तिथि के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु जोन-वार कुल कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इनका कब तक निपटान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन लंबित मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) सेवाकाल के दौरान जिन रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है अथवा जो मेडिकल के आधार पर सेवा-निवृत हो जाते हैं और इस प्रकार अपने परिवार को अभाव में छोड़ जाते हैं, उनके परिवार के एक आश्रित सदस्य की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जाता है ताकि संबंधित रेल कर्मचारी के परिवार को वित्तीय संकट से राहत दी जा सके और इस आपातकाल से उबरने में उनकी सहायता की जा सके।

(ख) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कुल 2653 मामले लंबित पड़े थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	रेलवे	लंबित मामलों की संख्या	क्र.सं.	रेलवे	लंबित मामलों की संख्या
1.	मध्य	244	9.	पश्चिम	92
2.	पूर्व	335	10.	पूर्व-मध्य	213
3.	उत्तर	121	11.	पूर्व तट	42
4.	पूर्वोत्तर	222	12.	उत्तर मध्य	50
5.	पूर्वोत्तर सीमा	256	13.	उत्तर पश्चिम	78
6.	दक्षिण	344	14.	दक्षिण पूर्व मध्य	38
7.	दक्षिण-मध्य	267	15.	दक्षिण-पश्चिम	98
8.	दक्षिण-पूर्व	143	16.	पश्चिम-मध्य	110
	कुल	1932		कुल	721

1932 + 721 = 2653

(ग) इस प्रकार के अधिकांश मामले आश्रित के अव्यस्क होने, उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध न होने, अदालतों में कानूनी मामले लंबित होने आदि के कारण लंबित हैं, अत: इन लंबित मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुदेश मौजूद हैं और इस संबंध में निरंतर निगरानी रखी जाती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(i) आवेदन प्राप्त होते ही परिवार के सदस्यों से संपर्क और विवरणों की जांच के लिए कल्याण निरीक्षक तैनात किया जाता है।

(ii) मंडल स्तर पर मंडल कार्मिक अधिकारियों/वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारियों और मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारियों द्वारा तथा अन्य इकाइयों में कार्मिक शाखा के प्रधान द्वारा भी सतत् निगरानी रखी जाती है।

(iii) आवेदनकर्ता की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए नियमित रूप से चयन किया जाता है।

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए आवधिक रूप से अनुकंपा नियुक्ति अदालतें भी आयोजित की जाती हैं।

(v) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों से संबंधित स्थिति की रेलवे बोर्ड द्वारा भी नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

आकाशवाणी केंद्रों के कार्यकरण की समीक्षा

4428. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आकाशवाणी केंद्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी (ए.आई.आर.) देश के विभिन्न भागों में स्थापित अपने आकाशवाणी केंद्रों के कार्यकरण की नियमित आधार पर तथा साथ ही, अपने प्रमुख केंद्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता की विभिन्न माध्यमों से सतत रूप से निगरानी करता है।

आकाशवाणी निधियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आकाशवाणी केंद्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निरंतर कदम उठाता है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आकाशवाणी और दूरदर्शन को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को इंगित करती हुई विवरणी और पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उपयोग की गई राशि

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14			
	सहायता (आर.ई.)		उपयोग (व्यय)		सहायता (आर.ई.)		उपयोग (व्यय)		सहायता (आर.ई.)		उपयोग (व्यय)		सहायता (आर.ई.)		उपयोग (व्यय)	
	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन	आकाश-वाणी	दूरदर्शन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
योजना	168.00	157.00	86.93	129.37	188.68	272.65	178.01	271.77	200.00	212.52	165.89	269.10	253.44	356.56	149.70	291.30
गैर-योजना	1304.17	1487.78	1185.17	1339.96	1263.69	1700.65	1247.17	1639.09	1444.45	1671.81	1356.70	1614.09	1612.80	1797.48	1091.80	1152.71

रेलगाड़ियों के मार्ग को बदला जाना

4429. श्री पी.आर. नटराजन:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को (जो पोडानूर होकर जाने वाली) और सेलम रेलवे डिविजन के कोयम्बटूर जंक्शन (मुख्य ट्रंक लाइन) पर नहीं रुकने वाली कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तन हेतु दक्षिण दक्षिण रेलवे से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे को सभी रेलगाड़ियों को दिल्ली से नांगल-पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊना तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इसी प्रकार, भारतीय रेलवे दिल्ली-नंगल डैम से ऊना तक गाड़ी विस्तार सहित मौजूदा गाड़ियों के विस्तार के अभ्यावेदनों का संकलन नहीं करती है। बहरहाल, इस समय 3 जोड़ी गाड़ियां नंगल डैम के रास्ते नई दिल्ली और ऊना (हिमाचल प्रदेश) के बीच उपलब्ध हैं और इनमें से 22457/22458 नांदेड-नंगल डैम सुपर फास्ट एक्सप्रेस का 14.11.2013 से दिल्ली के रास्ते ऊना तक विस्तार कर दिया गया है।

ग्रामीण कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

4430. श्री अजय कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण कला और संस्कृति को देश में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से कोई प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न मीडिया एककों विशेषकर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही सरकार की विभिन्न पहलों/कार्यक्रमों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार कर रहा है। इन कार्यक्रमों को व्यापक फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, मीडिया एककों के द्वारा पणधारक मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुसार भी कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। ग्रामीण कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय के मीडिया एककों द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं :

दूरदर्शन का डी.डी. भारती चैनल भारत के संगीत और नृत्य, कला और शिल्प, परंपरा और त्योहारों आदि पर निर्मित कार्यक्रमों को समर्पित है। यह चैनल भारतीय इतिहास, धरोहर और आधुनिक संस्कृति का भी प्रस्तुतीकरण करता है। इस चैनल ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उनके संग्रहालय में उपलब्ध शीर्ष-दर्जे के कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए उनके साथ भागीदारी भी की है।

डी.डी. इंडिया एक अन्य चैनल है जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवेश को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। दूरदर्शन के कई क्षेत्रीय चैनल भी हैं जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की कला और संस्कृति का चित्रण करने वाले स्थानीय भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित हैं।

आकाशवाणी केंद्र ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, जिनमें विभिन्न फॉर्मेटों में बने ग्रामीण कला और संस्कृति, लोक संगीत और नौटंकी को केंद्र पर रखा जाता है। आकाशवाणी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए लोक-गीतों, लोक कला और ग्रामीण विषयों पर आधारित ग्रामीण कला और संस्कृति पर भी सप्ताह में दो बार आधे घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आकाशवाणी के कृषि और गृह अनुभाग ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समूहों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कवरेज करते हैं। यह ग्रामीण संस्कृति, नौटंकी, गीत-संगीत आदि के लोक फॉर्मेट पर आधारित स्टूडियो में बनने वाले कार्यक्रमों के लिए ऑडिशन किए गए कलाकारों को भी आमंत्रित करता है।

ग्रामीण कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान पा चुकने वाले ग्रामीण कलाकारों के साथ वार्ताओं, विचार-विमर्श और साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रम भी पूरे देश में प्रसारित किए जाते हैं।

गीत और नाटक प्रभाग (एस. एंड डी.डी.) अपनी योजना स्कीम 'ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला और संस्कृति' के अंतर्गत विभिन्न लोक और पारंपरिक कलात्मक प्रस्तुतियों का प्रयोग करके पूरे भारत में सरकार की विकास स्कीमों के संबंध में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान गीत और नाटक प्रभाग ने 'ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला और संस्कृति' योजना स्कीम के अंतर्गत जनवरी, 2014 तक 11,675 कार्यक्रम आयोजित किए।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता

4431. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग कुल कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक बी.पी.एल. और ए.पी.एल. परिवार को किस दर से सहायता राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली सहायता की दर में कभी कटौती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) यह मंत्रालय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) का संचालन करता है जिसे पूर्व में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एन.बी.ए. के अंतर्गत निधियों को घटक-वार या श्रेणी-वार जारी नहीं किया जाता है। तथापि, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए बी.पी.एल. एवं पहचाने गए ए.पी.एल. परिवारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित किया गया केन्द्रीय व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) टी.एस.सी./एन.बी.ए. के अंतर्गत आई.एच.एच.एल. के निर्माण हेतु पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को दी गई सहायता दर नीचे दी गई है:

बी.पी.एल. हेतु प्रोत्साहन (केन्द्र का हिस्सा):

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जनवरी, 2014 तक)
1500/- रुपए (2000/- रुपए पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए)	2200/- रुपए (2700/- रुपए पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए) 1.6.2011 से प्रभावी	3200/- रुपए (3700/- रुपए पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए)	3200/- रुपए (3700/- रुपए पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए)

उन सभी ए.पी.एल. परिवारों के लिए भी ऊपर निर्दिष्ट की गई दर पर 1.4.2012 से सहायता उपलब्ध कराई गई है जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, सीमान्त किसानों वासभूमि भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला आश्रित परिवारों से संबंध रखते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु सहायता राशि को 2012 में संशोधित किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान टी.एस.सी./एन.बी.ए. के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण पर खर्च का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्र का हिस्सा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12	2011-12	2012-13	2012-13 (जनवरी, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5363.79	6281.68	5821.86	6921.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	346.07	337.72	118.30	791.30
3.	असम	5956.90	11357.42	9157.22	4812.66
4.	बिहार	10358.46	11335.42	16459.32	5281.27
5.	छत्तीसगढ़	1371.55	1297.90	949.45	1366.56
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	21230	1220.97	1334.36	2294.77
9.	हरियाणा	620.40	983.26	456.65	2134.17
10.	हिमाचल प्रदेश	393.21	541.42	385.76	1122.87
11.	जम्मू और कश्मीर	561.06	1430.44	2628.24	2123.71
12.	झारखण्ड	3151.49	1972.35	1218.34	1304.43
13.	कर्नाटक	5563.10	2989.05	5510.82	7970.48
14.	केरल	473.45	426.49	268.65	752.38
15.	मध्य प्रदेश	8668.38	8266.65	15598.41	14644.91

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	3306.09	4218.48	3622.56	4873.71
17.	मणिपुर	388.31	573.49	1532.32	933.67
18.	मेघालय	841.87	1146.12	771.75	594.81
19.	मिजोरम	40.87	557.94	81.90	59.52
20.	नागालैंड	90.07	821.70	293.15	1071.63
21.	ओडिशा	3610.59	3280.06	1830.95	801.58
22.	पुदुचेरी	1.59	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	35.24	15.33	315.90	105.70
24.	राजस्थान	1925.97	1638.10	4152.84	3365.66
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	204.77
26.	तमिलनाडु	4642.45	7529.95	6790.83	11378.03
27.	त्रिपुरा	222.66	231.76	87.55	269.96
28.	उत्तर प्रदेश	16525.73	9444.48	17089.38	19467.51
29.	उत्तराखण्ड	975.52	1066.69	1169.93	1162.17
30.	पश्चिम बंगाल	3953.65	5766.09	11407.52	9724.73
	कुल योग	81490.75	84731.46	109053.96	105534.60

[अनुवाद]

भूमि अर्जन कानून का दुरुपयोग

4432. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बांधों और अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में प्रतिष्ठित लोगों और कार्यकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जन प्रतिनिधियों ने मांग की है कि ऐसे पीड़ितों पर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लागू किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ङ) जी नहीं। भूमि और इसका

प्रबंधन, राज्यों के एकमात्र विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में प्रावधान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम यथा "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" बनाया है जो 01.01.2014 से लागू हो गया है।

सिग्नल में खराबी के कारण हुई दुर्घटना

4433. श्री सी. शिवासामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत में अधिकतर रेल दुर्घटनाएं केबल और सिग्नल में खराबी के कारण हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूर्व युगोस्लाविया में निर्मित आर.ई. केबलों से स्थापित वर्गों के कारण ट्रेन परिचालन और अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे इलैक्ट्रिक केबल वही बनाई जा रही है, जबकि ये बाजार में उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) अभी तक भारतीय रेलों के 65436 मार्ग किमी. में से केवल 4145 मार्ग किमी. (लगभग) ही पूर्ववर्ती रेल विद्युतीकरण (आर.ई.) केबलों पर कार्य कर रहे हैं। इन केबलों की निर्धारित कार्यसूची के अनुसार नियमित रूप से जांच की जाती है और यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन्हें तत्काल दूर किया जाता है तथा इस खंड पर गाड़ी परिचालन किसी भी हाल में खतरे में नहीं है।

(ग) जी नहीं। रेलवे के दूरसंचार संबंधी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट आर.ई. केबल का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है। बहरहाल, रेल विद्युतीकरण क्षेत्र में उपयोग की जा रही समकक्ष केबल का भारत में काफी बड़ी संख्या में कंपनियों द्वारा विनिर्माण किया जाता है।

(घ) और (ङ) रेलों ने बाकी बची हुई उन पुरानी आर. ई. केबलों को उत्तरोत्तर रूप से बदलने की योजना बनाई है, जो अपनी कोडल आयु पूरी कर चुकी हैं।

रणनीतिक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना

4434. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र द्वारा कम अभिरुचि दिखाए जाने के कारण स्वदेशी क्षमता विकसित करने के लिए दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एन.टी.पी.-2012) अनुमोदित की है जिसमें दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु अन्य बातों के साथ निम्न उद्देश्य हैं :

- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नई तकनीक के दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं का घरेलू अनुसंधान एवं विकास, आई.पी.आर. सृजन, एन्टरप्रेनरशिप, विनिर्माण, वाणिज्यिकी और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक कोष का सृजन।
- डिजाईन, अनुसंधान और विकास, आई.पी.आर. सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण हेतु पारिप्रणाली को बढ़ावा देना अर्थात् वर्ष 2017 और 2020 तक क्रमश: न्यूनतम 45% और 65% के मूल्य संवर्धन के साथ 60% और 80% तक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पाद के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला।

- उन दूरसंचार उत्पादों, जो देश की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, की खरीद हेतु घरेलू विनिर्माण दूरसंचार उत्पादों में और अपनी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी.ओ.) के प्रति वचनबद्धताओं के अनुरूप सरकार में स्वयं के उपयोग हेतु खरीद में प्राथमिकता देना।

घरेलू विनिर्मित इलैक्ट्रोनिक उत्पादों जिनमें दूरसंचार उपकरण शामिल हैं, की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित इलैक्ट्रोनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने हेतु एक नीति निर्धारित की है। उपर्युक्त के अनुसार दूरसंचार विभाग ने 05 अक्तूबर, 2012 को सरकारी विभागों द्वारा और सरकारी परियोजनाओं में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों हेतु प्राथमिक बाजार पहुंच नीति अधिसूचित की है।

अल्पसंख्यक आयोगों का गठन

4435. श्री एस. सेम्मलई: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इन आयोगों का गठन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सूचित किया है कि निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अभी अल्पसंख्यक आयोग गठित करने हैं: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, दमन व दीव, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी। जहां तक त्रिपुरा राज्य का संबंध है यह बताया गया है कि इस राज्य ने इस संबंध में विधेयक पारित कर लिया है जिस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी बाकी है। इसके अलावा, एन.सी.एम. अधिनियम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

(ग) यह मामला उन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है जहां ये अस्तित्व में नहीं हैं।

शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों हेतु रिक्तियां

4436. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में आज की तिथि के अनुसार शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुल पदों की वर्ग और जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके तहत की गई भर्ती का वर्ग, जोन और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आरक्षित वर्ग के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में रिक्तियों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर भरने के लिए रेलवे को न्यायालय द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संरक्षा कोटियों में कुछ पदों के संबंध में संबंधित प्राधिकारी से शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की सीमा से छूट मांगी गई थी। इस मुद्दे को अंतिम रूप दिए जाने तक इन रिक्त पदों को अभी भरा नहीं गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। शारीरिक रूप से नि:शक्त कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए रेलों की सभी फील्ड इकाइयों द्वारा एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 7 मार्च, 2012 की 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 23132 द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुरूप ही है।

[हिन्दी]

जिला स्तरीय समितियां

4437. श्री पूर्णमासी राम: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के नये 15-सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित कोई जिला स्तरीय समितियां देश में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों का कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त समितियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कौन-कौन से उपाय किये गये हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का नया 15 पी.पी.) के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) प्रशासनों को प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर की समितियों के गठन का सुझाव दिया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई योजना की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट राज्य स्तर की समिति को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है, अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम करने वाली जिला स्तर समिति के संबंध में ब्यौरे केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की निगरानी सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की नोडल एजेंसी होने के नाते केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर इन कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा की जाती है। मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करता है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक के संचालन की समीक्षा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ की जाती है। लक्ष्यों के संदर्भ में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा छ: माह में एक बार सचिवों की समिति द्वारा की जाती है और तत्पश्चात् इसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल को की जाती है।

मोतीबाग रेलवे कार्यशाला

4438. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागपुर में मोतीबाग कार्यशाला में ब्रॉडगेज (बी.जी.) कोच की 'पीरिऑडिक ओवरहॉलिंग (पी.ओ.एच.)' शेड के निर्माण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए आवंटित/व्यय की गई या व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) कार्य की विस्तृत योजना और अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) 2013-14 के दौरान इस कार्य के लिए 2.91 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ग) पूरा करने की लक्ष्य तिथि ठेका जारी होने के बाद से तीन वर्ष है।

[अनुवाद]

विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन

4439. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए विद्युत आपूर्ति और वितरण नेटवर्क का विच्छेदन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। वितरण क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्द्धा एवं दक्षता लाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव, विद्युत आपूर्ति एवं वितरण नेटवर्क व्यवसाय के पृथक्करण सहित, टिप्पणियों के लिए 17 अक्तूबर, 2013 को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और सभी पणधारियों को परिचालित भी किया गया है। पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों तथा तदनन्तर इस संबंध में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर उपयुक्त संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पालम हवाई अड्डे के निकट ऊंचे भवन

4440. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के निकट अनेक बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त भवनों के स्वामियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार की गजट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 84(ई) के अनुसरण में सभी भवनों के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। दिल्ली हवाई अड्डे के निकट निर्मित/निर्माणाधीन गगनचुम्बी भवनों हेतु जिन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, यदि इस संबंध में कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एयरोड्रूम का प्रभारी अधिकारी वायुयान (भवनों तथा वृक्षों आदि द्वारा उत्पन्न बाधाओं को हटाना) नियम, 1994 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।

विवरण

डॉयल, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रीक्ट से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्रों के मामले

क्र.सं.	मामला संख्या	बिल्डर्स का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	506/2010	मैसर्स सिलवर रिसोर्ट्स होटल इंडिया प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-3
2.	127/2010	मैसर्स हिसिन्थ होटल प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-6
3.	169/2010	मैसर्स प्राइड होटल्स लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-5ए
4.	95/2010	मैसर्स आरिया होटल और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-4
5.	126/2010	मैसर्स वेव हॉस्पिटेलिटी प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-12
6.	199/2010	मैसर्स ओक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-7
7.	199A/2010	मैसर्स ओक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-8
8.	172/2010	मैसर्स जुनियर होटल प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-1
9.	268 (ए)/2009	मैसर्स इन्टरग्लोबहोटल प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-9

1	2	3	4
10.	119/2010	मैसर्स स्वर्ग स्टार रियलिटी प्राइवेट है. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-13
11.	501/2010	मैसर्स सेंट्रल पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-5 ब
12.	96/2010	मैसर्स कैड्डल होटल प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-2
13.	129/2010	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट होटल प्रा. लिमिटेड	परिसंपत्ति सं.-10

वर्ष 2011 के लिए आंकड़े

क्र.सं.	मामला सं.	बिल्डर्स का नाम	परियोजना विवरण
1.	03/2011	मैसर्स लैंड मार्क बिल्डर्स (पी) लिमिटेड	प्लॉट संख्या 1, लोकल शॉपिंग सेंटर, मुनिरका, फेस-III, नई दिल्ली
2.	43/2011	महाराजा सैनी को-ऑपरेटिव सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	प्लॉट संख्या 25, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली
3.	170/2011	मैसर्स कार्तिक पावर प्रा. लिमिटेड	समालका गांव खसरा नम्बर 24/17–32/7/2, वसंत विहार, नई दिल्ली में मोटल भवन का निर्माण
4.	225/2011	मैसर्स राइसकोन बिल्डवेल	प्लाट संख्या 105, ब्लॉक ए, सेक्टर-8, द्वारका
5.	420/2011	सत्य बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	खसरा नम्बर 38/17–40/6/1/2 गांव समालका, नई दिल्ली
6.	421/2011	सत्य मोटेल	खसरा नम्बर 30/17–39/4/1/2 गांव समालका, नई दिल्ली
7.	495/2011	एच.एच.पी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स	प्लाट संख्या 7, ब्लॉक बी. गांव रंगपुरी, वसंत कुंज, नई दिल्ली
8.	537/2011	नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स	एच.ए.पी., पॉकेट ए, सेक्टर-11 द्वारका, नई दिल्ली
9.	552/2011	मुख्य प्रशासन अधिकारी	ए.आर.सी. टैक्नीकल कॉम्पलेक्स, महिपालपुर, नई दिल्ली के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण

वर्ष 2012 के लिए आंकड़े

क्र.सं.	मुकद्दमा सं.	बिल्डर्स का नाम	परियोजना विवरण
1	2	3	4
1.	23/2012	प्रकाश चंद गुप्ता	प्लॉट संख्या 74 पर भवन, सेक्टर 19, द्वारका, नई दिल्ली

1	2	3	4
2.	24/2012	नरेश कुमार, सोलंकी	प्लॉट संख्या 196 पर भवन, ब्लॉक बी, सेक्टर-18, द्वारका, नई दिल्ली
3.	28/2012	दीपक बजाज	प्लॉट संख्या 128 पर भवन, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली
4.	29/2012	आजाद सिंह और श्रीमती बीरमति	प्लॉट संख्या 32 पर भवन ब्लॉक बी गांव रंगपुरी, नई दिल्ली
5.	30/2012	मैसर्स भगवती सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	प्लॉट संख्या 1ए पर भवन, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली
6.	36/2012	मैसर्स निर्मल सोसायटी और एजुकेशन	निर्मल भारती स्कूल का भवन सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली
7.	38/2012	पुपिन्द्रकौर	प्लॉट नम्बर-266, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
8.	55/2012	श्री अजय गुलाटी व अन्य	प्लॉट नम्बर 199 पर आवास भवन, ब्लॉक ए, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
9.	61/2012	श्री राजीव सचदेव	प्लॉट नम्बर 5 पर भवन का निर्माण, एल.एस.सी. -1, सेक्टर 4, द्वारका, नई दिल्ली
10.	74/2012	मैसर्स राज रेवल एसोसिएट्स	प्लॉट नम्बर 1 पर भवन का निर्माण, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली
11.	97/2012	अमेरिकी दूतावास स्कूल	अमेरिकी दूतावास में चंद्रगुप्त स्कूल भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
12.	111/2012	ई.ई.	द्वारका सेक्टर 3 के निकट भवन, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, द्वारका, नई दिल्ली
13.	127/2012	कार्यपालक इंजीनियर	सेक्टर 10, द्वारका में जिला न्यायालय परिसर
14.	139/2012	राष्ट्रीय आई.एन.एस. मलेरिया अनुसंधान	राष्ट्रीय आई.एन.एस. मलेरिया अनुसंधान में ऑडिटोरियल गेस्ट हाउस सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली
15.	140/2012	के.के. चड्ढा	औषधालय भवन, बिंडापुर, पॉकेट-3, द्वारका, नई दिल्ली
16.	141/2012	हॉस्पिटेक मैनेजमेंट कन्सलटेंट	मोतीबाग, नई दिल्ली में अस्पताल भवन का निर्माण

1	2	3	4
17.	161/2012	मैसर्स प्रेसीडेंट प्रगति टिप्स सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	प्लॉट नंबर जी.एच.-14, सेक्टर-47, द्वारका में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का निर्माण
18.	162/2012	श्रीमती अनिता शर्मा	आवासीय भवन प्लॉट नं. 174, पर निर्माण धारा-19, द्वारका, नई दिल्ली
19.	163/2012	श्रीमती बीना	आवासीय भवन प्लॉट-44 पर निर्माण ब्लॉक-बी, सेक्टर 08, द्वारका, नई दिल्ली
20.	164/2012	श्रीमती सोनिया मैंगी	प्लॉट नंबर 52, पर आवासीय भवन का निर्माण, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
21.	165/2012	श्रीमती बिमला	प्लॉट नंबर 22 पर आवासीय भवन का निर्माण-ब्लॉक बी, रंगपुरी वसंत कुंज, नई दिल्ली
22.	167/2012	श्रीमती कृष्णा देवी	प्लॉट-43 ब्लॉक बी पर निर्माण, रंगपुरी वसंत कुंज
23.	171/2012	मैसर्स. एम.जी.एफ. हुंडई	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बी-60, पर निर्माण ओखला फेज-1 नई दिल्ली
24.	175/2012	श्रीमती नर्बदा	आवासीय भवन प्लॉट नंबर 127 पर निर्माण, सेक्टर 19, द्वारका, नई दिल्ली
25.	177/2012	श्री विरेन्द्र कुमार गौड़ व श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	आवासीय भवन प्लॉट नं. 340 पर निर्माण, सेकंड-19, द्वारका, नई दिल्ली
26.	223/2012	श्री शाम सुंदर खुराना	प्लॉट नं. 171 बी.के.आई.-डी, सेक्टर-8, पर भवन का निर्माण, द्वारका, नई दिल्ली
27.	224/2012	श्री मनन नारंग	प्लॉट नंबर 75, बी.के.आई.-बी, सेक्टर 8 पर भवन का निर्माण द्वारका, नई दिल्ली
28.	266/2012	आसूचना ब्यूरो	प्लॉट नं. 9/1 में संस्थागत भवन का निर्माण सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली
29.	294/2012	श्री दिनेश सिंह जामवाल	ए.टी.सी. और एसोसिएटेड आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर काम करता है।
30.	299/2012	श्री रामफल	प्लॉट नंबर 47, ब्लॉक ए पर आवासीय भवन का निर्माण रंगपुरी, नई दिल्ली
31.	302/2012	भारतीय संस्थान, मास कम्युनिकेशन	भवन, जे.एन.यू. परिसर में, नई दिल्ली-67

1	2	3	4
32.	306/2012	मैसर्स रिसिकोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	भवन, प्लॉट नं. 239, बी.एल.के.ए., सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
33.	311/2012	मैसर्स सल्यूशन हट इंडिया प्रा. लिमिटेड	भवन, प्लॉट पर नहीं, 154, बी.एल.के.ए., सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
34.	313/2012	मैसर्स वर्थ बिल्डवेल प्राइवेट, लिमिटेड	भवन, प्लॉट पर नहीं, 104, बी.एल.के.बी., सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
35.	321/2012	श्री एच.एस. सिंह	एस.पी.जी. परिसर में भवन का निर्माण सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
36.	322/2012	ए.आई.एस. स्टाफ सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	भवन, ए.आई.एस. स्टाफ, दिल्ली में
37.	326/2012	मैसर्स मुथूट अस्पताल (पी) लिमिटेड	सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली में अस्पताल भवन का निर्माण
38.	301/2012	मैसर्स सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड	आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली में चिमनी का निर्माण
39.	345/2012	मैसर्स बेलूर सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	ग्रुप हाउसिंग सोसायटी प्लॉट नं.-1 पर निर्माण, सेक्टर 18A, द्वारका, नई दिल्ली
40.	341/2012	मैसर्स जे.एम.एम. फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	शॉपिंग मॉल/कॉम कॉम्प्लेक्स में परिसर का निर्माण प्लॉट नं. 5, सिटी सेंटर, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली
41.	374/2012	मैसर्स टी.बी.आई. इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट है.लिमिटेड	गांव-समालखा, तेह-वसंत विहार, नई दिल्ली में होटल भवन का निर्माण
42.	452/2012	श्री आर. सैनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल	डी.पी.एस., सेक्टर-12 में स्कूल भवन का निर्माण, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
43.	463/2012	इंडियन एविएशन अकादमी	भारतीय एविएशन अकादमी और होटल ब्लॉक रंगपुरी, वसंत विहार, नई दिल्ली
44.	488/2012	मैसर्स उप्पल होटल प्रा. है. लिमिटेड	समालका गांव में मोटल भवन, एन.एच.-8, नई दिल्ली
45.	430/2012	शेर सिंह मेमोरियल जीवन विज्ञान सोसायटी लिमिटेड	सेक्टर-22, भवन, द्वारका, नई दिल्ली

1	2	3	4

वर्ष 2013 के लिए डाटा

क्र.सं.	मुकदमा सं.	बिल्डर्स का नाम	परियोजना विवरण
1	2	3	4
1.	7/2013	माउंट एवरेस्ट सी.जी.एच.एस. लिमिटेड	प्लॉट नं. 17 पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का निर्माण, सेक्टर 09, द्वारका, नई दिल्ली
2.	12/2013	श्रीमती सुषमा झा एवं अन्य	प्लॉट 100, ब्लॉक डी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण
3.	13/2013	मैसर्स बजरंगबली बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट 184, ब्लॉक डी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण
4.	14/2013	मैसर्स परफेक्ट शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संघ	एच.ए.एफ.-9, पॉकेट ए, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली में स्कूल भवन का निर्माण
5.	29/2013	श्री चंद्रशेखर सनोन	आवासीय भवन पर निर्माण 37, ब्लॉक ए, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
6.	45/2013	शिक्षा भारती एजुकेशनल सोसायटी	शिक्षा भारती स्कूल सेक्टर-8 में भवन का निर्माण द्वारका, नई दिल्ली
7.	49/2013	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव	प्लॉट 110, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली पर आवासीय भवन का निर्माण
8.	50/2013	श्री मयंक प्रकाश श्रीवास्तव	प्लॉट नं. 9, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली, आवासीय भवन का निर्माण
9.	61/2013	श्री विजय सचदेवा व श्रीमती मधु सचदेवा	प्लॉट नं. 271, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली पर आवासीय भवन का निर्माण
10.	102/2013	श्रीमती पूनम Kathpalia	प्लॉट नं.-45, ब्लॉक बी, सेक्टर 23ए, द्वारका, नई दिल्ली पर आवासीय भवन का निर्माण
11.	116/2013	सशस्त्र सीमा बल (गृह मंत्रालय)	राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर का निर्माण
12.	120/2013	श्री सुशील कुमारी और श्री विनोद कुमारी लोहिया	प्लॉट 80 में आवासीय भवन, ब्लॉक ए, रंगपुरी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण

1	2	3	4
13.	124/2013	श्री एम. रस्तोगी, पूर्व इंजीनियर	एम्स ट्रामा सेंटर, नई दिल्ली में बिल्डिंग का निर्माण
14.	127/2013	श्रीमती गरिमा सहगल और श्री मनोज सेठी	प्लॉट 88, ब्लॉक ए, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण
15.	131/2013	सिविल सेवा सोसायटी	प्लॉट नं. 34, 35 व 36 चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्कूल भवन का निर्माण
16.	159/2013	श्री दयानंद व श्रीमती कृष्णा	प्लॉट नं. 14, ब्लॉक सी, रंगपुरी, नई दिल्ली आवासीय भवन का निर्माण
17.	161/2013	दिल्ली एविएशन डिवीजन, सी.पी.डब्ल्यू.डी., नई दिल्ली	सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली में औषधालय भवन का निर्माण
18.	162/2013	दिल्ली एविएशन डिवीजन, सी.पी.डब्ल्यू.डी., नई दिल्ली	सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली में औषधालय भवन का निर्माण
19.	181/2013	दिल्ली एविएशन डिवीजन, सी.पी.डब्ल्यू.डी., नई दिल्ली	सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण
20.	212/2013	चौधरी देवीलाल मेमोरियल सोसायटी	संस्थागत भवन के प्लॉट-9, आई.एच.सी., वसंत कुंज, नई दिल्ली में निर्माण
21.	214/2013	श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती संतोष 248/2013 देवी	प्लॉट-11, ब्लॉक बी-1, रंगपुरी, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण
22.	248/2013	दिल्ली विकास प्राधिकरण	महरौली-महिपालपुर रोड, नई दिल्ली पर वसंत कुंज में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण
23.	265/2013	श्रीमती उपमा महाजन एवं अन्य	प्लॉट नं. 363, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली में आवासीय भवन का निर्माण
24.	291/2013	श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा	मोटल भवन. के.एच. नं. 379 व 394, गांव रंगपुरी, नई दिल्ली में भवन का निर्माण
25.	307/2013	सशस्त्र सीमा बल (गृह मंत्रालय)	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर भवन का निर्माण, निकट दाह संस्कार जमीन, महिपालपुर, नई दिल्ली
26.	308/2013	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर कार्यालय परिसर का निर्माण के पास श्मशान भूमि, महिपालपुर, नई दिल्ली
27.	309/2013	सी.आई.एस.एफ. (गृह मंत्रालय)	सी.आई.एस.एफ. परिसर में भवन का निर्माण (जी. बी.एस.), महिपालपुर, नई दिल्ली

1	2	3	4
28.	334/2013	डी.सी.पी., दिल्ली पुलिस	सेक्टर-17 में द्वारका, नई दिल्ली राजभाषा पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण
29.	337/2013	आई.आई.टी. कैम्पस, हौज खास, नई दिल्ली	गर्ल्स होस्टल भवन, आई.आई.टी. परिसर में भवन का निर्माण हौज खास, नई दिल्ली
30.	414/2013	सेटक्लो	टेक्निकल एरिया, एयरफोर्स, पालम, नई दिल्ली
31.	415/2013	श्री शर्मा ज्ञान प्रकाश	के.एच. नं. 379 व 394, गांव-रंगपुरी नई दिल्ली
32.	421/2013	आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-16बी, द्वारका, नई दिल्ली
33.	427/2013	दिल्ली विमानन ईंधन सुविधा प्रा.	शाहाबाद, मोहम्मदपुर में 2×1010 के.वी.ए. डी.जी. सेट का निर्माण
34.	478/2013	श्रीमती. बाल लता	प्लॉट नं. 248, ब्लॉक ए, प्लॉट सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली
35.	569/2013	दिल्ली विकास प्राधिकरण	352 बहुमंजिली दो दो बेड रूम समीप पॉकेट 3, सेक्टर 19बी, द्वारका, नई दिल्ली
36.	591/2013	श्री संजीव चौधरी	भूखंड नम्बर-ए-76, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली

सेवाकर की गैर-वापसी

4441. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलवे आरक्षण करते समय यात्रियों से लिए गए सेवा कर को आरक्षित टिकट रद्द कराते समय वापस नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण यात्रियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) 12वीं योजनावधि के दौरान टिकटों पर यात्रियों से और अन्यथा एकत्रित सेवा कर और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) आरक्षित टिकट के रद्दकरण के मामले में, रद्दकरण प्रभार की राशि पर लगने वाले सेवा कर के भाग को छोड़ कर यात्री किराए पर लिया गया सेवा कर वापस कर दिया जाता है। बहरहाल, ई-टिकट के मामले में आई.आर.सी.टी.सी. सेवा प्रभार पर एकत्रित सेवा कर को वापस नहीं किया जाता है क्योंकि सेवा पहले ही प्रदान कर दी गई है।

(घ) 2012-13 और 2013-14 (जनवरी, 2014 तक) के दौरान एकत्रित सेवा कर क्रमश: 1478 करोड़ रु. और 2741 करोड़ रु. है जो रेल मंत्रालय द्वारा मासिक लेखा के माध्यम से बुक समायोजन करके वित्त मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। सेवा कर का उपयोग वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रेलवे में माल ढुलाई

4442. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में माल ढुलाई के लिए निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे रेलवे द्वारा अर्जित लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा अपने माल ढुलाई के लक्ष्यों और उससे लाभ में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) गत तीन वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे को छोड़कर भारतीय रेल पर माल लदान के लिए निर्धारित और हासिल लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य (संशोधित अनुमान) मिलियन टन में	हासिल लदान मिलियन टन में
2010-11	922.39	921.73
2011-12	967.75	969.05
2012-13	1007	1006.55* (अनंतिम)

(ख) भारतीय रेल माल यातायात सेवाओं से सीधे लाभ प्राप्त नहीं करती। बहरहाल, गत तीन वर्ष के दौरान माल यातायात पर संविभाजित व्यय की तुलना पर माल यातायात से होने वाली अतिरिक्त आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	माल यातायात पर संविभाजित व्यय की तुलना में माल यातायात से अतिरिक्त आमदनी (करोड़ रु. में)
2010-11	17369
2011-12	18371
2012-13	21254

(ग) भारतीय रेल पर माल यातायात के निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. 2007-08 से समूची भारतीय रेल पर उन्नत धुरा भार परिचालन और अपेक्षाकृत लंबी गाड़ियों का उत्तरोत्तर प्रसार करके प्रति गाड़ी अपेक्षाकृत अधिक थ्रूपुट मुहैया कराई गई है।

2. बेहतर परिसंपत्ति उपयोग के लिए माल यातायात परिचालन सूचना प्रणाली (एफ.ओ.आई.एस.) के जरिए माल यातायात परिचालन की गहन निगरानी।

3. प्रणाली में शामिल किए जा रहे नए चल स्टॉक को उच्च रफ्तार और उच्च धुरा भार की दृष्टि से स्वीकृत कराया जा रहा है।

4. अधिक भीड़ वाले/संतृप्त खंडों पर क्षमता संबंधी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए परीक्षण के आधार पर वितरित पावर सिस्टम और लंबी दूरी के कर्षण की अवधारणा शुरू की जा रही है।

5. अधिकाधिक माल यातायात की सम्हलाई के लिए गत वर्षों में शामिल किए जाने वाले चल स्टॉक की मात्रा में काफी वृद्धि की गई है।

6. रेलों के लिए अतिरिक्त यातायात तैयार करने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से माल यातायात प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।

इलाहाबाद में हवाई-अड्डा

4443. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण/विद्यमान हवाई अड्डे का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद में इरादतगत में एक सिविल हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या इलाहाबाद में बहुत कम उड़ानों का प्रचालन हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इलाहाबाद से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। इलाहाबाद हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) से सम्बद्ध है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका सिविल एन्कलेव के रूप में अनुरक्षण करता है। भूमि की कमी के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इलाहाबाद में स्थित वर्तमान सिविल एन्कलेव का आगे विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार से नए सिविल एन्कलेव के विकास के लिए भारतीय वायु सेना की चारदीवारी के साथ लगी हुई 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) वर्तमान में केवल एअर इंडिया दिल्ली-इलाहाबाद-दिल्ली सेक्टर पर दैनिक उड़ान तथा मुम्बई-इलाहाबाद-मुम्बई सेक्टर के लिए सप्ताह में चार उड़ानें प्रचालित कर रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए सरकार द्वारा मार्ग संवितरण मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि यातायात मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान विशेष के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध करवाना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। अतः, सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण मार्गनिर्देशों के अनुसरण की शर्त पर एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

गोदामों, सीमेंट साइडिंग्स और गुड्स शेड्स का स्थानांतरण

4444. श्री जोस के. मणि:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय गोदामों/सीमेंट साइडिंग्स/गुड्स शेड्स को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रभावित स्टॉल ठेकेदारों ने रेलवे से उनके स्टॉलों को भी स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे सहित इसकी जोन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या रेलवे को गुड्स शेड्स का स्थानांतरण कोट्टायम स्टेशन से किसी अन्य स्थान पर किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) रेलवे का गुड्स शेडों के प्रति यह दृष्टिकोण है कि मौजूदा लाइन का विस्तार करके, अतिरिक्त लाइनें बिछाकर, पहुंच मार्गों और अन्य सुविधाओं में सुधार लाकर गुड्स शेडों की क्षमता में वृद्धि की जाए। रेलवे सामान्यतः गुड्स शेडों को शिफ्ट करने तथा इन्हें शिफ्ट करने से अव्यवस्था उत्पन्न न हो, के दृष्टिकोण से अपने आप पर नियंत्रण रखती है। बहरहाल, व्यापार और उद्योग तथा गुड्स शेड के आस-पास रहने वाले निवासियों के बेहतर हित के लिए इन्हें शिफ्ट/स्थानांतरित किया जाता है जो परिचालनिक आवश्यकता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता, तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

निम्नलिखित गुड्स शेडों को शिफ्ट/स्थानांतरण किए जाने के लिए स्वीकृत तथा अनुमोदित किया गया है:

क्र.सं.	मौजूदा गुड्स शेड	नई जगह
1	2	3
1.	गुलबर्गा	सुल्तानपुर

1	2	3
2.	भागलपुर	टिकानी
3.	डेहरी-आन-सोन	पहलाजा
4.	शालीमार	संकरेल
5.	वापी	कोरमबेली
6.	इटारसी	पोवारखेड़ा

(ग) और (घ) उत्तर रेलवे को शकूरबस्ती, दिल्ली किशनगंज और पानीपत में स्टॉलों के लिए तीन ठेकेदारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। खान-पान नीति 2010 में स्टॉलों को शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री राजस्व लक्ष्य

4445. श्री एस.एस. रामासुब्बूः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने यात्री राजस्व लक्ष्यों, मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सफाई इत्यादि के लक्ष्यों की प्राप्ति में रेलवे की असफलता की ओर इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने यात्रियों के लिए समस्त सेवाओं और राजस्व अर्जन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां। जहां एक ओर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी. एंड ए.जी.) ने 'रेलवे वित्त' पर अपनी 2013 की रिपोर्ट सं. 12 के अध्याय 1 में यात्री राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में रेलवे की विफलता का उल्लेख किया है वहीं दूसरी ओर 2013 की रिपोर्ट सं. 11 के अध्याय 4 में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, साफ-सफाई आदि में खामियों का उल्लेख किया गया है।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) सी. एंड ए.जी. की 2013 की रिपोर्ट सं. 12 के पैरा 1.4.2 में लेखा परीक्षा ने यह पाया है कि बजट अनुमान की तुलना में आय कम हुई है।

(ii) सी एंड ए.जी. की 2013 की रिपोर्ट सं. 11 के अध्याय 4 में स्वास्थ्य, साफ-सफाई, शौचालयों और स्टेशनों पर पीने के पानी की आपूर्ति आदि में खामियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सी. एंड ए.जी. रिपोर्टों में निहित सिफारिशों/आपत्तियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को लोक सभा समिति के समझ लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत एवं विधीक्षा करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।

बहरहाल, यात्री राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, किराया और माल भाड़ा में ईंधन समायोजन घटक (एफ. ए.सी.) को लागू करना, कोलकाता मेट्रो रेलवे के किराए में संशोधन, नई/विशेष/प्रीमियम गाड़ियां आरंभ करना, लोकप्रिय गाड़ियों में क्षमता का संवर्धन जैसे कई उपाय शुरू किए गए हैं।

स्टेशनों पर सुविधाओं में हुई कमियों को दूर करने सहित यात्री सुविधाओं का संवर्धन/सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से रेलवे ने प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए, उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने और यांत्रिकृत उपकरणों की व्यवस्था करके बहु-आयामी कार्य योजना बनाई है। स्टेशनों पर उचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए कूड़ा बीनने, कचरे का निपटान करने तथा यांत्रिकृत साफ-सफाई के लिए ठेके प्रदान किए जाते हैं। 'पे एंड यूज' योजना के क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक शौचालय लाए गए हैं। साफ-सफाई की निगरानी के लिए रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और कमजोर क्षेत्रों की पहचान भी की जाती है तथा निवारक उपाय किए जाते हैं। रेलवे परिसरों में साफ-सफाई तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नियम भी निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार, सवारी डिब्बों में साफ-सफाई तथा स्वच्छता में सुधार लाने का निरंतर प्रयास जारी है। सवारी डिब्बों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाने के लिए अनुरक्षण डिपुओं में गहन यांत्रिकृत साफ-सफाई, चलती गाड़ी में सवारी डिब्बों की सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउस-कीपिंग सेवाएं (ओ.बी. एच.एस.) और 'क्लीन ट्रेन स्टेशन (सी.टी.एस.)' पर गाड़ियों के ठहराव के दौरान गाड़ियों की सफाई करना आदि जैसी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अलावा, सवारी डिब्बों में साफ-सफाई की निगरानी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।

डीजल इंजनों में सी.एन.जी. का प्रयोग

4446. श्री राम सिंह राठवा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने एक किट का विकास और परीक्षण किया है जिससे डीजल इंजन सी.एन.जी. से चल सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.एन.जी. इंजनों का वाणिज्यिक प्रयोग कब आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रति 100 कि.मी. पर सी.एन.जी. और डीजल चालित इंजनों के बीच लागत भिन्नता का अनुपात क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) रेलवे ने सी.एन.जी. से आंशिक तौर पर डेमू डीजल इंजन चलाने के लिए एक किट का परीक्षण किया है। इस प्रकार की एक डेमू डी.पी.सी. विकसित की गई है और इसे शकूरबस्ती डीजल शेड में चलाया जा रहा है।

(ग) सी.एन.जी. इंजन वाली एक डेमू डी.पी.सी. पहले ही वाणिज्यिक सेवा में है।

(घ) सी.एन.जी. और डीजल चालित इंजनों में प्रति 100 किमी. लागत भिन्नता का अनुपात अर्थात् एक डी.पी.सी. में 100% डीजल परिचालन की तुलना में 20% डीजल प्रतिस्थापन के साथ सी.एन.जी. के इस्तेमाल से इस समय लगभग 13.4% की बचत होती है।

[हिन्दी]

उद्योग द्वारा भू-जल का उपयोग

4447. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत मिनरल वाटर संयंत्रों और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय भूजल बोर्ड या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इन संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने भूजल का उपयोग किया गया है;

(घ) जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ये संयंत्र भूमि से जल की निकासी नि:शुल्क करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या जल के वाणिज्यिक उपयोग को देखते हुए मंत्रालय भूजल की निकासी हेतु कोई कीमत निर्धारित करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मिनरल वाटर संयंत्रों और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने मिनरल वाटर, पैकेज्ड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्रों को 173 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एन.ओ.सी.) जारी किए हैं।

(ग) सी.जी.डब्ल्यू.ए., इन संयंत्रों द्वारा निकाले जाने वाले भूजल के आंकड़े नहीं रखता।

(घ) सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों/पैकेज्ड पेयजल, मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक उत्पादक उद्योगों आदि जैसे जल का अत्यधिक प्रयोग

करने वाले उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी के लिए मानक निर्धारित किए हैं। सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा भूजल की निकासी के लिए निर्धारित किए गए वर्तमान मानक निम्नानुसार हैं:

भूजल संसाधन आकलन (2009) के अनुसार क्षेत्र की श्रेणी	भूजल निकासी की सीमा
सुरक्षित	निकासी भूजल पुनर्भरण के 200 प्रतिशत तक सीमित
अर्द्ध-गंभीर	निकासी भूजल पुनर्भरण के 100 प्रतिशत तक सीमित
गंभीर	निकासी भूजल पुनर्भरण के 50 प्रतिशत तक सीमित
अति-दोहित एवं अधिसूचित क्षेत्र	अनुमति नहीं दी गई है।

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में सी.जी.डब्ल्यू.ए. के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपायुक्तों/जिलाधीशों को प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) और (च) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1978 के अनुसार उद्योगों पर जल उपकर, यदि कोई हो, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भूजल की निकासी के लिए कोई लागत निर्धारित करने पर विचार नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत उपलब्धियां

4448. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अधीन विभिन्न परियोजनाओं की ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में उपलब्धियों और इसके अंतर्गत स्थापित किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अधीन विद्युतीकृत किए गए गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा में विशेषकर सुन्दरगढ़ क्षेत्र में कब तक विद्युतीकरण पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अन्तर्गत देश में 10वीं और 11वीं योजना के दौरान 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें 1,12,027 गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3,81,942 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 2.76 करोड़ बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है। संचयी रूप से दिनांक 31.01.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में अनुरूपी अवसंरचना तैयार करते हुए ओडिशा सहित 1,08,099 गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य 3,05,638 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और 2.15 करोड़ बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने शेष गांवों और 100 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थलों के विद्युतीकरण के लिए 12वीं योजना में आर.जी.जी.वी.वाई. को जारी रखने का अनुमोदन किया है। 12वीं योजना के अन्तर्गत, ओडिशा में 30 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, जिनमें सुन्दरगढ़ जिले के 148 गैर-विद्युतीकृत गांवों, 1,362 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और 79,246 बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल करते हुए, 3,113 गैर-विद्युतीकृत गांवों और 38,298 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 15,14,598 बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है। 12वीं योजना की अनुमोदित परियोजनाओं को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ठेका अवॉर्ड किए जाने की तारीख से 24 माह के भीतर पूरा किया जाना है।

(घ) आर.जी.जी.वी.वाई. के अन्तर्गत, देश में 413 परियोजनाएं (11वीं योजना के चरण-I में 341 परियोजनाएं और 11वीं योजना के चरण-II में 72 परियोजनाएं) संस्वीकृत की गई हैं, जिनमें लगभग 48,119 गैर-विद्युतीकृत गांवों का

विद्युतीकरण, 2,82,040 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 1.97 करोड़ बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है। संचयी रूप से, दिनांक 31.01.2014 की स्थिति के अनुसार, गांव/वासस्थल में अनुरूपी अवसंरचना तैयार करने के बाद, देश में 44,525 गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य, 2,07,988 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है और 1.38 करोड़ बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और बी.पी.एल. घरों को नि:शुल्क जारी किए गए विद्युत कनेक्शनों की राज्य-वार उपलब्धि

क्रम सं.	जिला	गैर विद्युतीकृत गांव				आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव				बी.पी.एल. घर			
		2010-11	2011-12	2012-13	दिनांक 31.01.2014 के अनुसार संचयी उपलब्धि (2010-11 से पूर्व उपलब्धि सहित)	2010-11	2011-12	2012-13	दिनांक 31.01.2014 के अनुसार संचयी उपलब्धि (2010-11 से पूर्व उपलब्धि सहित)	2010-11	2011-12	2012-13	दिनांक 31.01.2014 के अनुसार संचयी उपलब्धि (2010-11 से पूर्व उपलब्धि सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश*	0	0	0	0	1995	4099	965	26628	258751	98232	50570	2766614
2.	अरूणाचल प्रदेश	464	634	387	1955	388	303	220	1235	9205	11474	7140	47078
3.	असम	4086	1810	190	8119	5887	3013	618	12613	352237	232519	101260	1065857
4.	बिहार	1937	1048	701	22929	2065	1145	830	5538	641016	405736	201081	2453891
5.	छत्तीसगढ़	77	682	214	1201	4653	1744	1756	13664	196552	481971	64504	102526
6.	गुजरात*	0	0	0	0	3487	6947	1860	16527	420126	102134	26729	841865
7.	हरियाणा*	0	0	0	0	106	605	1932	4684	90535	10617	19	199279
8.	हिमाचल प्रदेश	26	52	5	83	0	0	9475	10534	3637	5901	5200	16380
9.	जम्मू और कश्मीर	45	35	28	201	404	674	443	3103	8452	13413	9072	66547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	झारखंड	3901	724	181	18121	941	592	224	5782	359213	111597	2607	1310103
11.	कर्नाटक	1	2	1	58	2095	918	10	23482	48861	49604	24640	865511
12.	केरल*	0	0	0	0	8	0	144	516	1117	0	35755	106300
13.	मध्य प्रदेश	187	228	92	662	5899	6985	5992	27815	211816	352976	244422	1091368
14.	महाराष्ट्र*	0	0	0	0	17283	8086	4185	37915	403387	126317	21148	1206544
15.	मणिपुर	143	345	0	616	147	155	161	585	4397	19421	37	29658
16.	मेघालय	13	1022	482	1744	344	476	686	2616	12880	30792	22727	95614
17.	मिजोरम	36	53	5	106	196	142	8	336	8129	6236	401	18886
18.	नागालैंड	43	22	9	91	296	348	344	1079	13434	10712	9048	43196
19.	ओडिशा	5890	1039	119	14423	8838	6200	3464	26105	1435007	518324	78003	2849764
20.	पंजाब*	0	0		0	0	0	0	6030	28890	5528	26479	100404
21.	राजस्थान	1258	182	138	4163	7348	3064	4011	33304	255939	85783	97324	1151780
22.	सिक्किम	20	5	0	25	325	50	8	383	7121	2179	417	9832
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0	4862	5130	-319	9673	115044	4083	-1754	501202
24.	त्रिपुरा	65	49	16	144	192	224	154	645	36886	22015	18516	115157
25.	उत्तर प्रदेश	23	0	3	27762	214	27	0	2982	15818	172574	3037	1062691
26.	उत्तराखंड	28	2	0	1511	572	339	193	9221	19596	5288	4035	269560
27.	पश्चिम बंगाल	63	0	16	4185	8442	7698	4130	23363	925309	559476	220661	2199050
	सकल योग	18306	7934	2587	108099	76987	58964	41584	305638	5883355	3444902	1296541	21509337

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डी.पी.आर. में गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जाना है।

[हिन्दी]

संयुक्त निरीक्षण

4449. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना जल की चोरी को रोकने के लिए पिछले 6 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियरों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यमुना जल के अप्राधिकृत रूप से लिए जाने को रोकने हेतु संयुक्त गश्त किए जाने के संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछले छः महीनों के दौरान, यमुना जल की चोरी को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियरों द्वारा कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) दिनांक 6 जुलाई, 2012 को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 42वीं बैठक में राजस्थान ने संयुक्त पुलिस बल द्वारा निगरानी की सम्भावना का पता लगाने का सुझाव दिया। तथापि, यमुना जल की अनधिकृत लिफ्टिंग को रोकने के लिए संयुक्त निगरानी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

[अनुवाद]

विद्युत हानि

4450. श्री ए.के.एस. विजयनः
श्री पी. कुमारः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उत्पन्न कुल विद्युत का 27 प्रतिशत से अधिक पारेषण के दौरान नष्ट हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विद्युत पारेषण व्यापार में विश्व में अग्रणी है लेकिन पारेषण के मामले में पीछे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आपूर्ति के मामले में विद्युत क्षेत्र की विश्वसनीयता कम है और विद्युत की गुणवत्ता निम्न है और देश में पावर ग्रिड भी बेहद कमजोर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाने और पारेषण क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जहां तक अन्तर राज्यीय पारेषण प्रणाली में पारेषण हानियों का संबंध है, ये केवल 3-4% हैं जोकि प्रणाली के मूलभूत डिजाइन के कारण हैं और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय है। जब हम पारेषण और वितरण, दोनों की संयुक्त हानियों की ओर देखते हैं, तब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2011-12 की पारेषण एवं वितरण हानियां 23.65% हैं। राज्य-वार हानियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत पारेषण व्यापार में विश्व के अग्रणीयों में से एक है। भारतीय ग्रिड विश्व के सबसे बड़े समक्रमणित प्रचालन वैद्युत ग्रिडों में से एक है जोकि उन्नत समकालीन प्रौद्योगिकी और उच्च वोल्टेज का प्रयोग कर निरंतर उभर रहा है।

जहां तक अन्तर-राज्यीय पारेषण का संबंध है, देश में एक मजबूत और एकीकृत पैन-इण्डिया पारेषण नेटवर्क की स्थापना की गई है और उक्त की उपलब्धता निरंतर 99% से अधिक बनाए रखी गई है, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समान स्तर पर है। ग्रिड की फ्रिक्वेन्सी और वोल्टेज का स्तर भी भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के अनुसार अधिकतम अवधि में विनिर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखा जाना है।

उपभोक्ता वितरण कम्पनियों (डिस्काम) द्वारा प्रबंधित वितरण प्रणालियों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। डिस्कामों को उन पर लागू 'कार्यनिष्पादन मानक' के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को डिस्कामों के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है।

(ङ) जब भी आवश्यकता पड़ती है विद्युत ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्तर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों (आई.एस.जी.एस.) और प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के रूप में भी निकासी प्रणाली के भाग के रूप में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की आयोजना एवं कार्यान्वयन किया जाता है। इसी प्रकार से अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को राज्य पारेषण यूटिलिटियों द्वारा जब तथा जैसी आवश्यकता पड़ने पर अन्तरराज्यीय उत्पादन और प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं से निकासी प्रणाली के अंग के रूप में नियोजित एवं कार्यान्वित किया जाता है। पारेषण हानियों को न्यूनतम करने के लिए अति-उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों और एच.वी.डी.सी. लाइनों का प्रयोग लंबी दूरी तक थोक विद्युत के पारेषण के लिए किया जाता है।

12वीं योजना अवधि के दौरान, राष्ट्रीय ग्रिड सुदृढ़ीकरण के क्रम में, पावरग्रिड आईएसटीएस नेटवर्क में जोड़ने के लिए लगभग 40,000 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों और लगभग 100,000 एमवीए की पारेषण क्षमता की आयोजना की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रिड की अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत अंतरण की 36,450 मेगावाट की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 12वीं योजना के अंत तक लगभग 65,550 मेगावाट करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

ट्रांसफोर्मेशन, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत (लेखाबद्ध न की गई ऊर्जा सहित)

क्षेत्र		राज्य/यू.टी.	2009-10	2010-11	2011-12
1		2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	1.	हरियाणा	31.00	29.66	28.58
	2.	हिमाचल प्रदेश	20.52	22.22	18.62
	3.	जम्मू और कश्मीर	57.35	63.27	61.78
	4.	पंजाब	23.39	25.10	23.8
	5.	राजस्थान	29.99	27.87	27.94
	6.	उत्तर प्रदेश	33.15	34.01	32.35
	7.	उत्तराखंड	25.27	29.97	28.67
	8.	चंडीगढ़	23.19	20.25	23.67
	9.	दिल्ली	22.09	20.04	19.32
पश्चिमी क्षेत्र	1.	गुजरात	22.77	19.24	21.81
	2.	मध्य प्रदेश	38.32	37.62	34.47
	3.	छत्तीसगढ़	18.62	15.06	16.45
	4.	महाराष्ट्र	25.16	20.68	19.99
	5.	दादरा और नगर हवेली	11.22	10.14	12.07
	6.	गोवा	16.99	15.27	12.43
	7.	दमन और दीव	17.19	16.83	14.50
दक्षिणी क्षेत्र	1.	आंध्र प्रदेश	18.37	19.59	17.46
	2.	कर्नाटक	18.76	17.34	12.66
	3.	केरल	19.59	18.29	17.23
	4.	तमिलनाडु	18.41	13.47	16.34

1	2	3	4	5
	5. लक्षद्वीप	11.59	25.65	22.47
	6. पुदुचेरी	11.84	12.41	14.66
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	43.58	50.77	50.89
	2. झारखण्ड	22.24	17.07	14.34
	3. ओडिशा	37.00	42.47	44.63
	4. सिक्किम	39.01	33.67	31.12
	5. पश्चिम बंगाल	18.33	22.40	23.19
	6. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19.76	20.68	18.16
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1. असम	32.82	34.17	33.48
	2. मणिपुर	54.66	50.87	40.45
	3. मेघालय	39.06	35.77	30.97
	4. नागालैंड	56.91	48.24	41.53
	5. त्रिपुरा	35.55	27.36	39.07
	6. अरूणाचल प्रदेश	48.04	47.12	46.25
	7. मिजोरम	53.80	45.63	47.73
	(अखिल भारतीय)	25.39	23.97	23.65

स्रोत : सी.ई.ए. (सामान्य समीक्षा)

पर्यटन विकास हेतु समर्थन

4451. श्री पी. करूणाकरण: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा देश के दर्शनीय पर्यटन स्थलों और पर्यटन मूल्यों को बढ़ावा देकर देश में पर्यटन विकास के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2012 को पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सिनेमा का पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम 'अतुल्य भारत' के उप ब्राण्ड के रूप में प्रचार करना है। समझौता ज्ञापन में भारत का प्रचार अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्मांकन के लिए चुनिंदा-स्थान के रूप में करने और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं

घरेलू फिल्मोत्सवों, बाजारों और कार्यक्रमों में भागीदारी करने की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन में फिल्मों की शूटिंग के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवस्थानों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से वार्ता बनाए रखने की भी परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए नोडल संगठन है, भी प्रिंट मीडिया, डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट और रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया वाहनों, टी.वी. और सामाजिक जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकता और बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन जारी करता है। वर्ष 2013-13 (आज की तारीख तक) के दौरान डी.ए.वी.पी. के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय के विज्ञापन अभियानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

समझौता ज्ञापन

इस **समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)** पर फरवरी, 2012 के 16वें (सोलहवें) दिन, नई दिल्ली में।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, जिसका कार्यालय पर्यटन भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है,

और

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसका कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में स्थित है,

द्वारा और के बीच

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान और सामान्य तौर पर, जब तक इसे रद्द न किया जाए, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्वयंमेव विस्तारणीय, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों और विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत और भारत के सिनेमा का अतुल्य भारत के उपबैंड के रूप में प्रचार-प्रसार करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

1. उद्देश्य

1.1 इस समझौता ज्ञापन पर निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हस्ताक्षर किए जा रहे हैं :

(i) अतुल्य भारत के उपब्रैंड के रूप में भाषायी/सांस्कृतिक/क्षेत्रीय विविधता पर जोर डालते हुए भारत के सिनेमा का प्रचार करके अतुल्य भारत अभियान के शीर्षक से फिल्म, पर्यटन सृजित करना और उसे बढ़ावा देना।

(ii) भारत को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्मांकन के पसंदीदा स्थान के रूप में प्रचार करना।

(iii) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फिल्मोत्सवों, बाजारों और कार्यक्रमों में भागीदारी करना।

(iv) भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना।

(v) फिल्म शूटिंग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवस्थानों के विकास हेतु राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के साथ वार्ता बनाए रखना।

(vi) भारत का फिल्म और पर्यटन के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में प्रचार करने और विदेशों से फिल्म इकाइयों के लिए वीजा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ समन्वयन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन करना।

1.2 (iv), (v) और (vi) पर उल्लिखित उद्देश्यों पर पर्यटन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा परस्पर विचार-विमर्श किया जाएगा और शीघ्र ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा।

2. परिणाम

(i) सिनेमा के माध्यम से 'अतुल्य भारत' की पहुंच का विस्तार।

(ii) विदेशी और घरेलू फिल्मों के लिए फिल्मांकन के पसंदीदा स्थान के रूप में भारत का प्रचार।

(iii) भारतीय और वैश्विक फिल्म उद्योग के बीच समर्थकारी सहभागिता।

(iv) पर्यटन और फिल्म उद्योग के बीच एकजुटता का विकास।

(v) विभिन्न कौशलों को साझा करने का सामर्थ्य।

3. पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

(i) पहचान किए गए फिल्मोत्सवों, बाजारों और कार्यक्रमों के लिए पर्यटन मंत्रालय का बजटीय सहयोग किसी भी दशा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के योगदान से अधिक नहीं होगा। पहचान किए गए कार्यक्रमों की सूची **अनुलग्नक** पर है और इसे दोनों मंत्रालयों द्वारा इसका परिवर्तन करने के लिए सहमत होने तक इसी रूप में रखा जाएगा।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास पहले से उपलब्ध श्रव्य-दृश्य सामग्री और प्रिंट अभिकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

(i) कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में निष्पादन।

(ii) यदि प्रत्यक्ष रूप में निष्पादित किया जाता है तो आई.एफ.एफ.आई. के निदेशक आई.एफ.एफ.आई. (फिल्मोत्सव) से संबंधित प्रमाणित लेखा उपलब्ध कराएंगे और एन.एफ.डी.सी. के प्रबंध निदेशक फिल्म बाजार और अन्य उत्सवों से संबंधित प्रमाणित लेखा उपलब्ध कराएंगे जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय को भुगतान रिलीज करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(iii) यदि निष्पादन परोक्ष रूप से किया जाता है तो प्रशासनिक व्यय 8% से अधिक नहीं होगा। इस मामले में निष्पादन एजेंसी लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय को भुगतान रिलीज किए जाने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

5. आशय का कथन

इस समझौता ज्ञापन का आशय 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि अर्थात् सितम्बर-मार्च, 2011-12 के लिए फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और उसे सक्षम बनाने हेतु भागीदारी बनाना है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों का आशय है कि आगामी 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन उद्देश्यों के प्रति एकजुटता को जारी रखा जाएगा।

की ओर से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और सुपुर्द किया गया

नामांकित	नामांकित
ह./-	ह./-
(आनंद कुमार)	**(डी.पी. रेड्डी)**
संयुक्त सचिव (पर्यटन)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
पर्यटन मंत्रालय	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली	नई दिल्ली

वर्ष 2011-12 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त सहभागिता के लिए पहचान किए गए कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	सहभागिता की कुल लागत	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट	पर्यटन मंत्रालय की ओर से बजटीय सहायता
1	2	3	4
केन्स फिल्म समारोह एवं	300.00	150.00	50% (150.00 लाख)

1	2	3	4
बाजार (पहले ही संपन्न)			
आई.एफ.एफ.आई. गोवा			
(क) फिल्म समारोह	950.00	570.00	30% (285.00 लाख)
(ख) फिल्म बाजार	389.00	244.30	30% (104.70 लाख)
यूरोपीय फिल्म बाजार, बर्लिन आदि	50.00	30.00	40% (20.00 लाख)
कुल	1689.00	994.30	559.70 लाख

पर्यटन मंत्रालय को निम्नलिखित मुहैया कराए जाने के आधार पर पहचान किए गए कार्यक्रमों में कार्य सहभागिता:

(क) सभी आमंत्रण-पत्रों पर 'अतुल्य भारत' का लोगो।

(ख) सभी डिस्प्ले पर 'अतुल्य भारत' का लोगो।

(ग) 'अतुल्य भारत' ब्रांडिंग के लिए आयोजन स्थल पर एक वाल स्पेस/होर्डिंग।

(घ) पर्यटन मंत्रालय के स्टॉल के लिए स्थान।

(ङ) कार्यक्रमों के दौरान 'अतुल्य भारत' के प्रचार के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग।

(च) कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर प्रकाशित किसी पत्रिका/स्मारिका में 'अतुल्य भारत' के एक विज्ञापन का प्रकाशन।

(छ) जबकि 'अतुल्य भारत' के लिए क्रिएटिव पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुहैया कराया जाएगा, उक्त का अनुरूपण आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

विवरण-II

प्रिंट मीडिया के माध्यम से किए गए अभियान का ब्यौरा

क्र.सं.	अभियान का नाम	प्रकाशन की तिथि	आर.ओ. सं.	राशि
1	2	3	4	5
1.	होटल अनुमोदन के लिए जन सेवा डिलीवरी पद्धति का शुभारंभ	3/4/2013	42101/13/0001/1314	1418852
2.	भारत के सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य शिक्षाविदों को सलामी	5/4/2013	42101/13/0002/1314	1512828
3.	संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन की बैठक, हैदराबाद	12/4/2013	42101/13/0004/1314	2419833
4.	कश्मीर महोत्सव- 14-29 मई	14/05/2013	42101/13/0005/1314	8783759
5.	कश्मीर महोत्सव- 14-29 मई	24/05/2013	42101/13/0009/1314	2021442
6.	अतुल्य भारत	16/06/2013	42101/13/0019/1314	6594927
7.	अतुल्य भारत	16/06/2013	42101/13/0020/1314	6331364

1	2	3	4	5
8.	पर्यटन मंत्रालय का दो पृष्ठों का एडवर्टोरियल	22/06/2013	42101/13/0021/1314	1703795
9.	पर्यटन मंत्रालय का दो पृष्ठों का एडवर्टोरियल	22/06/2013	42101/13/0022/1314	1203895
10.	पर्यटन मंत्रालय का दो पृष्ठों का एडवर्टोरियल	23/06/2013	42101/13/0023/1314	3464151
11.	पर्यटन मंत्रालय का दो पृष्ठों का एडवर्टोरियल	23/06/2013	42101/13/0024/1314	6162487
12.	पर्यटन एडवर्टोरियल	29/06/2013	42101/13/0025/1314	332612
13.	पर्यटन एडवर्टोरियल	29/06/2013	42101/13/0026/1314	649836
14.	पर्यटन एडवर्टोरियल	30/06/2013	42101/13/0027/1314	2910196
15.	पर्यटन एडवर्टोरियल	30/06/2013	42101/13/0028/1314	3185703
16.	पर्यटन एडवर्टोरियल	7/7/2013	42101/13/0035/1314	3411245
17.	पर्यटन एडवर्टोरियल	7/7/2013	42101/13/0036/1314	3740582
18.	पर्यटन एडवर्टोरियल	13/07/2013	42101/13/0037/1314	2035983
19.	पर्यटन एडवर्टोरियल	14/07/2013	42101/13/0038/1314	1963859
20.	पर्यटन एडवर्टोरियल	14/07/2013	42101/13/0039/1314	3465519
21.	पर्यटन एडवर्टोरियल विज्ञापन	27/07/2013	42101/13/0040/1314	2011260
22.	पर्यटन एडवर्टोरियल	21/07/2013	42101/13/0041/1314	2959441
23.	दो पृष्ठों का एडवर्टोरियल	4/8/2013	42101/13/0042/1314	204122
24.	विश्व पर्यटन दिवस	27/09/2013	42101/13/0043/1314	3731013
25.	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एम.आर.टी. का उद्घाटन	19/10/2013	42101/13/0044/1314	316300
26.	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एम.आर.टी. का उद्घाटन	19/10/2013	42101/13/0045/1314	815717

1	2	3	4	5
27.	राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार	10/1/2014	42101/13/0046/1314	6768757
			कुल राशि	8,01,19,478

न्यू मीडिया के माध्यम से किए गए अभियान का ब्यौरा (डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट तथा रेडियो)

अतिथि देवो भव (पर्यटन मंत्रालय)

क्र.सं.	अभियान का नाम	अवधि	आर.ओ. सं.	प्रतिबद्धता राशि	मीडिया	माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	अतिथि देवो भव- पर्यटन-60 सैकेण्ड-नवंबर से फरवरी-2013	16/11/2013 से 13/02/2014 तक	42101/0001/2013 डी.सी.	39886744	डी.सी.	नवंबर
2.	पर्यटन-जनवरी-2014-इंटरनेट (अतुल्य भारत)	01/01/2014 से 31/02/2014 तक	42101/0001/2013 आई.एन.	9938880	वेबसाइट	दिसंबर
3.	पर्यटन-जनवरी-2014-इंटरनेट (अतुल्य भारत)	01/02/2014 से 28/02/2014 तक	42101/0003/2013 आई.एन.	9938880	वेबसाइट	जनवरी
4.	पर्यटन-30 सैकेण्ड जनवरी-2014-बी.सी. (सामाजिक जागरुकता अभियान)	28/01/2014 से 31/01/2014 तक	42101/0089/2013 ए.वी.	2644985	एफ.एम.	जनवरी
5.	पर्यटन-30 सैकेण्ड- जनवरी-एन.ई.-2014-बी.सी. (सामाजिक जागरुकता अभियान)	28/01/2014 से 31/01/2014 तक	42101/0090/2013 ए.वी.	33007	एफ.एम.	जनवरी
6.	पर्यटन-30 सैकेण्ड-फरवरी-2014-बी.सी. (सामाजिक जागरुकता अभियान)	01/02/2014 से 15/02/2014 तक	42101/0091/2013 ए.वी.	9918694	एफ.एम.	फरवरी
7.	पर्यटन-30 सैकेण्ड-एन.ई.-फरवरी-2014-बी.सी. (सामाजिक जागरुकता	01/02/2014 से 15/02/2014 तक	42101/0092/2013 ए.वी.	123776	एफ.एम.	फरवरी
	कुल राशि			72484966		

टी.वी. के माध्यम से किए गए अभियान का ब्यौरा

1. जम्मू और कश्मीर अभियान के लिए प्रतिबद्धता ब्यौरा

क्र.सं.	अभियान का नाम	मंत्रालय	अवधि	आर.ओ. सं.	प्रतिबद्धता राशि	टी.वी./ डी.डी.	माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड-दिसम्बर 2013-I -टी.सी.	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	13.12.2013 से 15.12.2013	42101/0052/2013/ए.वी.	1970411	टी.वी.	दिसम्बर
2.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - दिसम्बर 2013-I-एन.ई	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	13.12.2013 से 15.12.2013	42101/0053/2013/ए.वी.	81728	एन.ई.	दिसम्बर
3.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - दिसम्बर 2013-II-टी.सी.	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	16.12.2013 से 27.12.2013	42101/0054/2013/ए.वी.	7336614	टी.वी.	दिसम्बर
4.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - दिसम्बर 2013-II-एन.ई	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	16.12.2013 से 27.12.2013	42101/0056/2013/ए.वी.	326914	एन.ई.	दिसम्बर
5.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - 4 दिन-दिसम्बर 2013-टी.सी.	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	28.12.2013 से 31.12.2013	42101/0075/2013/ए.वी.	3519081	टी.वी.	दिसम्बर
6.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - 4 दिन-दिसम्बर 2013-एन.ई.	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	28.12.2013 से 31.12.2013	42101/0076/2013/ए.वी.	217942	एन.ई.	दिसम्बर
7.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - जनवरी 2014-टी.सी.-II	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	01.01.2014 से 15.01.2014	42101/0077/2013/ए.वी.	12935735	टी.वी.	दिसम्बर
8.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - दिसम्बर 2014-टी.सी.-III	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	16.01.2014 से 30.01.2014	42101/0078/2013/ए.वी.	12935735	टी.वी.	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - जनवरी 2014-एन.ई.टी.-II	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	01.01.2014 से 15.01.2014	42101/0080/2013/ए.वी.	817284	एन.ई.	दिसम्बर
10.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - जनवरी 2014-एन.ई.-III	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	16.01.2014 से 30.01.2014	42101/0081/2013/ए.वी.	817284	एन.ई.	दिसम्बर
11.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - जनवरी 2014-टी.सी.-IV	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	31.01.2014 से 31.01.2014	42101/0079/2013/ए.वी.	1177926	टी.वी.	दिसम्बर
12.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - जनवरी 2014-एन.ई.-IV	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	31.01.2014 से 31.01.2014	42101/0082/2013/ए.वी.	54486	एन.ई.	दिसम्बर
13.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - फरवरी 2014-टी.सी.-V	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	01.02.2014 से 15.02.2014	42101/0083/2013/ए.वी.	12935735	टी.वी.	जनवरी
14.	पर्यटन-जम्मू और कश्मीर-30 सैकेण्ड - फरवरी 2014-एन.ई.-V	पर्यटन जम्मू और कश्मीर	01.02.2014 से 15.02.2014	42101/0086/2013/ए.वी.	817284	एन.ई.	जनवरी
		कुल			55944159		

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र अभियान के लिए प्रतिबद्धता ब्यौरा

क्र.सं.	अभियान का नाम	मंत्रालय	अवधि	आर.ओ. सं.	प्रतिबद्धता राशि	टी.वी./ डी.डी.	माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-नवम्बर 2013-टेलीकास्ट-I	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	25.11.2013 से 30.11.2013	42101/0041/2013/ए.वी.	7861087	टी.वी.	नवम्बर
2.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-टेलीकास्ट-II	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.12.2013 से 15.12.2013	42101/0042/2013/ए.वी.	14912810	टी.वी.	नवम्बर
3.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-टेलीकास्ट-III	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	16.12.2013 से 24.12.2013	42101/0043/2013/ए.वी.	8706385	टी.वी.	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-नवम्बर 2013-एन.ई.-टेलीकास्ट-I	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	25.11.2013 से 30.11.2013	42101/0044/2013/ए.वी.	210055	एन.ई.	नवम्बर
5.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-एन.ई.-टेलीकास्ट-II	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.12.2013 से 15.12.2013	42101/0045/2013/ए.वी.	525137	एन.ई.	नवम्बर
6.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-एन.ई.-टेलीकास्ट-III	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	16.12.2013 से 24.12.2013	42101/0046/2013/ए.वी.	315082	एन.ई.	नवम्बर
7.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-7 दिन-टी.सी.	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	25.12.2013 से 31.12.2013	42101/0059/2013/ए.वी.	12399471	टी.वी.	दिसम्बर
8.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-दिसम्बर 2013-7 दिन-एन.ई.	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	25.12.2013 से 31.12.2013	42101/0060/2013/ए.वी.	490128	एन.ई.	दिसम्बर
9.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-टी.सी.-II	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.01.2014 से 15.01.2014	42101/0061/2013/ए.वी.	25103763	टी.वी.	दिसम्बर
10.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-एन.ई.-II	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.01.2014 से 15.01.2014	42101/0069/2013/ए.वी.	1050274	एन.ई.	दिसम्बर
11.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-टी.सी.-III	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	16.01.2014 से 30.01.2014	42101/0062/2013/ए.वी.	25103763	टी.वी.	दिसम्बर
12.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-एन.ई.-III	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	16.01.2014 से 30.01.2014	42101/0070/2013/ए.वी.	1050274	एन.ई.	दिसम्बर
13.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-टी.सी.-IV	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	31.01.2014 से 31.01.2014	42101/0063/2013/ए.वी.	2404867	टी.वी.	दिसम्बर
14.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-एन.ई.-IV	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	31.01.2014 से 31.01.2014	42101/0071/2013/ए.वी.	70018	एन.ई.	दिसम्बर
15.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-फरवरी 2014-टी.सी.-V	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.02.2014 से 15.02.2014	42101/0064/2013/ए.वी.	24859994	टी.वी.	जनवरी
16.	पर्यटन-पूर्वोत्तर क्षेत्र-जनवरी 2014-एन.ई.-V	पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र	01.02.2014 से 15.02.2014	42101/0072/2013/ए.वी.	1050274	एन.ई.	जनवरी
			कुल राशि	126113382			

3. सामाजिक जागरुकता अभियान के लिए प्रतिबद्धता ब्यौरा (स्पॉट्स अमरीकन कपल, ऑटो ड्राइवर)

क्र.सं.	अभियान का नाम	मंत्रालय	अवधि	आर.ओ. सं.	प्रतिबद्धता राशि	टी.वी./ डी.डी.	माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-नवम्बर-2013-टी.सी.-I	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	16/11/2013 से 30/11/2013	तक 42101/0031/2013/ए.वी.	34780144	टी.वी.	नवम्बर
2.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-नवम्बर-2013-एन.ई.-I	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	16/11/2013 से 30/11/2013	तक 42101/0033/2013/ए.वी.	894947	एन.ई.	नवम्बर
3.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-टी.सी.-II	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	01/12/2013 से 15/12/2013	तक 42101/0032/2013/ए.वी.	33200553	टी.वी.	नवम्बर
4.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-एन.ई.-II	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	01/12/2013 से 15/12/2013	तक 42101/0034/2013/ए.वी.	894947	एन.ई.	नवम्बर
5.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-टी.सी.-III	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	16/12/2013 से 30/12/2013	तक 42101/0038/2013/ए.वी.	34780144	टी.वी.	नवम्बर
6.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-एन.ई.-III	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	16/12/2013 से 30/12/2013	तक 42101/0035/2013/ए.वी.	894947	एन.ई.	नवम्बर
7.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-टी.सी.-IV	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	31/12/2013 से 31/12/2013	तक 42101/0039/2013/ए.वी.	3080945	टी.वी.	नवम्बर
8.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-दिसम्बर-2013-एन.ई.-IV	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	31/12/2013 से 31/12/2013	तक 42101/0036/2013/ए.वी.	59663	एन.ई.	नवम्बर
9.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	01/01/2014 से 14/01/2014	तक 42101/0040/2013/ए.वी.	30119608	टी.वी.	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
	सैकेण्ड-जनवरी-2013-टी.सी.-V						
10.	सामाजिक जागरुकता अभियान-60 सैकेण्ड-जनवरी-2013-एन.ई.-V	पर्यटन-सामाजिक जागरुकता	01/01/2014 से 14/01/2014 तक	42101/0037/2013/ए.वी.	835284	एन.ई.	नवम्बर
				कुल राशि	139541182		

4. पर्यटन

क्र.सं.	अभियान का नाम	मंत्रालय	अवधि	आर.ओ. सं.	प्रतिबद्धता राशि	टी.वी./ डी.डी.	माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पर्यटन अभियान-20 सैकेण्ड-अप्रैल-2013	पर्यटन	13/04/2013 से 13/04/2013 तक	42101/0001/2013/ए.वी.	306937	टी.वी.	अप्रैल
				कुल राशि	306937		

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रस्ताव

4452. श्री अभिजीत मुखर्जी: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबन के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (घ) जी, हां। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं। तद्नुसार, राज्य सरकार से योजना प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और पर्याप्त सूचना और स्पष्टीकरण के साथ राज्यों से प्राप्त सभी योजना प्रस्ताव मंत्रालय में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 12.02.2014 तक आयोजित विभिन्न बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य को 686.10 करोड़ रु. के कुल आबंटन के विपरीत 685.79 करोड़ रु. के योजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और 611.39 करोड़ रु. जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 335.43 करोड़ रु. के योजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और 200.55 करोड़ रु. जारी किए गए थे और 2013-14 के लिए 576.51 करोड़ रु. के योजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और 329.10 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या और पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल को जारी निधियां निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना		मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	
	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	जारी निधियां (करोड़ रु. में)	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	जारी निधियां (करोड़ रु. में)	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	जारी निधियां (करोड़ रु. में)
2010-11	913002	76.53	87752	25.77	6599	17.14
2011-12	955205	82.98	118441	46.87	5539	14.84
2012-13	1165386	111.87	125909	56.95	4354	12.01
2013-14 (18.02.2014 तक)	1869161	169.36	195331	90.87	10468	28.19

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित सड़कें

4453. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 से महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अधीन निर्मित सड़कें घटिया हैं;

(ग) यदि हां, तो सड़कों की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अधीन निर्मित सड़कों के लिए जिम्मेदारी तय करने और उनकी मरम्मत और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) वर्ष 2010-11 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निर्मित सड़कों का राज्य-वार (महाराष्ट्र सहित) ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (च) पी.एम.जी.एस.वाई. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़कर बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन संबंधी मानकों के अनुरूप बनाई जाती हैं तथा बनाई गई सड़कों का पांच वर्षों तक रख-रखाव भी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को ही करना होता है। सड़क कार्यों का निष्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के तहत तीन स्तरों वाला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसका पहला स्तर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है, दूसरा स्तर राज्य स्तरीय राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एस.क्यू.एम.) द्वारा सड़क गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी है। तीसरा स्तर केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में परिकल्पित है, जिसमें नमूने के तौर पर सड़कों के निरीक्षणों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एन.क्यू.एम.) नियुक्त किए जाते हैं। एन.क्यू.एम. की निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को भी भेजी जाती हैं। यदि कोई कार्य 'असंतोषजनक' श्रेणी में हो तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अंदर (यथास्थिति) सड़क कार्य की सामग्री बदले या कारीगरी के दोष में सुधार करे।

राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में चूककर्ता ठेकेदारों/अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी होती है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजनी होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) में इनकी गई कार्रवाई रिपोर्टों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा ये रिपोर्टें पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यक्रम की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक भी की जाती हैं।

मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I और II में काफी संशोधन कर दिया है और ये संशोधित अनुसूचियां 3 जनवरी, 3014 को अधिसूचित कर दी हैं। दिनांक 3 जनवरी, 2014 को अधि सूचित इन संशोधित अनुसूचियों (अनुसूची-I, पैरा 4 IV (ii)) में सड़कों से न जुड़े गांवों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़ने तथा निर्धारित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्की सड़कों के नेटवर्क से जोड़ने; और गांव के भीतर गलियों के किनारे बनी नालियों एवं पुलियाओं सहित गांव की सभी अंदरूनी पक्की सड़कों या गलियों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा 27 में यह प्रावधान है कि कार्यों की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण टीमें नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें।

विवरण-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक (दिसम्बर, 2013 तक) संपन्न हुए सड़क कार्य और उनकी लंबाई

क्र.सं.	राज्य	उपलब्धि 2010-11		उपलब्धि 2011-12		उपलब्धि 2012-13		उपलब्धि 2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक)	
		सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी. में	सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी. में	सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी. में	सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	439	2121	234	932	211	400	42	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	68	367	58	419	75	394	26	314
3.	असम	381	2057	705	2131	563	1456	411	705
4.	बिहार	734	2515	2007	7540	1703	6342	781	2761
5.	छत्तीसगढ़	401	1571	291	1054	191	1024	87	700
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	261	606	150	431	79	180	240	434
8.	हरियाणा	52	389	25	188	15	69	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	81	662	74	761	70	0	100	73
10.	जम्मू और कश्मीर	112	474	133	1000	230	1411	168	762
11.	झारखंड	396	1599	250	1123	443	1237	133	710
12.	कर्नाटक	303	1849	226	1859	45	386	22	146
13.	केरल	96	246	71	214	46	109	46	113
14.	मध्य प्रदेश	1673	9163	790	2927	741	2754	328	900
15.	महाराष्ट्र	613	3718	494	2592	184	650	63	233
16.	मणिपुर	30	487	84	375	8	424	228	440
17.	मेघालय	3	83	8	45	8	23	9	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	34	252	5	131	5	93	18	68
19.	नागालैंड	12	86	7	25	5	94	7	228
20.	ओडिशा	1486	4942	979	3167	681	2401	289	1534
21.	पंजाब	56	623	11	72	9	326	63	714
22.	राजस्थान	353	3019	147	451	692	2140	396	1348
23.	सिक्किम	26	86	34	75	246	48	26	70
24.	तमिलनाडु	1073	2229	261	814	23	42	159	461
25.	त्रिपुरा	144	432	100	352	76	242	22	140
26.	उत्तर प्रदेश	831	3594	171	523	116	270	183	816
27.	उत्तराखंड	58	552	79	640	22	474	21	172
28.	पश्चिम बंगाल	249	1385	249	1155	254	1172	348	1017
	कुल योग	9965	45109	7643	30995	6741	24161	4118	14984

विवरण-II

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण सड़क संपर्क (संपन्न कार्य) (संख्या)			2013-14
		2010-11	2011-12	2012-13	(04/02/2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	61818	8468	6684	478
2.	अरुणाचल प्रदेश	431	51	50	55
3.	असम	4872	8434	9622	4526
4.	बिहार	37364	28461	32136	16145
5.	छत्तीसगढ़	12871	15543	24773	9426

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	5858	11593	7630	1294
7.	हरियाणा	2995	5312	5066	1145
8.	हिमाचल प्रदेश	10660	11066	7384	3554
9.	जम्मू और कश्मीर	11351	6966	18763	6225
10.	झारखंड	9016	8158	13032	7283
11.	कर्नाटक	10628	19639	9340	2429
12.	केरल	3390	4127	2556	504
13.	मध्य प्रदेश	29139	13718	36819	21611
14.	महाराष्ट्र	366	2549	4287	2026
15.	मणिपुर	2416	665	2706	284
16.	मेघालय	3975	5410	3182	353
17.	मिजोरम	1524	1675	3240	767
18.	नागालैंड	1478	1901	4704	514
19.	ओडिशा	19534	20106	16894	11790
20.	पंजाब	2450	3554	2904	1467
21.	राजस्थान	10203	10685	33097	10948
22.	सिक्किम	260	173	298	48
23.	तमिलनाडु	8001	16628	21263	4337
24.	त्रिपुरा	16454	15389	17565	3069
25.	उत्तर प्रदेश	149785	343850	147189	42826
26.	उत्तराखंड	2704	2401	3030	1080
27.	पश्चिम बंगाल	39004	51200	56163	29083
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66	103	103	27

1	2	3	4	5	6
29.	दादरा और नगर हवेली	2	असूचित	असूचित	असूचित
30.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
31.	गोवा	162	122	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	0	0	0	0
34.	चंडीगढ़	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
	कुल	458777	617947	490480	183294

केबल ऑपरेटरों/एम.एस.ओ.एस. द्वारा एकाधिकारवादी प्रचालन

4454. श्री नरेनभाई काछादिया:

श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में केबल ऑपरेटरों और मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों द्वारा एकाधिकारवादी प्रचालनों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सेवाओं की उन्नत गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) को यह जांच करने के लिए एक पत्र लिखा था कि "क्या एकाधिकार/हित के संचयीकरण को रोकने के लिए बहु-प्रणाली संचालकों (एम.एस.ओ.)/स्थानीय केबल संचालकों (एल.सी.ओ.) पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि हां, तो कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए जाएं और ऐसे प्रतिबंधों का स्वरूप, प्रकृति और दायरा क्या होना चाहिए।"

मंत्रालय को ट्राइ ने अपनी सिफारिशें दिनांक 26 नवम्बर, 2013 को दी थी। ये सिफारिशें ट्राइ की वेबसाइट: http://www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

ट्राइ की सिफारिशों की विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महिला कर्मचारियों के लिए समिति

4455. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए रेलवे द्वारा जोन-स्तर सहित किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को

रोकने के लिए कार्यस्थल पर विहित मानदंडों के अनुरूप पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां। महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए क्षेत्रीय रेलों में शिकायत समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता उच्च रैंक की महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है और समिति की महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम नहीं है।

(ग) रेलवे को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि यौन उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों की जानकारी, विशेषकर एक उपयुक्त तरीके से प्रमुखता से दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करके दी जानी चाहिए। रेलवे को यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को रेलकर्मियों की बैठक में और अन्य उचित फोरम में यौन उत्पीड़न के मामले उठाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए और नियोक्ता-कर्मचारी बैठकों में सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित उपायों के अलावा, रेलवे कर्मचारियों द्वारा महिला कर्मचारियों के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सेवा आचरण नियमों में विनिर्दिष्ट व्यवस्था की गई है। महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की किसी भी कृत्य को विनिर्दिष्ट नियम का उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इसके लिए दोषी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां कहीं इस प्रकार का व्यवहार होता है वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध के बराबर हैं, संबंधित प्राधिकारी उचित प्राधिकारों के साथ एक शिकायत दर्ज करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत राशि जारी करना

4456. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशि अपर्याप्त है और समुचित रूप से जारी नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति स्कीमों सहित पेयजल की आपूर्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत और अधिक संख्या में बसावटों को पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पेयजल आपूर्ति स्कीमों का चयन करने, इस संबंध में योजना बनाने एवं इसका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं।

एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत, निधियों का आबंटन अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर किया जाता है। राज्यों को किए जाने वाले निधि आबंटन का मापदण्ड इस प्रकार से है: 40% अधिभारिता राज्य की कुल ग्रामीण आबादी को दी जाती है, 10% अधिभारिता राज्य की ग्रामीण आबादी में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाती है, 40% अधि भारिता राज्यों में राजस्थान विकास कार्यक्रम, सूखा पीड़ित क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्यों को दी जाती है और 10% अधिभारिता प्रबंध न हस्तांतरण इण्डेक्स द्वारा अधिभारित प्राप्त, ग्रामीण पेय जल आपूर्ति स्कीमों का प्रबंधन करने वाले ग्रामीण आबादी के लिए है। एन.आर.डी.डब्लू.पी. के तहत, केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर के बीच वित्तपोषण का ढांचा 90:10 के अनुपात में है और पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों के

अतिरिक्त केन्द्र और राज्यों के बीच यह ढांचा 50:50 के अनुपात में है।

एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत, राज्यों को निधियों की रिलीज दो किश्तों में की जाती है। दूसरी किश्त तब रिलीज की जाती है, जब राज्यों द्वारा उपलब्ध निधियों के कम से कम 60% उपयोग को दर्शाते हुए खातों का लेखा परीक्षित विवरण (ए.एस.ए.) और उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांश राज्यों द्वारा इनका प्रस्तुतीकरण नवम्बर/दिसम्बर तक ही किया जाता है, अत: दूसरी किश्त, जो कि कुल आबंटन के 50% के लगभग है, को दिसम्बर माह तक ही जारी किया जाता है। पिछले वर्षों के खर्च न किए गए अतिरिक्त शेष राशि को ध्यान में रखते हुए खर्च न की गई शेष राशियों पर नजर रखने हेतु वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 31.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन (संख्या 7(1)ई. समन्वयन/2012) के अनुपालन में वर्ष 2012-13 से राज्यों को निधियों की पहली किश्त भी रिलीज की जाती है।

ग्रामीण बाजार

4457. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों में निर्मित उत्पादों का सह-विपणन करने के लिए ग्रामीण बाजारों की भारतीय और विदेशी रिटेल चेन के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए शहरों में विशेष स्टोर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने विभिन्न स्तरों अर्थात् ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर ग्रामीण हॉट स्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में एक योजना प्रस्तुत की है, जो ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण हॉट का सृजन करने के लिए 15 लाख रुपए तक, जिला स्तरीय हॉट के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक, और राज्य राजधानी में एक हॉट के लिए 3.00 करोड़ रुपए तक निधियां रिलीज की जा सकती हैं। ये निधियां केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के रूप में वितरित की जाती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में ये निधियां 90:10 के रूप में वितरित की जाती हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण कारीगरों को वर्ष भर अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देने हेतु दिल्ली में स्थायी विपणन केंद्रों का निर्माण किया है। इस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए राजीव गांधी शिल्प भवन, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में एक गैलरी ली है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के पास दिल्ली हॉट और पीतमपुरा में दीर्घ अवधि लीज पर 44 स्टॉल हैं, जहां सभी राज्यों के ग्रामीण कारीगरों को बारी-बारी से अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करने का अवसर मिलता है।

कार्यक्रमों का मूल्यांकन

4458. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री के नये 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन कुछ कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए संगठनों/संस्थानों को नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए संगठनों/संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस संगठनों से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों ने बताया है कि कुछ कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पाई गयी खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ङ) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

के अंतर्गत कार्यक्रम/योजनाएं उन कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन:समवेत हुई।

(**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री गुलाम नबी आजाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10927/15/14)

(3) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10928/15/14)

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): सभापति महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए संख्या** एल.टी. 10929/15/14)

(3) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन, फोरकॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन फोरकॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10930/15/14)

(5) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10931/15/14)

(7) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10932/15/14)

(9) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट, फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10933/15/14)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): सभापति महोदय, श्री प्रफुल पटेल की ओर से, मैं वर्ष 2012-2013 के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे (वोल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10934/15/14)

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पथान्तर निपटान तंत्र और संबंधित विषय) विनियम, 2014 जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.-1/132/2013/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 14 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल. -1/(5)/2013/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा

उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान किए जाने और प्रमाण-पत्र जारी किए जाने संबंधी निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.-1/12/2010-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक अनुज्ञापन प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित विषय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 3 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.-7/143/158/2012-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य प्रसारण में मुक्त अभिगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.-7/105(121)/2007-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अधिसूचना संख्या एल.-1/44/2010-सी.ई.आर.सी. जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या एल.-1/44/2010-सी.ई.आर.सी. का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (दो) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 10935/15/14)

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) गोवा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 25 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.-1/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 जो 25 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.-11/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* **संख्या** एल.टी. 10936/15/14)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 146(अ) जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश वाले जांच आयोग को निर्वासित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10937/15/14)

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* **संख्या** एल.टी. 10938/15/14)

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए विधेयक

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2014 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2014 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा अपनी 6 सितम्बर, 2013 की बैठक में पारित पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5, –

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

तदनुसार, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस लौटाना है कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।"

(चार) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2013 को अपनी बैठक में पारित राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4, –

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

तदनुसार, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस लौटाना है कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में पारित रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

---

*सभा पटल पर रखे गए।

(छह) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2013 को अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, –

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

तदनुसार, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस लौटाना है कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।"

2. अध्यक्ष महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ 19 फरवरी, 2014 को वापस लौटाए गए पत्र विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 तथा राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 2014 को यथा पारित रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 19 फरवरी, 2014 को सभा में प्रस्तुत अपने 11वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:

(1)	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	09.08.2013 से 06.09.2013
		05.12.2013 से 15.12.2013
(2)	श्री एम.के. अलागिरी	09.08.2013 से 06.09.2013
		05.12.2013 से 18.12.2013
		05.02.2014 से 20.02.2014
(3)	श्री डी. नैपोलियन	24.08.2013 से 06.09.2013
		05.12.2013 से 18.12.2013
		05.02.2014 से 21.02.2014

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

अपराह्न 12.04¼ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

24वां और 25वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वर्ष 2013-14 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) 'पासपोर्ट सेवा परियोजना-लक्ष्य और उपलब्धियां' विषय के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 1/2 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): महोदय, मैं 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति
(एक) 262वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स डिएस (नाम निर्देशित): महोदय, मैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कार्यकरण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 262वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री चार्ल्स डिएस: महोदय, मैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के कार्यकरण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

विदेशी एयरलाइन्स के बारे में दिनांक 22 अगस्त, 2013 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): महोदय, मैं "विदेशी एयरलाइन" के संबंध में श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2013 को पूछे गए लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

मैंने, श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2013 को पूछे गए "विदेशी एयरलाइन" से संबंधित लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर दिया था।

प्रश्न में मांगी गई सूचना निम्नलिखित से संबंधित थी: (क) भारत में नियमित रूप से संचालित कार्गो विमान कंपनियों सहित विदेशी विमान कंपनियों की उपके फेरों कंपनी-वार संख्या कितनी है; (ख) भारत में ऐसे कितने विमानपत्तन हैं जहां विदेशी विमान कंपनियों के विमान आते/जाते हैं तथा उन विमान कंपनियों के नाम क्या हैं; (ग) क्या जेट-एतिहाद सौदे के संबंध में सुरक्षा संबंधी कोई चिंता व्यक्त की गई है; (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में विमानपत्तन सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में उन हवाई अड्डों की संख्या में तथ्यात्मक त्रुटि थी, जहां के लिए/जहां से इस समय विदेशी एयरलाइनें उड़ानें प्रचालित कर रही हैं, यह संख्या "25" दी गई थी और इसे "24" किया जाना है। इसी तरह से विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारत के हवाई अड्डों के लिए/से मौजूदा प्रचालनों से संबंधित उत्तर के अनुबंध II की क्रम संख्या 5 पर "कालीकट" और क्रम संख्या 16 पर "कोझीकोड" दिया गया है। दोनों स्थान एक ही होने के कारण इन्हें एक करने की आवश्यकता है और इनके स्थान पर "कोझीकोड" किया जाना है जहां से "एयर अरेबिया, एतिहाद एयरवेज, आर.ए.के. एयरवेज, एमीरेट्स, ओमान एयरवेज, कतर एयरवेज, सउदी अरेबियन एयरलाइंस" प्रचालन करती है।

त्रुटि के लिए खेद है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य द्वारा 'विदेशी एयरलाइन' के संबंध में लोकसभा में दिनांक 22 अगस्त, 2013 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 194 के भाग (क) के उत्तर में उन हवाईअड्डों की संख्या में तथ्यात्मक त्रुटि थी जहां से/के लिए वर्तमान में विदेशी एयरलाइनें प्रचालन कर रही हैं। कालीकट (क्र.सं.5) और कोझिकोड (क्र.सं.16) का असावधानीवश

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 10939/15/14

अलग-अलग उल्लेख कर दिया गया था, जो कोझीकोड को ही दर्शाता है। सूचना का समाशोधन किया गया और इसके बाद तुरंत इस तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण 3 सितंबर, 2013 को भेजा गया था जो नियमित सत्र के समाप्त होने की वजह से रखा नहीं जा सका। तथापि, विलंब के लिए खेद है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक)(क) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): मैं श्री जयराम रमेश की ओर से 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार - भाग-II के माध्यम से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) (15वीं लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 41वां प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन 25 जुलाई, 2013 को स्थायी समिति को भेजा गया।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 38 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों को स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार, आवास उपलब्ध कराने, ग्रामीण सड़कों का प्रावधान करने वाली योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन में सुधार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यों के विकास हेतु सहायता जैसे अन्य गुणवत्तापूर्ण निवेशों से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05¾ बजे

(ख) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन' विषयक ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): मैं, श्री जयराम रमेश की ओर से, 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार - भाग-II के माध्यम से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) (15वीं लोक सभा) के 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन' विषय पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 10940/15/14

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 10941/15/14

कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 42वां प्रतिवेदन 14 अगस्त, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के लिए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन' (ग्रामीण विकास विभाग) की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन 20 नवम्बर, 2013 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

उक्त प्रतिवेदन में समिति ने 27 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के सृजन के लिए योजनाओं, मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों, कार्यों की निगरानी एवं जांच, मजदूरी दर, मजदूरी के भुगतान में विलंब, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, शिकायत निवारण तंत्र, मनरेगा के अंतर्गत तालमेल तथा कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए मनरेगा इत्यादि के पुनरुद्धार से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 389 के तहत माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों से संबंधित अपना 37वां प्रतिवेदन लोक सभा में दिनांक 02 मई, 2013 को प्रस्तुत किया था। सिफारिशों पर विचार किया गया तथा सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन समिति को 30 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिवेदन में 8 सिफारिशें थीं। इन सभी 8 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख अनुबंध में है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06¼ बजे

रेल सुरक्षा के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): महोदय, मैं, रेल सुरक्षा के संबंध में दिनांक 08.08.2013 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न सं. 743 के भाग (ख) से (छ) के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण को सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 10942/15/14

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 10943/15/14

जिस प्रश्न के भाग का उत्तर दिया गया	के लिए	पढ़ा जाए
(ख) से (छ)	क्षेत्रीय रेलों से भिन्न, के.आर.सी.एल., रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और क्षेत्रीय रेलों के नामित स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आई.एस.एस.) का कार्यान्वयन चल रहा है। बहरहाल, आई.एस.एस. के घटक अर्थात क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) प्रणाली, बैगेज स्केनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर को के.आर.सी.एल. के मडगांव रेलवे स्टेशन पर संस्थापित किया गया है। इसके अलावा, थिवीम रेलवे स्टेशन पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी मुहैया कराए गए हैं। रत्नागिरी क्षेत्र के रत्नागिरी, चिपलून, संगनेश्वर रोड, खेड, मनगांव, कन्नाकावली, सिंधदुर्ग, कुदाल और सावंतवाडी रोड रेलवे स्टेशनों और कारवार क्षेत्र में कारवार और उदुपी रेलवे स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के संस्थापन के लिए एक प्रस्ताव पर कोंकण रेलवे निगम लि. प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।	क्षेत्रीय रेलों से भिन्न, के.आर.सी.एल., रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और क्षेत्रीय रेलों के नामित स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आई.एस.एस.) का कार्यान्वयन चल रहा है। बहरहाल, आई.एस.एस. के घटक अर्थात क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) प्रणाली, बैगेज स्केनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर को के.आर.सी.एल. के मडगांव रेलवे स्टेशन पर संस्थापित किया गया है। इसके अलावा, थिवीम रेलवे स्टेशन पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी मुहैया कराए गए हैं।

प्रश्न में, यह उल्लेख किया गया था कि रत्नागिरी क्षेत्र के रत्नागिरी, चिपलुन, संगनेश्वर रोड, खेड, मनगांव, कन्नाकावली, सिंधदुर्ग, कुदाल और सावंतवाडी रोड रेलवे स्टेशनों और कारवार और उदुपी रेलवे स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. वीडिओ सर्विलेंस सिस्टम के संस्थापन के लिए प्रस्ताव पर कोंकण रेलवे निगम लि. प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था। वह के.आर.सी.एल. से प्राप्त सूचना पर आधारित था। इन स्टेशनों पर सर्विलेंस कैमरे लगाने में हुई प्रगति समीक्षा के दौरान यह पता चला कि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से के.आर.सी.एल. द्वारा सूचना गलती से भिजवाई गई थी। अत:, उपर्युक्त प्रस्ताव अभी तैयार किया जाना है। तदनुसार, संशोधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब के लिए बेहद खेद है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य–जारी

(तीन) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई. एम.एस. नाच्चीयप्पन): महोदय, मैं औद्योगिक नीति और संवधन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10944/15/14

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। माननीय सदस्य प्रथा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पर्ची सभा पटल पर तुरंत दे दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, शून्यकाल में इतने महत्त्वपूर्ण मामले हैं। उनको तो ले लीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उसके बाद में लेंगे।

(एक) देश में काले धन के खतरे को रोके जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): देश में कितना कालाधन है तथा कितना देश से बाहर, इस आंकड़े पर मतभेद हो सकता है। पर यह कटु सत्य है कि भारत में कालेधन का जाल आजादी के बाद जनसंख्या वृद्धि के समानुपात में बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था को इससे करीब 25 हजार अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों वाशिंगटन के खोजी पत्रकारों के एक संगठन ने दुनिया भर के ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जो अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था से छल कर रहे हैं। इस सूची में 600 से अधिक भारतीयों के नाम भी हैं जिनमें राजनीतिज्ञों के अलावा कुछ बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इस खबर से हर निष्ठावान भारतीय को सदमा पहुंचा है। अपने देश में लोकतंत्र है लेकिन इस लोकतंत्र की जननी निर्वाचन प्रक्रिया से ही कालेधन की कालिख फैलनी शुरू हो जाती है। अपने महान देश के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देश में भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ निर्णायक जंग आज की जरूरत है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वो भ्रष्ट राजनेताओं तथा अधिकारी वर्ग की संपत्ति का ऑडिट कराएं तथा जो बेनामी संपत्ति मिले उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): मैं रेल मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र खरगौन-बड़वानी की रेल समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। खरगौन-बड़वानी की जनता द्वारा निरन्तर खण्डवा-धार वाया खरगौन-बड़वानी एवं इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइनों की मांग की जाती रही है। जनजाति क्षेत्र होने से यह विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है। रेल लाइन नहीं होने के कारण यहां के व्यवसाय, उद्योग धंधों एवं कृषि उत्पादन हेतु आधुनिक सुविधाओं का लाभ संबंधित वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में अत्यधिक कपास, गन्ना, मिर्ची, सौंफ, सोयाबीन आदि कृषि उपज का उत्पादन होता है। रेलवे लाइन के अभाव में इस क्षेत्र का संपर्क बड़ौदा (गुजरात) मुम्बई (महाराष्ट्र) से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जनजाति क्षेत्र का विकास शासन की प्राथमिकता है तथा जनजाति क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन भी किया जाता है। किंतु इतने वर्षों की निरंतर मांग के पश्चात् भी रेलवे की विस्तार की दृष्टि से इस जनजाति क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस अंतरिम रेल बजट में खण्डवा-धार, वाया खरगौन-बड़वानी एवं इंदौर-मनमाड (महाराष्ट्र) रेलवे लाइनों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाये जिससे रेल लाइन का निर्माण होकर इस क्षेत्र के विकास की गति तीव्र होकर क्षेत्र के जनजातीय किसानों, मजदूरों व व्यवसायियों की आर्थिक उन्नति हो सके।

(तीन) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे सुविधाएं बढ़ाने जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): रेल सेवा किसी भी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए जीवन रेखा का काम करती है एवं विकास का महत्त्वपूर्ण आधार होती है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से झारखण्ड के संदर्भ में, जो कि एक नया राज्य है, आग्रह है कि हमारे यहां जैन धर्म का विश्व

*सभा पटल पर रखे माने गये।

प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान पारसनाथ शिखर जी है जहां दुनिया भर से अनुयायी आते हैं। हमने इसे ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया था कि पारसनाथ से मधुबन को रेल लाइन से जोड़ दिया जाए जिसका पिछले बजट में प्रावधान भी किया गया किन्तु अभी भी सर्वे शुरू नहीं हुआ। अभी तक प्रगति शून्य है। मेरे गृह-स्टेशन फुसरों में ट्रेन संख्या 19607-19608 (कोलकत्ता से अजमेर) के ठहराव के साथ-साथ निचितपुर हॉल्ट पर गाड़ी संख्या 13319-13320 (रांची-बैजनाथधाम एक्स.) और फूललवाटीटांड स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15027-15028 (हटिया-गोरखपुर, मौर्या एक्स.) एवं पारसनाथ स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12938-12939 (हावड़ा-गांधीधाम एक्स.) के ठहराव की मांग की थी। उपरोक्त गाड़ियों का ठहराव इन जगहों पर जनहित में आवश्यक है।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि पारसनाथ की गरिमा एवं जन भावना को ध्यान में रखते हुए उचित दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि वहां की आम जनता एवं विश्व भर से आने वाले जैन तीर्थयात्रियों को लाभ मिल सके।

(चार) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2010 में खरीफ की फसल का नुकसान सहने वाले किसानों के बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में कई किसानों की फसल बीमा योजना से मिलने वाली धनराशि अभी तक लंबित है जिसका तीन साल बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2010 खरीफ मौसम में फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीड़ित किसानों को सीतामढ़ी जिले में इलाहाबाद बैंक शाखा मटियार कला द्वारा अभी तक नहीं हुआ है जो किसानों के साथ अन्याय है। जबकि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दे रखा है कि किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए इसके बावजूद किसानों को भुगतान नहीं करना एक तरह से सरकारी बैंकों का किसानों के प्रति एक शोषण है। और आज तक इस देय राशि का भुगतान नहीं करने पर अभी तक बैंक के किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2010 की खरीफ मौसम में फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि किसानों को इलाहाबाद बैंक शाखा मटियार कला जिला सीतामढ़ी द्वारा अभी तक क्यों नहीं दी गई इसकी जांच करायी जाए एवं किसानों को देय राशि का भुगतान ब्याज समेत किया जाए।

(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पालनपुर तहसील के अंतर्गत चित्रासिणी रेलवे स्टेशन के निकट अंडर ब्रिज में पानी भरने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के पालनपुर तहसील के चित्रासिणी रेलवे स्टेशन के पास अंडर ब्रिज की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस अंडर ब्रिज में बरसात के दौरान पानी भर जाता है और पानी भरने पर इस अंडर ब्रिज से वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती है और लोग पुल के आरपार नहीं जा पाते हैं। इस संबंध में रेलवे प्रशासन को बताया गया, परंतु प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। लगता है अंडर ब्रिज बनाने में कोताही बरती गई है, जिसके कारण पानी निकालने के उपकरण नहीं लगाए गए और डिजाइन में चूक के कारण बरसात का पानी पुल के अंदर चला जाता है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त अंडर ब्रिज में जो पानी भर जाता है, उसको निकालने हेतु जल्द कार्यवाही की जाए।

(छह) तमिलनाडु में पलार नदी में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने और इस प्रयोजनार्थ पलार नदी जल प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): काफी लम्बे समय से पलार नदी उत्तरी तमिलनाडु की जीवन रेखा रही है और पलार बेसिन काफी उपजाऊ है। कृषि ही इसका मुख्य सहारा माना जाता हैं। 17,871 वर्ग किमी के कुल अपवहन क्षेत्र के साथ पलार नदी कर्नाटक में नन्दी दुर्गा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कर्नाटक में 93 किमी., आंध्र प्रदेश में 33 किमी. और तमिलनाडु में 222 किमी. बहती है।

इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा की असफलता और अनिश्चित रूप से भूमिगत जल में कमी के साथ नदी के बहाव में विभिन्न बाधाओं के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र रेगिस्तान बनने के कगार पर है। तमिलनाडु की सहमति के बिना निर्मित कर्नाटक में बेथमंगलम और रामसागर जलाशय तथा आंध्र प्रदेश में नदी पर प्रत्येक किलोमीटर पर एक-एक चेक डैम से इसमें न्यूनतम पानी का बहाव भी रुक गया है।

कर्नाटक सरकार नेत्रवती नदी के 2000 टी.एम.सी. पानी में से अपने दो जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 टी.एम.सी. पानी कोलार तक लाती है। अब उसी प्रस्ताव के तहत 100 टी.एम.सी. पानी को पलार नदी तक लाया जा सकता है क्योंकि कोलार से पलार नदी की दूरी बहुत कम है। उसी तरह, आंध्र प्रदेश में गोदावरी-कृष्णा-पलार को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक शक्तिशाली पलार अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जो पलार नदी में पानी लाने के लिए एक मात्र साधन है।

(सात) केरल के पालक्काड़ में नदक्कावु स्थित लेवल क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): मैं इस सरकार का ध्यान पालक्काड़ में नदक्कावु रेल ओवरब्रिज का निर्माण करने के महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नदक्कावु रेलवे गेट पालक्काड़-मालमपुझा सड़क पर स्थित है। चूंकि, मालमपुझा एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, इसलिए यह सड़क इस क्षेत्र की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। यह रेलवे गेट ओलवाक्कोड रेलवे जंक्शन के भी निकट है। इस गेट के बार-बार बंद होने से यातायात का भारी जाम लगता है और लोग इससे परेशान होते हैं। इन बार-बार होने वाले यातायात जामों के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से बहुत से रोगियों की जान जा चुकी है। छात्रों को परीक्षाओं के दौरान भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदक्कावु पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। मैं सरकार से पालक्काड़ में नदक्कावु में एक रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) देवरिया और तरैया के साथ मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्यान्तर्गत मुजफ्फरपुर-देवरिया-तरैया सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने हेतु बिहार सरकार ने अनुशंसा की है क्योंकि यह सड़क दो जिलों को जोड़ती है और अति घनी आबादी, पिछड़ा क्षेत्र और उग्रवाद से प्रभावित इलाके से होकर गुजरती है। ट्रैफिक ज्यादा है। मुजफ्फरपुर से देवरिया अभी पथ निर्माण विभाग की सड़क है और शेष भाग ग्रामीण सड़क है और गंडक नदी को स्वासीघाट पर पार करती है।

अत: आग्रह है कि इस सड़क को शीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2013

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, अनुपूरक कार्य-सूची की मदों पर विचार किया जाएगा। मद सं. 20(क), माननीय मंत्री।

...(व्यवधान)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों के संरक्षण और पथ विक्रय गतिविधियों के विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5, –

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों के संरक्षण और पथ विक्रय गतिविधियों के विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5, –

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब हम राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए प्रत्येक संशोधन पर चर्चा करेंगे।

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

" कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

"चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5–

"2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यासः मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2013

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, मद सं. 20(ख), माननीय मंत्री।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 1982, में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए–

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 1982, में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए–

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब हम विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री आर.पी.एन. सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए–

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2013" के स्थान पर "2014" प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए–

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, "2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "चौंसठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 में "2013" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ शशी थरूरः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

बिहार को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के मामले के बारे में

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): माननीय सभापति महोदय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। रघुराज रामन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार पिछड़ रहा है। जब झारखंड राज्य बना था तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैकेज दिया था, उससे कुछ तरक्की बिहार में हुई थी। आज भी बिहार में आई.आई.टी., आई.आई. एम. नहीं है। एम्स अस्पताल चालू नहीं हुआ है। नेशनल लॉ कॉलेज नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी तो है लेकिन आज तक पूरी तरह बन नहीं पाई है। विक्रमशिला का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुई है। चंपापुरी, भागलपुर में है, जैन समाज को तो माइनोरिटी में ले आए लेकिन उसका भी कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा स्पष्ट मत है और बिहार सरकार भी कह रही थी कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे रही है। आज विशेष राज्य के नाम पर बिहार ठगा गया है। केंद्र सरकार के मंत्री जाकर बिहार में बयान देते थे, अखबारों में छपता था, लड्डू बंट गए, कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। बिहार की जनता के साथ छल हुआ है। बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बिहार को पुरानी लंबित योजना का सारा पैसा देना चाहिए, एन.एच. में पैसा देना चाहिए। बिहार के साथ अन्याय हुआ है। दस करोड़ बिहार के लोगों को इस देश के विकास में अधिकार मिलना चाहिए। इस सरकार को यह करना चाहिए। यह जाती हुई सरकार है। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को विशेष पैकेज दिलाएंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे।...*(व्यवधान)* यह सरकार सिर्फ धोखा दे रही है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ने बिहार के साथ छल किया है। या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्याय किया था या हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय करेंगे। बिहार के साथ धोखा बंद करें। केंद्र सरकार एलान करे कि आज बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। कृषि का विकास नहीं हुआ, नालंदा का विकास नहीं हुआ, उद्योग का विकास नहीं हुआ, विक्रमशिला का विकास नहीं हुआ। बिहार की जनता आज कराह रही है। बिहार की जनता इस सरकार से उम्मीद कर रही है।



आप तेलंगाना राज्य का निर्माण कर रहे हैं लेकिन बिहार के दस करोड़ लोगों को इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार बिहार के लोगों को भी है, बिहार भी इस देश का भाग है। बिहार के साथ जो अन्याय होगा उसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा उठाये गए मामले के साथ श्री जितेन्द्र सिंह और श्री अर्जुन राम मेघवाल को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)**:** इसी विषय पर नोटिस है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण जारी रखें। उन्हें बोलने के लिए समय दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी)**:** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हाउस में बहुत वर्षों से मुद्दा उठा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्लिम भाइयों के स्थिति बहुत ही बदतर है। सरकार ने आयोग बनाया, सरकार के पास सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट भी आई है लेकिन आज तक लोकसभा में, सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि इस रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर इनकी स्थिति दलितों से ज्यादा बदतर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को सदन में रखकर चर्चा कराई जाए। हमारी मांग है कि आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है सरकार जोरदार तरीके से सिफारिशों को लागू करे ताकि मुस्लिम भाइयों की स्थिति जो कि दलितों से भी बदतर है, उनका जीवनस्तर और स्थिति सुधार सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मामले के साथ श्री जे.एम. आरुन रशीद और श्री मधु गौड़ यास्खी को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** माननीय सभापति जी, 2012 के बजट भाषण में यह स्पष्ट किया गया कि जो पिछड़े राज्य हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम होना चाहिए। रघुराज रामन कमेटी का गठन हुआ। सितंबर, 2013 में समिति की स्थायी रिपोर्ट वित्त मंत्री जी को दी गई। योजना आयोग ने जो प्रदेश पिछड़े हैं, उनको घोषित करने की स्वीकृति दी। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। रिपोर्ट के क्रियान्वयन ने योजना आयोग ने सहमति दी लेकिन अचानक 22 नवंबर 2013 को वित्त मंत्रालय में निर्णय के लिए होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी पिछड़े राज्यों की रिपोर्ट पर सहमति दी। डेढ़ करोड़ लोगों ने दस्तखत करके महामहिम राष्ट्रपति को दिए, माननीय प्रधानमंत्री से मिले। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली बिहार के लोगों ने की, पटना में की, हर जिले में की। ये पिछड़े राज्य आज से नहीं हैं। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में आई थी। इसमें बंगाल प्रेजीडेंसी के लोग हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का बार्डर 700 किलोमीटर है। हिमालय की नदियां इनके सिर से आती हैं जिसके कारण हर साल तबाही होती है, जलजला आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों के लिए यह समिति स्थगित क्यों की गई? आप नए-नए तरीके, नए-नए पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। जो असली सवाल है, जिसके लिए आपने कमेटी बनाई, प्लानिंग कमीशन से कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी तो फिर वित्त मंत्रालय में जो मीटिंग होनी थी वह स्थगित क्यों हुई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों का यह हक है। आपने पिछड़े राज्यों के लिए काफी दूर तक काम किया और काम करने के बाद अपने आप स्थगित कर दिया। अगर देश को बनाना है तो पिछड़े राज्यों को आगे करना होगा। मैंने आपको क्रमबद्ध बताया है।

इसके बारे में वित्त मंत्रालय को तत्काल सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए। पिछले बजट सेशन में उन्होंने अच्छा बोला था। वे पिछड़े राज्यों को लेकर आगे बढ़े थे, उनको आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। मेरी आपसे यही विनती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए मामले के साथ श्री कालीकेश नारायण सिंह देव और श्री शैलेन्द्र कुमार को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सर, हम इस मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो सम्बद्ध होना चाहते हैं, कृपया सभा पटल पर पर्ची भेज दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: सर, मुझे इसी मैटर पर दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह वही मामला है। कृपया नहीं। डॉ. तम्बिदुरई।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: तब दूसरे भी समय मांगेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। डॉ. तम्बिदुरई।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): महोदय, मैंने कच्चादीवु मुद्दे के संबंध में सूचना दी थी। यह काफी समय से लंबित मामला है*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। जो डॉ. तम्बिदुरई कहेंगे, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*...

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: केन्द्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में एक केस फाइल किया था कि कच्चादीवु भारत का हिस्सा है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र में लिखा था कि कच्चादीवु को अवश्य ही वापस ले लेना चाहिए। जब तमिलनाडु के मछुवारे वहां जाते हैं, तो श्रीलंका उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। अब वे कच्चादीवु में किसी प्रकार का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक बार पुन: कच्चादीवु को वापस ले लें। जब श्रीलंका को कच्चादीवु दिया गया था तो इसे हमारी संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं था। इसीलिए इस पर हमारा अभी भी पूर्ण अधिकार है। मुझे नहीं पता है कि केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा क्यों कहा था कि यह मामला सुलझा लिया गया है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि हमें इसे हासिल करना चाहिए और सुनिश्चित करें कि यह भारत का हिस्सा बने। हमारा यही निवेदन है।

सभापति महोदय: डॉ. तम्बिदुरई द्वारा उठाए गये मामले के साथ श्री राजेन्द्र अग्रवाल को सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में साजिश के तहत जो देहातों से लड़के परीक्षा देने आते हैं, जो देशी भाषा जानते हैं, उनकी सी-सेट की परीक्षा में अंग्रेजी के साढ़े बाईस नम्बर के प्रश्न अनिवार्य कर दिये गये हैं। उससे पहले देशी भाषा वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने अभ्यर्थी आ रहे थे, अब उसका दसवां हिस्सा ही आने लगा है। साजिश के तहत देहात और गरीब घरों के लड़के जो देशी भाषा जानते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला भाषा, उड़िया, मलयालम, गुजराती और अरबी, फारसी, पाली आदि देशी भाषाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से उन पर अंग्रेजी लादकर उनकी प्रतियोगिता को खत्म करने की साजिश हुई है।

दूसरी बात यह है कि जो नई पद्धति 2011 में लागू हुई और नई पद्धति लागू होने के कारण जो परिपाटी है कि उन्हें अतिरिक्त मौका दिया जाता है। इस साल भी श्री राहुल गांधी के हस्तक्षेप से दो अतिरिक्त मौके दिये गये हैं। लेकिन उसमें

कमी यह है कि 2011 में जिनकी उम्र 30 वर्ष पूरी हो गई, उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त मौके और मिलने चाहिए। उसके लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, उसे बढ़ाकर 34 वर्ष किया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार इसमें हस्पक्षेप करे। बार-बार इस मामले में सवाल उठाये गये हैं, सम्पूर्ण सदन भी इससे सहमत है, इसलिए सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे और जो देहातों से आने वाले देशी भाषा-भाषी वाले छात्र हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सेदारी मिले, उसके मुताबिक कार्रवाई हो। इसके लिए प्रदर्शन भी हुए हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोगों ने भी प्रदर्शन किये हैं, प्रतियोगियों ने भी प्रदर्शन किये हैं और दर्जनों सांसदों ने और सभी पार्टियों के नेताओं ने लिखकर भी दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को इस पर तुरंत गंभीरता से विचार करना चाहिए और तुरंत निर्णय करना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन मेघवाल और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को उपरोक्त विषय से सम्बद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, रेलवे में कार्यरत संविदाकर्मी कल से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग बहुत कम है। रेलवे के ठेकेदार, श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी नहीं प्रदान कर रहे हैं। अत:, कल से हड़ताल जारी है और आगे भी चलती रहेगी। इसीलिए, आपके माध्यम से, मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे के संविदाकर्मियों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। इन कर्मियों की संख्या हजारों में है।

ठेकेदार रेलवे में कार्यरत संविदाकर्मियों को न्यूनतम मजदूरी देने से कतरा रहे हैं। संविदाकर्मियों में अधिकांश रेल की पटरियों पर कार्य कर रहे हैं। मैं खड़गपुर मण्डल से संबंधित मामले को विशेष तौर पर उठा रहा हूं। हड़ताल के कारण सम्पूर्ण खड़गपुर मण्डल का कार्य ठप्प हो गया है। मेरा रेल मंत्रालय से निवेदन है कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके और संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो सके।

अपराह्न 12.26 बजे

इस समय श्री जगदम्बिका पाल, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, पिछले दिनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के हत्यारों को जो फांसी की सजा दी गई थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

इस समय, श्री के. सुगुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: महोदय, उस सजा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, ...*(व्यवधान)* उस आदेश के प्रति सबसे पहले हम अपनी असहमति जाहिर करते हैं।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तीन अभियुक्तों के संदर्भ में ऑर्डर दिया था।...(व्यवधान) लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में राजनीति करते हुए तीन की जगह सात लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया...(व्यवधान) यह निंदनीय है।...*(व्यवधान)* हमारे देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों के साथ आज तक सजा का काम नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* जिस प्रकार से उनको छोड़ा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* वह अन्याय है।...*(व्यवधान)* हमारे देश के पूर्व

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारों को सजा मिलनी ही चाहिए।...(व्यवधान) मैं ऐसा आग्रह करता हूं।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट के इस रिहाई के फैसले के ऊपर भी हम अपनी असहमति जाहिर करते हैं।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला नहीं देना चाहिए था।...*(व्यवधान)* क्योंकि राजीव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।...*(व्यवधान)* जितनी बेरहमी और निर्दयता के साथ, उनकी हत्या की गई थी,...*(व्यवधान)* वह इस देश के हर नागरिक को तकलीफ देता है।...*(व्यवधान)* इस तकलीफ को समझते हुए,...*(व्यवधान)* इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार इसका मजाक उडा रही है, राजनीति कर रही है।...*(व्यवधान)* ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जिन हत्यारों को सजा दी गई है, उनकी सजा पूरी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हम आपसे ऐसा आग्रह करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. विनय कुमार पाण्डेय स्वयं को श्री संजय निरूपम के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, एक मिनट हमारी बात सुनिये।...*(व्यवधान)* बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की बात है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने यह विषय पहले रख दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग इस पर बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

इस समय, श्री अर्जुन राम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.02 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व की हम राज्य सभा द्वारा यथापारित रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को विचार तथा पारित करने के लिए लें, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने दिनांक 19 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

अपराह्न 2.02½ बजे

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यगण, हमें विधेयक पर चर्चा हेतु भी समय आवंटित करना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने और अनुसंधान कार्य करने तथा इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

इस समय, श्री सी. राजेन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने और अनुसंधान कार्य करने तथा इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* मैं रानी लक्ष्मीबाई सेन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल, 2014 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।... *(व्यवधान)* मैं इस बिल के समर्थन में यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उद्देश्यों में यह लिखा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का रिसर्च होगा और इसका अनुसन्धान और एग्रीकल्चर का प्रसार किया जायेगा।... *(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि जिस तरह से सेक्शन पांच में इन्होंने ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी यूनिवर्सिटी लिखे हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स पूरे करने चाहिए, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है। मैं यह समर्थन करना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई का इन्होंने नाम रखा, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। *...(व्यवधान)* क्योंकि बहुत पुराने जमाने में, हम बचपन से ही सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता सुनते आ रहे हैं।

"चमक उठी सन् सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी,

बुन्देले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी,

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।"

आज जो आपने इसका नाम रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां जोधपुर में एम्स है, वहां मीराबाई का आपने नाम रखा, लेकिन नाम हटा लिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का यहां नाम रखा है, वैसे ही जोधपुर में जो एम्स है, उसका नाम भी मीराबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए।

अगला विषय मैं कहना चाहता हूं कि सैक्शन 18 में आपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात कही है, लेकिन जनरली बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सैलैक्शन करते समय इंटरफरैन्स होता है और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लायक नहीं होते हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ठीक लोगों का चुनाव होना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह एग्रीकल्चर की सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं राजस्थान के बीकानेर से आता हूं। मेरे बीकानेर में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसको सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेज रखा है, यूनिवर्सिटी ने भेज रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

"कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने और अनुसंधान कार्य करने

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

तथा इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ एि गए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने रानी लक्ष्मीबाई सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2014 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आपको मालूम है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा है। यह बिल जो राज्य सभा से आया है, मैं माननीय मंत्री प्रदीप जैन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने का एक बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिले।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी मुख्यालय में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। यहां कृषि में अध्यापन और शोध होगा।

जैसा कि हमें ज्ञात है कि झांसी बुंदेलखण्ड का हिस्सा है और यह भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां की जमीन बहुत अधिक अनुपजाऊ और ऊसर है। विशेष रूप से शुष्क भूमि खेती में शोध करने की आवश्यकता है। हमें पता है कि इजराइल जैसे कई देशों ने असाधारण उन्नति की है। अब समय आ गया है कि हमें बुंदेलखण्ड क्षेत्र, जो बहुत ही पिछड़ा है, के लिए कुछ करना चाहिए। अत:, मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। यह विधेयक राज्य सभा में पहले ही पारित हो चुका है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.10 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री जगदम्बिका पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए। आप लोगों ने अपनी बात सभा में उठायी है और सरकार ने सुनी है। कृपया आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने अपनी बात रख दी है, अब आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 3.01 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र... जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 20ङ लेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदय, मैं श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 50 के अंतर्गत अंतर्विष्ट उपबंधों तथा संविधान के अनुच्छेद 239कख के अंतर्गत उससे संबंधित आदेश के अनुसरण में 16 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 410(अ) द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10945/15/14)

(2) राष्ट्रपति को प्रेषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के दिनांक 15 फरवरी, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 10946/15/14)

अपराह्न 3.02 बजे

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुमोदन के बारे में संकल्प

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदय, मैं, श्री सुशीलकुमार शिंदे की ओर, से प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और (3) तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 50 के साथ पठित राष्ट्रपति द्वारा 16 फरवरी, 2014 को संविधान के अनुच्छेद 239 कख के अंतर्गत जारी आदेश का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और (3) तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 50 के साथ पठित राष्ट्रपति द्वारा 16 फरवरी, 2014 को संविधान के अनुच्छेद 239कख के अंतर्गत जारी आदेश का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02½ बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं 'शून्य काल' के दौरान आपको बोलने का अवसर दूंगा।

अपराह्न 3.03 बजे

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): महोदय मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.सी.) अधिनियम, 1985 में अधिनियमित किया गया तथा यह 14 नवम्बर, 1985 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को दो बार संशोधित किया गया पहली बार 1989 में और दूसरी बार वर्ष 2001 में संशोधित किया गया।

इस अधिनियम को लागू करने में सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए और मादक पदार्थ तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने से संबंधित प्रावधानों सहित कतिपय अन्य प्रावधानों को और सुदृढ़ बनाने के लिए अधिनियम में दूसरे संशोधन को आवश्यक समझा गया। इसलिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को 8 सितम्बर, 2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।

विधेयक को जांच और इस पर प्रतिवेदन देने के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में सात सिफारिशें की हैं और सरकार ने लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए ज्यादातर अधिकारिक संशोधन जिन्हें हम पेश कर रहे हैं, समिति के सुझावों पर आधारित हैं।

इसके साथ-साथ सरकार को दर्द निवारक और प्रशामक उपचार हेतु मॉर्फिन और अन्य नशीले पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता की कमी से संबंधित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन अभ्यावेदनों में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत एक समान लाइसेंसिंग व्यवस्था को अपनाने की तत्काल आवश्यकता और इन सुझावों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम को संशोधित करने के लिए विधेयक में भी शामिल करने पर जोर दिया गया। इनकी जांच करने पर यह पाया गया कि ये अभ्यावेदन औचित्यपूर्ण हैं। तदनुसार हम दर्द निवारण हेतु नशीले पदार्थों की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए कतिपय अधिकारिक संशोधनों का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। तद्नुसार, एस.सी.एफ. के सुझावों के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामी परिवर्तनों और दर्द निवारक हेतु अफीम उत्पादों की उपलब्धि संबंधी मुद्दे अधिकारिक संशोधनों की एक सूची के माध्यम से प्रस्तावित किए गए और जिन्हें विचार विमर्श हेतु सभा के समक्ष भी रखा गया है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* सुषमा स्वराज जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, सब को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस महत्त्वपूर्ण बिल पर...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा न करें।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री निशिकांत दुबे के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.06 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आपने सभा की कार्यवाही में काफी व्यवधान पैदा कर लिया है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, सरकार का स्वागत करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के सारे रिकोमेंडेशंस को उन्होंने मान लिया है, चूंकि ड्रग का सवाल है। कैंसर जैसे पेशंट मर रहे हैं, इस कारण से इस बिल की बहुत आवश्यकता है, नारकोटिक्स बिल की बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जो कुछ महत्त्वपूर्ण बात है, एक रिपोर्ट है, जिसको कि मैं कोट करना चाहूंगा, वह रिपोर्ट है – इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट, 2013, वह यह कह रहा है कि

[अनुवाद]

"इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट-2013 उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से आपराधिक गतिविधियां पैदा होती हैं, उन्हें छिपाया जाता है, अवैध धन को प्राय: भू-संपदा, शैक्षणिक कार्यक्रमों, धर्मार्थ कार्यों और चुनाव प्रचार के माध्यम से वैध बनाया जाता है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि यह जो नारकोटिक्स का पैसा आ रहा है, आज के युवा क्या कर रहे हैं। आज के युवा स्कूल, कॉलेज, किसी पार्टी या डिस्को में जाइए, आपको सारे लोग ड्रग्स लेते मिल जाएंगे। स्कूल के बच्चे आइसक्रीम, चॉकलेट के माध्यम से, *...(व्यवधान)* यह जो इल्लिगल मनी आती है, दाऊद इब्राहिम का जो पूरा का पूरा नेक्सस इस देश में चल रहा है, उसके साथ जो कई अन्य लोग हैं, छोटा शकील है,.. *..(व्यवधान)* संदीप शर्मा है, इस तरह के लोग जिनके बारे में मैं लगातार चिट्ठियां लिखता हूं। गुड़गांव, नोएडा, मुंबई में प्रोपर्टी है, ये इल्लिगल इलिसिट मनी, जो दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे कर रहे हैं, आपके मंत्रालय के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। मैं लगातार इसके बारे में चिट्ठी लिख रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो लोग हैं,*...(व्यवधान)* वह छोटा शकील है, संदीप शर्मा है या इस तरह के और भी लोग हैं, ...(व्यवधान) वे ब्लैकमेल करते हैं।*...(व्यवधान)* इस तरह के जो लोग हैं,*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, इसके पश्चात् आपको अवसर दिया जाएगा। इस विधेयक पर कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात्, आप सभी को अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, आप मेरी बात दो मिनट सुन लीजिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, चूंकि हम विधेयक पर कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पा रहे हैं अत: मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

[हिन्दी]

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी): वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 समय की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य एवं जनहित में है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

कृपया स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अनिवार्य निगरानी तन्त्र की स्थापना की जाए।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक में यह एक अनिवार्य उपबंध होना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): महोदय, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक 2011 पर मैं निम्न बातें कहना चाहूंगा। आज देश का खास कर शैक्षणिक, मजदूर कश लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं जिसमें विदेशों से मारफिन आदि दवाएं आ रही है जिससे लोग लेकर बीमार पड़ रहे हैं। कैंसर, विकलांगता, हार्ट, ब्लड प्रेशर, मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। सरकार विदेशों से आने वाले ड्रग पर रोक लगाए और युवा पीढ़ी को बचाए। परिवार-घर को बर्बाद होने से बचाए, लोग तरह-तरह की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कड़े कानून और सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेजों और चौराहों पर खुलेआम बिक रहे हैं। जिसमें सरकारी विभाग एवं पुलिस के लोग मिले होते हैं। सरकार सख्ती करें एवं रोक लगाए।

[अनुवाद]

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम): स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2013

- विधेयक 2011 में पुर:स्थापित किया गया।
- तत्पश्चात इसे स्थायी समिति को सौंपा गया।
- समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई और समिति ने इसमें संशोधनों का सुझाव दिया। उनमें से कुछ संशोधनों को स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री ने एन.डी.पी.एस. विधेयक, 2011 में अधिकारिक संशोधन प्रस्तुत किए हैं।
- प्रश्न यह है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
- कैंसर, एच.आई.वी./एड्स और अन्य घातक रोगों और चोटों से पीड़ित लाखों भारतीय लोगों को दर्द का निवारण न हो पाने के कारण अनावश्यक रूप से पीड़ा झेलनी पड़ती है।
- अत: उन्हें कुछ राहत की आवश्यकता है।
- इस विधेयक का उद्देश्य रोगियों के लिए आवश्यक स्वापक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इनके दुरुपयोग और अन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग पर भी रोक लगाना है।

***श्री ओ.एस. मणियन** (मईलादुतुरई): मुझे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विधेयक में संशोधन संबंधी मुद्दा काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। मैं विधेयक में आवश्यक संशोधन करने की पहल का स्वागत करता हूं। काफी कम आयु में, स्कूल और कॉलेजों के छात्र और औद्योगिक श्रमिक इनके नशे के आदी हो जाते हैं और इन स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के कारण उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों से नशीली दवाओं की तस्करी पर प्रभावशाली तरीके से रोक लगनी चाहिए। काले बाजार में निषिद्ध दवाओं और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। तंबाकू उत्पादों और स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। नशीली दवाओं के दुरूपयोग और उनके दुष्प्रभावों के संबंध में युवाओं और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई फिल्मों को पूरे देश में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थों में भी कुछ स्वापक पदार्थों को अवयव के रूप में मिलाया जाता है जिस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को न केवल निर्धन लोगों के संबंध में कोई निवारक कार्यवाही करनी चाहिए, अपितु, समृद्ध और संभ्रांत लोगों को इन नशीली दवाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भी कार्यवाही करनी चाहिए। देश के संगत कानून के अंतर्गत नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध आवश्यक और कठोर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए तथा स्वापक औषधियों के दुष्प्रभावों के संबंध में जोरदार तरीके से जन-जागरूकता, अभियान चलाया जाना चाहिए।

****डॉ. अनूप कुमार साहा** (बर्धमान पूर्व): यद्यपि, मैं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 का स्वागत करता हूं तथापि, इस संबंध में मेरी कुछ आपत्तियां हैं।

यद्यपि, इस विधेयक में "केन्द्र सरकार की फैक्ट्रियों" की नई परिभाषा दी गई है और "वाणिज्यिक मात्रा" और "कम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*सभापटल पर मूलत: तमिल में रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मात्रा" की परिभाषा में संशोधन किया गया है, परन्तु, ये परिभाषाएं अभी भी अस्पष्ट हैं। यह परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए।

यह आश्चर्य की बात है कि मादक औषधियों के तस्करों की सजा में वृद्धि करने की बजाय, समझौता करने के लिए इन औषधियों का इस्तेमाल करने वालों की सजा में कमी की गई है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि विधेयक में दोनों के लिए कड़ी सजा का उपबंध किया जाएगा।

मैं इस विधेयक में नशे के आदी लोगों के प्रबंधन और पुनर्वास संबंधी उपबंधों का स्वागत करता हूं। सरकार को इस मामले में और अधिक सक्रिय होना चाहिए।

मैं इस तथ्य को नहीं समझ पा रहा हूं कि अवैध रूप से रखी गई नशीली दवाओं को जब्त करने के लिए अधिसूचना हेतु 180 दिन का प्रावधान क्यों रखा गया है। क्या यह सब अपराधियों को हेराफेरी करके कानून के चंगुल से निकल पाने के लिए समय देने के लिए किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि इसकी अधिसूचना एक माह के भीतर जारी होनी चाहिए और इस संबंध में तत्काल प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए।

यद्यपि स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तथापि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये ऐसे पदार्थ हैं, जिनकी आवश्यकता हमें दर्द निवारक और असाध्य रोगों में देखभाल के लिए होती है। हमारी मंशा के फलस्वरूप यह समाज के लिए वरदान या अभिशाप सिद्ध होता है। अत:, कानूनी रूप से अधिकृत विनिर्माता, डीलरों और व्यापारियों, जो समुचित उपयोग के लिए इनकी बिक्री करते हैं, अनुचित शोषण से बचाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि रोगियों की देखभाल करने वालों के लिए इन औषधियों को सुलभता से उपलब्ध बनाने हेतु नियम बनाए जाने चाहिए अन्यथा असाध्य रोगों से ग्रस्त और दर्द झेल रहे व्यक्ति लगातार पीड़ा झेलते रहेंगे।

***डॉ. पी. वेणुगोपाल** (तिरूवल्लूर): मुझे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 नामक इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रसन्नता हो रही है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अनेक चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग हैं। विश्व भर में केवल चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए ही इनका उपयोग करने की अनुमति है। तथापि, इन औषधियों और पदार्थों का दुरुपयोग होने की काफी संभावना है। भारत अवैध स्वापक व्यापार का स्वर्ग बना हुआ है। इसके बारे में रोजाना देश के कई हिस्सों से समाचार आते रहते हैं। हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करने वाला यह एक गंभीर मुद्दा है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 का उद्देश्य इन अनियमितताओं को दूर करना और अधिनियम के उपबंधों को सुदृढ़ करने हेतु इसमें और परिवर्तन करने का है। यद्यपि भारत ने 1985 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, बनाया था, तथापि अपने घरेलू कानूनों को वैश्विक अभिसमयों के अनुरूप बनाने के लिए एन.डी.पी.एस. (संशोधन) अधिनियम 1989 और एन.डी.पी.एस. (संशोधन) अधिनियम, 2001 के माध्यम से इस अधिनियम में दो बार संशोधन किया जा चुका है। किंतु जैसे-जैसे और अधिक अनियमितताएं सामने आईं, अधिनियम के उपबंधों को और कड़ा बनाने के लिए पिछले सितम्बर में एन.डी.पी.एस. (संशोधन) विधेयक, 2011 पुर:स्थापित किया गया।

वर्तमान विधेयक में कठोर दंड की परिकल्पना की गई है। कम मात्रा में तस्करी करने पर अधिकतम छह माह की जेल का प्रावधान करने वाले उपबंध के आलोक में मॉरफीन, कोकीन और हेरोइन का उपयोग करने पर अधिकतम एक वर्ष की सजा को घटाकर छह माह करने की मांग की गई है।

आई.एन.सी.बी. की मुख्य चिंता दक्षिण एशिया में इंजेक्शन द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने की बढ़ती घटनाएं हैं। भारत में यह काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। क्षेत्र में इंजेक्शन द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग में हेरोइन, डॉक्टर द्वारा लिखा ओपाइड्स और अन्य नियंत्रित पदार्थों वाला मिश्रण शामिल है। इससे एच.आई.वी. और हेपेटाइटिस-सी संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। इस व्याकुल करने वाली घटना से संबंधित बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधी समूह भारत का उपयोग हमारे देश में व्यापक रूप से उपलब्ध पुरोगामी ऐफीड्रीन और सुडोऐफीड्रीन के कारण एम्फेटामाइन की तरह के उद्दीपकों के पुरोगामियों का ध्यान दूसरी तरफ लगाता रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत में गोली के रूप में अवैध बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऐम्फेटामाइन और मेथाऐम्फेटामाइन को तस्करी करके देश में लाया जाता है। इसके विपरीत अवैध बाजार में पाउडर के रूप में उपलब्ध अधिकांश ऐम्फेटामाइन और मेथाऐम्फेटामाइन को देश में अवैध रूप से बनाया जाता है। देश के अनेक भागों में नियमित रूप से बड़ी मात्रा में ऐम्फेटामाइन को पकड़ा जा रहा है।

चिंता की बात यह है कि देश के अनेक भागों में अफीम के पौधे की अवैध खेती की जाती है। वास्तव में लगभग 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है। रोचक बात यह है कि भारत में कूरियर के द्वारा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कोकीन की तस्करी की जाती है।

भारत में अफीम का धूम्रपान में प्रयोग करना पिछले काफी लंबे समय से चला आ रहा है और हमारे देश में अफीम के दुरुपयोग का स्तर एशिया में सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया में नशाखोरों के द्वारा 'चासिंग' (वाष्पीकृत रूप में अन्त:श्वसन करना) और धूम्रपान सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार हैं यद्यपि कुछेक ने इंजेक्शन के माध्यम से नशा करना आरंभ कर दिया है और इसका तेजी से प्रसार हो रहा है।

मानो कि दुरुपयोग के ये सारे प्रकार काफी नहीं हैं इसलिए भारत में सर्वाधिक दुरुपयोग वाली भेषज निर्मितियों में कोडीन वाली कफ की दवाइयां और एनालजेसिक सहित विभिन्न बेंजोडियाजपाइन्स शामिल हैं। भारत में भेषज निर्मितियों के दुरुपयोग को 'डॉक्टर की पर्ची की अपेक्षा का पालन करने में अनेक फार्मेसियों की विफलता' ने और आसान बनाया है। चूंकि भारत में दुरुपयोग किए जाने वाली कुछ दवाएं 1961 के अभिसमय की अनुसूची III के अंतर्गत आती हैं जिनके लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य नहीं है अत: सरकार को फार्मेसियों को डॉक्टर की पर्ची संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भेषज निर्मितियों का गैर-चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाए। अब समय आ गया है कि भारत को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि हमारी जनांनिकी के लाभांश के रूप में प्राप्त युवा वर्ग कानूनों में खामियों के कारण कल हम पर कोई बोझ न बन जाए।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 5 **के स्थान** पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

"(ख) खंड (viiiक) को खंड (viiiख) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (viiiख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(viiiक) "आवश्यक स्वापक औषधि" से केंद्रीय सरकार द्वारा चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक औषधि अभिप्रेत है;'। (3)

पृष्ठ 2, 6 से 10 पंक्तियों का **लोप** करें। (4)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति

के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें–

संशोधन किया गया

2क. मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में, "रोकथाम के प्रयोजनों के लिए" शब्दों **के पश्चात्,** "और उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खंड (घ) **के पश्चात्** निम्नलिखित खंड **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्–

"(घक) चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की उपलब्धता;"।'। (5)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 2क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क विधेयक में जोड़ दिया गया।

मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने अथवा उससे लोप करने का अधिकार

खंड 3

संशोधन किए गए

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 से 12 **के स्थान** पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये–

"3. मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में,–

(i) उपखंड (iii) **के पश्चात्** निम्नलिखित उपखंड **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्–"।

पृष्ठ 2. पंक्ति 15 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए–

'(ii) उपखंड (v) **के पश्चात्** निम्नलिखित उपखंड **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्–

"(vक) आवश्यक स्वापक औषधियों का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग:

परंतु जहां किसी आवश्यक स्वापक औषधि की बाबत, राज्य सरकार ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पूर्व धारा 10 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र, उसकी समाप्ति की तारीख तक या ऐसे प्रारंभ से बारह मास की अवधि तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य बना रहेगा।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (ज) **के पश्चात्,** निम्नलिखित खंड **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्–

"(जक) आवश्यक स्वापक औषधियों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के प्ररूप और शर्तें, ऐसे प्राधिकारी, जिनके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा और वह फीस, जो उसके लिए प्रभारित की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;"।'। (7)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग तथा दुर्व्यापार का निवारण करने तथा रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से 18 **के स्थान** पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये।

'धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) में,–

(क) उपखंड (i) में "पोस्त तृण का" शब्दों **के पश्चात्** "ऐसे पौधों से, जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोस्त तृण के सिवाय," शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (v) में "विनिर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों" शब्दों **के स्थान** पर, "विनिर्मित औषधियों (विनिर्मित अफीम और आवश्यक स्वापक औषधियों से भिन्न)" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे;'। (8)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.10 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 क धारा 15 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये,–

4क. मूल अधिनियम की धारा 15 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (9)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ख धारा 17 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4ख. मूल अधिनियम की धारा 17 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (10)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ग धारा 18 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4ग. मूल अधिनियम की धारा 18 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (11)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4घ धारा 20 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4घ. मूल अधिनियम की धारा 20 के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (अ) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (12)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4घ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ङ धारा 21 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4ङ. मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (13)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4ङ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4ङ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4च धारा 22 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4च. मूल अधिनियम की धारा 22 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों **के स्थान** पर, "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (14)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4च विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4च विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4छ धारा 23 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

4छ. मूल अधिनियम की धारा 23 के खंड (क) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'। (15)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4छ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4छ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

केन्द्र सरकार के अधिकारी

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 6

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ संबंधी परामर्शदात्री समिति

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क धारा 31 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

7क. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (1) में, "मृत्यु दंड से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे दंड से जो धारा 31 में विनिर्दिष्ट दंड से कम का नहीं होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे।'। (16)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री नमो नारायन मीणा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख धारा 42 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये–

7ख. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक में "परंतुक" शब्द **के स्थान** पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो: (17)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

अनुज्ञा देने नियंत्रण और विनियमन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 और 24–एक सौ अस्सी दिनों के स्थान पर "नब्बे दिन" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (18)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 15

पोस्त तृण संबंधी उल्लंघन के लिए दण्ड

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 15 और 16 **के स्थान** पर निम्नलिखित शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये–

"15. मूल अधिनियम की धारा 71 में उपधारा (1)

"सरकार, व्यसनियों की पहचान, उपचार, प्रबंधन, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुन:एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों को और अन्य

व्यक्तियों को संबंधित सरकार द्वारा किन्हीं स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों का प्रदाय किए जाने के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उतने केंद्रों को स्थापित कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी या अनुमोदित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे।" (19)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2011" **के स्थान** पर "2014" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (2)

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में "बासठवें" **के स्थान** पर "पैंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

(श्री नमो नारायन मीणा)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: अब श्री निशिकांत दुबे। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, इस देश में बहुत कानून हैं। जैसे मैंने अभी चर्चा के क्रम में कहा कि स्कूल में आइसक्रीम के माध्यम से, चॉकलेट के माध्यम से, महिलाओं को ड्रग देकर किसी तरह की एक्टीविटी होती है, ब्लैकमेलिंग बहुत बढ़ रही है। दाउद इब्राहिम का एक पूरा नैक्सस है जिसमें फेक करैंसी है, ब्लैक मनी है, हवाला ट्रांजैक्शन है। उसी तरह से इललीगल सम्पत्तियां लोग बाहर, भीतर अर्जित कर रहे हैं। हवाला के माध्यम से पैसा आ रहा है। उसी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग है, जैसे अभी हमने कैंसर के लिए कहा कि चूंकि कैंसर की दवाइयां महंगी हो रही हैं, इस बिल को जल्दी पास करना है। चाहे वित्त मंत्रालय में है चाहे गृह मंत्रालय में है, अलग-अलग कानून हैं और इसके कारण बहुत छोटी सजा हो पाती है, जैसे छ: महीने की सजा थी उसे अब हमने एक साल के लिए किया। ट्रैफिकिंग के लिए यदि पकड़ेंगे तो उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन ड्रग की हालत में लोग लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं, बच्चों के साथ रेप करते हैं, ड्रग ऐब्यूज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं या जो उस समाज, सोसाइटी में पार्ट हैं और जिनका कहीं न कहीं दुबई कनैक्शन है, कहीं न कहीं वे दाउद इब्राहिम से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में कोई एक टास्क फोर्स बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए या भारत सरकार का क्या नजरिया है। इस सारे कानून को एकजुट करते हुए आज के युवा डिस्को, ड्रग के माध्यम से जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको पता है माननीय राहुल जी का ही बयान आया था कि पूरा पंजाब ड्रग के नशे में चूर है। मैं कह रहा हूं कि जब आपको पता है कि देश भर में ड्रग माफिया इतना हावी हो गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग वाले इतने हावी हो गए हैं, समाज के वे हाई सोसाइटी के लोग हो गए हैं, उन्हें किसी कीमत पर पैसा मिल रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है और उसका वे

किसी तरह से मिसयूज कर रहे हैं। उस बारे में भारत सरकार किस तरह की योजना बना रही है, यह पार्लियामैंट को बताया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011 पर हमने यहां बहुत विस्तार से डिसकशन की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है। मैं निशिकांत दुबे जी के वक्तव्य से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

यह बात सत्य है कि आज चाहे स्कूल्स हों, कालेजेज हों या कहीं भी लेबर चौराहा हो, जहां मेहनतकश मजदूर हैं, खासकर युवा पीढ़ी को ड्रग और नशे में ढकेलने का काम हुआ है और यह साजिश के तहत हो रहा है। इसी तरह से चाहे बंगलादेश हो, नेपाल बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना हो, वहां से बहुत करेंसी हवाला के माध्यम से आ रही है। इसके माध्यम से वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं और यहां जो मेहनतकश, प्रतिभावान युवा हैं, उन्हें एक तरीके से नशे में डालकर उनके नॉलेजेज को किल करने का काम किया जा रहा है। यह साजिश के तहत हो रहा है कि हमारा देश कैसे कमजोर किया जाये। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विभाग मिला हुआ है, पुलिस विभाग मिला हुआ है। आप कहीं भी देखिये, अगर चार मजदूर हैं, तो वे अलग ड्रग पी रहे हैं। यहां तक कि स्कूल के बच्चे भी इसके प्रभाव में आ गये हैं। आज इस पर कड़े कानून की जरूरत है। छ: महीने की जगह एक साल की सजा देने से यह दूर नहीं होगा। इस पर सख्त से सख्त सजा हो, जिससे यह रुके और हमारे यहां की युवा पीढ़ी वह बर्बाद होने से बचे। खासकर जो मेहनतकश मजदूर हैं, उनके जीवन को बचाया जा सके। आज बहुत से ऐसे घर हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं। मानसिक तौर पर लोग विक्षिप्त हो गये हैं। उनका परिवार बिल्कुल त्रस्त हो चुका है।

मैं चाहूंगा कि सरकार कड़े कानून बनाकर इसे बंद करे और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जहां से यह ड्रग्स आ रहा है, वहां से इसे कठोरता से रोकने का काम करें।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह सच है कि नशीले पदार्थ न केवल भारत में अपितु विश्व भर में एक बुराई है। मैं कोलम्बिया गया था जहां पर मेडिलिन ड्रग कार्टल का पूरे देश पर नियंत्रण है। आज मैक्सिको भी इस ड्रग कार्टल से बुरी तरह से प्रभावित है। भारत के पूर्व में बर्मा-थाइलैंड सीमा के आसपास एक स्वर्णिम त्रिभुज है और यह भारत में आ रहा है। और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है यह हमारे छात्रों और नौजवानों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम मूलत: अनेक अधिनियमों यथा-खतरनाक औषधि अधिनियम, अफीम अधिनियम आदि को एक करने के लिए बनाया गया था। किंतु अब एन.डी.पी.एस. अधिनियम का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। महोदय आप जानते हैं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम का किस प्रकार उपयोग होता है। जब कोई पुलिस स्टेशन किसी अपराधी को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो वह उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत रख देते हैं ताकि वह छह माह तक जेल में रहे। किंतु नशीले पदार्थों के मूल स्रोत वे लोग जो काले धन को सफेद करते हैं, जो बाहर से नशीले पदार्थ लाते हैं, को पकड़ा नहीं जा रहा है। हमारे पास एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है किंतु वह निष्प्रभावी साबित हो रहा है।

मैं यह बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि नशीले पदार्थ समाज के निम्नतम तबके में प्रचलित हैं। सभी बड़े शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग स्मैक का सेवन करते हैं वे उसे जलाते हैं और फिर उसे कागज के पाइप के माध्यम से फूंकते हैं और काम पर निकल जाते हैं। यदि आप उन्हें पुलिस स्टेशन में हवालात में रखते हैं तो वे अपना सिर हवालात की दीवार पर मारते हैं क्योंकि नशा न करने पर होने वाली समस्याएं उन पर हावी होने लगती हैं। एक बार जब आप नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाते हैं तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि केवल निचले स्तर के लोग ही नहीं अपितु समाज के उच्चतम तबके के लोग भी नशा करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां बैठे हैं, मुंबई फिल्म नगरी नशे से बुरी तरह प्रभावित है। कई महत्त्वपूर्ण हीरो को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया गया है। वे किसी ना किसी तरीके से छूट जाते हैं। मैं बॉलीवुड के एक बड़े हीरो की बात कर सकता हूं जो लगातार नशे का सेवन करते हैं। उन्हें नशीले पदार्थों की आपूर्ति कौन कर रहा है? इसका स्रोत क्या है? कानून होने के बावजूद यह दिन-प्रतिदिन कैसे चल रहा है? कानून का उपयोग छोटे-छोटे अपराधियों के विरुद्ध किया जा रहा है। किंतु बड़े लोग जो नशीले पदार्थ लाकर लाखों रुपए के कालेधन को सफेद करते हैं, को पकड़ा नहीं जा रहा है। हम सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन की सराहना करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता भी है। फिर, मॉरफीन महंगी हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं मरणासन्न कैंसर के मरीज और अन्य मरीजों को सर्वाधिक असरदार पीड़ाहारी मॉरफीन दी जाती है। अत:, ऐसा कैसे है कि कानून के होते हुए और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के होते हुए भी मादक पदार्थों के स्रोत का पता नहीं चल पाया है? ये मादक पदार्थ न केवल मुंबई में बल्कि दिल्ली में भी आसानी से उपलब्ध हैं। जिन होटलों में ये मादक पदार्थ लिये जा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लोग कोकीन और हेरोइन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी मुसीबत है।

सभापति महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. सौगत राय: महोदय, आप गोवा से हैं। वहां रूसी लोग आते हैं और इन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, परंतु वे पकड़े नहीं जाते। दिनोंदिन रूसी माफिया पूरे गोवा पर हावी हो रहा है। इसलिए, सरकार मादक पदार्थों के इस खतरे पर नियंत्रण करने के लिए समुचित कदम उठाने में सक्षम क्यों नहीं है? यही मेरा प्रश्न है।

डॉ. रामचन्द डोम (बोलपुर): सभापति महोदय, मैं संक्षेप में एक निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले, इस विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह महानतम मानवीयता की भावना से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। लंबे समय से मैंने चाहा है कि यह विधेयक पारित हो क्योंकि एक चिकित्सक के रूप में मैं इस विधेयक के महत्त्व को जानता हूं।

महोदय, जैसा कि मेरे सम्मानित साथियों प्रो. राय और श्री निशिकांत दुबे पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि कुछ बीमारियों विशेषकर कैंसर वाली बीमारियों की अंतिम अवस्था में और मायोकार्डियल नामक इनफारक्शन, घातक हृदयघात, में भी अत्यंत पीड़ा होती है, ऐसे समय में तत्काल दी जाने वाली जीवन रक्षक औषधि मॉर्फिन है। यह एक स्वापक औषधि है, लेकिन यह एक जीवन रक्षक औषधि भी है। अत: यह विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह लंबे समय से लंबित रहा है और मैं खुश हूं कि अब यह पारित हो रहा है।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, वह मादक पदार्थों के आतंक के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और मादक पदार्थों का आतंक पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही, नशीले पदार्थों के आदी हमारे युवा नशीले पदार्थों का उपयोग कर स्वयं को इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसका खतरनाक परिणाम एच.आई.वी./एड्स संक्रमण और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रूप में सामने आ रहा है। मुख्य समस्या यह है कि इन सब मादक पदार्थों को लेने से हमारे युवा उत्साहहीन हो रहे हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा पुलिस और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह मादक पदार्थ आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं। हमारे स्कूली बच्चे, युवा, कामकाजी वर्ग सभी इन मादक पदार्थों के कारण परेशान हैं। यह न केवल मुंबई फिल्म उद्योग में एक बड़ा खतरा हैं, बल्कि हमारे सम्पूर्ण देश में यह एक गंभीर खतरा है। अत:, सरकार को इस खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े उपाय करने चाहिए। इस खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए और इसके लिए कड़ा दण्ड भी आवश्यक है, जोकि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य को भी नष्ट कर रही है। अत:, सरकार मादक पदार्थों के इस खतरे पर नियंत्रण करने के लिए क्या कड़े उपाय कर रही है? यही मेरा प्रश्न है।

सभापति महोदय: श्री अजय कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करने से पहले, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें और केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है कि दण्ड उन्हीं लोगों के लिए है, जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ज्यादातर अवसरों पर मादक पदार्थों की केवल छोटी मात्रा ही जब्त की जाती है और मुझे लगता है कि सरकार यह सबसे बड़ी गलती कर रही है क्योंकि मादक पदार्थों के असली अवैध व्यापारी खुले घूम रहे हैं। अत:, मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये अवैध व्यापारियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

इससे क्या होगा कि हर बार जब आप छोटे लोगों को पकड़ेंगे और पुलिस छोटे लोगों को, गरीब लोगों को निरुद्ध करेगी, जेलें भरेंगी और असली अवैध व्यापारी खुले घूमेंगे। हाल ही के मामले में, उच्चतम न्यायालय में भी एक ऐसा व्यक्ति था जो एक छोटे अपराध के लिए पिछले 15-20 सालों से जेल में रहा है लेकिन हम ऐसे लोगों को रिहा कर देते हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर हत्यायें और अपराध किए हैं। अत: स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थों के मामले में भी ऐसा ही होगा। मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले बेचारे लोग जेल में होंगे और असली लोग जो मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं, वे पकड़ में नहीं आयेंगे। अत:, बात छोटी मात्रा और जेल जाने की है, क्योंकि जो लोग थोड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और जो थोड़ी मात्रा के साथ पकड़े जाते हैं उन्हें वास्तव में उपचार की आवश्यकता है।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा और साथ ही गरीबों को जेल में डाला जाएगा तथा कोई भी मादक पदार्थ का अवैध व्यापारी नहीं पकड़ा जाएगा। मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने काफी व्यवधान पैदा कर लिया, अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आपको आपका समय मिलेगा।

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, नारकोटिक्स ड्रग्स अमेंडमेंट बिल जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र इससे सीधा प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। नेपाल के माओवादियों और हमारे झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों का एक नेक्सस वहां तस्करी का काम करता है। उससे जो अवैध पैसे की कमाई होती है, उसकी खपत सीधे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में होती है और काला धन भी बढ़ता है। माओवादियों और नक्सलवादियों का जो नेक्सस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना हुआ है, उसको तोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से ही यह होता है और उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र और बिहार का पूरा बॉर्डर एरिया, जो नेपाल से सटा हुआ है, वहां के जो नवयुवक एवं छात्र इसकी चपेट में आकर बर्बाद होते हैं, इसलिए इसको रोका जाए। उसके लिए कड़ा प्रावधान किया जाए।

महोदय, नशे से ही संबंधित एक पत्र मैंने पहले भी वित्तमंत्री जी एवं सचिव महोदय को दिया था, मैं आपके माध्यम से उसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पान पराग, रजनीगंधा, कमला पसन्द आदि जो तमाम गुटका आते हैं और तम्बाकू के पाउचेज हैं, उससे हजारों-करोड़ रुपये का काला धन इस देश में पैदा हो रहा है। पहले जो पाउचिंग मशीन थी, जिससे 200 पाउचेज निकलते थे, अब रोटेटरी मशीनें आने के बाद 1000-1200 पाउचेज निकालती हैं। उसको फिर से अमेंड करके बढ़ाया जाए। उसे सर्विस टैक्स के रूप में 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस तरीके से जो हजारों-करोड़ रुपये काला बाजारी के रूप में आते हैं, वह बंद होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है। मैं पूरे सदन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इतना महत्त्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं क्योंकि इसमें जेनरेशन का, फ्यूचर का और पूरे देश का सवाल है। आज जिस तरह निशिकांत जी ने बताया, सौगत बाबू बोल रहे थे, डॉ. राम चन्द्र डोम जी ने कहा, यह हर सोसाइटी में चला गया है - डिस्को में गया है, लॉजेज में गया है, होटल्स में गया है। आज ड्रग्स यंगर जेनरेशन में स्टूडेंट्स में जा रहा है और हालत बहुत गंभीर हो रही है। महिलाएं आदि सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। मैं तंबाकूरोधी और मादक पदार्थ रोधी अभियान में आगे रहा हूं। ड्रग्स और टोबैको के कुप्रभाव के मामले में एक ही चीज अच्छी है कि यह बहुत ही सेकुलर होता है, हर धर्म, हर जाति, अमीर-गरीब, ऊंची सोसाइटी और हमारी सोसाइटी के लोगों, किसी में कोई फर्क नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता, सबको समान रूप से प्रताड़ित करता है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और कर रहा है। इसलिए मैं इसे अच्छा कहूंगा कि यह सेकुलर है। जैसा अभी अजय कुमार जी ने कहा, डॉ. राम चन्द्र डोम जी ने कहा, यह फिल्मों में आ ही गया है, बहुत जगह आ गया है। पहले एक कहावत होती थी 'थिंग्स गो बैटर विद कोका कोला'। यह एड चलता था। यह एड चलता था, अब यह एड चल रहा है–"थिंग्स गो बैटर विद कोक"। आज हर तरफ कोक-कोक है यानि कोकिन वाला कोक। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का शॉटगन हो गया, वैसे ही कोकिन का शॉर्ट कोक हो गया। लोग आज इससे परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। यह जो बिल आया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। अजय कुमार जी जो अभी अपनी बात कर रहे थे, वह पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने काफी अच्छे ढंग से अपनी बात रखी।

सभापति जी, इसमें चीजें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। एक है ट्रैफिकिंग रूट पर स्ट्राइक करना। अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे, किसी वर्मा, शर्मा या मुश्ताक को पकड़ लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह साल या छ: महीने बाद छूट जाएगा। इसमें बहुत भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। आपने इसमें फांसी का भी प्रावधान किया है, अच्छी बात है। जब रूट की बात होती है, ट्रैफिकिंग की बात होती है, सप्लायर की बात होती है तो इस बात का भी खयाल मंत्री जी रखें कि पहले नारकोटिक्स जो ड्राई माना जाता था, आज बहुत ल्यूक्रेटिव माना जाता है। बहुत सारे लोग, हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग में जाना चाहते हैं और कई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े भी गए हैं। इसलिए इनकी भी विजिलेंस और मानिटरिंग बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो लोग इसकी सप्लाई करते हैं, चाहे जिस रूट से आ रहा है, उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने कानून के इम्प्लीमेंटेशन को, मानिटरिंग को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि यह लोगों के लिए एक डेटेरेंट हो।

मैं एक और बात सदन में कहना चाहूंगा। जैसा अभी बताया गया कि जो लोग ड्रग के शिकार हो जाते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है कि हम उनकी मानिटरिंग या विजीलेंस कर सकें। अजय कुमार जी ने जैसा कहा कि गुटखा, जर्दा आदि के पाउचेज और सिगरेट तक सरेआम बेची जाती हैं। कई जगह स्मोकिंग मना है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग हो रही है। इसी तरह कई जगह गुटखा या जर्दा सेवन मना है, लेकिन फिर भी हर जगह दुकान पर लटके हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए हमारे पास कहां तक मैनपावर है, कितनी पुलिसिंग करेंगे, कितनी फोर्स है? इसलिए ड्रग्स की रोकथाम के लिए, इनकी कौंसलिंग के लिए, क्योंकि जो इस लत के शिकार हुए हैं, उन्हें इस तल से बाहर निकालने के लिए क्या मंत्री जी इस बिल में कोई प्रावधान करेंगे? साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इसकी ट्रैफिकिंग को, रूट कॉज को रोकने का प्रावधान किया जाए और जो इसके सप्लायर्स हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल ज्यादा महत्त्वपूर्ण और कारगर होगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.43 बजे

इस समय, श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ललन सिंह जी, पहले हमारी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप हमारी बात सुन लेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, यह नारकोटिक्स वाला बिल बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक है जो मूल अधिनियम 1985 में संशोधन करने के लिए सदन में आया है। पहले क्या होता था कि पुरानी अफीम रखने वालों के विरुद्ध ब्रिटिश राज में एक कानून था, जिसमें किसानों से

पोस्त की खेती कराई जाती थी और अफीम की खेती भी होती थी। उसे यहां से विदेश सप्लाई किया जाता था। उस समय से लेकर अब तक यह नशा कितना खराब है, यह हम सभी जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि जिस चीज का भी नशा होता है। अफीम है, तम्बाकू है, भांग है, गांजा है, शराब है ये सभी मानवता की शत्रु हैं। मौहम्मद पैगम्बर ने कुरान में कहा कि "नशा सभी पापों की जननी है।" *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.47 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): महोदय, सभी आठ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और नीति बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव और जानकारी दी है। *...(व्यवधान)* मादक पदार्थों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तरफ तो यह अधिनियम एक व्यापक कानून उपलब्ध कराएगा और साथ ही विधिसम्मत तथा चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों हेतु स्वापक औषधियों तक पहुंच को आसान और सरल बनाएगा।...*(व्यवधान)* उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिए हैं। हम निश्चित ही इन्हें देखेंगे और बहुत गंभीरता से इन पर विचार करेंगे। इन टिप्पणियों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: चूंकि बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मंत्री ने उत्तर दिया है, अत: सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों और मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरों को सामान्य चर्चा का भाग माना जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री नमो नारायन मीणा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.47 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी

बिहार को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के मामले के बारे में

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, क्या मैं बिहार के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं केवल रघुराम राजन समिति प्रतिवेदन से संबंधित उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मैं इस पर एक बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष मेरे बजट भाषण के पश्चात् रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले राज्यों की पहचान करने के लिए हमारी सरकार ने इस समिति का गठन करने का निर्णय लिया था। अनेक मापदंडों के आधार पर राज्यों का औसत राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अत:, हमने यह निर्णय लिया कि हमें ऐसे राज्यों की पहचान करनी चाहिए और एक ऐसा तन्त्र विकसित करना चाहिए जिससे उन राज्यों की सहायता की जा सके। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन में तथा उक्त समिति को गठन करने के कारणों में किसी विशेष, राज्य का उल्लेख नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)* अत:, इस औसत से कई राज्यों को हटा दिया गया है। इसलिए, हम उन राज्यों की पहचान करना चाहते थे और एक ऐसा तन्त्र तैयार करना चाहते थे जिसके माध्यम से उन राज्यों की सहायता की जा सके। रघुराम राजन समिति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में कई लोगों को सम्मिलित किया गया था। उन्होंने ऐसे मानदंडों की पहचान की जिनकी सहायता से राज्यों की पहचान करके उन्हें एक क्रम में रखा जा सकता है। उस क्रम के आधार पर हमने सभी संबंधित पक्षों को यह प्रतिवेदन परिचालित किया है। प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

प्रतिवेदन के दूसरे भाग में यह उल्लेख किया गया है कि वित्त आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसकी सिफारिशों के एक भाग और योजना आयोग द्वारा निधियों के आवंटन के अतिरिक्त कुछ अन्य निधियां भी हैं और उन निधियों का आवंटन और वितरण रघुराम राजन समिति द्वारा सुझाए गए पैटर्न या मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। उन मानदंडों को भी सभी संबंधित मंत्रालयों को परिचालित किया गया है। मंत्रालयों से अपने सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए कहा गया है। उस पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मैं इस सम्माननीय सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी मंशा भारत के अति पिछड़े राज्यों की सहायता करने की है और प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री भक्त चरण दास जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.50 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, मुझे आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज सरकार की कैबिनेट ने उड़िया भाषा को क्लासिकल भाषा की मान्यता दी है। ओडिशा के हमारे पूर्वज कई सालों से यह लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तकल गौरव मधुसूदन जी के समय से लेकर अभी तक ओडिशा के लोग चाहते थे कि उड़िया भाषा को क्लासिक भाषा का दर्जा दिया जाए।

आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और कैबिनेट को ओडिसा की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी एम.पी. साथी खास कर राज्य सभा के खूंटिआ जी ने हम सभी एमपीज को इनिशिएट किया था। खूंटिआ जी और हमारे सभी ओडिशा के माननीय साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी के इनिशिएशन से भारत ने उड़िया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार और मंत्रिमंडल द्वारा उड़िया भाषा को एक प्राचीन भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने पर ओडिशा के लोगों के गर्व और विशेषाधिकार की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए सभा में खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* सरकार ने जो मानदंड निर्धारित किए हैं वे ये हैं कि भाषा 2000 वर्ष या उससे अधिक प्राचीन होनी चाहिए; उसका एक सतत इतिहास होना चाहिए; उसके वर्णों को आधुनिक बनाया गया हो; उसमें सतत रूप से साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन हो रहा हो; और उसके साहित्यिक मानकों में एक निरंतरता होनी चाहिए...*(व्यवधान)* कलिंग युद्ध के समय उड़िया भाषा प्रयोग में थी। उसकी लिपि थी। मध्य काल तक यह जारी रही। भारतीय इतिहास के अंध युग और मध्यकाल तथा आधुनिक काल में भी उड़िया साहित्यकारों द्वारा समृद्ध साहित्य का सृजन किया गया।...*(व्यवधान)*

वर्तमान में यह लोगों, साहित्यकारों, शिक्षित लोगों और ओडिशा राज्य से राज्य विधान सभा और लोक सभा दोनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सुविचारित प्रयास है। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि ओडिशा सरकार ने बार-बार केन्द्र सरकार को ओडिया भाषा को एक प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया है। इससे पहले केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने ओडिया भाषा को एक प्राचीन भाषा के रूप में उचित मान्यता प्रदान की थी...*(व्यवधान)* आज 20 फरवरी, 2014 एक स्वर्णिम दिवस है क्योंकि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगू के साथ आज ओडिया भाषा को भी प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। देश की द्रविड़ भाषाओं के अतिरिक्त और संस्कृत भाषा के अलावा प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली यह दूसरी भारतीय आर्य भाषा बन गई है। मैं सरकार का धन्यवाद करता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, आज बड़ी संख्या में महिलाएं संसद के समक्ष प्रदर्शन कर रही थीं। वे सभा के समक्ष गत कई वर्षों से लंबित पड़े महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पारित कराने की मांग कर रही थीं ...*(व्यवधान)* यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। महोदय, संसद भवन के सामने प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया ...*(व्यवधान)* वे महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पारित करने की मांग कर रही थीं...*(व्यवधान)* कल हमने भी यह मांग की थी कि सरकार राज्य सभा द्वारा पारित किए जा चुके इस महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराए...(व्यवधान) महोदय, दूसरे सदन में पारित किए जाने के बाद पिछले चार वर्षों से हम इस विधेयक को पारित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं (व्यवधान) इन महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और गिरफ्तार किया गया...(व्यवधान) महोदय, मैं इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य की मांग करता हूं...*(व्यवधान)* उन्हें आज ही इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री राधामोहन सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): सभापति जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ...*(व्यवधान)* मैं उत्तर प्रदेश की 17 जातियों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिसमें राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, पाल और प्रजापति समाज के लोग आते हैं। मैं कह सकता हूं कि आजादी के पहले उनकी स्थिति इतनी बदतर नहीं थी जो आजादी के बाद उनके साथ हुआ।...*(व्यवधान)* 1952 में जब संविधान लागू हुआ, अगर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति इतनी खराब रही होती तो उन्हें उसका लाभ जरूर मिला होता।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मुझे एक मिनट और दे देंगे तो मैं अपनी बात समाप्त कर सकूंगा। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.56 बजे

इस समय श्री पी. लिंगम, श्रीमती सुस्मिता बाउरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं यहां से एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी आपदा आई थी और प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया।...*(व्यवधान)* मैं सरकार के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)* जो वहां पर भूमिहीन लोग हैं, जिनके मकान वहां पर टूट गये हैं, खत्म हो गये हैं, उनको ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेंक्शन प्राप्त करने के बाद सेफ जमीन, सुरक्षित जमीन उनको उपलब्ध कराई जाए। जिससे लोग अपने मकानों को बना सकें। खच्चरों का, डोली वालों का उनको मुआवजा मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* जिन लोगों के मकान तबाह हो गये हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनको सुरक्षित जमीन उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे अपने मकान बना सकें और प्राकृतिक आपदा से बाहर निकल सकें।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल बौद्ध का है, पूरे दुनिया के लोग बनारस, लुम्बिनी और सारनाथ में आते हैं और सारनाथ और लुम्बिनी को जोड़ने के लिए एन.एच.-29 जो काफी सालों से खराब है और कई बार इसको ठीक कराने की मांग की जाती रही है कि इसको बनवाया जाए।...*(व्यवधान)* फोरलेन का प्रस्ताव भी हो गया है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बनारस से लेकर गोरखपुर वॉया मऊ होते हुए जो एन.एच.-29 की दुर्दशा है, मैं उसको आपके सामने बता नहीं सकता कि उसकी कितनी खराब हालत है। ...*(व्यवधान)* बहुत मुश्किल के बाद हमने जब बात की तो केवल 15 करोड़ रुपया उसके मेनटेन्स के लिए हुआ। यहां पर मंत्री जी मौजूद हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि सारनाथ और लुम्बिनी को जोड़ने वाले उस एन.एच.-29 को बनारस से गोरखपुर मऊ होते हुए जल्दी से जल्दी उसको बनवाया जाए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे राज्य के नौजवान बच्चे जन्तर मन्तर में कश्मीर से मेरे संसदीय क्षेत्र से बरहाल, केशवाड़, डोराल,

बसौली-बनीबिलावर, कटुआ, हीरानगर और पुंछ-रजौरी से हमारे 8000 बच्चे जिनको एन.ओ.ई.गे. से जम्मू कश्मीर सरकार ने भारत सरकार की योजना के तहत अपाइंट किया था। ...*(व्यवधान)* उन बच्चों को भर्ती किया गया और एक साल की अभी तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई। साथ में उनको नौकर किया गया था और हालांकि नौकर नहीं करना था क्योंकि उनको स्किल्ड बनाना था। इन्होंने स्किल्ड बनाने की बजाए उनके इंटरव्यू लिये। उनको नौकर किया।...*(व्यवधान)* आज वे हंगर स्ट्राइक पर जंतर-मंतर पर बैठे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हमें इस बात की शर्म आ रही है। हमारे बच्चे वहां अगर मर जाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका मसला हल होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी नौकरी में मुख्य भूमिका में लोगों की भर्ती हो रही है।...*(व्यवधान)* इसको लेकर पूरा विरोध चल रहा है। हमारी पार्टी और हमारी मांग है कि नॉन-आईलैंडर को द्वीप की नौकरी में भर्ती बंद करें तथा आईलैंडर को नौकरी में रिजर्वेशन दें। मैंने राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को पत्र देकर मांग की कि जैसे आर्टिकल 371 के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, आन्ध्रप्रदेश, मिजोरम में ग्रुप बी नॉन-गेजटेड और सी पोस्ट में रिजर्वेशन किया गया है, वैसे ही अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी किया जाए।...*(व्यवधान)* मैंने प्रधान मंत्री जी से मांग की थी कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की नौकरियों में बाहर से भर्ती बंद करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए।...*(व्यवधान)* इस सिलसिले में एन.डी.ए. सरकार के समय में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय यह घोषणा हुई थी कि अंडमान-निकोबार बैकवर्ड एरिया है। सुप्रीम कोर्ट में लोकर सर्टिफिकेट के न रहने पर एटोर्नी जनरल ने कहा था कि अंडमान-निकोबार को आर्टिकल 240 में नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं मांग करता हूं कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को रिजर्वेशन दिया जाए और लोक सभा में बिल लाकर कानून बनाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज सभा में 'शून्य काल' के दौरान एक गंभीर लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार का ध्यान असम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों की रिक्तियों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2012 को लागू करने के विषय में असम सरकार की भेदभावपूर्ण नीति दृष्टिकोण और प्रतिकूल रुख से संबंधित एक दु:खद तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

संविधान के अनुच्छेद 16 उपखंड 4क के उपबंधों के अनुसार, असम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें कहा गया है : "इस अनुच्छेद का कोई प्रावधान राज्य को, राज्य के अधीन सेवाओं में पदों के किसी वर्ग या वर्गों में पदोन्नति के विषय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगा जिनका राज्य के मत में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।"...*(व्यवधान)*

इस संबंध में, मुझे इस तथ्य से आपको अवगत कराते हुए अत्यंत खेद है कि पिछले दो दशक के दौरान असम में आरक्षित कोटे के तहत किसी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गयी है, जो संविधान के अनुच्छेद 16 उपखंड 4क के उपबंध के अधिकारातीत है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: हाल ही में, 10 फरवरी, 2014 को जूनियर रैंक के 27 इंजीनियरों की कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नति हुई...*(व्यवधान)* परन्तु दुर्भाग्य से, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से एक भी पदोन्नति नहीं हुई। इन परिस्थितियों में, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से तत्काल प्रभाव से संबंधित एक अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए असम सरकार को निदेश देने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निवेदन करता हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपके माध्यम से, केन्द्र सरकार से कुछ वर्ष पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अहित का निर्णय, जिसमें देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता बंद हो गया,

के कारण पदोन्नति के विषय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से, जितना शीघ्र हो सके, काफी समय से लंबित संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन), विधेयक, 2012 को पारित करने का भी निवेदन करता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब, प्रो. सौगत राय।

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं वर्तमान में भारतीय विमानन प्राधिकरण के स्वामित्व में आने वाले विमानपत्तनों के निजीकरण के लिए प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले मंत्रालय ने प्रस्ताव किया था कि कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और गुवाहाटी विमानपत्तनों को संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जायेगा।...*(व्यवधान)*

हम रखरखाव हेतु इसे निजी कंपनियों को देने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु विमानपत्तनों का संचालन निजी हाथों को नहीं दिया जाना चाहिए। कलकत्ता विमानपत्तन का 2,300 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया गया था और चेन्नई विमानपत्तन का 2,100 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण हुआ था, और इसे निजी कंपनियों को देने का अर्थ निजी कंपनियों को सरकारी धन देने जैसा है।...*(व्यवधान)*

आज, मंत्री महोदय ने कहा कि 20 विमानपत्तनों का निजीकरण होगा। विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारीगण इसका विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने पहले ही हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है और विमानपत्तन प्राधिकरण के 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध अपना मत व्यक्त कर चुके हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि 20 विमानपत्तनों का निजीकरण किया जायेगा।...*(व्यवधान)* हम पूर्णत: इसका विरोध करते हैं और हम कर्मचारियों के संयुक्त मंच की तरफ से चाहते हैं कि यह प्रस्ताव छोड़ दिया जाए और नागरिक विमानन क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी कंपनियों को न सौंपा जाए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपना विचार व्यक्त करने की मुझे अनुमति देने के लिए पीठ को धन्यवाद।...*(व्यवधान)* चूंकि मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों पर पिछले दिन बोल नहीं सका था इसलिए मैं इस मुद्दे को माननीय रेल मंत्री के विचार हेतु उठा रहा हूं। सलेम-करूर-डिंडिगल रेल सेवा संचालन में है। इस मार्ग में, सलेम जंक्शन के बाद कोंडलम पट्टी में यात्रियों की सुविधा के लिए एक पड़ाव की आवश्यकता है। अत:, मैं कोंडलपट्टी में एक उप-स्टेशन बनाने के लिए माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं। यदि यह उप-स्टेशन बनता है तो सलेम जंक्शन पर भीड़भाड़ में काफी कमी आयेगी। माननीय रेल मंत्री कृपया इस बात पर ध्यान दें और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें।

सलेम रेलवे मंडल बनने के बाद, सलेम से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और प्लेटफार्मों की संख्या भी चार से बढ़कर छह हो गई है। अत:, इन प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले एक भूमिगत पैदल पारपथ की नितान्त आवश्यकता है। प्लेटफार्म संख्या 5 और 6 को प्लेटफार्म संख्या 8 से जोड़ने वाले भूमिगत पैदल पारपथ के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। निर्माण कार्य गंभीरतापूर्वक किया जाना चाहिए और बिना समय बर्बाद किए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में, तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह किसान और किसानी से संबंधित मामला है। मैं बाराबंकी जनपद को रिप्रजैन्ट करता हूं और बाराबंकी पौपी कल्टिवेशन के लिए मशहूर है, जहां अफीम पैदा होती है। वहां के किसान ईमानदारी के साथ पौपी की खेती करते हैं। लेकिन वे बहुत दिनों से वित्त मंत्रालय की गलत नीतियों के कारण काफी परेशान हैं, वहां बहुत सी समस्याएं हैं। उनके बारे में हम निरंतर लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, मैं समझता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

दूसरी कैश क्राप के रूप में वहां पिपरमैन्ट की खेती होती है और पिपरमैन्ट से मेन्था ऑयल बनता है। दुर्भाग्य की

बात यह है कि पिपरमैन्ट की खेती को कृषि का दर्जा नहीं मिला है। जब इसे कृषि का दर्जा नहीं मिल पा रहा है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्हें लोन भी नहीं मिलता है और जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उन्हें उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। इस तरह से वहां बहुत सी समस्याएं हैं और कभी अगर जल्दी बारिश हो गई या देर से बारिश हुई तो उससे फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इसे कृषि का दर्जा दिया जाए और इससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): सभापति महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रावस्ती के और जनपद बलरामपुर के विकास खंड जमनाह, इकौना विकास खंड, बलरामपुर विकास खंड, घरैया, सतघरवा विकास खंड, श्रीदत्त गंज और गैसड़ी के तमाम गांव राप्ती नदी की गत बाढ़ में या तो बह गये या विलीन हो गये हैं और वहां के तमाम किसान परिवार, जो गरीब परिवारों में से हैं, वे वहां से विस्थापित हो चुके हैं, उनके रहने की वहां कोई जगह नहीं है। अभी तक उन्हें तीन हजार रुपये के अलावा कोई सहायता राशि नहीं मिली है। इन्दिरा आवास योजना के तहत उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है और उनमें से थोड़े बहुत लोग जो सड़कों पर रहकर अपनी गुजर-बसर कर रहे थे, वहां इंडो-नेपाल और बार्डर एरिया डैवलपमैन्ट की जो सड़क निकल रही है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उसके कारण वहां के विस्थापित फिर से विस्थापित हो रहे हैं। लिहाजा भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि उन विस्थापितों का घर विस्थापित न हो तथा वहां से जो इंडो-नेपाल की जो रोड निकल रही है, वह उनके घरों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जो बंधा साइड है, उधर ककरदरी से लेकर जमनाह तक छगरगांव-मुरैला से निकाली जाए, जिससे किसानों का विस्थापन न हो।

सभापति महोदय: श्री पी.एल. पुनिया जी को उपरोक्त विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जन्म स्थल मऊ (मध्य प्रदेश) है और वहां एक मेमोरियल बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वहां लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। लेकिन अभी हमारी जानकारी में आया है कि मऊ, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां वह छावनी के क्षेत्राधिकार में हैं और आर्मी के अंतर्गत है। वहां हाउसिंग स्कीम के तहत एक प्रोजैक्ट इम्पलिमैन्ट करने का विचार किया है। मेरा कहना यह है कि अगर यह हाउसिंग प्रोजैक्ट इम्पलिमैन्ट हो जाता है तो जो डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वे जब मऊ में आयेंगे तो कहां ठहरेंगे।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है कि यह कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। हाउसिंग प्रोजैक्ट के लिए वे अलग जगह देने के लिए तैयार हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया था, वह पूरे देश के थे, हम सबके थे। इसलिए उनके जन्म स्थान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री प्रदीप टमटा को उपरोक्त विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

अपराह्न 4.10 बजे

इस समय, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री पी. लिंगम और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, जो सबसे पिछड़ा है और वहां हर साल नदियों में बाढ़ आती है। वहां घाघरा, राप्ती, फुहानो तथा गंडक नदियां हैं, जिनकी वजह से वहां के किसानों को बड़ा नुकसान सहना पड़ता है और यहां तक होता है कि उन्हें दूसरे गांवों और प्रदेशों में पलायन तक करना पड़ता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि स्पेशल पैकेज देकर पूर्वांचल के लोगों की आर्थिक स्थिति, जो बिगड़ी हुई है, इसको सुदृढ़ करने के लिए केंद्र

सरकार विशेष रूप से ध्यान दे।...*(व्यवधान)* क्योंकि हर बार बाढ़ और तमाम आपदाओं से वहां के लोग जूझते हैं। ...*(व्यवधान)* वहां के लोगों के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* इसलिए केंद्र सरकार के जरिए पूर्वांचल के लोगों के लिए विशेष आर्थिक सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हम आपके जरिए भारत सरकार से यह अपील करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या है। हमारे वरिष्ठ माननीय रेल मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी रेलवे लाइन के बीच स्थित कवलकिनारु पर एक हाल्ट स्टेशन की मांग करता हूं। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान है। इसरो और कुडमकुलम परियोजनाएं इस क्षेत्र के आस-पास स्थित हैं। इस क्षेत्र में एक लाख से अधिक लोग हैं। इसमें काफी अधिक क्षमता है। यह रेल को काफी राजस्व प्रदान करता है। उस क्षेत्र में हमारे लोग एक हाल्ट स्टेशन की उम्मीद कर रहे हैं। पहले जब वहां मीटर गेज लाइन थी तब एक स्टेशन था। अब मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। उसके बाद, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के बीच केवल दो स्टेशन दिये गए हैं। परन्तु, कवलकिनारु एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि वहां कई उद्योग स्थित होने से न केवल कृषक बल्कि व्यापारीगण भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में बहुत से कॉलेज भी स्थित हैं। अत: कवलाकिनारु पर गाड़ियों का ठहराव दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कवलाकिनारु पर गाड़ियों के ठहराव हेतु स्टेशन का निर्माण तुरंत कराया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी प्रतियोगी आंदोलन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* उनके आंदोलन का क्या कारण है?...*(व्यवधान)* कारण है कि जो देशी भाषा बोलने वाले लोग हैं, देशी भाषा लिखने वाले लोग हैं, जो गांव के गरीब घर से आते हैं।...*(व्यवधान)* देहात से आते हैं।...(व्यवधान) जो तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला भाषा, उड़िया, मलयालम, गुजराती और आदि देशी भाषा बोलते हैं। ...*(व्यवधान)* केवल देशी भाषा ही नहीं, जो अरबी भाषा है, उर्दू भाषा है, पाली भाषा है, ये सभी जो जानने वाले लोग हैं...*(व्यवधान)* इनको यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं में मौका नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* पहले ज्यादा मात्रा में वे लोग चुन कर आते थे।...*(व्यवधान)* अब घट कर के एकदम कम हो गए हैं।...*(व्यवधान)* इसीलिए कि सी-सैट की परीक्षा में साढ़े 22 नंबर की अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है। ...*(व्यवधान)* इस कारण से सभी देहाती और देसी भाषा बोलने वाले लोग मार खा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं अभी अब जब आंदोलन हुआ तो उनको दो अतिरिक्त मौके दिए गए हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन सन् 2011 में जो प्रतियोगी थे, उनकी अवस्था 30 वर्ष पूरी हो गई।...*(व्यवधान)* इसीलिए ऐज रिलैक्सेशन, ऐज कंसेशन सन् 2011 के लिए भी होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उनको भी दो बार अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मतलब उनकी ऐज को कंसेशन कर के चार वर्षों का ऐज रिलैक्सेशन 34 वर्ष तक मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री पन्ना लाल पुनिया और डॉ. विनय कुमार पाण्डेय स्वयं को डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ओ.एस. मणियन (मईलादुतुरई): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद।

मैं सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियामक समिति का गठन करने का अनुरोध करता हूं ताकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश का कार्यान्वयन बिना किसी विलम्ब के सुनिश्चित किया जा सके। न्यायाधिकरण ने 16 वर्ष बाद अपना अंतिम आदेश फरवरी 2007 में दिया था और उसे 19 फरवरी 2013 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया...*(व्यवधान)*

कावेरी न्यायाधिकरण का विचार था कि एक उचित तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है तथा यह सिफारिश

भी की कि इसके अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए। इसने उनकी भूमिका, कार्य और शक्तियां सुनिश्चित करते हुए सी.एम.बी. और सी.डब्ल्यू.आर.सी. के गठन की सिफारिश की थी। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कावेरी नदी प्राधिकरण और कावेरी निगरानी समिति जैसी संस्थाओं का अस्तित्व नहीं रह गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने अभी तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियामक समिति का गठन नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

तमिलनाडु में पानी की कमी है और पानी की उपलब्धता मानसून के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। वर्ष 2012-13 में पड़े भयंकर सूखे के कारण कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और आर्थिक वृद्धि में बाधा आई। तमिलनाडु इस आपदा के कारण हुए फसलों के नुकसान की भरपाई माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच-समझ के कारण समय पर घोषित और कार्यान्वित किये गये 1,614 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के कारण ही कर सका।*...(व्यवधान)*

चूंकि कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवन रेखा है, अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियामक समिति की स्थापना तुरंत की जाए*...(व्यवधान)*

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम्): माननीय सभापति महोदय, मुझे लोक महत्त्व के अविलम्बनीय मामले को उठाने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद। मैं श्रीकाकुलम, विजयनगरम् और विशाखापट्टनम जिलों से आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों में पलायन करने वाले गजालाकापु तुरूपकापु समुदाय के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण की सुविधाएं देने से संबंधित मुद्दा उठाना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

महोदय, आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों में प्रवासित गजला कापु और तुरूप कापु समुदाय, जो मूल रूप से श्रीकाकुलम, विजयनगरम् और विशाखापट्टनम जिलों के हैं, की महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह जैसी सामाजिक प्रथाएं भी निभानी होती हैं*...(व्यवधान)*

महोदय, मैंने माननीय मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे, जो अभी-अभी सदन से उठकर गये हैं, से भी निवेदन किया था। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि तुरूप कापु और गजला कापु समुदाय के लोगों को पूरे आंध्र प्रदेश में आवश्यक छूट प्रदान की जाए। मैं यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि उन्हें अन्य पिछड़े समुदायों के समान दर्जा दिया जाए।*...(व्यवधान)*

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): माननीय सभापति महोदय, इस महान सदन के माध्यम से मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मामला सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। विश्व प्रसिद्ध कोतलिम फाल्स और इसके आस-पास के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करके इन्हें भारत के पर्यटन नक्शे में सर्वाधिक पसंद किये जाने वाले पर्यटन स्थल के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये। पश्चिमी घाट पर 520 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोतलिम इस धरती पर प्रकृति का अद्भुत नजारा है जहां सदैव ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। कोतलिम में मेन फाल्स, अईनथारूवी (पांच फाल्स), शेनबागादेवी फाल्स, पाजाया कोत्तलिम अरूवी (पुराना कोत्तलिम फाल्स) और थेनारूवि (हनी फाल्स) सहित अनेक फाल्स हैं। चूंकि यहां पर जड़ी-बूटियों की अनेक किस्में उपलब्ध हैं, अत: इस स्थान पर अनेक हर्बल मेडिसन सेंटर भी हैं। इसे "दक्षिण भारत का सपा" नाम देना बिल्कुल सही है। कोत्तलिम के निकट तेनकासी में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। कोत्तलिम जिसे केरल का गेटवे माना जाता है, पपनासम और मनिमुथ्थारू जैसे विभिन्न पर्यटन केन्द्रों से जुडा है। दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान कोतलिम में पूरे विश्व से 25 लाख से भी अधिक पर्यटक आते हैं। यह पूरे वर्ष सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पर्यटन केन्द्र है। किंतु भारत के पर्यटन नक्शे में कोतलिम वाटरफाल्स को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। इस महान सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोतलिम को भारत के पर्यटन नक्शे में प्रमुख स्थान दिया जाए और यहां अवसंरचनात्मक सुधार भी किये जाएं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज रासायनिक कीटनाशकों की मिलावट के कारण खाद्यान्न तथा सब्जियां मनुष्य एवं

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पशु-पक्षियों के जीवन के लिए खतरनाक बन गई हैं। कीटनाशकों का प्रयोग तथा कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने की प्रक्रिया खाद्यान्न एवं फलों को प्रदूषित कर देती है जो कि मनुष्य या किसी भी जीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह एक दुखद विडंबना है कि अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन फलों एवं सब्जियों को ऊंचे दामों पर हम सभी खरीदते हैं, वे सभी विभिन्न बीमारियों का कारण बनती हैं।

महोदय, हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध में वाशिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, यूरिया और अन्य खतरनाक पदार्थों की मिलावट पर गहरी चिन्ता जताते हुए मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि जीवन की खुशहाली और इसके लिए उपार्जन में जीने के अधिकार के साथ ही कीटनाशक रहित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता तय की जानी चाहिए।

महोदय, आज देश में अधिकांश महानगरों से लेकर कस्बों तक बिकने वाले फल जैसे आम व केला पैस्टिसाइड का प्रयोग कर पकाए जा रहे हैं। इस तरह के फल खाने से व्यक्ति सीधे तौर पर कैंसर का शिकार हो जाता है। गर्मी के दिनों में बाजार में बिकने वाले आम में 90 प्रतिशत से ज्यादा हानिकारक कैमिकल हैं। यही नहीं, आम को लुभावना बनाने के लिए इंजैक्शन के जरिये हानिकारक रंग भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

महोदय, अब खाने को केवल सुरक्षित बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे पर्याप्त पोषण भी हासिल होना चाहिए। अब समय आ गया है और सरकार से मेरी मांग है कि निश्चित तौर पर यह पोषण, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए तथा इसके बाद ही मुनाफे का नंबर आना चाहिए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि गोहत्या बंदी का यह विषय बहुत वर्षों से चालू है। 7 नवंबर 1966 में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था। कई साधु-संत उसमें मारे गए थे और कई साधु-संत उसमें पकड़े गए थे और बहुत बड़ा एक आंदोलन यहां हुआ था। देश भर में गोहत्या बंद हो, इस विषय पर सभी साधु-संत और हिन्दू धर्म के लोगों का यह विचार है कि गौ की रक्षा होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि गौ की रक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि गौमाता के गोबर को हम लोग खेती में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे कैंसर और दूसरी बीमारियां नहीं होतीं। इसलिए गाय का महत्त्व बहुत ज्यादा है। हिन्दू धर्म में लोग गाय को 33 करोड़ देवताओं के समान मानते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि गौ की रक्षा करें, गौ वंश की रक्षा करें और गाय के गोबर के उपयोग पर ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से फिर सरकार से कहूंगा कि गौ की रक्षा करेंगे तो साइंस भी कहता है कि कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। इसलिए गौ की रक्षा के लिए गौहत्या बंद करें और गाय के गोबर के निर्माण पर विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय: श्री शरीफुद्दीन शारिक।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): चेयरमैन साहब, मुझे यहां से दो मिनट बोलने की इजाजत दे दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपके नेता को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक: चेयरमैन साहब, हाल ही में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें राजीव गांधी के कातिलों को सजा-ए-मौत के बजाय उनकी सजा उम्र कैद में मुकर्रर की गई है। सारी कौम ने सुप्रीम कोर्ट की सजा को सुना लेकिन इसी जुर्म में, इससे कम जुर्म में अफजल गुरु भी जेल में था। कोर्ट ने भी कहा कि उसका इसमें बराहे रास्त कोई हाथ नहीं था। उसको सजा-ए-मौत दी गई जल्दी जल्दी में और हम समझते हैं कि इस तरह हिन्दुस्तान के शराफत के चेहरे को मसक किया गया है। क्या हो जाता अगर अफजल गुरु के साथ भी यही सुलूक किया जाता जो दूसरे कातिलों के साथ हुआ है। इस तरह कश्मीर के लोगों को कौन पैगाम सरकार ने दिया है? उनके लिए कौन रास्ता चुना है?...*(व्यवधान)* अगर नाराजगियां बढ़ती हैं तो सरकारी

गलत कार्यों की वजह से बढ़ती हैं और मैं हुकूमत हिन्दुस्तान से यह पूछना चाहूंगा कि अफजल गुरु का इतना ज्यादा कुसूर क्या था कि उसको चटो-पट फांसी पर लटकाया गया और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहम किया और अफजल गुरु और उसके खानदान और कश्मीरी के साथ बेइंसाफी हुई, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं।...*(व्यवधान)*

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): محترم چیرمین صاحب، حال ہی میں عزت مآب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، جس میں راجیو گاندھی کے قاتلوں کو سزائے موت کی بجائے ان کی سزا عمر قید میں مقرر کی گئی ہے۔ ساری قوم نے سپریم کورٹ کی سزا کو سنا، لیکن اسی جرم میں جگہ اس سے کم جرم میں افضل گرو بھی جیل میں تھا۔ کورٹ نے بھی کہا کہ اس کا اس میں براہ راست کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کو سزائے موت دی گئی جلدی جلدی میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہندوستان کے شرافت کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے۔ کیا ہو جاتا اگر افضل گرو کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا جو دوسرے قاتلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے لوگوں کو کون سا پیغام دیا ہے؟ ان کے لئے کون سا راستہ چنا ہے۔ (مداخلت)۔ اگر نا انصافیاں بڑھتی ہیں تو سرکار غلط کاموں کی وجہ سے بڑھتی ہیں اور میں حکومت ہندوستان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افضل گرو کا اتنا زیادہ تصور کیا تھا کہ اس کو چٹ پٹ پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے انصاف میں نرمی دکھائی اور افضل گرو اور اس کے خاندان اور کشمیریوں کے ساتھ بے انصافی ہوئی، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।... (व्यवधान)

आज हाउस में कम लोग हैं, फिर भी तेलंगाना से एम. पी. होने के नाते से लोक सभा में तेलंगाना बिल को पास किया गया, उसका धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण विषय है, जो मैं संसद में लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* करीमनगर क्षेत्र में एल.पी.जी. प्लांट लगाने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से एश्योरेंस मिला था। उसके लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए गैस एथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कॉनसेंट दिया था।...*(व्यवधान)* अभी तक वह काम लागू नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से मैं उपस्थित मंत्री इसको लिखे कि हमारे नॉर्थ तेलंगाना के करीम नगर में एल.पी.जी. रिफिलींग प्लांट लगाने का मिनिस्टर ने जो वायदा किया था, उसको पूरा किया जाए और करीम नगर आबादी के लिए, नॉर्थ तेलंगाना पब्लिक के लिए एक एल.पी.जी. प्लांट लगाने के लिए आपकी तरफ से और उपस्थित मंत्री नारायणसामी लिख कर के कंसर्न्ड मिनिस्टर को भेजें, यही मेरी आपसे विनती है।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मध्य प्रदेश का बुंदेलखण्ड मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है।...*(व्यवधान)* यहां के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से एन.डी. ए. की सरकार के समय में सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन-बेतवा नदी को जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर लिया था।...*(व्यवधान)* इसका डी.पी.आर. भी तैयार हो चुका, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए थीं, वह सारी औपचारिकताएं पूरी करके केन्द्र सरकार को भेज दी गई हैं, लेकिन अभी तक केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने का काम केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किए जाने से वहां का किसान सिंचाई की दृष्टि से परेशान हो रहा है।...*(व्यवधान)* वहां के मजदूर को रोजगार के लिए पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के काम को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेकर पूरा कराए ताकि बुंदेलखंड का टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिला आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सके, यहां का किसान समृद्ध हो सके।... (व्यवधान)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की उन महिलाओं के बारे में इस सदन में बात रखना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में आशा बहुओं की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन उनको देने के नाम पर मात्र एक प्रसव पर पांच सौ रुपये, वह भी सरकारी अफसरों द्वारा बंदरबांट किया जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि इस काम में लगी महिलाएं जो कि गर्भवती महिलाओं को अवेयर करने का काम करती हैं, उन्हें अस्पताल में ले जाने का काम करती हैं, लेकिन उन्हें अस्पतालों में सम्मानजनक स्थान पर भी नहीं बैठाया जा रहा है, जिससे पूरे देश की आशा बहुओं में आक्रोश व्याप्त है।...*(व्यवधान)* जगह-जगह ब्लॉक स्तर पर वह आंदोलन कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगार लड़कियां इस उम्मीद में काम करती हैं कि हम समाज में नेक काम करने का काम करते हैं हम समाज की गर्भवती महिलाओं को अवेयर करने का काम करती हैं, ऐसे नेक काम करने वाली महिलाओं को सम्मानजनक वेतनमान भारत सरकार देने का काम करे तथा उनके सम्मान के लिए जिला प्रशासन स्तर पर यह निर्देश दिया जाए कि जब वह प्रसव के लिए अस्पतालों में जाएं तो सी.एम.ओ. और डिप्टी सी.एम.ओ. अच्छा बर्ताव करें तथा उनको मिलने वाला जो वेतन है, वह शीघ्र से दिलाने का काम करें।...*(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि आज के महंगाई के समय में जब मनरेगा जैसी योजना में सवा सौ से डेढ़ सौ रुपये पहले से मिल रहा है, ऐसे में आशा बहुओं को अगर पूरे महीने में मात्र दो-तीन-चार केस मिलेंगे तो छः सौ या एक हजार रुपये में उनका गुजारा नहीं चल सकता ...*(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस मामले पर इस सदन में जवाब दें और महिलाओं को सम्मानजनक वेतनमान और परमानेंट नियुक्ति के लिए आदेश देने का कष्ट करें।

अपराह्न 4.30 बजे

इस समय श्री अर्जुन राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सदन में वित्त मंत्री जी ने पिछड़े राज्यों को मदद देने के लिए जो रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। उसके बाद वित्त मंत्री जी जवाब देकर, सिर झुका कर चले गए। ऐसा लगा कि वे सदन को और हम लोगों को फेस नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक्टिव कंसीड्रेशन में है, उस समिति पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 26 नवम्बर को वित्त मंत्रालय में एक बैठक आयोजित थी। मेरा इस सरकार पर सीधा आरोप है कि राजनीतिक कारणों से वित्त मंत्रालय की 26 नवम्बर की वह बैठक स्थगित कर दी गयी। जिस सरकार की यह नीयत हो कि वह राजनीतिक कारणों से राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने का निर्णय ले, उस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार का यह दावा खोखला है कि वह इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वास्तव में, वे पिछड़े राज्यों को और पीछे ढकेलना चाहते हैं।

कल मैंने देखा कि यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री से मिलीं और उन्होंने कहा कि सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। सीमांध्र को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम उसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन रघुराम राजन कमेटी ने जिन राज्यों के बारे में साफ तौर पर लिखा है कि ये राज्य पिछड़े नहीं, अति पिछड़े हैं, उनके बारे में अंतिम निर्णय क्यों रोका गया, इसका जवाब इस सरकार को जनता के सामने देना चाहिए। उसमें कई पिछड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भी है। उसमें बिहार है। उसमें ओडिसा है। उसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। अगर यहां की प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, प्रति व्यक्ति के खर्च को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

हमारा आरोप है, सीधा आरोप है कि इस कारण से वित्त मंत्री जी बिना नजर मिलाए हुए चले गए। उनके मन में खोट था, इसलिए 26 नवम्बर की बैठक रद्द हुई और यह सीधा आरोप लगाते हुए और इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए, इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 4.33 बजे

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): सर, मुझे इस सीट से बोलने की इजाजत दी जाए।

सर, वर्ष 2000 में जब बिल क्लिंटन हमारे देश में आए थे तो कश्मीर से एक बहुत बुरी खबर आयी कि मेरे इलाके अनंतनाग के चिट्टीसिंहपुरा में हमारे सिक्ख भाइयों का कत्ले-आम हुआ। कोई 34-35 हमारे सिक्ख भाई मारे गए। उसके पांच दिनों के बाद खबर आयी कि उन मिलिटैन्ट्स को, जो फॉरेनर्स थे, जो ऑफिशिएल रिपोर्ट आयी, वे सब-के-सब मर्सिनैरीज थे और उन्होंने हमारे सिख भाइयों का कत्ले-आम किया।

सर, कुछ ही दिनों के बाद शोर हुआ। लोग सड़कों पर आए और उनका मानना था कि वे जो पांच लोग मारे गए थे, वे फॉरेनर्स नहीं थे, वे कश्मीर के थे और वे मर्सिनैरीज नहीं थे, मिलिटैन्ट्स नहीं थे, वे अन-आर्म्ड सिविलियंस थे। सर, बहुत शोर हुआ। फारूख साहब हुकूमत थे। तब उनकी बॉडीज एग्जह्यूम की गयीं और उन पर टैस्ट हुआ। डी.एन.ए. टैस्ट में पता चला कि वे फॉरेनर्स नहीं थे, वे लोकल्स थे। वे सिविलियंस थे, अन-आर्म्ड थे और उनका मिलिटैन्सी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद सी.बी.आई., जो हमारी प्रिमियम इंवेस्टीगेशन एजेंसी है, उसके पास यह केस दिया गया। उन्होंने 50 विटनेसेज एग्जामिन किए जिसमें कुछ लोग पुलिस डिपार्टमैंट से थे, कुछ लोग सिविलियंस थे और कुछ लोग जो थे, वे स्टेट ऑफिशिएल्स थे। हमारी सी.बी.आई. इस नतीजे पर पहुंची कि वे वाकई इन्नोसेंट थे और वे पांच के पांच लोग जो मारे गए, जो अनंतनाग से ताल्लुक रखते थे, वे इन्नोसेंट थे और वह कोल्ड-ब्लडेड मर्डर था। हमारी हाइयेस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी.बी.आई. की जो रिपोर्ट है, वह बिल्कुल सही है और वह कोल्ड-ब्लडेड है।

उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को केस वापस कर दिया। अनफोर्चुनेटली आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, क्योंकि उस वक्त हमारे वहां हालात बहुत खराब थे, वह अभी भी इनप्लेस है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी से कहा, उसमें

चार्जशीट में जो सी.बी.आई. ने किया, उसमें नाम भी बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पर कोर्ट मार्शल करो या इन पर क्रिमिनल प्रोसिजर्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में केस चलाओ। अनफोर्चुनेटली वह केस क्लॉज हुआ है। उससे काश्मीर में जो आम लोग हैं, उनको लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। *...(व्यवधान)*

हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह केस टेकअप किया है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकवेस्ट करेंगे कि उस केस को ओपन करें। सी.बी.आई. ने इन्वेस्टीगेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लोगों को इंसाफ मिले। उनके जो रिलेटिव्स हैं और काश्मीर के जो लोग हैं, उनको लॉ ऑफ द लैंड और जस्टिस का जो हमारा सिस्टम है, उससे उनको इंसाफ मिले।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सन् 2010-11 में एक बहुत बड़ी समस्या डांग क्षेत्र में थी। रेल लाइन का आमान परिवर्तन और नयी रेल लाइन का 144 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें काफी काम होने थे, लेकिन उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हो पाए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी एवं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 144 किलोमीटर की दो हजार करोड़ की योजना है, उस पर अतिशीघ्र काम शुरू किया जाए। दूसरा मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कुछ गरीब लोग मलेशिया में काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन कुछ गलत एजेंटों के माध्यम से उन्होंने टूरिस्ट वीजा पर उन लोगों को वहां भेज दिया। वहां जाकर वे लोग फंस गए। आठ-दस लोग मेरे क्षेत्र से ऐसे हैं, जो आज भी वहां की जेलों में बंद हैं। मैं सरकार से, विदेश मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों के बारे में जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करके उनको निकाला जाए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गोवा का एक बड़ा विषय माइनिंग के बैन का है। 18 महीने हो गए, गोवा की जो माइनिंग है, शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद उस माइनिंग पर बैन लगाया गया। इस माइनिंग के ऊपर कम से कम 40 परसैंट गोवा की आबादी का रोजगार चलता था। सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, लेकिन आज वहां की जो कम्पनियां हैं, वे कर्मचारी वर्ग को निकालने में लगी हैं। माइनिंग शुरू नहीं होने से वहां के ट्रक ड्राइवर और लेबर आदि को बहुत नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं कि जो लीगल माइनिंग है, वह जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि कम्पनियों से जो लोगों को हटाना चाहते हैं, वे रुक जाएंगे और उनको रोजगार मिल जाएगा। इसलिए केन्द्र सरकार से मैं विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप हस्तक्षेप करके लीगल माइनिंग गोवा में फिर से शुरू करें।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, आज फिर इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूं। जोधपुर से चेन्नई ट्रेन का फेरा बढ़ाना, यह ट्रेन एक हफ्ते में एक बार चलती है, इसका फेरा बढ़ाने के लिए लम्बे टाइम से मैं मांग कर रहा हूं। चेन्नई, बेंगलूरू में बहुत से लोग रहते हैं। उसका फेरा बढ़ाने के लिए मैं मांग कर रहा हूं। दूसरी ट्रेन का फेरा जोधपुर से पुणे के लिए मैं मांग कर रहा हूं। वहां पर भी बहुत से लोग रहते हैं। वहां पर प्रवासी लोग रहते हैं। वहां दो-दो, तीन-तीन महीने पहले लोगों को टिकट नहीं मिलता, इसलिए वहां ज्यादा फेरा बढ़ाने के लिए मैं मांग करता हूं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पीपार रोड, जोधपुर से जयपुर इंटरसिटी के लिए पीपार रोड रुकने के लिए मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ हजार एकड़ भूमि को कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट धरातली सर्वेक्षण की बजाय हवाई सर्वेक्षण पर आधारित है। तमिलनाडु के थेनी जिले से लगभग 50,000 मजदूर प्रतिदिन लगभग 2,500 वाहनों में केरल जाते हैं। हर रोज एक दुर्घटना अवश्य होती है। 75 प्रतिशत भूमि तमिलों की है। ये सब लोग पारिस्थितिकी प्रेमी व्यक्ति हैं और वे पारिस्थितिकी के विरुद्ध नहीं हैं। वे कभी पेड़ नहीं काटते हैं क्योंकि इलायची का पौधा केवल पेड़ों की छांव में ही फलता-फूलता है ना कि चाय की पौध की भांति सीधे

सूरज की रोशनी में। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्हें इदुक्की जिले में उदमनंनचोला, देवीकुलम, पीरमेडु इलाके को खाली करना होगा। यह क्षेत्र कुछ लाख एकड़ में फैला हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो कई लोग आत्महत्या कर लेंगे और कई मजदूर भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। यह रिपोर्ट मानव सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है और वे इससे सहमत हैं।

उन्होंने कहा कि यदि रहने वाले लोगों की संख्या प्रति एकड़ 100 से कम हुई तो ही वे इसे लेंगे। किंतु आमतौर पर प्रतिएकड़ में रहने वालों की संख्या 500 से अधिक और कहीं-कहीं तो 1000 से भी अधिक है। इसलिए, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जाए। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह इदुक्की जिले को भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों और मजदूरों के हित में इस श्रेणी से बाहर रखा जाए। 75 प्रतिशत जमींदार तमिलनाडु के हैं। सरकार को कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को आधार नहीं बनाना चाहिए और इन इलाकों को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी से बाहर रखा जाए।

मैं अगला मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लंबित रेल कार्यों के बारे में उठाना चाहता हूं। उन्होंने सभी रेल लाइनों को हटा दिया है किंतु लोग कहते हैं कि मैंने उन्हें हटा दिया है। *[हिन्दी]* आरुन भाई थंडवालन लेकर गया, लोग ऐसा बोलते हैं। रेलवे लाइन को लेकर चला गया, चोरी कर लिया, ऐसा बोलते हैं। *[अनुवाद]* उन्होंने 2010-11 में उन लाइनों को हटा दिया था। पहले वर्ष में उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिए, और अगले वर्ष 10 करोड़ रुपए दिए, 2012-13 में उन्होंने केवल 3 करोड़ रुपए दिए। लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मेरे घर के गेट पर ताला लगा दिया। मेरे घर पर पत्थर फेंके। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से भी डरता हूं।

पिछले माह की 30 तारीख को हड़ताल हुई जिसने समस्त जिले को पंगु बना दिया। थेनी जिले में पहली बार मछली बाजार भी बंद रहा। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस सम्माननीय सभा में कांग्रेस का सदस्य होने के नाते मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। किंतु अंत में माननीय रेलमंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने पर सहमत हो गए। मेरी प्रार्थना है कि वे आएं, घोषणा करें और यह देखें कि वहां पर काम हो।

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र वारंगल के काजीपेट में रेल डिब्बा विनिर्माण एकक के बारे में बोलना चाहता हूं। इसे वर्ष 2009-10 में स्वीकृति दी गई थी। चार वर्षों के बाद भी काजीपेट में यह विनिर्माण एकक स्थापित नहीं किया गया है। मैं सैकड़ों बार रेल मंत्री जी के पास गया। मैंने हर संभव प्रयास किया फिर भी यह काम नहीं हुआ। मुझे यह देखकर दुख होता है कि कांग्रेस का सदस्य होने के नाते और बार-बार प्रयास करने और मंत्रालय पर दबाव डालने के बावजूद यह एकक अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। इसे पी.पी.पी. पद्धति के तहत स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति से पहले ही आर.ओ. एफ. का काम कर लिया गया था। यह 'पिंक बुक' में दर्ज है। फिर भी यह अभी तक स्थापित नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने नि:शुल्क भूमि देने की पेशकश की है। इसके बावजूद रेलवे प्राधिकारी इस एकक को स्थापित नहीं कर पाए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कम से कम अब तो अविलम्ब इस विनिर्माण एकक की काजीपेट में स्थापना कर दे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): क्या माइक चल रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर चले जाएं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं अपने सीट से ही बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उन्हें तंग न करें। सुनिए वे क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, मैं अपनी सीट से बोलना चाहता था लेकिन अब तो चुनाव होने वाला है, मुझे सीट का पता नहीं है, मुझे इधर से बोलना पड़ेगा या उधर से बोलना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सुबह बोल चुके हैं। यदि आप कुछ कहना भूल गए थे तो अब वह कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका शुक्रगुजार हूं, आप बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। आप हमें बोलना का हरदम मौका देते हैं, इसके लिए पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में बोलना चाहता हूं। भागलपुर, जहां से मैं सांसद हूं, यह गंगा के तट पर बसा हुआ है। आप जानते हैं कि जब अखंड भारत था तो तीन संस्कृति–नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया लेकिन नालंदा की बड़ी चर्चा हुई है। सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी, नीतिश कुमार जी नालंदा से आते हैं। जब यह बिहार के मुख्य मंत्री बने तो नालंदा पर इनका ध्यान खूब रहा। यहां तरक्की भी हुई है। यह बिहार का ही नहीं बल्कि देश की धरोहर है इसके लिए हमें बहुत खुशी है लेकिन साथ में, विक्रमशिला की उपेक्षा भी बहुत हुई है। आज विक्रमशिला जाने के लिए जो एन.एच.–80 है, वह बहुत खराब हालत में है। वहां विदेशी टूरिस्ट्स आते हैं लेकिन सड़क ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से मिला हूं। इन्होंने मेरा सहयोग किया है लेकिन बिहार सरकार को वहां जो सड़क बनानी चाहिए थी, वह नहीं बनी है, इससे न केवल बिहार की बल्कि देश की बदनामी होती है। नालंदा जाने के लिए लोग पटना उतर कर जाते हैं लेकिन वहां एयरपोर्ट की कमी है। भागलपुर में एयरपोर्ट बनता तो अच्छा होता। विक्रमशिला, सिर्फ बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह देश की भी जिम्मेदारी है। अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना देश की जिम्मेदारी है। भागलपुर में बड़ी तादाद में लोग गंगा में डॉल्फिन देखने के लिए टूरिस्ट्स आते हैं। लोग वहां अंगराज कर्ण की भूमि को देखने जाते हैं। वह दानवीर कर्ण की भूमि है। उसे अंग प्रदेश कहा जाता है। हमारी बात मान कर ममता दीदी ने अंग एक्सप्रेस गाड़ी चला दी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। वह क्षेत्र बहुत बड़ा माना जाता है। आज विक्रमशिला की जो उपेक्षा हो रही है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, आजकल उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं है, हम कैरेसपांडेंस करते हैं, तो वहां से खत का जवाब नहीं आता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि विक्रमशिला पर बिहार सरकार भी ध्यान दे और केन्द्र सरकार भी ध्यान दे। भागलपुर की उपेक्षा करना बंद करे, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम उसकी चिंता खुद कर लेंगे।



श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): इनको दो-दो बार बोलने का मौका दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कौन बोला?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण बोलना चाहते हैं क्योंकि आज सभा में व्यवस्था है।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): जब आप सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम सब को बोलने का मौका देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, एक समस्या है कि घाटशिला के सुरदा में एक सेन्ट्रल स्कूल है, जो हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के कम्पाउंड में है। पिछले कई साल से हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की हालत खराब थी तो उन्होंने स्कूल को

रिपेयर नहीं किया। अब स्कूल की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि सी.बी.एस.ई. ने एक अप्रैल से स्कूल को बंद करने का नोटिस दे दिया है।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक हजार बच्चों की भविष्य की बात है, अभी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रॉफिट में आ गया है, वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह स्कूल बंद न हो। यह सरकारी आदेश वापस ले लें और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को आदेश दें कि यह सेन्ट्रल स्कूल, सुरदा, जो पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, वहां के बच्चों के लिए एक ही अच्छा सी.बी.एस.ई. का सेन्ट्रल स्कूल है, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार यह दबाव डाले कि एच.सी.एल. स्कूल को रिपेयर करे और स्कूल को बंद नहीं किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): महोदय, मैं बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। केरल विधानसभा ने 2011 में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया था। राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया। यह विधेयक मेरे जिले पालक्काड़ में पालाचीमाडा गांव के लोगों के लिए कोका कोला कंपनी से मुआवजे दिलाने की मांग करता है। यह विधेयक लोगों को मुआवजा देने की मांग करता है क्योंकि यह सारा गांव कोका कोला कंपनी द्वारा अत्यधिक पानी निकालने के कारण बर्बाद हो गया था। सारा इलाका उजड़ गया था, 600 एकड़ कृषि भूमि बंजर बन गई थी। अब यह सारा क्षेत्र पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है।

राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने यह पाया कि 2016 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कोका कोला कंपनी को करनी थी। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया और विधानसभा ने यह मुआवजा लेने हेतु एक न्यायाधिकरण का गठन करने हेतु विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया *...(व्यवधान)*

दुर्भाग्यवश, 2011 में विधेयक पारित किए जाने और उसे गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति हेतु नहीं भेजा है। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को क्यों रोका हुआ है? इसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? मुझे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने का संदेह है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कोका कोला कंपनी की सहायता करने के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु नहीं भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं खजुराहो लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र में दो नेशनल पार्क हैं। पार्क एरिया में आज भी गांव बसे हुए हैं। गांव वाले पार्क एरिया - पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ से बाहर जाने के लिए तैयार है। लेकिन भारत सरकार द्वारा उनकी सम्पत्ति का मुआवजा नहीं दिया गया है, उनके घरों का मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके पास मवेशी हैं। वन विभाग के अधिकारी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर पार्क एरिया में उनका मवेशी चला जाता है तो आदमी पर मुकदमा बनता है। उनकी बहुत बुरी हालत है जबकि वे पार्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर जो गांव बसे हुए हैं, उन लोगों का मुआवजा तत्काल दिया जाए जिससे वे पार्क छोड़कर अपना नया जीवन शुरू कर सकें।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति जी, मैं अपनी पार्लियामेंट्री कौन्सटीटूएंसी से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारी कौन्सटीटूएंसी में सीमेंट के दो कारखाने - अम्बूजा और जेपी हैं। अम्बूजा सीमेंट कारखाना इनवायर्नमैंट क्लीयरैंस की वजह से पिछले पन्द्रह दिनों से बंद पड़ा है। उसमें दस हजार व्हीकल्स और उनसे संबंधित हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। वे आजकल परेशान हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि क्लीयरैंस या इनवायर्नमैंट प्राब्लम को तुरंत क्लीयर किया जाए ताकि हजारों ट्रक और लोगों को इस परेशानी से जूझना न पड़े।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मेरे बनासकांठा क्षेत्र के रेलवे के दो प्रश्न हैं। एक, चित्रासणी में अंडर पास ब्रिज बनाया गया है जिसमें पूरा पानी भर जाता है। दूसरा, धनेरा में रेलवे ओवरब्रिज का पैसा दो साल से पास किया हुआ है। रेलवे मंत्रालय आज तक उसके लिए परमीशन नहीं दे रही है। तीसरा, नर्मदा का पानी मेरे संसदीय क्षेत्र बाव, पाबर, देवदर में आता है। लेकिन रेलवे के परमीशन नहीं देने के कारण नहरों का काम अटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि रेलवे मंत्रालय इसके लिए परमीशन दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल, 21 फरवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 फरवरी, 2014/2 फाल्गुन, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री पी. विश्वनाथ	381
	श्री जोस के. मणि	
2.	श्री सुरेश कलमाडी	382
3.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	383
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	384
5.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	385
	श्री गजानन ध. बाबर	
6.	श्री अभिजीत मुखर्जी	386
7.	श्री चंद्रकांत खैरे	387
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	
8.	श्री के. सुगुमार	388
9.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	389
10.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	390
	श्री आनंदराव अडसुल	
11.	श्री दत्ता मेघे	391
12.	श्री शिवकुमार उदासी	392
13.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	393
	श्री हेमानंद बिसवाल	
14.	श्री अब्दुल रहमान	394
	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	
15.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	395
	श्री यशवीर सिंह	
16.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	396
17.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	397
18.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	398
	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	
19.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	399
20.	डॉ. भोला सिंह	400
	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	4262, 4378, 4422, 4450
2.	श्री बसुदेव आचार्य	4304
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	4355, 4397, 4415
4.	श्री आनंदराव अडसुल	4315, 4355, 4397, 4415
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	4258, 4373, 4416
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4359, 4441
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	4354, 4419, 4438
8.	श्री सुल्तान अहमद	4288, 4349

1	2	3
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	4276, 4358
10.	श्री एम. आनंदन	4259, 4425
11.	श्री अनंत कुमार	4293
12.	श्री कीर्ति आजाद	4290, 4394
13.	श्री गजानन ध. बाबर	4315, 4355, 4397, 4415
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	4321
15.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	4234, 4377, 4449
16.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	4346
17.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	4396
18.	श्री अवतार सिंह भडाना	4285
19.	श्री ताराचन्द्र भगोरा	4344, 4434
20.	श्री समीर भुजबल	4301, 4407
21.	श्री कुलदीप बिश्नोई	4454
22.	श्री हेमानंद बिसवाल	4351, 4375, 4448
23.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	4403, 4418
24.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	4419
25.	श्री सी. शिवासामी	4240, 4433
26.	श्री हरीश चौधरी	4409
27.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	4261, 4289, 4343, 4376
28.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4256, 4302
29.	श्री निखिल कुमार चौधरी	4339, 4410
30.	श्रीमती श्रुति चौधरी	4283, 4318, 4389, 4441
31.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	4306, 4319, 4329, 4419
32.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	4353, 4365
33.	श्रीमती रमा देवी	4289
34.	श्री के.पी. धनपालन	4249, 4363
35.	श्री संजय धोत्रे	4305, 4417
36.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4348, 4421
37.	श्री चार्ल्स डिएस	4310
38.	श्री निशिकांत दुबे	4396
39.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	4350, 4405
40.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	4410
41.	श्री वरुण गांधी	4316
42.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4237
43.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4332, 4432
44.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	4333
45.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	4242, 4319, 4358, 4440
46.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4322
47.	श्री बलीराम जाधव	4311
48.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4335, 4409
49.	श्री हरिभाऊ जावले	4244, 4310, 4358, 4395
50.	श्री सुरेश कलमाडी	4350, 4400

1	2	3
51.	श्री पी. करुणाकरन	4232, 4379, 4451
52.	श्री कपिल मुनि करवारिया	4252, 4366, 4443
53.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	4274
54.	श्री राम सिंह कस्वां	4230, 4395
55.	श्री नलिन कुमार कटील	4292, 4412
56.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	4310, 4319
57.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4353, 4424
58.	श्री चंद्रकांत खैरे	4350
59.	श्री हसन खान	4297
60.	श्री अजय कुमार	4294, 4430
61.	श्री पी. कुमार	4277, 4400, 4421, 4450
62.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	4264
63.	श्री यशवंत लागुरी	4254, 4289, 4399
64.	श्री एम. कृष्णास्वामी	4241, 4348, 4357, 4439
65.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	4238, 4410
66.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4323
67.	श्री भर्तृहरि महताब	4305, 4417
68.	श्री प्रदीप माझी	4314, 4414
69.	श्री मंगनी लाल मंडल	4286
70.	श्री जोस के. मणि	4369, 4426, 4444
71.	श्री दत्ता मेघे	4398
72.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	4392, 4402
73.	डॉ. थोकचोम मैन्या	4337
74.	श्री अभिजीत मुखर्जी	4390, 4452
75.	श्री विलास मुत्तेमवार	4291, 4408
76.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4287, 4431
77.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	4307
78.	श्री नामा नागेश्वर राव	4317, 4416
79.	श्री नरेनभाई काछादिया	4273, 4383, 4454
80.	श्री ओ.एस. मणियन	4235, 4357
81.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	4241, 4270, 4279, 4400, 4458
82.	श्री पी.आर. नटराजन	4310, 4341, 4429
83.	श्री प्रबोध पांडा	4426, 4444
84.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4351
85.	श्री देवजी एम. पटेल	4247, 4362
86.	श्री हरिन पाठक	4299
87.	श्री संजय दिना पाटील	4307
88.	श्री सी.आर. पाटिल	4295
89.	श्रीमती कमला देवी पटले	4253, 4367

1	2	3
90.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4236
91.	श्री अमरनाथ प्रधान	4393
92.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	4328
93.	श्री पन्ना लाल पुनिया	4246, 4353, 4361, 4442
94.	श्री एम.के. राघवन	4306, 4411
95.	श्री बी.वाई राघवेन्द्र	4267, 4319, 4380
96.	श्री अब्दुल रहमान	4386, 4404
97.	श्री रमाशंकर राजभर	4243, 4420
98.	श्री सी. राजेन्द्रन	4248, 4402
99.	श्री एम.बी. राजेश	4263, 4351, 4391
100.	श्री पूर्णमासी राम	4280, 4437
101.	प्रो. रामशंकर	4269, 4310
102.	श्री निलेश नारायण राणे	4272, 4355, 4382, 4453
103.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	4303
104.	श्री रामसिंह राठवा	4255, 4371, 4446
105.	डॉ. रत्ना डे	4336, 4405, 4418
106.	श्री अशोक कुमार रावत	4257, 4350, 4372, 4447
107.	श्री विष्णु पद राय	4229
108.	श्री रुद्रमाधव राय	4393
109.	श्री एस. अलागिरी	4324, 4350
110.	श्री एस. सेम्मलई	4260, 4419, 4435
111.	श्री एस.आर. जेयदुरई	4305, 4332, 4426
112.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	4233, 4355, 4370, 4445
113.	श्री ए. सम्पत	4331
114.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	4343
115.	श्री तूफानी सरोज	4298
116.	श्री हमदुल्लाह सईद	4239, 4356
117.	श्री एम.आई. शानवास	4288, 4326, 4396, 4423
118.	श्री नीरज शेखर	4349, 4413
119.	श्री राजू शेट्टी	4325
120.	श्री एंटो एंटोनी	4268, 4271, 4381
121.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	4284
122.	श्री गणेश सिंह	4308
123.	श्री जगदानंद सिंह	4320
124.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4250, 4364, 4405
125.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	4330, 4424
126.	श्री राकेश सिंह	4251
127.	श्री रतन सिंह	4322

1	2	3
128.	श्री सुशील कुमार सिंह	4296
129.	श्री यशवीर सिंह	4349, 4413
130.	चौधरी लाल सिंह	4312
131.	श्री प्रभुनाथ सिंह	4309
132.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4335, 4409
133.	श्री विजय बहादुर सिंह	4338
134.	श्री एन. धरम सिंह	4350
135.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	4268, 4348
136.	श्री ई.जी. सुगावनम	4278, 4385, 4456
137.	श्री के. सुगुमार	4349
138.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4345
139.	श्री डी.के. सुरेश	4292, 4319
140.	श्री मानिक टैगोर	4266, 4422
141.	श्रीमती अन्नू टन्डन	4236, 4240, 4282, 4388, 4457
142.	श्री अशोक तंवर	4231, 4374
143.	श्री जगदीश ठाकोर	4334, 4427
144.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4265, 4358, 4429
145.	श्री आर. थामराईसेलवन	4349, 4352
146.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	4403
147.	श्री पी.टी. थॉमस	4340, 4428
148.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4406
149.	श्री लक्ष्मण टुडु	4399
150.	श्री शिवकुमार उदासी	4403
151.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	4275, 4384, 4455
152.	श्री हर्ष वर्धन	4275
153.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	4324, 4368
154.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4245, 4339, 4352, 4360, 4400
155.	श्री सज्जन वर्मा	4300
156.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4342
157.	श्री पी. विश्वनाथ	4313, 4349, 4387
158.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4327
159.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	4281, 4409
160.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4315, 4355, 4397, 4415
161.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4347, 4427, 4436

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	381
कॉर्पोरेट कार्य	:	394
पेयजल और स्वच्छता	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	397
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	388, 391
अल्पसंख्यक कार्य	:	
विद्युत	:	383, 384, 385
रेल	:	387, 389, 392, 393, 395, 398
ग्रामीण विकास	:	382, 399, 400
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
जल संसाधन	:	386, 390, 396

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4245, 4246, 4260, 4270, 4272, 4282, 4297, 4303, 4304, 4335, 4349, 4351, 4352, 4357, 4369, 4371, 4398, 4400, 4406, 4418, 4420, 4440, 4443
कॉर्पोरेट कार्य	:	4394
पेयजल और स्वच्छता	:	4229, 4240, 4242, 4244, 4309, 4313, 4322, 4358, 4374, 4413, 4417, 4431, 4456
पृथ्वी विज्ञान	:	4284, 4291, 4324, 4381
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4233, 4250, 4259, 4276, 4287, 4293, 4296, 4332, 4363, 4391, 4393, 4408, 4412, 4414, 4434
सूचना और प्रसारण	:	4237, 4254, 4255, 4274, 4279, 4280, 4285, 4200, 4319, 4341, 4344, 4385, 4411, 4425, 4428, 4430, 4451, 4454

अल्पसंख्यक कार्य	:	4266, 4288, 4295, 4331, 4340, 4354, 4396, 4423, 4435, 4437, 4458
विद्युत	:	4238, 4257, 4258, 4261, 4268, 4271, 4277, 4290, 4311, 4318, 4325, 4330, 4336, 4337, 4339, 4356, 4360, 4372, 4373, 4377, 4389, 4403, 4409, 4415, 4421, 4439, 4448, 4450,
रेल	:	4230, 4232, 4241, 4251, 4263, 4265, 4269, 4275, 4278, 4283, 4286, 4299, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4308, 4310, 4315, 4316, 4320, 4323, 4328, 4329, 4333, 4334, 4342, 4345, 4346, 4350, 4353, 4361, 4362, 4364, 4365, 4370, 4375, 4378, 4380, 4382, 4384, 4386, 4390, 4399, 4401, 4402, 4404, 4410, 4419, 4424, 4426, 4427, 4429, 4433, 4436, 4438, 4441, 4442, 4444, 4445, 4446, 4452, 4455
ग्रामीण विकास	:	4231, 4235, 4239, 4247, 4252, 4253, 4281, 4289, 4298, 4312, 4314, 4326, 4327, 4338, 4343, 4348, 4367, 4383, 4387, 4392, 4391, 4416, 4432, 4453, 4457
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4236, 4248, 4249, 4262, 4317, 4376
जल संसाधन	:	4234, 4243, 4256, 4264, 4267, 4273, 4292, 4294, 4321, 4347, 4355, 4366, 4368, 4379, 4388, 4397, 4405, 4407, 4422, 4447, 4449,